...ा माला, खंड 8, अंक 9

सोमवार, 8 मार्च, 1999
17 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 8 मार्च, 1999/17 फाल्गुन, 1920 (शक)
का
शुद्धि - पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
49	नीचे से 14	डा॰ एम॰ थाम्बी दुरई	डा॰ एम॰ तम्बीदुरई
403	10	श्री॰ एम॰ तम्बी दुरई	डा॰ एम॰ तम्बीदुरई
407	अन्तिम	श्री॰ एम॰ तम्बी दुरई	डा॰ एम॰ तम्बीदुरई
440	8	श्री॰ एम॰ तम्बी दुरई	डा॰ एम॰ तम्बीदुरई
393	4	अध्ययों	अध्ययनों
667	अंतिम पंक्ति के पश्चात पाद-टिप्पण	* ----------	* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया। जोड़ें
673	नीचे से 4	....(व्यवधान)	....(व्यवधान)*
679	16	अध्यक्ष महोदय:	उपाध्यक्ष महोदय:
727	नीचे से 10	उपाध्यक्ष महोदय:	सभापति महोदय:

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री शारदा प्रसाद
वरिष्ठ सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 9, सोमवार, 8 मार्च, 1999/17 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
दिल्ली में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना में मारे गए लोगों के बारे में उल्लेख.	1
हंगरी के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत.	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 163	4–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 164–180	43–117
अतारांकित प्रश्न संख्या 1694–1923	117–628
सभा पटल पर रखे गए पत्र....	629–638
सदस्य द्वारा त्यागपत्र.	638–639
राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक–पुरःस्थापित.	639
श्रीमती मेनका गांधी	639
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) बिहार में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाना	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	639
(दो) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के पास भारतीय वायु सेना के वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	688
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला आरक्षण विधेयक के बारे में.	646
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक.	690–714
विचार करने के लिए प्रस्ताव	690
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	690
श्री राजो सिंह	693
श्री मोहन सिंह	694

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री के. बापीराजू	696
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	698
श्री सत्य पाल जैन	700
श्री शैलेन्द्र कुमार	703
श्री कल्पनाथ राय	706
डा. सुशील इन्दौरा	707
श्री प्रभुनाथ सिंह	707
श्री प्रभूदयाल कठेरिया	709
श्री रामदास आठवले	710
श्री खारबेल स्वाईं	711
श्री बी.एम. मेनसिंकाई	711
खंड 2 से 7 और 1	714
पारित करने के लिए प्रस्ताव	714
नियम 377 के अधीन मामले.	718–723
(एक) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य राजमार्गों, विशेषकर कानपुर-सागर बरास्ता हमीरपुर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री गंगा चरण राजपूत	718
(दो) गुजरात में जैतपुर-सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया	718
(तीन) बिहार में स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	719
(चार) महाराष्ट्र के पुणे जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल	719
(पांच) पश्चिम बंगाल में शांतिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के उप-मार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. असीम बाला	720
(छह) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर सिविल लाइन्स की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को पुनः खोले जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	720
(सात) चेन्नई सेन्ट्रल और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रैस रेलगाड़ी को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. गोपाल	721

विषय | कालम

(आठ) 1998 में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार को और अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता

डा. सुशील इन्दौरा 722

(नौ) उत्तर प्रदेश में आंवला में गैस आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह 723

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत* 768

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक. 727

विचार करने के लिए प्रस्ताव 730

श्री वी.वी. राघवन 727

श्री राम जेठमलानी 730, 794

श्री के.एस. राव 751

श्री भगवान शंकर रावत 761

श्री अनिल बसु 769

श्री मोहन सिंह 772

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 776

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे 781

श्री गंगा चरण राजपूत 782

श्रीमती मीरा कुमार 784

श्री वारकला राधाकृष्णन 786

श्री शैलेन्द्र कुमार 789

श्री राम नारायण मीणा 790

श्री मित्रसेन यादव 792

श्री पी. शिव शंकर 799

खंड 2 से 5 और 1 801

पारित करने के लिए प्रस्ताव 802

लोक सभा

सोमवार, 8 मार्च, 1999/17 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

दिल्ली में भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना में मारे गये लोगों के बारे में उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, कल भारतीय वायु सेना का ए.एन. 32 परिवहन विमान दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पप्पनकला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 19 भारतीय वायु सेना कर्मियों सहित लगभग 22 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है।

हमें इस त्रासदी पर गहरा दुख है और सभा इस बारे में अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

हंगरी के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तरफ से तथा सभा के माननीय सदस्यगण की तरफ से हंगरी की नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष महामहिम डा. जानोस अडेर तथा श्रीमती (डा.) अनीता अडेर तथा हंगरी के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारे सम्माननीय मेहमान के रूप में भारत के दौरे पर हैं। शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं: (1) श्रीमती अनीता आलटोरजय, संसद सदस्य (2) श्री गवोर अकोटा, संसद सदस्य (3) श्री फेरेन्स कोसा, संसद सदस्य और (4) डा. ग्योरजी गेमेसी, संसद सदस्य हैं।

वे रविवार 7 मार्च, 1999 को दिल्ली पहुंचे हैं। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से हंगरी गणराज्य के राष्ट्रपति, नेशनल एसेम्बली तथा वहां पर मित्र लोगों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पूरे सप्ताह से सभा में बिहार के मुद्दे पर ही चर्चा हुई और इस मुद्दे को अनेक मौकों पर उठाया गया।

सरकार ने इस बारे में एक विशिष्ट वायदा किया था कि वह 8 तारीख को अपनी स्थिति स्पष्ट करने जा रही है *...(व्यवधान)* अत: सरकार द्वारा 8 तारीख को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा प्रश्न काल के बाद उठाया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह सभा को सूचित करेगी कि अनुच्छेद 356 के बारे में उसने वास्तव में क्या निर्णय लिया है। संसद के गलियारे में यह खबर है कि इस बारे में कुछ निर्णय लिया गया है। अत: अच्छा होगा कि सरकार सभा को इस बारे में जानकारी दे *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)* यह रोजमर्रा का मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय गृह मंत्री एक छोटा वक्तव्य देना चाहते हैं। यदि सदन चाहता है कि वह अपना वक्तव्य दें, तो मैं उन्हें उसकी अनुमति दे सकता हूं।

श्री शरद पवारः ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसाकि मैने आपसे आज सुबह कहा था कि कैबिनेट ने एक निर्णय किया है। लेकिन उचित यही होगा कि जो भी घोषणा की जानी है, वह दोनों सदनों में की जाये। मुझे बताया गया है कि अन्य सभा में भी यह घोषणा दोपहर 12.00 बजे की जाएगी। इसलिए, अगर आप चाहें तो मैं यह घोषणा यहां भी 12.00 बजे कर सकता हूं अथवा अगर आप चाहें तो इसे अभी इसी वक्त कर सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडूः महोदय, माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य प्रश्नकाल के बाद दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट अभी होना चाहिए। प्रैस में सब कुछ आ रहा है *...(व्यवधान)* देरी बहुत हो चुकी है। बिहार बरबाद हो रहा है, पूरा देश बरबाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः गृह मंत्री जी की बात सुनिये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे जब प्रातःकाल मिला था तो मैंने मंत्रिमंडल के निर्णय के संदर्भ में कहा था। उस समय मैंने कहा था कि सामान्यतया क्वैश्चन ऑवर से पहले और कुछ नहीं होता है, जो भी घोषणा होती है, वह 12 बजे होती है लेकिन इस सदन में यह स्थिति नहीं आनी चाहिए कि दूसरे सदन में घोषणा हो जाये और यहां न हो। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आपका निर्देश होगा, मैं उसके अनुसार करूंगा। अभी-अभी दूसरे सदन से आये हुये हमारे एक साथी ने बताया है कि वहां यह निर्णय हुआ है कि स्टेटमेंट 12 बजे होगा। अगर इस सदन की राय हो तो मैं भी इस सदन में स्टेटमेंट 12 बजे करूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि देश और इस सदन को असमंजस की स्थिति में न रखा जाये। गृह मंत्री जी, जो अच्छा काम है, उसे तत्काल कीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं खड़ा हूं। कृपया आप लोग बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवारः महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा अपना वक्तव्य 12 बजे देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय गृह मंत्री को अपना वक्तव्य प्रश्न काल के बाद देने दीजिए।

अब, प्रश्न काल, प्लीज। प्रश्न सं. 161-श्री यू.वी. कृष्णमराजू

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खोज कार्य के लिए तेल कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

***161. श्री यू.वी. कृष्णमराजूः**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टीः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न किस्मों के ब्लाकों हेतु खोज कार्य के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए विभिन्न तेल कम्पनियों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई खोज कार्य लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत कुछ तटीय अपतटीय और गहरे जल के ब्लाकों की पहचान की गई है और देशी तथा विदेशी कम्पनियों, दोनों को खोज का कार्य दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने ऐसे ब्लाकों के संबंध में विभिन्न देशों में इनके बारे में कोई प्रचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसा किन-किन देशों में किया गया और ऐसे प्रचार के प्रति उनका क्या रुख रहा और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति से पूर्व, वर्ष 1991-95 के बीच विभिन्न बोली दौरों, जिनके द्वारा अन्वेषण कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे, के अंतर्गत तेल और गैस के अन्वेषण की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं:

- भारत सरकार, ओ एन जी सी या ओ आई एल के बीच संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने थे और सफल बोलीकर्ता कंपनियो को उत्पादन हिस्सेदारी की संविदाएं करनी थी।

- ओ एन जी सी/ओ आई एल का भागीदारी हित 40 प्रतिशत तक होना था।

- पेट्रोलियम कार्यों के लिए अपेक्षित आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाता था।

- बोलीयोग्य लागत वसूली सीमा 100 प्रतिशत तक थी।

- लाभ पेट्रोलियम की बोलीयोग्य हिस्सेदारी, कर पश्चात बहुत निवेश या करोपरांत प्रतिफल के आधार पर, उपलब्ध कराया जाता था।

- तेल और गैस पर रायल्टी तथा उपकर राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा वहन किया जाएगा।

- वित्तीय स्थिरता व्यवस्था संविदा में शामिल थी।

- सरकार के पास अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत संपूर्ण क्रूड खरीदने का प्रथम विकल्प था।

- कार्य निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध थी।

- अनसिटरल माडल पर आधारित विवाद संकल्प लागू था।

इन शर्तों पर ओ एन जी सी तथा ओ आई एल ने वर्ष 1991 से अन्वेषण कार्यों के लिए 23 अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाए।

(घ) और (ङ) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत कुल 48 खंड प्रस्तुत किए हैं जिनमें 10 जमीनी, 26 उथले जल अपतटीय तथा 12 गहन जल अपतटीय खंड शामिल हैं। विदेशी और घरेलू दोनों ही कंपनियां इन बोली प्रस्तावों में भाग ले सकती है। कंपनियां निगमित या अनिगमित उद्यमों के गठन के लिए स्वतंत्र है। विदेशी कंपनियों की भागीदारी 100 प्रतिशत तक हो सकती है। एन ई एल पी के तहत बोली प्रस्ताव की अंतिम तारीख 18.5.99 है। एन ई एल पी के तहत मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं:

- सरकार और सफल बोलीदाता कंपनियों के बीच संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी किस्म की होंगी।

- इसमें राज्य की भागीदारी अनिवार्य नहीं होगी।

- वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात वर्ष तक आयकर में छूट की व्यवस्था रहेगी।

- पेट्रोलियम कार्यों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- बोलीयोग्य लागत वसूली सीमा 100 प्रतिशत तक मौजूद है।

- प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण तथा वेधन व्यय के ऋण चुकाने का विकल्प मौजूद है।

- ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर पूर्व बहु निवेश आधार पर लाभ पेट्रोलियम की बोलीयोग्य हिस्सेदारी की व्यवस्था है।

- जमीनी क्षेत्रों के संबंध में कच्चे तेल के लिए 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से रायल्टी देय है। अपतटीय क्षेत्रों के संबंध में यह रायल्टी कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर से देय है। 400 मी. आइसो बाथ से अधिक के गहन जल में खोज करने पर यह

रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों पर लागू दर से आधी दर पर वसूल की जाएगी।

- संविदा में राजकोषीय स्थिरता की व्यवस्था मौजूद है।
- घरेलू बाजार में तेल तथा गैस के विपणन के लिए ठेकेदार को आजादी दी गई है।
- कार्य निर्धारण की व्यवस्था मौजूद है।
- अनसिटरल माडल पर आधारित समाधान तथा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू होगा।
- निवेशकों की सहूलियत के लिए पेट्रोलियम कर गाइड (पी टी जी) उपलब्ध है।

(च) और (छ) एन ई एल पी के लिए रोड शो, नई दल्ली, लन्दन (यू के), ह्यूस्टन (यू एस ए), कैलगैरी (कनाडा) तथा सिंगापुर में आयोजित किए गए थे। रोड शो पर मिली प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक थी और अन्वेषण व उत्पादन कंपनियों, सेवा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा परामर्शी फर्मों आदि के करीब 500 प्रतिनिधियों ने इन रोड शो में भाग लिया। दिनांक 25.2.99 तक अभिप्रेरणा विषय सामग्री, बोली दस्तावेजों आदि सहित उक्त रोड शो पर किया गया कुल व्यय 104.84 लाख रुपए है।

श्री यू.वी. कृष्णमराजू: उपाध्यक्ष महोदय, उदारीकृत नीति के अंतर्गत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) तैयार की है। महोदय, हमारे देश को तेल और प्राकृतिक गैस, विशेषरूप से कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन में और अपतटीय बेसिन में विशाल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। 105 लाख रुपये की लागत से किए गए रोड शो के परिणामस्वरूप कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रोड शो में 48 ब्लाकों में से पूर्वी गोदावरी क्षेत्र के ब्लाकों को शामिल किया गया है और यदि हाँ तो क्या आज तक किसी संयुक्त उद्यम कम्पनी से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं हालांकि अंतिम तिथि 18.5.99 है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत लम्बा प्रश्न है।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तेल की खोज के संबंध में अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश में तेल खोज नीति को उदार बनाया गया है। इस संबंध में हमें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए: 1991 और 1995 के बीच की अवधि और तेल की खोज के संबंध में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति। महोदय, 1991 और 1995 के बीच लगभग 23 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक कम्पनी ने अपना नाम वापिस ले लिया है और उसने वापस जाने के अपने अधिकार का उपयोग किया है। इसलिए, अन्य 21 ब्लाकों जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं और गत वर्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ने पहले ही अपना कार्य शुरू कर दिया है।

महोदय, विश्व स्तर पर, ब्राजील जैसे कुछ देशों और पूर्वोत्तर में यूरोपीय देशों ने तेल की खोज संबंधी उद्यम में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक अच्छी शर्तें रखी हैं। अत: अब यह हमारा कर्तव्य है कि इन निजी उद्योगों के लिए अधिक से अधिक उदार शर्तें बनाई जाएं।

तदनुसार, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का प्रारूप तैयार किया गया था और दिल्ली, लंदन ह्यूस्टन, कैलगैरी और सिंगापुर में रोड शो पहले आयोजित किये जा चुके हैं। हमने अन्वेषण लाइसेंस से नीति के अंतर्गत निजी उद्यमियों को 48 ब्लाकों का प्रस्ताव किया है। निश्चित रूप से, इसमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिन और अन्य स्थान शामिल हैं। महोदय, यदि आप चाहें तो मैं पूरे 48 स्थानों को पढ़कर सुना सकता हूँ। यहाँ लगभग 12 गहन जल के ब्लॉक है। इनमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पालार, महानदी और पूर्वोत्तर तट शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं यह बहुत लम्बी सूची है।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: नहीं, महोदय मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। मैं इसे पहले ही सभा पटल पर रख चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे सभा पटल पर अब रखा गया है।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: यहाँ 26 अपतटीय ब्लाक हैं जिनमें कृष्णा और गोदावरी शामिल हैं। यहां 10 जमीनी ब्लाक हैं।

श्री अजीत जोगी: अन्य बातें वह पढ़ सकते हैं।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: वह पूछ रहे हैं कि कितने ब्लाकों को गोदावरी बेसिन में शामिल किया गया है। मुझे उनको उत्तर देना है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: उसका आप पहले ही उत्तर दे चुके हैं। यहाँ एक प्रश्न विशेष है। क्या राजामुंदरी को शामिल किया गया है अथवा नहीं?

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: अन्य 10 ब्लाकों को भी आंध्र तट पर कृष्णा-गोदावरी-पालार आफ शोर में शामिल किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सुब्बारामी रेड्डी, यदि आप व्यवधान डालेंगे तो वह अपने विचार नहीं रख पाएंगे।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: मैंने उसे हाँ में उत्तर दिया है।

श्री यू.वी. कृष्णमराजू: क्या इसे 48 में शामिल किया गया है अथवा नहीं?

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: रोड शो से बहुत से लोग आकर्षित हुए हैं। प्रतिष्ठित और निवेश करने वाली कम्पनियों के 500 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इन रोड शो में भाग लिया था। इस संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कम्पनियों से हमें बहुत से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। चूंकि अंतिम तिथि 18.5.99 है इसलिए हमें यह जानने के लिए कि इन रोड शो का क्या परिणाम होंगे, तब तक इंतजार करना पड़ेगा।

श्री यू.वी. कृष्णमराजू: महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या स्थानीय युवाओं को अकुशल और अर्धकुशल पदों पर रोजगार देने के लिए एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत शर्तों में खंड को शामिल करने पर विचार करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या तेल खोज कम्पनियों से एकत्रित की जा रही रायल्टी का एक हिस्सा क्षेत्र के विकास जैसे पेयजल, सामुदायिक विकास आदि के लिए खर्च किया जाएगा।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है उनमें अर्धकुशल और अकुशल व्यक्तियों को स्थानीय रूप से पहले ही भर्ती किया जा रहा है। दूसरे, तेल और गैस की तटीय और अपतटीय खोज के लिए रायल्टी के बारे में, इस माननीय सभा द्वारा पहले ही कानून पारित कर दिया गया है। तदनुसार, हम इसे राज्य को देंगे और यह राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य इसे स्थानीय विकास क्षेत्र के लिए खर्च करे। इसके अलावा, हम विभिन्न सामुदायिक योजनाओं के लिए स्थानीय लोगों को अपनी ओर से भी सहायता कर रहे हैं।

श्री जयराम आई.एम. शेट्टी: कावेरी बोसिन के बारे में, क्या किसी ब्लॉक की पहचान की है? इसकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है। यह मेरा पहला प्रश्न है दूसरे, हम 30,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर रहे थे। यह 1997-98 में कम होकर 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। क्या कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के आयात में कोई कमी आई है? यहाँ प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में हैं लेकिन इससे हमारी दो-तिहाई आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। दो-तिहाई प्राकृतिक गैस उनके द्वारा सप्लाई की जाती है। क्या हम शेष एक-तिहाई मांग को पूरा कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कितने वर्षों में?

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: एन.ई.एल.पी. योजना के अंतर्गत निजी उद्यमियों को जो प्रस्ताव किए गए उनमें से कावेरी के लिए गहन जल के दो ब्लाक भी हैं। कावेरी बेसिन में चार अपतटीय ब्लाक भी हैं। यहाँ कावेरी बेसिन में एकतटीय ब्लॉक भी है। जहां तक आयात बिल का संबंध है, इसमें गिरावट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कम कीमत के कारण आई। कावेरी बेसिन में प्राकृतिक गैस की स्थिति यह है कि उस क्षेत्र में जितनी गैस हमें मिल रही है, हम उसका लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में हम समर्थ थे।

डा. टी. सुब्बाराभा रेड्डी: नई अन्वेषण नीति के अंतर्गत माननीय मंत्री ने वचन दिया है कि अंतिम रूप से 48 ब्लॉक बनाने हैं और निविदाएं प्राप्त करने के लिए मई, 1999 के अंत तक अंतिम तारीख दी गई है। मैं इस संबंध म इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कच्चे तेल के आघात से हम पर मार पड़ रही है। क्या सरकार के पास मई तक निविदाएं प्राप्त करने के अलावा कोई विशेष लक्ष्य है? सरकार इन सबको अंतिम रूप कब तक देने जा रही है और सरकार निश्चित रूप से तेल की खोज का कार्य कब से प्रारम्भ कर देगी? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि राजामुंदरी कृष्णा-गोदावरी बेसिन जो बहुत महत्वपूर्ण है; को इन 48 ब्लॉकों में शामिल किया गया है अथवा नहीं।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में कितने ब्लाकों को शामिल किया गया है। गहन जल के लगभग 6 ब्लाक हैं; अपतटीय लगभग 4 ब्लाक हैं। ये सभी वे क्षेत्र हैं जहाँ हमने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 48 ब्लाकों की पहचान की है।

एन.ई.एल.पी. के संबंध में निविदाएं प्राप्त करने की तारीख 18 मई, 1999 को समाप्त होने जा रही है। लेकिन इन निविदाओं को प्राप्त करने के अलावा, हम बोम्बे हाई से तेल और गैस की प्राप्ति की नई अद्यतन प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं। 1999 तक पूरा अध्ययन कर लिया जाएगा और 2000 तक हमें उत्पादन शुरू करने की आशा है।

श्री टी.आर. बालू: संयुक्त मोर्चा की सरकार के शासनकाल के दौरान हमने पूर्वी तट और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 11,500 लाइन कि.मी. का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया था। प्रारम्भिक

सर्वेक्षण से पता चला था कि अंडमान तट में काफी मात्रा में गैस हाइड्रेट्स से उपलब्ध हैं। इस सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है? क्या पश्चिम आस्ट्रेलिया को भेजे गए आंकड़े से कुछ उत्साहवर्द्धक बातों का पता चला है तथा मेरी जानकारी के अनुसार अंडमान के समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध गैस हाइड्रेट्स से देश की आगामी 30 वर्षों की आवश्यकता पूरी होती रहेगी। अत: तैयार किए गए उत्साहवर्द्धक आंकड़े जिन्हें आस्ट्रेलिया भेजा गया था, उन का क्या हुआ।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्तिः यह सच है कि मेरे माननीय मित्र श्री बालू के मंत्रित्वकाल में आंकड़े एकत्र किए गए थे और हमने अब न सिर्फ 11000 लाइनों को तीन गुना बढ़ा दिया है बल्कि भूकंपीय सर्वेक्षण को भी 34,000 किलोमीटर में बढ़ा दिया गया है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जैसाकि हमारे माननीय मित्र ने कहा है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस हाइड्रेट्स उपलब्ध है। अंडमान क्षेत्र में दो अथवा तीन महीने के अंतर्गत पहले जहाज द्वारा ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री अजित कुमार पांजा: हम लम्बे समय से यह सुनते आये हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य के गंगा नदी बेसिन और बंगाल की खाड़ी में तेल तथा गैस का भारी भंडार उपलब्ध है। माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में कतिपय सार्वजनिक वक्तव्य दिए हैं तथा हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10 फरवरी को एक विशाल जनसभा में उन्होंने कहा था कि इसकी खोज कराए जाने की संभावना है। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बताने की कृपा करेंगे कि इसकी खोज कराए जाने संबंधी संभावनाएं क्या हैं, गंगा बेसिन और पश्चिम बंगाल में तेल की खोज संबंधी लाइसेंस की नीति क्या है तथा इसे कब तक शुरू किया जायेगा।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्तिः वास्तव में, जहाँ तक पश्चिम बंगाल और गंगा नदी का प्रश्न है राज्य में 11,095 वर्ग किलोमीटर गहरे जल ब्लाक क्षेत्रों की अब तक एक ब्लाक के रूप में पहचान की गई है।

पश्चिम बंगाल में 10,425 वर्ग किलोमीटर तथा 14,535 वर्ग किलोमीटर अपतट ब्लाक क्षेत्र हैं। भूमि ब्लाक में बंगाल-पूर्णिमा का क्षेत्र 7,395 वर्ग किलोमीटर और 12,505 वर्ग किलोमीटर है तथा गंगा घाटी का क्षेत्र 36,750 वर्ग किलोमीटर, 14,460 वर्ग किलोमीटर और 3,965 वर्ग किलोमीटर है। इन ब्लाकों के अतिरिक्त दो और ब्लाकों की पहचान की गई है जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। चूंकि बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है अत: यह अभी भी लंबित है।

दूसरे, उत्तरी रानीगंज क्षेत्र में हमने पश्चिम बंगाल सरकार को हाल ही में कोयला आधारित मिथेन को ड्रिल करने की मंजूरी प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, गंगा, गंडक और बेतिया विशेषकर नॉर्थ बिहार का इलाका जहां आपका सर्वेक्षण का काम चल रहा था, वहां जो पहले गैस ड्रिलिंग करने वाली मशीनें लगी थी, उनको हटाया गया, उन्हें जिस कारण से हटाया गया? आप कहते हैं कि बिहार सरकार ने कंसैन्ट नहीं दिया, लेकिन इस देश में झरिया और धनबाद बैल्ट में कोल फील्ड्स में फायर के मामले हो रहे हैं, मीथेन गैस का भंडार भरा पड़ा है, कोयला जल रहा है, शहर धंस रहा है। मैं इन्वैस्टमेंट के लिए शिकागो गया था। मीथेन गैस से बिजली भी पैदा की जा सकती है। लेकिन न तो कोल डिपार्टमेंट उसकी गार्जियनशिप लेने को तैयार है और न आपका डिपार्टमेंट तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झरिया, धनबाद और छोटा नागपुर इलाके में जो मीथेन गैस का भंडार भरा पड़ा है, क्या उसके सर्वेक्षण का काम इनके मंत्रालय ने शुरू किया है या नहीं किया है और मीथेन गैस को निकालने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? आप बिहार पर सिर्फ तौहमत मढ़ देते हैं कि बिहार सरकार ने कंसैन्ट नहीं दिया, आप आज ही बिहार सरकार की कंसैन्ट ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइये। अभी तो आपके गवर्नर वहां हैं, उनसे कंसैन्ट ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला): जब आप मुख्य मंत्री थे, तब कंसैन्ट क्यों नहीं दी। अभी आप बिहार सरकार के कौन है जो बिहार सरकार की कंसैन्ट दे रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। मंत्री महोदय को अपनी बात कहने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री वाझापड़ी के. राममूर्तिः महोदय, श्री लालू प्रसाद जी द्वारा कोयला आधारित मीथेन गैस के प्रचुर भंडार के उपलब्ध होने के संबंध में कही गई बात में कोई संदेह नहीं है तथा यह देश के गैस और इस शक्ति की अन्य संभावनाओं का भविष्य है। बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, तमिलनाडु, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों मे भारी भंडार उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार सी.बी.एम. (कोयला आधारित मीथेन) की खोज का कार्य अपने

हाथ में लेने वाली है। गुजरात को छोड़कर कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस पर अपनी सहमति दे दी गई है और कुछ ने नहीं दी है।

श्री दिग्विजय सिंह: हम जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है अथवा नहीं।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: मैं इस बात पर आ रहा हूँ। मैंने जिन दो ब्लाकों का उल्लेख किया है वे सी.बी.एम. से किसी प्रकार से संबंधित नहीं हैं। समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि बिहार सरकार द्वारा अब तक एन.ई.एल.पी. को इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। ये दो ब्लाक अलग हैं।

जहाँ तक सी.बी.एम. का प्रश्न है मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री लालू प्रसाद जी की सरकार द्वारा सी.बी.एम. की उपलब्धता की संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में हमें मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इसमें कोई शक नहीं है कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा खोज संबंधी कार्य शुरू किया जा चुका है। वास्तव में, हम सी.बी.एम. ब्लाकों को बोलियों में शामिल करना चाहते थे लेकिन चूंकि कतिपय राज्य सरकारों द्वारा इस पर विलंब से मंजूरी प्रदान की गई तथा एक राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसमें विलंब हुआ है ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: उन्होंने कोयला आधारित मीथेन गैस के बारे में पूछा है।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: मैं कोयला आधारित मीथेन गैस के बारे में बोल रहा हूँ इसका अर्थ कोयले में ड्रिल करके गैस तथा तेल प्राप्त करने से है। अतः महोदय, विलंब का यह कारण है अन्यथा हमारी तरफ से कोई विलंब नहीं है।

श्री पी. शिव शंकर: उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न देशों से कच्चे तेल की खरीद किये जाने के कारण हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है। इस देश की परेशानी तभी समाप्त की जा सकती है यदि हम 'बाम्बे हाई' की तरह तीन अथवा चार ब्लाक तैयार कर सकें। वर्ष 1980 और 1984 के बीच कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा कावेरी के समुद्री क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए थे। इन रिपोर्टों में यह कहा गया है कि इन ब्लाकों की क्षमता 'बम्बई हाई' की तरफ होने की संभावना है। मैं केवल यह जानने को उत्सुक हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय इन क्षेत्रों के दोहन हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे तथा इस क्षेत्र का उचित दोहन किया जाए इसे सुनिश्चित करने हेतु उनके द्वारा क्या भावी कार्यवाही की जाने वाली है।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: महोदय यह सच है कि 'बाम्बे हाई' में तेल और गैस की खोज और इनके मिलने के पश्चात् देश में अन्यत्र कहीं भी प्रमुख रूप से तेल की खोज नहीं की जा सकी। विशेषरूप से जल 6-7 वर्षों के दौरान हम न सिर्फ अपनी खोज में कुछ प्राप्त करने में असफल रहे हैं बल्कि हमारे 'बाम्बे हाई' के भंडार में भी कमी आ रही है। अतः यह चिंताजनक विषय है तथा मैं माननीय सदस्य श्री पी. शिव शंकर द्वारा विशेषरूप से कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा कावेरी बेसिन जहाँ गहरे जल में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है और जिसकी अत्यधिक संभावना का हमें अनुमान है, के संबंध में व्यक्त चिंता से सहमत हूँ। मैं माननीय सदस्य महोदय को सूचित करना चाहता हूँ कि धन की कोई समस्या नहीं है। हमने इन सभी ब्लाकों को तेल की खोज संबंधी नई लाइसेंस नीति में भी शामिल किया है तथा हम इस संबंध में आगे भी कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप

***162. श्री उपेन्द्र नाथ नायक:**
श्री बृजमोहन राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उड़ीसा में मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक क्षेत्र-वार कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बिहार और उड़ीसा राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	बिहार	उड़ीसा
1996	100	362
1997	37	377
1998 (अनंतिम)	25	327

जनपदवार सूचना अनुबंध-I में है।

इन राज्यों ने विगत तीन वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर (जापानी एनसैफेलाइटिस) के कारण होने वाली किसी मौत की रिपोर्ट नहीं की है।

(ग) से (ङ) रोग की स्थिति का अनुवीक्षण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक रिपोर्टों और इस कार्यक्रम के अधिकारियों द्वारा राज्यों के किये जाने वाले आवधिक क्षेत्रीय दौरे के जरिए नियमित रूप से किया जाता है। रिपोर्टों तथा क्षेत्रीय दौरों के बाद की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सामग्रीगत सहायता राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है। बिहार और उड़ीसा राज्यों को केन्द्रीय सहायता राज्यों की मांगों, तकनीकी मूल्यांकन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार व उड़ीसा सहित संपूर्ण देश में मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं:

- रोग का प्रारंभ में ही पता लगाकर त्वरित उपचार।
- चयनित तथा समेकित वेक्टर नियंत्रण।
- सूचना, शिक्षा और संचार; मलेरिया रोधी मास आदि मनाने के जरिए समुदाय को सहभागिता में प्रवृत्त करना।
- मुख्य क्षेत्रीय स्टाफ के प्रशिक्षण तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण।

इसके अलावा, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही कार्यनीतियों को पूरा करने के लिए बिहार और उड़ीसा सहित 7 तटवर्ती राज्यों को अनिवार्यतया कवर करते हुए विश्व बैंक की सहायता से एक विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना सितम्बर, 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत अभिकल्पित नए उपाय/कार्यनीतियां निम्नलिखित हैं:

- सिंथेटिक पायथ्रायडों जैसे कीटनाशियों और जैव-लावानाशियों (चुनिंदा रोगवाहक नियंत्रण हेतु) के नए उत्पादन का उपयोग करना।
- औषध संसिक्त मच्छरदानियों के इस्तेमाल जैसे वैयक्तिक सुरक्षा तरीकों को बढ़ावा देना।
- मत्स्य अंडज उत्पतिशालाओं का विकास करना (जैव पर्यावरणिक उपाय के रूप में)
- जटिल तथा औषध प्रतिरोधी रोगों के उपचार के लिए अर्टेमिसिनीन इंजेक्शनों जैसी नई औषधें।
- मलेरिया का आरंभ में ही पता लगाने के लिए त्वरित नैदानिक किट।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और दक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास के जरिए तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय पदों हेतु जनशक्ति का विकास करना।
- मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता पैदा करने और सहभागिता उत्पन्न करने के लिए विस्तृत सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप।

उड़ीसा के 22 जिलों तथा बिहार के 10 जिलों को जो प्रधानतया आदिवासीय हैं और पी एफ मलेरिया की स्थानिकमारिता और घातकता की अधिक घटना सूचित कर रहे हैं, विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना में सम्मिलित कर दिया गया है। इन जिलों की एक सूची अनुबंध-II में दी गई है।

अनुबंध I

बिहार में 1996, 1997 और 1998 के दौरान मलेरिया से हुई मौतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या		
		1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	पटना	0	0	0
2.	नालंदा	0	0	0
3.	गया	0	0	0
4.	जहानाबाद	0	0	0
5.	नवादा	11	0	0
6.	औरंगाबाद	0	0	0
7.	भोजपुर (बक्सर)	0	0	0
8.	रोहताश	0	0	0
9.	कैमूर	0	0	0
10.	सारण	0	0	0
11.	सिवान	0	0	0
12.	गोपालगंज	0	0	0

1	2	3	4	5
13.	ईस्ट चंपारण	0	0	0
14.	वैस्ट चंपारण	0	0	0
15.	मुजफ्फरपुर	0	0	0
16.	सिहोर	0	0	0
17.	सीतामढ़ी	0	0	0
18.	दरभंगा	0	0	0
19.	वैशाली	0	0	0
20.	मधुबनी	0	0	0
21.	समस्तीपुर	0	0	0
22.	भागलपुर	0	0	0
23.	बांका	0	0	0
24.	मुंगेर	0	0	0
25.	शेखपुरा	0	0	0
26.	लखी सराय	0	0	0
27.	जामूई	0	0	0

1	2	3	4	5
28.	खगड़िया	0	0	0
29.	बेगूसराय	0	0	0
30.	पूर्णिया	0	0	0
31.	अररिया	0	0	0
32.	किशनगंज	0	0	0
33.	कटिहार	0	0	0
34.	सहरसा	0	0	0
35.	सुपौल	0	0	0
36.	मधेपुरा	0	0	0
37.	दुमका	0	0	0
38.	साहिबगंज	2	0	0
39.	पाकुर	0	0	0
40.	गोडा	0	0	0
41.	देवधर	0	0	0

1.	2	3	4	5
42.	रांची	0	1	0
43.	गुमला	13	1	0
44.	लोहारदगा	0	3	0
45.	ईस्ट सिंहभूम	24	20	7
46.	वैस्ट सिंहभूम	3	12	0
47.	पालामू	41	0	16
48.	गढ़वा	0	0	2
49.	हजारीबाग	0	0	0
50.	कोडरमा	0	0	0
51.	चतरा	6	0	0
52.	गिरदीह	0	0	0
53.	धनबाद	0	0	0
54.	बोकारो	0	0	0
		100	37	25

उड़ीसा में 1996, 1997 और 1998 के दौरान मलेरिया से हुई मौतों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या		
		1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	बलसौर	10	7	9
2.	बदरक	5	5	2
3.	बोलनगिर	10	2	2
4.	सोनापुर	1	–	–
5.	कट्टक	4	3	1
6.	केन्द्रपरा	0	–	–
7.	जगतसिंहपुर	0	2	–
8.	जजपुर	3	3	1
9.	धेंकनाल	24	20	4
10.	आंगुल	2	5	8
11.	गंजम	0	–	–
12.	गजपती	3	1	–
13.	कालाहांडी	20	28	51
14.	नऊमेडा	10	11	23

1	2	3	4	5
15.	क्योंझर	35	64	76
16.	कोरापुट	22	11	7
17.	नवरंगपुर	8	9	13
18.	रायगढ़	13	15	3
19.	मल्कानगरी	5	4	16
20.	मयूरभंज	46	56	31
21.	फुलबनी	21	28	16
22.	बौद्ध	3	2	5
23.	पुरी	2	–	–
24.	नयागढ़	5	1	1
25.	खुर्दा	–	4	–
26.	सम्बलपुर	34	50	8
27.	झरसुगुडा	2	0	2
28.	देवगढ़	17	11	4
29.	बारागढ़	28	10	11
30.	सुन्दरगढ़	29	25	33
	कुल	362	377	327

अनुबंध II

गहन मलेरिया नियंत्रण उपायों संबंधी परियोजना के अधीन कवर किये गये राज्यवार जिलों की सूची

राज्य का नाम	जिला
बिहार	रांची
	लोहारदगा
	गुमला
	वैस्ट सिंहभूम
	ईस्ट सिंहभूम
	दुमका
	साहेबगंज
	गोडा
	पलामू
	गढ़वा
उड़ीसा	बलसौर
	गंजम
	गंजापट्टी
	फुलबनी
	संभलपुर
	देवधर
	नवपाडा
	क्योंझर
	बारगढ़
	बोलनगिर
	धेनकनाल
	अंगुल
	कालाहांडी
	जजपुर
	सुंदरगढ़
	मयूरभंज
	कोरापुट
	नवरंगपुर
	मलकानगिरी
	रायगढ़
	जरसुगुडडा

श्री उपेन्द्र नाथ नायक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा व बिहार के आदिवासी क्षेत्रों और विशेषरूप से मेरे चुनाव क्षेत्र क्योंझर में चिकित्सकों के कई पद रिक्त पड़े हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री दलित एझिलमलाई: महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न चिकित्सकों की नियुक्ति के बारे में है। केन्द्र सरकार केवल मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला मुख्यत: राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हमें राज्य के किसी भाग में अपने चिकित्सकों की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपेन्द्र नाथ नायक: महोदय, औषधालयों में चिकित्सकों के कई पद रिक्त पड़े हैं। औषधालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कुछ मामलों में, संचार-साधनों और आवास संबंधी सुविधाओं के अभाव में, चिकित्सक आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों को क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बेहतर और महंगी दवाइयां भी आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री दलित एझिलमलाई: महोदय, माननीय सदस्य ने आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने के बारे में जो प्रश्न उठाया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, हमने देश के लगभग उन सौ जिलों को शामिल किया है जहां 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। केन्द्र सरकार इन जिलों की कई मदें सप्लाई करती है लेकिन उन्हें जनशक्ति और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। यह राज्य सरकारों का दायित्व है। उन्हें यह सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं।

श्री चैंगारा सुरेन्द्रन: महोदय, हमारे देश के दक्षिणी भाग में, विशेषरूप से केरल में लाल बुखार जो जापानी बुखार (जैपनीज ऐनसेफैलाईटिस) की तरह है, बड़े स्तर पर फैल रहा है। हाल ही में, इस घातक रोग से कई लोगों की मौत हो गई है। यह एक नया रोग है। इस रोग के लक्षण शरीर का दर्द, उल्टी, तेज सिर दर्द, तेज बुखार, कम्पन और सर्दी लगना है। जैसे ही किसी व्यक्ति में इन लक्षणों का पता चलता है, तुरंत एहतियात बरती जानी चाहिए और इलाज शुरू किया जाना चाहिए अन्यथा मरीज कुछ ही दिनों में मर जाएगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस रोग के कारण जानने और उसका उपचार करने के बारे में गहन अध्ययन करवाने के लिए कोई अध्ययन दल भेजने का है। इस रोग का ब्यौरा केरल के प्रत्येक समाचार-पत्र में दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेन्द्रन, यह प्रश्न बिहार और उड़ीसा से संबंधित है। मैं यह नहीं जानता कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दे पाएंगे अथवा नहीं।

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन: यह केरल में विशेषरूप से मेरे चुनाव क्षेत्र में हो रहा है।

श्री दलित एजिलमलाई: उपाध्यक्ष महोदय, यह ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले बिहार के लिए व्यवस्था करा दीजिए क्योंकि वहां मच्छर बहुत हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो आपको सवाल पूछने के लिए चांस नहीं मिलेगा। आप शांति से बैठेंगे तो आपको सवाल पूछने का चांस मिल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई: हमने माननीय सदस्य की बात नोट कर ली है। हमारी एक निगरानी इकाई है। हम राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करेंगे। वास्तव में, हम इस संबंध में घटना क्रम पर नजर रखे हुए हैं। यदि कोई ऐसी बात है और यदि आवश्यक हुआ तो हम इसकी जांच करवाने के लिए एक दल नियुक्त करेंगे और केन्द्र सरकार से, जो अपेक्षित होगा, वह करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जब भी उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं, खास कर स्वास्थ्य मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो उनको बिहार याद ही नहीं रहता है। उनको सिर्फ अपना स्टेट याद रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्री राजो सिंह: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में बरसों से मलेरिया का उन्मूलन नहीं हो सका है। कई बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए प्रयास भी किये लेकिन आज तक उसका उन्मूलन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार और उड़ीसा में मलेरिया का उन्मूलन हो, इसके लिए सरकार ने सघन रूप से कौन सी योजना बनाई है और उसका पूरा विवरण क्या है? ...*(व्यवधान)* आप मौजूद रहेंगे तो मच्छर साफ हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मिनिस्टर का जवाब सुनने की भी कृपा कीजिए।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई: महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूँ। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि अबसे 50 वर्ष बीतने के बाद भी इस रोग का उन्मूलन नहीं किया जा सका है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ और उनकी बात का समर्थन करता हूँ। इस समय हमारे पास जो वैज्ञानिक जानकारी है और जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मलेरिया का उन्मूलन करना बहुत कठिन है। यह रोग हर जगह फैल रहा है यानी नए निर्माण स्थलों पर, जिन स्थानों पर लोग जाकर रह रहे हैं और जिन स्थानों पर पानी जमा होता है। यह हर जगह फैल रहा है। अत: अधिक से अधिक मैं यह कह सकता हूँ कि हम इस रोग की रोकथाम करने के लिए कोई निवारक कदम उठाएंगे। मैं यह कहने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ कि इस रोग का कब तक उन्मूलन कर दिया जाएगा। यदि कोई तारीख निर्धारित की जाती है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री अर्जुन सेठी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तकनीकी दृष्टि से सही हो सकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि मलेरिया के कारण मौतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें आप यह देखेंगे कि उड़ीसा में 1996 में 362 व्यक्तियों, 1997 में 377 व्यक्तियों और 1998 में 327 व्यक्तियों (अनंतिम आंकड़े) की मलेरिया के कारण मृत्यु हुई। फिर भी माननीय मंत्री यह कहते हैं कि मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। अत: मैं माननीय मंत्री, जिन्होंने यह कहा है कि इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं, से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे, जैसाकि क्योंझर से मेरे मित्र ने कहा है, कि इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों और चिकित्सकों को वहां नियोजित किया गया है वह अपना कार्य कर रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में मलेरिया के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगाया जा सके और आप जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए उनका लोगों के लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।

श्री दलित एझिलमलाई: महोदय, सरकार में रहते हुए हम हमेशा सच बोलते हैं। हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह सही हैं।

श्री अर्जुन सेठी: लेकिन इन मामलों में वृद्धि हो रही है।"

श्री दलित एझिलमलाई: पिछले दस वर्षों के आंकड़ों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसे मामलों में वृद्धि नहीं हो रही है।

इस प्रश्न का दूसरा भाग आधारभूत सुविधाओं और उन क्षेत्रों में जहाँ मलेरिया पाया गया है, से संबंधित है। जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया है यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों का संयुक्त प्रयास है और केन्द्र सरकार की ओर से, हम सामग्री व अन्य मदें उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में इसकी व्यवस्था राज्य सरकार की एजेंसियां करती हैं। देश भर में लगभग 50 मलेरियां अनुसंधान केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपनी ओर से कुछ नहीं करते हैं और किसी भी स्थिति से निबटने के लिए हमें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: उपाध्यक्ष महोदय, देश के आदिवासी इलाकों में खासतौर से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें मलेरिया से फिर से होने लगी हैं। हम बड़े गर्व से एक बार यह दावा करने लगे थे कि हमने मलेरिया उन्मूलन कर लिया है। अब जो मच्छर मलेरिया फैलाता है, पुरानी दवाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इसमें जिन दो राज्यों के बारे में आंकड़े दिये हैं, वे बहुत कम हैं। आपने पूरे प्रदेश में जो मौतें बताई हैं, उसके बारे में मैं जानता हूं कि एक-एक जिले में आदिवासियों की, नये प्रकार के मच्छर ''जैपनीज ऐनसैफेलाईटिस'' से ज्यादा मौतें हुई हैं। आपने वर्ल्ड बैंक की सहायता से सात राज्यों में मलेरिया उन्मूलन की योजना चालू की है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये।

श्री अजीत जोगी: मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में केन्द्र सरकार ने जवाबदारी ली थी कि हम आदिवासी क्षेत्रों से मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे, उसी तरह से क्या आप इसे राज्यों पर न छोड़कर अपने ऊपर जवाबदारी लेगें क्योंकि जो नये प्रकार का मच्छर आया है, वह उन दवाओं से नहीं मर रहा है। जो नये प्रकार का मलेरिया आया है उसके कारण मस्तिष्क ज्वर हो रहा है, उसे देखते हुए स्वयं जिम्मेदारी लेकर, क्या आप जैसे आजादी के प्रारंभिक वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की योजना थी, वैसी कोई योजना बनाएंगे और उड़ीसा बिहार के अलावा सब राज्यों में कार्यवाही करेंगे?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: 1947 से कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी, वह खटाई में पड़ गई है ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: आपके राज में जो मच्छर आया है, वह मर ही नहीं रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा: आपके मच्छर ज्यादा हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं, यह दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी?

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आप इस तरफ नहीं देख रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी तरफ देखूंगा।

श्री दलित एझिलमलाई: मैं जनजातीय बहुल क्षेत्रों के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य स्थानों पर मलेरिया के संबंध में माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं।

एक सौ जिले निर्धारित किए गए हैं और इन एक सौ जिलों में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, एक विशेष परियोजना शुरू की गई है जो काफी समय से चल रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यह कार्यक्रम और अधिक जिलों में चलाने पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य मलेरिया के कारणों से चिन्तित हैं और मलेरिया पर पुरानी दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें इस क्षेत्र में नया अनुसंधान करना पड़ेगा। हम इस बीमारी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं कि वह कह रहे हैं कि सरकार ने स्वतंत्रता के बाद कार्यक्रम शुरू किये थे और वे अब नहीं चल रहे हैं। वे कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं।

श्री अजीत जोगी: मलेरिया फिर से फैल रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मौतों के जो आंकड़े दिए गए हैं, वे बिल्कुल असत्य हैं लेकिन मौत हुई

है, इसे सरकार ने स्वीकार किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मौत के बाद क्या भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण के लिए कोई केन्द्रीय टीम भेजी गई है या नहीं ताकि बिहार में सर्वेक्षण कराकर किसी ढंग से मलेरिया उन्मूलन किया जा सके? यदि सर्वेक्षण टीम भेजी गई है तो उसका क्या प्रतिवेदन है और उस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या अमल किया गया?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई: महोदय, मैं माननीय सदस्य के यह कहने पर कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं कि आंकड़े सही नहीं हैं या आंकड़े इस तरह से नहीं दिए गए हैं जैसे कि दिए जाने चाहिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय: अधिकतर आंकड़ों के बारे में आप जानते हैं कि ये आंकड़े झूठ, कोरा झूठ अथवा गलत आंकड़े होते हैं।

श्री दलित एजिलमलाई: जिन मामलों की सूचना दी गई है वह हमारे ध्यान में आए हैं और वह ब्यौरा यहां दिया गया है। विशेषरूप से जनजाति बहुल क्षेत्रों में लोग मर रहे हैं और तालुक और जिला स्तर पर भी प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई है। यह हो रहा है। मैंने माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विवाद नहीं किया है।

मैं माननीय सदस्य से अपना प्रश्न दोहराने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पूछा कि क्या कोई सर्वेक्षण दल भेजा गया था और यदि भेजा गया था तो उस दल के निष्कर्ष क्या हैं और क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है।

श्री दलित एजिलमलाई: महोदय, एक समिति गठित की गई है जिसका ब्यौरा यहां दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अत: एक समिति वहां भेजी गई थी, सर्वेक्षण हो चुका है और उसके निष्कर्ष प्राप्त होने हैं।

श्री दलित एजिलमलाई: जी, हां।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उद्योग के लिए विनियामक निकायों की स्थापना

***163. श्री[+] मोहन रावले:**
श्री के. एस. राव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उद्योग के समूचे परिदृश्य पर निगरानी रखने के लिए कोई विनियामक निकाय गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गैस समेत पेट्रोलियम क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए नियामक निकायों को स्थापित करने के विषय में विचार करने का प्रस्ताव है। नियामक निकाय के कार्य क्षेत्र में निवेश संवर्द्धन, प्रवेश रोकों को हटाना, एकत्रीकरण निवारण, आपूर्ति एवं मूल्यों का नियमन, प्रेषण एवं वितरण नेटवर्कों का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, उचित मानकों का अनुपालन, विवाद समाधान, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा हाइड्रोकार्बन उद्योग के क्षेत्रों का दीर्घावधिक इष्टतम विकास सम्मिलित होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि

[अनुवाद]

"विनियामक निकाय के कार्यक्षेत्र में निवेश संवर्द्धन और आपूर्ति और मूल्य विनियमन शामिल किया जाए" मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले सवाल पूछिए।

श्री मोहन रावले: महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

रैगुलेटरी मकैनिज्म में इन्वैस्टमैंट करने के बाद कम्पीटिशन बढ़ जाएगा। कम्पीटिशन बढ़ने के बाद क्या आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदय, आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात सुन ली है।

[हिन्दी]

श्री रावले, सवाल पूछिए, टाइम खत्म हो रहा है।

श्री मोहन रावले: मैं जानना चाहता हूं कि यदि कम्पीटिशन बढ़ जाएगा तो क्या पेट्रोल आदि के प्राईसेस कम होंगे? रैगुलेटरी मैकेनिज्म में पैट्रोल, डीजल, कैरोसीन के दाम सर्टेन लैवल से ऊपर गए तो क्या सरकार उस पर कंट्रोल करेगी, क्या एक्शन लेगी और इसमें किसकी मोनोपोली रहेगी?

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार का गैस उद्योग के साथ-साथ पेट्रोलियम उद्योग के लिए विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

महोदय, जहां तक विनियामक प्राधिकरण का संबंध है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत जिन पार्टियों को कार्य आबंटित किया गया है उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के समाधान और इस तरह के विवादों को विनियंत्रित करने के लिए सरकार का कुछ विनियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय से स्पैक्ट्रम के लिए एक विनियामक प्राधिकरण पहले ही शुरू कर दी है। राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने सुझाव दिया है कि इस प्राधिकरण को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की तरह बनाया जाना चाहिए।

अत: हमारा मंत्रालय इन सब बातों का अध्ययन कर रहा है। यद्यपि विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है फिर भी राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद हम इस विधेयक को इस सभा में लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैंने जो सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या उसके प्राइसेज आप कंट्रोल कर सकते हैं? यह सारे कस्टमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सैकिण्ड सप्लीमेंटरी पूछिए न।

श्री मोहन रावले: इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। क्या आप प्राइसेज कण्ट्रोल कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले जी, आपने पूछा था कि क्या सरकार का विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैंने वही पूछा था। क्या उनकी वजह से आप प्राइसेज कण्ट्रोल कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह तो उन्होंने बोल दिया।

श्री मोहन रावले: मेरा जो सवाल था, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आपने कहा है कि ''रैगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड प्राइसेज'' ...*(व्यवधान)*

महोदय उन्होंने मुझे ठीक से उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी तो जवाब दे रहे हैं। पूरा आंसर नहीं दिया, वह तो सुनिए।

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मूल्य नियंत्रण परिदृश्य केवल पांच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रण के लिए है और यह 1-4-2002 तक के लिए हैं। 1999 का मध्य चल रहा है। अब केवल ढाई साल का समय बचा है। उसके बाद सब कुछ का निर्णय बाजार प्रतिक्रिया के बाद किया जाएगा। अत: यह कहना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं मूल्यों को नियंत्रित कर रहा हूं या कोई और मूल्यों को नियंत्रित करेगा या इस प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मुझे सही जवाब नहीं मिला कि सरकार का कण्ट्रोल उसमें रहेगा या नहीं रहेगा-यह मेरा सवाल था। मेरा दूसरा सवाल है, जैसा इन्होंने कहा है कि नियामक निकाय में 'गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना'' सम्मिलित किया जा सकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल में जो इतना ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, क्या उसके ऊपर आप कण्ट्रोल करना चाहेंगे या नहीं? आप जो नई बॉडी बनाना चाहते हैं, उसके

जरिए इस पर कण्ट्रोल करेंगे या नहीं? जब आप सारे कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करना चाहते हैं, तो कंज्यूमर्स कैसे प्रोटैक्ट होगा? आजकल पेट्रोल में कैरोसीन का इस्तेमाल किया जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, प्रश्न देश में पूरे पेट्रोलियम उद्योग के बारे में है।

श्री मोहन रावले: महोदय, अपने लिखित उत्तर में उन्होंने कहा है कि "नियामक निकाय में 'गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना' और 'उपभोक्ता हितों की रक्षा' " सम्मिलित हो सकते हैं।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: ऐसा इसमें पहले से ही है। मैंने कहा है कि विधेयक इस सभा के समक्ष नहीं लाया गया है। मैंने पहले ही कहा कि हमें किस-किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: कृपया मेरी बात सुनिए। आप साथ-साथ क्यों बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

नियामक निकाय के बारे में मैंने कहा है कि हां, हम इसे लाना चाहते थे। मैंने अपने उत्तर में जो भी कहा है वह सत्य है, ये सब प्रस्ताव हैं। हम एसोसिएशन प्रतिनिधियों के सुझावों को भी विधेयक में सम्मिलित करने हेतु विचार करेंगे। ये उपभोक्ताओं के हित में हो तो हम 'ना' नहीं कहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैंने जो सजेशन दिया है, वह मान लेना।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: सरकारी नीति में अब लाइसेन्स राज नियामक राज में परिवर्तित हो गया है। विधुत मंत्री नियामक प्राधिकार विधेयक लाए हैं। वित्त मंत्री बीमा नियामक प्राधिकार विधेयक ला रहे हैं और अब पेट्रोलियम मंत्री तेल नियामक विधेयक ला रहे हैं। यदि इस सब से देश का भला हो तो अच्छा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब तक इस देश में समस्त व्यापार अथवा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज इस व्यवसाय में लगी कुछ कम्पनियों का ही एकाधिकार बताया गया है। अब माननीय मंत्री ने इसे मुक्त करके वर्ष 2002 तक उदार बनाने का वादा किया है। यह बहुत अच्छा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि इस नियामक प्राधिकार विधेयक को संसद में लाने से पहले क्या मंत्रालय या मंत्रालय की स्थायी समिति या अन्य परामर्शदात्री समिति ने देश में उपभोक्ता हितों का ध्यान रखते हुए विधेयकों के विभिन्न खण्डों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कम्पनियों, व्यक्तियों, विशेषज्ञों, उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम से संबद्ध सभी लोगों से विचार-विमर्श किया है और क्या माननीय मंत्री जी उसमें उन पांच सदस्यों के अलावा उपभोक्ता फोरम या विशेषज्ञों में से किसी सदस्य को सम्मिलित करेंगे।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: सुझाव पर विचार किया जाएगा।

श्री के.एस. राव: मैं जानना चाहता हूं कि विचार-विमर्श किया गया है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: जब विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो माननीय मंत्री जी आपके सुझाव पर विचार करेंगे। ठीक है?

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: विधेयक की संकल्पना अभी तैयार ही नहीं है। अभी तो विचार-विमर्श चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जब पूरे पेट्रोलियम उद्योग के नियमन हेतु विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा तो आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: पैट्रोल और डीजल में मिलावट बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल में डीलर्स को मिलने वाला कमीशन बहुत कम है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पेट्रोल और डीजल में डीलर्स का कमीशन बढ़ाने पर विचार कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: सवाल रेगुलेटरी अथारिटी का है और आप कमीशन की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: उपाध्यक्ष महोदय, डीजल और पेट्रोल में मिलावट को निश्चित ही गम्भीरता से लिया जाएगा। हम आवधिक जाँच कर रहे हैं। तीन-चार महीने पहले भी हमने मंत्रालय से ही एक विशेष दल बड़े शहरों में सभी जगह भेजे थे। हमने अचानक छापे और जांच की। दुर्भाग्यवश हमारे द्वारा डाले गए छापों के आधार पर प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में डीलरों की एसोसिएशन ने विभिन्न न्यायालयों से स्थगनादेश प्राप्त कर लिए।

मैं माननीय सदस्य के साथ एक अन्य बात पर भी सहमत हूं कि सभी स्तरों पर अपमिश्रण को निश्चय ही बन्द किया जाएगा।

दूसरी बात डीलर आयोग के बारे में है। इस सरकार के बनने के बाद हमने सभी बकाया भुगतान भी कर दिए हैं और मंत्रालय ने एसोसिएशन से बात की है। एक स्वीकार्य समाधान किया गया। इसकी आवधिक समीक्षा की जाएगी।

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ: महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। किन्तु अभी-अभी हमें बताया गया कि इसकी संकल्पना अभी तैयार नहीं की गई है। अत: यह बड़ा अटपटा है। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा नियामक निकाय सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों के कार्यकरण को प्रभावित करेगा। हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कई तेल कम्पनियाँ बहुत कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार का नियामक निकाय उन तेल कम्पनियों में हस्तक्षेप करके उन्हें प्रभावित तो नहीं करेगा।

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम उद्योग की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यह एकाधिकार से संयुक्त उद्यम और अब संयुक्त उद्यम से निजीकरण की ओर जा रहा है।

मैंने विनियामक निकाय के बारे में कहा है कि इसे 'अपस्ट्रीम' और 'डाउनस्ट्रीम' में और साथ ही गैस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 'अपस्ट्रीम' के बारे में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पर पहले ही निर्णय ले लिया है और विधेयक लम्बित पड़ा है क्योंकि राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं।

मैंने कहा है कि हालांकि विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, इसे सभा को प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं एक धारणा मिटाना चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि तेल क्षेत्र में हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। नियामक निकाय इसलिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त उद्यम और साथ ही निजी उद्यमियों, जो अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, के बीच समन्वय हो तथा दोहराव और प्रतिस्पर्धा न हो।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सीधा, स्पष्ट तथा संक्षिप्त सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कितनी संख्या में पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडीज का गठन हुआ है और देश में पेट्रोलियम रिजर्व्स कहां-कहां और कितने हैं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि देश में एक सर्वे हुआ है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में क्या किसी पेट्रोलियम कंपनी की स्थापना के बारे में सरकार का विचार है? पेट्रोलियम के क्षेत्र में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना होने से जनता को काफी लाभ प्राप्त होगा और कुछ रोजगार के भी चांस मिलेंगे।

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: महोदय, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हम देश भर में कई पेट्रोलियम उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में विशिष्ट प्रश्न के संबंध में मुझे एक अलग नोटिस की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का बहुत अभाव है और वहां गोबर जलाया जाता है, इसके कारण फर्टिलाइजर की समस्या खड़ी हो गई है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुकिंग गैस की एजेंसियां देने के लिए और किसान को गैस मिले, इसके लिए कितने वर्ष में हर गांव तक गैस पहुंचाने की सरकार व्यवस्था कर सकती है?

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: महोदय, 1995-97 की बाजार योजना में कम्पनियों ने लगभग तीन हजार से कुछ ज्यादा रसोई गैस डीलरों की पहचान की है। इनमें से करीब 2,400 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियत की गई हैं। इस समय देश में 1.34 करोड़ के लिए सूची लंबित है। मुझे लगता है कि वर्ष 2000 तक हम प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह निपटा लेंगे। उसके बाद, मैं सोचता हूं कि यह मांग मेट्रो शहरों और अन्य क्षेत्रों के लिए होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारा मंत्रालय रसोई गैस डीलरशिप का ब्लाक स्तर तक विस्तार करने की योजना बना रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान एक व्यावहारिक दिक्कत की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। हम लोगों

को गैस कनेक्शन देने के अधिकार प्राप्त हुए हैं लेकिन उसमें एक नियम बना दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट के नाम होना जरूरी है। हम विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसी भी ग्रामीण इलाके के व्यक्ति का नाम कोई भी गैस एजेंसी वाला वेटिंग लिस्ट में डालने को तैयार नहीं है वह कहता है कि यह केवल शहरी क्षेत्र के लिए है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब तक आप हर ग्रामीण स्तर पर, ब्लाक स्तर पर एक एल.पी.जी. एजेंसी की व्यवस्था नहीं कर देते तब तक अभी जो प्रावधान आपने बनाया है क्या उसमें कमी करने या शिथिलता लाने की कोई व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति: महोदय, माननीय अध्यक्ष का एक निर्देश है। इस विशेष स्थिति से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। किन्तु मैं सभी डीलरों को यह सूचना दे सकता हूं कि जब कभी माननीय संसद सदस्यों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हो उनके नाम तत्काल दर्ज किए जाएं ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी और यह देखना होगा कि क्या हम इन निर्देशों में कोई बदलाव ला सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, हम इसकी समीक्षा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयला खानों द्वारा प्रदूषण

***164. डा. संजय सिंह:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में कोयला खानें वायु प्रदूषण कर रही हैं तथा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों से सफलतापूर्वक बच निकलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) विस्फोटन, ड्रिलिंग, क्रशिंग, हैंडलिंग और सामग्री अंतरण जैसे कोयला खनन कार्यकलाप वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। कुछ स्थानों पर निलम्बित विविक्त पदार्थों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है।

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय इन परियोजनाओं के अनुपालन की स्थिति/पर्यावरणीय दशाओं का मानीटरन करते हैं। निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने/असन्तोषजनक होने की दशा में परियोजना के प्रस्तावकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन हेतु मानदण्ड

***165. श्री मदन पाटील:**
श्री माधवराव पाटील:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रसोई गैस की आपूर्ति संबंधी स्थिति की समय समय पर निगरानी की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति): (क) विद्यमान नीति के अनुसार तेल कंपनियां अनुमोदित विपणन योजनाओं में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत शामिल किए गए स्थानों को राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आवास, आय, बहुडीलरशिप मानकों आदि से संबंधित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी दैनिक में और दूसरा स्थानीय भाषण दैनिक में, विज्ञापित करवाती है। अहर्ताप्राप्त उम्मीदवारों में से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विधिवत गठित डीलर चयन बोर्डों

द्वारा किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान निम्नवत् है:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.)	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग लोग (शा.वि.)	5 प्रतिशत
अर्द्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (अ.सै/पु.)	8 प्रतिशत
रक्षा कर्मी (र.क.)	8 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी (स्व. से.)	2 प्रतिशत
असाधारण खिलाड़ी (अ.खि.)	2 प्रतिशत
सामान्य श्रेणी (सा. श्रे.)	50 प्रतिशत

उपरोक्त सभी श्रेणियों में 33 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है। अन्य बातों के समान रहते 40 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी अविवाहित महिलाओं को जिनके माता-पिता की कोई आय न हो तथा विधवाओं को अन्य महिलाओं के ऊपर वरीयता दी जाती है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी की जरूरत को पूरा करने के लिए एल पी जी विपणन योजना, 1996-98 निम्नांकित आधार पर प्रतिपादित की गई है:

- 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थानों को शामिल करने के लिए।
- 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी व्यवहार्य स्थान।
- ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलोमीटर अर्द्ध व्यास के अंतर्गत गांवों का समूह।
- ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए ऐसे नगरों जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है के चारों ओर 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

तदनुसार ही, एल पी जी विपणन योजना 1996-98 में सम्मिलित 2000 स्थानों में से लगभग 1900 स्थान शहरी-ग्रामीण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए योजना तैयार की गई है।

(घ) और (ङ) एल पी जी की आपूर्ति स्थिति की निगरानी तेल कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाती है, और यदि कोई कमी हो, तो उसे सुधारने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान/कालेज

***166. श्री टी. गोविन्दन:**
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान/कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ग) उनमें प्रवेश का मानदंड क्या है तथा उनमें विभिन्न राज्यों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या ऐसे बहुत से संस्थानों/कालेजों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाएं नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार देश में 197 फार्मेसी कालेज हैं जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 7657 छात्र है।

(ग) प्रवेश के मानदंड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (व्यावसायिक कालेजों में फीस के लिए मानदंड एवं दिशा-निर्देश और प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश) विनियम, 1994 में अंतर्विष्ट दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारतीय फार्मेसी परिषद् केवल उन्हीं संस्थाओं/कालेजों को स्वीकृति प्रदान करती हैं जिनके पास निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाएं हों। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन संस्थाओं में आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को सत्यापित करने हेतु आवधिक निरीक्षण करती हैं और उन्हें कमियों, यदि कोई हों, तो ठीक करने के लिए निर्देश देती हैं।

दूरसंचार उपकरणों का आयात

***167. डा. असीम बाला: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उपकरणों का आयात उनका देश में ही विनिर्माण करने से सस्ता पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार उपकरणों के सस्ते आयात से दूरसंचार उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग, दूरसंचार उपस्करों की अपनी अधिकांश मांग, स्वदेशी विनिर्माताओं से पूरी करता है। जांच एवं माप उपकरण, वेवगाइड आदि जैसी कुछेक ही ऐसी मदों का आयात किया जाता है, जिनका विनिर्माण भारत में नहीं होता है। लागतों की तुलना के प्रयोजन से दूरसंचार विभाग द्वारा देश में ही प्राप्त की जाने वाली मदों की आयात की लागत का पता नहीं लगाया जाता है।

2. सरकार की नीति, दूरसंचार उपस्कर के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में किए गए कुछेक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार, दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(ख) 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी के लिए उद्योग मंत्रालय का विशिष्ट अनुमोदन लिया जाना है।

(ग) 2 मिलियन अमरीकी डालर तक के प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी शुल्क और घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत तक तथा निर्यात के लिए 8 प्रतिशत रायल्टी भुगतान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) दूरसंचार उपस्कर के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाथा गया है।

(ङ) सी-डॉट, दूरसंचार उपस्करों का देश में ही विनिर्माण करने के लिए कई स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है।

3. गत पांच वर्षों में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र का उल्लेखनीय-विकास हुआ है, जो इस क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन संबंधी निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उत्पादन
1993-94	5,500
1994-95	7,000
1995-96	7,750
1996-97	8,300
1997-98	9,960

इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं शुरू करना

***168. श्री नादेन्दला भास्कर राव: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे उपभोक्ताओं को दूरसंचार प्रणाली की मल्टीमीडिया क्षमताओं का लाभ उठाने में कहां तक सहायता मिलने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) देश में इंटरनेट टेलीफोनी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस मार्गों हेतु प्रस्ताव

***169. श्री हरिकेवल प्रसाद**: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों ने एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. थम्बी दुरई): (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण हेतु अभी हाल फिलहाल में राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हेपाटाइटिस-बी की रोकथाम

***170. श्री टी. आर. बालू:**
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हेपाटाइटिस-बी की बीमारी फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 के दौरान देश में राज्यवार इस रोग से कितने मामलों का पता चला और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग से बचाव करने के लिए अनिवार्य रूप से टीकाकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में हेपाटाइटिस-बी का टीका उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो इस रोग का उपचार करने में यह टीका कितना कारगर है;

(च) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को यह टीका उपलब्ध कराने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस रोग की रोकथाम करने के लिए क्या निवारक और निदानात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ज) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 3-5 प्रतिशत जनसंख्या हैपेटाइटिस-बी संक्रमण से ग्रस्त है। अकेले हैपेटाइटिस-बी संक्रमण के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की संख्या के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998 के दौरान वाइरल हैपेटाइटिस (सभी प्रकार की) से संक्रमित हुए व्यक्तियो की संख्या और इस रोग से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1998	67036	668

वर्ष 1998 के दौरान वाइरल हैपेटाइटिस के सूचित किए गए रोगियों और इस रोग से हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हैपेटाइटिस-बी वाइरस संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों, गैर-विसंक्रमित सुइयों, असुरक्षित यौन क्रिया के जरिए और माता (यदि वह संक्रमित है) से गर्भस्थ शिशु में संचारित होता है। यद्यपि 95 प्रतिशत संक्रमित व्यक्तियों में टीके से संक्रमण की रोकथाम की गई है, फिर भी इस समय हैपेटाइटिस-बी से प्रतिरक्षण को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। काफी अधिक मात्रा में अपेक्षित निधियों को देखते हुए इसे किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने पर विचार भी नहीं किया जा रहा है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए उपाय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू करें:

1. रक्ताधान से पूर्व हैपेटाइटिस-बी के लिए सभी रक्तदाताओं की जांच अनिवार्य कर दी गई थी;

2. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे निवारक उपाय करें और अस्पताल के कार्यकर्ताओं को प्रतिरक्षित करें;

3. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक टीके के लिए अलग से सिरिंजों और सुइयों की व्यवस्था। इसके लिए प्रत्येक इंजेक्शन और अपूतिक शल्य चिकित्सीय उपचार के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंज और सुई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सुरक्षित यौन क्रिया व्यवहार, केवल विसंक्रमित सुइयों के इस्तेमाल, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता की व्यवस्था करने आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण हैपेटाइटिस-बी के संचरण को भी नियंत्रित कर लिया जाएगा;

5. अस्पताल के स्टाफ का मुफ्त रोग प्रतिरक्षण;

6. रोग के निवारक पहलुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

विवरण

1998 के दौरान वाइरल हैपेटाइटिस के कारण सूचित किए गए रोगी और मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाइरल हैपेटाइटिस	
		रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12435	72
2.	अरूणाचल प्रदेश		
3.	असम		
4.	बिहार		
5.	गोवा	119	1
6.	गुजरात	2644	29
7.	हरियाणा	661	8

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1151	3
9.	जम्मू व कश्मीर	1575	
10.	कर्नाटक	5011	57
11.	केरल	14517	17
12.	मध्य प्रदेश	3997	13
13.	महाराष्ट्र	9452	337
14.	मणिपुर	825	0
15.	मेघालय	409	6
16.	मिजोरम	243	2
17.	नागालैंड	435	2
18.	उड़ीसा	9486	66
19.	पंजाब	598	20
20.	राजस्थान	993	14
21.	सिक्किम		
22.	तमिलनाडु		

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	202	0
24.	उत्तर प्रदेश	1646	14
25.	पश्चिम बंगाल		
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	230	2
27.	दमण व दीव	103	0
28.	दादरा व नगर हवेली	72	3
29.	चंडीगढ़		
30.	दिल्ली		
31.	लक्षद्वीप	106	1
32.	पांडिचेरी	124	1
	कुल	67036	668

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

*171. **श्री के. येरननायडू:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति): (क) नीचे दी गई तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन की प्रवृत्ति दर्शाई गई है:

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन
1994-95	32.238
1995-96	35.167
1996-97	32.900
1997-98	33.858

वर्ष 1998-99 के 34.72 एम एम टी के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 की अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 27.465 एम एम टी ही रहा है।

(ख) क्रूड के उत्पादन में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं:

(1) मुख्य तेल क्षेत्र, अवधि के साथ साथ प्राकृतिक ह्रासमानचरण में पहुंच रहे हैं।

(2) पिछले 15 वर्षों में तेल की कोई बड़ी खोज नहीं हुई है।

(3) पश्चिमी अपतट के मुख्य क्षेत्रों विशेष रूप से मुम्बई हाई, हीरा और नीलम तेल क्षेत्र से अनुमानित उत्पादन में कमी। इन क्षेत्रों में अनेक कूपों में बहुत उच्च गैस तेल अनुपात और लगातार बढ़ता जल कटाव था।

(4) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रेषण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा बंद, व्यवधान, हड़ताल, चोरी और तोड़ फोड़ की घटनाओं जैसी कठिनाइयां।

(5) पूर्वी क्षेत्र में और गुजरात राज्य में बार बार विद्युत बंदी जिससे कृत्रिम उठान प्रणाली प्रभावित हुई।

पेट्रोलियम पाइपलाइनों का राष्ट्रीय ग्रिड

***172. श्री के.पी. मायडू:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम पाइपलाइनों का एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति): (क) से (ग) पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लाभों पर विचार करते हुए "मांग अनुमान, विपणन और ऊर्जा संरक्षण" संबंधी नवम योजना उप दल ने मुम्बई-मनमाड और विशाख-विजयवाड़ा, जो दो पाइपलाइनें उस समय निर्माणाधीन थीं, के अलावा 14 नई उत्पाद पाइपलाइनों की सिफारिश की और इन्हें निर्धारित किया। इसके बाद एक और उत्पाद पाइपलाइन की वृद्धि की गई। संलग्न विवरण में दर्शाया गया 17 पाइपलाइनों का यह कार्यक्रम पाइपलाइनों हेतु एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करने में सहायता करेगा।

पाइपलाइन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने हेतु पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड का गैर-सरकारी वित्तीय नियंत्रक कम्पनी के रूप में गठन किया गया है, जो अपने संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों के माध्यम से देश में पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों का निर्माण और प्रचालन करेगी। सरकारी अनुमोदन के अनुसार पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल) की 50 प्रतिशत इक्विटी तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (आई ओ सी-16 प्रतिशत, बी पी सी-16 प्रतिशत, एच पी सी-16 प्रतिशत और आई बी पी-2 प्रतिशत) द्वारा अभिदत्त की जा रही है। शेष इक्विटी वर्तमान में एस बी आई, आई सी आई सी आई और आई एल एफ एण्ड एस द्वारा अभिदत्त की जा रही है।

विवरण

नौवीं योजना उत्पाद पाइपलाइनें

		लम्बाई (कि.मी.)	क्षमता (एम एम टी पी ए)
1	2	3	4
(क) निर्माणाधीन पाइपलाइनें*			
1.	मुम्बई-मनमाड	252	4.33
2.	विशाख-विजयवाड़ा	356	4.10
	उप जोड़ (क)	608	8.43

*पूरी कर ली गई हैं।

1	2	3	4
(ख)	नौवीं योजना उप-दल द्वारा निर्धारित गई पाइपलाइनें		
I.	क्रॉस कंट्री पाइपलाइनें		
1.	कोचीन-करूर	308	3.30
2.	द्योगढ़-मिराज	174	2.70
3.	मंगलौर-बंगलौर	332	4.20
4.	बीना-झांसी-कानपुर	350	2.40
5.	पारादीप-रांची	550	2.60
6.	वाडीनार-कांडला	252	8.00
7.	कोयाली-सिद्धपुर	220	2.60
8.	सुल्तानपुर-इलाहाबाद	90	1.00
9.	भटिंडा-जालंधर	150	1.00
10.	जालंधर-लधमपुर	250	2.00
11.	मथुरा-कानपुर	275	1.00
II.	*कम दूरी की फीडर पाइपलाइनें*		
12.	पानीपत-मेरठ	103	0.60
13.	पानीपत-सहारनपुर	120	0.50
14.	कानपुर-लखनऊ	80	0.60
III.	*नौवीं योजना उप-दल की रिपोर्ट की तैयारी के बाद निर्धारित*		
15.	चेन्नई-त्रिची-मदुरई	500	1.40
	उप-जोड़	3754	33.90

बाघों की संख्या के आंकड़े

***173. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री अमन कुमार नागरा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1998 के "एशियन एज" में "द डाउन साइड: टाइगर फिगर्स आर टैम्पर्ड विद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) "प्रोजेक्ट टाइगर" आरम्भ होने के बाद बाघों और इनकी अन्य प्रजातियों की संख्या का अभयारण्यवार/आरक्षित वन क्षेत्रवार और गणनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके संबंध में विश्व वन्यजीवन निधि—बाघ संरक्षण कार्यक्रम के आंकड़ों की तुलना में उनकी गणना की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ङ) इस बारे में संरक्षण और संवर्धन के सभी प्रयासों के बावजूद बाघों की संख्या में तेजी से कमी होने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने बाघों के अवैध शिकार से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। न्यूज रिपोर्ट में बाघों की मौत संबंधी बढ़ती हुई घटनाओं तथा 1989 से देश में बाघों की संख्या में आई अत्यधिक गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। 1997 की बाघों की संख्या संबंधी आंकड़ों की प्रमाणिकता पर भी संदेह व्यक्त किया गया है।

(ग) और (घ) देश में तथा बाघ आरक्षित क्षेत्रों में किए गए पिछले क्रमित अनुमानों के अनुसार बाघों तथा तेंदुओं की संख्या अलग अलग संलग्न विवरण I, II, III तथा IV में दी गई है। 1997 के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-टी सी पी के बाघों की संख्या संबंधी आंकड़े सरकारी आंकड़ों के समान हैं।

(ङ) बाघों की संख्या में आई गिरावट का मुख्य कारण बाघों तथा इसके उत्पादों का अवैध व्यापार तथा इनके वासस्थलों को नुकसान पहुंचना है।

(च) बाघ खाद्य शृंखला का मुख्य नियंत्रक है। अतः बाघ के अवैध शिकार से पारि-प्रणाली गड़बड़ा जाती है जिनकी वजह से प्रकृति की जीवन को बनाए रखने वाली प्रक्रिया प्रभावित होती है।

विवरण I

राज्यों द्वारा सूचित देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257
3.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361
4.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350
5.	बिहार	85	110	138	157	137	103

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	असम	147	300	376	376	325	458
7.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58
8.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927
9.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475
10.	आंध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171
11.	मिजोरम	–	65	33	18	28	12
12.	गुजरात	8	7	9	9	5	1
13.	गोवा, दमन व दीव	–	–	–	2	3	6
14.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194
	कुल	1578	2589	3454	3981	3375	3435
15.	केरल	60	134	89	45	57	एन.आर.
16.	मेघालय	32	35	125	34	53	एन.आर.
17.	मणिपुर	1	10	6	31	–	एन.आर.
18.	त्रिपुरा	7	6	5	–	–	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	80	102	104	104	83	एन.आर.
20.	अरूणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	एन.आर.
21.	सिक्किम	–	–	2	4	2	एन.आर.
22.	हरियाणा	–	–	1	–	–	एन.आर.
	कुल	249	426	551	353	375	एन.आर.

एन.आर.—राज्यों ने सूचना नहीं दी।

विवरण II

राज्यों द्वारा सूचित देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1995	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बांदीपुर, कर्नाटक	10	39	53	50	66	74	75
2.	कार्बेट, उत्तर प्रदेश	44	84	90	91	123	128	138
3.	कान्हा, मध्य प्रदेश	43	71	109	97	100	97	114
4.	मानस, असम	31	69	123	92	81	94	125
5.	मेलघाट, महाराष्ट्र	27	63	80	77	72	71	73
6.	पलामू, बिहार	22	37	62	55	44	47	44
7.	रणथम्भौर, राजस्थान	14	25	38	44	36	38	32
8.	सिमलीपाल, उड़ीसा	17	65	71	93	95	97	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल	60	205	264	269	251	242	263
10.	सरिस्का, राजस्थान	–	19	26	19	24	25	24
11.	बक्सा, पं. बंगाल	–	–	15	33	29	31	32
12.	इन्द्रावती, मध्य प्रदेश	–	–	38	28	18	15	15
13.	नागार्जुनसागर, आंध्र प्रदेश	–	–	65	94	44	34	39
14.	नामदफा, अरूणाचल प्रदेश	–	–	43	47	47	52	57
15.	दुधवा, उत्तर प्रदेश	–	–	–	90	94	98	104
16.	कालाकाड़, तमिलनाडु	–	–	–	22	17	16	28
17.	बालमिकी, बिहार	–	–	–	81	49	एन.आर.	53
18.	पेंच, मध्य प्रदेश	–	–	–	–	39	27	29
19.	टाडोबा, महाराष्ट्र	–	–	–	–	34	36	42
20.	बाधवगढ़, मध्य प्रदेश	–	–	–	–	41	46	46
21.	पेंच, मध्य प्रदेश	–	–	–	–	25	22	22
22.	डम्फा, मिजोरम	–	–	–	–	7	4	5
	कुल	268	677	1077	1282	1336	1294	1458
23.	पेरियार, केरल	–	34	44	45	30	39	एन.आर.

एन.आर.–राज्यों ने सूचना नहीं दी।

विवरण III

राज्यों द्वारा सूचित देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	189	119	138	110
2.	महाराष्ट्र	380	580	417	431
3.	केरल	–	27	16	एन.आर.
4.	उड़ीसा	266	279	378	422
5.	कर्नाटक	238	283	455	एन.आर.
6.	राजस्थान	270	461	475	474
7.	मध्य प्रदेश	1322	2036	1700	1851
8.	उत्तर प्रदेश	880	1095	711	1412
9.	आंध्र प्रदेश	–	301	152	138
10.	हिमाचल प्रदेश	199	199	821	एन.आर.
11.	मध्य प्रदेश	7	–	–	एन.आर.
12.	त्रिपुरा	27	37	18	एन.आर.

1	2	3	4	5	6
13.	दादरा व नगर हवेली	–	10	15	15
14.	मिजोरम	6	38	49	28
15.	नागालैंड	72	72	–	एन.आर.
16.	अरूणाचल प्रदेश	21	121	98	एन.आर.
17.	सिक्किम	–	1	–	एन.आर.
18.	गुजरात	498	702	772	832
19.	हरियाणा	10	19	25	एन.आर.
20.	गोवा, दमन व दीव	10	18	31	25
21.	जम्मू व कश्मीर	4	4	–	एन.आर.
22.	पं. बंगाल	112	108	108	एन.आर.
23.	बिहार	113	134	203	एन.आर.
24.	असम	123	123	246	एन.आर.
	कुल	4747	6767	6828	5738

एन.आर.-राज्यों ने सूचना नहीं दी।

विवरण IV

राज्यों द्वारा सूचित देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1984	1989	1993	1995	1997
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांदीपुर, कर्नाटक	25	40	81	86	एन.आर.
2.	कार्बेट, उत्तर प्रदेश	73	89	100	102	109
3.	कान्हा, मध्य प्रदेश	49	62	72	62	86
4.	मानस, असम	16	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	मेलघाट, महाराष्ट्र	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	72	79
6.	पलामू, बिहार	29	48	60	58	एन.आर.
7.	रणथम्भौर, राजस्थान	40	41	65	83	79
8.	सिमलीपाल, उड़ीसा	67	70	99	100	114
9.	सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	पेरियार, केरल	एन.आर.	एन.आर.	3	6	एन.आर.
11.	सरिस्का, राजस्थान	32	28	39	46	49
12.	बक्सा, पश्चिम बंगाल	50	एन.आर.	54	70	एन.आर.
13.	इन्द्रावती, मध्य प्रदेश	11	25	21	23	26

1	2	3	4	5	6	7
14.	नागार्जुनसागर, आंध्र प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	44	54	62
15.	नामदफा, अरूणाचल प्रदेश	15	20	32	35	20
16.	दुधवा, उत्तर प्रदेश	-	2	3	1	5
17.	कालाकाड, तमिलनाडु	-	36	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
18.	बालमिकी, बिहार	-	32	37	एन.आर.	एन.आर.
19.	पेंच, मध्य प्रदेश	-	-	15	11	21
20.	टाडोबा, महाराष्ट्र	-	-	एन.आर.	29	24
21.	बांधवगढ़, मध्य प्रदेश	-	-	24	26	27
22.	पेंच, मध्य प्रदेश	-	-	13	26	31
23.	डम्फा, मिजोरम	-	-	7	9	3
	कुल	407	493	769	899	735

एन.आर.-राज्यों ने सूचना नहीं दी।

[हिन्दी]

मधुमेह की रोकथाम

***174. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:**
डा. अशोक पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग की रोकथाम हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (घ) देशव्यापी वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्यापकता में वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 1989 में किए गए एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन से भारत की ग्रामीण जनसंख्या में आयु-विशिष्ट मधुमेह व्यापकता और विकृत ग्लूकोज सहायता का पता चला।

इस अध्ययन के अनुसार मधुमेह और विकृत ग्लूकोज सह्यता की समग्र व्यापकता क्रमशः 2.07 प्रतिशत और 41.4 प्रतिशत पाई गई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1989 में किए गए एक अन्य अध्ययन से पिछले पन्द्रह वर्षों में शहरी जनसंख्या के बीच मधुमेह की व्यापकता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का पता चला जो 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई।

इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों का प्रस्ताव किया गया है:

(1) चिकित्सकों, जैव रसायनज्ञों और आहारविदों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता का निर्माण। प्रथमतः प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए मैनुअल तैयार किये जायेंगे।

(2) सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री (आडियो/वीडियो स्पॉट्स) का विकास और जन प्रचार माध्यमों के जरिए उनका इस्तेमाल।

(3) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कम्प्यूटराइजेशन और गुणवत्ता आश्वासन सहित प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण।

[अनुवाद]

दवाओं की स्थानीय बाजार से खरीद से हानि

***175. श्री जी. गंगा रेड्डी:**
श्री चन्दूलाल अजमीरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत औषधियों की स्थानीय बाजार से खरीद प्रणाली के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधियों की भारी कमी की जांच कराने के आदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक पेश किये जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार का औषधियों की स्थानीय बाजार से खरीद प्रणाली को समाप्त करने का विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) इस बीच केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उच्च गुणवत्ता की औषधियों का भंडार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं। प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से व्यक्तिगत वैध नुस्खों पर औषधों की स्थानीय खरीद निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार केवल तभी की जाती है जब निर्धारित औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। औषधों की कोई गंभीर कमी नहीं थी। औषधों की किसी भी कमी के मामले में उसे निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार व्यक्तिगत वैध नुस्खों पर प्राधिकत स्थानीय कैमिस्ट से प्राप्त करके पूरा किया गया। इसलिए इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल करने का आदेश नहीं दिया गया था।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ग) से (ङ) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ज) जी, नहीं।

(झ) और (ञ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सभी औषधें स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार के अधीन चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन से प्राप्त करती है जिनकी पूर्व जांच की जाती है और वे मानक गुणवत्ता की होती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

औषधालयों में औषधों की कमी के मामले में स्थानीय कैमिस्टों को छोड़कर ऐसा कोई अन्य स्रोत नहीं है जहां से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधें प्राप्त कर सकें।

सड़क परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

*176. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री आर.एस. गवई:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने सड़क क्षेत्र में आधारभूत परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी कार्य को अनिवार्य कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं; और

(च) इन विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) सड़क परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित विस्थापित परिवारों के 'पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति' केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परिचालित की गई है। सरकार के अनुमोदन के पश्चात् यह ''संकल्प'' के रूप में प्रकाशित की जाएगी।

(ग) विश्व बैंक पुनर्वास योजनाओं और इनके लिए ऋणी की बाध्यता के संबंध में ऋणी के साथ करार करने पर बल देता है।

(घ) यह बैंक ''भूमि के बदले भूमि'' के दृष्टिकोण और कम से कम नष्ट भूमि के बराबर भूमि प्रदान करने को प्रोत्साहन देता है। इस नीति के विस्तृत ब्यौरों में नष्ट भूमि का मूल्यांकन और उसकी क्षतिपूर्ति, आश्रय प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आबंटन, बुनियादी और सामाजिक सेवाएं, पुनर्वास का समन्वित कार्यान्वयन और निगरानी, बैंक वित्तपोषण और योजनाओं का प्रलेखन शामिल है।

(ङ) विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने और उनके सुधार के लिए 306 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 136 व्यक्तियों को छोड़कर इन परियोजनाओं से किसी व्यक्ति के प्रभावित न होने की सूचना मिली है। इनमें से 88 व्यक्तियों को भूमि और ढांचे के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी गई है, जबकि 48 व्यक्तियों को परियोजना लागत से निर्मित बाजार परिसर में दुकानें प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

विश्व बैंक ऋण के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

ऋण राशि	:	306 मिलियन अमरीकी डालर
हस्ताक्षर की तारीख	:	18.06.1992
समाप्ति की तारीख	:	जून, 2001

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	करनाल और अम्बाला के बीच चार लेन बनाना, 132.67-212.16 कि.मी. (रा.रा.-1)	79.50	287.22

1	2	3	4	5
2.	पंजाब	सरहिन्द और पंजाब/हरियाणा सीमा के बीच चार लेन बनाना, रा.रा.-1 के 212.2 से 252.25 कि.मी. में।	40.00	199.50
3.	उड़ीसा	रा.रा.-5 के कटक-भुवनेश्वर खंड को चार लेन का बनाना (0.0 से 27.8 कि.मी.)	27.80	218.41
4.	मध्य प्रदेश	रा.रा.-3 के इन्दौर-देवास खंड (574.4 से 591.6 कि.मी.) को चार लेन का बनाना जिसमें इन्दौर बाइपास का निर्माण-कार्य (31.4 कि.मी.) भी शामिल है।	48.60	102.97
5.	महाराष्ट्र	बेसिन क्रीक और मेनोर के बीच चार लेन बनाना, 439 से 497 कि.मी. (रा.रा.-8)	58.00	117.73
6.	पं. बंगाल	रानीगंज और पं. बंगाल/बिहार सीमा के बीच चार लेन बनाना, रा.रा.-2 के 438.6 से 474.0 कि.मी. में।	35.40	88.27

कैंसर के प्रति जागरूकता

*177. **श्री वैको:**

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) कैंसर की रोकथाम हेतु विभिन्न राज्यों में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सर्वाधिक प्राणघातक रोग के रूप में कैंसर के उभरने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक राज्य-वार कैंसर के कितने मामलों का पता चला है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 200.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए 7.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(1) मेडिकल कालेजों में अबुर्द विज्ञान खंड का विकास;

(2) सरकारी/धर्मार्थ संगठनों में कोबाल्ट 60 टेलिथिरेपी उपकरण लगाने हेतु,

(3) आधुनिक उपकरणों की खरीद और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों हेतु;

(4) कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसका शुरू में पता लगाने हेतु;

(5) कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसका शुरू में पता लगाने की जिला परियोजनाओं के लिए।

देश में 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं, जो कैंसर से पूरी तरह से पीड़ित रोगियों को तृतीयक स्तर का उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देश में लगभग 155 संस्थाएं हैं जिनके पास कैंसर के रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए टेलिथिरेपी सुविधाएं हैं।

(घ) इस समय कैंसर रोग मृत्यु होने का 8वां प्रमुख कारण है और इसलिए भारत में इस रोग का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट रोग के रूप में अस्तित्व है।

(ङ) मौतों के कारणों की चिकित्सा प्रमाण-पत्र योजना के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा मौत के कारण 1987 के मृत्यु-दर संबंधी आंकड़ों के अनुसार कुल मौतों में कैंसर की मृत्यु-दर 3.5 प्रतिशत बैठती है।

(च) कैंसर की घटना-दर के बारे में सूचना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या आधारित रजिस्ट्रियों से उपलब्ध होती है। ऐसी 7 रजिस्ट्रियों में से मुम्बई, बंगलौर और चेन्नई के लिए केवल तीन रजिस्ट्रियों के आंकड़ें ही उपलब्ध हैं। इन रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1998 के दौरान अनुमानत: 7.52 लाख व्यक्तियों को कैंसर हुआ। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं

***178. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:**
श्री अभयसिंह एस. भौंसले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सन् 2000 तक सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी;

(घ) सन् 2000 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) कौन-कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाएं राज्य-वार चल रही हैं; और

(च) वर्ष 1998-99 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (च) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार, सन् 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत देश भर में 1,36,815 उप-केन्द्रों, 22,962 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का नेटवर्क स्थापित किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान की जा सकें। तथापि, केन्द्रीय सरकार मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स, कैंसर, आयोडीन अल्पता अन्य विकारों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। औषध गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य निरापदता को सुदृढ़ करने की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोग निगरानी और महामारी अनुक्रिया प्रणालिओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों, औषधियों और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी जाती है। कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स नियंत्रण और परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। मलेरिया, एड्स, क्षयरोग और दृष्टिहीनता की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और कुष्ठ, गिनी कृमि के उन्मूलन आदि के लिए विश्व बैंक से पर्याप्त निधियां

जुटाई गई हैं ताकि रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर प्रदाय प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके। लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को व्यापक बनाने में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डाक्टरों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों के संबंध में डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1 : 1980 है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को साथ मिलाने से अनुपात कुछ बेहतर है।

देश भर में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों और 1998-99 के दौरान इन स्कीमों के राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां-1998 अर्थात् वार्षिक रक्त परीक्षण दर जिसके अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत जनसंख्या की जांच की जानी है

राज्य का नाम	10 प्रतिशत (अनंतिम) के नियत लक्ष्य की तुलना में वार्षिक रिक्त परीक्षण दर
1	2
आंध्र प्रदेश	12.26
अरूणाचल प्रदेश	43.66
असम	9.73
बिहार	0.55
गोवा	25.64
गुजरात	15.29
हरियाणा	11.90
हिमाचल प्रदेश	13.39
जम्मू व कश्मीर	9.76
कर्नाटक	16.92
केरल	4.54
मध्य प्रदेश	13.02
महाराष्ट्र*	15.15
मणिपुर	5.20
मेघालय	12.87
मिजोरम	29.19
नागालैंड	4.10
उड़ीसा	10.19
पंजाब	12.04
राजस्थान	10.09
सिक्किम	11.28
तमिलनाडु	10.24
त्रिपुरा	7.06
उत्तर प्रदेश	8.31
पश्चिम बंगाल	2.97
संघ राज्य	
अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	57.29
चंडीगढ़	12.93
दादरा और नगर हवेली	29.58
दमन और दीव	27.17
दिल्ली	8.78
लक्षद्वीप	5.69
पांडिचेरी	22.62

2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

1998-99 में नियत किए गए लक्ष्य और जनवरी, 1999 तक प्राप्त किए गए लक्ष्य

क्र.स.	राज्य/क्षेत्र	1998-99						माह तक प्राप्त रिपोर्ट
		पता लगाना		उपचार		अस्पताल से छुट्टी दिए गए		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	36000	53063	36000	51499	55000	35153	12/98
2.	अरूणाचल प्रदेश	100	102	100	102	400	313	10/98
3.	असम	7200	5716	7200	5716	9000	8639	9/98
4.	बिहार	64700	266228	64700	266165	120000	177690	12/98
5.	गोवा	300	490	300	490	400	503	12/98
6.	गुजरात	4000	9093	4000	9094	17000	9789	11/98
7.	हरियाणा	200	696	200	696	600	1117	12/98
8.	हिमाचल प्रदेश	400	75	400	75	1000	919	8/98
9.	जम्मू व कश्मीर	200	695	200	695	1500	1377	11/98
10.	कर्नाटक	13000	20995	13000	19654	20000	13057	11/98
11.	केरल	6650	4310	6650	4309	8000	4954	11/98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	52000	39076	52000	39076	60000	35726	11/98
13.	महाराष्ट्र	10000	32542	10000	32542	55000	28258	12/98
14.	मणिपुर	200	178	200	178	400	505	12/98
15.	मेघालय	50	52	50	52	400	396	9/98
16.	मिजोरम	50	89	50	89	100	133	12/98
17.	नागालैंड	200	61	200	56	700	99	12/98
18.	उड़ीसा	10000	30101	10000	30101	70000	34541	12/98
19.	पंजाब	1000	1703	1000	1703	2000	1915	12/98
20.	राजस्थान	850	2138	850	2138	8000	10161	12/98
21.	सिक्किम	100	70	100	70	150	117	12/98
22.	तमिलनाडु	10000	31756	10000	31424	43000	38806	11/98
23.	त्रिपुरा	100	304	100	304	400	449	12/98
24.	उत्तर प्रदेश	65000	82015	65000	81385	100000	91649	11/98
25.	पश्चिम बंगाल	40000	54908	40000	54885	70000	67095	10/98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80	32	80	32	100	68	11/98
27.	चण्डीगढ़	150	128	150	117	400	759	7/98
28.	दादरा व नगर हवेली	100	273	100	273	250	347	12/98
29.	दमण व दीव	80	30	80	30	150	76	10/98
30.	दिल्ली	500	1058	500	1054	8000	12097	11/98
31.	लक्षद्वीप	30	0	30	0	50	26	6/97
32.	पाण्डिचेरी	400	570	400	570	400	260	12/98
	योग	323640	638547	323640	634614	652000	576994	

3. राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 (दिसम्बर, 99 तक) के दौरान पता लगाए गए नये रोगियों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	74246	59361	79.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	1047	2444	233.38
3.	असम	25850	14609	56.51
4.	बिहार	97568	15042	15.42

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	12080	35799	296.36
6.	गोवा	1406	1380	98.19
7.	गुजरात	47454	53336	112.39
8.	हरियाणा	19481	31542	161.92
9.	हिमाचल प्रदेश	5976	3465	57.98
10.	जम्मू व कश्मीर	8870	12111	136.55
11.	कर्नाटक	51392	35523	69.12
12.	केरल	32075	9390	29.28
13.	मध्य प्रदेश	77898	19598	25.16
14.	महाराष्ट्र	90164	140316	155.62
15.	मणिपुर	2214	2351	106.17
16.	मेघालय	2141	2589	120.95
17.	मिज़ोरम	836	1365	163.38
18.	नागालैंड	1476	762	51.63
19.	उड़ीसा	35630	16823	47.22

1	2	3	4	5
20.	पंजाब	23292	31041	133.27
21.	राजस्थान	52337	37406	71.47
22.	सिक्किम	491	1059	215.90
23.	तमिलनाडु	61455	88353	143.77
24.	त्रिपुरा	3326	1164	35.00
25.	उत्तर प्रदेश	164882	183110	111.06
26.	पश्चिम बंगाल	77853	56691	72.82
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	339	362	106.84
28.	चण्डीगढ़	780	1608	206.15
29.	दादरा व नगर हवेली	167	399	239.64
30.	दमण व दीव	122	0	0.00
31.	लक्षद्वीप	63	0	0.00
32.	पाण्डिचेरी	975	3191	327.23
	योग	973877	862185	88.53

4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1998-99 के दौरान मोतियाबिन्द शल्य-चिकित्सा का माहवार कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	271050	23003	18001	22308	25960	23713	25563	27076	27122	30843	30170			254239
2.	अरूणाचल प्रदेश	750	142	8	10	8	58	18	8	21	9	8			290
3.	असम	40000	1117	1286	669	874	986								4941
4.	बिहार	192600	875	400	193			उपलब्ध नहीं							1468
5.	गोवा	6150	247	304		358	334	387	340	423	336	378			3107
6.	गुजरात	252000	11860	11306	15160	32385	20816	30354	19310	31881	28922	41119			243223
7.	हरियाणा	98600	4945	3567	3016	2570	4371	7705	7369	12521	6186	7180			59429
8.	हिमाचल प्रदेश	12300	385	768	836	502	549	504	457	1497	1397	1364			8201
9.	जम्मू व कश्मीर	11100	167	1225	857	601	674		5162	6161					14847
10.	कर्नाटक	184800	13286	11698	13382	12985	13386	12191	12868	14284	13724				117732
11.	केरल	67800	3828	3742	4845	4884	3950	6541	4788	6207	4794	4863			46220
12.	मध्य प्रदेश	308000	5814	5932	6786	7587	5885	10189	20422	25597	44083				132025
13.	महाराष्ट्र	389600	28021	22101	25478	29570	29176	38830	30458	45112	34880				271376
14.	मणिपुर	1850	43			64	37	37	95	54	45	32			407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	मेघालय	1850	44	53	51										148
16.	मिजोरम	600	81	30	25	30	38	25	46	58	38	34			382
17.	नागालैंड	380	24	9	70	5	27	4	31	9	20	32			231
18	उड़ीसा	123200	1558	1719	1730	2079	2973	5785	6382						22184
19.	पंजाब	147850	8103	4897	3168	5862	4010	6963	16272	23087		9439			81861
20	राजस्थान	197200	7774	5199	4915	7086	7731	13438	17304	18886	28076	19682			122828
21	सिक्किम	750	33	39	38	34	31	48	57	51	49	85			431
22	तमिलनाडु	336800	28051	27987	38205	35928			23884	31131		24342			209536
23	त्रिपुरा	6160	430	559	498	337	330	210	316	416	375				3489
24	उत्तर प्रदेश	431200	272000	10885	10107	10246	10420	11341	16776						341575
25.	पश्चिम बंगाल	184800	12438	11024			उपलब्ध नहीं								23462
26.	पाण्डिचेरी	5000	324	362	425	450	423	470	449	481	489				3793
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	9	13	10	25	17	17	18	47	59	58			27117
28	चण्डीगढ़	3400	362	251	169	173	85	164		294	255	0			1733
29.	दादरा व नगर हवेली	250	11	13	5	13	18	30	18	16	24	36			183
30	दमण व दीव	250	10	19	21	17	23								90
31	दिल्ली	61600	3503	2329	1885	1283	1946	3323	3063	3709	3383				29441
32	लक्षद्वीप	60	0	0	0	0	0								0
	ई.एस.आई.ए.एफ.,सी.आर.		446	289	453	566	523824		309	418	30				3670
	योग	3320330	422924	146752	165363	182480	132268	186539	213224	247480					2004973

5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

एच आई वी/एड्स नियंत्रण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता लाने के इष्टतम प्रयास किये जा रहे हैं।

6. परिवार कल्याण कार्यक्रम

1998-99 (दिसम्बर, 98 तक) के दौरान उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीकाकरण					परिवार कल्याण			
		डी.पी.टी.	ओ.पी.बी.	बी.सी.जी.	खसरा	टी.टी.(एफ डब्ल्यू)	बंध्यकरण	आई.यू.डी.	कण्डोम	मुखसेव्यगोली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1316530	1316563	1365916	1162496	1394704	481536	201300	529537	226468
2.	असम	211575	210277	234895	190412	227516	7780	25705	30462	21512
3.	बिहार	752540	920769	1097753	837358	677084	21179	120949	77658	45379
4.	गुजरात	837170	846939	874428	760050	860161	133447	273672	830836	169970
5.	हरियाणा	291599	306121	366909	303475	321009	61928	114357	362001	57451
6.	कर्नाटक	784281	785319	788559	717305	841751	269598	253108	275460	144183
7.	केरल	374214	384762	398722	355294	338995	102920	59976	179688	28850
8.	मध्य प्रदेश	1559075	1576679	1621050	1498968	1658547	194787	399485	1501302	581696
9.	महाराष्ट्र	1459881	1463611	1570385	1403378	1355692	336369	256268	673871	342081
10.	उड़ीसा	613135	617672	648395	502786	564236	70393	151936	267276	94498
11.	पंजाब	272168	272009	272892	272767	271968	64225	258997	417430	89690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	राजस्थान	910868	910898	948280	1114760	1251268	127818	160184	908037	361027
13.	तमिलनाडु	849759	851775	948139	825267	882921	257410	308090	238882	182713
14.	उत्तर प्रदेश	3714493	3817290	4039507	3479438	3545993	165036	1401512	1639466	595422
15.	पश्चिम बंगाल	982585	989384	1075170	880929	984393	104935	58013	281398	228416
16.	अरुणाचल प्रदेश	8839	9006	8831	6802	4720	1026	1523	1006	1390
17.	दिल्ली	124070	127982	154908	50903	29886	21762	41099	211297	11219
18.	गोवा	17080	17894	17748	13684	13333	2958	1736	9415	2040
19.	हिमाचल प्रदेश	93085	92919	93730	89450	91925	12691	24530	59399	21417
20.	जम्मू व कश्मीर	122632	122980	139980	107049	73852	3066	5284	7651	2439
21.	मणिपुर	19905	19949	21659	17017	18726	1187	4814	5080	2731
22.	मेघालय	24163	24331	32791	17561	17436	906	1708	1201	1746
23.	मिजोरम	9578	9549	9321	9346	8892	1494	816	277	872
24.	नागालैंड	7100	6652	6401	4995	6587	305	536	20	177
25.	सिक्किम	7153	7096	6826	6271	4847	492	662	896	2653
26.	त्रिपुरा	35414	35523	32803	29689	32072	3890	2512	22391	24685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3681	3681	3699	3834	3195	1297	887	2113	907
28.	चण्डीगढ़	9256	10370	12856	9746	13315	2106	4186	6914	172
29.	दादरा व नगर हवेली	3857	3966	4329	3293	3613	287	136		181
30.	दमण व दीव	1951	1972	2002	1921	1932	289	173	1184	253
31.	लक्षद्वीप	668	668	568	560	574	22	18	629	225
32.	पाण्डिचेरी	12070	12070	23756	10760	12172	7417	2832	7867	851

कीटनाशकों और रसायनों के हानिकारक प्रभाव

***179. श्री एस.एस. ओवेसी:**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब्जियों, फसलों और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कीटनाशकों और रसायनों के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे;

(घ) इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य और क्षेत्र-वार इन कीटनाशकों और रसायनों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई अथवा प्रभावित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) यद्यपि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोई जानपदिक रोग संबंधी अध्ययन नहीं किया है फिर भी विभिन्न खाद्य पदार्थों, जिनमें चावल, अनाजों, फलों और सब्जियों जैसे खाद्य उत्पाद भी शामिल है, में कीटनाशी अवशिष्टों के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर किए गए सीमित अध्ययनों से पता चला कि अधिकांश नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम निर्धारित सह्य सीमाओं के अन्दर थे।

(घ) मानव अथवा पशुओं को होने वाले खतरे को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत विनियमित किया जा रहा है। कृषकों में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नालाजी का प्रचार करने, जिसमें नाशी-जीव नियंत्रण अर्थात सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैव-नियंत्रण विधियां और कीटनाशकों का केवल आवश्यकता आधारित विवेकपूर्ण उपयोग करना शामिल है, के अतिरिक्त उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

(ङ) कीटनाशकों के उपयोग के परिणामस्वरूप मृत अथवा प्रभावित व्यक्तियों के बारे में सूचना का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशक विषाक्ता से होने वाली मौतों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	62	-	-
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	सूचित नहीं	-
4.	असम	-	-	-
5.	बिहार	-	सूचित नहीं	-
6.	चंडीगढ़	सूचित नहीं	-	-
7.	दादरा एवं नगर हवेली	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
8.	दमण एवं दीव	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
9.	दिल्ली	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
10.	गोवा	5	-	-
11.	गुजरात	-	2	-
12.	हरियाणा	94	94	46
13.	हिमाचल प्रदेश	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5
14.	जम्मू और कश्मीर	–	सूचित नहीं	–
15.	कर्नाटक	–	–	5
16.	केरल	299	225	257
17.	लक्षद्वीप	–	सूचित नहीं	सूचित नहीं
18.	मध्य प्रदेश	–	–	–
19.	महाराष्ट्र	200	444	373
20.	मणिपुर	–	–	–
21.	मेघालय	–	–	–
22.	मिजोरम	–	–	–
23.	नागालैंड	–	–	–
24.	उड़ीसा	–	–	–
25.	पांडिचेरी	60	45	26
26.	पंजाब	178	73	76
27.	राजस्थान	93	418	406
28.	सिक्किम	–	–	–

1	2	3	4	5
29.	तमिलनाडु	78	76	40
30.	त्रिपुरा	-	-	-
31.	उत्तर प्रदेश	-	-	42
32.	पं. बंगाल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

टिप्पणी: आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंचलिक सम्मेलनों में दी गई सूचना अथवा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, पादप संरक्षण, संगरोधन एवं भंडारण, फरीदाबाद द्वारा दिए गए आंकड़ों से संकलित किये गये हैं।

-:शून्य

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशक विषाक्तता के रोगियों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	182	13	-
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	सूचित नहीं	-
4.	असम	-	-	-
5.	बिहार	-	सूचित नहीं	-
6.	चंडीगढ़	सूचित नहीं	-	-
7.	दादर एंड नगर हवेली	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5
8.	दमण एवं दीव	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
9.	दिल्ली	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
10.	गोवा	-	-	-
11.	गुजरात	-	2	-
12.	हरियाणा	335	302	151
13.	हिमाचल प्रदेश	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
14.	जम्मू एंड कश्मीर	-	सूचित नहीं	-
15.	कर्नाटक	-	-	5
16.	केरल	1125	803	834
17.	लक्षद्वीप	-	सूचित नहीं	सूचित नहीं
18.	मध्य प्रदेश	-	-	-
19.	महाराष्ट्र	1122	1815	2751
20.	मणिपुर	-	-	-
21.	मेघालय	-	-	-

1	2	3	4	5
22.	मिजोरम	–	–	–
23.	नागालैंड	–	–	–
24.	उड़ीसा	–	–	–
25.	पांडिचेरी	660	549	415
26.	पंजाब	485	180	252
27.	राजस्थान	105	418	420
28.	सिक्किम	–	–	–
29.	तमिलनाडु	836	379	73
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	–	42
32.	पश्चिम बंगाल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

–: शून्य

टिप्पणी: आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंचलिक सम्मेलनों में दी गई सूचना अथवा भारत सरकार कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग, पादप संरक्षण, संगरोधन एवं भंडारण फरीदाबाद द्वारा दिए गए आंकड़ों से संकलित किए गए हैं।

ड्राप्सी का फिर से फैलना

***180. प्रो. रीता वर्मा:**
श्री विजय गोयल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरसों के तेल में आर्जिमोन की फिर से मिलावट पाए जाने पर दिल्ली और देश के अन्य भागों के उपभोक्ताओं में आतंक फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य वस्तुओं में मिलावट के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और प्राधिकारी ऐसी मिलावट को रोकने में विफल हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में और विशेषकर राजधानी में मिलावट रहित खाद्य वस्तुओं की बिक्री और उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले वर्ष ड्राप्सी फैलने से संबद्ध जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में किन लोगों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1998, जनवरी, 1999 और फरवरी, 1999 के दौरान दिल्ली में सरसों के तेल के उठाए गए 160 नमूनों में से 4 नमूने आर्जिमोन तेल से मिलावटी पाए गए थे। कर्नाटक सरकार ने फरवरी (15-2-99) के दौरान 14 नमूनों में से सरसों के तेल के दो नमूनों में आर्जिमोन तेल होने की सूचना दी है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्षों अर्थात् 1993 से 1997 के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की सीमा कुल मिलाकर 8 और 11 प्रतिशत के बीच पाई गई है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से खाद्य पदार्थों, जिसमें बाजार में उपलब्ध सरसों का तेल शामिल है, की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली सरकार ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और उनमें अपमिश्रकों का पता लगाने के कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए उपाय किए हैं। दिल्ली के 9 जिलों में कार्य कर रहे सभी 27 उपमंडलीय दंडाधिकारियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। 9 जिलों के उपायुक्तों और स्थानीय पुलिस को अपमिश्रण के खतरे का उन्मूलन करने के प्रयास में सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के खाद्य निरीक्षक भी उप-मंडलीय दंडाधिकारियों की निगरानी में नमूने लेने के लिए छापे मारते हैं। 26 अगस्त, 1998 से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सरसों के खुले तेल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच पड़ताल की है जिसने 23.11.98 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में 6 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है। यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गुजरात में नए दूरभाष केन्द्र

1694. श्री जयसिंहजी चौहानः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में इस समय कार्यरत दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में कितने दूरभाष केन्द्र जिलावार और स्थानवार स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार 1998-99 तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भी राज्य में कुछ और नए दूरभाष केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) इस समय गुजरात में 1481 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात राज्य में 58 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 के दौरान गुजरात राज्य में 56 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

अगले वित्त वर्ष के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण I

1997-98 के दौरान गुजरात राज्य में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	अहमदाबाद	साबरमती
		आश्रम रोड
		रनिप
		वजालका
		सीतापुर
		गुलदान
		नवादा

1	2	3
2.	अमरेली	ववेरा
		वादी रोड
		कराखाज
3.	बानसकांठा	डेवदल
		कुमवारला
		जलमोर
		मेंडका
		नंदोतारा
		रूपाल
		रैया
4.	भरूच	गजेरा
		सिसादरा
5.	भावनगर	भावनगर
		सरदारनगर-I
		सरदारनगर-II
		मजूर
		भूटिया
6.	कच्छ-भुज	माधापुर
		सरवादी
		आदमपोर्ट
		बालामदिया
7.	जूनागढ़	अरेना
		मेकालाखान
8.	मेहसाणा	करणनगर
		राजपुर
		दरन
		खटराज
9.	पंचमहल	बासका
		मुर्वा (हासफ)
10.	राजकोट	जे.बी. आरएलयू
		लोधिका
		सिलाखा
		जरखाड़ी
		लीलापुर
		अरदोई
11.	साबरकांठा	अमरापुरा
12.	सूरत	बरछा
		भैनीसरोली
13.	सुरेन्द्र नगर	जवानगढ़
		सायला
		अदरियाना
		कोठारिया
14.	वडोदरा	कारेलीबाग
		अलकापुरी
		फतेहगंज
		सिटी
		मंडाला
		हरेश्वर
		नेमाटा
15.	वलसाड	ककवासी
16.	खेड़ा	नडियाड
	योग	58

विवरण II

वर्ष 1998-99 के दौरान गुजरात राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	अहमदाबाद	रायपुर गेट
		गांधी नगर
		बापू नगर
		गुलेबाई टींकरा
2.	अमरेली	मोटा
		मोरखाखाड़ा
		मावजीपुरा
3.	भरूच	बराडिया
4.	भावनगर	पिथवाड़
		बंगदाना
		तानता
5.	भुज	अमेरदी
		सेलरी
		वंकू
		वडसार
6.	हिम्मतनगर	सतारदा
7.	जूनागढ़	वडकीयाला
		कोडवाव
		जूनागढ़ जीआई-डीसी
		वेरावल
		चूड़ा
8.	खेड़ा	नडियाड
		थवाड़
9.	मेहसाना	संकरा
		रंतेज
		रफु
		बिलिया
		मऊ
		मुदारदा
		वडासन
		अंकलाप
10.	पालनपुर	भिलोट
		जखेल
		नानामेड़ा
		खोडू
		दूवा
		गुर्द
		मानकेड़ी
		दंगरगढ़
11.	राजकोट	जमदादर
		धोलइआधर
		सेलुका
		भदवा
		मार्केट यार्ड
		मुर्वी
12.	सुरेन्द्रनगर	रछार्दी
		वधवान
13.	सूरत	करीमाबाद
		रामनगर
		अमरोली
14.	बड़ोदरा	मंजुसार
		भायापुर
		निजामपुर
		सुभानपुरा
		पानीगेट
		पादरा
15.	वलसाड़	वलसाड
	कुल	56

[अनुवाद]

व्यवसाय जन्य रोग

1695. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में व्यवसाय जन्य रोग से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से प्रमुख व्यवसाय रोग हैं और कितने व्यक्ति इनसे प्रभावित हैं; और

(ग) इन रोगों को दूर करने हेतु क्या निवारात्मक और उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में इंटरनेट सेवा

1696. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं किस तिथि को शुरू हुई थी;

(ख) केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में उक्त कनेक्शनों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) उनमें से कितने आवेदकों को कनेक्शन प्रदान किये गये; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) 10.12.1996

(ख) 2107 (24.2.98 तक)

(ग) 2107, सभी को प्रदान किये जा चुके हैं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख पत्तनों को सरकारी कम्पनियों में बदलना

1697. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी 11 प्रमुख पत्तनों को सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियों में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को उक्त निर्णय लेने के लिए किन कारणों से बाध्य होना पड़ा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) चरणों में महापत्तन न्यासों के निगमीकरण के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया गया है तथा अंतिम निर्णय निहित विभिन्न मुद्दों की जांच के पश्चात् मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ग) महापत्तनों के निगमीकरण का उद्देश्य प्रबंधन, निवेश जुटाने, परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने तथा व्यावसायिक कौशल से पत्तनों के प्रचालनों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र प्राधिकार प्रदान करना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खोलना

1698. **श्री मित्रसेन यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खोलने के लिए 1998 के दौरान और अब तक सरकार को जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खोलने के लिए सरकार को वर्ष 1998 के दौरान और आज तक प्राप्त आवेदनों की संख्या का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्राप्त हुए कुल 279 आवेदनों में से, 123 मामलों में नए डाकघर खोलने की मांग औचित्यपूर्ण नहीं पाई गई। डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि

संसाधन उपलब्ध रहें और लक्ष्य आवंटित हों। चालू वार्षिक योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 78 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है बशर्ते कि उनका खोलना औचित्यपूर्ण हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998-99 के दौरान डाकघर खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों की जिला-वार सूची

जिले का नाम (परिक्षेत्र-वार)	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2
आगरा परिक्षेत्र	
1. आगरा	-
2. अलीगढ़	1
3. औरोलिया	-
4. बुलन्दशहर	3
5. एटा	-
6. इटावा	1
7. फिरोजाबाद	-
8. झांसी	1
9. जालौन	1
10. ललितपुर	2
11. मथुरा	-
12. महामाया नगर	-
13. मैनपुरी	-
इलाहाबाद परिक्षेत्र	
14. इलाहाबाद	12
15. चंदौली	3
16. गाजीपुर	9
17. जौनपुर	9
18. कोशाम्बी	2
19. मिर्जापुर	4
20. प्रतापगढ़	3
21. सोनभद्र	2
22. संत रविदास नगर	4
23. वाराणसी	10
बरेली परिक्षेत्र	
24. अल्मोड़ा	11
25. बागेश्वर	3
26. बदायूँ	3
27. बरेली	9
28. चंपावत	5

1	2
29. हरदोई	4
30. ज्योतिबा फूले नगर	–
31. खेड़ी	4
32. मुरादाबाद	1
33. नैनीताल	2
34. पिथौरागढ़	5
35. पीलीभीत	4
36. रामपुर	5
37. शाहजहां पुर	5
38. ऊधम सिंह नगर	1
देहरादून परिक्षेत्र	
39. बिजनौर	2
40. बागपत	3
41. चमौली	3
42. देहरादून	1
43. गाजियाबाद	10
44. गौतमबुद्ध नगर	–
45. हरिद्वार	–
46. मेरठ	3
47. मुजफ्फरपुर	3
48. पौड़ी	4
49. रुद्र प्रयाग	–
50. सहारनपुर	2
51. टिहरी	10
52. उत्तरकाशी	–
गोरखपुर परिक्षेत्र	
53. आजमगढ़	2
54. बलिया	11
55. बस्ती	6
56. बहराइच	1
57. बलरामपुर	2
58. देवरिया	12
59. गोरखपुर	8
60. गोंडा	6

1	2
61. कुशीनगर	6
62. महाराजगंज	2
63. मऊ	5
64. संत कबीर नगर	3
65. शहरावस्ती	1
66. सिद्धार्थ नगर	4
कानपुर परिक्षेत्र	
67. बांदा	4
68. फतेहपुर	7
69. फर्रूखाबाद	2
70. हमीरपुर	–
71. कानपुर शहर	1
72. कानपुर (एम)	2
73. कन्नौज	–
74. महोबा	–
75. साहूजीमहाराज नगर	–
76. उन्नाव	5
लखनऊ परिक्षेत्र	
77. अम्बेडकर नगर	–
78. बाराबंकी	4
79. फैजाबाद	7
80. लखनऊ	3
81. रायबरेली	2
82. सुलतानपुर	7
83. सीतापुर	6

[अनुवाद]

अभयारण्यों तथा उद्यानों का विकास

1699. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों एवं वन सम्पत्तियों के विकास एवं रख-रखाव हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत योजनाओं तथा आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक मंजूर नहीं की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार ने

अपने राज्यों में निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं:

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

(2) बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आस पास पारि-विकास

(ख) 1998-99 के दौरान असम और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

	असम	उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	58.05	81.27
सुरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके आस पास पारिविकास	-	48.32

(ग) पिछले वर्षों के दौरान किए गए आवंटनों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण बिहार को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(घ) राज्य सरकारों को दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए प्रस्ताव उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय वर्ष के पहले ही महीनों के भीतर जमा करने को कहा गया है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

1700. डा. सरोजा वी.: क्या संचार मंत्री अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बारे में 27 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5684 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर आवेदकों को तब से नियुक्ति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन मामलों को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) श्री सोहन सिंह रावत से संबंधित अनुमोदन की सूचना दे दी गई है तथा भर्ती से पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। श्री सोहन सिंह रावत के मामले का निपटान सभी औपचारिकताओं के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आंत्रशोथ के मामले

1701. श्री राजो सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक आंत्रशोध बीमारी से कितनी मौतें हुई हैं; और

(ख) इस अवधि में इस बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जठरांत्रशोथ के कारण हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मौतें
1996	1266
1997	1089
1998	817

बिहार के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को ओ.आर.एस. पैकटों, ब्लीचिंग पाउडर और अन्तः शिरा द्रवों के रूप में सहायता प्रदान की गई थी।

[अनुवाद]

वायु/लहरों से ऊर्जा उत्पादन

1702. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में लहरों से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केरल में वायु/लहरों से ऊर्जा उत्पादन का कोई नया प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी हां। प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन के लिए विझिन्जम बन्दरगाह में एक राष्ट्रीय जांच सुविधा स्थापित की गई थी। 55 किवा. की संस्थापित क्षमता के साथ यह संयंत्र काम कर रहा है।

(ग) और (घ) केरल में कोई अन्य लहर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केरल में रामाकलामेडु और नल्लाथन्नी में प्रत्येक 2 मेवा. क्षमता की प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसके लिए राज्य सरकार से और अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशन

1703. श्री मोइनुल हसन अहमद:
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों की संख्या कितनी है, इसके नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें राज्यवार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) राज्यवार प्रत्येक विद्युत केन्द्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा इसका कितना उपभोग किया जाता है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) दिनांक 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के राज्य-वार नाम उनकी अधिष्ठापित क्षमता सहित संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। प्रत्येक विद्युत केन्द्रों पर किए गए कुल निवेश से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। जल विद्युत और गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की क्षमता समुपयोजन समय-समय पर जल और गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत (कोयला आधारित) और नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की क्षमता समुपयोजन संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	पावर स्टेशन का नाम	प्राइमओवर का प्रकार	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	टनकपुर	जल	120.00
		सिंगरौली	ताप	2000.00
		रिहंद	ताप	1000.00
		ऊँचाहार	ताप	630.00
		औरैया (सीसीजीटी)	गैस	652.00
		दादरी (सीसीजीटी)	गैस	817.00
		नरौरा	न्यूक्लीयर	455.00
		ए.सी.टी.पी.	ताप	840.00

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली	बदरपुर	ताप	720.00
3.	हिमाचल प्रदेश	बैरास्थूल	जल	180.00
		चमेरा	जल	540.00
4.	जम्मू व कश्मीर	सलाल	जल	690.00
		उड़ी	जल	480.00
5.	राजस्थान	अंता (सीसीजीटी)	गैस	413.00
		आर.ए.पी.एस.	न्यूक्लीयर	440.00
6.	मध्य प्रदेश	कोरबा एसटीपीएस	ताप	2100.00
		विन्ध्याचल एसटीपीएस	ताप	1260.00
7.	महाराष्ट्र	टीएएसपीएस	न्यूक्लीयर	420.00
8.	गुजरात	कवास (सीसीजीटी)	गैस	644.00
		गंधार (सीसीजीटी)	गैस	648.00
		काकरपाडा	न्यूक्लीयर	440.00
9.	आंध्र प्रदेश	रामागुंडम एसटीपीएस	ताप	2100.00
10.	तमिलनाडु	नैवेली-I	ताप	1470.00
		नैवेली-II	ताप	600.00
		कल्पाक्कम	न्यूक्लीयर	470.00
11.	केरल	कायमकुलम जीटी-1	गैस	115.30
12.	बिहार	कहलगांव	ताप	840.00
		बोकारो	ताप	877.50

1	2	3	4	5
		चन्द्रपुर	ताप	780.00
		मैथान	गैस	90.00
		पंचेट हिल	जल	80.00
		तिलैया	जल	4.00
13.	उड़ीसा	तलचेर (ओल्ड)	ताप	470.00
		तलचेर एसटीपीएस	ताप	1000.00
14.	पश्चिम बंगाल	फरक्का एसटीपीएस	ताप	1600.00
		दुर्गापुर	ताप	350.00
		मैजिया	ताप	630.00
		मैथान	जल	60.00
15.	असम	कोपली	जल	200.00
		कथालगुड़ी	गैस	291.00
16.	मेघालय	खन्डोंग	जल	50.00
		होज बस्ती	जल	0.01
17.	मणिपुर	लोकतक	जल	105.00
18.	त्रिपुरा	अगरतला जीटी	गैस	84.00

विवरण II

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	पीएलएफ (अप्रैल, 98–जनवरी, 99)
1	2	3
क. कोयला आधारित		
एनटीपीसी		
1.	बदरपुर टीपीएस	77.1
2.	सिंगरौली एसटीपीएस	90.2
3.	रिहन्द एसटीपीएस	73.0

1	2	3
4.	दादरी टीपीएस	89.6
5.	कोरबा एसटीपीएस	86.0
6.	विन्ध्याचल एसटीपीएस	87.2
7.	रामागुंडम एसटीपीएस	83.6
8.	फरक्का एसटीपीएस	34.6
9.	कहलगांव एसटीपीएस	51.5
10.	तालचेर एसटीपीएस	45.7
11.	तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	52.8
12.	ऊंचाहार टीपीएस	78.6
एन.एल.सी.		
13.	नैवेली-1 टीपीएस	69.7
14.	नैवेली-2 (माइन कट)	71.8
डी.वी.सी.		
15.	चन्द्रपुर टीपीस	28.8
16.	दुर्गापुर टीपीएस	47.4

1	2	3
17.	बोकारो टीपीएस	37.3
18.	मेजिया टीपीएस	53.0
ख. न्यूक्लीय पावर केन्द्र		
1.	राजस्थान एपीएस	64.7
2.	नरौरा एपीएस	76.1
3.	तारापुर एपीएस	78.3
4.	काकरापुर एपीएस	70.6
5.	मद्रास एपीएस	75.9

टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

1704. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री भर्तृहरि मेहताब:
श्री के. पैरीमोहन:
श्री जयसिंह जी चौहान:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा देश में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) 31.01.99 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित किए गए टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ग) प्रतीक्षा सूची तथा नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष, नए टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने के लक्ष्यों में वृद्धि करके प्रतीक्षा सूची को निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन से, नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी विचार किया गया है।

विवरण I

31.01.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या—राज्य-वार

क्र.सं.	राज्य	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,50,695
2.	असम	42,271
3.	बिहार	81,183
4.	गुजरात (दादरा, दीव, दमन और नागर हवेली सहित)	2,62,939
5.	हरियाणा	1,20,385
6.	हिमाचल प्रदेश	53,610
7.	जम्मू और कश्मीर	37,883
8.	कर्नाटक	1,68,631
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र (सहित)	6,73,711
10.	मध्य प्रदेश	54,338
11.	महाराष्ट्र (गोवा तथा मुंबई सहित)	2,60,777
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैण्ड तथा त्रिपुरा)	17,349

1	2	3
13.	उड़ीसा	34,424
14.	पंजाब (चंडीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	2,17,845
15.	राजस्थान	1,47,865
16.	तमिलनाडु (चेन्नै तथा पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	3,64,769
17.	उत्तर प्रदेश	1,22,240
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा कलकत्ता सहित)	1,28,742
19.	दिल्ली	0

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,50,021	1,53,606	2,16,487
2.	असम	20,295	18,003	36,477
3.	बिहार	33,115	52,368	66,294
4.	गुजरात (दादर, द्वीव, दमन और नागर हवेली सहित)	1,34,832	1,63,053	2,13,824

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	52,486	60,800	73,081
6.	हिमाचल प्रदेश	30,212	31,452	40,176
7.	जम्मू और कश्मीर	5,988	15,945	20,819
8.	कर्नाटक	1,39,694	1,89,608	2,54,378
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	1,54,033	1,72,775	2,30,010
10.	मध्य प्रदेश	81,275	75,541	1,02,692
11.	महाराष्ट्र (गोवा तथा मुंबई सहित)	4,18,131	4,58,260	5,01,441
12.	उत्तर-पूर्व (अरूणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैण्ड तथा त्रिपुरा)	16,433	18,056	23,030
13.	उड़ीसा	31,014	32,505	67,178
14.	पंजाब (चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र सहित)	1,43,569	1,53,560	1,65,969
15.	राजस्थान	1,00,672	1,13,518	1,47,632
16.	तमिलनाडु (चैन्नै तथा पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	2,07,452	2,90,082	3,64,546
17.	उत्तर प्रदेश	1,51,336	2,16,912	3,13,918
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा कलकत्ता सहित)	1,12,463	1,45,052	2,40,152
19.	दिल्ली	2,00,070	2,03,140	1,80,941

कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अनुदान

1705. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से राज्यों को अनुदान नहीं दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों को अनुदान प्रदान किया गया है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए अनुदान की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मार्च, 98 तक उपलब्ध कराई गई अनुदान धनराशि	1998-99 के लिए आबंटन	1998-99 के दौरान राविबो/राज्य सरकारों द्वारा आहरित अनुदान राशि (दिसम्बर, 98 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1498	400	216
2.	अरूणाचल प्रदेश	67	50	0
3.	असम	169	80	0
4.	बिहार	719	400	262
5.	गोवा	2	0	0
6.	गुजरात	237	50	25
7.	हरियाणा	32	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	75	120	25

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	6	0	0
10.	कर्नाटक	1812	750	626
11.	केरल	77	20	11
12.	मध्य प्रदेश	2395	400	265
13.	महाराष्ट्र	949	360	275
14.	मणिपुर	47	50	0
15.	मेघालय	34	40	18
16.	मिजोरम	69	50	0
17.	नागालैंड	35	50	0
18.	उड़ीसा	327	120	0
19.	पंजाब	89	50	25
20.	राजस्थान	301	60	24
21.	सिक्किम	74	50	20
22.	तमिलनाडु	1586	400	204
23.	त्रिपुरा	26	20	15
24.	उत्तर प्रदेश	583	320	0
25.	पश्चिम बंगाल	433	160	0
	कुल	11642	4000	2011

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की कमी

1706. **श्री समर चौधरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की कमी के कारण बड़ी गैस आधारित औद्योगिक परियोजनाएं त्रिपुरा में नहीं चल सकतीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में खोज कार्य में तेजी लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) त्रिपुरा में स्थापित परियोजनाओं से वहां की गैस उत्पादन संभाव्यता 2.02 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) है। इसमें से 1.8 एम एम एस सी एम डी मात्रा का आवंटन विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कर दिया गया है। इस आवंटन के प्रति, संविदाकृत मात्रा 1.2 एम एम एस सी एम डी है, तथा कुल खरीद केवल 0.8 से 0.95 एम एम एस सी एम डी तक होती है।

(ख) और (ग) जी हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने असम-अराकान वलन पट्टी के त्रिपुरा क्षेत्र में 9वीं योजना के दौरान 1010 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर (जी एल के) "द्विआयामी" भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने तथा 22 अन्वेषी कूपों का वेधन करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। आगे, एक खंड एए-ओएन/3, जिसमें 2988 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है और जिसमें मध्य तथा पूर्वी त्रिपुरा के भाग आते हैं, अन्वेषण के लिए यू एस ए की मैसर्स आकलैण्ड इन्टरनेशनल एल डी सी को दे दिया गया है।

यूनानी दवाइयों की क्रय समिति

1707. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में यूनानी दवाइयों की खरीद के लिए विभिन्न क्रय समिति के गठन की विधि/मानदंड क्या थी/थे;

(ख) क्या इन समितियों के गठन की/के विधि/मानदंड में बार-बार परिवर्तन किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) क्रय सलाहकार समिति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सामान्यत: दो वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है। इस समय इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	अपर निदेशक (मुख्यालय)	अध्यक्ष
2.	अपर निदेशक, एम एस डी	सदस्य
3.	उप सलाहकार (यूनानी)	पी ए सी सदस्य
4.	प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी चिकित्सा साममग्री भंडार डिपो	सदस्य-सचिव
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी)	तकनीकी सदस्य
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी)	तकनीकी सदस्य

साइबर ढाबा योजना

1708. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. ने साइबर ढाबा योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने जनता के फायदे के लिए दिल्ली और मुम्बई में सामरिक महत्व के स्थानों में इंटरनेट, आईएसडी/एसटीडी पीसीओ, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, फैक्स और अन्य विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए साइबर ढाबा योजना की घोषणा की है। अभी तक कोई साईबर ढाबा प्रारंभ नहीं हुआ है।

'सौर-पैनल' पर आधारित खराब टेलीफोन

1709. **श्री सुनील खां:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर-पैनल आधारित लगाए गए टेलीफोन, विशेषकर पश्चिम बंगाल के बाँकुरा और वर्धमान, विशेषत: बरसाल, नित्यानन्दपुर दोनों गंगाजलघाट पुलिस स्टेशन बांजौरा, मेजिया और रामचन्द्रपुर (मेजिया पुलिस स्टेशन) में काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) सौर-ऊर्जा पर कार्यरत एम.ए.आर.आर. प्रणाली में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की दोष-दर कुल मिलाकर बांकुरा में 18.3% तथा वर्धमान में 15.9% है।

(1) जहां तक बरसाल का संबंध है, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, 2/2 रेडियो-चैनल से आवृत्ति व्यवधान (फ्रीक्वेंसी इंटरफीयरेंस) के कारण उपयुक्त रूप से काम नहीं कर रहा है। इस महीने इसको फिर से चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) मेजिया तथा रामचन्द्रपुर स्थित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मेजिया की बेस यूनिट में खराबी होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं। मामले पर आपूर्तिकर्त्ता से बात की गई थी तथा एक सप्ताह के भीतर खराबी ठीक किए जाने की संभावना है।

(3) नित्यानन्दपुर तथा बंजौरा के ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपयुक्त ढंग से काम कर रहे हैं।

(ग) एम.ए.आर.आर. प्रणालियों के अनुरक्षण तथा खराबियों को ठीक करने के लिए सर्किल ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके किए हैं।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

1710. श्री अर्जुन सेठी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में दूरसंचार/डाक-सर्किल में पिछले तीन वर्षों से अनुकम्पा-आधार पर नियुक्ति के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस तरह के मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटा लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) दूरसंचार में 7 (सात) तथा डाक में 6 (छ:)।

(ख) जैसे ही मामले के अंतिम रूप से निपटान हेतु सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं सर्किल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति, इनके निपटान हेतु अपनी नियमित बैठक करती है।

(ग) दूरसंचार-विभाग में

इस विभाग के 7 में से 6 मामलों पर 3 माह के अंदर निर्णय लिये जाने की संभावना है, बशर्ते कि सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध हो जाएं। एक मामला न्यायाधीन है, जिसमें न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है।

डाक विभाग में:

'संगत डाटा' तथा 'रिलैक्सेशन कमेटी' का निर्णय मिलने पर मामलों का निपटान किया जा सकता है।

एन.टी.पी.सी. के अधीन कार्यरत विद्युत परियोजनाएं

1711. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिलहाल एन.टी.पी.सी. के अधीन राज्यवार कितनी विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या कई जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत पैदा करने की अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में पिछड़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार एवं योजनावार इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) राज्यवार ब्यौरों के अनुसार इस समय नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के अंतर्गत

कुल 17 ताप विद्युत केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं:

राज्य का नाम	ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या
उत्तर प्रदेश	6
राजस्थान	1
मध्य प्रदेश	2
गुजरात	2
आंध्र प्रदेश	1
केरल	1
बिहार	1
पश्चिम बंगाल	1
उड़ीसा	2
कुल	17

इसके अतिरिक्त भारत सरकार का बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र दिल्ली और बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट, म.प्र. नामक दो विद्युत केन्द्रों का प्रचालन और प्रबंधन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) एनटीपीसी के सभी केन्द्रों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 98-99 के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। तथापि, एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र में स्थित विद्युत केन्द्रों से पूर्ण शक्यता का उत्पादन उस क्षेत्र में मांग की कमी, उप-पारेषण बाध्यताओं और अन्य क्षेत्रों को निकासी सुविधाओं में कमी के कारणवश नहीं कर पा रहा है।

सरकार, अंतर-क्षेत्रीय और अंतरा-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को अतिरिक्त विद्युत के निर्यात को अधिकतम करने के लिए कदम उठा रही है।

बकाया राशियों का भुगतान

1712. श्री एस. सुधाकर रेड्डी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूलभूत टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त छह कंपनियों द्वारा प्रत्येक से कुल कितनी राशि वसूली जानी है;

(ख) क्या सरकार ने इन कंपनियों को 15 फरवरी, 1999 तक बकाया लाइसेंस शुल्क की 20% राशि जमा कराने और बकाया राशि की जमानत लेने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कंपनियों से बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाए है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) छः लाइसेंसधारकों द्वारा निम्नानुसार 31.01.99 तक ब्याज सहित कुल लाइसेंस शुल्क अदा किया जाना है:

(1) मै. भारती टेलीनेट	-	20.50 करोड़ रु.
(2) मै. टाटा	-	128.13 करोड़ रु.
(3) मै. इस्सार	-	141.02 करोड़ रु.
(4) मै. ह्यूज इस्पात	-	422.33 करोड़ रु.
(5) मै. रिलायंस	-	103.70 करोड़ रु.
(6) मै. टेलीलिंक	-	128.36 करोड़ रु. जो 4.3.99 को देय हो गया।

(ख) और (ग) प्रचालकों को 25.1.99 को पत्र जारी कर दिए गए हैं जिसमें उनसे ब्याज सहित बकाया धनराशि का तुरंत भुगतान करने को कहा गया है। यदि वे समूची धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हों, तो उनसे 15.2.99 तक कुल देय धनराशि का कम से कम 20 प्रतिशत या इससे अधिक का भुगतान करने को कहा गया है। प्रचालकों से आगे यह भी कहा गया है कि वे एफबीजी को बढ़ा दे ताकि अदा की गई धनराशि को घटाने के बाद देय शेष धनराशि को उसमें समायोजित किया जा सके। इस तारीख को 28.02.99 तक आगे और बढ़ाया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिभूति जमा राशि पर ब्याज

1713. **श्री सुधीर गिरि:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) प्रतिभूति जमा राशि पर होने वाली कुल आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिभूति जमा राशि के ब्याज से होने वाली आमदनी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि को सरकार द्वारा किस प्रकार से उपयोग में लाया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) 31.1.99 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं अर्थात सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या 19,821033 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1997-98 के दौरान विभाग की टेलीफोनों की विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों से पंजीकरण शुल्क के रूप में कुल 629.02 करोड़ रु. की प्रारंभिक जमा राशि प्राप्त हुई है। विभाग इन जमा राशियों से कोई ब्याज अर्जित नहीं करता है। वस्तुत: इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार विभाग उक्त राशियों पर उपभोक्ताओं को ब्याज देता है। 1997-98 के दौरान, विभाग द्वारा उक्त ब्याज के रूप में 29.76 करोड़ रु. की छूट प्रदान की गई।

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विभाग के राजस्व शीर्ष में डाल दिया जाता है तथा इसे विभाग की आंतरिक संसाधन माना जाता है। जिन्हें विभाग के पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

विवरण

31.1.99 की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनों के दूरसंचार सर्किलवार ब्यौरे

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	12427
2.	आंध्र प्रदेश	1412059
3.	असम	182790
4.	बिहार	449214
5.	गुजरात	1396625
6.	हरियाणा	472359
7.	हिमाचल प्रदेश	196663
8.	जम्मू एवं कश्मीर	101703
9.	कर्नाटक	1368436
10.	केरल	1241819
11.	मध्य प्रदेश	868057
12.	महाराष्ट्र	1697547
13.	उत्तर-पूर्व	132853

1	2	3
14.	उड़ीसा	306466
15.	पंजाब	981241
16.	राजस्थान	841599
17.	तमिलनाडु	1327670
18.	उत्तर प्रदेश (पू.)	786540
19.	उत्तर प्रदेश (प.)	740416
20.	पश्चिम बंगाल	363556
21.	कलकत्ता	825580
22.	चेन्नई	562635
23.	दिल्ली	1578934
24.	मुंबई	1973772
	कुल	19821033

[हिन्दी]

नेहरू प्लेस तथा ओखला के टेलीफोन एक्सचेंज

1714. श्री मोतीलाल वोरा: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1999 के 'नवभारत टाइम्स' में 'नेहरू प्लेस और ओखला टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने के लिए दलालों का बोलबाला' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां। यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) और (ग) समाचार में मुख्यत: तीन बातें बताई गई हैं:-

(1) दलाल टेलीफोन बिल जमा करने और डुप्लीकेट बिल जारी करने एवं अन्य कार्य करते हैं।

जांच से पता लगा है कि कोई भी दलाल कार्य नहीं कर रहा था।

(2) नेहरू प्लेस में टोकन सिस्टम रोकना।

जनता की सुविधा के लिए नेहरू प्लेस में टोकन सिस्टम शुरू किया गया था किन्तु इसे संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए इसे बंद कर दिया गया था।

(3) अधिकारियों का उनकी सीटों पर उपलब्ध न होना।

प्रत्येक अधिकारी के लिए उपभोक्ताओं से मिलने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए विशिष्ट समय एवं दिवस आवंटित किया गया है। सभी अधिकारियों को पुन: अनुदेश दिए गए हैं कि वे दिए गए समय एवं तारीख को अपनी सीटों पर उपस्थित रहें।

[अनुवाद]

लघु परिवार के लिए भत्ता

1715. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** लघु परिवार के लिए भत्ता के बारे में 8.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन

आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि लाभार्थियों को अधिवर्षितावय प्राप्त करने तक उनके वेतन में एक अलग वृद्धि के रूप में दी गई विशेष वेतन वृद्धि को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। तथापि, आयोग ने यह मान्य करार दिया था कि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई विधि उपयुक्त और पर्याप्त थी और यह सिफारिश की थी कि उसे जारी रखा जाना चाहिए।

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि जो कर्मचारी छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा वेतनमान में वैयक्तिक वेतन जैसी कुछ वृद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और जिनके मामले में इन्हें संशोधित वेतनमान में उसी दर पर अथवा एक भिन्न दर पद सदृश भत्ते/वेतन से प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त यथा संस्तुत नई दर पर भत्ता दिया जाएगा। सांविधिक नियमों में उपबंधों के आधार पर कुछ मंत्रालयों और विभागों ने छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत और सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतनमानों में लागू निम्नतम दर पर वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकार्य वेतन वृद्धि देने के लिए प्राधिकृत किया है। प्राप्त हुए इस आशय के अभ्यावेदनों के प्रकरण में कि कुछ मंत्रालयों और विभागों ने सदृश कार्रवाई संबंधी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, उपयुक्त स्पष्टीकरण आदेश जारी करने पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले पदों पर नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को संबंधित राज्य के वेतनमानों में लागू वेतन वृद्धि दर पर वैयक्तिक वेतन स्वीकार्य रहेगा बशर्ते इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त यह इस शर्त पर होगी कि सेवा लगातार हो और वैयक्तिक वेतन की रकम राज्य सरकार में लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

डाक एवं तार सुविधाएं

1716. श्री महेश कनोडिया:
श्री राम पाल उपाध्याय:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और गुजरात में जिलावार ग्रामों की संख्या कितनी है जहां डाक एवं तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इन राज्यों में वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराये गये तथा 1998-99 में इसके लिए प्रस्तावित उक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) राजस्थान और गुजरात में जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। डाक सुविधाओं के प्रयोजन के लिए ये गांव अन्य गांवों के साथ सम्बद्ध हैं।

जिन ग्राम पंचायतों में तार सेवा नहीं है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:

राजस्थान	7930
गुजरात	11730

(जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण क्रमश: 2 और 3 में दिया गया है)

(ख) इन राज्यों में 1997-98 के दौरान प्रदान की गई डाक सुविधाओं तथा 1998-99 के दौरान प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तावित डाक सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

वर्ष 1997-98 के दौरान जितनी ग्राम पंचायतों को तार सुविधा प्रदान की गई, वे निम्नानुसार है:

राजस्थान	3
(जिला सीकर 2	
जिला नागौर 1)	
गुजरात	शून्य

वर्ष 1998-99 के दौरान जितनी ग्राम पंचायतों को तार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, वे निम्नानुसार हैं:

राजस्थान	5
(जिला दौसा 1	
जिला बीकानेर 4)	
गुजरात	2
(जिला गांधीनगर 2)	

विवरण 1

राजस्थान में जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर रहित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	638
2.	अल्वर	1493
3.	बांसवाड़ा	1165
4.	बारन	880
5.	भरतपुर	978
6.	बाड़मेर	1157
7.	भीलवाड़ा	1206
8.	बीकानेर	390
9.	बूंदी	662
10.	चित्तौड़गढ़	1804
11.	चुरू	572
12.	दौसा	776
13.	धौलपुर	372
14.	डूंगरपुर	558
15.	हनुमानगढ़	1481
16.	जयपुर	1638
17.	जालोर	408
18.	जैसलमेर	372
19.	झालावाड़	1208
20.	झुनझुनू	447
21.	जोधपुर	513
22.	करौली	511
23.	कोटा	656
24.	नागौर	861
25.	पाली	553
26.	राजसमंद	765
27.	सवाई माधोपुर	512
28.	सीकर	495
29.	सिरोही	288
30.	श्रीगंगानगर	2434
31.	टोंक	813
32.	उदयपुर	1756
	कुल	28362

गुजरात के जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर रहित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	224
2.	बनासकांठा	937
3.	गांधी नगर	8
4.	मेहसाना	574
5.	साबरकांठा	834
6.	अमरेली	309
7.	भावनगर	468
8.	जामनगर	431
9.	जूनागढ़	578
10.	कच्छ	488
11.	राजकोट	434
12.	सुन्दरनगर	341
13.	भरुच	684
14.	डांग	253
15.	खेड़ा	402
16.	पंचमहल	1387
17.	सूरत	694
18.	वड़ोदरा	1087
19.	वलसाड़	284
	कुल	10417

विवरण II

राजस्थान राज्य की उन ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा जिनमें तार सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	245
2.	अल्वर	418
3.	बांसवाड़ा	301
4.	बाड़मेर	286
5.	भरतपुर	333
6.	भीलवाड़ा	333
7.	बीकानेर	141
8.	बूंदी	172

1	2	3
9.	चित्तौड़गढ़	369
10.	चुरु	232
11.	धौलपुर	123
12.	डूंगरपुर	205
13.	श्रीगंगानगर	286
14.	हनुमानगढ़	243
15.	जयपुर	490
16.	दौसा	163
17.	जैसलमेर	109
18.	जालौर	245
19.	झालावाड़	227
20.	झुनझुनू	226
21.	जोधपुर	281
22.	कोटा	78
23.	बारन	234
24.	नागौर	372
25.	पाली	280
26.	सवाई माधोपुर	205
27.	करौली	151
28.	सीकर	223
29.	सिरोही	127
30.	टोंक	203
31.	उदयपुर	434
32.	राजसमंद	195
	कुल योग	7930

विवरण III

गुजरात राज्य की उन ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या, जिनमें तार सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	590
2.	गांधीनगर	57
3.	अमरेली	534
4.	बनासकांठा	389

1	2	3
5.	भरुच	664
6.	भावनगर	755
7.	जामनगर	588
8.	जूनागढ़	795
9.	खेड़ा	779
10.	कच्छ	562
11.	मेहसाना	951
12.	पंचमहल	1022
13.	राजकोट	810
14.	साबरकांठा	528
15.	सुन्दरनगर	604
16.	सूरत	561
17.	वड़ोदरा	797
18.	वलसाड	659
19.	डांग	63
20.	संघ शासित क्षेत्र	22
	कुल	11730

विवरण IV

राजस्थान और गुजरात में मुहैया कराई गई/मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित डाक सुविधाओं का ब्यौरा

राजस्थान

वर्ष 1997-98 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	24
वर्ष 1998-99 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	
विभागीय उप डाकघर	2
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	30

गुजरात

वर्ष 1997-98 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	18
वर्ष 1998-99 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	
विभागीय उप डाकघर	2
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	40

टेलीफोन अदालतें

1717. श्री प्रदीप कुमार यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में कितनी टेलीफोन अदालतें लगाई गई हैं; और

(ख) इन अदालतों में कितने मामले आए तथा इनमें से कितने मामलों का निपटारा किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जहानाबाद, बिहार हेतु रसोई गैस की आवश्यकता

1718. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद): क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार के जहानाबाद में रसोई गैस की प्रतिमाह अनुमानित आवश्यकता कितनी है तथा इसकी आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ख) जिले में रसोई गैस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा पैक्ड एल पी जी की अनुमानित मासिक बिक्री करीब 67 मी. टन प्रति माह है और यह मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है।

(ख) बिहार के जहानाबाद जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास नामांकित मौजूदा उपभोक्ताओं की एल पी जी मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है। तथापि, जब कभी कानून व्यवस्था की समस्या, बाढ़ या किसी भी उत्पादन स्रोत आदि पर अचानक काम बंद होने से उपलब्धता में किसी विघटन के कारण एल पी जी का बैकलाग बनता है तो तेल कंपनियां, एल पी जी का आयात बढ़ाकर तथा एल पी जी भरण संयंत्रों में अधिक समय तक तथा रविवार और अवकाश के दिनों में भी कार्य करके एल पी जी बैकलाग को पूरा करते हुए प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) देशी स्रोतों तथा संभावित आयातों से एल पी जी की सीमित उपलब्धता के कारण मौजूदा विपणन योजनाएं मुख्यतः केवल उन्हीं नगरों के लिए है जिनकी जनसंख्या 20,000 और उससे अधिक है। तथापि, पर्यावरण की संरक्षा और वन कटाव को रोकने के लिए एल पी जी की ऐसे कई पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शुरूआत की गई है जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है।

पारम्परिक ईंधनों की अनुपलब्धता बढ़ने तथा एल पी जी का रसोई ईंधन के रूप में इसके आरामदेह प्रयोग के कारण इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा वनों के आगे कटाई को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी एल पी जी का विपणन शुरू करने का निर्णय लिया है। पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन आरम्भ करने के उद्देश्य से उद्योग ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए संशोधित विपणन योजना 1996-98 तैयार की है:

(1) 10,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी शहरी लोकेशनों को शामिल करना तथा साथ ही 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को भी शामिल करना।

(2) डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने के लिए 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी शहरी लोकेशनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

(3) ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने के लिए 10,000 (दस हजार) और उससे अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र का गांवों के 15 कि.मी. के अर्ध व्यास के अंदर आने वाले सभी गांवों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा व्यवहार्यता के आधार पर उसे योजना में शामिल करना।

(4) ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के उद्देश्य से एक लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के आस पास

15 कि.मी. के अर्ध व्यास के अंदर आने वाले गांवों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इन नगरों के निकट ग्रामीण लोकेशनों का पता लगाते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे नगरों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मौजूद हैं ताकि ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से शहरी क्षेत्रों में एल पी जी के विपणन को रोका जा सके।

(5) 15 कि.मी. के अर्ध व्यास में आने वाले संभावनायुक्त निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास के लिए सभी वी आई पी संदर्भों की जांच की जानी चाहिए।

उक्त मानदण्डों के आधार पर, तेल उद्योग ने संशोधित विपणन योजना 1996-98 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के लिए देश में 1285 शहरी/ग्रामीण तथा 401 केवल ग्रामीण लोकेशनों का पता लगाया है।

कर्नाटक में दूरसंचार क्षेत्र के लिए विकास संबंधी योजना

1719. **श्री बी.एम. मेनसिंकाई:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक में विशेष रूप से धारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र के लिए तैयार की गई विकास संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य के ग्रामीण तथा बाहरी क्षेत्रों में कुछ और डाकघर खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए स्थलवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) विकास योजना तथा उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	लक्ष्य	उपलब्धियां (28.2.99 को)
कर्नाटक सर्किल		
निवल क्षमता में वृद्धि	266000 लाइनें	187335 लाइनें
डीइएल	200000 लाइनें	170486 लाइनें
धारवाड़ दूरसंचार जिला:		
निवल क्षमता में वृद्धि	23902 लाइनें	16486 लाइनें
डीइएल	17498 लाइनें	15097 लाइनें
धारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र		
निवल क्षमता में वृद्धि	8724 लाइनें	6724 लाइनें
डीइएल	8500 लाइनें	7261 लाइनें

इसके अतिरिक्त 1998-99 के दौरान 2500 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) प्रदान करने के लक्ष्य में से 28.2.99 तक 1376 वी पी टी प्रदान किये गये थे। इनमें से 10 वी पी टी धारवाड़ दूरसंचार जिला में भी प्रदान करने का लक्ष्य था तथा सभी प्रदान कर दिये गये हैं। धारवाड़ के सभी 1344 ग्रामों में वी पी टी प्रदान कर दिया गया है।

(ख) 1998-99 के लिए कर्नाटक सर्किल हेतु विकास के लिए आबंटित निधि 504.43 करोड़ रु. है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र हेतु 37.86 करोड़ रु. शामिल है। इनमें से धारवाड़ दूरसंचार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटित निधि 5.46 करोड़ रु. है।

(ग) फिलहाल, कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में 8504 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डाकघर तथा शहरी क्षेत्रों में 4 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि नॉर्म आधारित औचित्य बनता हो। इस उद्देश्य के लिए 29.61 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

(च) शून्य।

पश्चिम बंगाल में तेल कूपों का निजीकरण

1720. **श्रीमती मिनाती सेन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भारी मात्रा में तेल उत्पादन वाले कलकत्ता के ईशापुर और चकड़ा स्थित तेल कूपों तथा मिदनापुर जिले के बोरल और चांदकुनी स्थित अन्य दो तेल कूपों के लिए निविदा जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं। ओ एन जी सी ने पश्चिम बंगाल में किसी कूप में भारी उत्पादन की सूचना नहीं दी है। ओ एन जी सी ने पश्चिम बंगाल में खुली निविदा के माध्यम से किसी तेल कूप को सौंपे जाने के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेरिस सम्मेलन

1721. **श्री सुशील कुमार सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 के पेरिस कनवेंशन में हस्ताक्षरकर्ताओं में केन्द्र सरकार भी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कनवेंशन में हुए विचार-विमर्श के बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समितियां

1722. **श्री भीम दाहाल: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका गठन कब तक हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) जी हां। उत्तर-पूर्वी राज्यों अगरतला, मिजोरम, नागालैंड (दीमापुर), मणिपुर (इम्फाल) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय (शिलांग) उत्तर-पूर्वी सर्किल और सिक्किम में टेलीफोन सलाहकार समितियां पहले ही गठित कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) उक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में पेट्रोल पम्पों को पट्टे पर देना

1723. **श्री अशोक अर्गल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा चम्बल डिवीजन के पट्टे पर चल रहे भारतीय तेल निगम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या पट्टे पर चल रहे पेट्रोल पम्पों की भविष्य में नीलामी की जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चम्बल मंडल में जिला भिन्ड में मालनपूर में इंडियन आयल कारपोरेशन का एक खुदरा बिक्री केन्द्र, जिसके लिए आवेदन पत्र पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं। डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से नियमित डीलर का चयन होने तक, एक तदर्थ डीलर द्वारा तदर्थ आधार पर चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में जिला गुना में आई.ओ.सी. का एक अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र "कम्पनी का स्वामित्व" कंपनी द्वारा प्रचलित (सी ओ सी ओ) आधार पर चलाया जा रहा है और इसके प्रचालन के लिए कर्मचारी एक कार्य संविदाकार द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं।

जहां तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का संबंध है, कारपोरेशन ने यह सूचित किया है कि उपरिवर्णित क्षेत्र में उनके सभी खुदरा बिक्री केन्द्र नियमित डीलरों द्वारा प्रचालित किये जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागापट्टनम बंदरगाह

1724. **श्री के. कृष्णमूर्ति:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्गो और यात्री यातायात के लिए बड़े पत्तन के रूप में प्रयोग होने वाला नागापट्टनम बंदरगाह पुराना हो गया है और अब उपयोग में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव क्षेत्र के कृषकों की मदद करने के लिए यात्री और कार्गो यातायात के लिए इसे गहरा करने और मछली पकड़ने तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने का है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) लघु पत्तनों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेवार है। तमिलनाडु सरकार नागापट्टीनम पत्तन में कार्यकलापों को पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही कर रही है।

दिल्ली में टेलीफोन के नए कनेक्शन

1725. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में विशेषकर ईदगाह तथा यमुना विहार टेलीफोन एक्सचेंजों में एक्सचेंज-वार नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य तथा उक्त एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) इस समय, ईदगाह और यमुना विहार टेलीफोन एक्सचेंजों सहित दिल्ली में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। एमटीएनएल, दिल्ली में 28.2.99 को कुल 53864 ओबी (टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए जारी किए गए आदेश) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु लंबित हैं। इनमें से ईदगाह और यमुना विहार एक्सचेंजों में लंबित ओबी की संख्या निम्न प्रकार है:

एक्सचेंज	*कुल*
ईदगाह	3454
यमुना विहार	3237

(ख) अतिरिक्त भूमिगत केबल बिछाकर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। इस समय विशेषतः उन क्षेत्रों में केबल बिछाने का कार्य चल रहा है, जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। 30 जून 1999 तक अधिकांश लम्बित ओ बी के उत्तरोत्तर रूप से निपटान की संभावना है।

केबल आपरेटरों को इंटरनेट सेवा

1726. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वी.एस.एन.एल. ने केबल आपरेटरों को इंटरनेट उपलब्ध कराने संबंधी विषय पर बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केबल ऑपरेटरों को कब तक इंटरनेट उपलब्ध करवा दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या वी.एस.एन.एल. ने उपभोक्ताओं को रख-रखाव और सेवा उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केबल ऑपरेटरों को कम दामों पर इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु वी.एस.एन.एल. ने और क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) जी, हां। कुछेक केबल प्रचालकों ने इंटरनेट संयोजकता के बारे में विदेश संचार निगम लि. से बातचीत की है।

(ग) केबल प्रचालकों को मांग पर इंटरनेट क्षमता उपलब्ध है। केबल प्रचालकों सहित सभी आईएसपी के अनुरोध पर, विदेश संचार निगम लि. उन्हें इंटरनेट संयोजकता प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ) विदेश संचार निगम लि. ने अपने निजी केबल पर उक्त सुविधा प्रदान करने की योजना नहीं बनाई है।

(च) सम्प्रति, विदेश संचार निगम लि. के पास अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह पर एमबीपीएस इंटरनेट बैण्ड विड्थ है, जो उक्त उपग्रह तथा केबल माध्यम के बीच 80 : 20 के अनुपात में है। विदेश संचार निगम लि. भावी अतिरिक्त इंटरनेट बैण्ड-विड्थ की आवश्यकतापूर्ति हेतु (केबल रूट तथा उपग्रह रूट पर क्रमशः 45 एमबीपीएस तथा 3×8 एमबी और अधिक प्राप्त कर रहा है। केबले माध्यम पर अधिक भागीदारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैण्ड विड्थ की लागत कम हो जाने की संभावना है।

ताप संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में कमी

1727. **डा. शकील अहमद:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों और विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों से बनाए गए अनेक ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की वर्ष-वार कुल कितनी आवश्यकता होती है;

(घ) क्या देश में विशेषकर बिहार में विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं। कोयले की मांग को पूरा किया गया है और इस कारणवश विद्युत उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) के लिए विभिन्न यूटिलिटी ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता (लिंकेज), प्राप्ति और उपभोग निम्नांकित हैं:

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग
1996-97	203560	197329	192540
1997-98	233635	208979	202809
1998-99 (जनवरी, 99 तक)	182886	166599	170313

(घ) और (ङ) सभी यूटिलिटी ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति का अनुवीक्षण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। और समय-समय पर सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा ली गई बैठकों में इसकी समीक्षा भी की जाती है। संबंधित संगठनों को उपचारात्मक उपायों के लिए यथा-आवश्यकता अनुदेश जारी किये जाते हैं। हाल ही में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के स्टॉक में कटौती की और कोयला मंत्रालय का ध्यान इस अनुरोध कि साथ आकर्षित किया गया कि कोयले की कमी के कारणवश राज्य में विद्युत उत्पादन की हानि से बचने के लिए इन विद्युत केन्द्रों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाई जाए।

नई पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा नीति

1728. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री मदन पाटील:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा नीति के प्रारूप को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस नीति को कब तक स्वीकृति देने और लागू किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय एक व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति तैयार कर रहा है। अक्षय ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्यों में ग्रिड विद्युत आपूर्ति में वृद्धि, ग्रामीण विकास के लिए ऊर्जा, विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रतिस्थापन और पर्यावरणीय प्रदूषण और इसके गिरते स्तर को कम करना शामिल है। अक्षय ऊर्जा नीति के प्रारूप को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी के नये ताप विद्युत संयंत्र

1729. **श्री अजीत जोगी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अपने नए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 11000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन कब से शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। एनटीपीसी का 70 : 30 के ऋण इक्विटी अनुपात से 6 नई परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कुल उधार 10,800 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

विवरण

एनटीपीसी द्वारा निकट भविष्य में क्रियान्वयन हेतु लिए जाने वाले नये ताप विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना स्थल	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत करोड़ रु. में मूल्य आधार	चालू होने की तिथि	टिप्पणी/स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कवास सीसीपीपी चरण-2, गुजरात	650	1698.06 (प्रथम तिमाही, 1998)	2001-02	के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है।
2.	झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-2, गुजरात	650	1816.02 (तीसरी तिमाही, 1998)	2001-02	-वही-
3.	अन्ता सीसीपीपी चरण-2 राजस्थान	650	1758.52 (प्रथम तिमाही, 1998)	2001-02	-वही-

1	2	3	4	5	6
4.	औरैया सीसीपीपी चरण-2, उत्तर प्रदेश	650	1721.66 (प्रथम तिमाही, 1998)	2001-02	के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है।
5.	तालचेर एसटीपीपी चरण-2, उड़ीसा	2000 (4×500)	6648.83 (तीसरी तिमाही, 1997)	यू-1 2003-04 यू-2 2003-04 यू-3 2004-05 यू-4 2005-06	-वही-
6.	रामागुंडम 3, आ.प्र.	500	1787.13	10वीं योजना का प्रारंभ	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रतीक्षित है।
		जोड़	15430.22		

व्यपगत पोलियो ड्राप्स पिलाना

1730. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश के विभिन्न भागों में बच्चों को व्यपगत पोलियो ड्राप्स देने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कुछ मामलों में पोलियो ड्राप्स कारगर नहीं पाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) से (छ) जी, नहीं। बच्चों को व्यपगत (एक्सपायर्ड) पोलियो ड्राप्स देने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। जून, 1998 में समाचार पत्र की कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि गाजियाबाद के कुछ बच्चों को नकली ओरल पोलियो वैक्सीन पिलायी गयी थी। इन रिपोर्टों की जांच पड़ताल करने के लिए तत्काल ही एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि यद्यपि उक्त वैक्सीन मानक गुणवत्ता वाली थी, तथापि कुछ मामलों में यह तब भी पिलायी गई थी जब वैक्सीन की शीशियों पर चिपकाए गए प्रबोधकों (मानिटरों) का रंग बदल गया था जिसका अर्थ वैक्सीन की प्रभावकारिता का नष्ट होना था। इस वैक्सीन का और आगे इस्तेमाल रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई कि वह उन बच्चों का फिर से वैक्सीन दें जिन्हें यह वैक्सीन दी गई थी और अनिवार्य प्रशासनिक उपाय करें। वैक्सीन की शीशी के प्रबोधकों का उपयोग करने में स्टाफ को प्रशिक्षित करने और पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्टाफ नर्सों की स्थायी नियुक्ति

1731. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल द्वारा स्टाफ नर्सों की नियुक्ति हेतु किन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तदर्थ आधार पर कितनी स्टाफ नर्स नियुक्त की गई हैं तथा तदर्थ आधार पर नियुक्ति किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी स्टाफ नर्सों को संस्थान के स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने संबंधी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) स्टाफ नर्स ग्रेड II की नियुक्तियां भर्ती नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से चयन द्वारा की जाती हैं।

(ख) 1996, 1997 और 1998 के दौरान संस्थान में अवकाश रिक्ति, लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने, निलम्बन, त्यागपत्र आदि के कारण होने वाली रिक्तियों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त की गई स्टाफ नर्सों की संख्या क्रमशः 183, 132 और 231 थी।

(ग) से (ङ) दो वर्ष से अधिक सेवा वाली और भर्ती नियमों के अनुसार पात्र तदर्थ नर्सों पर अन्य के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु विचार किया जाता है और जिनका चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

उड़ीसा में शिमलीपाल वन

1732. **श्री रंजीब बिस्वाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिमलीपाल वन की बाघ परियोजना तथा वहां अन्य दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1973-74 में शिमलीपाल वन को बाघ आरक्षित क्षेत्र के वर्ग में लाया गया है, और बाद में समग्र पारिप्रणाली के दृष्टिकोण से बाघ और अन्य दुर्लभ प्रजातियो सहित वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसे जीवमण्डल रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। शिमलीपाल बाघ रिजर्व के प्राकृतिक संसाधनों पर जैविक दबाव को कम करने के लिए इसकी परिधि में आने वाले गांवों में व्यापक पारि-विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

सौर उपस्करों के लिए राजसहायता

1733. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1999 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "हाउ सब्सिडी फॉर सोलर इक्विपमेंट वेनेशिस इंटू थिन एयर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इसमें उल्लिखित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस राजसहायता का दुरुपयोग करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में अक्षय ऊर्जा संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली में, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिल्ली ऊर्जा विकास संस्था द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन कार्य करता है। मंत्रालय ने इसकी तथा उन पूर्व रिपोर्टों की जांच की है, जो समाचार पत्रों

में प्रकाशित हुई थी और इसके बारे में दिल्ली ऊर्जा विकास संस्था से सूचना प्राप्त की है।

लेखा परीक्षा द्वारा जांच के पश्चात्, नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने डीईडीए द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ की गई अनियमितताओं की ओर संकेत किया है। इसमें सौर लालटेनों की बिक्री, जिनकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी और प्रदर्शन आधार पर मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों को निशुल्क दिए गए सौर लालटेनों पर व्यय शामिल है।

डी ई डी ए ने रिपोर्ट दी है कि, सौर लालटेनों की झूठी बिक्री के संबंध में टिप्पणियों के पश्चात् एक परियोजना अधिकारी को निलम्बित किया गया है। इस संस्था के अनुसार, सौर लालटेनों की निशुल्क आपूर्ति केवल प्रदर्शन उद्देश्य के लिए ही थी और उसके बाद भी लालटेन उस संस्था की सम्पत्ति है। इस मामले की जांच लोकायुक्त और उपायुक्त (पूर्वी), दिल्ली द्वारा भी की जा रही है।

कर्नाटक में मतदाता सूची का संशोधन

1734. **श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में आगामी विधान सभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): निर्वाचन आयोग ने, यह सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य में दिसम्बर, 1999 से पूर्व होने वाले आगामी विधान सभा निर्वाचनों से पहले, अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-99 से निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है। नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन और नामावलियों का अंतिम प्रकाशन क्रमशः, 10-4-99 और 12-7-99 को होना है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

1735. **श्री तेजवीर सिंह:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किए जाने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृक्षारोपण किस प्रकार से किया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय ने सड़कों को सुन्दर बनाने और अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी कंपनियों/स्वयं सेवी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर/केन्द्रीय किनारों पर/गोल चक्रों पर खाली भूमि पर उद्यान/वृक्षारोपण/भू-दृश्यों के विकास और अनुरक्षण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि का खाली भाग समझौता ज्ञापन के तहत प्रतिष्ठित संस्थाओं को आबंटित किया जा सकता है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राजमार्ग भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय की स्कीम की मुख्य विशेषताएं

(1) समझौता ज्ञापन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वैध होगा यदि अन्यथा उसे समाप्त न किया जाए, एजेंसी के कार्यनिष्पादन और राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष से आगे के लिए नवीकरण पर विचार किया जाएगा।

(2) बागों/वृक्षारोपण/भू-दृश्यों के विकास और अनुरक्षण की समग्र लागत संबंधी एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) वृक्षों की बिक्री, नर्सरी की स्थापना आदि के जरिए भूमि के किसी प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) एजेंसी को अनुमोदित आकार के होर्डिंग पर, जिससे वाहन चालकों का ध्यान भंग न हो, निशुल्क सेवा का प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे होर्डिंग संबंधित राज्य लो.नि.वि./भा.रा.रा.प्रा. से अनुमोदित कराने होंगे।

(6) बागों/वृक्षारोपण/भू-दृश्यों का विकास और अनुरक्षण प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के अनुरूप किया जाएगा और यदि सड़कों के विकास अथवा अन्य किसी सार्वजनिक कार्य के लिए आवश्यकता होती है तो प्रभारी इंजीनियर से नोटिस के एक माह के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि खाली की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ रा.लो.नि.वि./

भा.रा.रा.प्रा. का कार्यपालक इंजीनियर/प्रभागीय इंजीनियर प्रभारी इंजीनियर होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में रा.रा. का उक्त खण्ड पड़ता हो।

(7) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि का स्वामित्व जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के पास रहेगा।

(8) समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद सारी बाड़ सामग्री/वृक्ष गार्ड, वृक्ष, झाड़ी, ट्यूबवैल, यदि उपलब्ध करवाए गए हों, स्वत: जल भूतल परिवहन मंत्रालय की सामग्री बन जाएंगे।

[अनुवाद]

गिद्धों की संख्या

1736. **डा. विजय सोनकर शास्त्री:**
श्री वैको:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1999 के 'द हिन्दुस्तान' टाइम्स तथा 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'पेस्टीसाइट प्वाइजन हिट्स वल्चर्स नंबर' तथा 'एलारमिंग डिक्लाइन इन वल्चर पापुलेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में वर्ष 1980 तथा 1998 में गिद्धों की कितनी संख्या थी तथा इसमें कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गिद्धों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि जिसमें यह उल्लेख है कि रसायन और कीटनाशकों का उच्च स्तर पूरे देश में वल्चर पापुलेशन (गिद्धों की संख्या) को प्रभावित कर रहा है। कॉरक्रसिस के प्रभावी उपयोग के कारण उत्पन्न खाद्य अभाव भी इसकी एक वजह हो सकती है। किसी एवाइन बीमारी की उपस्थिति भी रेखांकित नहीं की गई है। इस दिशा में एक विस्तृत अध्ययन अपेक्षित हैं। देश में गिद्धों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय तेल निगम द्वारा रिलायंस और एस्सार तेलशोधक कारखानों के साथ समझौता

1737. **श्री एम. राजैया:**
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाजार उत्पादों के लिए भारतीय तेल निगम को रिलायंस और एस्सार तेलशोधक कारखानों के साथ समझौता करने हेतु वार्ता करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विपणन नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) नई विपणन कम्पनियां कब स्थापित कर दी जाएंगी और यह कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और एस्सार आयल लिमिटेड के साथ उनकी रिफाइनरियों के नियंत्रित उत्पादों के विपणन के संबंध में करार सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया था। सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई और आई.ओ.सी. से करार में कतिपय परिवर्तन करने के लिए कहा गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों अर्थात् आई.ओ.सी., बी पी सी और एच पी सी आदि के बीच नियंत्रित उत्पादों को बांटना शामिल था, ताकि समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। करारों पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

नेत्र लेजर आपरेशन के लिए सुविधाएं

1738. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख महानगरों में कम लागत पर किए जा रहे "लासिक" नेत्र लेजर आपरेशन के कारण बड़ी संख्या में विदेशी भारत आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के इस विशिष्ट वर्ग को आकृष्ट करने हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टरों/नर्सों तथा रोगियों का अनुपात

1739. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रोगियों की तुलना में डाक्टरों/नर्सों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अनुपात प्रतिकूल है; और

(ग) यदि हां, तो डाक्टरों तथा नर्सों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) रोगियों के संबंध में डाक्टरों और नर्सों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुपात नहीं रखा जाता। तथापि, नर्स-पलंग का समग्र अनुपात 1:3 से 1:10 तक भिन्न-भिन्न है जो यूनिटों/अस्पतालों की संख्या पर निर्भर करता है।

नर्स जनसंख्या अनुपात लगभग 1:2198 है। एलोपैथिक डाक्टरों के लिए डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:2250 है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के अर्हताप्राप्त व्यवसायियों की संख्या का ध्यान रखते हुए उक्त अनुपात 1:950 होगा।

(ग) संविधान के अंतर्गत ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय है। राज्य सरकारों की यह जिम्मेवारी है कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार डाक्टरों तथा नर्सों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए कदम उठाएं।

तथापि, भारत सरकार ने 8वीं योजना के दौरान 10 अतिरिक्त उपचर्या स्कूलों को भिन्न भिन्न राज्यों के लिए अनुमोदित किया है। 9वीं योजनावधि के दौरान 50 उपचर्या स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है जिनमें से देश के विभिन्न राज्यों में 16 स्कूलों को अनुमोदित कर दिया गया है।

डाक्टरों के मामले में 1.6.92 के बाद 14 नए मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है तथा प्रति वर्ष उत्तीर्ण हो रहे चिकित्सीय स्नातकों की संख्या लगभग 17,000 है।

चाय में मिलावट

1740. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 12 जनवरी, 1999 के ''द बिजनेस स्टैन्डर्ड'' के समाचार के अनुसार खुली चाय में बड़े पैमाने पर मिलावट पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौन से तथ्य उजागर हुए हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) द बिजनेस स्टैंडर्ड ने कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया, मुम्बई द्वारा कराए गए खुली चाय के 25 नमूनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर एक समाचार दिनांक 12.1.99 को प्रकाशित किया है। अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा सोसायटी से अभी प्राप्त होना है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे चाय समेति खाद्य-सामग्रियों की गुणवत्ता पर सतर्कता बरतें।

बडागरा महा नहर

1741. **श्री वी.वी. राघवन:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री वारकला राधाकृष्णन:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 1965 में बडागरा महा नहर की खुदाई करने के लिए कोई योजना मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक उस पर कितना कार्य हुआ है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ और 50% केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सहायता के लिए 1996 की दरों की सारिणी के साथ-साथ कुल 1639 लाख रु. की प्राक्कलित लागत की कोई संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 1965 में 68 लाख रु. की लागत पर बडागरा महा नहर की खुदाई करने के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। विभिन्न खंडों में नहर की खुदाई पर और इसकी मरम्मत तथा कतिपय पूरी हो चुकी संरचना के रखरखाव के लिए 57 लाख रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी हां। परियोजना को स्कीम की व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

[हिन्दी]

वैम ऑरगैनिक फैक्टरी से प्रदूषण

1742. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैम ऑरगैनिक फैक्टरी गत पच्चीस वर्षों से गंगा नदी को प्रदूषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं और सरकार द्वारा उन लोगों को क्या सजा दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लि. (डिस्टैलरी इकाई) 1982 में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र, मुरादाबाद में स्थापित की गई थी। उद्योग में, बहिस्राव शोधन हेतु काफी लम्बे समय से प्राइमरी तथा सैकेंडरी सुविधाएं हैं। हालांकि, सैकेंडरी शोधन के पश्चात भी बहिस्रावों में बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड तथा रंग की समस्या बनी रहती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वह उत्सर्जन मानकों पर खरा उतरने के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र को विकसित करें। उद्योग को, बहिस्रावों को बगद नदी में न बहाने के लिए भी निर्देश दिये जा चुके हैं। परिणामस्वरूप, शुष्क मौसम के दौरान शोधित बहिस्रावों के भंडारण हेतु उद्योग ने एक रेखीय लैगून का निर्माण किया है जो अक्तूबर, 1997 से संचालन में है। उद्योग को, इन शोधित बहिस्रावों को मानसून के महीनों के दौरान केवल जब बगद तथा गंगा, दोनों ही नदियों में समुचित बहाव हो, इन घाटियों में से बगद में बहाने की अनुमति दी गई है। मैसर्स आर्गेनिक कैमिकल्स लि. के शोधित बहिस्रावों को बहाकर ले जाने वाली बगद नहीं, गजरौली से लगभग 200 कि.मी. की दूरी पर कछला घाट के अप प्रवाह में गंगा नदी में जाकर मिलती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लेजर प्रिन्टर्स की खरीद में अनियमितताएं

1743. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कलकत्ता टेलीफोन कम्प्यूटर सेन्टर द्वारा लेजर प्रिन्टर्स की खरीद में अनियमितताओं के बारे में कलकत्ता टेलीफोन कम्प्यूटर सेन्टर के अधिकारियों तथा इंजीनियरों से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) कलकत्ता टेलीफोन, कम्प्यूटर सेन्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छद्मनाम से लिखे गए पत्र प्राप्त होने का पता चला है। कलकत्ता टेलीफोन की सतर्कता शाखा द्वारा इसकी बारीकी से जांच की गई और खरीद प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

पथ कर दरों में वृद्धि करना

1744. **श्री एन.आर.के. रेड्डी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जयपुर और कोटपुतली के बीच पथ कर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सुपर राजमार्ग परियोजना के लिए समूचे देश भर में ऐसे प्रभार लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 15.3.1999 से कार/जीप एवं वेन के लिए पथकर की दर को वर्तमान 35 रु. से बढ़ाकर 40 रु. प्रति ट्रिप, हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 60 रु. से बढ़ाकर 65 रु. प्रति ट्रिप तथा ट्रक/बसों एवं भारी निर्माण मशीनरी और मिट्टी हटाने वाले उपस्करों से युक्त वाहनों के लिए 110 रु. प्रति ट्रिप करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) जी हां। वसूल की जाने वाली पथकर की दरों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इनके बारे में निर्णय परियोजना दर परियोजना आधार पर यथा समय लिया जाएगा।

[हिन्दी

उत्तर प्रदेश के जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कमी

1745. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कौशाम्बी, इलाहाबाद और फतेहपुर जैसे पिछड़े जिलों के लोग पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कमी के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं। इन क्षेत्रों में जन साधारण के प्रयोग के पेट्रोलियम उत्पाद, अर्थात् पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा एल पी जी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.सी.ओ. के आवंटन में अनियमितताएं

1746. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा (सर्किल) में पी.सी.ओ. बूथों के आवंटन के संबंध में बरती गई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) लखनऊ तथा आगरा में पी.सी.ओ. बूथों के आवंटन के संबंध में अनियमितताओं के बारे में दूरसंचार इकाइयों को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी

देश में विद्युत परियोजनाएं

1747. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री सुशील इंदौरा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन शुरू होना था, परन्तु विभिन्न कारणों से वे पूरी नहीं हो सकीं, और

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें चालू वर्ष से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) वर्ष

1998-99 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि तथा उपलब्धियों के लिए जिन परियोजनाओं का अब तक लक्ष्य बनाया गया है वे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.) लक्ष्य/उपलब्धि		चालू करने का कार्यक्रम माह/वर्ष	चालू करने की तिथि
1	2	3		4	5
ताप					
1.	कथालगुड़ी चरण	30.0	30.0	7/98	5.7.98
2.	अगरतला जीटी	21.0	21.0	6/98	26.6.98
3.	कायमकुलम जीटी	115.3	115.3	3/99	2.11.98
4.	जीएचटीबी भटिंडा	210.0	210.0	7/98	16.10.98
5.	वनाकबोरी टीपीएस	210.0	210.0	8/98	31.12.98
6.	ब्रह्मपुरम् डीजी	20.0	20.0	9/98	24.11.98
7.	सूरतगढ़ टीपीएस	250.0	250.0	5/98	10.5.98
8.	लिमाखोंग डीजी	6.0		1/99	
9.	लिमाखोंग डीजी	6.0		1/99	
10.	लिमाखोंग डीजी	6.0		2/99	
11.	लिमाखोंग डीजी	6.0		2/99	
12.	लिमाखोंग डीजी	6.0		3/99	

1	2	3		4	5
13.	लिमाखोंग डीजी	6.0		3/99	
14.	कराईकल जीटी-1	22.9	22.9	10/98	24.10.98
15.	कराईकल एसटी	9.6		12/98	
16.	पंगुथन सीसीजीटी एसटी	250.0	250.0	7/98	23.10.98
17.	सुरत लिग्नाइट टीपीएस	125.0		2/99	
18.	डाभोल सीसीजीटी जीटी			12/98	
19.	डाभोल सीसीजीटी जीटी	740.0		12/98	
20.	डाभोल सीसीजीटी जीटी			12/98	
21.	तारांगुल्लू जीटी	130.00	130.00	9/98	15.1.99
22.	तोरांगुल्लू जीटी	130.00		3/99	
23.	बेसिनब्रिज डीजी	50.0		1/99	
24.	बेसिन ब्रिज डीजी	50.0		2/99	
25.	बेसिन ब्रिज डीजी	50.0	50.0	2/99	31.12.98
26.	बेसिन ब्रिड डीजी	50.0	50.0	2/99	31.12.98
27.	बज-बज टीपीएस	250.00		2/99	

1	2	3		4	5
28.	बनासकंडी	5.0	5.0	7/98	23.6.98
जल विद्युत					
29.	दोयांग	25.0		12/98	
30.	सोबला	3.0	3.0	6/98	13.11.98
31.	सोबला	3.0		6/98	
32.	अपर सिंध II	35.0		1/98	
33.	सेवा III	3.0		9/98	
34.	सेवा III	3.0		9/98	
35.	सेवा III	3.0		9/98	
36.	चेनारी III	2.5		9/98	
37.	चेनानी III	2.5		9/98	
38.	चेनानी III	2.5		9/98	
39.	रंजीत सागर बांध	1.5		12/98	
40.	वारणा	8.0	8.0	4/98	
41.	दूधगंगा	12.0		10/98	

1	2	3		4	5
42.	कदाना पीएसएस विस्तार	60.0	60.0	5/98	27.5.98
43.	सिंगुर	7.5		1/99	
44.	कालीनदी-II कदरा	50.0	50.0	11/98	23.1.99
45.	कालीनदी-II कदरा	50.0		3/99	
46.	कोडासल्ली	40.0	40.0	6/98	20.6.98
47.	कोडासल्ली	40.0		3/99	
48.	पोरंगलकुथू एलबी विस्तार	16.0	16.0	12/98	
49.	सतनूर बांध	7.5		12/98	
50.	पोस्तरु चरण I	3.0		12/98	
51.	पोस्तरु चरण II	3.0		12/98	
52.	तीस्ता नहर प्रपात चरण-II	7.5	7.5	9/98	22.10.98
53.	तीस्ता नहर प्रपात चरण II	7.5	7.5	10.98	

क्योंकि परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पहले पूरी की जा रही है। इसलिए वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त वर्ष 1998-99 में पूरा किये जाने के लिए जिन परियोजनाओं का लक्ष्य नहीं बनाया गया है। उनके लिए लगभग 1139 मे.वा. उत्पादन प्राप्त किये जाने की संभावना है।

"पेसमेकर" बैंकों की स्थापना

1748. श्री हरिभाई चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "पेसमेकर" बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सरकार के पास कोई पेसमेकर बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेसमेकर आसानी से उपलब्ध हैं और देश में इनका विनिर्माण भी किया जा रहा है।

कैंसर के लिए विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र

1749. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री आदित्यनाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कैंसर रोगियों के चिकित्सार्थ विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 12 क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र बीमारी की अंतिम अवस्था वाले रोगियों को तृतीय स्तर का उपचार उपलब्ध करा रहे हैं और कैन्सर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलाप आयोजित कर रहे हैं। 12 क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्रों की सूची

1. किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर (कर्नाटक)।
2. गुजरात कैन्सर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, (गुजरात)।
3. कैन्सर अस्पताल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर (मध्य प्रदेश।
4. कैंसर संस्थान, मद्रास, (तमिलनाडु)।
5. क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, (केरल)।
6. रिजनल सेन्टर फॉर कैन्सर रिसर्च एण्ड ट्रिटमेन्ट सोसायटी, कटक (उड़ीसा)।
7. डा. बी.बी. कैन्सर संस्थान, गोहाटी (आसाम)।
8. चितरंजन राष्ट्रीय कैन्सर संस्थान, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
9. इंस्टीट्यूट रोटरी कैन्सर अस्पताल (एम्स), नई दिल्ली।
10. टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई (महाराष्ट्र)।
11. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
12. एम.एन.जे.आई.ओ., हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं में सुधार

1750. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या:
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री अशोक प्रधान:
श्रीमती कमल रानी:
श्री भेरूलाल मीणा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने और अधिक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी लाइनमैनों को पेजर्स देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने तथा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. डक्टों में केबल बिछाना
2. पुराने तथा खराब उपस्करों को बदलकर आउट डोर प्लांट का उन्नयन करना
3. दोष मरम्मत तथा व्यावसायिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण
4. इलैक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से इलैक्ट्रानिक प्रकार के एक्सचेंजों से बदलना।
5. लांग स्पेन ड्रॉपवायर्स को भूमिगत केबलों से बदलना।
6. एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसीज (मैसर्स आई एस आर बी) द्वारा टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।
7. डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी आरंभ करना।
8. पुरानी बैटरियां बदलना।
9. जिन क्षेत्रों में पॉवर सप्लाई विश्वसनीय नहीं है, वहां अतिरिक्त इंजन आल्टरनेटर्स/पोर्टेबल सेटों की व्यवस्था करना।
10. वर्ष 2002 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम पर जोड़े जाने की संभावना।
11. ग्रामीण नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश।

(ग) और (घ) प्रायोगिक आधार पर फील्ड स्टाफ/लाइन स्टाफ को पेजर प्रदान करने का कार्य सबसे पहले इंदौर टेलीफोन्स में शुरू किया गया था, जिससे खराबियां ठीक करने में असाधारण सुधार हुआ है।

निम्नलिखित टेलीकॉम सर्किलों/जिलों में फील्ड स्टाफ/लाइन स्टाफ को प्रायोगिक आधार पर छः माह के लिए पेजर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:

1. असम
2. पूर्वोत्तर
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. कलकत्ता
6. चेन्नई

पंजीकृत कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट

1751. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक पंजीकृत कम्पनियां अपनी वार्षिक रिपोर्टों, तुलन पत्रों को प्रस्तुत करने और अन्य सांविधिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दायित्वों को पूरा करने में असफल कम्पनियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) अभी तक जिन कम्पनियों ने वर्ष 1997-98 के लिए अपने वार्षिक लेखे दायर नहीं किए हैं उनकी क्षेत्रवार संख्या निम्न प्रकार है:

क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या (प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों)
उत्तरी	73,269
पश्चिमी	70,717
पूर्वी	34,518
दक्षिणी	63,497

(ग) और (घ) कम्पनी कार्य विभाग में लुप्त हो रही उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समन्वय से पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी एकत्र की थी। प्रादेशिक निदेशकों तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों को उन कम्पनियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, जिन्होंने पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी प्राप्त की है तथा उन कम्पनियों एवं उनके प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबन्धकों तथा सामान्य निदेशकों को भी व्यतिक्रमी नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं जिन्होंने नियत तारीख तक वार्षिक लेखे और वार्षिक रिटर्न दायर नहीं किए हैं।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

1752. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना में उत्पादित विद्युत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा वसूल की जा रही लेवी को कम करने के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) कायमकुलम परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए टैरिफ को अभी भारत सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जाना है। संयुक्त साइकिल संयंत्र के चालू होने के पश्चात् परियोजना से विद्युत हेतु प्रत्याशित टैरिफ तरल ईंधन पर आधारित अन्य संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की लागत के बराबर होगा जिसे केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदा जा रहा है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम की निवेश योजनाएं

1753. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने बाम्बे हाई अपतटीय तेल क्षेत्र के लिए संबंधित तेल प्रतिपारित कार्यक्रम में 2000 करोड़ रुपये निवेश करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं तथा सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं। ओ एन जी सी को अभी बम्बई हाई फील्ड के लिए उपयुक्त ई ओ आर प्रक्रिया का पता लगाना है।

(ख) से (घ) उक्त भाग (क) के लिए दिए गए उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे तेल पर रायल्टी

1754. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:**
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी देश का एक प्रमुख आय स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो 1993-96 और 1996-99 की ब्लाक अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की नियमित दर में संशोधन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे तेल पर रायल्टी की दर को संशोधित करने के मामले पर केन्द्र सरकार सक्रियता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेल उत्पादक राज्यों-गुजरात राज्य सहित-को रायल्टी की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी तेल तथा गैस उत्पादन करने वाले राज्यों की आय का एक स्रोत है। रायल्टी की नियमित दर का परिकलन, वर्ष 1993-96 तथा 1996-98 की अवधि के दौरान तेल कम्पनियों को देय कच्चे तेल मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से किया जाता है। चूंकि इन अवधियों के लिए

कच्चे तेल की उत्पादन लागत के लेखा परीक्षित आंकड़ों की अनुपलब्धता होने पर कच्चे तेल का अंतिम मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया इसलिए इन अवधियों के लिए रायल्टी की नियमित दर अभी अधिसूचित नहीं की जा सकी है। वर्ष 1993-96 के लिए कच्चे तेल की उत्पादन लागत पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण की कार्रवाई चल रही है। रायल्टी की अंतिम दर इसके फौरन बाद अधिसूचित कर दी जायेगी। वर्ष 1996-98 की अवधि के लिए कच्चे तेल का अंतिम मूल्य तथा रायल्टी की अनुवर्ती दर अगले कुछ माह में निर्धारित कर दिये जाने की संभावना है। अंतिम रायल्टी दरों की अधिसूचना पर, राज्य सरकारों को रायल्टी की अनंतिम दरों पर पहले से ही किए गए भुगतान को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

रसोई गैस के लिए अधिक मूल्य हेतु गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. की मांग

1755. **श्री एम. बागा रेड्डी:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल समन्वय समिति को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की मांग पर विचार करने और इसके नये संयंत्र में तैयार की जाने वाली रसोई गैस का अधिक मूल्य निर्धारित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समिति ने यह काम शुरू किया है अथवा हाथ में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) प्रशासित मूल्य व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने विषयक ब्यौरों पर सितम्बर, 1997 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में सभी विद्यमान एवं नई रिफाइनरियों में अवधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली समाप्त कर दी गई है और यह समापन 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड समेत नई रिफाइनरियों/निष्कर्षण संयंत्रों के लिए एलपीजी समेत नियंत्रित उत्पादों का रिफाइनरी द्वार पर मूल्य तेल समन्वय समिति द्वारा "सीमा शुल्क समायोजित आयात समता" मूल्य पर नियत किया जा रहा है।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची

1756. **श्री भर्तृहरि मेहताब:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में जिलावार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) 31.1.99 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 34424 है।

31.1.99 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:

1995-96	31014
1996-97	32505
1997-98	67178

गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रदान किये गए टेलीफोन कनेक्शनों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 60000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने के लक्ष्य में से 31.1.99 तक 40368 कनेक्शन प्रदान किये गये थे। 31.1.99 तक 34424 आवेदकों की प्रतीक्षा सूची में से जनवरी-मार्च, 1999 तक लगभग 19600 और नए कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की आशा है। शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान आगामी वित्त वर्ष में उत्तरोत्तर रूप से किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	31.1.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	गत तीन वर्षों के दौरान जोड़ी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)		
			1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	अंगुल	455	1384	1378	2117
2.	बालासौर	2077	1355	1442	2324
3.	बाडगढ़	469	1095	963	1574
4.	भद्रक	1023	970	962	1550
5.	बोलंगीर	531	1096	1659	1855
6.	बौध	22	184	125	186
7.	कटक	5591	2469	2670	5395
8.	देवगढ़	25	98	108	206
9.	धेनकनाल	130	1051	654	2106
10.	गजपति	212	272	203	480
11.	गंजन	1816	3584	3293	7863
12.	जगतसिंहपुर	2121	950	642	1710

1	2	3	4	5	6
13.	जाजपुर	2291	901	763	1740
14.	झरसूगुडा	390	649	558	1662
15.	कालाहाण्डी	306	728	469	1396
16.	कन्धामई	335	309	282	734
17.	केन्द्रपाड़ा	1869	578	615	1269
18.	क्योंझर	1021	997	739	1266
19.	खुर्दा	6814	4910	5454	13030
20.	कोरापुट	1373	602	777	2165
21.	मलकंगिरी	24	82	150	282
22.	मयूरभंज	974	988	1062	1781
23.	नवरंगपुर	458	117	195	218
24.	नयागढ़	316	701	942	1335
25.	नुआपाडा	222	230	165	234
26.	पुरी	837	955	1270	1537

1	2	3	4	5	6
27.	रायगढ़	351	563	174	682
28.	सम्बलपुर	223	1125	1518	3386
29.	सोनापुर	195	77	310	929
30.	सुन्दरगढ़	1953	1994	2963	6166
	कुल जोड़	34424	31014	32505	67178

माइक्रो-ट्राइब्स के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन परियोजनाएं

1757. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश की "माइक्रो-ट्राइब्स" को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में शामिल की जाने वाली "माइक्रो-ट्राइब्स" के राज्य-वार नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, हां। 1998-99 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन-भारत सरकार के सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत "आदिवासीय जनता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण" संबंधी एक परियोजना को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मूल आदिवासियों को कवर करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को मारफत कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) निम्नलिखित आदिवासीय समूहों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है:

त्रिपुरा-रिंग्स

महाराष्ट्र-कलम, मडिया गोंड

बिहार-मालपहाड़िया सूर्य पहाड़िया, असुर बिरहोरे, बिरजिया, कोर्वा, पहाड़िया।

अंडमान व निकोबार समूह-ओंगेज, ग्रेट अंडमानी, शोम्पेन्स, जवांज, सेंटीनेलीज

मध्य प्रदेश-बैगा, पहाड़िया, कोरबा, बिरहोर।

[हिन्दी

डाकघर खोलना

1758. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
श्री सोहनवीर सिंह:
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया:
श्री कृष्ण कुमार चौधरी:
श्री राजो सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में चमोली, टिहरी और पौड़ी के पर्वतीय जिलों और मुजफ्फरनगर जिले में, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों और बिहार के शेखपुरा और गया जिलों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) जी हां। डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य पूरा होने तथा संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के टिहरी जिले में वर्ष 1998-99 के दौरान भगीरथीपुरम में एक विभागीय उप डाकघर खोला गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक योजना 1998-99 के दौरान बिहार के शेखपुरा और गया जिलों में तीन-तीन डाकघर खोलने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाएं

1759. श्री चमन लाल गुप्त: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना के निष्पादन में वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई और इसके निष्पादन में कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने जम्मू और कश्मीर में कुछ और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर वर्ष-वार किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	किया गया व्यय
1995-96	281.43 करोड़ रुपये
1996-97	172.73 करोड़ रुपये
1997-98	356.75 करोड़ रुपये

परियोजना के क्रियान्वयन पर हुई संचयी वास्तविक प्रगति दिनांक 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार 46% है। इस परियोजना को मार्च, 2001 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) इस समय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन की जम्मू-कश्मीर में किसी नई जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की कोई योजना नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा एनएचपीसी को कोई परियोजना सौंपी नहीं गई है।

इनमरसेट के साथ समझौता

1760. श्री मनोरंजन भक्त: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनमरसेट जो उनासी देशों का एक सहकारी निकाय है, द्वारा देश के दूरदराज के क्षेत्रों में हजारों उपग्रह टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में इस प्रकार के कितने टेलीफोन लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) इन उपग्रह टेलीफोनों के माध्यम से फोन करने के लिए लगाए जाने वाले संभव शुल्क का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, दूर-संचार विभाग द्वारा देश भर में 500 उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। ये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उन दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां अन्य प्रौद्योगिकियां तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा गठित इनमारसेट नामक निकाय उपग्रह क्षमता प्रदान करेगा।

(ग) ऐसे 6 टेलीफोन अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इन उपग्रह-आधारित टेलीफोनों से की गई कॉलों के लिए प्रभार अन्य प्रौद्योगिकियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए लागू सामान्य दरों पर ही लिए जाएंगे।

दूरसंचार ग्रुप की सिफारिशें

1761. प्रो. पी.जे. कुरियनः
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार ग्रुप ने देश में और अधिक बुनियादी और सेल्युलर दूरसंचार ऑपरेटरों को कार्य करने का अवसर देने के लिए रक्षा विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त ''बैण्डविड्थ'' दर्शाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) दूरसंचार ग्रुप (जीओटी) ने अभी तक सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में डीलरशिप के वितरण हेतु चयन बोर्ड

1762. श्री रामनारायण मीणाः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान राज्य में पेट्रोल पम्पों/रसोई गैस एजेंसियों के डीलरशिप के वितरण हेतु कोई चयन बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बोर्ड की शर्तें क्या हैं और इसका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या डीलरों का चयन गुण-दोष के आधार पर किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। विपणन योजनाओं में शामिल स्थानों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विधिवत् रूप से गठित डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। डीलर चयन बोर्ड का संघटन निम्नवत् हैः

(1) उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2) किसी/संबंधित तेल कंपनी का कम से कम मुख्य प्रबंधक पद का कोई अधिकारी	सदस्य
(3) किसी अन्य तेल कंपनी का मुख्य प्रबंधक पद का कोई अधिकारी	सदस्य

किसी विशेष स्थान पर साक्षात्कार शुरू होने की निर्धारित तारीख से केवल तीन दिन पहले, सदस्य के रूप में तेल कंपनियों के दो अधिकारियों का नामांकन संबंधित तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक या निदेशक (विपणन) द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति दो वर्ष से अधिक के लिए नहीं होती। तदनुसार राजस्थान के लिए निम्नलिखित अध्यक्षों के साथ तीन डीलर चयन बोर्डों का गठन किया गया हैः

बोर्ड का नाम	अध्यक्ष
जयपुर-1	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गुमान मल लोढा
जयपुर-2	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना
जोधपुर	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसराज चोपड़ा

(ग) और (घ) राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवास, आय, बहु डीलरशिप मानकों आदि से संबंधित मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों में से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया जाता हैः

(क) व्यक्तित्व, कारोबारी क्षमता, बिक्रीकारी

(ख) वित्त व्यवस्था की क्षमता।

(ग) शैक्षणिक योग्यता, वृद्धि का सामान्य स्तर।

(घ) बुनियादी सुविधाएं अर्थात् भूमि, गोदाम, शोरूम आदि उपलब्ध कराने की क्षमता।

(ङ) सामान्य मूल्यांकन।

विजाग विद्युत परियोजना

1763. डा. सुगुण कुमारी चलामेला:
श्री जी. गंगा रेड्डी:
श्री एम. राजैया:
डा. एस. वेणुगोपालाचारी:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजाग विद्युत परियोजना में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस तीव्र गति परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए छूट देने हेतु रेल और कोयला मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएनपीसीएल) द्वारा प्रवर्तित की जा रही 1040 मे.वा. विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना ने 19 अगस्त, 1998 को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्राप्त कर ली है। मै. एचएनपीसीएल ने अब केन्द्र सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ आवश्यक करारों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय यह आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के साथ विद्युत क्रय करार से संबंधित कुछ मामलों का समाधान कर रहा है तथा परियोजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थानों और विदेशी ऋणदाताओं के साथ वार्ता कर रहा है। परियोजना को प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन किए जाने की तिथि से 44 माह के पश्चात् चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

1764. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री पंकज चौधरी:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट को रोकने और इसकी सेवाओं में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के भारी मात्रा में आयात अथवा खरीद में लगे अधिकांश व्यापारी मिलावट करने में भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट की समस्या का अध्ययन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की चार उप-समितियों का गठन किया है। उप-समितियों को अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी है।

(घ) और (ङ) अब तक ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार को सूचित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए मिलावट सहित अन्य कदाचारों पर निगरानी रखती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों का सुधार

1765. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रभावी उपयोग हेतु राष्ट्रीय नीति लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। अंतर्देशीय जल परिवहन नीति के ढांचे और इसकी विकास नीति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

एच.पी.सी.एल. परियोजनाओं का विस्तार

1766. श्री रवि सीताराम नायक:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) एच पी सी एल द्वारा अपने बलबूते पर आरम्भ की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

(1) विशाख रिफाइनरी विस्तार परियोजना सितम्बर, 1999 तक पूर्ण कर लिए जाने का अनुमान है।

(2) विशाख-विजयवाड़ा पाइपलाइन का सिकन्दराबाद तक विस्तार, जिसके लिए विस्तृत व्यवहार्यता प्रगति पर है।

[हिन्दी

न्यायाधीशों की संख्या

1767. श्री मोहन सिंह:
श्री सतनाम सिंह कैंथ:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में आज की तारीख के अनुसार स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) आज की तारीख के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति. अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग, महिला न्यायाधीशों की पृथक संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय और देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्रमश: 26 और 587 है। व्यक्तियों की जाति या वर्ग के आधार पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में कोई आरक्षण न होने के कारण, जाति या वर्ग, आदि के लिए पृथक रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

समान स्वास्थ्य नीति बनाना

1768. डा. रवि मल्लू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की सोलहवीं बैठक में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के उचित प्रबन्ध हेतु ध्वनिमत से समान स्वास्थ्य नीति का ढांचा तैयार करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों को लागू करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां तक सहमत हो गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

डोल्फिन

1769. श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मीठे जल में रहने वाले डोल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इसकी प्रजातियों के समाप्त होने को रोकने तथा जीन बैंक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में नदी डाल्फिन की संख्या 1000-1200 है।

(ख) डाल्फिन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) इस प्रजाति को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है तथा इसके शिकार पर कानूनन प्रतिबंध है।

(2) इनके संरक्षण के लिए बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गैंगेटिक डाल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है।

(3) डाल्फिन के अवैध शिकार की सूचना मिलने पर वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(4) इसकी स्थिति, जीव-विज्ञान एवं अन्य संरक्षण पहलुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालय को नियमित रूप से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(5) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में डाल्फिन के वास सुधार पर पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

(6) भारत के संबंधित रेंज राज्यों को मछली पकड़ने के जालों के आकार को विनियमित करने की सलाह दी गई है ताकि नदी डाल्फिन की दुर्घटनात्मक मौतों से बचा जा सके।

(7) मछुआरों को निर्देश दिए गए हैं कि जाल से शिकार करने में मछलियों को आकर्षित करने के लिए डाल्फिन के तेल का प्रयोग करने से बचें।

(8) जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।

यू.एन.सी.ओ.ए.एल. निगम की योजना प्रोजेक्ट

1770. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका स्थित यू.एन.सी.ओ.ए.एल. निगम ने तेल और गैस उद्योग के लिए पंचवर्षीय योजना प्रोजेक्ट तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं पर कितनी अनुमानित लागत आएगी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इससे देश में तेल उद्योग को कितना बढ़ावा मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस मंत्रालय को तेल और गैस उद्योग हेतु पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के संबंध में यू एन ओ सी ए एल कारपोरेशन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान से बिजली की खरीद

1771. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान से विद्युत के आयात के प्रस्ताव में गतिरोध उत्पन्न हो गया है जैसाकि दिनांक 1 फरवरी, 1999 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया में "पावर डील विद पाकिस्तान स्टक ऑन प्राइस इशू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से सूचित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार किस ढंग से इस गतिरोध को समाप्त करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों से विद्युत को आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भारत को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) जी, नहीं। दोनों देशों के बीच दो दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अगले दौर की बातचीत मार्च/अप्रैल, 1999 में होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच विद्युत के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था/समझौता पहले से मौजूद है। भारत और बंगलादेश की सरकारें विद्युत के आदान प्रदान हेतु बंगलादेश और भारत दोनों देशों के बीच विद्युत प्रणालियों के अन्तःसंयोजन हेतु संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर सहमत है।

(च) प्रारूप नौवीं योजना में नौवीं योजनावधि के दौरान लगभग 40000 मे.वा. के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- नवीकरण और आधुनिकीकरण द्वारा मौजूदा विद्युत संयंत्रों में उत्पादन अधिकतम करना
- पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना
- जल विद्युत ताप विद्युत नाभिकीय और गैस टरबाईन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन
- अंतर राज्यीय/अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरणों का संवर्धन करना
- उत्पादन क्षमता का संवर्धन।
- विद्युत प्रणाली में रूपांतरण क्षमता और पारेषण का संवर्धन।
- विद्युत क्षेत्र में संस्थागत सुधार।
- बृहत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना।
- मांग पक्ष प्रबंधन।
- ऊर्जा संरक्षण।

तलचेर ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

1772. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चस्तरीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में उड़ीसा में तलचेर ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर का विश्व बैंक ऋण पुन: प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण के लिए विश्व बैंक ने कौन-सी शर्तें रखी हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि मिल रही है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) जी, नहीं। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के किसी अधिकारी दल ने तलचेर-2 विस्तार के लिए ऋण संबंधी वार्ता के लिए हाल ही में विश्व बैंक के मुख्यालय का दौरा नहीं किया है। एनटीपीसी ने इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है। इस परियोजना के संबंध में अभी तक बैंक से कोई वचनबद्धता व्यक्त नहीं की गई है।

शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरियाज और टेलीफोन एक्सचेंज

1773. **श्री पी.सी. थामस:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने "शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरियाज और टेलीफोन एक्सचेंज" कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त एक्सचेंजों की शुल्क दरों में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का "एन डी सी ए" के ग्राहकों को राहत देने के लिए उक्त वृद्धि पर पुनर्विचार करने और पूर्व स्थिति बहाल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) टेलीफोन पंजीकरण तथा किराया प्रभार, स्थानीय क्षेत्र के एक्सचेंज प्रणाली की कुल सज्जित क्षमता से जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त, 1998 से परिभाषा में संशोधन के बाद जिसके अनुसार स्थानीय क्षेत्र तथा एसडीसीए एक हो गया है, कुछ उपभोक्ता के टेलीफोन पंजीकरण तथा किराया प्रभार परिवर्तित होकर निम्न स्लैब से बढ़ कर उच्च स्लैब हो गया है। यद्यपि, कुछ उपभोक्ताओं के लिए किराया तथा पंजीकरण प्रभार बढ़ गया है परन्तु संपूर्ण एस डी सी ए के अंतर्गत कॉल प्रभार स्थानीय कॉल प्रभार के समान सस्ता हो गया है। स्थानीय क्षेत्र के संशोधित

परिभाषा के बाद किराए पर पड़ने वाले प्रभाव को तय करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा एक अध्ययन कराया गया था जिनमें 11 सर्किलों को शामिल किया गया था। यह पाया गया कि कुल 7858230 उपभोक्ताओं में से 35.78% का किराया बढ़ गया है तथा शेष 64.22% के किराए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) से (च) स्थानीय क्षेत्र (एस डी सी ए) की परिभाषा के कारण प्रभावित हुए किराए तथा पंजीकरण प्रभारों पर पुनर्विचार करने के बाद ग्रामीण उपभोक्ता के लिए इसे 15.08.98 से पूर्व लागू किराये एवं पंजीकरण के समान कर दिया गया है। आदेश, 15.08.98 से पूर्व प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा।

विवरण

देश में एस डी सी ए का ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	राज्य का नाम	कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीसी) में एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	अंडमान एवं निकोबार	02
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	243
3.	असम	असम	46
4.	बिहार	बिहार	181
5.	गुजरात	गुजरात दमन एवं डियू सहित	161
6.	हरियाणा	हरियाणा	53
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	33
8.	केरल	(क) केरल	48
		(ख) लक्षद्वीप	10

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	कर्नाटक	180
10.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	34
11.	महाराष्ट्र	(क) महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	301
		(ख) गोवा	05
12.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	361
13.	उड़ीसा	उड़ीसा	120
14.	पंजाब	(क) पंजाब	54
		(ख) चंडीगढ़	01
15.	राजस्थान	राजस्थान	246
16.	तमिलनाडु	(क) तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	129
		(ख) पांडिचेरी	01
17.	उत्तर-पूर्व	(क) मेघालय	14
		(ख) मिजोरम	09
		(ग) नागालैंड	10
		(घ) मणिपुर	12
		(ङ) त्रिपुरा	06
		(च) अरुणाचल प्रदेश	32

1	2	3	4
18.	उत्तर प्रदेश (पू.)	उ.प्र. (पू.)	166
19.	उत्तर प्रदेश (प.)	उ.प्र. (प.)	103
20.	पश्चिम बंगाल	(क) पं. बंगाल (कलकत्ता सहित)	71
		(ख) सिक्किम	02
21.	दिल्ली	दिल्ली	01
		जोड़	2635

टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन

1774. **श्रीमती कमल रानी:**
श्री राजो सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक टेलीफोन एक्सचेंज के पास अपने भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने उक्त भवनों का निर्माण किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान देश में एक्सचेंजों के लिए भवन बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है,

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या उ.प्र. में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है;

(झ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(ट) निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) देश में 18528 ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो स्वयं के एक्सचेंज भवनों में कार्य नहीं कर रहे हैं। इन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों में 1455 टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया था। इन भवनों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(च) 1998-99 के दौरान 428 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है।

(छ) लागू नहीं होता।

(ज) जी, हां।

(झ) उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन भवनों का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ञ) 40 करोड़ रुपए।

(ट) निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तिथियाँ विवरण-IV में दी गई हैं।

विवरण I

उन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जिनके अपने भवन नहीं हैं

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1641
2.	अरूणाचल प्रदेश	7
3.	असम	166
4.	बिहार	675
5.	दिल्ली	4
6.	गुजरात	1259
7.	हरियाणा	638
8.	हिमाचल प्रदेश	576
9.	जम्मू व कश्मीर	224
10.	कर्नाटक	1767
11.	केरल	462
12.	मध्य प्रदेश	2432
13.	महाराष्ट्र	2241
14.	मणिपुर	18
15.	मेघालय	21
16.	मिजोरम	22
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	645
19.	पंजाब	705
20.	राजस्थान	1559
21.	तमिल नाडु	1019
22.	त्रिपुरा	27
23.	उत्तर प्रदेश	1715
24.	पश्चिम बंगाल	702
	जोड़	18528

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए भवनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	74
2.	अरूणाचल प्रदेश	16
3.	असम	30
4.	बिहार	49
5.	दिल्ली	8
6.	गुजरात	48
7.	हरियाणा	29
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू व कश्मीर	11
10.	कर्नाटक	160
11.	केरल	195
12.	मध्य प्रदेश	149
13.	महाराष्ट्र	206
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	9
16.	मिजोरम	18
17.	नागालैण्ड	8
18.	उड़ीसा	13
19.	पंजाब	45
20.	राजस्थान	71
21.	तमिलनाडु सहित पाण्डिचेरी	106
22.	त्रिपुरा	23
23.	उत्तर प्रदेश	153
24.	पश्चिम बंगाल	19
	जोड़	1455

विवरण III

1998-99 के दौरान निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	72
2.	अरूणाचल प्रदेश	35
3.	असम	12

1	2	3
4.	बिहार	35
5.	दिल्ली	18
6.	गुजरात	60
7.	हरियाणा	18
8.	हिमाचल प्रदेश	27
9.	जम्मू व कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	63
11.	केरल	69
12.	मध्य प्रदेश	61
13.	महाराष्ट्र	105
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	17
16.	मिजोरम	23
17.	नागालैण्ड	9
18.	उड़ीसा	27
19.	पंजाब	107
20.	राजस्थान	67
21.	तमिलनाडु	104
22.	त्रिपुरा	13
23.	उत्तर प्रदेश	113
24.	पश्चिम बंगाल	15
	जोड़	1085

विवरण IV

वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3
उत्तर प्रदेश में चालू निर्माण कार्य		
दूरसंचार सिविल प्रभाग, देहरादून टेलीफोन एक्सचेंज भवन		
1.	आरकेएस देहरादून	30.4.99
2.	विकास नगर	6.12.99
3.	गुरुकुल नारसेन	31.3.99
4.	भीमगोड्डा (हरिद्वार)	31.10.99

1	2	3
5.	शिवालिक नगर (हरिद्वार)	30.9.99
6.	श्रीनगर (गढ़वाल)	28.2.99
7.	श्रीनगर वी/ई	30.6.99
8.	न्यू टिहरी	31.3.99
9.	शामली	28.2.99
	दूरसंचार सिविल प्रभाग मेरठ	
	टेलीफोन एक्सचेंज भवन	
1.	अमीनगर सराय	7.7.99
2.	किठौरे	5.10.99
3.	हस्तिनापुर	5.8.99
4.	खरखोडा	23.8.99
5.	फलाव्वाड़ा	5.11.99
6.	गुलधार गाजियाबाद	31.5.99
7.	कैराना	31.3.99
8.	थाना भवन	13.2.99
9.	बाबरी	13.2.99
10.	सिसौली	31.3.99

1	2	3
	दूरसंचार सिविल प्रभाग लखनऊ	
	टेलीफोन एक्सचेंज भवन	
1.	कुंडा (प्रतापगढ़)	28.2.99
2.	जगदीशपुर (सुल्तानपुर)	24.5.99
3.	अन्तू (प्रतापगढ़)	2.7.99
4.	सुल्तानपुर	7.9.99
5.	मुसाफिरखाना	5.5.99
6.	कुंडा (प्रतापगढ़) वी/ई	12.7.99
7.	रायबरेली	9.4.99
8.	बंथारा लखनऊ	28.2.99
9.	बस्ती	22.1.99
10.	लखनऊ	पूरा हो गया
11.	हरदोई	8.2.99
12.	खलीलाबाद	1.10.99
13.	तिलहर	6.9.99
14.	पुवायान	9.9.99

1	2	3
	दूरसंचार सिविल प्रभाग वाराणसी	
	टेलीफोन एक्सचेंज भवन	
1.	मुगलसराय	7.6.99
2.	पहाड़िया (प्लॉट-II)	15.12.98 पूरा हो गया
3.	भदोही	4.9.99
4.	नौगढ़	18.1.99
5.	खमरिया	31.3.99
6.	राजातालाब	9.7.99
7.	राबर्टगंज	3.1.99
8.	गुंगरा बादशाहपुर	2.4.99
9.	रायपुर	27.5.99
10.	मोहम्मदाबाद	27.10.93
11.	परमांपुर भौटी	13.9.98
12.	पटेहारा कलाँ	8.10.99

(क) चालू कार्य

दूरसंचार सिविल प्रभाग, गोरखपुर
टेलीफोन एक्सचेंज भवन

1	2	3
1.	अडारी (अतीनगर)	19.10.98 (पूरा हो गया)
2.	अटरसा वन	31.1.99
3.	आनंद नगर	30.6.98 (पूरा हो गया)
4.	बलिया	26.10.98
5.	बोझी	19.2.99
6.	चक्रा	9.10.98 (पूरा हो गया)
7.	देवगांव (आजमगढ़)	31.5.98 (पूरा हो गया)
8.	डुबरी	30.6.99 (पूरा हो गया)
9.	कुर्थी मुजफ्फरपुर (मऊ)	25.1.99
10.	लालगंज वी/ई (आजमगढ़)	28.2.99
11.	मधुबन	31.12.98
12.	नडवासराय	28.2.99
13.	रसड़ा (बलिया)	31.8.98
14.	सुग्गीचौरी (मऊ)	5.6.98
15.	सिफा	28.9.98

1	2	3
16.	लालगंज (आजमगढ़)	31.1.99
17.	जेनापुर	9.3.99
18.	सोनालीराम	7.7.99
19.	घोसी (मऊ)	22.5.99
20.	मोहम्मदाबाद (मऊ)	22.5.99
21.	आनंद नगर बी/ई	31.1.99
22.	बेलीझांग (मऊ)	27.7.99
23.	हल्धरपुर (मऊ)	27.8.99

दूरसंचार सिविल प्रभाग बाराबंकी

टेलीफोन एक्सचेंज भवन

1.	अलियाबाद	28.2.99
2.	बाराबंकी	28.2.99
3.	सराय बराय	28.2.99
4.	बरेथी	31.3.99
5.	सतरिख	28.2.99
6.	कोथी	28.2.99
7.	जरवाल रोड	31.3.99

1	2	3
8.	केसरगंज	31.3.99
9.	गमभिरवा बाजार	31.3.99
10.	जैटा बाजार	31.3.99
11.	महसी	31.3.99
12.	मटेरा	31.3.99
13.	गोंडा	15.2.99
14.	तारब गंज	2.10.99

दूरसंचार सिविल प्रभाग, कानपुर

टेलीफोन एक्सचेंज भवन

1.	इटावा	पूरा हो गया
2.	ललितपुर	पूरा हो गया
3.	मैनपुरी	पूरा हो गया
4.	मेहरौनी	पूरा हो गया
5.	मनथाना	पूरा हो गया
6.	पिचौरे	पूरा हो गया
7.	शिवराजपुर कानपुर देहात	पूरा हो गया

1	2	3
8.	तालबेहाट	पूरा हो गया
9.	रूरा	23.2.99
10.	घाटमपुर	24.6.99
11.	पुखरायन	4.7.99
12.	पिचौरे	23.7.99
दूरसंचार सिविल प्रभाग II कानपुर		
1.	फतेहपुर	30.3.99
2.	हमीरपुर	31.7.98
3.	राठ	पूरा हो गया
4.	शुक्लागंज (उन्नाव)	पूरा हो गया
5.	महोबा	15.5.99
6.	भारतकूप	10.1.99
7.	बबेरू	30.5.99
8.	राचौल	22.10.99
दूरसंचार सिविल प्रभाग, बरेली		
टेलीफोन एक्सचेंज भवन		
1.	बहेरी	15.12.98 (पूरा हो गया)
2.	बरेली	31.3.99
3.	पिताम्बरपुर (फरीदपुर)	31.3.99
4.	इफ्को (अंगला)	31.3.99 (पूरा हो गया)
5.	बरेली (ए टाइप)	14.7.99
6.	सम्बला	7.7.98
7.	बाजपुर	15.11.98 (पूरा हो गया)
8.	रामनगर	30.11.98 (पूरा हो गया)
दूरसंचार सिविल प्रभाग आगरा		
1.	शानसाबाद	31.3.99
2.	सदाबाद	31.3.99
3.	राधापुरम	11.5.99

[हिन्दी

मिट्टी तेल की कमी

1775. श्री रामटहल चौधरी:
श्री प्रदीप कुमार यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिट्टी तेल की किसी प्रकार की कमी है;

(ख) यदि हां, तो, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मिट्टी तेल की मांग और आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आयात किए गए मिट्टी तेल की प्रमाण क्या है, तथा उसकी कीमत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) देश में मिट्टी का तेल एक कमी वाला उत्पाद है और देश की 40 प्रतिशत से अधिक की मांग आयातों द्वारा पूरी की जाती है। राज्य सरकारों से समय-समय पर मिट्टी तेल के अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता की कमी के कारण, इसमें विदेशी मुद्रा तथा भारी राज सहायता शामिल रहती है, इसलिए मांग को पूर्णतः पूरा कर पाना संभव नहीं होता। समानांतर विपणन योजना के तहत मिट्टी के तेल की उपलब्धता तथा एलपीजी की बढ़ती हुई आपूर्ति के कारण, मिट्टी के तेल की वास्तविक मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है। गत तीन वर्षों के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान आयातित एसकेओ की प्रमात्रा 4.081 मि.मी. टन है और इसका मूल्य 541.46 मिलियन डालर है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यवार एसकेओ का आबंटन बनाम उठान

(आंकड़े मी. टन में)

राज्य/संघ शासित राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	157468	157755	161040	161616	165625	163538
हिमाचल प्रदेश	42228	39585	58282	56319	59992	58119
जम्मू व कश्मीर	86081	79577	89500	89004	95444	97247
पंजाब	328932	306622	335955	335332	338283	344161
राजस्थान	327344	295070	362370	349697	367252	370525
उत्तर प्रदेश	1087462	975365	1142082	1147452	1191491	1189245
चण्डीगढ़	21132	19745	21372	19432	21583	17365

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	240924	239361	243648	241735	246031	239898
उत्तरी क्षेत्र	2291571	2113080	2404249	2400587	2485701	2480098
असम	255232	257278	258644	260037	265316	272147
बिहार	606924	606480	652956	651734	683871	683937
मणिपुर	21988	22160	22494	21643	22393	21480
मेघालय	16092	16062	20070	20061	20569	20392
नागालैंड	11422	11277	13728	13852	14069	14226
उड़ीसा	211452	211458	233459	232748	242362	240931
सिक्किम	8532	7980	7840	8238	8054	8024
त्रिपुरा	23112	22957	30616	28717	31653	31697
पश्चिमी बंगाल	757987	759678	767110	766691	787982	802556
अरुणाचल प्रदेश	9576	9539	10994	11399	11051	10707
मिजोरम	6360	6395	7956	7715	8131	7951
अण्डमान व निकोबार	4632	4647	4912	4941	6650	6744
पूर्वी क्षेत्र	1933309	1935911	2030979	2027776	2102091	2119792

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	806280	808698	826562	830102	849378	854344
महाराष्ट्र	1527648	1525772	1549928	1541321	1564229	1559443
गोवा	27408	27952	27774	28238	28032	28295
दीव	1488	1208	1506	1256	1517	918
दमन	1488	1491	1506	1756	1529	3640
दादरा व नागर हवेली	3144	3130	3184	3106	3217	3204
मध्य प्रदेश	483890	482889	517874	511666	540522	540968
पश्चिमी क्षेत्र	2851346	2851140	2928334	2917445	2988424	2990812
आंध्र प्रदेश	620869	561666	647148	643639	655971	653488
कर्नाटक	484695	441778	503150	499614	516691	513579
केरल	289502	262947	284753	289128	290833	288592
तमिल नाडु	677611	618571	695436	687010	701945	691430
पांडिचेरी	15012	13327	15200	14580	15350	14015
लक्षद्वीप	888	70	908	407	906	495
दक्षिणी क्षेत्र	2088587	1898359	2146595	2134578	2181696	2161599
अखिल भारतीय योग	9164813	8798490	9510157	9480386	9757912	9752301

स्रोत: एसकेओ (पीडीएस) आंकड़े उद्योग कार्य-निष्पादन समीक्षा के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार

1776. श्री नरेश पुगलीया:
श्री शकील अहमद:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु बार, पीठ और पीठ के पूर्व सदस्यों से हाल ही में विचार आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तब से न्यायालय की कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु कोई कदम उठाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूर-दराज क्षेत्रों में उपग्रह से चलने वाले सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय (पी.सी.ओ.)

1777. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर-संचार विभाग का विचार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट दूर-दराज क्षेत्रों में जवानों और नागरिकों के लिए उपग्रह से चलने वाले सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय और फैक्स सुविधाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) जी, हां। 87 उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन विचाराधीन है। इन सुविधाओं का उपयोग जम्मू व कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, असम व पूर्वोत्तर इत्यादि में दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तथा सैनिकों दोनों द्वारा ही किया जाएगा।

खुदरा बिक्री के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प

1778. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय खुदरा बिक्री के लिए पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए पम्प खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार शहर में और पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु भूखंडों का चयन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बढ़ते हुए वाहनजनित प्रदूषण को रोकने तथा पेट्रोल पम्पों की संख्या में आई स्थिरता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) दिल्ली में 295 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें चल रही हैं।

(ख) तेल कंपनियों ने वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान दिल्ली में 22 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आवंटित कीं।

(ग) तेल कंपनियों का दिल्ली में 65 और खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सरकार ने समय-समय पर यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा के लिए उठाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तेल कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए कुल स्थल प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, कई इलाकों में जमीन की सीमित उपलब्धता के कारण, सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे कि भविष्य में सभी विज्ञापन किसी स्थान विशेष के नाम से जारी न करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के नाम से जारी किए जाएंगे। साथ ही लंबित पड़े सभी आशय पत्रों के लिए स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कहीं भी परिवर्तित कर दिया जाए।

[हिन्दी

सतना जलाशय सिंचाई योजना की स्वीकृति

1779. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित सतना जलाशय सिंचाई योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं। वन (संरक्षण) नियम, 1981 के नियम 4 के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन हेतु मध्य प्रदेश के सतना जिले की पटना जलाशय सिंचाई स्कीम संबंधी प्रस्ताव अब तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में पता लगाए गए तेल क्षेत्र

1780. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में हाल ही में नए तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पता लगाये गये भंडार में कितना तेल मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के मोहनबाड़ी, उत्तर बलिजान, दक्षिण काठालोनी, खगाड़ीजान, कमखात एवं दक्षिण मोरान (अपेक्षाकृत गहरे क्षेत्रों में) हाइड्रोकार्बन की अतिरिक्त खोज की है।

(ग) उपर्युक्त खोजों के संबंध में भंडारों का अभी आंकलन किया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1781. **श्री प्रभाषचन्द्र तिवारी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण प्रदान करता है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी गांव को तभी विद्युतीकृत माना जाएगा यदि विद्युत का प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए गांव की राजस्व सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

(ख) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,000 गांवों का विद्युतीकरण और 20 लाख पंपसेटों का उर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यवार लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विद्युतीकरण हेतु 1315 गांवों का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की तुलना में, बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 524 गांवों के विद्युतीकृत होने की रिपोर्ट दी है।

[हिन्दी]

नई डाक नीति

1782. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री महेश कनोडिया:
श्री रंजीव बिस्वाल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई डाक नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो डाक कानूनों में किए गए परिवर्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को कब तक अंतिम रूप और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) राष्ट्रीय डाक नीति का मसौदा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ डाक सेवाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण, डाकघर खोलने की परम्परागत पद्धति के साथ-साथ न्यूनतम लागत पर डाक-सुविधाएं प्रदान करने की औपचारिक अनुमति देने जैसी नवीन पद्धतियों के माध्यम से डाक नेटवर्क का विस्तार, मूल्यवर्धित सेवाओं के क्षेत्र में गैर-सरकारी भागीदारी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने, सार्वभौम सेवा के दायित्व के सिद्धांत का सतत् अनुपालन, डाक सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय आधार पर और यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन के तत्वावधान में तथा डाक सेवा के विकास कार्य में लगे अन्य क्षेत्रीय डाक निकायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दृढ़ता प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए तैयार किया गया था। इस नीतिगत दस्तावेज पर संचार मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5.2.99 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में कुछ सुझाव दिए गए। इस नीतिगत मसौदा दस्तावेज को इन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में पुन: संशोधित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाएं

[illegible]. श्री [illegible]: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में लागू पुन:प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित समूचे देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। पूरे देश और महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) परियोजना प्रस्तावों इत्यादि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 1998-99 के दौरान देश में तथा महाराष्ट्र राज्य में [illegible] अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	देश में	महाराष्ट्र में
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना	1,30,000	12,000 बायोगैस संयंत्र
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	350	40 बायोगैस संयंत्र
3.	उन्नत चूल्हा	16,80,000	50,000 उन्नत चूल्हे

1	2	3	4
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
	(क) सौर लालटेन	60,000	650 सौर लालटेन
	(ख) घरेलू रोशनी प्रणालियाँ	25,000	100 घरेलू रोशनी प्रणालियाँ
	(ग) सड़क रोशनी प्रणालियाँ	3,000	100 सड़क रोशनी प्रणालियाँ
5.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	36	5 ऊर्जा पार्क
6.	पवन विद्युत	16.3 मे.वा. की 9 परियोजनाएं	1.84 मे.वा. की 1 परियोजना
7.	बायोमास विद्युत	215 मे.वा. की 30 परियोजनाएँ	13.71 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता की 1 खोई आधारित परियोजना
8.	लघु पनबिजली	171 मे.वा. की 152 परियोजनाएँ	5.45 मे.वा. की 3 लघु पनबिजली परियोजनाएँ
9.	पवन पंपन	96	20 पनचक्की परियोजनाएँ
10.	लघु एयरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियाँ	27.8 कि.वा.	12 कि.वा.पी. हेतु लघु एयरोजनरेटर/हाईब्रिड प्रणाली परियोजनाएँ
11.	ग्रिड इंटेरेक्टिव विद्युत परियोजनाएँ	650 कि.वा. की 11 परियोजनाएँ	-
12.	सामुदायिक सौर कुकर संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ	-	महाराष्ट्र गाँधी स्मारक निधि, पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
13.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट परियोजनाएँ	4 परियोजनाएँ	-
14.	सौर तापीय परियोजनाएँ	4 परियोजनाएँ	-

विवरण II

महाराष्ट्र राज्य सहित क्लियरेंस के लिए लंबित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	क्लियरेंस के लिए लंबित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा	स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	- 1 ऊर्जा पार्क परियोजना	- प्रगति पर
	- 7 लघु पनबिजली परियोजनाएँ	- राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	- विद्युतीय एवं तापीय अनुप्रयोगों के लिए 21 बायोमास गैसीफायर प्रणालियाँ लगाने का प्रस्ताव	- प्रगति पर
अरूणाचल प्रदेश	- 7 ऊर्जा पार्क परियोजनाएँ	- प्रगति पर
	- 7 लघु पनबिजली परियोजनाएँ	- राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण माँगा गया है।
असम	- एस पी वी प्रणालियों के माध्यम से असम में 11 गाँवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव	- कल्याण मंत्रालय से सहयोग के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
बिहार	- 1 ऊर्जा पार्क परियोजना	- प्रगति पर
	- पटना और मुजफ्फरपुर में सौर दुकानों की स्थापना का प्रस्ताव	- प्रगति पर
गुजरात	- 25 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता हेतु खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 2 परियोजना रिपोर्ट	- वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन/आवधिक ऋण के अंतिम रूप दिये जाने, विद्युत खरीद समझौते, राज्य सरकार की इक्विटी और अन्य मंजूरियों एवं अनापत्तियों के अध्यधीन है।
	- जल पंपन पवन चक्की के 67 प्रस्ताव	- प्रगति पर
	- ऊर्जा पार्क की 4 परियोजनाएँ	- प्रगति पर
	- तापीय अनुप्रयोगों हेतु 3 बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना हेतु प्रस्ताव	- प्रगति पर

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	– शिमला और अन्य स्थानों पर सौर भवनों के प्रस्ताव	– प्रगति पर
जम्मू एवं कश्मीर	– 4 ऊर्जा पार्क परियोजनाएँ	– प्रक्रिया अधीन
कर्नाटक	– हनुमानतट्टी (2 मे.वा.) तथा साजी (2 मे.वा.) में दो पवन विद्युत परियोजनाएं	– राज्य सरकार से आगे की सूचना मांगी जी रही है।
	– 44.20 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता हेतु खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 5 परियोजना रिपोर्ट	– अनुमोदन वित्तीय संस्थाओं से ऋण को अंतिम आवधिक, विद्युत खरीद समझौते, राज्य सरकार की इक्विटी और अन्य मंजूरियों और अनापत्तियों के अध्यधीन है।
	– 1 जल पंपन पवन चक्की	– प्रक्रियाधीन
	– 1 ऊर्जा पार्क परियोजना	– प्रक्रियाधीन
	– 2 लघु पन विद्युत परियोजनाएं	– राज्य सरकार से आगे की सूचना माँगी जा रही है।
	– विद्युतीय अनुप्रयोगों के लिए 1 बायोमास गैसीफायर प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव	– प्रक्रियाधीन
केरल	– रामाकालनाडु (2 मै.वा.) तथा नलालहनी (2 मे.वा.) में 2 पवन विद्युत परियोजनाएँ	– राज्य सरकार से आगे और सूचना मांगी गई है।
	– कोचिन में सौर दुकान की स्थापना का प्रस्ताव	– प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	– 21.18 मै.वा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता के लिए खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु 2 परियोजना रिपोर्ट	– अनुमोदन, वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण को अंतिम रूप दिए जाने, विद्युत खरीद समझौते, राज्य सरकार की इक्विटी और अन्य मंजूरियों और अनापत्तियों के अध्यधीन है।
	– 13.0 कि.वा. की लघु एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियाँ	– प्रक्रियाधीन
	– विद्युतीय और तापीय अनुप्रयोग के लिए 2 बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना का प्रस्ताव	– राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगा गया है।
	– सौर प्रकाशवोल्टीय सामग्रियों की मरम्मत में कार्मिक प्रशिक्षण का प्रस्ताव	– प्रक्रियाधीन
मेघालय	– 6 लघु पनबिजली परियोजनाएँ	– राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

1	2	3
नागालैंड	– 3 ऊर्जा पार्क परियोजनाएँ	– प्रक्रियाधीन
उड़ीसा	– तापीय अनुप्रयोग के लिए 1 बायोमास गैसीफायर प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव	– प्रक्रियाधीन
पंजाब	– 10.20 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता के लिए खोई आधारित विद्युत परियोजना हेतु परियोजना रिपोर्ट	– अनुमोदन वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ग्रहण को अंतिम रूप दिए, विद्युत खरीद समझौते, राज्य सरकार की इक्विटी और अन्य मंजूरियों और अनापत्तियों के अध्यधीन है।
	– पंजाब ऊर्जा विकास संस्था के लिए सौर भवन का प्रस्ताव	– प्रक्रियाधीन
राजस्थान	– जैसलमेर में 1 पवन विद्युत परियोजना (2 मे.वा.)	– राज्य सरकार से आगे भी सूचना माँगी गयी है।
	– 1 ऊर्जा पार्क परियोजना	– प्रक्रियाधीन
तमिलनाडु	– 2 जल पंपन पवन चक्कियाँ तथा 18.5 कि.वा. के लघु ऐरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियाँ	– प्रगति पर
	– 2 ऊर्जा पार्क परियोजनाएं	– प्रगति पर
उत्तर प्रदेश	– 1 ऊर्जा पार्क परियोजना	– प्रगति पर
	– 5 लघु पन बिजली परियोजनाएँ	– राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगा गया है।
पश्चिम बंगाल	– भारत जापान सहयोग के माध्यम से सुंदरबन क्षेत्र, सागरद्वीप में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से 50 गाँवों का विद्युतीकरण	– प्रक्रियाधीन
	– पश्चिम बंगाल में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीच्यूट के बेस कैम्प में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र तथा सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना।	– प्रक्रियाधीन

नोट: चूंकि ये परियोजनाएँ प्रक्रियाओं और अनापत्तियों के विभिन्न चरणों से गुजरती हैं, अतः विभिन्न मदों के प्रति किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

[हिन्दी

रिक्त पद

1784. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अधीक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) शून्य, क्योंकि सभी पद कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर अथवा तदर्थ पदोन्नति से भरे जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो पद तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरे होते हैं, उन्हें एक अवधि के बाद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें विभागीय पदोन्नति समितियां भी शामिल होती हैं, कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति देकर भरा जाता है।

बिलासपुर, उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाया जाना

1785. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील के बीरखेड़ा गांव में गंगा घाटी परियोजना के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी खोज इत्यादि पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितनी मात्रा में तेल निकाले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) बीरखेड़ा गांव के पास ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोदे जा रहे पहले कूप के अप्रैल-मई, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है। प्रारम्भिक संकेतों से क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों की मौजूदगी का पता चला है। तथापि, क्षेत्र में मौजूद हाइड्रोकार्बन की प्रमात्रा का अनुमान विभिन्न संभावी संस्तरों का उत्पादन परीक्षण पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है। अन्वेषी कूप की अनुमानित लागत करीब 20.00 करोड़ रु. है।

रायगढ़ में जिला स्तर पर दूरसंचार कार्यालय

1786. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में विशेषकर महाराष्ट्र में दूरसंचार जिलों (सर्किल) के जिला स्तर के कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य के सभी जिलों में, विशेषकर रायगढ़ में ऐसे कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने संलग्न विवरण के अनुसार देश में 324 दूरसंचार जिले बनाए है। दूरसंचार जिले सामान्यतया एक अथवा अधिक राजस्व जिलों के साथ सह-लक्ष्य वाले (को-टर्मिनस) होते हैं।

(ग) से (ङ) विभाग की नीति के अनुसार दूरसंचार जिलों को प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक कारणों से दो भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। कार्यभार के आधार पर प्रत्येक दूरसंचार जिले की अध्यक्ष दूरसंचार जिला इंजीनियर/दूरसंचार जिला प्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रधान महाप्रबंधक होता है। रायगढ़ एक स्वतंत्र दूरसंचार जिला है जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक हैं।

विवरण

दूरसंचार जिलों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	दूरसंचार जिले
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
3.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर (गुंटकाल)
4.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर (तिरुपति)
5.	आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह
6.	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी (राजामुंदरी)
7.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
9.	आंध्र प्रदेश	करीम नगर
10.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
11.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा (विजयवाड़ा)
12.	आंध्र प्रदेश	कुरनूर
13.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
14.	आंध्र प्रदेश	मेडक (संगारेड्डी)
15.	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा
16.	आंध्र प्रदेश	नेल्लौर
17.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
18.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम (ओनगोले)
19.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
20.	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम्
21.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
22.	आंध्र प्रदेश	वारंगल
23.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी (एलुरु)
24.	असम	डिब्रूगढ़ (लखीमपुर)
25.	असम	गोवाहाटी (कामरूप)
26.	असम	जोरहाट (सिबसागर)
27.	असम	कोकराझार (बोंगाईगांव)
28.	असम	नागांव
29.	असम	सिलचर (कछार)
30.	असम	तेजपुर (सोनीतपुर)
31.	बिहार	आरा
32.	बिहार	भागलपुर
33.	बिहार	छपरा
34.	बिहार	डाल्टनगंज

1	2	3
35.	बिहार	दरभंगा
36.	बिहार	देवधर (डुमका)
37.	बिहार	धनबाद
38.	बिहार	गया
39.	बिहार	हजारीबाग
40.	बिहार	जमशेदपुर
41.	बिहार	कटिहार
42.	बिहार	मुंगेर
43.	बिहार	मोतीहारी
44.	बिहार	मुजफ्फरपुर
45.	बिहार	पटना
46.	बिहार	रांची
47.	बिहार	सहरसा
48.	बिहार	सासाराम
49.	गुजरात	अहमदाबाद
50.	गुजरात	अमरेली
51.	गुजरात	भड़ूच
52.	गुजरात	भावनगर
53.	गुजरात	भुज (कच्छ)
54.	गुजरात	गोधरा (पंचमहल)
55.	गुजरात	हिम्मतनगर (साबरकाठा)
56.	गुजरात	जामनगर
57.	गुजरात	जूनागढ़
58.	गुजरात	मेहसाना
59.	गुजरात	नाडियाज (खेड़ा)
60.	गुजरात	पालनपुर (बनासकाठा)
61.	गुजरात	राजकोट
62.	गुजरात	सूरत
63.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर
64.	गुजरात	वड़ोदरा
65.	गुजरात	वालसाड़
66.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
67.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (धर्मशाला)
68.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
69.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
70.	हिमाचल प्रदेश	शिमला

1	2	3
71.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
72.	हरियाणा	अम्बाला
73.	हरियाणा	गुड़गांव (फरीदाबाद)
74.	हरियाणा	हिसार
75.	हरियाणा	जींद
76.	हरियाणा	करनाल
77.	हरियाणा	नारनौल (रिवाड़ी)
78.	हरियाणा	रोहतक
79.	हरियाणा	सोनीपत
80.	जम्मू कश्मीर	जम्मू
81.	जम्मू कश्मीर	लेह
82.	जम्मू कश्मीर	राजौरी
83.	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर
84.	जम्मू कश्मीर	उधमपुर
85.	केरल	अल्लेप्पी
86.	केरल	कन्नानोर
87.	केरल	एर्नाकुलम
88.	केरल	कावराट्टी (लक्षद्वीप)
89.	केरल	कोट्टायम
90.	केरल	कोझीकोडे (कालीकट)
91.	केरल	पालघाट (पालक्काड)
92.	केरल	क्विलोन
93.	केरल	तिरुवल्ला (पथानामथिट्टा)
94.	केरल	त्रिचूर
95.	केरल	त्रिवेन्द्रम
96.	कर्नाटक	बैंगलौर
97.	कर्नाटक	बेलगाम
98.	कर्नाटक	बेल्लारी
99.	कर्नाटक	बीदर
100.	कर्नाटक	बीजापुर
101.	कर्नाटक	चिकमंगलूर
102.	कर्नाटक	देवणगैरे
103.	कर्नाटक	गुलबर्गा
104.	कर्नाटक	हासन
105.	कर्नाटक	हुबली (धारवाड़)
106.	कर्नाटक	कारवार (यू. कन्नड़)

1	2	3
107.	कर्नाटक	कोलर
108.	कर्नाटक	मांडया
109.	कर्नाटक	मंगलौर (दक्षिण कन्नाड़ा)
110.	कर्नाटक	मरेचारा (मडीकेरी-कोडागू)
111.	कर्नाटक	मैसूर
112.	कर्नाटक	रायचूर
113.	कर्नाटक	शिमोगा
114.	कर्नाटक	तुमकुर
115.	महाराष्ट्र	अहमदनगर
116.	महाराष्ट्र	अकोला
117.	महाराष्ट्र	अमरावती
118.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
119.	महाराष्ट्र	भंडारा
120.	महाराष्ट्र	भीर (बीड)
121.	महाराष्ट्र	बुलडाना (खामगांव)
122.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
123.	महाराष्ट्र	धुलिया (धुले)
124.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली (चन्द्रपुर में)

1	2	3
125.	महाराष्ट्र	जलगांव
126.	महाराष्ट्र	जालना
127.	महाराष्ट्र	कल्याण
128.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
129.	महाराष्ट्र	कुदाल (सिंधुदुर्ग)
130.	महाराष्ट्र	लातूर
131.	महाराष्ट्र	नागपुर
132.	महाराष्ट्र	नांदेड़
133.	महाराष्ट्र	नासिक
134.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
135.	महाराष्ट्र	पणजी (गोवा)
136.	महाराष्ट्र	परभनी
137.	महाराष्ट्र	रायगढ़
138.	महाराष्ट्र	पुणे
139.	महाराष्ट्र	रतनागिरी
140.	महाराष्ट्र	सांगली
141.	महाराष्ट्र	सतारा
142.	महाराष्ट्र	सोलापुर

1	2	3
143.	महाराष्ट्र	वर्धा
144.	महाराष्ट्र	येवतमाल
145.	मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर (सरगुजा)
146.	मध्य प्रदेश	बालाघाट (महाकौशल)
147.	मध्य प्रदेश	बेतूल
148.	मध्य प्रदेश	भोपाल
149.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर
150.	मध्य प्रदेश	छतरपुर
151.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
152.	मध्य प्रदेश	दमोह
153.	मध्य प्रदेश	देवास
154.	मध्य प्रदेश	धार
155.	मध्य प्रदेश	दुर्ग
156.	मध्य प्रदेश	गुना
157.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
158.	मध्य प्रदेश	इंदौर
159.	मध्य प्रदेश	इटारसी (होशंगाबाद)
160.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
161.	मध्य प्रदेश	जगदलपुर (बस्तर)
162.	मध्य प्रदेश	झबुआ
163.	मध्य प्रदेश	खंडावा
164.	मध्य प्रदेश	खरगोने
165.	मध्य प्रदेश	मांडला
166.	मध्य प्रदेश	मंदसौर
167.	मध्य प्रदेश	मुरैना
168.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
169.	मध्य प्रदेश	पन्ना (सतना में)
170.	मध्य प्रदेश	रायगढ़
171.	मध्य प्रदेश	रायपुर
172.	मध्य प्रदेश	रायसेन
173.	मध्य प्रदेश	राजगढ़
174.	मध्य प्रदेश	रतलाम
175.	मध्य प्रदेश	रेवा
176.	मध्य प्रदेश	सागर
177.	मध्य प्रदेश	सतना
178.	मध्य प्रदेश	सिओनी
179.	मध्य प्रदेश	शहडोल
180.	मध्य प्रदेश	शाजापुर
181.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
182.	मध्य प्रदेश	सिद्धी
183.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
184.	मध्य प्रदेश	विदिशा (रायसेन)

1	2	3
185.	उत्तर पूर्व	अगरतला (त्रिपुरा)
186.	उत्तर पूर्व	ऐज़वाल (मिजोरम)
187.	उत्तर पूर्व	इम्फाल (मणिपुर)
188.	उत्तर पूर्व	कोहिमा (दीनापुर)
189.	उत्तर पूर्व	शिलांग (मेघालय)
190.	उत्तर पूर्व	ज़ीरो (इटानगर)
191.	उड़ीसा	बालासोर
192.	उड़ीसा	बारीपाड़ा (बालासोर में)
193.	उड़ीसा	बेरहामपुर
194.	उड़ीसा	भवानीपटना
195.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
196.	उड़ीसा	बोलनगीर
197.	उड़ीसा	कट्टक
198.	उड़ीसा	धेनकनाल
199.	उड़ीसा	कोरापुट
200.	उड़ीसा	फुलबनी (मयूरभंज)
201.	उड़ीसा	रुड़केला
202.	उड़ीसा	सम्बलपुर
203.	पंजाब	अमृतसर
204.	पंजाब	भटिंडा
205.	पंजाब	चंडीगढ़
206.	पंजाब	फिरोजपुर
207.	पंजाब	होशियारपुर
208.	पंजाब	जालंधर
209.	पंजाब	लुधियाना
210.	पंजाब	पठानकोट
211.	पंजाब	पटियाला
212.	पंजाब	रोपड़
213.	पंजाब	संगरूर
214.	राजस्थान	अजमेर
215.	राजस्थान	[illegible]
216.	राजस्थान	बासंवाड़ा
217.	राजस्थान	बारमेड़
218.	राजस्थान	भरतपुर
219.	राजस्थान	भीलवाड़ा
220.	राजस्थान	बीकानेर

1	2	3
221.	राजस्थान	बूंदी
222.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
223.	राजस्थान	चुरू
224.	राजस्थान	जयपुर
225.	राजस्थान	जैसलमेर
226.	राजस्थान	झालावार
227.	राजस्थान	झुनझुनू
228.	राजस्थान	जोधपुर
229.	राजस्थान	कोटा
230.	राजस्थान	नागौर
231.	राजस्थान	पाली
232.	राजस्थान	सवाईमाधोपुर
233.	राजस्थान	सीकर
234.	राजस्थान	सिरोधी (आबू रोड)
235.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
236.	राजस्थान	टोंक
237.	राजस्थान	उदयपुर
238.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
239.	तमिलनाडु	कुड्डालूर
240.	तमिलनाडु	धर्मापुरी
241.	तमिलनाडु	एरोड
242.	तमिलनाडु	कांचीपुरम (चिंगलपेट)
243.	तमिलनाडु	करैकुड़ी
244.	तमिलनाडु	कुम्बाकोनम
245.	तमिलनाडु	मदुरै
246.	तमिलनाडु	नागरकोएल
247.	तमिलनाडु	ऊटी (नीलगिरि-कुनूर)
248.	तमिलनाडु	पांडिचेरी
249.	तमिलनाडु	सेलम
250.	तमिलनाडु	तंजावूर
251.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेलि
252.	तमिलनाडु	त्रिची
253.	तमिलनाडु	ट्यूटीकोरीन
254.	तमिलनाडु	वेल्लूर
255.	तमिलनाडु	विरुदुनगर
256.	उ.प्र. पू.	इलाहाबाद

1	2	3
257.	उ.प्र. पू.	आजमगढ़
258.	उ.प्र. पू.	बहराइच
259.	उ.प्र. पू.	बलिया
260.	उ.प्र. पू.	बांदा
261.	उ.प्र. पू.	बाराबंकी
262.	उ.प्र. पू.	बस्ती
263.	उ.प्र. पू.	देवरिया (मऊ)
264.	उ.प्र. पू.	इटावा
265.	उ.प्र. पू.	फैजाबाद
266.	उ.प्र. पू.	फर्रुखाबाद
267.	उ.प्र. पू.	फतेहपुर
268.	उ.प्र. पू.	गाजीपुर
269.	उ.प्र. पू.	गोंडा
270.	उ.प्र. पू.	गोरखपुर
271.	उ.प्र. पू.	हमीरपुर
272.	उ.प्र. पू.	हरदोई
273.	उ.प्र. पू.	जौनपुर
274.	उ.प्र. पू.	झांसी
275.	उ.प्र. पू.	कानपुर
276.	उ.प्र. पू.	लखीमपुर

1	2	3
277.	उ.प्र. पू.	लखनऊ
278.	उ.प्र. पू.	मैनपुरी
279.	उ.प्र. पू.	मिरजापुर
280.	उ.प्र. पू.	उरई
281.	उ.प्र. पू.	प्रतापगढ़
282.	उ.प्र. पू.	रायबरेली
283.	उ.प्र. पू.	शाहजहांपुर
284.	उ.प्र. पू.	सीतापुर
285.	उ.प्र. पू.	सुल्तानपुर
286.	उ.प्र. पू.	उन्नाव
287.	उ.प्र. पू.	वाराणसी
288.	उ.प्र. पश्चिमी	आगरा
289.	उ.प्र. पश्चिमी	अलीगढ़
290.	उ.प्र. पश्चिमी	अल्मोड़ा
291.	उ.प्र. पश्चिमी	बदायूं (रामपुर)
292.	उ.प्र. पश्चिमी	बरेली
293.	उ.प्र. पश्चिमी	बिजनौर
294.	उ.प्र. पश्चिमी	चमोली (कोटद्वार)
295.	उ.प्र. पश्चिमी	देहरादून
296.	उ.प्र. पश्चिमी	दुटाह
297.	उ.प्र. पश्चिमी	गाजियाबाद
298.	उ.प्र. पश्चिमी	मथुरा
299.	उ.प्र. पश्चिमी	मेरठ

1	2	3
300.	उ.प्र. पश्चिमी	मुरादाबाद
301.	उ.प्र. पश्चिमी	मुजफ्फरनगर
302.	उ.प्र. पश्चिमी	नैनीताल
303.	उ.प्र. पश्चिमी	पीलीभीत
304.	उ.प्र. पश्चिमी	रामपुर
305.	उ.प्र. पश्चिमी	सहारनपुर
306.	उ.प्र. पश्चिमी	उत्तरकाशी (श्रीनगर)
307.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
308.	पश्चिम बंगाल	बंकुरा
309.	पश्चिम बंगाल	बेरहामपुर
310.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता (हावड़ा)
311.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
312.	पश्चिम बंगाल	गंगटोक
313.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
314.	पश्चिम बंगाल	खड्गपुर
315.	पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर
316.	पश्चिम बंगाल	माल्दा
317.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया
318.	पश्चिम बंगाल	रायगंज
319.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
320.	पश्चिम बंगाल	सूरी (बीरभूम)
321.	महानगर	मुम्बई
322.	महानगर	कलकत्ता
323.	महानगर	दिल्ली
324.	महानगर	मद्रास

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा से गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

1787. **श्रीमती भावना कर्दम दवे:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सभी गांवों का विद्युतीकरण संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव राज्य में ऐसे गांवों को सूचीबद्ध कर उन्हें सौर ऊर्जा से लाभ पहुंचाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) गुजरात में

बसे 18,028 गांवों में से गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा 17,940 गांवों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 88 गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा निर्जनता, जलप्लावन और समुद्र के अत्यधिक निकट अवस्थिति जैसे विभिन्न कारणों से संभाव्य नहीं समझा गया। पहले ही विद्युतीकरण किये जा चुके गांवों में से, 207 गांवों को विद्युतीकरण सौर सड़क रोशनी प्रणालियों के माध्यम से किया गया।

इसके अलावा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के तहत गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (डी ई डी ए) ने राज्य में 30 जून, 1998 तक 7,712 सौर लालटेन वितरित किए तथा 370 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 346 सड़क रोशनी प्रणालियों और 14 के.डब्ल्यू.पी. समग्र क्षमता के 3 ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 के दौरान मंत्रालय द्वारा गुजरात को 200 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों और 5,000 सौर लालटेनों का आवंटन किया गया है।

प्रमुख पत्तनों के अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन हेतु समिति

1788. **श्री जी.एम. बनातवाला:**
श्री गुरुदास कामत:
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख पत्तनों और गोदी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन और संवर्ग पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त एस.पी. बगला समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(घ) इसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या वेतन संशोधनों का भार स्वयं पत्तनों द्वारा वहन किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी हां।

(च) पत्तन और गोदी अधिकारियों का वेतन संशोधन 1.1.1997 से लागू होगा। वर्ष 1997 और 1998 के लिए लगभग 40 करोड़ रु. का वित्तीय निहितार्थ शामिल है और अधिकारियों की परिलब्धियों पर पत्तनों के खर्च में प्रतिवर्ष सकल वृद्धि लगभग 26 करोड़ रु. है। चूंकि पत्तन और गोदी अधिकारी संबंधित पत्तन न्यास बोर्डों के कर्मचारी हैं, इसलिए इन कर्मचारियों के संबंध में खर्च होने वाली सभी देयताएं संबंधित पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा स्वयं वहन की जाएंगी।

विवरण

पत्तन और गोदी अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन समिति की सिफारिशें

प्रस्तावना

1. पत्तन और गोदी अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन समिति का गठन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री एस.पी. बागला, पूर्व सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.1996 को किया गया था। विचारार्थ विषयों के अनुसार समिति को पत्तनों के वर्गीकरण से संबंधित गठित समिति की सिफारिशों और उनके संबंध में सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पत्तन और गोदी अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन ढांचे और भत्तों के संबंध में सिफारिशें करनी थीं। सिफारिशें करते समय समिति को सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए वेतन और भत्तों से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुकरण करना था जो औद्योगिक महंगाई भत्ते के नमूने पर तैयार किए गए थे और पूर्व वेतन संशोधन समिति की संवर्ग पुनर्संरचना रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना था।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा समिति को भेजे गए वेतन संशोधन और अन्य सम्बद्ध मामलों से संबंधित मुद्दे

2. वेतन संशोधन के विचारार्थ विषय के अतिरिक्त जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों और अन्य सम्बद्ध मामलों अर्थात् पहले वेतन संशोधन आदेशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियाँ, पत्तन अधिकारियों के सामान्य वेतन संशोधन से पायलटों के वेतनमानों को अलग करना, पत्तन न्यास कर्मचारियों के लिए पेंशन के सारांशीकरण, विनियमन और महापत्तनों में डिग्री/

डिप्लोमा धारक इंजीनियरों के संबंध में भारतीय पत्तन एसोसिएशन की रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे भी भेजे थे। समिति ने उक्त सभी मुद्दों की जांच की और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को उक्त चार मुद्दों में से प्रत्येक के लिए अलग रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। समिति ने संवर्ग पुनर्संरचना के संबंध में एक रिपोर्ट पर भी विचार किया तथा अधिकारियों की फेडरेशन के साथ विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श करने के पश्चात् उस पर उचित सिफारिशें भी की।

मूल तथ्य

3. समिति में पत्तनों की कुल क्षमता के साथ-साथ महापत्तनों में होने वाली यातायात की वृद्धि, हैंडल किए जाने वाले अनुमानित यातायात और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में पत्तन क्षमताओं की प्रस्तावित वृद्धि, पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता और विभिन्न पत्तनों में अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों की विद्यमान संख्या को भी ध्यान में रखा है।

पत्तन और गोदी अधिकारियों के वेतन संशोधन का इतिहास

पत्तनों का वर्गीकरण

4. वेतन संशोधन के वास्तविक प्रभाव और महत्व को समझने की दृष्टि से समिति ने पत्तन और गोदी अधिकारियों के विभिन्न समयों के वेतन ढांचे और भत्तों के निर्धारण तथा विभिन्न अनुसूचियों में पत्तनों के वर्गीकरण का गहन अध्ययन किया। पत्तनों के वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने निवेश, नियोजित पूंजी, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रा संबंधी घटकों और नीतिगत महत्व, नियोजित प्रौद्योगिकी के स्तर, विस्तार की संभावनाओं आदि जैसे गुणात्मक घटकों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की कि मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कांडला और जवाहर लाल नेहरू पत्तन को अनुसूची "क" पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किया जाए और कोचीन, मुरगांव, पारादीप, तूतीकोरिन और नवमंगलूर को अनुसूची "ख" पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

अधिकारियों की फेडरेशन/एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श

5. समिति के आमंत्रण पर विभिन्न पत्तनों में अधिकारियों की फेडरेशन और अधिकारियों की एसोसिएशनों तथा व्यक्तिगत अधिकारियों ने वेतन संशोधन के बारे में अनेक ज्ञापन/सुझाव भेजे जिनका समिति द्वारा अत्यंत गहराई से अध्ययन किया गया। समिति ने समय-समय पर अधिकारियों की फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ सामान्य वेतन संशोधन, लम्बित मुद्दों और पहले वेतन संशोधन की विसंगतियों, संवर्ग पुनर्संरचना रिपोर्ट और पेंशन सारांशीकरण विनियमनों के मसौदे पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया। समिति ने सभी पत्तनों का दौरा किया और संबंधित पत्तन के अधिकारियों की एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श किया।

6. समिति ने पत्तन और गोदी उद्योग से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने की दृष्टि से पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के साथ-साथ मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से वेतन, भत्तों और सेवा संबंधी मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत सूचना और आंकड़े एकत्र किए।

महापत्तनों की वित्तीय स्थिति

7. समिति ने पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के राजस्व के स्रोत, पत्तन प्रशुल्कों के नियतन और संशोधन के लिए महापत्तनों हेतु एक स्वतंत्र प्रशुल्क प्राधिकरण का गठन और वर्ष 1993-95 से 1997-98 के लिए सभी पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों की वित्तीय स्थिति को नोट किया है। पत्तन और गोदी अधिकारियों के संबंध में सकल स्थापना खर्च तथा 1.1.1992 से लागू पिछले वेतन संशोधन से संबंधित वित्तीय निहितार्थों का भी अध्ययन किया गया है। समिति का विचार है कि सभी पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों की वित्तीय स्थिति वर्तमान वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए सक्षम है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार से किसी वित्तीय सहायता की अपेक्षा नहीं होगी।

8. समिति ने श्रेणी-3 तथा 4 कामगारों के वेतन संशोधन, पत्तन क्राफ्टों के उन्नयन/प्रतिस्थापन, उपकरण और मशीनें, पत्तन सुविधाओं के विस्तार और महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित निवेश की मात्रा के कारण पत्तन निधियों से संबंधित अन्य दावों को भी ध्यान में रखा है।

वेतन संशोधन के लिए सामान्य सिद्धान्त

9. देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता से महापत्तनों के एकाधिकार को चुनौती मिलती है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से न्यूनतम लागत पर कुशल सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार महापत्तनों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए पत्तन कार्यकारी अधिकारियों को व्यावसायिक प्रबंधकों के रूप में प्रेरित करने की आवश्यकता होगी।

10. 1.1.1992 से 31.12.1996 की अवधि के दौरान 682 अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु होने से पहले पत्तन

सेवा छोड़ दी थी। पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता से महापत्तनों से अधिकारियों के निजी क्षेत्र में पलायन की आशंकाएं होती हैं। अत: समिति का विचार था कि पत्तन सेवाओं में विवेकशील और कुशल अधिकारियों को आकर्षित करने और उन्हें उन सेवाओं में बनाए रखने की आवश्यकता है।

11. समिति ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ लोक क्षेत्र के कर्मचारियों की संगतता से संबंधित न्यायमूर्ति मोहन समिति की सिफारिशों को तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि महापत्तन न्यासों के अधिकारी दिनांक 31.12.1968 तक केन्द्र सरकार के वेतनमानों और भत्तों का अनुसरण कर रहे थे।

विभिन्न पत्तनों की विशेष समस्याएं

12. विभिन्न पत्तनों में समिति के दौरों के समय समिति ने न केवल वेतन संशोधन के सामान्य मुद्दे पर बल्कि अलग-अलग पत्तनों से संबंधित अथवा किसी विशेष पत्तन में किसी अधिकारी वर्ग की विशेष समस्याओं के संबंध में भी विचार-विमर्श किया। ऐसी समस्याओं को पत्तनवार और आवश्यकतानुसार उनसे संबंधित सिफारिशें वेतन संशोधन की रिपोर्टों अथवा संवर्ग पुनर्सरचना रिपोर्ट से संबंधित समिति की सिफारिशों में शामिल किया गया है।

वेतनमान और वेतन निर्धारण फार्मूला

13. समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमानों और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् केन्द्र सरकार के अधिकारियों के वेतनमानों के बीच संगतता स्थापित करने में न्यायमूर्ति मोहन समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया है। अनुसूची "क" और 'ख" पत्तनों में महापत्तनों के वर्गीकरण के आधार पर समिति ने महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिशें की हैं:

(1)	मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू और कांडला पत्तनों के अध्यक्ष	27750-750-31500 रु.
(2)	मुम्बई, कलकत्ता, हल्दिया, चेन्नई, विशाखापत्तनम, जवाहर लाल नेहरू और कांडला पत्तनों के उपाध्यक्ष और कोचीन मुरगांव, पारादीप, तूतीकोरिन और नवमंगलूर पत्तनों के अध्यक्ष	25750-650-30950 रु.
(3)	कोचीन, मुरगांव, पारादीप, तूतीकोरिन और नव-मंगलूर पत्तनों के उपाध्यक्ष	22500-600-27300 रु. (पैरा 10.22)

14. समिति बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों के लिए दिनांक 1.1.97 से निम्नलिखित संशोधित वेतनमानों की सिफारिश करती है:

क्र.सं.	1.1.1992 से लागू वर्तमान वेतनमान (रुपए)	1.1.1997 से लागू संशोधित वेतनमान (रुपए)
1	2	3
1.	4000-175-7150 (18)	8600-250-14600 (24)
2.	4350-175-7500 (18)	9100-250-15100 (24)
3.	4800-200-6000-225-8475 (17)	10750-300-16750 (20)

1	2	3
4.	5400-225-6300-250-9300 (16)	13000-350-18250 (15)
5.	6500-250-7500-275-9425 (11)	14500-350-18700 (12)
6.	7000-275-8100-300-9900 (10)	16000-400-20800 (12)
7.	7500-300-10200 (9)	17500-400-22300 (12)
8	8250-300-10350 (7)	18500-450-23900 (12)
9.	8500-300-10600 (7)	19000-500-24500 (11)
10.	9000-350-10750 (5)	19500-500-25000 (11)
11.	9500-400-11500 (5)	20500-500-26500 (12)
12.	10000-400-12000 (5)	22500-600-27300 (8)
कलकत्ता पत्तन न्यास और हल्दिया गोदी परिसर के बर्थिंग मास्टर		
	4350-200-5550-225-8475 (19)	9100-250-9850-300-16750 (26)

15. समिति द्वारा सिफारिश किया गया अनुकूल फार्मूला वही है जो न्यायमूर्ति मोहन समिति की रिपोर्ट में दिया गया है और इसे नीचे पुन: उद्धृत किया जा रहा है:

क		ख		ग		घ
31.12.96 की स्थिति के अनुसार वैयक्तिक वेतन* (यदि कोई हो) सहित मूल वेतन	+	1668 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) पर तदनुरूपी महंगाई भत्ता।	+	31.1.2.96 की स्थिति के अनुसार वैयक्तिक वेतन* (यदि कोई हो) सहित मूल वेतन का 20%	=	कुल धनराशि**

* सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों जिनमें 1992 के कार्यकारी अधिकारियों का वेतन संशोधन शामिल है, के परिणामस्वरूप वैयक्तिक वेतन।

** नए वेतनमान का निर्धारण संशोधित वेतनमान में कालम "घ" में दी गई कुल राशि को ले कर किया जाएगा। जहाँ कालम "घ" में इस प्रकार परिकलित कुल धनराशि संशोधित वेतनमान में किसी स्तर के अनुकूल न हो तो नया मूल वेतन संशोधित वेतनमान में अगले अधिक स्तर पर कुल धनराशि नियत करके निर्धारित किया जाएगा।

यह संभव है कि कुछ वेतनमानों में संशोधित वेतनमानों में किए गए अनुकूलन के परिणामस्वरूप कार्यकारी अधिकारियों और कम मूल वेतन वाले गैर संगठित पर्यवेक्षकों को वर्तमान वेतनमानों में अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के साथ जोड़ दिया जाए। ऐसी विसंगतियों को समाप्त करने के लिए समिति का प्रस्ताव है कि बन्चिंग के मामले में अधिकतम तीन वेतनवृद्धियों के अधीन संशोधन पूर्व वेतनमान में प्राप्त की गई प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए।

ऐसे मामलों में जहाँ अनुकूल फार्मूले से पदधारक अधिकतम नए वेतनमान पर अथवा उसके निकट आता हो तो समिति की सिफारिश यह है कि अधिकतम तीन वेतनवृद्धियों तक स्टेगनेशन वेतनवृद्धियों के रूप में नए वेतनमान को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

16. पत्तन तथा गोदी अधिकारियों को सरकार के दिनांक 28.10.1997 के आदेशों के तहत प्रदान की गई अंतरिम सहायता को 1.1.1997 से वेतन संशोधन की बकाया राशियों के भुगतान करते समय समायोजित किया जाएगा।

17. उक्त अनुकूलन फार्मूला 1.1.1997 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होगा और उन्हें प्रारंभ में तदनुरूपी संशोधित न्यूनतम वेतनमान प्राप्त होगा। जहाँ 1.1.97 को अथवा उसके पश्चात् संशोधित पूर्व वेतनमान में नियुक्त सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की गई हो तो ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। (पैरा 10.31)

18. श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के वेतन समझौते को अंतिम रूप दिये जाने तक श्रेणी-3 के उन कर्मचारियों को जिन्हें 1.1.1997 को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया हो, तब तक संशोधन पूर्व वेतन ढांचे में वेतन और भत्ते प्राप्त होते रहेंगे जब तक उनके वेतन ढांचे को संशोधित किया जाए और उस आधार पर पदोन्नति होने पर अधिकारी संवर्ग में उनके वेतन का संशोधन किया जाए। तथापि, वे यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत भत्ते जैसे अन्य लाभों जो उनके द्वारा अब से पहले प्राप्त किये जा रहे थे, के पात्र रहेंगे।

भत्ते

19. समिति ने 1.1.97 से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1668 (1960 = 100) के आधार पर अधिकारियों के वेतन संशोधन की सिफारिश की है। 1.1.97 को कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा। अतिरिक्त महंगाई भत्ता जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 1668 से अधिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली 12 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार अर्थात् 1 जुलाई और 1 जनवरी से देय होगा। सभी अधिकारियों के लिए समायोजन समानरूप से 100% होगा।

20. समिति ने 1.1.1999 से विभिन्न पत्तनों में अधिकारियों के लिए मकान किराए भत्ते की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:

शहरों/कस्बों का वर्गीकरण	पत्तन का नाम	मकान किराए भत्ते की दर
ए-1	मुम्बई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, कलकत्ता और चेन्नई	प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन का 30%
ए	कोई नहीं	
बी-1	कोई नहीं	
बी-2	कोचीन और विशाखापत्तनम	प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन का 15%
सी और उससे कम	मुरगांव, हल्दिया, कांडला, नव-मंगलूर, तूतीकोरिन और पारादीप	प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन का 10%

21. संशोधित वेतन पर किराए की वसूली 1.1.99 से लागू होगी और समिति ने इस बात की पुनरावृत्ति की है कि केवल संशोधित वेतनमान में मूल वेतन में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को क्वार्टरों के आबंटन के लिए पात्रता के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पत्तन और गोदी श्रमिक बोर्ड के क्वार्टरों के लिए किराए की वसूली भारत सरकार के मूल नियम 45(क) में दिए गए अनुदेशों के अधीन आवासीय क्षेत्र के आधार पर की जाएगी।

22. समिति ने सिफारिश की है कि नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की संकल्पना को पत्तन नगर भत्ते में परिवर्तित कर दिया जाए और अधिकारियों को 1.1.99 से निम्नलिखित दरों पर पत्तन शहर भत्ते का भुगतान किया जाए:

(1)	मुम्बई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, चेन्नई और कलकत्ता (हल्दिया को छोड़कर)	–	300 रु. प्रतिमाह
(2)	विशाखापत्तम और कोचीन	–	200 रु. प्रतिमाह
(3)	मुरगांव, नवमंगलूर, पारादीप, तूतीकोरिन, कांडला (वाडीनार को छोड़कर) और हल्दिया।	–	100 रु. प्रतिमाह

23. मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान संबंधित अधिकारियों की तैनाती के स्थान से संबंधित है। तदनुसार तूतीकोरिन पत्तन के चेन्नई में तैनात अधिकारियों और नवमंगलूर पत्तन के बंगलौर में तैनात अधिकारियों को क्रमशः चेन्नई और बंगलौर की दरों पर इन भत्तों का भुगतान किया जाता है। इस प्रथा को जारी रखा जा सकता है और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के हैदराबाद में तैनात कर्मचारियों को 1.1.1999 से निम्नलिखित दरों पर मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए:

मकान किराया भत्ता	–	मूल वेतन का 25%
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	–	240 रु. प्रतिमाह

भुवनेश्वर में तैनात पारादीप पत्तन के अधिकारियों को मूल वेतन के 10% की दर पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। उनको 1.1.1999 से 100 रु. प्रतिमाह की दर पर पत्तन नगर भत्ता देने की भी अनुमति दी जाए।

24. मोटरकार के लिए यात्रा प्रतिपूर्ति 1.1.1999 से 9100-15100 अथवा इससे अधिक के वेतनमान के अधिकारियों को 1500 रु. प्रतिमाह की दर पर स्वीकार्य होगी। 8600-14600 रु. के वेतनमान में श्रेणी-2 के अधिकारी 1.1.1999 से मोटरसाकिल/स्कूटर भत्ता 500 रु. प्रति महीने और 300 रु. प्रति महीने मोपेड भत्ते के लिए पात्र होंगे।

25. नौचालन अधिकारियों के लिए निश्चित यात्रा भत्ते की दरें 400 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 600 रु. प्रतिमाह तथा गैर नौचालन अधिकारियों के इस भत्ते को 1.1.1999 से 300 रु. प्रतिमाह कर दिया जाएगा।

26. समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी पत्तनों के सभी अधिकारियों के लिए परिवहन प्रतिपूर्ति की वर्तमान दर को 1.1.99 से 125 रु. से बढ़ाकर 300 रु. प्रतिमाह कर दिया जाए। समिति ने यह भी पुनरावृत्ति की है कि कोई भी अधिकारी निश्चित यात्रा भत्ता अथवा परिवहन प्रतिपूर्ति अथवा यात्रा प्रतिपूर्ति में से केवल एक को प्राप्त करने कर पात्र होगा।

27. पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों में चिकित्सा अधिकारी इस शर्त के अध्यधीन मूल वेतन के 25% की दर पर प्रैक्टिस न करने के लिए मिलने वाले भत्ते के लिए पात्र होंगे कि मूल वेतन + प्रैक्टिस न करने का भत्ता 29500 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो। संशोधित दरें 1.1.97 से लागू होंगी। प्रैक्टिस न करने के लिए मिलने वाले भत्ते को पदोन्नति पर वेतन निर्धारित करने के अतिरिक्त सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा।

28. समिति ने निम्नलिखित दरों पर 1.1.97 से डिजाइन भत्ते की सिफारिश की है:

वरिष्ठ प्रबंधक	750 रु. प्रतिमाह
प्रबंधक/उपप्रबंधक	575 रु. प्रतिमाह
सहायक प्रबंधक/कनिष्ठ प्रबंधक	300 रु. प्रतिमाह

29. समिति ने 1.1.1999 से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए यथा स्वीकार्य बालशिक्षण भत्ते और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति को अपनाने की सिफारिश की है जो निम्न प्रकार है:

शैक्षिक सहायता	भुगतान की संशोधित दर/फीस की प्रतिपूर्ति की सीमा		
(क) बाल शिक्षण भत्ता	प्राइमरी, सैकेण्डरी, हायर और सीनियर सैकेण्डरी कक्षाएं (1 से 12)	-	100 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा*
(ख) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	(क) कक्षा 1 से 10	-	40 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा*
	(ख) कक्षा 11 से 12	-	50 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा*
	(ग) शारीरिक रूप से विकलांग और दिमागी रूप से विकृत बच्चों के संबंध में कक्षा 1 से 12 तक	-	100 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा*

*अधिकतम 2 बच्चों तक।

30. समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारी को साप्ताहिक छुट्टी के दिन अथवा अवकाश अथवा किसी अन्य अकार्य दिवस को किसी पूरे दिन अथवा 8 घंटे के पूरे दिन से अधिक के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के भाग के रूप में कार्य करना पड़ता है तो उसे प्रतिपूरक अवकाश के अतिरिक्त ऐसे कार्य के लिए 300 रु. प्रति दिन के लिए ''आउट आफ पाकेट'' खर्च का भुगतान किया जाएगा। यह 1.1.1999 से लागू होगा।

31. जहाँ तक वर्दियों की आपूर्ति अथवा वर्दी भत्ते के भुगतान का संबंध है समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान प्रथा जारी रहेगी और जहाँ वर्दी भत्ते का भुगतान किया जाता है वहां वर्दी भत्ते की वर्तमान दर को 1.1.1999 से निकटतम 10 रु. के परिणामी आंकड़े पर पूर्णांकित करते हुए 50% बढ़ा दिया जाएगा।

32. धुलाई भत्ते की दर को 1.1.1999 से 100 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रु. प्रतिमाह कर दिया जाएगा।

33. समिति ने सिफारिश की है कि वाडीनार में तैनात अधिकारियों को 1.1.1999 से 300 रु. प्रतिमाह की दर पर वाडीनार भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

34. समिति ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना शुरू करने की सिफारिश की है जिसमें कि पत्तन न्यास अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 50:50 के आधार पर बीमा किश्त का भुगतान किया जाएगा। जहाँ सामूहिक बचत से जुड़ी बीमा स्कीम लागू की जा चुकी है वहाँ पत्तन नयासों और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बीमा किश्त का अंशदान करके इसके स्थान पर सामूहिक बीमा स्कीम शुरू करने की संभावना का पता लगाया जाए।

35. अधिकारियों के आवासों पर भारतीय समाचार पत्र की खरीद के कारण होने वाले खर्च की आदेश जारी होने के पश्चात् भावी रूप से निम्नप्रकार प्रतिपूर्ति की जाएगी:

क्र.सं.	अधिकारी का स्तर	भारतीय समाचार पत्रों की अधिकतम संख्या
1.	विभागाध्यक्षों को छोड़कर अन्य अधिकारी	1
2.	विभागाध्यक्ष	2
3.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	कोई सीमा नहीं

अग्रिम

36. पत्तन न्यासों द्वारा केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों की आवास निर्माण अग्रिम स्कीम का अनुसरण किया जा रहा है। तदनुसार पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों को देय आवास निर्माण अग्रिम की मात्रा और लागत की सीमा को सरकारी आदेश जारी होने की तारीख से भावी रूप से बढ़ा दिया जाए। संशोधित दरें और ब्याज की दर इस प्रकार होंगी:

(क) मकान की लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) कर्मचारी के मूल वेतन + एन पी ए के 200 गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसकी अधिकतम सीमा 18 लाख रु. होगी।

(ख) आवास निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा 50 महीने के मूल वेतन+एन पी ए के बराबर है जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रु. अथवा मकान की कीमत अथवा वापस भुगतान की क्षमता नव निर्माण/नया मकान अथवा फ्लैट खरीदने में जो भी न्यूनतम हो, के बराबर होगी।

(ग) मौजूदा मकान के सुधार, नवीकरण, परिवर्तन की सीमा संशोधित करके 50 महीने के मूल वेतन+एन पी ए अथवा 1.80 लाख रु. इनमें से उक्त प्रयोजन के लिए जो भी कम हो अथवा सुधार, नवीकरण अथवा परिवर्धन आदि की लागत अथवा वापस भुगतान करने की क्षमता इनमें से जो भी न्यूनतम हो, के समान होगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास निर्माण अग्रिम की वर्तमान सीमा जो निर्माण, सुधार, नवीकरण, परिवर्धन आदि की लागत के 80% तक प्रतिबंधित है, में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

आवास निर्माण अग्रिम के लिए लागू ब्याज की दर वही रखी जाए जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित है और यह निम्न प्रकार है:

अग्रिम की राशि	ब्याज की दर
5000 रु. तक स्वीकृत अग्रिम	7.5%
1.5 लाक रु. तक स्वीकृत अग्रिम	9%
5 लाख रु. तक स्वीकृत अग्रिम	11%
7.5 लाख रु. तक स्वीकृत अग्रिम	12%

पात्रता, अदायगी क्षमता, वसूली आदि जैसे सभी अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

37. समिति ने सिफारिश की है कि अन्य पत्तन न्यास और गोदी कामगार बोर्ड "मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी आवास निर्माण अग्रिम विशेष परिवार कल्याण कोष स्कीम" के समान स्कीम शुरू करने की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं ताकि यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख तक उस पर बकाया एच बी ए और उस पर ब्याज की समग्र राशि की अदायगी इस कोष से हो सकेगी।

38. समिति ने मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद संबंधी धनराशि की सीमा निम्नलिखित दरों से बढ़ा दी हैं:

	वर्तमान सीमा	प्रस्तावित सीमा
पहली खरीद के लिए	13,000 रु. अथवा 8 माह का मूल वेतन अथवा मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड का पूर्वानुमानित मूल्य इनमें से जो भी कम हो।	30,000 रु. अथवा 6 माह का मूल वेतन अथवा मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड का पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी कम हो।
दूसरी बार के लिए	10,000 रु. अथवा 6 माह का मूल वेतन अथवा पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी कम हो।	24,000 रु. अथवा 5 माह का मूल वेतन अथवा पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी कम हो।

39. समिति ने कार अग्रिम की सिफारिश निम्न प्रकार की है:

(1)	नई कार की खरीद के लिए	20 माह का मूल वेतन जो अधिकतम 2.50 लाख रु. हो अथवा नई कार की कीमत का 80% इनमें से जो भी कम हो।
(2)	पुरानी कार की खरीद के लिए	20 माह का मूल वेतन जो अधिकतम 1.80 लाख रु. अथवा अधिसूचित निर्धारक द्वारा प्रमाणित कार का वास्तविक मूल्य, इनमें से जो भी कम हो।

40. समिति ने पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम की सिफारिश की है जिसकी सीमा पहली बार के लिए 80,000 रु. और दूसरी बार के लिए 75,000 रु. होगी तथा इसकी ब्याज दर मोटर कार अग्रिम की ब्याज दर के बराबर होगी और इसकी वसूली 100 किस्तों में की जाएगी।

41. समिति ने सेवाकाल में एक बार 50,000 रु. अथवा 6 माह के मूल वेतन के बराबर, जो भी कम हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल एडवांस के भुगतान की सिफारिश की है। इसकी ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष होगी और यह 60 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा।

यात्रा भुगतान और छुट्टी यात्रा रियायत

42. समिति ने वर्तमान पात्रता में कोई परिवर्तन किए बगैर वायु तथा रेल/सड़क यात्रा के लिए संशोधित मूल वेतन पात्रता की सिफारिश की है।

43. समिति ने सड़क मायलेज के लिए दरों की सिफारिश इस प्रकार की हैं:

(1) अपनी कार/टैक्सी से की गई यात्रा के लिए 8.00 रु. प्रति कि.मी.

(2) आटोरिक्सा/स्कूटर से की गई यात्रा के लिए 4.00 रु. प्रति कि.मी.

नोट: पुलिस/विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित पूर्व भुगतान टैक्सी प्रभार व्यवस्था के तहत अदा किए गए टैक्सी प्रभार यदि यह सेवा प्राप्त की जाती है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्ण भुगतान किया जा सकता है।

44. समिति ने विभिन्न स्टेशनों/स्थानों पर ठहरने के लिए दैनिक भत्ते की निम्नलिखित दरों की सिफारिश की है:

मूल वेतन+एन पी ए	"ए" श्रेणी के शहर	अन्य शहर
	(सामान्य दरें)	
15000 रु. और अधिक	360 रु.	340 रु.
11500-14999 रु.	310 रु.	290 रु.
9500-11499 रु.	300 रु.	275 रु.
9500 से कम रु.	275 रु.	250 रु.

45. समिति ने छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी) प्राप्त करने के समय पत्तन न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नेशनल कैरियर अथवा ए सी प्रथम श्रेणी द्वारा विमान यात्रा की सिफारिश की है। एल टी सी के लिए अन्य पात्रताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

विशेष वेतन एवं विशेष भत्ते

46. समिति ने विशेष वेतन एवं भत्तों के सभी मामलों की समीक्षा की कार्य के शुरू तथा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समिति की यह राय है कि इन पदों पर वर्तमान पद धारकों की सेवानिवृत्ति अथवा इनके द्वारा अतिरिक्त कार्यों का

निर्वहन बन्द किये जाने के पश्चात् जो भी पहले हो इन विशेष वेतन और भत्तों को जारी न रखा जाए।

समुद्री भत्ते

47. एक्टनेज भत्ते, टनेज भत्ते, मात्रा भत्तों कोल्ड मूल भत्ते और रात्रि तोलन भत्ते जैसे समुद्री भत्ते की वर्तमान दरों को 50% तक बढ़ा दिया जाए। और परिणामी अंकों को नजदीकी 5 रु. अथवा 10 रु. के पूर्ण अंकों में रखा जाए संशोधित दरें 30.6.1998 से लागू होंगी और पहले की गई 35% की वृद्धि इस वृद्धि में शामिल कर दी जाएंगी। बढ़ाई गई दरें वर्तमान मानदंडों के अनुसार लागू होंगी।

48. समिति बीमा भत्ते, टैंकर/एल पी जी भत्ते, दोहरे बैंकिंग भत्ते और मोरिंग बोया के लिए जहाज प्राप्त करने हेतु विशेष भत्ते जैसे नए भत्तों की मांग को औचित्यपूर्ण नहीं मानती है।

49. मैस भत्ते की वर्तमान दरें 1.1.1999 से 50% बढ़ा दी जाएंगी और ये नजदीकी 5 रु. और 10 रु. के पूर्ण अंक में होंगी।

50. आउट स्टेशन भत्ते के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि भुगतान और रियायतों की वर्तमान दरें जारी रहेंगी तथा अनुतदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान 1.1.1999 से 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. कर दिया है।

51. समिति ने सिफारिश की है कि 1.1.1999 से कलकत्ता में बेस से दूर रहने के लिए भत्ते का भुगतान अधिकारी के बेस से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रति दिन मूल वेतन के 1% की दर से किया जाए।

52. समिति ने सिफारिश की है कि कलकत्ता में अवरोधन भत्ते की वर्तमान दरें जो मूल वेतन का 2% / 3% है, 1.1.1999 से संशोधित मूल वेतन पर जारी रहेगी।

53. समिति ने सिफारिश की है कि हल्दिया और सौगर में जलयानों को बर्थ पर लगाने और हटाने के लिए प्रति कार्य 50 रु. की वर्तमान दर को 1.1.1999 से बढ़ाकर 100 रु. प्रति कार्य कर दिया जाएगा। नदी प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान 1.1.1999 से मूल वेतन के 15% की दर से किया जाएगा जो अधिकतम 500 रु. प्रतिमाह होगा।

54. समिति ने सिफारिश की है कि कलकत्ता में मुरिंग/अनमूरिंग की वर्तमान दरें 1.1.1999 से मूरिंग अथवा अनुमूरिंग के प्रत्येक कार्य के लिए बढ़ाकर 50 रु. कर दी जाएगी।

55. समिति ने सिफारिश की है कि कलकत्ता में निरंतर निकर्षण भत्ते की वर्तमान दर 1.1.1999 से सभी अधिकारियों के लिए बढ़ाकर 50 रु. प्रतिदिन कर दी जाएगी।

56. समिति ने सिफारिश की है कि पत्तन न्यासों और सभी पत्तनों के पायलटों द्वारा 50 : 50 भुगतान के आधार पर पायलटों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पालिसी शुरु की जाए। तथापि कलकत्ता में पत्तन न्यास द्वारा समग्र प्रिमीयम के भुगतान की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जाए। इस इंश्योरेंस में पायलट का कार्य करने वाले अन्य श्रेणी के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए।

विभिन्न पत्तनों में अलग-अलग पदों के उन्नयन की मांगें

57. समिति ने श्रेणीबद्ध संगठन तथा विभिन्न पत्तनों में पृथक पदों की वेतनमानों के उन्नयन के लिए समय-समय पर विभिन्न मांगों पर विचार किया है। इस अध्ययन में समिति ने उसमें किये गये कारणों से निम्नलिखित पदों के वेतनमान उन्नत बनाने की सिफारिश की है:

क्र.सं.	पत्तन का नाम	1.1.92 से प्रभावी संशोधन पूर्व वेतनमान रु.	1.1.97 से प्रभावी अनुशंसित वेतनमान रु.
1	2	3	4
कलकत्ता पत्तन न्यास			
1.	बायो-कैमिस्ट	4350-7500	10750-16750
चेन्नई पत्तन न्यास			
2.	एडिटर	4000-7150	9100-15100

1	2	3	4
3.	लागत लेखा अधिकारी	4350-7500	10750-16750
4.	कोर्स इंस्ट्रक्टर्स/कोर्स डेवलपर	4000-7150	9100-15100
5.	बायो कैमिस्ट	4350-7500	15750-16750
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास			
6.	वरिष्ठ जलीय सर्वेक्षक	4800-8475	13000-18250
7.	जलीय सर्वेक्षण	4000-7150	9100-15100
8.	निकर्षण अधीक्षक	7000-9900	17500-22300
पारादीप पत्तन न्यास			
9.	कनिष्ठ जलीय सर्वेक्षक	4000-7150	9100-15100
कांडला पत्तन न्यास			
10.	कार्टोग्राफर	4000-7150	9100-15100
11.	जलीय सर्वेक्षक	4000-7150	9100-15100 (पैरा 16.1 से 16.15)

58. समिति ने सभी पत्तनों में 10750-16750 रु. के वेतनमान में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के एक पद के सृजन की सिफारिश की है ताकि वर्तमान हिन्दी अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाए।

59. समिति हार्बर मास्टर (विशाखापत्तनम पत्तन न्यास) और मेडिकल स्पेशलिस्ट कलकत्ता गोदी कामगार बोर्ड के वेतनमान के संबंध में विसंगति रिपोर्ट में शामिल विसंगतियों के संशोधन की अपनी सिफारिश पुनः दोहराती है।

60. मुम्बई पत्तन न्यास ने अभ्यावेदन दिया है कि विसंगति रिपोर्ट में 4 सहायक प्रमुखों अर्थात् रेडियोलौजी, सर्जरी, अनेस्थिया और पैथोलोजी के वेतनमानों में विसंगतियां सुधार दी गई हैं किन्तु गलती से इसमें एक और सहायक मुख्य फिजिसियन को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि सहायक मुख्य फिजिसियश का मामला अन्य मामलों के समान है, इस विसंगति को दूर किया जाए।

कार्यान्वयन की तारीख और अवधि

61. 5वें वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों और न्यायमूर्ति मोहन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की तारीख को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति यह सिफारिश करती है कि संशोधित वेतनमान, महंगाई भत्ते को 100% निष्प्रभावी बनाने, प्रैक्टिसबंदी भत्ते की दरें और डिजाइन भत्ते 1.1.1997 से प्रभावित हों। समिति

की अन्य भत्तों अर्थात् मकान किराया भत्ते, पत्तन नगर भत्ते, नियत यात्रा भत्ते, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रतिपूर्ति, वर्दी भत्ते, धुलाई भत्ते, दौरे संबंधी दैनिक भत्ते, बच्चों के शिक्षा भत्ते, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, वादीनार भत्ते आदि से संबंधित सिफारिशें 1.1.1999 से लागू की जाएं। एक्टनेज भत्ते, मात्रा भत्ते, टनेज भत्ते, कोल्ड मूव भत्ते और पायलटों के लिए रात्रि तोलन भत्ते जैसे कार्य संबंधी समुद्री भत्तों की संशोधित दरें 30.6.1998 से लागू की जाएं। आउट स्टेशन भत्ते, बेस से दूरी भत्ते, अवरोधन भत्ते, मेस भत्ते, निरंतर निकर्षण भत्ते, मूरिंग और अनुमूरिंग भत्ते, नदी प्रशिक्षण भत्ते आदि जैसे अन्य समुद्री भत्तों में वृद्धि 1.1.1999 से लागू की जाए। साप्ताहिक विश्राम दिवस अथवा छुट्टियों में कार्य, सामूहिक बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना पोलिसी, यात्रा छुट्टी रियायत की संशोधित पात्रता, आवास निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम, कंज्यूमर ड्यूरेबल अग्रिम और अखबार व्यय की प्रतिपूर्ति लागू करने से संबंधित समिति की सिफारिशें आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

62. जैसाकि हमारी समिति ने सभी के लिए महंगाई भत्ते को 100 निष्प्रभावी बनाने की सिफारिश की है यह सुझाव दिया जाता है कि पत्तन और गोदी अधिकारियों के लिए अगला वेतन संशोधन 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाए अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के साथ किया जाए।

वित्तीय जटिलताएं

63. समिति की सिफारिशों का कुल अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव 26 करोड़ रु. प्रति वर्ष होगा। 1.1.1997 से 31.12.1998 तक 2 वर्ष की बकाया राशि लगभग 40 करोड़ रु. होगी। पहले भुगतान की गई अंतरिम राहत और पायलटों के कार्य संबंधी भत्ते बकाया राशि का भुगतान करते समय समायोजित किए जाएंगे।

सिफारिशें

अध्याय I–प्रस्तावना

1. पत्तन एवं गोदी अधिकारियों के वेतन संशोधन संबंधी समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट है कि यह समिति पिछली वेतन संशोधन समिति द्वारा प्रस्तुत पत्तन एवं गोदी अधिकारियों के संवर्ग के पुनर्गठन संबंधी रिपोर्ट पर विचार करेगी और वेतन संशोधन संबंधी सामान्य सिफारिशों के साथ-साथ उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

2. पत्तन न्यास और गोदी कामगार बोर्डों के साथ परामर्श करते हुए इस रिपोर्ट की जांच की गई थी तथा अखिल भारतीय महापत्तन और गोदी अधिकारी संघ तथा विभिन्न पत्तनों के अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है। (पैरा 1.2)

3. समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले इस रिपोर्ट पर 23.4.97 व 4.7.98 को नई दिल्ली में, 15.9.98 को नव मंगलूर में और 18.9.98 को मुम्बई में हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था।

अध्याय II और संवर्ग के पुनर्गठन की शुरुआत

4. महापत्तन सुधार समिति 1986 सहित विभिन्न विशेषज्ञ समितियां और निकायों ने समय-समय पर महापत्तनों में संवर्ग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया है।

5. समिति ने अपनी सिफारिश करते समय इस अध्याय में उल्लिखित लक्षणों और विशेषताओं को ध्यान में रखा है।

कार्य–निदेशक

6. महापत्तन न्यासों के बोर्डों में कार्य/कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति का मामला न तो पिछली वेतन संशोधन समिति के विचारणीय विषयों में शामिल था और न ही वर्तमान समिति के विचारणीय समिति में। महापत्तन न्यास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं हैं और उनका प्रशासन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अनुसार किया जाता है जिसमें उनके न्यासी मंडल के गठन का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में संशोधन के सुझाव देने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने एक समिति पहले ही गठित कर दी है और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

अध्याय IV–विभागों की संख्या

7. संवर्ग पुनर्गठन में यह सिफारिश की गई है कि पत्तन में विभागों की संख्या 10 तक सीमित हो अर्थात् मैरिन, यातायात, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वित्त, मानव संसाधन सचिव, सामग्री प्रबंधन, नियोजना और अनुसंधान एवं चिकित्सा। मुम्बई और कलकत्ता में एक अथवा दो और विभागों की छूट दी जा सकती है। यद्यपि यह सिफारिश सामान्य प्रणाली का आधार हो सकती है। कुछेक पत्तनों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के आधार पर उनके मामले में लचीला रुख आवश्यक है।

8. मेरिन, यातायात, वित्त, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी और सामग्री प्रबंधन विभागों की नामावली स्वतः स्पष्ट है। सचिव के विभाग की वर्तमान नाम पद्धति बदली जा सकती है और इसे सामान्य प्रशासन विभाग कहा जा सकता है। और यह बोर्ड मामले सामान्यतः प्रशासन, जन सम्पर्क, सुरक्षा, विधायी और सम्पदा कार्य (जहाँ विधायी और सम्पदा कार्य के लिए कोई अलग विभाग नहीं है) तथा संसदीय कार्य सहित अन्य सामान्य मामले देखेगा। कार्मिक, औद्योगिक संबंध, कल्याण, प्रशिक्षण, औद्योगिक विवाद, समझौता, समाधान और कार्मिक नीति तथा सेवा संबंधी सभी मामलों जैसे कि नियम और विनियम तैयार करना, उनकी व्याख्या, कार्यान्वयन सभी स्तरों के लिए केन्द्रीयकृत भर्ती, प्रशिक्षण और अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित सभी मामलों के लिए अन्य विभागों के कार्यों की तैयारी के लिए मानव संसाधन विभाग स्थापित किया जाना है। तथापि, अन्य विभाग छुट्टी, अग्रिम प्रदान करने, प्रशिक्षण की सिफारिश करने, पदोन्नति देने तथा संबंधित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में कोई मामूली दण्ड देने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने जैसे दिन-प्रतिदिन के स्थापना मामलों के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। तथापि कर्मचारियों के मामले में कोई बड़ा दण्ड लगाने की शक्ति नियोक्ता अधिकारी के पास ही होगी।

9. नियोजना अनुसंधान विभाग का नाम नियोजना, विकास और अनुसंधान विभाग होगा तथा इसके दो पक्ष होंगे एक इलैक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण और दूसरा सामान्य अनुसंधान एवं सांख्यिकी। दोनों पक्ष विभागाध्यक्ष के निर्देशन और समग्र पर्यवेक्षण में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। इस विभाग को सांख्यिकीय डाटा के संकलन, प्रबंधन, सूचना के सृजन विकास कार्यों की नियोजना और निगरानी, यातायात अनुमान, भावी विकास योजना तैयार करने और उनकी निगरानी, ई डी पी, ई डी आई, प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी, संचार कम्प्यूटरीकरण, ओ एंड एम, अन्य अध्ययन तथा पुस्तकालय का कार्य सौंपा जा सकता है।

10. सतर्कता विभाग के अधिकारी उनके विभाग में उनकी लीयन और पारस्परिक वरिष्ठता को बनाये रखते हुए प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएं। सभी पत्तनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हों तथा सीधे अध्यक्ष के अधीन कार्य करें।

11. पत्तन न्यासों में गोदी कामगारों का विलय कार्य पूरा न होने की स्थिति में पत्तन जहाँ गोदी कामगार बोर्डों का विलय हो चुका है, पत्तन न्यास के यातायात प्रबंधक के अधीन गोदी कार्मिकों के लिए एक अलग प्रभाग स्थापित कर सकते हैं।

12. चिकित्सा, मेरिन और सतर्कता को छोड़कर सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के वर्तमान पदनाम महाप्रबंधक के रूप में परिवर्तित किये जा सकते हैं और कोष्ठक में संबंधित विभाग का नाम दर्शाया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप संरक्षक एवं निदेशक (मेरिन) के वर्तमान पदनाम जारी रहें। विभागाध्यक्ष से नीचे के वर्तमान पदनाम के स्थान पर सभी पत्तनों में उनके लिए निम्नलिखित समान पदनाम और समान वेतनमान रखे जाएं:

कनिष्ठ प्रबंधक	4000-7150 रु.
सहायक प्रबंधक	4350-7500 रु.
उप प्रबंधक	4800-4875 रु.
प्रबंधक	5400-9300 रु.
वरिष्ठ प्रबंधक	7000-9900 रु.
सहायक महा प्रबंधक*	7500-10200 रु.
उप महा प्रबंधक*	8500-10600 रु.

*(श्रेणी 'क' पत्तनों में प्रथम स्तर के विभागों के लिए)

13. मुम्बई पत्तन न्यास में 13 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, वित्त, सिवील इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, मेरिन, यातायात (पूर्व-गोदी) कामगार बोर्ड के कामगारों और कर्मचारियों सहित) सामग्री प्रबंधन, नियोजना, विकास एवं अनुसंधान, चिकित्सा, सम्पदा, सतर्कता और कल्याण।

14. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने पिछले वेतन संशोधन संबंधी आदेश जारी करते समय यह निर्दिष्ट किया था कि कलकत्ता पत्तन न्यास में विभागाध्यक्षों के सभी पद कलकत्ता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी परिसर के लिए होंगे। सी डी एस और एच डी सी दोनों के एक ही विभागाध्यक्ष के मामले पर सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था और गहन जांच की गई थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी पत्तनों के लिए अनुशासित समान व्यवस्था कलकत्ता पत्तन के लिए पूर्णतः लागू नहीं की जा सकती क्योंकि लगभग 150 कि.मी. की दूरी पर 2 भिन्न गोदी प्रणालियां कार्यरत हैं। इसलिए एच डी सी की

शुरुआत से ही दी गई छूट जारी रहे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सी डी एस और एच डी सी के लिए अलग-अलग उपाध्यक्ष रखने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहे।

15. कलकत्ता पत्तन न्यास में 15 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, वित्त, यातायात, मैरिन, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, हाईड्रोलिक अध्ययन, चिकित्सा, नियोजना, विकास और अनुसंधान, सम्पदा, प्रचालन, प्रबंधन एवं सेवाएं, सतर्कता और सामग्री प्रबंधन। कलकत्ता पत्तन न्यास में विधायी विभाग को अधिसूचित कर दिया जाय। एच ओ डी की तैनाती अर्थात् हल्दिया में और कलकत्ता में शेष 13 विभागों में प्रचालन और प्रबंधन एवं सेवाएं। कलकत्ता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी परिसर के अधिकारी एच ओ डी स्तर पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र होंगे।

16. चेन्नई पत्तन न्यास में 10 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, वित्त, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, यातायात, मैरिन, चिकित्सा, सामग्री प्रबंधन और योजना, विकास और अनुसंधान।

17. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में 10 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, वित्त, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, मैरिन, यातायात, सामग्री प्रबंधन, योजना विकास एवं अनुसंधान तथा चिकित्सा।

18. जवाहर लाल नेहरू पतन न्यास में 9 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, यातायात, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, मैरिन, वित्त, चिकित्सा तथा विधायी एवं सम्पदा विभाग।

19. कांडला पत्तन न्यास में 11 विभाग हो सकते हैं अर्थात् सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, मैरिन, वाडीनार अपतटीय तेल टर्मिनल, सामग्री प्रबंधन योजना, विकास एवं अनुसंधान तथा चिकित्सा विभाग।

20. कोचीन पत्तन न्यास के नौ विभाग होंगे अर्थात्, सामान्य प्रशासन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरिंग, मैक. इंजीनियरिंग, मैरीन, चिकित्सा, सामग्री प्रबंधन तथा योजना, विकास एवं अनुसंधान।

21. मुरगांव पत्तन न्यास के नौ विभाग होंगे अर्थात् सामान्य प्रशासन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी, मैरीन, सामग्री प्रबंधन, चिकित्सा तथा योजना, विकास एवं अनुसंधान।

22. पारादीप पत्तन न्यास के नौ विभाग होंगे। अर्थात् सामान्य प्रशासन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरिंग, मैरीन, चिकित्सा, सामग्री प्रबंधन तथा योजना, विकास एव अनुसंधान। इसके अतिरिक्त क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग वर्कर्स की प्रबंध समिति का अध्यक्ष एच ओ डी स्तर का होगा।

23. टूटीकोरिन पत्तन न्यास के सात विभाग होंगे, अर्थात् सामान्य प्रशासन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी, मैरीन और चिकित्सा।

24. नव मंगलूर पत्तन न्यास के सात विभाग होंगे अर्थात् सामान्य प्रशासन, वित्त, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी, मैरीन तथा चिकित्सा।

25. जहां-जहां 10 विभागों की सिफारिश नहीं की गई है, वहां वर्तमान वेतन संशोधन के बारे में सरकारी आदेश जारी होने के छह महीने से एक वर्ष के भीतर विभागीय कामकाज करने के लिए अधिकारियों के केन्द्र के साथ प्रभाग का गठन किया जाये। ऐसे सभी मामलों में सन् 2001 के अंत अर्थात् वर्तमान वेतन संशोधन अवधि की समाप्ति तक परिपूर्ण विभाग का गठन किया जाए।

26. आयात और निर्यात व्यापार बढ़ाने तथा अंतराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन के बदलते माहौल में महापत्तन न्यासों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए प्रौद्योगिकी और उपस्करों को उन्नत तथा आधुनिक बनाने, मानव संसाधन की गुणता को बेहतर बनाने, श्रमिक उत्पादकता में सुधार लाने, विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए आई एस ओ प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा पर्यावरण के प्रदूषण के मामले में अत्यधिक संवेदनशील रुख अपनाने की आवश्यकता है। इसका यह तात्पर्य होगा कि समिति द्वारा प्रस्तावित कार्डर पुनर्गठन ''अंतिम कार्य'' नहीं हो सकता क्योंकि नई चुनौतियों का सामना करने तथा बदलती हुई प्रौद्योगिकी के मद्देनजर पत्तनों को संगठनात्मक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करनी पड़ेगी।

विभागाध्यक्षों का वेतनमान

27. समझौते की शर्तों के अनुसार समिति को अपनी सिफारिश करते समय पत्तनों के वर्गीकरण पर सरकारी निर्णय को ध्यान में रखना होगा। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बोर्ड स्तर के पदों के वेतनमानों के निर्धारण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अनुसूची ''ए'', ''बी'', ''सी'' और ''डी'' में वर्गीकरण किया गया है।

28. सरकार ने मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, जवाहर लाल नेहरू और कांडला पत्तनों को अनुसूची ''ए'' में वर्गीकृत

करने तथा कोचीन, मुरगांव पारादीप, टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तन को अनुसूची "बी" में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। विभागाध्यक्षों के वेतनमान निर्धारित करने के लिए विभागाध्यक्षों का स्तर-I, तथा स्तर-II में समूहीकरण किया जाना चाहिए।

29. कार्डर पुनर्गठन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि मैरीन, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी, यातायात, वित्त, प्रशासन, मानव संसाधन और जलराशिक अध्ययन (केवल कलकत्ता में) के विभागाध्यक्षों को स्तर-I का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि चिकित्सा, योजना एवं अनुसंधान और सामग्री प्रबंधन के विभागाध्यक्षों को स्तर-II का दर्जा दिया जाए। स्तर-I के विभागाध्यक्षों के लिए इस सिफारिश पर सहमति व्यक्त करते हुए हम यह सिफारिश करते हैं कि चिकित्सा तथा योजना, विकास तथा अनुसंधान विभागों, जहां भी फिलहाल ये दो अलग-अलग पक्ष हों अर्थात् अनुसंधान पक्ष और ई डी पी पक्ष स्तर-I विभागों के रूप में, उनका समूहीकरण किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सामग्री प्रबंधन और योजना विभाग, विकास और अनुसंधान विभागों की जहां भी नई स्थापना की जानी है अथवा जहां फिलहाल उनके पास केवल एक पक्ष मौजूद है, उन्हें स्तर-II विभागों के रूप में समूहीकृत किया जाए।

30. काडर पुनर्गठन रिपोर्ट उप संरक्षकों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की है:

(1)	उप संरक्षक, मुम्बई/ कलकत्ता में निदेशक, मैरीन	रु. 10000-400-12000
(2)	विशाखापत्तम, चेन्नई, जे.एन.पी.टी. और कांडला जैसे अनुसूची "ए" पत्तनों में उप संरक्षक	रु. 9500-11500
(3)	कोचीन, मुरगांव, पारादीप, टूटीकोरिन और नव मंगलूर अनुसूची "बी" पत्तनों में उप संरक्षक	रु. 8500-10600

उप संरक्षकों द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नौवहन की सुरक्षा और पत्तनों का संरक्षण, तथा मर्चेन्ट नेवी में उनके समुद्री अनुभव तथा 1.1.92 से पहले अधिकांश पत्तनों में उनके उच्चतर वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए समिति ने उप संरक्षकों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की है:

(1)	निदेशक मैरीन, कलकत्ता और अनुसूची "ए" के सभी पत्तनों के उप संरक्षक	रु. 10000-400-12000
(2)	सभी अनुसूची "बी" पत्तनों के उप संरक्षक	रु. 9500-400-11500

31. मुम्बई में संपदा, सतर्कता और कल्याण विभागों तथा कलकत्ता में सतर्कता तथा संपदा विभागों और जे.एम.पी.टी. में विधि तथा संपदा विभागों को स्तर-II विभागाध्यक्षों के रूप में समूहीकृत करके उन्हें रु. 8500-10600 का वेतनमान दिया जाए।

32. विभिन्न महापत्तनों में उप संरक्षकों तथा निदेशक मैरीन के अलावा विभागाध्यक्षों का वेतनमान इस प्रकार होगा:

	1	2
(1)	मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम जे एन पी टी और कांडला पत्तनों के म.प्र. (प्रचालन), म.प्र. (प्रबंध सेवा) हल्दिया, महा. प्रबंधक वदीनार, सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी, वित्त, चिकित्सा विभागों के विभागाध्यक्ष	रु. 9500-400-11500
(2)	मुम्बई और विशाखापत्तम पत्तनों में योजना, विकास एवं अनुसंधान विभागों के विभागाध्यक्ष	रु. 9500-400-11500

	1	2
(3)	कलकत्ता पत्तन में जलराशिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष	रु. 9500-400-11500
(4)	कोचीन, मुरगांव, पारादीप, टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तन में सामान्य प्रशासन, यातायात, सिविल इंजीनियरी, मैक. इंजीनियरी वित्त और चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष	रु. 8500-300-10600
(5)	मुरगांव पत्तन में योजना, विकास और अनुसंधान विभाग के विभागाध्यक्ष	रु. 8500-300-10600
(6)	मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कांडला पत्तनों में सामग्री प्रबंधन विभाग और कलकत्ता में योजना, विकास एवं अनुसंधान विभाग (कम्प्यूटर सैट-अप बगैर) के विभागाध्यक्ष	रु. 8500-300-10600
(7)	कोचीन, मुरगांव और पारादीप पत्तनों में सामग्री प्रबंधन के विभागाध्यक्ष	रु. 8250-300-10350
(8)	मुम्बई और कलकत्ता में संपदा और सतर्कता विभाग तथा जे एन पी टी में संपदा विभाग और मुम्बई में कल्याण विभाग के विभागाध्यक्ष	रु. 8500-300-10600.
(9)	कलकत्ता और कांडला पत्तनों में प्रस्तावित योजना, विकास एवं अनुसंधान विभाग के विभागाध्यक्ष	रु. 8500-300-10600
(10)	कोचीन और पारादीप पत्तनों में प्रस्तावित योजना, विकास एवं अनुसंधान विभाग के विभागाध्यक्ष	रु. 8250-300-10350
(11)	अध्यक्ष, प्रबंध समिति, पारादीप पत्तन	रु. 8250-300-10350

33. रिपोर्ट में दर्शाए गए वेतनमान संशोधन पूर्व वेतनमान हैं तथा उन विभागाध्यक्षों को, जो 1.1.1997 को पद पर तैनात थे, 1.1.97 से संशोधित वेतनमान दिये जायेंगे तथा उन विभागाध्यक्षों को, जिनकी बाद में नियुक्ति हुई है, पदभार ग्रहण करने की तारीख से संशोधित वेतनमान दिये जायेंगे।

ए:बी:सी:डी विश्लेषण तथा विभिन्न वेतनमानों में पदों का पुन: वितरण

34. काडर पुनर्गठन रिपोर्ट में ए: बी : सी : डी के आधार पर रु. 4350-7500, रु. 4800-8475, रु. 5400-9300 और रु. 6500-6425 के वेतनमानों में 40:30:20:10 के अनुपात में पदों के पुन: वितरण की सिफारिश की है। समिति ने मुम्बई और कलकत्ता में सुरक्षा, अग्रिम, विधिक, सिक्यूरिटी, बागवानी इत्यादि जैसे पृथक वर्गों और मुम्बई तथा कलकत्ता में आउटडोर इंजीनियरों और मैरीन अधिकारियों को उपरोक्त ए : बी : सी : डी विश्लेषण से अलग रखने की सिफारिश की है। केवल नियमित काडर के पदों को ध्यान में रखा गया है। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ए : बी : सी : डी विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त संशोधनों तथा मामूली सुधार के साथ पदों के पुन: वितरण की सिफारिश को स्वीकार करने में अधिक लाभ है।

35. समिति इस बारे में सहमत है कि काडर पुनर्गठन रिपोर्ट की यह सिफारिश कि रु. 5400-9300 के वेतनमान में फीडर पद के लिए पदोन्नति रु. 7000-9900 के वेतनमान में होनी चाहिए क्योंकि वर्तमान पदोन्नति वेतनमान अर्थात् रु. 6500-6425 औचित्यपूर्ण नहीं है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे अधिकारियों को, जो 1.1.1997 से पहले रु. 5400-9300 के वेतनमान में फीडर पद से रु. 6500-6425 वेतनमान में पदोन्नति किये गये थे और अभी भी उसी वेतनमान में हैं, उन्हें 1.1.97 से रु. 7000-9900 का वेतनमान दे दिया जाए।

36. समिति ने विभागाध्यक्ष और उससे एकदम निचले पद के वेतनमानों में मौजूद काफी अंतर को नोट किया है तथा यह सिफारिश की है कि विभागाध्यक्षों के निचले पद पर तैनात अधिकारियों को अनुसूची ''ए'' पत्तनों में लागू रु. 8500-10600 का वेतनमान दिया जाए ताकि सक्षम, विकसित और कुशल अधिकारियों को आकर्षित किया जा सके।

37. अनुसूची ''ए'' पत्तनों के स्तर-I विभागों और अनुसूची ''ए'' पत्तनों के स्तर-II विभागों की पदानुक्रम पद्धति में एकरूपता बनाए रखने के लिए समिति ने अनुसूची ''बी'' पत्तनों के स्तर-I विभागों में विभागाध्यक्षों के नीचे रु. 750-10200 के वेतनमान को हटाने की सिफारिश की है।

38. समिति ने मैक. इंजीनियरों और इलै. इंजीनियरों के बीच अंतर रखा है क्योंकि उनकी पदोन्नति के चैनल अलग-अलग हैं और समिति ने इनके लिए वरिष्ठ प्रबंधकों के स्तर तक अलग-अलग संशोधित स्ट्रक्चर की सिफारिश की है। इससे ऊपर दोनों वर्ग एक स्ट्रीम में आमेलित कर दिये जाने के बाद उनकी आगे पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। समिति ने उन पत्तनों न्यासों के अध्यक्षों को विवेकाधिकार दिया है जहां मैक. तथा इलै. इंजीनियरों के लिए एक समान वरिष्ठता रखने की परम्परा मौजूद है।

39. समिति ने यह सिफारिश की है कि महा प्रबंधक (योजना, विकास तथा अनुसंधान के स्तर पर पदोन्नति हेतु अनुसंधान और ई डी पी दोनों प्रभागों के अधिकारियों में से विचार किया जाना चाहिए।

40. समिति द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित चिकित्सा ढांचे में साधारण ड्यूटी चिकित्सक तथा विशेषज्ञ शामिल हैं। साधारण ड्यूटी चिकित्सक जैसे उच्चतर पदों पर पदोन्नति सभी चिकित्सा अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर की जाए, बेशक उनकी योग्यता कुछ हो। विशिष्ट वर्गों में उच्चतर पद अपेक्षित विशिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से की जाए, बेशक उनकी वरिष्ठता कुछ भी हो।

41. जहां 5 से अधिक विशेषज्ञ हों वहां औषध, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आर्थोपीडिक्स विभाग में कम से कम एक विशेषज्ञ अवश्य होना चाहिए। यदि विशेषज्ञों की संख्या 5 से कम हो तो विशेषज्ञ इनमें से किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। यदि आर्थोपीडिक्स विभाग चालू करना व्यवहार्य न हो, तो इस क्षेत्र में अतिथि-परामर्शदाता के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

42. कुछेक पत्तनों में पत्तन कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी चिकित्सा सुविधा दी जाती और उनसे इसके

बदले शुल्क/प्रभार वसूला जाता है। यह सिफारिश की जाती है कि इस प्रकार वसूली गई राशि को अस्पताल सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक अलग निजी लेजर खाते (पीएलए) में डाला जाए। पत्तन अस्पतालों में लांडरी और सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

43. गैर-काडर पदों को काडर में शामिल करने के उद्देश्य से समिति ने सहायक इंजीनियर (इलै.) को इलै. इंजीनियरों के काडर में, चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) को चिकित्सा विभाग में और जन संपर्क अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग में शामिल करने की सिफारिश की है। लागत लेखा अधिकारी को वित्त विभाग की मुख्य पदक्रम स्कीम में शामिल कर लिया गया है। सहायक वास्तुविक, सहायक नगर आयोजना अधिकारी, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी और वरिष्ठ मैरिन सर्वेक्षक (जो सिविल इंजीनियरी में अर्हता रखते हों) के पदों को सिविल इंजीनियरी काडर में शामिल कर लिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों और मैक. इंजीनियरों को मैक. इंजीनियरी विभाग में शामिल कर लिया गया है। विशाखापत्तनम पत्तन के मैक. इंजीनियरी विभाग ने सहायक कार्यपालक इंजीनियर से ऊपर के स्तर पर 1976 से ही अयस्क हैंडलिंग प्लांट में अधिकारियों का सैट-अप है। इन्नर हार्बर अधिकारियों का पदक्रम भिन्न है। हमारी समिति यह सिफारिश करती है कि इन्नर हार्बर और अयस्क हैंडलिंग प्लांट दोनों के लिए सामान्य काडर बनाया जाए।

44. पत्तन न्यासों में निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुसूची "ए" पत्तनों में रु. 5400-9300 के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिवों के पद तथा अनुसूची "बी" पत्तनों में रु. 4800-4875 के वेतनमान में यह पद सृजित किये जाएं। ऐसे वरिष्ठ निजी सचिव स्नातक उपाधि धारकों तथा आशुलिपि तथा टंकण में क्रमश: 120/40 शब्द प्र.मि. कार्य करने में सक्षम हों। कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान वांछनीय है।

45. ए:बी:सी:डी विश्लेषण के आधार पर समिति ने विभिन्न पत्तनों में अलग-अलग विभागों के एक संशोधित ढांचे की सिफारिश की है:

प्रभागों का पदानुक्रम ढांचा (सैट-अप)

योजना, विकास एवं अनुसंधान प्रभाग

46. फिलहाल टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तन में पृथक् योजना, विकास तथा अनुसंधान विभाग नहीं होगा। इन दो पत्तनों के लिए योजना, विकास तथा अनुसंधान प्रभाग के मामले में निम्नलिखित प्रभागीय ढांचे की सिफारिश की गई है:

पदों का नाम	वेतनमान	पद संख्या ई डी पी	अनुसंधान
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-4875	1	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1	1
कनिष्ठ प्रबंधक	रु. 4000-7150	2	2

यह प्रभाग वित्त विभाग के तहत कार्य करेगा।

सामग्री प्रबंधन प्रभाग

47. फिलहाल टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तनों में सामग्री प्रबंधन प्रभाग नहीं होगा। इन दो पत्तनों के लिए निम्नलिखित प्रभागीय ढांचे की सिफारिश की गई:

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
		टूटीकोरिन	नव मंगलूर
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1	1
उप प्रबंधक	रु. 4300-4875	3	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	8	2
कनिष्ठ प्रबंधक	रु. 4000-7150	3	4
		15	8

यह सिफारिश की जाती है कि यह प्रभाग मैक. इंजीनियरी विभाग के एक भाग के रूप में कार्य करेगा और इस प्रभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी तैनात किये जाएं जो पदोन्नति इत्यादि के प्रयोजन से संबंधित विभाग में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रख सकते हैं।

संपदा प्रभाग

48. उन पत्तनों में जहां अलग संपदा प्रभाग नहीं है वहां स्टाफ में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता महसूस की गई और विभिन्न पत्तनों में संपदा प्रभाग के लिए निम्नलिखित ढांचे की सिफारिश की गई है:

विशाखापत्तम, कांडला और पारादीप के लिए		
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1
कनिष्ठ प्रबंधक	रु. 4000-7150	1
चेन्नई, कोचीन, मुरगांव, टूटीकोरिन और नव मंगलूर के लिए		
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1
कनिष्ठ प्रबंधक	रु. 4000-7150	1

49. संपदा प्रभाग सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कार्य करेगा। संपदा प्रभाग में एक अधिकारी की पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर तक उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। तदुपरान्त उसे उस विभाग में पदोन्नति के प्रयोजन से सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष वेतनमान में उसके प्रतिस्थानी अधिकारियों के साथ उसे भी पात्र माना जायेगा।

विधि प्रभाग

50. विधि प्रभाग का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग के तहत रखा जाए। पत्तनों में बढ़ते हुए कानूनी कामकाज और बी ओ टी आधार पर गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा बर्थों के निर्माण के संबंध में आगामी पट्टा करारों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विधि प्रभाग में सुशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति तैनात हों। उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए विधिक प्रभाग में निम्नलिखित ढांचे की सिफारिश की गई है:

पदनाम	वेतनमान	पद सं.
(1) मुम्बई के लिए		
उप महा प्रबंधक	रु. 8500-10600	1
वरिष्ठ प्रबंधक	रु. 7000-9900	1
प्रबंधक	रु. 5400-9300	2
उप प्रबंधक	रु. 4800-4875	3
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	3
		10
(2) कलकत्ता के लिए		
उप महाप्रबंधक	रु. 8500-10600	1
वरिष्ठ प्रबंधक	रु. 7000-9900	1
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-4875	2
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	2
		7

पदनाम	वेतनमान	पद सं.
(3) चेन्नई, विशाखापत्तनम और कांडला के लिए		
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	2
(4) कोचीन, मुरगांव, पारादीप, टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तनों के लिए		
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1

51. पत्तन में उपलब्ध (स्टाफ) कुल व्यक्तियों को, जो कानूनी योग्यता और अनुभव रखते हों, उन्हें प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि पत्तन स्टाफ में अर्हक व्यक्ति उपलब्ध न हों, केवल उस स्थिति में सीधे भर्ती के जरिए ये पद भरे जाएं।

सतर्कता प्रभाग

52. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय पत्तनों के सतर्कता संबंधी ढांचे के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके जांच कर रहा है और उनके द्वारा प्रस्तावित ढांचे को सभी पत्तन न्यासों के परामर्श से जांच की जा रही है तथा विभिन्न पत्तनों के लिए निम्नलिखित सतर्कता ढांचे की सिफारिश की गई है:

(1) चेन्नई, विशाखापत्तनम, कांडला और जवाहर लाल नेहरू पत्तन

पदनाम	वेतनमान	पद सं.
1	2	3
मुख्य सतर्कता अधिकारी	रु. 8250-10350 पत्तन वेतन रु. 14300-18300 केन्द्र सरकार का वेतनमान	1
सतर्कता अधिकारी	रु. 5400-9300	2
कनिष्ठ सतर्कता अधिकारी	रु. 4000-7150	2
सतर्कता सहायक	रु. 2650-5430	1

1	2	3
आशुलिपिक	रु. 2650-5430	1
लेखाकार	रु. 2425-4760	1
चपरासी	रु. 2010-2830	3
		11
(2) मुरगांव, पारादीप, टूटीकोरिन, कोचीन एवं नव मंगलूर पत्तन		
मुख्य सतर्कता अधिकारी	रु. 7500-10200 पत्तन वेतन रु. 1200-16500 केन्द्र सरकार का वेतनमान	1
सतर्कता अधिकारी	रु. 5400-9300	1
कनिष्ठ सतर्कता अधिकारी	रु. 4000-7150	1
सतर्कता सहायक	रु. 2650-5430	1
आशुलिपिक	रु. 2650-5430	1
लेखाकार	रु. 2425-4760	1
चपरासी	रु. 2010-2830	1
		7

53. मुख्य सतर्कता अधिकारी सीधे अध्यक्ष के तहत कार्य करेगा। जहां तक संभव हो, अधिकारी तथा स्टाफ पत्तन न्यासों के अन्य विभागों से लिए जा सकते हैं। तथापि, समिति ने यह नोट किया है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक सांविधिक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया है। अतः यह सुझाव है कि महापत्तनों के लिए सतर्कता ढांचे का गठन किया जाए और यदि आवश्यक हो, इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लिया जाए।

मानव संसाधन प्रभाग

54. कोचीन, मुरगांव, परादीप, टूटीकोरिन और नव मंगलूर पत्तनों में फिलहाल पृथक मानव संसाधन प्रभाग नहीं होगा। अतः पत्तन उद्योग के श्रमिक प्रधान स्वरूप तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता, तथा गोदी श्रमिक मंडलों के पत्तन न्यासों में प्रस्तावित विलय को भी ध्यान में रखते हुए पत्तनों

में निम्नलिखित मानव संसाधन ढांचे की सिफारिश की गई है:

(1) कोचीन, मुरगांव, पारादीप और टूटीकोरिन पत्तन

वरिष्ठ प्रबंधक	रु. 7000-9900	1
प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1

(2) नव मंगलूर पत्तन

प्रबंधक	रु. 5400-9300	1
उप प्रबंधक	रु. 4800-8475	1
सहायक प्रबंधक	रु. 4350-7500	1

55. मानव संसाधन प्रभाग सामान्य प्रशासन विभाग में एक पृथक प्रभाग के रूप में कार्य करेगा।

56. सिफारिश के अनुसार, नए प्रभागों का सृजन करते समय अन्य विभागों से वर्तमान स्टाफ की पुन: तैनाती करके श्रेणी III/IV की अतिरिक्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जाएगी, और सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।

पत्तनों में कनिष्ठ श्रेणी-I काडर में सीधी भर्ती

57. आर्थिक उदारीकरण के कारण पत्तन को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का सामना करने में सक्षम व्यवसायी आकर्षित करने की आवश्यकता के मद्देनजर समिति ने यह सिफारिश की है:

(1) सभी विभागों में कार्यपालकों की नियुक्ति प्रविष्टि स्तर पर श्रेणी-1 (रु. 4350-7500) से नीचे न की जाए।

(2) प्रबंधकीय काडर में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता होगी-प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ-साथ सामान्य क्षेत्र अथवा किसी व्यवसायिक क्षेत्र (इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य अकाऊंटेसी सहित) इत्यादि में स्नातकोत्तर उपाधि, तथा मैरिन अधिकारियों के लिए एम ओ टी प्रमाणपत्र।

(3) श्रेणी-I प्रवेश स्तर के $66^2/_3$ प्रतिशत पद प्रतियोगितात्मक परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। उपाधिधारक विभागीय उम्मीदवारों को सीधी भर्ती कोटा के लिए खुले बाजार के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए और उनके मामलों में स्नातक स्तर पर श्रेणी की शर्त और आयु संबंधी सीमा लागू नहीं होगी।

(4) श्रेणी-I प्रवेश स्तर के $33^1/_3$ प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे और सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यता और आयु-सीमा पर बिना हठ किए चयन लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के जरिए किया जाएगा। तथापि, यह सब समुद्री और चिकित्सा विभागों के माम्ले में लागू नहीं होगा जहां अपेक्षित योग्यता का होना आवश्यक है।

(5) सीधी भर्ती और पदोन्नति के जरिए आए व्यक्तियों के लिए पत्तन के विभिन्न विभागों में एक महीने के लिए सेवाकालीन अभिविन्यास पाठ्यक्रम करना आवश्यक होगा ताकि उनको पत्तन कार्य-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हो सके।

(6) इसके अतिरिक्त, सीधी भर्ती और पदोन्नति के जरिए आए सभी व्यक्ति आई आई पी एम/एन आई पी एम में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करने पर ही उनकी सेवा में पुष्टि की जाएगी। सेवा में पुष्टि करने के लिए यह भी एक पूर्वापेक्षा होनी चाहिए।

मैरीन सेवाएं

58. संवर्ग पुनर्संरचना रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों और अधिकारियों के परिसंघ और अधिकारियों के विभिन्न अन्य एसोसिएशनों द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर मैरीन अधिकारियों

की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतनमान उनकी अनिवार्य योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए संस्तुत किये गये हैं। कलकत्ता को छोड़कर सभी पत्तनों में विभिन्न मैरीन श्रेणियों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की गई है:

पद का नाम		अनुसूची "क" पत्तनों के लिए संस्तुत वेतनमान	अनुसूची "ख" पत्तनों के लिए संस्तुत वेतमान
1		2	3
क. डैक अधिकारी			
(1)	अप्रमाणिक डैक अधिकारी और 4-वर्षीय सैंडविच डिप्लोमा धारकों के लिए प्रवेश	4000-7150 रु.	4000-7150 रु.
(2)	द्वितीय मेट विदेशगामी/ होम ट्रेड मेट के लिए प्रवेश	4350-7500 रु.	4350-7500 रु.
(3)	मेट विदेशगामी और होम ट्रेड मास्टर्स के लिए प्रवेश	4800-8475 रु.	4800-8475 रु.
(4)	मेट एफ जी/मास्टर एच टी के लिए पदोन्नति	5400-9300 रु.	5400-9300 रु.
(5)	निर्धारित योग्यता के रूप में मास्टर (एफ जी) प्रमाण-पत्र के साथ पायलटेज (पायलट) और अन्य मैरीन सेवाओं के लिए मास्टर मैरीनर (एफ जी)	6500-9425 रु.	6500-9425 रु.
(6)	डॉक मास्टर्स/मास्टर पायलट (मुम्बई)	7500-10200 रु.	7500-10200 रु.
(7)	हार्बर मास्टर्स	8500-10600 रु.	8250-10350 रु.
(8)	उप संरक्षक	10000-12000 रु.	9500-11500 रु.

1		2	3
ख. इंजीनियरी साइड			
(1)	अप्रमाणित मैरीन इंजीनियरों और 4-वर्षीय सैंडविच डिप्लोमा धारकों के लिए प्रवेश	4000-7150 रु.	4000-7150 रु.
(2)	अंतर्देशीय प्रमाण-पत्र के साथ मैरीन इंजीनियरों, मैरीन प्रमाण-पत्र के बिना डी एम ई टी स्नातक इंजीनियरों और स्नातकोत्तर एक-वर्षीय मैरीन प्रशिक्षुता के साथ मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल डिग्री इंजीनियरों के लिए प्रवेश	4350-7500 रु.	4350-7500 रु.
(3)	द्वितीय श्रेणी एम ओ टी प्रमाण-पत्र के साथ मैरीन इंजीनियरों के लिए प्रवेश, प्रभारी इंजीनियर (अंतर्देशीय इंजीनियर)	4800-8475 रु.	4800-8475 रु.
(4)	द्वितीय श्रेणी एम ओ टी इंजीनियरों, द्वितीय श्रेणी इंजीनियरों सी 1-अंतर्देशीय जलयान के लिए पदोन्नति	5400-9300 रु.	5400-9300 रु.
(5)	एम ओ टी प्रथम श्रेणी इंजीनियरों के लिए प्रवेश	6500-9425 रु.	6500-9425 रु.
(6)	मुख्य इंजीनियर सी-1 अंतर्देशीय जलयान/मुख्य इंजीनियर/प्रथम श्रेणी एम ओ टी इंजीनियरों के लिए पदोन्नति	7000-9900 रु.	7000-9900 रु.

मुम्बई पत्तन में कुछ ऐसे पद हैं जो ऊपर संस्तुत किए गए चार्ट में नहीं आते हैं और वे इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	वरिष्ठ डॉक मास्टर	8250-10350 रु.
2.	निकर्षण अधीक्षक	7500-10200 रु.
3.	वरिष्ठ निकर्षण मास्टर	7000-9900 रु.

समिति ने सिफारिश की है कि इन पदों के लिए मौजूदा वेतनमान जारी रहेंगे।

59. समिति ने होम ट्रेड प्रमाण-पत्र धारक बर्थिंग मास्टर्स के वेतनमान के उन्नयन के लिए अभ्यावेदनों पर विचार किया। इस बात के मद्देनजर कि होम ट्रेड प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष के समुद्री अनुभव की आवश्यकता होती है और इस तथ्य को भी ध्यान रखते हुए कि कलकत्ता में इन-हाउस प्रशिक्षित बर्थिंग मास्टर्स के लिए केवल तीन वर्ष के समुद्री प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, समिति ने मुम्बई पत्तन में बर्थिंग मास्टर्स और उनकी पदोन्नत श्रेणियों के लिए निम्नलिखित वेतनमान संस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	होम ट्रेड प्रमाण-पत्र के साथ बर्थिंग मास्टर	5400-9300 रु.
2.	सहायक डॉक मास्टर	6500-9425 रु.
3.	वरिष्ठ सहायक डॉक मास्टर/ पत्तन विभाग निरीक्षक	7000-9900 रु.

60. कलकत्ता में इन-हाउस प्रशिक्षित बर्थिंग मास्टर्स और उनके पदोन्नत पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान दिए जाएं:

1	2	3
(1)	इन-हाउस प्रशिक्षण को पूरा होने पर नए प्रवेशकों के लिए	4350-7500 रु.
(2)	मौजूदा बर्थिंग मास्टर्स जो 4350-8475 रु. के वेतनमान में थे और बर्थिंग मास्टर्स के रूप में जिनकी 5 वर्ष से कम सेवा है	4800-8475 रु.
(3)	मौजूदा पदधारी और बर्थिंग मास्टर्स के रूप में 5 साल की सेवा पूरी होने	5400-9300 रु.

1	2	3
	पर नए प्रवेशकों तथा होम ट्रेड प्रमाण-पत्र के साथ बर्थिंग मास्टर्स के लिए	
(4)	सहायक डॉक मास्टर	6500-9425 रु.
(5)	उप डॉक मास्टर	7000-9900 रु.

61. मैरीन इंजीनियरों में पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि सभी पत्तनों में मुख्य इंजीनियर (मैरीन) का पद 1 : 2 के अनुपात में सृजित किया जाए और नए सृजित पद के लिए यथा पदोन्नत मैरीन इंजीनियर वही कार्य करते रहेंगे जो उन्हें निचली श्रेणी में दिया गया था।

मौजूदा मैरीन तंत्र में संवर्धन करने के उद्देश्य से और मैरीन श्रेणियों के पदोन्नति अवसरों में सुधार करने के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित उपाय संस्तुत किये गये हैं:

(1) कांडला, मुरगांव, तूतीकोरिन और नव मंगलूर पत्तनों में पायलट और हार्बर मास्टर के बीच अंतर है, 7500-10200 रु. के वेतनमान में डॉक मास्टर्स के 2 पद दिए जाएं।

(2) विशाखापत्तनम में डॉक मास्टर्स के 4 पदों के वेतनमान को 7000-9900 रु. से बढ़ाकर 7500-10200 रु. कर दिया जाए ताकि वह मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और कोचीन पत्तनों के बराबर के स्तर पर आ जाएं।

(3) कांडला, मुरगांव, तूतीकोरिन, नव मंगलूर और पारादीप पत्तनों पर हार्बर मास्टर्स 8250-10350 रु. के वेतनमान में होने चाहिएं और चेन्नई तथा विशाखापत्तनम में हार्बर मास्टर्स को 8500-10600 रु. का वेतनमान दिया जाए।

हमारी समिति भी उपर्युक्त सिफारिशों का पृष्ठांकन करती है, केवल हार्बर मास्टर, कांडला पत्तन को छोड़कर जोकि 8500-10600 रु. के वेतनमान में होगा।

62. कलकत्ता पत्तन में मैरीन विभाग, जिसमें 5 स्वतंत्र अनुभाग शामिल हैं, के संवर्धन के उद्देश्य से कलकत्ता में उप निदेशक, मैरीन विभाग के बदले में 9500-11500 रु. के वेतनमान में अपर निदेशक (मैरीन) के एक पद का सृजन करने की आवश्यकता है।

63. हल्दिया डॉक परिसर में मैरीन तंत्र में संवर्धन करने के उद्देश्य से 9500-11500 रु. के वेतनमान में अपर निदेशक 9मैरीन) का एक पद सृजित किया जाए।

64. निर्धारित योग्यता और कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में रेडियो अधिकारी के संबंध में भावी ढांचा इस प्रकार निर्धारित किया जाए:

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	मुख्य रेडियो अधिकारी	5400-9300 रु.	1
2.	उप मुख्य रेडियो अधिकारी	4800-8475 रु.	1
3.	वरिष्ठ रेडियो अधिकारी	4350-7500 रु.	8
4.	रेडियो अधिकारी	4000-7150 रु.	17

65. यद्यपि वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (शुष्क गोदी) का पद सहायक प्रबंधक (शुष्क गोदी) के पद से प्रोन्नत पद है, दोनों पद 4800-8475 रु. के वेतनमान में हैं और वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (शुष्क गोदी) 100 रु. प्रतिमाह का प्रभार वेतन प्राप्त करता है। पदोन्नत पद के लिए अधिक वेतनमान देने के औचित्य को देखते हुए समिति ने इन श्रेणियों के लिए निम्नलिखित ढांचे की सिफारिश की है:

	मौजूदा पद नाम और वेतनमान	संस्तुत पद नाम और वेतनमान
1.	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (शुष्क गोदी) 4800-8475 रु+100 रु. प्रति माह का प्रभार वेतन-2 पद	प्रबंधक (शुष्क गोदी) 5400-9300 रु. (बिना किसी प्रभार वेतन के)-2 पद
2.	सहायक प्रबंधक (शुष्क गोदी) 4800-8475 रु-3 पद	उप प्रबंधक (शुष्क गोदी) 4800-8475 रु.-3 पद

66. वर्तमान में मुख्य हाईड्रयूलिक इंजीनियर के तहत 26 कार्मिकों का एक कम्प्यूटर ढांचा कार्य कर रहा है। यह सिफारिश की जाती है कि यह कम्प्यूटर ढांचा कलकत्ता पत्तन न्यास के योजना, विकास एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए।

67. उपर्युक्त आशोधनों के अध्यधीन कलकत्ता पत्तन के लिए मैरीन ढांचा वैसा ही हो जैसा कि पैरा 9.2 के संगत चार्ट में दिया गया है।

68. वर्तमान में गैर-मैरीन अधिकारी मैरीन विभागों में विभिन्न स्तरों पर और मैरीन अधिकारी अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे गैर-मैरीन अधिकारियों, जो मैरीन विभाग में कार्य कर रहे हैं, की पदोन्नति के अवसरों को सुरक्षित रखने के लिए यह सिफारिश की गई है कि ऐसे अधिकारियों को उनके संबंधित मूल विभाग में उनका ग्रहणाधिकार रखते हुए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना चाहिए।

69. कुछ पत्तनों में ड्रेजरों पर मैरीन अधिकारी, जोकि वर्तमान में विभिन्न विभागों के तहत हैं, मैरीन विभाग को स्थानांतरित किये जाएं ताकि एक सामान्य वरिष्ठता सूची के साथ एक सामान्य पूल बनाया रखा जाए।

70. मैकेनिकल इंजीनियरी विभाग में मैरीन इंजीनियरों की पदोन्नति मैकेनिकल इंजीनियरी और इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी के अन्य 2 क्षेत्रों की तरह अधीक्षण इंजीनियर (मैरीन) तक होगी और अन्य अधीक्षण इंजीनियरों (मैकेनिकल और इलैक्ट्रीकल) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरी विभाग में उच्चतर पद के लिए पदोन्नति हेतु उन पर भी विचार किया जाएगा।

विविध

71. समिति निम्नलिखित पदों के वेतनमानों के उन्नयन के लिए संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से सहमत है:

(1) अध्यक्ष, एन एम पी टी के निजी सचिव

(2) एन एम पी टी में विभागाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक

(3) कलकत्ता पत्तन न्यास पर रेडियो अधिकारी

(4) कनिष्ठ लेखा अधिकारी, और

(5) पुस्तकाध्यक्ष।

समिति ने इन वेतनमानों का 1.1.1997 से उन्नयन करने की सिफारिश की है क्योंकि वे पूर्व वेतन-संशोधन आदेशों के कार्यान्वयन से होने वाली विसंगतियां नहीं हैं।

72. समिति ने नव मंगलूर पत्तन न्यास में सहायक यातायात प्रबंधक और सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी के मौजूदा पदों का श्रेणी-II से श्रेणी-I में उन्नयन करने संबंधी सिफारिश पर विचार किया है और एन एम पी टी के यातायात विभाग और योजना, विकास एवं अनुसंधान प्रभाग के पद-क्रम संरचना में श्रेणी-I पदों को शामिल किया है।

73. समिति ने अग्निशमन अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी के बीच में फर्क किया है। अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन कार्यों और आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने में कार्यरत हैं। सुरक्षा अधिकारियों को फैक्टरी अधिनियम और गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत नियुक्त किया जाना अपेक्षित है और उन्हें औद्योगिक सुरक्षा के कार्य की देख-रेख करनी होती है।

74. अग्निशमन अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पद-क्रम ढांचे की सिफारिश की गई है:

अनुसूची "क" पत्तन	अनुसूची "ख" पत्तन
मुख्य अग्निशमन अधिकारी 5400-9300 रु.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी 4800-8475 रु.
उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी 4800-8475 रु.	उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी 4350-7500 रु.
अग्निशमन अधिकारी 4350-7500 रु.	अग्निशमन अधिकारी 4000-7150 रु.

(पैरा 10.6)

75. फैक्टरी अधिनियम और गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन पदों के संबंध में श्रम मंत्रालय से मांगे गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर सभी पत्तन न्यासों द्वारा सुरक्षा अधिकारियों के पदों के सृजन के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

76. मुम्बई को छोड़कर पत्तन-सुरक्षा सी आई एस एफ को सौंपी गई है। कलकत्ता में सी आई एस एफ केवल बद्ध भंडारगृहों में तैनात है। मुम्बई और कलकत्ता पत्तनों में सुरक्षा प्रभाग में निम्नलिखित पद क्रम ढांचे की सिफारिश की गई है।

पदनाम	वेतनमान	मुम्बई	कलकत्ता
सुरक्षा सलाहकार	5400-9300 रु.	1	1
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी	4800-8475 रु.	1	-
सुरक्षा अधिकारी	4350-7500 रु.	4	1
सहायक सुरक्षा अधिकारी	4000-7150 रु.	12	3

77. चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर और बंगलूर में व्यापार संवर्धन केन्द्रों में 4000-7150 रु. अथवा 4350-7500 रु. के वेतनमान के अधिकारी तैनात किए जाएं। संबंधित पत्तन न्यासों के अध्यक्ष को पद का स्तर और नियुक्ति के तरीके के संबंध में निर्णय लेने का विवेकाधिकार होगा। चेन्नई में तूतीकोरिन पत्तन के सम्पर्क अधिकारी को वैयक्तिक रूप में 4800-8475 रु. का वेतनमान दे दिया जाए यदि वह वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में पदोन्नति का पात्र है और यदि उसकी सेवाएं चेन्नई में व्यापार संवर्धन केन्द्र में अभी आवश्यक हैं।

78. सभी पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों में 246 अधिकारी अपनी सेवा की शुरुआत से अब तक प्रवेश स्तर के पद पर कार्य कर रहे हैं और पदोन्नति की कोई संभावनाओं के बिना संभवत: इसी पद से सेवा निवृत्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त

1.1.98 की स्थिति के अनुसार 158 अधिकारियों ने एक ही पद पर 15 अथवा उससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। तथापि, एक ही पद पर 15 वर्ष की सेवा अवधि अत्यधिक लम्बी है और 12 वर्ष की सेवा के बाद एक पदोन्नति दी जानी चाहिए। पदोन्नति के अवसरों को सुधारने के उद्देश्य से समिति ने सिफारिश की है कि श्रेणी-I और श्रेणी-II अधिकारियों, जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को वैयक्तिक रूप में और गैर-कार्यात्मक आधार पर अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति दे दी जाए। इस तरह पदोन्नत अधिकारी अपने पूर्व वेतमान में कार्य करता रहेगा। ऐसी पदोन्नतियां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को की गई छमाही समीक्षा के बाद की जाएं। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख 1.1.1997 होगी। उस कर्मचारी को जिसने 1.1.97 से पहले ही किसी तारीख को 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उच्चतर वेतनमान का लाभ 1.1.1997 से ही मिलेगा। यह सिफारिश विभागाध्यक्षों पर लागू नहीं होंगी।

गोदी श्रमिक बोर्ड

79. गोदी श्रमिक बोर्डों का महापत्तन न्यासों में विलय करने संबंधी सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप मुम्बई, कोचीन और मुरगांव गोदी श्रमिक बोर्डों का अधिक्रमण कर दिया है और शेष 4 गोदी श्रमिक बोर्डों अर्थात् कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कांडला के संबंध में प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। अधिक्रमण के बाद भी गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों के संवर्ग पुनर्गठन पर विचार करने की आवश्यकता है।

80. संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गोदी श्रमिक बोर्ड के उपाध्यक्ष का वेतनमान संबंधित पत्तन न्यास के सचिव के बराबर हो। विलय के बाद गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारी, कर्मचारी और कामगार यातायात विभाग के साथ एकीकृत हो जाएंगे और उपाध्यक्ष को सचिव, पत्तन न्यास का वेतनमान देने से वह यातायात प्रबंधक के बराबर आ जाएगा जिसके परिणामस्वरूप विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाध्यक्ष, मुम्बई और कलकत्ता अपने मौजूदा वेतनमान में बने रहेंगे।

81. संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों के प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के पदनामों में परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है। चूंकि गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों को गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) स्कीमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए मौजूदा पदनाम दिए गए हैं, डॉक लेबर बोर्डों के विलय के बाद स्कीमों के अधिक्रमण होने तक मौजूदा पदनाम जारी रहें।

82. **मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड:** संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में जैसाकि संस्तुत किया गया है, मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड में सामान्य स्ट्रीम में 4800-8475 रु. के वेतनमान में मौजूदा एक पद की तुलना में 5 पद होंगे। शेष 4 पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सहायक सचिव/श्रम अधिकारी/कल्याण अधिकारी की श्रेणियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएं।

83. लेखा स्ट्रीम के लिए ढांचा इस प्रकार होगा—

मुख्य लेखा अधिकारी (5400-9300 रु.)	1 पद
उप प्रबंधक (4800-8475 रु.)	1 पद
सहायक प्रबंधक (4350-7500 रु.)	1 पद

84. 4000-7150 रु. के वेतनमान में हिन्दी अधिकारी के पृथक पद को 4350-7500 रु. के वेतनमान में अपग्रेड कर दिया जाए।

85. 4800-8475 रु. के वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर को ग्रेड में 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर वैयक्तिक रूप में अगला उच्चतर वेतनमान दे दिया जाए।

86. मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड का चिकित्सीय ढांचा इस प्रकार होगा:

(1)	वरिष्ठ विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी (जी डी)	5400-9300 रु.	(4)
(2)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ कनिष्ठ विशेषज्ञ	4800-8475 रु.	(5)
(3)	चिकित्सा अधिकारी	4350-7500 रु.	(7)

87. **कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड:** सामान्य और लेखा स्ट्रीम के लिए संवर्ग पुर्गठन रिपोर्ट में संस्तुत ढांचा पृष्ठांकित कर दिया गया है।

88. 4000-7150 रु. के वेतनमान में हिन्दी अधिकारी के पद को 4350-7500 रु. के वेतनमान में अपग्रेड कर दिया जाए।

89. समिति द्वारा संस्तुत चिकित्सीय ढांचा इस प्रकार है:

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (7500-10200 रु.)	1
(2) शल्य-चिकित्सा विशेषज्ञ (5400-9300 रु.)	1
(3) चिकित्सा विशेषज्ञ (5400-9300 रु.)	1
(4) चिकित्सा अधीक्षक (जी डी) (5400-9300 रु.)	1
(5) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ (4800-8475 रु.)	8
(6) चिकित्सा अधिकारी (4350-7500 रु.)	7

90. समिति को अनुभाग अधिकारी/निरीक्षक/लेखाकारों को श्रेणी-2 स्तर देने की मांग उचित नहीं लगी है।

91. **चेन्नई गोदी श्रमिक बोर्ड:** समिति सामान्य, लेखा और इंजीनियरी शाखाओं में अधिकारियों के संबंध में संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है।

92. संस्तुत किया गया चिकित्सीय ढांचा इस प्रकार है:

(1) मुख्यचिकित्सा अधिकारी (7000-9900 रु.)	1
(2) वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (जी डी)/ वरिष्ठ विशेषज्ञ (5400-9300 रु.)	2
(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी डी)/ कनिष्ठ विशेषज्ञ (4800-8475 रु.)	3
(4) चिकित्सा अधिकारी (4350-7500 रु.)	7

93. **विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड:** समिति सामान्य शाखा, लेखा शाखा, हिन्दी अधिकारी और इंजीनियरी पक्ष के बारे में संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है।

94. चिकित्सीय ढांचा इस प्रकार हो:

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (7000-9900 रु.)	1
(2) चिकित्सा अधीक्षक (जी डी)/वरिष्ठ विशेषज्ञ (5400-9300 रु.)	1
(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी डी)/ कनिष्ठ विशेषज्ञ (4800-8475 रु.)	2
(4) चिकित्सा अधिकारी (4350-7500 रु.)	7

95. **कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड:** समिति सिफारिश करती है कि सचिव सह-कार्मिक अधिकारी का पद 5400-9300 रु. के वेतनमान में हो। सामान्य और लेखा शाखाओं के संबंध में संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट की सिफारिशों का समर्थन किया जाता है।

96. **कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड:** समिति सामान्य और लेखा शाखाओं के बारे में संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है (पैरा 11.39)

97. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद 4800-8475 रु. के स्तर में अपग्रेड कर दिया जाए।

98. **मुरगांव गोदी श्रमिक बोर्ड:** समिति सामान्य और लेखा शाखाओं के बारे में संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है।

99. मौजूदा चिकित्सीय ढांचा और मौजूदा ए.ई. जारी रहे।

100. गोदी श्रमिक बोर्डों में मानव संसाधन ढांचे में संवर्धन करने के उद्देश्य से मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्डों में 5400-9300 रु. के वेतनमान में प्रबंधक का एक पद और कोचीन, मुरगांव और कांडला गोदी श्रमिक बोर्डों में 4800-8475 रु. के वेतनमान में उप प्रबंधक का एक पद सृजित किया जाए और कार्मिक प्रबंधन, श्रमिक कल्याण तथा श्रमिक संबंधों में उचित योग्यता और अनुभव प्राप्त गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों द्वारा इन्हें भरा जाए।

कार्यान्वयन की तारीख

101. इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन भविष्यलक्षी प्रभाव से होगा क्योंकि इस संबंध में नए आदर्श एक समान आर एस पी विनियम बनाने आवश्यक होंगे। बहुत से मामलों में अधिकारी कार्यरत हो सकते हैं और ऐसे पदों पर अपनी नियुक्ति होने के बाद अपग्रेड किए गए/नए सृजित पदों पर कार्य कर सकते हैं यदि वे भविष्यलक्षी प्रभाव से नए आर एस पी विनियमों के अनुसार अपेक्षित योग्यता और शर्तें पूरी करते हैं।

102. तथापि, ऐसे मामले हो सकते हैं जैसेकि विभागाध्यक्ष जो पहले ही कार्यरत हैं और जिनके वेतनमानों को 1.1.97 से संशोधित कर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार अन्य अधिकारी भी हो सकते हैं जो उन पदों पर पहले ही कार्यरत हैं जिनके लिए उच्चतर वेतनमानों की सिफारिश की गई है। इन सभी मामलों में, उन अधिकारियों को जो पहले ही कार्यरत हैं, 1.1.97 अथवा 1.1.97 के बाद उस तारीख से जब उन्होंने पद ग्रहण किया, जैसा भी मामला हो, उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलेगा।

103. इस रिपोर्ट में उल्लिखित वेतनमान 1.1.92 से 31.12.96 तक प्रभावी हैं और वे उन तदनुरूपी वेतनमानों द्वारा संशोधित हो जाएंगे जिन्हें समिति 1.1.97 से प्रभावी सामान्य वेतन संशोधन में संस्तुत करेगी।

104. इन सिफारिशों के कार्यान्वयन को एक पृथक कार्यान्वयन प्रकोष्ठ की सहायता से पत्तन स्तर पर संबंधित अध्यक्ष द्वारा और सरकारी स्तर पर जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस एजेन्सी

1789. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों मे नई रसोई गैस एजेन्सियां खोलने संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इन एजेन्सियों के खुलने में विलंब होने से पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को रसोई गैस की अनुपलब्धता के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी संख्या में लोगों को पहले से ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एक्सटेंशन प्वाइंटों के नेटवर्क के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। एलपीजी आपूर्ति नेटवर्क को व्यापक बनाने हेतु सभी पर्वतीय क्षेत्रों में 50 कि.मी. के दायरे की दूरी तक एक्सटेंशन प्वाइंटों की अनुमति है। तथापि, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, 1996-98 की एलपीजी विपणन योजना में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 35 अतिरिक्त स्थान अनुपूरक योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों की ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में सारी प्रतीक्षा सूची निपटाने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन मांग करने पर काउंटर पर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1790. श्री कांतिलाल भूरिया:
श्री मित्रसेन यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ग्राम में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने ग्राम हैं जहां अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए हैं और ये केन्द्र नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित होने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनांकिकीय मानदण्डों के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 30,000 के आबादी समूह के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 के आबादी समूह के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। 1991 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 587226 आबाद गांव हैं। दिसम्बर, 1997 तक की स्थिति के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 22962 है।

चूंकि बहुत से गांवों में अल्प आबादी है, इसलिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायम करना व्यवहार्य नहीं है। सरकार का प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित आबादी वाले सामूहिक गांवों के मध्य में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो।

(घ) समग्र 9वीं पंचवर्षीय योजना (अनन्तिम) के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या बुनियादी ढांचे के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन तथा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 हेतु वार्षिक आवंटन संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

विवरण

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य का परिव्यय

(रुपये लाख में)

राज्य	नौवीं योजना स्वास्थ्य परिव्यय अनन्तिम	स्वास्थ्य परिव्यय	1997-98 एम.एन. पी.बी.एम. एस.	स्वास्थ्य परिव्यय	एम.एन. पी.बी.एम. एस.	स्वास्थ्य परिव्यय	1998-99 एम.एन.पी. बी.एम.एस.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	63052.00	13937.00	2923.60	18291.00	2923.60		
2. अरुणाचल प्रदेश	33502.00	3149.00	1021.00	3069.00	1021.00	3520.00	1072.00
3. असम	38410.00	6561.00	3120.00	6237.00	3120.00		
4. बिहार	83200.00	7245.00	5059.00	5373.00	5059.00	12177.00	7518.00
5. गोवा	8122.00	1082.00	187.80	1022.00	187.80	772.00	101.95
6. गुजरात	83225.00	22093.00	12177.00	22093.00	12177.00	23550.00	12132.31
7. हरियाणा	35134.00	3882.00	4425.00	5985.00	1425.00	5946.00	2700.00
8. हिमाचल प्रदेश	31765.00	5544.00	2659.10	7954.00	2659.10	8965.70	3341.54
9. जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	7450.00	6460.00	6448.00	6460.00	11385.57	6334.86
10. कर्नाटक	110000.00	18359.00	12713.00	17246.00	12713.00	19544.30	11785.00
11. केरल	30940.00	6096.00	855.00	5096.00	855.00	6200.00	775.00
12. मध्य प्रदेश	56787.00	9331.00	5604.00	8200.00	5604.00		

	1	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	91823.00	17391.00	9882.00	17391.00	9882.00	22992.00	7142.00
14.	मणिपुर	3600.00	630.00	271.65	520.00	271.65	309.35	600.00
15.	मेघालय	14000.00	2430.00	1306.50	1896.00	1306.50	2430.00	2000.00
16.	मिजोरम	11201.00	1651.00	1651.00	1651.00	1651.00	1816.00	1760.00
17.	नागालैण्ड	10631.00	2506.00	1017.00	1950.00	1017.00		
18.	उड़ीसा	41605.75	4104.00	1907.00	5516.00	1907.00		
19.	पंजाब	51159.00	9938.00	3432.00	9567.00	3432.00	16352.00	2579.60
20.	राजस्थान	77060.00	13919.00	7005.05	12462.00	7005.05	15369.00	8830.00
21.	सिक्किम	8000.00	857.00	267.15	759.00	267.15	814.00	275.05
22.	तमिलनाडु	78052.00	8909.00	2440.86	11236.00	2440.86	11650.93	3368.14
23.	त्रिपुरा	8559.00	1371.00	619.00	1371.00	619.00	1407.92	659.00
24.	उत्तर प्रदेश	118500.00	17312.00	12759.00	11511.00	12759.00	40401.00	3103.00
25.	प. बंगाल	97253.90	20633.00	1500.00	10100.00	1500.00	19286.00	6378.00
	कुल राज्य	1186191.65	206380.00	98263.60	192906.00	98263.60	225344.77	82475.45
26.	अ.नि. द्वीप समूह	7741.00	1559.00	671.00	1800.00	671.00		
27.	चंडीगढ़	17065.00	3617.00	353.00	3617.00	353.00	3546.30	222.50

1		6	7	8	9	10	11	12
28.	दादर एवं नगर हवेली	514.00	219.00	207.50	215.25	207.50	252.70	91.45
29.	दमन एवं दीव	887.00	133.00	97.00	133.00	97.00	173.00	15380
30.	दिल्ली	110140.00	15240.50	1800.00	15240.50	1800.00	19700.00	
31.	लक्षद्वीप	817.46	233.85	151.77	233.85	151.77	388.91	71.00
32.	पांडिचेरी	10000.00	1630.00	240.52	1680.00	240.52	2370.00	303.87
	कुल संघ शासित क्षेत्र	147164.46	22632.35	3520.79	2219.60	3520.79	26432.91	842.62
	कुल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	1333356.11	229012.35	101784.39	215825.60	101784.39	251742.68	83318.07

कार्य समिति द्वारा यथा संगत

(स्रोत) (1) राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

(2) वार्षिक योजना दस्तावेज राज्य सरकार

**बी.ई. स्तर पर

[अनुवाद]

एस.एच.ई.एल.एल. द्वारा गैस कुओं की खुदाई

1791. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर तथा जालौर जिलों में एस.एच.ई.एल.एल. द्वारा गैस कुओं की खुदाई का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या रायल डच कंपनी एस.एच.ई.एल.एल. के साथ समन्वय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या कार्य रोक दिया गया है जिससे राज्य को हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों और गुजरात के बनासकांठा जिले में पड़ने वाले ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 के लिए शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.वी. नीदरलैंड्स के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। अन्वेषण के पहले चरण के तहत संविदाकार ने निम्न कार्यों पर काम आरम्भ किया है:

-अर्जित, संसाधित और निर्वाचित भूकंपीय आंकड़े	1606 कि.मी.
-अर्जित और संसाधित गुरुत्व आंकड़े	3229 कि.मी.
-त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण	12 वर्ग कि.मी.

दूसरे चरण के अंतर्गत गुडा-1 अन्वेषणात्मक कूप का वेधन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डाकघर खोलना

1792. **श्री दत्ता मेघे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा और नागपुर जिलों में कुल कितने डाकघर और उप डाकघर खोले गए; और

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान किन-किन स्थानों पर डाकघर और उप डाकघर खोले गए हैं अथवा खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों और उप डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1995-96	शून्य	शून्य
1996-97	4	2
1997-98	शून्य	शून्य

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) जिन स्थानों पर वर्ष 1998-99 के दौरान डाकघर खोलने का प्रस्ताव है अथवा खोले जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:

1. तमसवाडी, जिला नागपुर
2. नरसला, जिला नागपुर
3. बोरडा, जिला नागपुर।

अम्बाला में वितरकों को रसोई गैस कनेक्शन की आपूर्ति

1793. **श्री बैजनाथ रावत:**
श्री प्रदीप कुमार यादव:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा में अम्बाला जिले के वितरकों को रसोई गैस कनेक्शन की आपूर्ति राज्य के अन्य जिलों के वितरकों के मुकाबले काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अम्बाला जिले में रसोई गैस कनेक्शन की आपूर्ति को राज्य के अन्य जिलों की आपूर्ति के बराबर करने का है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अनियमितता सरकार की जानकारी में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) देश में विभिन्न वितरकों, जिनमें अंबाला में अवस्थित वितरक भी सम्मिलित हैं, के लिए एलपीजी कनेक्शन सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक जारी किये जाते हैं। एलपीजी कनेक्शन पूरे देश में एलपीजी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से जारी किये जाते हैं। जिला विशेष अथवा राज्य विशेष के आधार पर नए कनेक्शनों के आवंटन के लिए कोई पृथक प्रणाली नहीं है। अंबाला में तेल कंपनियों के वितरकों को नए कनेक्शनों के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं है।

[अनुवाद]

जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाएं

1794. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्रों में पिछले दस महीनों के दौरान कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) इस अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों के लिए कितनी जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई; और

(ग) इन परियोजनाओं से विद्युत का कितना अनुमानित उत्पादन होगा?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) विगत 10 महीनों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा

जिन परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा निम्नवत है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम/प्रकार	क्रियान्वयन एजेन्सी	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
निजी क्षेत्र			
1.	मलाना एचईपी (एच)	मै. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि. कुल्लू	2×43
2.	खण्डवा नाथपा सीसीजीटी (टी)	मै. मध्य भारत ऊर्जा निगम लि.	171.17
3.	कृष्णापट्टनम बी टीपीपी (टी)	मै. बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कम्पनी	2×260
4.	विपीन सीसीजीटी [एलएनजी (टी)]	मै. सियासिन इनर्जी लि.	679.2
5.	उ. मद्रास टीपीपी-3 (टी)	मै. त्रि सक्थी इनर्जी प्राइ. लि.	525
6.	वीमागिरी सीसीजीटी (टी)	मै. इस्पात पावर लि.	492
राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	चमेरा चरण-II एचईपी (एच)	एनएचपीसी	3×100
2.	तीस्ता चरण-V एचईपी (एच)	एनएचपीसी	3×170
3.	लोकतक डाउनस्ट्रीम एचईपी (एच)	एनएचपीसी	3×30
4.	तुइवाई एचईपी (एच)	नीपको	3×70
5.	डीजी पावर स्टेशन (टी) रनजीत बे. अंडमान	अंडमान सरकार	2×2.5

टी: ताप

एच: जल

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार परियोजना 2 से 6 ने विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए आवेदन किया था। तथापि इन परियोजनाओं में अनिवासी भारतीय की भागीदारी के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न पत्तनों पर ड्रेजिंग का कार्य

1795. श्री जार्ज ईडन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास देश के विभिन्न पत्तनों में ड्रेजिंग कार्य करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा पत्तनवार कुल कितना कार्य किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। भारतीय निकर्षण निगम के पास देश के सभी महापत्तनों का अनुरक्षण निकर्षण कार्य करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। क्षमता में कमी की पूर्ति पत्तनों द्वारा ठेकों के जरिए निकर्षण कार्य करवा के की जाती है।

(ख) विभिन्न महापत्तनों पर 1997-98 के दौरान भारतीय निकर्षण निगम लि. द्वारा किये गये अनुरक्षण निकर्षण कार्य इस प्रकार हैं:

	पत्तन	(मिलियन घन मीटर में)
1.	कलकत्ता	12.00
2.	पारादीप	1.90
3.	विशाखापत्तनम	0.52
4.	नव मंगलूर	6.00
5.	मुरगांव	2.91
6.	जवाहर लाल नेहरू	1.06
7.	कंडला	3.67
	जोड़	28.06

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में कटौती

1796. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कर्नाटक में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रवेश क्षमता में कुल कितनी कटौती की गई है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इन महाविद्यालयों में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद का इन महाविद्यालयों में पूर्व प्रवेश क्षमता वापस लाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) और (ख) कर्नाटक में राजकीय मेडिकल कालेजों सहित विभिन्न मेडिकल कालेज छात्रों को दाखिला राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश के अनुसार निश्चित की गई संख्या के अनुसार दे रहे थे जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुमति दाखिल क्षमता से अधिक थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा स्वीकृत दाखिलों और राजकीय मेडिकल कालेजों में दाखिल किये गये छात्रों की संख्या नीचे दी गई हैं:

कालेज का नाम	परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए	कालेज द्वारा दाखिल किए गए
1. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	150	245
2. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	100	205
3. विजयनगर इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसीज, बेलारी	100	140
4. कर्नाटक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसिज, हूबली	50	147
	400	737

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 1.10.1996 के आदेश के अनुसरण में और राज्य सरकार से राजकीय मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, दाखिला क्षमता निश्चित करने के उद्देश्य से सभी राजकीय मेडिकल कालेजों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि बंगलौर और मैसूर स्थित मेडिकल कालेजों में क्रमशः 150 और 100 दाखिलों के लिए बुनियादी सुविधायें हैं जबकि बेलारी और हूबली स्थित मेडिक कालेजों में तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुमति दाखिलों के लिए भी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। बेलारी और हूबली स्थित मेडिकल कालेजों में पाई गई भारी बुनियादी सुविधाओं की कमियों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार को सिफारिश की कि इन कालेजों में तुरन्त प्रभाव से दाखिलों को रोका जाना चाहिए जब तक कि इनमें पाई गई कमियों को सुधारा नहीं जाता और उनके अनुपालन की रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। कमियों को राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया था और अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन मेडिकल कालेजों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निश्चित की गई दाखिला क्षमता अर्थात बेलारी कालेज में 100 छात्रों और हुबली कालेज में 50 छात्रों को दाखिल करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के निष्कर्षों और सिफारिशों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पहले ही स्वीकृत दाखिला क्षमता से अधिक सीटें बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और उपरोक्त चारों कालेजों में सीटें बढ़ाने हेतु सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया।

(ग) बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण चार राजकीय मेडिकल कालेजों में कुल 337 सीटें कम की गईं।

(घ) से (छ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा दाखिला क्षमता एक बार निश्चित करने पर दाखिला क्षमता के प्रत्यावर्तन (रेस्टोरेशन) का कोई प्रावधान नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के आधार पर और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार ही सीटों में वृद्धि की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त किसी भी कालेज में सीटों की वृद्धि का कोई ताजा प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

सेतु समुद्रम परियोजना

1797. **श्री के. पैरी मोहनः**
श्री के. कृष्णमूर्तिः

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सेतु समुद्रम परियोजना का क्रियान्वयन कोंकण रेल के अनुरूप किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किन-किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सेतु समुद्रम परियोजना की पर्यावरण संबंधी प्रारंभिक जांच राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई), नागपुर द्वारा की गई है। इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट एन ई ई आर आई से प्राप्त हो गई है। यह रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी गई है। विस्तृत साध्यता और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन तैयार करने के लिए योजना आयोग से वार्षिक योजना 1999-2000 में इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रु. के परिव्यय के प्रावधान हेतु अनुरोध किया गया है।

पुणे में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम/भारत पेट्रोलियम द्वारा भूमि अर्जन

1798. **श्री विठ्ठल तुपेः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने पुणे जिले के लोनी-कलगोर गांव के किसानों की भूमि टर्मिनल स्टेशन के उद्देश्य से अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो इन दो कंपनियों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहीत किए जाने के समय यह वादा किया गया था कि इससे प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) हाल में एचपीसीएल ने किसी टर्मिनल स्टेशन के लिए पुणे जिले के लोनी-कलबोर गांव में कोई भूमि अर्जित नहीं की है। तथापि, कार्पोरेशन का लोनी में मुंबई-पुणे पाइपलाईन के लिए एक टर्मिनल मौजूद है, जिसे वर्ष 1982 में लगाया गया था। एचपीसीएल के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के समय परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को किसी किस्म की नौकरी देने के लिए एचपीसीएल द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया/वायदा नहीं किया गया था। इसके साथ ही किसी नौकरी के लिए मूल भूमि मालिकों का कोई भी अभ्यावेदन लंबित नहीं है।

जहां तक बीपीसीएल का संबंध है, कॉर्पोरेशन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। तथापि, भूमि मालिकों द्वारा इन्कार कर दिए जाने के कारण भूमि नहीं ली जा सकती है और उन्होंने 8.10.98 को मुम्बई उच्च न्यायालय मे रिट याचिका भी दाखिल कर दी है और मामला न्यायालय के अधीन है।

सारस और क्रेनों की संख्या

1799. **श्री सी.डी. गामीत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय सारस और क्रेन की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में भी क्रेन की संख्या का पता लगाने के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में सारस के साथ-साथ क्रेन की संख्या 1984 में किए गए विगत सर्वेक्षण की तुलना में कितनी है;

(ङ) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान क्रेनों की संख्या तेजी से कम हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) देश में भारतीय सारस और अन्य क्रेन का सुव्यवस्थित ढंग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यद्यपि एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए पारिस्थितिकी सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान पूरे देश में सारस क्रेनों की संख्या लगभग 12000-15000 थी। राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा एवं अनुसंधान फाउन्डेशन ने हाल ही में सारस क्रेन का सर्वेक्षण किया है जिसके अनुसार राज्य में पक्षियों की अनुमानित संख्या 1700-1800 के बीच है। 1984 के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) क्रेनों की जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण कृषि कार्यों के लिए आर्द्रभूमि से जल निकासी और खेतों में पीड़कनाशियों की भारी सान्द्रता है।

के.आर. अस्पताल, मैसूर का दर्जा बढ़ाना

1800. **श्री ए. सिदराजू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने के.आर. अस्पताल का दर्जा हाई-टेक अस्पताल में बढ़ाने के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिजली की चोरी

1801. **श्री तारिक अनवर:**
श्री गुरुदास कामत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय उपक्रमों में बिजली की चोरी के कारण होने वाली बिजली की हानि का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों में विद्युत चोरी के कारण विद्युत में कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों का शोधन

1802. श्री संदीपान थोरात: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक रूप से शोधन के लिए अस्पतालों में उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए निवेश की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस संबंध में विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 20.7.1998 को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और निपटान) नियम 1998 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों की अनुसूची VI में अस्पतालों में इनसीनरेटर/आटोक्लेव माइक्रोवेव पद्धति जैसी अपशिष्ट निपटान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है जो इस प्रकार हैं:

(1)	30 लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले कस्बों में अस्पताल और नर्सिंग होम	31 दिसम्बर, 1999 तक अथवा इससे पहले
(2)	30 लाख से कम आबादी वाले कस्बों में अस्पताल और नर्सिंग होम	
	(i) 500 और अधिक पलंगों वाले	31 दिसम्बर, 1999 तक अथवा इससे पहले
	(ii) 200 और उससे अधिक परन्तु 500 से कम पलंगों वाले	31 दिसम्बर, 2000 अथवा इससे अधिक
	(iii) 50 अथवा अधिक परन्तु 200 से कम पलंगों वाले	31 दिसम्बर, 2001 तक अथवा इससे पहले
	(iv) 50 से कम पलंगो वाले	31 दिसम्बर, 2002 तक अथवा इससे पहले
(3)	उपर्युक्त (क) और (ख) में गैर-शामिल जैवचिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली सभी अन्य संस्थाएं	31 दिसम्बर, 20002 तक अथवा इससे पहले

(ग) और (घ) संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अस्पतालों में चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तथापि केन्द्र सरकार ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंध पर सेमीनार/कार्यशालाएं आदि आयोजित करके चिकित्सा, पराचिकित्सा, नर्सिंग और सफाई कर्मचारियों आदि के प्रशिक्षण, अस्पताल अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान सुनिश्चित करने के लिए संरक्षक दास्तानों, बुटों, पालिथिन, कूड़ा-करकट को थैलियों आदि की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और संबद्ध अस्पतालों, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल को निधियां जारी की हैं।

[हिन्दी]

तंत्रिका-विज्ञान के लिए अनुसंधान केन्द्र

1803. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तंत्रिका विज्ञान के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान और इस पर संभावित व्यय की कुल राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) जी, हां। सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि तंत्रिका विज्ञान और मस्तिष्कीय कार्य संबंधी अनुसंधान पर ध्यान दिया जा सके।

(ख) यह प्रस्तावित केन्द्र सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम (1860) के अंतर्गत एक स्वायत्त केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाना है और अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न एक उत्कृष्ण केन्द्र होने की कल्पना की गई है। प्रयत्नों की आवृत्ति न होने देने के लिए मौजूदा सुविधाओं/प्रयोगशालाओं के नेट वर्किंग पर मुख्य जोर रहेगा। इस केन्द्र को हरियाणा में गुड़गांव के समीप अवस्थित किया जाना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों के लिए कुल परिव्यय लगभग 13.00 करोड़ रुपये होगा।

(ग) यह केन्द्र शुरू में नई दिल्ली से काम करेगा। एक साल के बाद बुनियादी ढांचे के साथ-साथ एक-दो प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने पर यह केन्द्र गुड़गांव के समीप अपने परिसर से कार्य करना आरंभ करेगा।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

1804. श्री गुरुदास कामत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कितने लीटर पेट्रोल, डीजल, नाफ्था और मिट्टी के तेल की कंपनीवार बिक्री की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, नाफ्था तथा मिट्टी तेल के कंपनीवार बिक्री आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान पेट्रोल, डीजल, नाफ्था तथा मिट्टी तेल के कंपनीवार बिक्री आंकड़े

(आंकड़े लीटर में)

	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	कुल	
पेट्रोल						
1997-98	2652680000	2201160000	1897795000	560167000	7311802000	
1996-97	254826600	2108034000	1808902000	524892000	6990094000	
1995-96	2402933000	1978222000	1729886000	491028000	6602069000	
डीजल						
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	कुल	
1997-98	21366180000	10065990000	9037490000	3177460000	43647120000	
1996-97	20871290000	9701780000	8718050000	3080660000	42371780000	
1995-96	19264410000	8825740000	8075540000	2861650000	39027340000	
नाफ्था						
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	अन्य	कुल
1997-98	4493421000	1436193000	844992000	0	143766000	6918372000
1996-97	4743784000	1349640000	514917000	0	283131000	5891472000
1995-96	3668967000	937413000	447435000	0	327141000	5380956000
मिट्टी तेल						
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	अन्य*	कुल
1997-98	754423500	2027730000	2464630000	655350000	1525552000	14217497000
1996-97	7357910000	1984040000	2413230000	641215000	651752000	13048147000
1995-96	7144600000	1885095000	2314285000	628365000	789761000	127621060000

(1) *उपलब्ध जानकारी के अनुसार समानांतर विपणन प्रणाली के तहत समानांतर विपणनकर्ताओं द्वारा आयातित/विपणित।

कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज

1805. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन-एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष में राज्यवार ऐसे कितने एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कर्नाटक में वर्ष 1997-98 के दौरान विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों और वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित विस्तार किये जाने वाले एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) कर्नाटक में वर्ष 1997-98 के दौरान विस्तारित और वर्ष 1998-99 के दौरान विस्तार किये जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे क्रमश: विवरण-III और विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में कार्य कर रहे कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन-एक्सचेंजों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	1
11.	महाराष्ट्र	4
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	1
14.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	8
17.	उत्तर प्रदेश	3
18.	दिल्ली	1
	कुल	36

विवरण II

चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कम्प्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	1
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	गुजरात	1
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	कर्नाटक	4
6.	केरल	4
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	त्रिपुरा	1
9.	अरुणाचल प्रदेश	1
10.	मिजोरम	1
11.	मेघालय	1
12.	पंजाब	4
13.	तमिलनाडु	2
14.	उत्तर प्रदेश	4
15.	पश्चिम बंगाल	4
16.	सिक्किम	1
	कुल	37

विवरण III

1997-98 के दौरान कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में विस्तारित टेलीफोन-एक्सचेंजों के गौण स्विचन क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों की सं.	जोड़ी गई कुल सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	बंगलूर	56	59352
2.	डी. कन्नड	126	20999
3.	मैसूर	48	16102
4.	बेलगाम	85	8376
5.	हुबली	62	19414
6.	मेरकारा	41	4976
7.	बेल्लारी	32	5576
8.	बीदर	16	2510
9.	बीजापुर	57	7656
10.	गुलबर्गा	28	5168
11.	रायचूर	51	5824
12.	यू. कन्नड	79	10872
13.	दावणगेरे	42	13372
14.	हासन	50	7376

1	2	3	4
15.	कोलार	54	8466
16.	मांडया	38	7864
17.	टुमकुर	36	9086
18.	चिकमंगलूर	58	7520
19.	शिमोगा	59	11677

विवरण IV

वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के गौण स्विचन क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की सं.	प्रस्तावित जोड़ी जाने वाली कुल सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	बंगलूर	51	62720
2.	डी. कन्नड	148	24201
3.	मैसूर	58	16265
4.	बेलगाम	103	12179
5.	हुबली	89	21831
6.	मेरकारा	39	4859
7.	बेल्लारी	16	307
8.	बीडर	21	2991
9.	बीजापुर	54	4338
10.	गुलबर्गा	21	3058
11.	रायचूर	36	8405
12.	यू. कन्नड	43	5826
13.	दावणगेरे	35	1013
14.	हासन	58	9995
15.	कोलार	65	6899
16.	मांड्या	34	2506
17.	टुमकुर	61	5820
18.	चिकमंगलूर	76	8169
19.	शिमोगा	52	5270

[हिन्दी]

खराब पड़े चिकित्सा-उपकरण

1806. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करोड़ों रुपये कीमत के कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा-उपकरण पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों को उपयोग में लाने हेतु नियुक्त अधिकारी और स्टाफ अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इन उपकरणों को उपयोग-योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निम्नलिखित उपकरणों को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण चिकित्सा उपस्कर कार्य कर रहे हैं:

(1) हिटेची अल्ट्रासाउंड

(2) मेडरेड प्रेसर डाई (इंजेक्टर)

(3) कलर डोपलर इको मशीन (सोनोस 1000)

(4) मिंगोग्राफ-7

(5) हाइपर बेरिक ऑक्सीजन।

(ख) से (घ) विशेष रूप से उन उपकरणों, जो इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं, को चलाने के लिए कोई अधिकारी/स्टाफ तैनात नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) उपकरणों को कार्यशील बनाने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है और हिटेची अल्ट्रासाउंड जो अनुपयोगी घोषित किये जाने की प्रक्रिया में है, को छोड़कर इन उपकरणों को शीघ्र ही चालू भी कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति

1807. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को किन स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ख) राज्य में 1 जनवरी, 1998 से 31 जनवरी, 1999 के दौरान प्रत्येक विद्युत स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति करने के स्रोत उनके स्वयं की क्षमता अभिवृद्धि (10553.8 मे.वा.) है जिसमें निजी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में, केन्द्रीय क्षेत्र वाले विद्युत स्टेशनों से विद्युत का आवंटन (अनावंटित हिस्सा समेत 1598 मे.वा.) शामिल है।

(ख) 1.1.98 से 31.1.99 तक महाराष्ट्र राज्य में संयंत्रवार उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य में विद्युत उत्पादन में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) विद्युत प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं के कारण ताप विद्युत यूनिटों द्वारा उत्पादन कार्य कम किया जाना।

(2) एमएसईबी की कुछ ताप विद्युत यूनिटों के विस्तृत नियोजित अनुरक्षण कार्य/अन्य खराबियों तथा बॉयलर ट्यूब लिंकेज के कारण नजरबन्दी।

(3) अगस्त-सितम्बर, 1998 के दौरान औसत से कम मानसून आने के कारण जल विद्युत उत्पादन कम होना।

विवरण

स्टेशन	मि.यू. में विद्युत उत्पादन (जनवरी, 1998-जनवरी, 1999)	
	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3
एमएसईबी		
ताप		
नासिक	6060	5923
कोराडी	6845	6567
पारस	375	286
भुसावल	3205	3153
परली	4620	4712
चन्द्रपुर	16655	14034
खापरखेड़ा-2	3270	3238
उरान (जीटी)	6112	5882
जोड़ (ताप)	47142	43795
जल विद्युत		
कोयना	3034	3276
कोयन बांध	179	142
वैतरणा	152	162
पैथान	35	24
पवन	23	9
तिल्लारी	163	94
भीरा टैल	109	77
बन्दरधर	53	2
भटसा	65	40
खड़गवासला	48	56
वीर एवं भटगर	101	79
इलदरी	39	52
उज्जैयिनी	16	40
ढोम	7	4
दूधगंगा	14	0
करंजवन	6	0
लघु जल विद्युत	119	20
जोड़ (जल विद्युत)	4163	4077
एमएसईबी (जोड़)	51305	47872

1	2	3
(ख) निजी क्षेत्र		
टी.ई.सी. (ताप)		
ट्राम्बे	5961	6581
ट्राम्बे (जीटी)	1570	1407
जोड़ (ताप विद्युत)	7531	7988
टाटा (जल विद्युत)	1637	1283
टीईसी (जोड़)	9168	9271
एनरान (ताप)	0	94
बीएसईएस (ताप)		
दहाणु (ताप)	3935	3586
(ग) केन्द्रीय क्षेत्र		
टीएपीएस (न्यूक्लीय)	1610	2481
महाराष्ट्र (जोड़)		
ताप विद्युत	58608	55463
न्यूक्लीय	1610	2481
जल विद्युत	5800	5360
जोड़	66018	63304

तेल कम्पनियों के टैंक ट्रक

1808. श्री पीताम्बर पासवान: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार अधिक मात्रा में एलपीजी के परिवहन हेतु तेल कम्पनियों के कितने टैंक-ट्रक सड़कों पर चल रहे थे और इनका राज्यवार और जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक तेल कम्पनी की टैंक-ट्रकों की जोनवार और कम्पनीवार वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या तेल कम्पनियों ने अपनी आवश्यकता से अधिक टैंक-ट्रकों को रखा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तेल कम्पनियां टैंक-ट्रक रखते समय कम्पनी-वार आरक्षण के कोटे में अनुसूचित जाति/जनजाति को कम्पनी-वार पर्याप्त प्राथमिकता दे रही हैं।

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 31.12.98 की स्थिति के अनुसार तेल कम्पनियों के टैंक/ट्रकों की कम्पनी-वार और क्षेत्रवार संख्या, जो उनकी जरूरत के अनुसार एलपीजी के थोक परिवहन के लिए मार्गों पर चल रहे हैं, निम्नानुसार है:

कम्पनी	उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्र
आईओसी	2388	1833
बीपीसीएल	1592	253
एचपीसीएल	1226	546

(ग) जी, नहीं। टैंक ट्रक आवश्यकता के अनुसार संविदा पर लिये जाते हैं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) टैंक ट्रक की कुल आवश्यकता में से आरक्षण के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवहनकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए टैंक ट्रकों के नि:शेष होने के बाद ही निविदा प्रक्रिया में उपलब्धता होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवहनकर्त्ताओं के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण किया जाता है। आरक्षित कोटे की शेष आवश्यकता सामान्य श्रेणी के माध्यम से पूरी की जाती है।

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत

1809. **श्री पी.आर. किन्डिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है और विश्वभर में सभी देशों में इन उत्पादों की कीमतें भी लगभग एक समान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत को डीजल की कीमत की तुलना में ढाई गुणा से भी अधिक रखने का क्या औचित्य है जबकि पेट्रोल का तेल शोधनशाला पूर्व मूल्य 16.94 रुपये प्रति लीटर है और इसकी लागत व भाड़ा 640 रु. प्रति किलोमीटर है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन और बिक्री लागत में इस विसंगति के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी तेल के लिए निर्माण प्रक्रिया अलग-अलग है।

(ख) और (ग) एलपीजी डिब्बा बंद (घरेलू) तथा मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) राजसहायता प्राप्त पेट्रोलियम उत्पाद हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर देय राज-सहायता बजटीय सहायता के जरिए वित्तपोषित नहीं की जाती है बल्कि इसे मोटर स्प्रिट तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल जैसे उत्पादों की प्रति राज-सहायता के जरिए पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में सौर-ऊर्जा चालित तापविद्युत स्टेशन

1810. **श्री कृष्ण कुमार चौधरी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के बिहार के गया में फतेहपुर टेकरी में एक सौर ऊर्जा चालित तापविद्युत स्टेशन स्थापित करने के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को प्राप्त हुआ और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी एस ई बी) से क्रमशः मई, 1989 तथा अगस्त, 1989 में गया एवं चकाई में 2×30 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। उस समय बीएसईबी को यह सलाह दी गई थी कि स्थलों के लिए रिकार्ड किए गए मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्ट में संशोधन किया जाए। राज्य सरकार से और कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस बीच, यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया गांव में एक अनुसंधान एवं विकास सह-प्रदर्शन परियोजना आरंभ की जाए। इस प्रौद्योगिकी की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के बाद भावी परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

महेश्वर बांध परियोजना

1811. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में महेश्वर बांध परियोजना का निर्माण कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) इस बांध पर निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को मध्य प्रदेश में महेश्वर बांध परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। विकासकर्त्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अभी तक का कुल व्यय लगभग 300 करोड़ रुपये है।

(ख) बांध पर निर्माण कार्य 1 अक्तूबर, 1997 को आरंभ हुआ। परियोजना को 2003 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

स्तनपान

1812. श्री ई. अहमद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी नेशनल कोआर्डिनेशन ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क आफ इंडिया (बी.एफ.एन.आई.) तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा कराए गए अध्ययन से यह पुष्टि हुई है कि स्तनपान कराये गये बच्चे बोतल द्वारा दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ हैं तथा इनमें संक्रमण होने की कम गुंजाइश होती है; और

(ख) यदि हां, तो स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) नेशनल कोआर्डिनेशन ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क आफ इंडिया नामक किसी संगठन की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, ब्रेस्टफीडिंग, प्रमोशन नेटवर्क आफ इंडिया ने पुष्टि की है कि विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किये गये बहुत से अध्ययों से यह सिद्ध हुआ है कि स्तनपान किये हुये बच्चे बोतल से दूध पिए हुए बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं और उनको संक्रमणों का कम खतरा होता है।

(ख) देश में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में इनफेंट मिल्क सबस्टिट्यूट्स, फीडिंग वोल्ट्स एंड इनफेंट्स फूड (उत्पादन, आपूर्ति का विनियमन और वितरण) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन, स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, स्तनपान पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और शिशु-मित्र अस्पताल पहल का कार्यान्वयन शामिल है।

[हिन्दी]

चुनाव के दौरान अनियमितताओं के मामले

1813. डा. सुशील इन्दौरा:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के दौरान हुई अनियमितताओं से संबद्ध मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर 1998 तक लंबित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक मामले से संबंधित लोकसभा और विधानसभा चुनाव का वर्ष कौन सा है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में निर्णय देने में हो रही देरी से यह पूरा कार्य निष्फल सिद्ध हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) से (ग) जी, हां। निर्वाचन अर्जियों के लंबित होने की प्रास्थिति दर्शाते हुए, एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार को, निर्वाचन अर्जियों के काफी समय से लंबित रहने की समस्या की गंभीरता की जानकारी है और यह विषय उपयुक्त उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए विधि आयोग को निर्देशित कर दिया गया है।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित/निपटाई गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

16.2.1999 को

क्र.सं.	निर्वाचनों की विशिष्टियां	उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जी			उच्चतम न्यायालय में अपीलें		
		फाइल की गई	निपटाई गई	लंबित	फाइल की गई	निपटाई गई	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फरवरी/मार्च, 1990 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	182	161	21	34	33	1
2.	मई/जून, 1991 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन	96	70	16	16	14	2
3.	1991 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	98	88	10	22	21	1
4.	फरवरी, 1993 में हुए विधान सभाओं के सधारण निर्वाचन	177	134	43	25	21	4
5.	नवम्बर, 1994 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	41	35	6	7	4	3
6.	मार्च, 1995 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	133	107	26	15	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	अप्रैल/मई, 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन	49	33	16	4	2	2
8.	अप्रैल/मई, 1996 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	118	52	66	18	4	14
9.	फरवरी/मार्च, 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन	51	4	47	0	0	0
10.	फरवरी/मार्च, 1998 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	24	6	18	1	0	1
11.	नवम्बर, 1998 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	42	0	42	0	0	0
12.	लोक सभा और विधान सभाओं के उप-निर्वाचन (1990 से 1998 तक)	11	0	11	0	0	0
13.	राज्य सभा और विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचन (1991 से 1998 तक)	26	0	26	0	0	0
	योग	1038	690	348	142	106	36

विद्युत उत्पादन

1814. श्री रामपाल सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये क्षमता पूरे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के दौरान नई विद्युत परियोजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव रखती है;

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी देश में अगले वर्ष आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ङ) 31.1.99 की स्थितिनुसार अधिष्ठापित क्षमता 91066.18 मे.वा. है। अप्रैल, 98 से जनवरी, 99 की अवधि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल आवश्यकता 368046 मि.यू. थी जबकि उपलब्धता 347849 मि.यू. थी जिससे 5.5% की कमी उपलक्षित हुई है। इसी अवधि के दौरान ईष्टतम मांग के लिए 65956 मे.वा. की आवश्यकता थी जबकि 58636 मे.वा. की पूर्ति हो गई थी जिससे 11.1 प्रतिशत की कमी उपलक्षित हुई है। अगले वर्ष (1999-2000) के दौरान देश में चालू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं तथा इसके परिणामस्वरूप परिकल्पित क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संगठन	क्षमता (मे.वा.)	क्षेत्र
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी (जीटी-1 व जीटी-2)	हरियाणा/एनटीपीसी	2×143	केन्द्रीय
2.	ऊंचाहार टीपीपी यू-4	उ.प्र./एनटीपीसी	210	केन्द्रीय
3.	विन्ध्याचल टीपीपी यू-8	म.प्र./एनटीपीसी	500	केन्द्रीय
4.	कायमकुलम सीसीजीटी	केरल/एनटीपीसी	119.4	केन्द्रीय
5.	संजय गांधी विस्तार टीपीपी यू-4	म.प्र./एमपीईबी	210	राज्य
6.	रायचूर टीपीएस चरण-3 यूनिट-6	कर्नाटक/केपीसीएल	210	राज्य
7.	कोझीकोड में डीजी विद्युत केन्द्र यूनिट 1-8	केरल/केएसईबी	128	राज्य

1	2	3	4	5
8.	लीमाखोंग डीजी* यूनिट 1-6	मणिपुर/मणिपुर पीडीसी	36	राज्य
9.	बक्रेश्वर टीपीपी यू-1 व 2	प.बं./डब्ल्यूबीपीडीसीएल	2×210	राज्य
10.	सूरत लिग्नाइट यू-2	गुजरात/जीआईपीसीएल	125	निजी क्षेत्र
11.	तोरांगल्लू* यू-2	कर्नाटक/जिन्दल	130	निजी क्षेत्र
12.	कोचीन सीसीजीटी जीटी 2 व 3 एसटी	केरल/बीएसईएस	2×45 38	निजी क्षेत्र
जल विद्युत				
13.	दोयांग	नागालैंड/नीपको	50	केन्द्रीय
14.	रंगित	सिक्किम/एनएचपीसी	40	केन्द्रीय
15.	सेवा-3	जम्मू व कश्मीर	9	राज्य
16.	चेनानी-3	जम्मू व कश्मीर	7.5	राज्य
17.	रंजीत सागर	पंजाब	300	राज्य
18.	राजघाट	म.प्र.	45	राज्य
19.	दूधगंगा	महाराष्ट्र	12	राज्य
20.	कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	500	राज्य
21.	सिंगुर	आं.प्र.	15	राज्य
22.	काक्कड़	केरल	50	राज्य
23.	कालीनदी-2	कर्नाटक	40	राज्य
24.	मार्सन वैली	तमिलनाडु	30	राज्य
25.	अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	300	राज्य
26.	तीस्ता नहर प्रपात	पश्चिम बंगाल	22.5	राज्य

[अनुवाद]

उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु विधान

1815. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) विधि आयोग ने, ''उपभोक्ता माल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण'' से संबंधित अपनी 105वीं रिपोर्ट में उपभोक्ता उत्पादों की क्वालिटी के परीक्षण के लिए एक विधान अधिनियमित करने के लिए सिफारिशें की हैं, जिसे खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय (उपभोक्ता कार्य विभाग) को भेजा गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग ने, सूचित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, अधिनियमित किए गए हैं। उपभोक्ता माल की क्वालिटी परीक्षण के लिए उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारतीय क्वालिटी परिषद् को भी गठित किया गया है।

वाहनों में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग

1816. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विषैली गैसों से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी वाहनों में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस के प्रयोग का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस के दीर्घकालिक प्रयोग संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के महानगरों में विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) सरकार ने वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यवाईयां शुरू की हैं:

(1) सी.एन.जी. किटों के लिए सीमा शुल्क में छूट प्रदान करना।

(2) सी.एन.जी. भरने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31.3.2000 तक दिल्ली परिवहन निगम (डी टी सी) और प्राईवेट सिटी बसों का सी एन जी सिंगल फ्यूल मोड के रूप में रूपांतरण।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31.3.2000 तक 1990 से पहले के सभी आटो और टैक्सियों को साफ ईंधन से चलने वाले नये वाहनों के रूप में परिवर्तित करना;

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31.3.2001 तक 1990 के बाद के सभी आटो और टैक्सियों को साफ ईंधन से चलने वाले नए वाहनों के रूप में परिवर्तित करना।

(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1.4.2000 तक आठ वर्ष से अधिक पुरानी बसों को केवल सी.एन.जी. पर अथवा साफ ईंधन से चलाना।

(घ) देश के महानगरों में विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित अन्य उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्कृष्ट क्वालिटी वाले ईंधन की पूर्ति

मिलावट की जांच और स्वतंत्र ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

सी.पी.सी.बी. विनिर्देशों के अनुसार पूर्व मिश्रित 2-टी आयल का प्रयोग

पूरी तरह से प्रदूषित पुराने वाहनों को हटाना

जन परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक साफ ईंधन से चलने वाली बसों के बेड़े की शुरुआत

यातायात प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार

वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम में संवर्धन

भीड़-भाड़ की समस्याओं का पता लगाना तथा यातायात के अवांछनीय वाहनों को हटाना

सड़क के किनारे के अवैध कब्जों को हटाना

प्रदूषण के कुप्रभाव पर जन जागरूकता अभियान प्रारम्भ करना

[हिन्दी]

तलवार समिति की सिफारिशें

1817. **श्री रामशकल:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक कर्मचारियों/विभागेत्तर एजेंटों के लिए एक पूर्ण सुरक्षा पैकेज को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों का एक छः सदस्यीय दल (जी.ओ.एम.) गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभागेत्तर एजेंटों/कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवा शर्तों परिलब्धियों तथा सुविधाओं के संबंध में न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन्हें किस तारीख से क्रियान्वित किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ङ) सरकार ने अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संचार मंत्री सहित छह मंत्रियों का एक ग्रुप गठित किया था मंत्रियों के ग्रुप को कार्य-संबंधी सहायता कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।

मंत्रियों के ग्रुप ने न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें तैयार कीं और इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सुविधाओं का एक पैकेज देने का निर्णय लिया। डाक विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक आदेश 17.12.98 को जारी किए गए। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रदान की गई सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

(1) 1.1.96 से 28.2.98 की अवधि के लिए उनके मूल मासिक भत्ते को 3.25 गुना बढ़ाना।

(2) इसके पश्चात्, दिनांक 1.3.98 से उन्हें टाइम रिलेटिड कंटीन्यूटी अलाउंस (टीआरसीए) देना जो अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों के मामले में न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा संस्तुत प्रथम दो वेतनमानों तथा अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टरों के संबंध में प्रथम वेतनमान के अनुरूप है।

(3) अनुग्रह उपदान की अधिकतम अनुमेय राशि को 6000 रु. से बढ़ाकर 18,000 रु. करना।

(4) कार्यालय रख-रखाव भत्ते को 25 रु. से बढ़ाकर 50 रु. प्रतिमाह करना।

(5) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रत्येक छमाही में 10 दिन का सवेतन अवकाश प्रदान कर उन्हें एक बिल्कुल नई सुविधा प्रदान की गई है। इस अवकाश को अगली छमाही के अवकाश में जोड़ने अथवा इसकी एवज में भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं होगा।

(6) इसके अलावा, सेवा के उपरांत मिलने वाले लाभ के रूप में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एकमुश्त सेवा-विच्छेद राशि का प्रावधान किया गया है।

(च) उपर्युक्त (क) से (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल और रसोई गैस बिक्री केन्द्र

1818. **श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जिलों में विभिन्न सरकारी तेल कंपनियों के कितने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन जिलों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए उक्त बिक्री केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इन जिलों में ऐसे और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल मध्य प्रदेश के धार जिले में 25 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 4 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं बडवानी जिले में 5 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एक एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में और 7 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा बडवानी जिले में एक खुदरा बिक्री केन्द्र तथा दो एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

1819. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि न्यायपालिका विशेषरूप से निचली अदालतों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा इसके परिणामस्वरूप गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार सरकार के ध्यान में अलग-अलग भ्रष्टाचार के कितने मामले लाए गए हैं तथा इस संबंध में क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इसमें कितने अधिकारी शामिल हैं; और

(ग) न्यायपालिका से भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है तथा प्राप्त हुई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) से (ग) निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का विषय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार, क्रमशः, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का मामला है। इसलिए, निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या सरकार के पास तुरंत उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विधिक प्रशासन का आधुनिकीकरण

1820. श्री सुरेश चन्देल: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधिक प्रशासन का आधुनिकीकरण करने/तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार को विधिक प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों विशेषकर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) विधिक प्रशासन का आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही, अंतर्ग्रस्त होती है। इस दिशा में, अनके कदम उठाए गए हैं जिसमें विभिन्न न्यायालयों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण भी है। "कोर्टइज" परियोजना के अंतर्गत, सरकार ने, उच्चतम न्यायालय और सभी 18 उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। जिला न्यायालय कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा.सू.के.) ने देश के सभी 430 जिला न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण पहले ही पूरा कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, के लिए निवास स्थान का संन्निर्माण सम्मिलित है। 1993-94 से फरवरी 1999 तक, विभिन्न राज्य

सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश के रूप में 278.72 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई रकम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शिमला स्थित उच्च न्यायालय भवन के सन्निर्माण को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान, सामान्य आवंटन के अतिरिक्त, 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। तथापि, वित्तीय अड़चन के कारण, सरकार किसी भी राज्य को जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, कोई अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन प्रदान करने में असमर्थ थी। तदनुसार, राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

विवरण

1998-99 के दौरान, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई रकम को उपदर्शित करने वाला विवरण

(रु. लाख में)

राज्य का नाम	आवंटित की गई रकम
1	2
1. आंध्र प्रदेश	382.60
2. अरुणाचल प्रदेश	42.00
3. असम	268.02
4. बिहार	297.48
5. गोवा	36.00
6. गुजरात	171.70
7. हरियाणा	81.89
8. हिमाचल प्रदेश	36.00
9. जम्मू कश्मीर	36.00
10. कर्नाटक	249.33
11. केरल	166.15
12. मध्य प्रदेश	305.87
13. महाराष्ट्र	328.17
14. मिजोरम	42.00
15. मणिपुर	42.00
16. मेघालय	42.00
17. नागालैंड	42.00
18. उड़ीसा	195.09
19. पंजाब	87.72
20. राजस्थान	235.64
21. सिक्किम	36.00
22. तमिलनाडु	330.02
23. त्रिपुरा	42.00
24. पश्चिमी बंगाल	492.71
25. उत्तर प्रदेश	731.61

1	2
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप	28.00
2. चंडीगढ़	28.00
3. दिल्ली	336.00
4. दमन और दीव	17.00
5. दादरा और नागर हवेली	18.00
6. लक्षद्वीप	17.00
7. पांडिचेरी	36.00
योग	5200.00*

*पुनरीक्षित आकलन वर्ष 1998-99 में 5200.00 लाख रुपए की रकम घटकर 4800.0 लाख रुपए रह गई है।

[अनुवाद]

फ्लाई ओवरों के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से धन

1821. श्री सनत कुमार मंडल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न फ्लाई ओवरों के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें से विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार तथा फ्लाई ओवरों के निर्माण के लिए विभिन्न अंतर-राष्ट्रीय एजेंसियों से सरकार को धनराशि प्राप्त हुई है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

विभिन्न अंतर-राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	ईएपी परियोजनाओं को पूरा करने की लागत			
		विश्व बैंक	ए.वि. बैंक	ओईसीएफ	कुल
1	2	3	4	5	6
क.	अंतर-राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण/उधार				
		306 मिलियन अमरीकी डालर	672 मिलियन अमरीकी डालर	36915 मिलियन जापानी येन	
ख.	राज्य-वार परियोजना (करोड़ रु.)				
1.	आंध्र प्रदेश	–	412.10	400.00	812.10
2.	बिहार	–	188.00	–	188.00
3.	हरियाणा	379.07	496.32	–	875.39

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	–	71.15	–	71.15
5.	केरल	–	148.68	–	148.68
6.	मध्य प्रदेश	219.28	–	–	219.28
7.	महाराष्ट्र	270.37	–	–	270.37
8.	उड़ीसा	284.37	–	195	479.37
9.	पंजाब	20.00	–	–	240.00
10.	राजस्थान	–	106.23	–	106.23
11.	उत्तर प्रदेश	–	86.16	637.54	723.10
12.	पश्चिम बंगाल	141.91	236.00	–	377.91
		1535	1744.64	1232.54	4512.18

[हिन्दी]

वनों का विनाश

1822. **श्री अरविंद कांबले:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश सरकारों से वनों के विनाश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन राज्यों में अब तक वनों का कुल कितना क्षेत्र नष्ट किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ रिपोर्ट, 1997 के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात के वन क्षेत्र (फारेस्ट कवर) में क्रमशः 2,300 वर्ग किलो मी. तथा 258 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है और 1995 के मूल्यांकन की तुलना में मध्य प्रदेश में 3,969 वर्ग कि.मी. क्षेत्र की कमी आई है। जिन राज्यों में वन क्षेत्रों में कमी देखी गई है। उन्हें भारत सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि वे वन क्षेत्रों में हो रही कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का गहराई से विश्लेषण करें और इस स्थिति पर नियंत्रण करने तथा आगामी वर्षों में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करें।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां

1823. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेलः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में जिलावार गठित टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्यों को भी इन समितियों में लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें समितियों में नामित करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित हैं;

(घ) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) गुजरात-सर्किल, अहमदाबाद, बनासकांठा (पीएलएनपुर) भरुच, भावनगर, जामनगर, साबरकांठा, कछ-भुज, मेहसाना, पंचमहल (गोधरा), राजकोट, सूरत, सुरेन्द्र नगर, वड़ोदरा, वलसाड (बलसाड) और जूनागढ़ में टेलीफोन सलाहकार समितियाँ पहले ही गठित कर दीं गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) मौजूदा नियमों के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य का उनके चुनाव क्षेत्र/विकल्प के अनुसार जैसा भी मामला हो एक अथवा दूसरी टेलीफोन सलाहकार समिति में नामांकन किया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) जैसे ही माननीय संसद सदस्यों से सिफारिशें प्राप्त होती हैं उन पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम सर्व श्री	टेलीफोन सलाहकार समिति जिसके लिए सिफारिश की गई है	संस्तुत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरिन पाठक	अहमदाबाद टीएसी	21
		गुजरात सर्किल टीएसी	01
2.	देवजीभाई जे. टनडेल	वलसाड टीएसी	13
3.	श्रीमती निशा ए. चौधरी	गुजरात सर्किल टीएसी	03
4.	शांतिलाल पी. पटेल	बड़ोदा टीएसी	01
5.	बूटा सिंह	अहमदाबाद टीएसी	01

1	2	3	4
6.	डा. वल्लभभाई आर. कथीरिया	राजकोट टीएसी	24
7.	जी. के. जाविया	राजकोट टीएसी	04
8.	भावनाबेन के. दवे	राजकोट टीएसी	02
9.	दिलीप संघानी	अमरेली टीएसी	25
		गुजरात सर्किल टीएसी	01
10.	राजू परमार	गुजरात सर्किल टीएसी	05
		अहमदाबाद टीएसी	04
11.	सोमजीभाई दामोर	गुजरात टीएसी	02
		गोधरा टीएसी	08
		बड़ोदरा टीएसी	03
		भावनगर टीएसी	02
		महसाना टीएसी	03
		भड़ूच टीएसी	01
		अहमदाबाद टीएसी	01
		दहोद टीएसी*	21
12.	जी.जे. जाविया	जामनगर टीएसी	01
13.	चंद्रेश पटेल	जामनगर टीएसी	21

*इस क्षेत्र में टीएसी का गठन करने की कोई व्यवस्था नहीं है)।

लेह और कारगिल में दूरसंचार सुविधा

1824. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कारगिल और लेह जिलों के कुछ गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1998-99 में जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में 10 गांवों के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

उदयपुर में डाकघर तथा आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. और फैक्स बूथ

1825. श्री शान्तिलाल चपलोत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदयपुर, राजस्थान में उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में डाकघर, तथा आई.एस.डी./ एस.टी.डी./पी.सी.ओ. और फैक्स बूथ खोलने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदन किया है;

(ख) उनमें से कितने आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) बाकी आवेदनों पर कब तक विचार करके स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):

डाक विभाग:

(क) उदयपुर, राजस्थान में उन ग्राम पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए आवेदन किया है;

वर्ष 1996-97 - 7 ग्राम पंचायतें

वर्ष 1997-98 - शून्य

वर्ष 1998-99 - 6 ग्राम पंचायतें

(ख) और (ग) ग्राम पंचायतों के आवेदनों पर खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष 1996-97 - 3

शेष चार प्रस्तावों में से तीन औचित्यपूर्ण नहीं थे तथा एक गांव में पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोला गया। जहां तक वर्ष 1998-99 में प्राप्त आवेदनों का संबंध है, वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्थान सर्किल में 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है। डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य होने पर मंजूर किये जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

दूरसंचार विभाग:

रिपोर्ट एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल गोदामों की भण्डारण क्षमता

1826. श्री राजवंशी महतो:
श्री राजो सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थित भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के तेल गोदामों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता कितनी है; और

(ग) इन गोदामों से स्थानीय किसानों को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और ख) भारत पेट्रोलियम, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के राज्यवार अवस्थित तेल डिपुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ये डिपो ऐसे स्थापित किए गए हैं जिससे यह खपत क्षेत्रों के अपेक्षाकृत निकट हों। इससे स्थानीय किसानों समेत सभी ग्राहकों/उपभोक्ताओं को सहजता से, नियमित रूप से तथा कम से कम लागत पर आपूर्तियां सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

विवरण

डिपो आंकड़ा : राज्य-वार/कंपनी-वार
(1 अप्रैल, 1998 को)

(आंकड़े किलो लीटर में)

राज्य	तेल कंपनी	डिपुओं की संख्या	कुल टैंकेज
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	आईओसी	9	173710
	बीपीसी	7	59265
	एचपीसी	4	55906
	योग	20	288881
अरुणाचल प्रदेश	एओडी	1	3514
	आईओसी	–	–
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	1	3514
असम	एओडी	5	52668
	आईओसी	5	43292
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	10	95960

1	2	3	4
बिहार	आईओसी	6	69600
	बीपीसी	5	26146
	एचपीसी	4	11901
	योग	15	107647
दिल्ली	आईओसी	2	56575
	बीपीसी	1	35600
	एचपीसी	1	23679
	योग	4	115854
गुजरात	आईओसी	3	94809
	बीपीसी	4	11785
	एचपीसी	4	20412
	योग	11	127006
हरियाणा	आईओसी	2	64208
	बीपीसी	1	5317
	एचपीसी	2	27480
	योग	5	97005
हिमाचल प्रदेश	आईओसी	1	160
	बीपीसी	2	225
	एचपीसी	2	1010
	योग	5	1395

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	आईओसी	3	60676
	बीपीसी	2	13193
	एचपीसी	1	5802
	योग	6	79671
कर्नाटक	आईओसी	11	136685
	बीपीसी	7	57916
	एचपीसी	7	38412
	योग	25	233013
केरल	आईओसी	5	38589
	बीपीसी	2	8045
	एचपीसी	2	18485
	योग	9	64119
मध्य प्रदेश	आईओसी	14	158269
	बीपीसी	8	77224
	एचपीसी	6	45606
	योग	28	281099

1	2	3	4
महाराष्ट्र	आईओसी	14	175158
	बीपीसी	9	88466
	एचपीसी	7	65576
	योग	30	329200
मणिपुर	एओडी	1	6760
	आईओसी	–	–
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	1	6760
मेघालय	एओडी	1	6252
	आईओसी	–	–
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	1	6252

1	2	3	4
मिजोरम	एओडी	1	1506
	आईओसी	–	–
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	,1	1506
नागालैंड	आईओसी	1	6855
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	1	6855
उड़ीसा	आईओसी	5	40076
	बीपीसी	3	18330
	एचपीसी	3	9524
	योग	11	67930
पंजाब	आईओसी	6	81427
	बीपीसी	4	47591
	एचपीसी	2	18680
	योग	12	147698

1	2	3	4
राजस्थान	आईओसी	8	121244
	बीपीसी	6	63429
	एचपीसी	4	31585
	योग	18	216258
सिक्किम	आईओसी	1	1680
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	1	1680
तमिलनाडु	आईओसी	8	128021
	बीपीसी	7	104415
	एचपीसी	3	14298
	योग	18	246734
त्रिपुरा	एओडी	2	7786
	आईओसी	1	2855
	बीपीसी	–	–
	एचपीसी	–	–
	योग	3	10641

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	आईओसी	16	203309
	बीपीसी	11	87328
	एचपीसी	6	28815
	योग	33	319452
पश्चिम बंगाल	आईओसी	3	33711
	बीपीसी	2	13002
	एचपीसी	5	-
	योग	10	46713
	कुल योग	279	2903843

[अनुवाद]

नए शाखा-डाकघर

1827. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99 के दौरान देश में राज्यवार कितने नए शाखा-डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या देश में मंजूर किये गये शाखा-डाकघरों में से कुछेक को आज तक नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य डाक सर्किलवार आवंटित किये जाते हैं। वार्षिक योजना 1998-99 के दौरान जिन डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव है, उनका सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी हां। अब तक मंजूर किये गये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष के दौरान मंजूर किये गये सभी डाकघर 31 मार्च, 1999 से पहले खोले जाएंगे।

विवरण I

वार्षिक योजना, 1998-99 के दौरान अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों का सर्किल-वार आबंटन

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वार्षिक योजना, 1998-99 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	50
3.	बिहार	60
4.	दिल्ली	20
5.	गुजरात	40
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	30
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	10
11.	मध्य प्रदेश	50
12.	महाराष्ट्र	60
13.	उत्तर-पूर्व	50
14.	उड़ीसा	10
15.	पंजाब	15
16.	राजस्थान	30
17.	तमिलनाडु	10
18.	उत्तर प्रदेश	78
19.	पश्चिम बंगाल	40
	कुल	598

विवरण II

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वार्षिक योजना, 1998-99 के दौरान अब तक मंजूर किये गये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	शून्य
3.	बिहार	शून्य
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	4
6.	हरियाणा	1

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
8.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य
9.	कर्नाटक	7
10.	केरल	5
11.	मध्य प्रदेश	41
12.	महाराष्ट्र	38
13.	उत्तर-पूर्व	शून्य
14.	उड़ीसा	शून्य
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	15
17.	तमिलनाडु	4
18.	उत्तर प्रदेश	1
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	कुल	124

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल की खोज

1828. श्री राजनारायण पासी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पृथकतः कितने तेल का उत्पादन हुआ और तेल के उत्पादन पर पृथकतः कितनी लागत आई; और

(ख) 31 जनवरी, 1999 के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी और ओ आई एल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार था:

(आंकड़े एम एम टी में)

	1995-96	1996-97	1997-98
ओएनजीसी	31.635	28.685	28.249
ओआईएल	2.882	2.863	3.094

ओएनजीसी/ओआईएल के संबंध में वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान तेल के उत्पादन की लागत निम्नानुसार थी:

(कुल लागत - करोड़ रुपये में)

	1995-96	1996-97	1997-98
ओएनजीसी	3308.81	3062.60	3503.36
ओआईएल	205.59	197.62	255.23

(ख) 31.1.1999 के अनुसार ओएनजीसी/ओआईएल में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी:

ओएनजीसी	-	42,290
ओआईएल	-	10,288

गोमती नदी में प्रदूषण

1829. **श्री राजवीर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन सरकार के सहयोग के साथ गोमती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए किसी परियोजना को क्रियान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ में गोमती कार्य योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए 4.02 मिलियन यू.के. पौंड की अनुदान सहायता प्रदान की है जिसके अंतर्गत गोमती नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केवल कतिपय आपातकालिक कार्यों और तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ लखनऊ में सफाई व्यवस्था का कार्यान्वयन शामिल है। ब्रिटिश सहायता प्राप्त उक्त परियोजना की अवधि 31.3.99 को समाप्त होगी। ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ में गोमती कार्य योजना से संबंधित मुख्य कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान नहीं की है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

1830. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हड़ताली चिकित्सकों को हड़ताल समाप्त करने के लिए कोई .आश्वासन दिया है; .

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय द्वारा की गई हड़ताल के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लोक हित मुकदमा फाइल किया गया था। उच्च न्यायालय ने, 17-2-99 को भारत संघ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक को यह निदेश देते हुए एक अंतरिम आदेश दिया कि वे हड़ताल को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों का कथन करते हुए, शपथपत्र फाइल करें। न्यायालय ने, यह भी निदेश दिया कि इसी बीच, ऐसे उपाय, जो विधि में संभव हैं, अगली तारीख से पूर्व, सकारात्मक रूप से किये जायेंगे जिससे कि हड़ताल समाप्त हो सके। हड़ताल 25-2-99 को समाप्त हो गई थी। न्यायालय ने 3-3-99 को एक और आदेश पारित किया है जिसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

चावल की भूसी की राख

1831. **श्री वैको:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सालिड वेस्ट रिसर्च एंड इकोलाजिकल बेलेंस इन्स्टीट्यूट ने टिप्पणी की है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कमी पूरी करने के लिए चावल की भूसी का उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग सीमेंट कंक्रीट में अधिक लागत वाली सुपर पाच्योलाना के लिए प्रतिस्थापन के रूप में भी किया

जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चावल की भूसी की राख का निर्यात किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) से (घ) चावल भूसी से विद्युत उत्पादन को पहले ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बायोमास विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत तथा कई अन्य देशों में चावल-भूसी की राख को सीमेंट (पोत्स्वालानिक) के रूप में उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित व स्थापित की गई है लेकिन इसे अभी तक भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तथापि, पार्टिकल बोर्ड के निर्माण के लिए भारत में चावल की भूसी का दोहन प्राकृतिक रेशों (फाइबर) के रूप में किया गया है।

गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार तथा इसे चौड़ा किया जाना

1832. **श्री नृपेन गोस्वामी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गुवाहाटी से नौगांव के रास्ते डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किये जाने तथा इसे चौड़ा किए जाने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा अनुमानित लागत क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) गुवाहाटी से नौगांव तक के खंड को सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर के एक भाग के रूप में चौड़ा करने का प्रस्ताव है। तथापि, फिलहाल नौगांव से डिब्रूगढ़ तक के खंड को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से गुवाहाटी बाइपास के लगभग 8 कि.मी. में चार लेन बनाने की एक स्कीम शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित की गई है।

घेघा और थायराइड रोगी

1833. **श्री मोइनुल हसन अहमद:**
श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल आयोडीन डेफिशियेन्सी डिसआर्डर कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के कारण आयोडीन युक्त नमक के आयात मूल्यांकन के संबंध में देश भर में सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिना आयोडीनयुक्त नमक पर प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व तथा इसके पश्चात् घेंघा तथा थायराइड रोगियों की कुल कितनी संख्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) रोग के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करना राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकास नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन बतलाते हैं कि आयोडीन अल्पता-जन्य विकारों की व्याप्तता में काफी कमी आई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनः सर्वेक्षित जिलों में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की व्याप्तता में आयोडीकृत नमक के प्रभाव को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुन: सर्वेक्षित जिलों में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की व्याप्तता में आयोडीकृत नमक के प्रभाव को दर्शानेवाला विवरण

जिले का नाम	आरम्भिक सर्वेक्षण वर्ष (प्रतिशत)	आ.अ.वि. की व्याप्तता दर	पुन:सर्वेक्षण वर्ष	आ.अ.वि. की व्याप्तता दर
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश (पहले एक जिला अब 10 जिलों में विभक्त)	1969	38.00	1991	11.8
हिमाचल प्रदेश				
1. कांगरा	1956	41.20	1986	09.90
2. बिलासपुर	1959	25.70	1995	14.10
3. सिरमौर	1959	35.80	1980	28.00
4. मंडी	1981	34.50	1998	13.40
जम्मू व कश्मीर				
1. अनन्तनाग	1965	35.70	1985	15.3
2. बडगाम-श्रीनगर	1971	26.6	1985	09.6
कर्नाटक				
1. चिकमंगलूर	1986	41.11	1998	25.00

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
1. बुलढाना	1984	49.53	1991	16.0
2. वर्धा	1983	54.92	1991	34.5
3. औरंगाबाद	1973	35.5	1990	17.5
4. अमरावती	1983	46.16	1992	30.00
मणिपुर (पहले एक जिला अब आठ जिलों में विभक्त)	1979	32.00	1986	25.9
उत्तर प्रदेश				
1. देवरिया	1973	65.00	1998	18.8
2. गौंडा	1978	65.90	1989	26.6
3. मेरठ	1986	24.90	1995	15.96
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1977	45.8	1997	11.2
दादरा और नगर हवेली	1987	22.72	1998	12.80

एस.टी.डी./आईएसडी/पीसीओ बूथ

1834. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार कितने एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ बूथ कार्य कर रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): दूरसंचार सर्किलवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.12.98 की स्थिति के अनुसार एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल/जिला	एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	99
2.	आंध्र प्रदेश	16661
3.	असम	3601
4.	बिहार	8258
5.	गुजरात	21123
6.	हरियाणा	4970
7.	हिमाचल प्रदेश	1193
8.	जम्मू और कश्मीर	1458
9.	कर्नाटक	19353
10.	केरल	13184
11.	मध्य प्रदेश	15134
12.	महाराष्ट्र	23342
13.	उत्तर पूर्व	1562
14.	उड़ीसा	4024
15.	पंजाब	17720
16.	राजस्थान	15270
17.	तमिलनाडु	10152
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	18477
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11849
20.	पश्चिम बंगाल	4029
महानगरीय जिले		
21.	मुम्बई	11875
22.	कलकत्ता	9922
23.	दिल्ली	9633
24.	चैन्नई	7089

पूर्वोत्तर राज्यों में रसोई गैस के लंबित आवेदन-पत्र

1835. श्री समर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रसोई गैस के सभी लंबित आवेदनों को निपटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में रसोई गैस आवेदनों को न निपटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के सभी बकाया आवेदनों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में त्रिपुरा राज्य के साथ-साथ संघ शासित क्षेत्रों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों की प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने का अनुमोदन किया है। तेल कंपनियों को इन राज्यों की सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची निपटा लेने के लिए कहा गया है, जिनके जून, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मैसर्स आर.पी.जी. इंटरप्राइजेज को ''फ्यूल लिंकेज पुनः दिए जाने के संबंध में केरल सरकार का अनुरोध

1836. श्री टी. गोविन्दन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल में मैसर्स आर.पी.जी. इंटरप्राइजेज के कसारागोड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को पुन: फ्यूल लिंकेज'' दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूर्व में केरल सरकार की कासरगोड परियोजना के लिए आवंटित ईंधन लिंकेज को पुन: केरल में मैसर्स आर पी जी इन्टरप्राइजिज के कासरगोड विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने के विषय में अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को सूचित कर दिया है कि नीति के अनुसार कासरगोड परियोजना के लिए ईंधन लिंकेज केरल राज्य के लिए आवंटित 660 मेगावाट की क्षमता के बाहर होगा तथा केरल सरकार के लिए पहले किए गए आवंटन की शर्तों के अनुसार इस परियोजना के लिए किये गये लिंकेज आवंटन को किसी नई परियोजना के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

टेलीफोन और डाकघर सुविधाएं

1837. श्री सुधीर गिरि: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और वर्षवार कुल गांवों में से कितने गांवों में टेलीफोन और डाकघर सुविधाएं उपलब्ध थीं; और

(ख) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) **दूरभाष:** गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

डाकखाने : गत तीन वर्षों में डाकखाने वाले गांवों के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(ख) **टेलीफोन:** देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1997-98 व 1998-99 में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार वार्षिक लक्ष्य विवरण III में है। नौवीं योजना की शेष अवधि के लक्ष्य अभी तक नियत नहीं किये गये हैं।

डाकखाने : प्रत्येक वार्षिक योजना के प्रारम्भ में सर्किलवार डाकखाने खोलने के लक्ष्य नियत किये जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकखाने (ईडीबीओ) व विभागीय उपडाकखाने (डीएसओ) खोलने हेतु सर्किल-वार लक्ष्य विवरण-IV में हैं। 1999, 2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की योजना अभी नहीं बनाई गई है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन सुविधा वाले गांवों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा

राज्य	गांवों की कुल सं.	टेलीफोन सुविधा वाले गांव		
		1.4.96 को	1.4.97 को	1.4.98 को
1	2	3	4	5
1. अंडमान निकोबार	282	91	166	163
2. आंध्र प्रदेश	29460	18150	20769	22838
3. असम	22224	5866	7531	10448
4. बिहार	79208	10345	13871	18184
5. गुजरात	18125	12755	14260	13923
6. हरियाणा	6850	6661	7895	6807
7. हिमाचल प्रदेश	16997	3155	4189	6579
8. जम्मू कश्मीर	6764	1410	2140	2582
9. कर्नाटक	27066	11350	15470	20825
10. केरल	1530	1000	1000	1530
11. मध्य प्रदेश	71526	28012	35367	39245

1	2	3	4	5
12. महाराष्ट्र	42467	23010	27737	28904
13. अरुणाचल प्रदेश	3599	403	507	584
14. मणिपुर	2394	396	477	640
15. मेघालय	5629	576	662	767
16. मिजोरम	770	437	560	581
17. नागालैण्ड	1192	356	476	524
18. त्रिपुरा	862	345	477	533
19. उड़ीसा	46989	12106	15529	18584
20. पंजाब	12687	8501	12007	11911
21. राजस्थान	38634	13561	18612	20594
22. तमिलनाडु	17991	14430	17038	17638
23. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	17698	25196	30898	29970
24. उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	29551	685	4685	16154
25. पश्चिम बंगाल	37910	7255	10016	12259

1	2	3	4	5
26. सिक्किम	427	100	199	203
27. कलकत्ता	468	56	421	421
28. दिल्ली	191	191	191	191
कुल	607491	206401	263120	303582

विवरण II

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	डाकघर वाले गांवों की संख्या 1995-96	डाकघर वाले गांवों की संख्या 1996-97	डाकघर वाले गांवों की संख्या 1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14749	14752	14762
2.	असम	3507	3578	3536
3.	बिहार	10979	11091	11097
4.	दिल्ली	111	111	116
5.	गुजरात	8078	8071	8089
	दादर और नागर हवेली	33	33	33
	दमन दीव	13	13	13
6.	हरियाणा	2582	2280	2293

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	2612	2636	2637
8.	जम्मू और कश्मीर	1436	1419	1431
9.	कर्नाटक	8295	8347	8235
10.	केरल	1452	1452	1452
	लक्षद्वीप	23	10	11
11.	मध्य प्रदेश	10080	10110	10151
12.	महाराष्ट्र	10996	11250	11404
	गोवा	201	200	201
13.	उत्तर-पूर्व			
	अरुणाचल प्रदेश	270	270	270
	मणिपुर	636	671	671
	मेघालय	447	446	446
	मिजोरम	350	671	387
	नागालैण्ड	280	300	307
	त्रिपुरा	651	945	651

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	7571	7488	7509
15.	पंजाब	3368	3371	3383
	चंडीगढ़		7	7
16.	राजस्थान	9491	9494	9527
17.	तमिलनाडु	10342	10429	10370
	पाण्डिचेरी	59	52	59
18.	उत्तर प्रदेश	17915	17999	18053
19.	पश्चिम बंगाल	7351	7360	7478
	सिक्किम	127	183	185
	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	68	97	97

विवरण III

उन गांवों की संख्या जहां 1998-2002 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाओं की योजना है

क्र.सं.	सर्किल	1.4.98 को कुल गांव	1.4.98 को वीपीटी की संख्या	1.4.98 को बिना सुविधा वाले गांव	लक्ष्य 1997-98	लक्ष्य 1998-99
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान निकोबार	282	163	119	181	53
2.	आंध्र प्रदेश	29460	22838	6622	3000	400
3.	असम	22224	10448	11776	4000	2900

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	79208	18184	61024	12000	6000
5.	गुजरात	18125	13923	4202	0	0
6.	हरियाणा	6850	6807	43	508	20
7.	हिमाचल प्रदेश	6997	6579	10418	2500	1000
8.	जम्मू कश्मीर	6764	2582	4182	1200	1000
9.	कर्नाटक	27066	20325	624.	3000	2500
10.	केरल	1530	1530	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	71521	39245	32281	5500	4000
12.	महाराष्ट्र	42467	28904	13563	3000	2700
13.	अरुणाचल प्रदेश	3599	584	3015	352	230
14.	मणिपुर	2394	640	1754	290	230
15.	मेघालय	6529	767	4862	716	230
16.	मिजोरम	770	581	189	153	110

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैंड	1192	524	668	266	160
18.	त्रिपुरा	862	533	329	223	40
19.	उड़ीसा	46989	18584	28405	8819	2400
20.	पंजाब	12687	11911	776	1245	345
21.	राजस्थान	38634	20594	18040	5000	2540
22.	तमिलनाडु	17991	17638	353	1000	142
23.	उ.प्र.-पूर्व	75698	29970	45728	14000	7500
24.	उ.प्र.-पश्चिम	39551	16154	23397	8000	5500
25.	प. बंगाल	38337	12462	25875	8000	5000
26.	सिक्किम	427	100	327	0	0
27.	कलकत्ता	468	421	47	47	0
28.	दिल्ली	191	191	0	0	0
	कुल	607491	303582	303909	83000	45000

विवरण IV

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान ईडीबीओ खोलने के लिए लक्ष्य	वर्ष 1997-98 के दौरान डीएसओ खोलने के लक्ष्य	वर्ष 1998-99 के दौरान ईडीबीओ खोलने के लक्ष्य	वर्ष 1998-99 के दौरान डीएसओ खोलने के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	2
2.	असम	25	2	50	2
3.	बिहार	40	5	60	3
4.	दिल्ली	5	2	17	3
5.	गुजरात	25	2	40	2
6.	हरियाणा	15	2	15	3
7.	हिमाचल प्रदेश	10	2	10	2
8.	जम्मू कश्मीर	15	1	30	1
9.	कर्नाटक	30	5	10	4
10.	केरल	10	2	10	2
11.	मध्य प्रदेश	37	2	50	2
12.	महाराष्ट्र	35	3	60	3

1	2	3	4	5	6
13.	नार्थ-ईस्ट	25	3	50	3
14.	उड़ीसा	27	2	10	2
15.	पंजाब	17	2	15	2
16.	राजस्थान	33	2	30	2
17.	तमिलनाडु	21	2	10	2
18.	उत्तर प्रदेश	70	6	78	6
19.	पश्चिम बंगाल	50	3	43	4
	कुल	500	50	598	50

राष्ट्रीय जलमार्ग

1838. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) प्रत्येक जलमार्ग पर राज्य-वार कौन-कौन से पत्तन विकसित किये गये हैं;

(ग) इन जलमार्गों पर किस प्रकार के और अनुमानतः कितने पोत चलते हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पत्तनों हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लम्बाई 2716 कि.मी. है जिसमें से 205 कि.मी. केरल राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कोई जलमार्ग नहीं है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) फिलहाल स्वः नोदित कार्गो जलयान जिसमें 350 टन तक क्षमता के तेल टैंकर शामिल हैं, और यंत्रीकृत देशी क्राफ्ट राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में प्रचालन करते हैं।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियत कुल अन्तरिम आबंटन में से 32 करोड़ रु. की राशि इस योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में टर्मिनलों के निर्माण के लिए नियत की गई है। जैसे ही योजना आयोग द्वारा यह राशि आवंटित कर दी जाएगी, कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

गुजरात की विद्युत परियोजनाएं

1839. श्री जयसिंहजी चौहान: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की प्रत्येक विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) इस समय राज्य में कितनी पनबिजली और ताप बिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम और राज्य बिजली बोर्डों के बीच बिजली शुल्क के मामले में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) 1.3.99 की स्थितिनुसार विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत् है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
राज्य और निजी क्षेत्र		
भाप		
1.	उत्तरान पु.	45.00
2.	गांधीनगर	660.00
3.	सिक्का टीपीएस	240.00
4.	उकई	850.00
5.	दुवण	534.00
6.	वानकबोरी	1470.00
7.	कच्छ लिगनाइट	215.00
8.	अहमदाबाद (साबरमती)	450.00
9.	गुजरात राज्य बिजली निगम लिमि.	210.00
गैस		
10.	दुवण	54.00
11.	उतरान (सीसीजीटी)	144.00
12.	वाटवा (अहमदाबाद-सीसीजीटी)	99.00
13.	इसर गुजरात सीसीजीटी	515.00
14.	जीआईपीसीएल सीसीजीटी	167.00
15.	जीटीईसी पगुथान	655.00
डीजल सैट्स		
16.	डीजल सैट्स	17.48
जल विद्युत		
17.	उकई	305.00
18.	कदान	240.00
19.	पानम नहर	2.00
वाइन्ड		
20.	वाइन्ड	166.91
केन्द्रीय क्षेत्र		
गैस		
21.	कवास सीसीजीटी	644.00
22.	गांधीनगर सीसीजीटी	648.00
न्यूक्लीय		
23.	काकरपारा	440.00
	कुल	8771.39

(ख) वर्तमान में एक जल विद्युत परियोजना नामशः सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना (6×200+5×50 मे.वा.) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से निर्माणाधीन है। गुजरात में 7 ताप विद्युत और गैस विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	कवास सीसीपीपी चरण-II जीटी 1-4+एसटी 1 व 2	650.00
2.	जानोर गांधार सीसीपीपी चरण II जीटी 1 से 4 + एस टी 1 व 2	650.00
राज्य क्षेत्र		
3.	दुवण गैस आधारित सीसीपीपी	110.00
प्राइवेट क्षेत्र		
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीएस (मै. जीआईपीसीएल) यूनिट 1 व 2	250.00
5.	साबरमती जे. स्टेशन (मै. ए.ई. कम्पनी)	125.00
6.	बातवा बहुईंधन सीसीपीपी (मै. ए.ई. कम्पनी)	130/150
7.	सी स्टेशन साबरमती (मै. ए.ई. कम्पनी) यूनिट 1 व 2	60.00

(ग) और (घ) विद्युत खरीदने के लिए एनटीपीसी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत क्रय समझौता निष्पन्न करती है, तथापि भारत सरकार द्वारा टैरिफ के संबंध में निर्णय लिया जाता है और टैरिफ परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न होती है।

कर्नाटक में स्वास्थ्य सुविधाएं

1840. **श्री बी.एम. मेनसिंकाई:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी कर्नाटक में सी.जी.एच.एस. के नए औषधालय और अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा उत्तरी कर्नाटक में अस्पताल परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 4 पर विशेषकर उत्तरी कर्नाटक में दुर्घटना/अभिघात अस्पतालों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उत्तरी कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की मदद से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) इस समय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(छ) ऊपर (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम में विद्युत की मांग और आपूर्ति

1841. **श्री भीम दाहाल**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम में मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में विद्युत की मांग पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) पारेषण और प्रणाली बाध्यताओं के कारण सिक्किम केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से अपने हिस्से की विद्युत को पूरी तरह से आहरण नहीं कर पा रहा है। अप्रैल, 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से सिक्किम की भागीदारी और उसकी वास्तविक आहरण निम्नानुसार है:

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्र से भागीदारी	केन्द्रीय क्षेत्र से कुल आहरण
अप्रैल, 98 से जनवरी, 1999	194.9 मि.यू.	47.8 मि.यू.

(ग) रंगीत स्विचयार्ड के एक भाग और 10 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर के संख्या एक के चालू होने के पश्चात् सिक्किम को 25.1.99 से 8 मे.वा. विद्युत केन्द्रीय क्षेत्र 132 के.वी. न्यू जलपाईगुड़ी रंगीत लाइन और रंगीत स्थित एन.एच.पी.सी. उप केन्द्र से सीधे आपूरित की जा रही है। पूर्ण रंगीत स्विचयार्ड के चालू होने के पश्चात् सिक्किम को केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण लाइनों और उप केन्द्रों से और अधिक विद्युत सीधे आपूरित की जाएगी।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थिति

1842. **श्री के. कृष्णमूर्ति**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की ताजा स्थिति क्या है;

(ख) क्या गरीब ग्रामीणों, दलितों, समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों की बेहतर चिकित्सा हेतु मौजूदा नियंत्रण, पर्यवेक्षण और परामर्शक अधिकारी को सुचारू बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा राज्य वार्षिक योजनाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र, बुनियादी न्यूनतम सेवा परिव्यय और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त धन के जरिए किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रशासनिक और पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व हैं। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे के माध्यम से विशेषतौर से महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

1991 की जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित और 30.6.1998 को कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		अपेक्षित	कार्यरत	कमी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1707	1335	372
2.	अरुणाचल प्रदेश	37	47	*
3.	असम	726	619	107
4.	बिहार	2637	2209	428
5.	गोवा	23	18	5
6.	गुजरात	1028	960	68
7.	हरियाणा	414	400	114
8.	हिमाचल प्रदेश	162	322	*
9.	जम्मू और कश्मीर	196	337	*
10.	कर्नाटक	1072	1601	*
11.	केरल	721	956 (960)	*

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	2020	1814	206
13.	महाराष्ट्र	1756	1699	57
14.	मणिपुर	57	69	*
15.	मेघालय	77	85	*
16.	मिजोरम	20	38	*
17.	नागालैंड	54	33	21
18.	उड़ीसा	1062	1352	*
19.	पंजाब	476	484	*
20.	राजस्थान	1247	1646	*
21.	सिक्किम	14	24	*
22.	तमिलनाडु	1237	1436	*
23.	त्रिपुरा	96	58	38
24.	उत्तर प्रदेश	3723	3808	*
25.	प. बंगाल	1726	1556	170

1	2	3	4	5
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	17	*
27.	चंडीगढ़	2	–	2
28.	दादरा एवं नगर हवेली	7	6	1
29.	दमण एवं दीव	2	3	*
30.	दिल्ली	32	8	24
31.	लक्षद्वीप	1	4	*
32.	पांडिचेरी	10	43	*
	अखिल भारत	22349	22991	1513

(आंकड़े अनंतिम हैं)

*फालतू बुनियादी ढांचा-शून्य

केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंज

1843. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल की अनुपलब्धता के कारण केरल में किसी नये टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) केरल में वर्ष 1998-99 में 56 टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना तैयार की गई है। 12 एक्सचेंज पहले ही खोल दिए गए हैं। अन्य को उत्तरोत्तर रूप से स्थापित किया जा रहा है। तथापि, डिजिटल यू एच एफ तथा ओ एफ सी उपस्कर जैसे विश्वसनीय पारेषण माध्यमों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण कुछ देरी हो जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

1844. श्री प्रदीप कुमार यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में नये रसोई गैस एजेन्सियों के लिए अब तक पहचान किये गये स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में आवंटित की गई गैस एजेन्सियों का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हाल ही में सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 10 डीलर चयन बोर्ड गठित किए हैं। इन डीलर चयन बोर्डों का संघटन निम्नवत् है:

(1) उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश - अध्यक्ष

(2) किसी/संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका पद मुख्य प्रबंधक से कम न हो - सदस्य

(3) अन्य तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका पद मुख्य प्रबंधक से कम न हो। - सदस्य

सदस्यों के रूप में तेल कंपनियों के दो अधिकारी तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक अथवा निदेशक (विपणन) द्वारा नामित होने हैं और यह किसी स्थान विशेष पर साक्षात्कार आरंभ करने के लिए नियत तारीख से 3 दिन से पहले नामित नहीं किये जाने हैं। वर्तमान में कार्यरत डीलर चयन बोर्डों के 9 अध्यक्षों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 517 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चयन के लिए लंबित हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 से 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 57 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 9 डीलर चयन बोर्डों के अध्यक्षों की सूची

क्र.सं.	डीलर चयन बोर्डों का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	लखनऊ-I	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री आर के गुलाटी
2.	लखनऊ-III	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री एस आर मिश्रा
3.	लखनऊ-IV	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री जी.बी. सिंह
4.	आगरा-I	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री कैलाश नाथ मिश्र
5.	आगरा-II	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री बी.पी. सिंह
6.	इलाहाबाद-I	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री राम प्रकाश पांडे
7.	इलाहाबाद-II	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री राधे कृष्ण अग्रवाल
8.	बरेली-I	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री राम सूरत सिंह
9.	बरेली-II	न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री एस एन सक्सेना

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1845. **श्री राजो सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार स्वैच्छिक संगठनों को परिवार कल्याण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस सहायता की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) परिवार कल्याण के लिए भारत सरकार से 1998-99 के दौरान सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) मंत्रालय समय-समय पर स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किये गये कार्य का स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से मूल्यांकन कराता है। गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध प्रमुख शिकायतों की जांच मंत्रालय के स्टाफ अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
	1998-99		
1.	सोशियल एक्शन फार डेवलपमेंट, हैदराबाद	15.6.98	2,06,175
2.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अनन्तपुर	29.5.98	1,73,875
3.	विजया वालेन्टरी ओरगेनाईजेशन, मेहबूबनगर	29.7.98	1,28,700
4.	सूसी सुब्रह्मण्यम स्वामी सेवा समिति, चित्तूर	30.7.98	76,885
5.	रूरल वेलफेयर एसोसिएशन, चित्तूर	4.8.98	97,687
6.	रूरल आरगेनाईजेशन फार सोशियल एजूकेशन, चित्तूर	8.10.98	2,06,175
7.	रूरल एजूकेशनल फारेस्ट रिफोर्मस मिशन, अनन्तपुर	31.7.98	1,73,875

1	2	3	4
8.	नवोदया सेवा संगम, मेहबूबनगर	3.11.98	1,89,230
9.	स्वामी विवेकानन्द यूथ एसोसिएशन, अनन्तपुर	4.12.98	1,09,230
10.	रूरल पूअर पिपुल्स वेलफेयर सोसायटी, अनन्तपुर	22.12.98	1,73,875
11.	रूरल सोशियल वेलफेयर एसोसिएशन, मेहबूबनगर	11.1.99	44,585
बिहार			
1.	विशाल कला निकेतन, छपरा	16.6.98	76,885
2.	मगध रिहेबिलीटेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पटना	25.6.98	76,885
3.	ग्रामीण समग्र सेवा संस्थान, मधुबनी	10.8.98	44,585
4.	ग्राविस बिहार, वैशाली	11.9.98	44,585
5.	शाहपुर विकास समिति, छपरा	7.10.98	76,885
6.	तारीयानी सेवायतन, सीतामढ़ी	10.8.98	57,500
7.	त्रियानी सेवायतन, सीतामढ़ी	22.5.98	24,033
8.	नवजीवन विकास संस्थान, मधुबनी	14.12.98	76,885
9.	विकास समिति, जमूई	16.8.98	57,500
चंडीगढ़			
	1998-99		
1.	सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़	5.8.98	6,77,500

सं. डब्ल्यू. 11038/2/96.ओएस

1	2	3	4
2.	सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ सं. डब्ल्यू. 11033/1/98-ओएस	15.10.98	4,87,000
दिल्ली			
	1998-99		
1.	एएलएएमबी, हरी नगर, डब्ल्यू-11040/15/96-स्कोवा-3	29.6.98	31,067
2.	समर्थ-दि प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली डब्ल्यू-11040/16/96-स्कोवा-3	4.8.98	1,05,235
3.	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली डब्ल्यू-11040/1/96-स्कोवा-3	25.8.98	10,27,400
4.	नारी उत्थान समिति, मौजपुर, दिल्ली डब्ल्यू-11040/81/96-स्कोवा-3	11.9.98	62,135
5.	वोलेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, नई दिल्ली डब्ल्यू-11040/1/98-स्कोवा-3	15.9.98	29,067
6.	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली डब्ल्यू-11040/3/98-स्कोवा-1	15.10.98	15,42,000
7.	पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली डब्ल्यू-11033/3/98-स्कोवा-3	8.10.98	12,11,100

1	2	3	4
8.	सेन्टर फार लेबर एजूकेशन एंड सोशियल रिसर्च, नई दिल्ली डब्ल्यू-11040/2/98-स्कोवा-1	30.10.98	15,00,000
9.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली डब्ल्यू-11023/1/98-स्कोवा-1	27.10.98	15,00,000
10.	वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली	11.11.98	2,68,030
		04.02.99	1,17,470
	जैड-28019/88/98-स्कोवा-2		
हरियाणा			
1.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, सोनीपत डब्ल्यू-11030/1/96-वीओपी-2	15.5.98	1,09,230
2.	सरवाइवल फार वोमेन एंड चिल्ड्रन फाउंडेशन, पंचकुला		
	डब्ल्यु-11026/1/98-स्कोवा-1	14.7.98	7,204
	डब्ल्यु-11026/1/98-स्कोवा-1	13.8.98	30,302
	डब्ल्यु-11029/8/93-स्कोवा-2	08.6.98	1,00,395
	डब्ल्यु-11030/2/98-ओ.एस.	15.10.98	25,00,000
	डब्ल्यु-11026/3/98-स्कोवा-1	04.12.98	7,572
जम्मू व कश्मीर			
	1998-99		
1.	कलमकारी सेन्टर (सोसायटी), वोकेशनल ओरियंटेड वोमेन्स पोलिटेक्नीक, जम्मू डब्ल्यु-11017/3/98-स्कोवा-1	26.10.98	15,00,000
2.	जे. एण्ड के. सर्विसेज लीग, अम्बपल्ला, जम्मू डब्ल्यु-11017/2/98-स्कोवा-1	27.10.98	10,00,000

1	2	3	4
कर्नाटक			
	1998-99		
1.	कनकाडासा गलेयारा बलगा, चित्रदुर्ग डब्ल्यु-11022/10/98-स्कोवा-3	17,8,98	1,05,235
2.	कनकाडासा गलेयारा बलगा, चित्रदुर्ग डब्ल्यु. 11022/15/96-स्कोवा-3	28.8.98	1,05,235
3.	परप्पास्वामी विद्या स्मथे, चित्रदुर्ग डब्ल्यु-11022/16/96-स्कोवा-3	7.9.98	76,885
4.	विवेकानन्द रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसायटी, कोलार डब्ल्यु-11022/10/95-स्कोवा-3	2.9.98	62,135
5.	पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, धारवाड़ डब्ल्यु-11022/1/96-स्कोवा-3	4.9.98	8,800
6.	क्वालिटी, कर्नाटक डब्ल्यु-11029/9/93-स्कोवा-3	22.1.99	250
7.	सोसायटी फार सर्विस टू वोलेंटरी एजेंसीज, कर्नाटक डब्ल्यु-11020/60/94-वीओपी-2	1.2.99	4,47,000
मध्य प्रदेश			
	1998-99		
1.	सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, ग्वालियर	29.5.98	1,91,480
2.	श्याम शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान	01.9.98	1,41,530
3.	लेट श्री गेंदालाल समाज कल्याण संस्थान, मौने मॅरिना	03.09.98	1,05,235
4.	सुनीता बाल विद्या समिति, इंदौर	3.11.98	44,685
5.	प्रगति महिला मंडल, मुरेना	12.2.99	2,06,175

1	2	3	4
6.	सार्वजनिक परिवार कल्याण एवं सेवा समिति, ग्वालियर	16.10.98	15,00,000
7.	डा. पाठक चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर सोसायटी	16.10.98	5,02,000
8.	शंकर शिक्षा समिति, भोपाल	23.10.98	15,00,000
9.	संभव सोशियल सर्विस ओरगेनाईजेशन, ग्वालियर	15.10.98	15,00,000
10.	सेन्टर फार लेबर एजूकेशन एंड सोशियल रिसर्च, बिलासपुर	30.10.98	15,00,000
महाराष्ट्र			
	1998-99		
1.	परिवार मंगल ट्रस्ट, पुणे आर-11013/1/94-ओएस	13.7.98	5,75,684
2.	एस ओ एस वी ए डब्ल्यु-11020/60/94-वीओपी-2 आर-13017/1/96-ओ एस	24.7.98	14,26,326
3.	सुविधा फाउंडेशन, अकोला डब्ल्यु-11022/8/95-स्कोवा-3	27.08.98	1,50,000
4.	फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मुम्बई डब्ल्यु-11020/19/94-ओ एस	02.09.98	9,67,137
5.	फैमिली प्लानिंग एंड मेडिकल ट्रस्ट, मुम्बई	16.10.98	7,00,000
मणिपुर			
1.	सोसिओ-इकोनोमिक डेवलपमेंट आरगेनाईजेशन थुबल	29.06.98	62,135

1	2	3	4
नागालैंड			
1998-99			
1.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, दीमापुर डब्ल्यु-11023/3/98-स्कोवा-1	27.10.98	15,00,000
उड़ीसा			
	1998-99		
1.	देवीदत्त युवा प्रशाद, नयागढ़ डब्ल्यु-11024/68/94-वीओपी-2	15.5.98	22,293
2.	उपासना केन्द्र, भुवनेश्वर डब्ल्यू-11024/230/95-स्कोवा-3	15.6.98	44,585
3.	जयादुर्गा जुबक संघ, कटक डब्ल्यु-11024/107/94-स्कोवा-3	17.6.98	44,585
4.	प्रगति युवा चक्र, कटक डब्ल्यु-11024/89/96-स्कोवा-3	26.6.98	76,885
5.	पियुपल्स एक्शन फार यूथ एंड लीडरशिप धेनकनाल डब्ल्यु-11024/73/94-स्कोवा-3	24.7.98	77,085
6.	कस्तूरीबाई महिला समिति, धेनकनाल डब्ल्यु-11024/206/95-स्कोवा-3	30.07.98	1,41,530
7.	रूरल डेवलपमेंट एक्शन सैल, मयूरभंज डब्ल्यू-11024/1/96-ओ एस	04.08.98	77,404
8.	पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर डब्ल्यु-11024/18/95-स्कोवा-3	13.08.98	3,300

1	2	3	4
9.	बापूजी युवक संघ, धेनकनाल डब्ल्यु-11024/199/95-स्कोवा-3	29.05.98	76,885
10.	सिद्धेशवरा बानी मंदिर, जयपुर डब्ल्यु-11024/44/94-स्कोवा-3	28.08.98	38,442
11.	वोलेंटरी एसोसिएशन फार रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एंड सोशियल एक्शन, भद्रक डब्ल्यु-11024/46/93-स्कोवा-3	11.09.98	44,585
12.	सोंशियल ओरगेनाईजेशन फार वोलेन्टरी एक्शन, धेनकनाल डब्ल्यु-11024/160/95-स्कोवा-3	24.09.98	44,585
13.	गनिया उन्नायन कमेटी, नयागढ़ सं. डब्ल्यु-11024/213/95-स्कोवा-3	09.12.98	44,585
14.	मा तन्नी रूरल डेवलपमेन्ट एजेंसी, जयपुर सं. डब्ल्यु-11024/151/94-स्कोवा-3	26.06.98	44.585
15.	कल्यानी महिला समिति बारीपाडा डब्ल्यु-11024/37/93-स्कोवा-3	12.11.98	1,05,235
16.	इंदिरा सोशियल वेलफेयर आरगेनाइजेशन, धेनकनाल डब्ल्यू-11024/147/94-स्कोवा-3	26.0898	1,09,240
17.	उड़ीसा वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, भुवनेश्वर डब्ल्यु-11024/3/98-ओएस/स्कोवा-2	26.10.98	20,00,000

1	2	3	4
राजस्थान			
	1998-99		
1.	भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर डब्ल्यू. 11026/1/98-स्कोवा-1	3.11.98	20,00,000
2.	ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर डब्ल्यू. 11026/4/98-स्कोवा-1	10.11.98	5,45,230
तमिलनाडु			
	1998-99		
1.	वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी कट्टाडोमा डब्ल्यू. 11027/74/95-स्कोवा-1	5.6.98	1,41,530
2.	तमिलनाडु साईंस फोरम, चेन्नई, डब्ल्यू. 11028/6/96-स्कोवा-1	5.10.98	3,05,000
3.	अरुमबुगल ट्रस्ट, तिरुनेलवेली डब्ल्यू. 11027/6/96-स्कोवा-1 .	8.1.99	22,290
4.	ग्रामोदय सोशल सर्विस, तूतीकोरिन डब्ल्यू. 11027/71/95-स्कोवा-1	8.1.99	206,175
5.	करुणय काल्वी संगम, कट्टावोमा डब्ल्यू. 11027/23/96-स्कोवा-1	8.199	76,885
6.	गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल डब्ल्यू 11027/10/98-स्कोवा-1	19.5.98	25,00,000
7.	रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमैंट सोसायटी पी.एम.टी. डब्ल्यू. 11027/3/98-स्कोवा-1	10.11.98	20,00,000

1	2	3	4
8.	तमिलनाडु वोलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, चेन्नई, डब्ल्यू. 11027/4/98-स्कोवा-1	16.10.98	20,00,000
उत्तर प्रदेश			
	1998-99		
1.	कास्मिक सोसाइटी फार ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रिसर्च, प्रतापगढ़ डब्ल्यू. 11028/82/95-स्कोवा-1	5.6.98	77,085
2.	नागरिक सेवा समिति बुलन्दशहर डब्ल्यू. 11028/2/96-स्कोवा-5 बी.ओ.पी.-2	6.8.98	1,41,530
3.	बाल सदन एवं बालवाड़ी केन्द्र, मिर्जापुर डब्ल्यू. 11028/96/95-स्कोवा-1	5.6.98	76,885
4.	प्यूपल्स सोसाइटी, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/65/96-स्कोवा-1	15.10.98	76,885
5.	नव जागरण समिति, आजमगढ़ डब्ल्यू. 11028/9/95-स्कोवा-1	21.10.98	76,885
6.	इंडियन एसोसिएशन आफ चाइल्ड एंड वीमेन रिलीफ, लखनऊ डब्ल्यू. 11028/15/93-ओ. एस./एस-1	26.10.98	18,88,565
7.	डा. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति, जालौन डब्ल्यू. 11028/123/95-स्कोवा-1	21.9.98	76,885
8.	इन्स्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/116/95-स्कोवा-1	31.8.98	1,91,480

1	2	3	4
9.	जय करण बिन्द ग्राम सेवा संस्थान इलाहाबाद, डब्ल्यू. 11029/33/93-स्कोवा-1	28.8.98	38,443
10.	खुशहाली, लखनऊ डब्ल्यू. 11029/4/91-स्कोवा-1	13.7.98	29,850
11.	शान्ति निकेतन बालिका जूनियर हाई स्कूल समिति, फरुखाबाद, डब्ल्यू 11028/114/95-स्कोवा-1	21.9.98	1,41,530
12.	सर्वांगीण ग्रामोदय सेवा संस्थान, आजमगढ़, डब्ल्यू. 11028/10/95-स्कोवा-1	3.11.98	1,03,088
13.	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11029/30/93-स्कोवा-1	11.11.98	2,09,475
14.	श्याम बाल निकेतन, बुलन्दशहर, डब्ल्यू. 11028/21/96-स्कोवा-1	4.12.98	1,91,680
15.	मानव कल्याण सेवा समिति, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/94/96-स्कोवा-1	10.12.98	105,235
16.	ग्रामीण महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई केन्द्र, आजमगढ़ डब्ल्यू. 11028/7/98-स्कोवा-1	14.12.98	76,885
17.	रूरल लिटिगेशन एंड इनटाइटलमेंट केन्द्र, देहरादून डब्ल्यू. 11028/7/96-ओ.एस./एस-1	15.12.98	5,50,000
18.	रतन ग्राम्य विकास समिति, रामपुर डब्ल्यू. 11028/30/97-स्कोवा-1	22.12.98	44,585
19.	अर्सी ग्रामोद्योग संस्थान, शाहजहांपुर डब्ल्यू. 11028/123/96-स्कोवा-1	9.12.98	44,585

1	2	3	4
20.	पं. छद्मी लाल मेमोरियल कल्याण समिति, फरुखाबाद डब्ल्यू. 11028/107/95-स्कोवा-1	11.12.98	44,585
21.	इंडियन एसोसिएशन आफ चाइल्ड एंड वीमेन रिलीफ, लखनऊ, डब्ल्यू. 11028/25/93-स्कोवा-1/ओएस	8.1.99	11,79,750
22.	माडर्न कन्या जु.हा. स्कूल, फरुखाबाद डब्ल्यू. 11028/81/95-स्कोवा-1	25.1.99	76,885
23.	इंडियन इन्स्टीट्यूट फार डेवलपमेंट स्टडीज रिसर्च, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/45/95-स्कोवा-1/ओएस	11.1.99	29,25,986
24.	इंडियन इन्स्टीट्यूट फार डेवलपमेंट स्टडीज रिसर्च, इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/4/98-स्कोवा-1	14.10.98	20,00,000
25.	उत्थान-सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलीविएशन इलाहाबाद डब्ल्यू. 11028/2/98-स्कोवा	26.10.98	20,00,000
पश्चिम बंगाल			
	1998-99		
1.	चाईल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता डब्ल्यू. 11029/8/93-वीओपी-2	6.5.98	29,01,201
	जैड. 28019/56/98-स्कोवा-2	14.7.98	2,35,000
2.	कृष्णा रामपुर महिला उन्नयन समिति, 24, परगना साऊथ, डब्ल्यू. 11029/8/96-स्कोवा-1	20.7.98	76,885

1	2	3	4
3.	वेस्ट बंगाल वोलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, कलकत्ता डब्ल्यू. 11029/12/98-ओ.एस.	15.10.98	2,00,000
4.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, कलकत्ता डब्ल्यू. 11029/5/98-ओ.एस.	15.10.98	20,00,000
5.	गाना उन्नयन परिषद, कलकत्ता डब्ल्यू. 11029/4/98-ओ.एस.	16.10.98	15,00,000

[अनुवाद]

पढ़ाने वाले चिकित्सकों की नियुक्ति

1846. श्री सुरेश वरपुडकर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पढ़ाने वाले चिकित्सकों को शिक्षेतर कार्यों में नियुक्त करने से संबंधित कोई दिशा-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों की सीटें कम कर दी हैं;

(घ) यदि हां, गत पांच वर्षों से मेडिकल कालेज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मेडिकल कालेजों से शिक्षेत्तर कार्यों के लिए शिक्षकों को लिए जाने की कार्यवाही रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने की का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) शैक्षणिक डाक्टरों की गैर-शिक्षण ड्यूटी पर तैनाती के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिक्षकों को ड्यूटी सौंपना संबंधित कालेज प्राधिकारियों का दायित्व है।

गैस आधारित पिपावाव विद्युत परियोजना

1847. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री दिलीप संघाणी:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री हरिन पाठक:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए गैस आधारित पिपावाव विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने ताप्ती क्षेत्र से गैस उपलब्ध कराने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो ताप्ती क्षेत्र से सारी गैस एच.बी.जे. पाइपलाइन को देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पिपावाव विद्युत परियोजना को गैस का आवंटन ताप्ती क्षेत्र से अथवा किसी अन्य स्रोत से करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गैस कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1989 में अभी विकसित किए जाने वाले मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से पीपावव में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना को गैस आबंटित करने और गांधार क्षेत्रों से एच बी जे पाइपलाइन प्रणाली में गैस ले जाने का निर्णय लिया गया। तथापि, बाद में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों को विकसित करने संबंधी निवेश निर्णय अभी लिए जाने थे, गांधार क्षेत्र में 600 मेगावाट प्रत्येक की दो गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गांधार गैस का आबंटन करने और मध्य तथा दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से गैस लेने पर सहमति व्यक्त की गई, ताकि एच बी जे पाइपलाइन प्रणाली के आसपास वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा किया जा सके। गुजरात सरकार को तदनुसार परामर्श दे दिया गया है।

[हिन्दी]

बगासे आधारित ऊर्जा संयंत्र

1848. श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बगासे आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) 106 मेगा. की समग्र क्षमता वाली 21 खोई सह उत्पादन विद्युत परियोजनाओं को 4 राज्यों में पहले ही आरंभ किया जा चुका है। 7 राज्यों में 207 मेगा. क्षमता वाली 27 परियोजनाओं के कार्यान्वयनाधीन होने की सूचना मिली है। चार राज्यों में खोई आधारित 10 विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन साधारणत: 18-24 महीनों की अवधि में होता है। हालांकि कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ करना, वित्तीय संवृत्ति, विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य अनुमोदनों एवं निरापत्तियों पर निर्भर करता है।

विवरण

खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	रिपोर्टों की सं.	अतिरिक्त विद्युत क्षमता (मेवा.)
1.	गुजरात	2	25.00
2.	कर्नाटक	5	44.20
3.	महाराष्ट्र	2	21.18
4.	पंजाब	1	10.20

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा के लिए भारत और सेनेगल के बीच समझौता

1849. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सेनेगल के बीच सौर ऊर्जा से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते को कब तक अमल में लाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) सौर प्रकाशवोल्टीय के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और सेनेगल गणतंत्र के साथ 15 जनवरी, 1999 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में सहयोग, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर

समिति के अनुसार समानता और संयुक्त लाभ के आधार पर सौर प्रकाशवोल्टीय और अन्य अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, संवर्धन और वाणिज्यीकरण शामिल है। इस ज्ञापन के एक भाग के रूप में, भारत द्वारा सेनेगल में एक सौर रोशनी प्रदर्शन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें इस परियोजना के लिए भारत में निर्मित प्रणालियों का डिजाइन, सप्लाई और स्थापना की जाएगी। यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभावी हो गया।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

1850. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से जल ऊष्मीय प्रणाली के लिए हाल में राज सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली की व्यावसायिक और तकनीकी अर्थक्षमता को भी ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के वर्ष 1984 में आरंभ किए गए सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत सौर जल तापकों के व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों ही उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक राजसहायता दी जा रही थी। इस आर्थिक राजसहायता को वर्ष 1993-94 में बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर उपयोगकर्त्ताओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण की योजना आरंभ की गई। वर्तमान में मंत्रालय की ब्याज आर्थिक राजसहायता योजना के अंतर्गत, उपयोगकर्त्ताओं की श्रेणी पर निर्भर करते हुए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 5%-8.3% की ब्याज दर पर उदार ऋण उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक संगठन आयकर उद्देश्यों हेतु 100% ह्रास लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) और (घ) उदार ऋण योजनाओं को आरंभ करते समय सौर जल तापन प्रणालियों की वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखा गया। अब सौर जल तापन की प्रौद्योगिकी काफी परिपक्व हो चुकी है, तथापि इस दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई ईंधन लागत को देखते हुए, सौर जल तापन प्रणालियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुस्थिर रूप से बढ़ रही है। जहां विद्युत के स्थान पर सौर प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इस मामले में निवेश की पुनर्अदायगी अवधि 2-4 वर्ष है और जहां अन्य ईंधनों के स्थान पर सौर प्रणाली का उपयोग किया जाता है, वहां पुनर्अदायगी अवधि 5-6 वर्ष है। इसके अलावा, सौर प्रणालियों का उपयोग करने से अन्य पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं।

जीवन रक्षक औषधियों के संबंध में इन्टरनेट सेवा

1851. डा. अशोक पटेल:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद रोगियों को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए भारत में पहली बार इंटरनेट पर "केमिस्टि की दुनिया साइबर केमिस्ट' शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त सेवा किन-किन शहरों में शुरू की जाएगी और यह सेवा किस समय उपलब्ध होगी; और

(घ) उपर्युक्त सेवा कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) मैसर्स मैग्स इन्टरनेशनल, नई दिल्ली द्वारा सेवाएं शुरू करने के बारे में "न्यू मेल मेडिसिन्स एंड साइबर केमिस्ट" शीर्षक से दिनांक 3.3.1999 के "दी हिन्दू" समाचार-पत्र में छपा यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

मन्नारगुड़ी में ताप विद्युत परियोजना

1852. **श्री टी.आर. बालू:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मन्नारगुडी में ताप विद्युत संयंत्र लगाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का तमिलनाडु स्थित मन्नारगुड़ी में इस समय ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण

1853. **श्री मदन पाटील:**
श्री माधव राव पाटील:
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:
श्री विठ्ठल तुपे:
श्री महेश कनोडिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में आरम्भ की जाने वाली स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित स्वास्थ्य परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(घ) इन स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनुमानतः किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा;

(ङ) विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अस्पताल/औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(च) क्या विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेन्सियों द्वारा सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की कोई समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जाली विधि महाविद्यालय

1854. **श्री यू.वी. कृष्णमराजु:**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक अवैध विधि महाविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा हाल ही में मान्यता-वंचित किये गये महाविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस तरह के महाविद्यालयों की गतिविधियों की जांच हेतु कदम उठाये हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) से (ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् को निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि अनेक विधि महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हुए बिना, और/या सरकार की अनुज्ञा के बिना चल रहे हैं। अनेक विधि महाविद्यालयों के पास भारतीय विधिज्ञ परिषद् की संबद्धता का अनुमोदन नहीं था। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अनेक विधि महाविद्यालयों को अनुमोदित किया है जिनकी सूची इसके साथ संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) ऐसे कुव्यवस्थित विधि महाविद्यालयों की, जो आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं से रहित हैं और जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों का अनुसरण नहीं करते हैं, वृद्धि को रोकने के लिए, परिषद् द्वारा निरीक्षण किया जाता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधि शिक्षा समिति के निरीक्षण की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर, समुचित कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उन विधि महाविद्यालयों की सूची, जिनकी संबद्धता का भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया

I. 1996

1. मद्रास ला कालेज, चेन्नई, तमिलनाडु।
2. दार-उस-सलाम एजुकेशन सोसाइटी लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
3. ह्यूमन रिसोर्सेस डिवेलपमेंट सोसाइटी ला कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
4. भारतीय विद्यापीठ लॉ कालेज, करद महाराष्ट्र।
5. के.एम.एस. लॉ कालेज, कटक, उड़ीसा।
6. जनता केल्वनी माडल लॉ कालेज, जम्बूसर, गुजरात।
7. कलिंग लॉ कालेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा
8. हिम्मत नगर लॉ कालेज, हिम्मत नगर, उड़ीसा
9. एम.एम.ए. लॉ कालेज, चेन्नई, तमिलनाडु
10. रोहिणी कान्ता बरुआ लॉ कालेज, डिब्रूगढ़, असम।
11. तिनसुकिया लॉ कालेज, तिनसुकिया, असम।
12. डी.एच.एस. कानोई लॉ कालेज, डिब्रूगढ़, असम।
13. गोलाघाट लॉ कालेज, गोलाघाट, असम।
14. शिव सागर लॉ कालेज, शिव सागर, असम।
15. ला कालेज अंडर सेवा समिति, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
16. के.एन.आर. लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
17. पी.एन.आर. लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (मानदंडों को पूरा करने पर बाद में 1998 में अनुमोदन)।
18. अम्बेडकर लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (मानदंडों को पूरा करने पर बाद में 1997 में अनुज्ञात किया गया)।
19. लालजालिएन मंगिथन मांगते मेमोरियल लॉ कालेज, चुराचन्दपुर, मणिपुर (1996-97 के बाद कोई प्रवेश नहीं)
20. एम.एस. रमैय्या कालेज आफ लॉ, बंगलौर, कर्नाटक (संबद्ध करने के मानदंडों को पूरा करने पर, बाद में अनुमोदित)
21. रॉयल अकादमी आफ ला, ओयनाम, मणिपुर।
22. लक्ष्मणराव, जरखी होली लॉ कालेज, गोकाक, कर्नाटक (संबद्ध करने के मानदंडों को पूरा करने पर बाद में अनुमोदित)

II. 1997

1. संघमित्र लॉ कालेज, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश।
2. श्री शिरडी साई लॉ कालेज, अंकापल्ली, आंध्र प्रदेश।
3. के.एच. पाटिल लॉ कालेज, बंगलौर कर्नाटक।
4. पृथ्वी लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
5. जनता शिक्षण मंडल लॉ कालेज, अलिबाग, महाराष्ट्र
6. टी.के. टोपे लॉ कालेज, मुंबई, महाराष्ट्र।
7. बाबू जगजीवन राम ला कालेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
8. बिहार इंस्टिट्यूट आफ ला, पटना, बिहार।
9. महात्मा एजुकेशन सोसाइटी पिल्लै कालेज, पानवेल, महाराष्ट्र।
10. गवर्नमेंट ला कालेज, पाला, केरल।
11. आर.जी.आर. सिद्धान्ती ला कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
12. एस.बी.वी.पी. ला कालेज, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश।
13. शंकर ला कालेज कुर्नूल, आंध्र प्रदेश।
14. दयानंद ला कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
15. उस्मानिया ला कालेज, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश।
16. ब्रह्मपुर ला कालेज, ब्रह्मपुर, उड़ीसा।

17. संतोष एजुकेशन सोसाइटी ला कालेज, करीम नगर
18. के.एन.आर. ला कालेज, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश
19. राजीव गांधी ला कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
20. वाई.पी.आर. ला कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
21. टैगोर ला कालेज, संगारेड्डी, आंध्र प्रदेश।
22. जवाहर लाल नेहरू ला कालेज, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश।
23. एम.एम.ए. ला कालेज, चेन्नई।
24. सोघरा ला कालेज, बिहार शरीफ, नालन्दा, बिहार।
25. सर्वोदय ला कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
26. बोधिवृक्ष ला कालेज, हुमनाबाद, कर्नाटक।
27. कस्तूरबा लॉ कालेज भुवनेश्वर उड़ीसा।
28. के. जी. एफ. लॉ कालेज ओरगाम, कर्नाटक (न्यायालय के आदेश के अधीन चल रहा है)।
29. रामदेव सिंह, ला कालेज, मुंगेर, बिहार।
30. राजेन्द्र प्रसाद लॉ कालेज, हजारी बाग, बिहार।
31. वाई.एम.एस. लॉ कालेज, कुंदपुर, कर्नाटक।
32. विजया लॉ कालेज, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश।
33. दुर्गा लॉ कालेज, महबूब नगर, आंध्र प्रदेश।
34. न्यू लायोला ला कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
35. विद्या पीठ ला कालेज हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
36. गंगाराम गोगिया ला कालेज हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
37. के.वी. रंगा रेड्डी, ला कालेज हैदराबाद (न्यायालय के आदेश के अधीन चल रहा है)
38. पाणिनीय लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
39. सरदार पटेल लॉ कालेज, हैदराबाद आंध्र प्रदेश।
40. लोकमान्य तिलक लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
41. शंकर जी मेमोरियल लॉ कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
42. निजामाबाद लॉ कालेज, निजामाबाद आंध्र प्रदेश।
43. सत्यम् लॉ कालेज, तनकु, आंध्र प्रदेश।

III. 1998

1. इन्स्टीट्यूट आफ लॉ, सोशल जस्टिस एंड डिवेलपमेंट, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2. गिरिडीह लॉ कालेज, गिरिडीह बिहार।
3. फुलबनी लॉ कालेज, फुलबनी, उड़ीसा।
4. शत्रुमर्दन शाही लॉ कालेज, बेट्टिया, बिहार।
5. स्वामी विवेकानंद लॉ कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. चित्रांश ए.डी. लॉ कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश।
7. साधु बासबानी लॉ कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश।
8. राजीव गांधी लॉ कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश।
9. इंदिरा प्रियदर्शिनी लॉ कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश।
10. गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स लॉ कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
11. ऋषि गालव लॉ कालेज, मुरैना, मध्य प्रदेश।
12. महाराजा मानसिंह लॉ कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
13. स्वर्गीय माधवराव हेगड़े, लॉ कालेज, थाणे, महाराष्ट्र।
14. ए.एम.सी. लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
15. बी.एम.एस. लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
16. शेषाद्रिपुरम लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
17. के.एल.ई. सोसाइटी लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
18. राजीव गांधी लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
19. जवाहर लाल नेहरू लॉ कालेज, शक्ति, मध्य प्रदेश।

20. जगतसिंहपुर लॉ कालेज, जगतसिंहपुर, उड़ीसा।

21. के.एम.एस. लॉ कालेज, कटक, उड़ीसा।

22. एन.डी.एम.वी.पी. लॉ कालेज, नासिक, महाराष्ट्र।

23. अनंतपुर ला कालेज, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश।

24. मार्गदर्शी लॉ कालेज, करीम नगर, आंध्र प्रदेश।

25. न्यायमूर्ति कुमारय्या लॉ कालेज, करीम नगर, आंध्र प्रदेश।

26. अखिल भारतीय लॉ कालेज, वारंगल, आंध्र प्रदेश।

27. इस्लामिया लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।

28. एम पी आर लॉ कालेज, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश।

29. बापतला लॉ, कालेज, बपतला आंध्र प्रदेश।

30. पी.एस. राजू लॉ कालेज, ककिंडा, आंध्र प्रदेश।

31. गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, देवोरी, मध्य प्रदेश।

32. नेशनल अकेडेमी आफ ला, ओयनम, मणिपुर।

33. संघमित्रा ला कालेज, विशाखापत्तनम, उड़ीसा।

34. नेशनल ला कालेज, चिंगनरवा, मणिपुर।

35. श्री नीलकंठ महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

36. प्रवार एड्यूकेशन सोसाइटी लॉ कालेज, प्रवार नगर, महाराष्ट्र।

37. के.एस. गोविंदराव आदिक लॉ कालेज, श्रीरामपुर महाराष्ट्र।

38. पी.ई.एस. लॉ कालेज, पुणे, महाराष्ट्र।

39. पदमश्री डी.वाई पाटिल लॉ कालेज, पिम्परी, पुणे महाराष्ट्र।

40. बेसंत थियोसोफिकल कालेज मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश।

41. गवर्नमेंट लॉ कालेज, बरेली, मध्य प्रदेश।

42. स्वामी विवेकानंद लॉ कालेज, रायसेन, मध्य प्रदेश।

43. खालसा कालेज, अमृतसर, पंजाब।

44. मिदनापोर लॉ कालेज, मिदनापोर, पश्चिम बंगाल।

45. बाबूलालजी तिवारी मैमोरियल लॉ कालेज, विदिसा, मध्य प्रदेश।

46. आदित्य लॉ कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश।

47. विनायका मिशन्स लॉ कालेज, सेलम, तमिलनाडु।

48. श्रीकृष्णा इंस्टिट्यूट आफ लॉ, तुमकूर, कर्नाटक।

49. लाल बहादुर शास्त्री कालेज आफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, भोपाल, मध्य प्रदेश।

50. महर्षि अरविंद कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

51. तमिलनाडु लॉ कालेज चेन्नई, तमिलनाडु।

52. संतोष एड्यूकेशंस सोसाइटी लॉ कालेज, करीम नगर, आंध्र प्रदेश।

53. कलिंगा लॉ कालेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

54. कमला नेहरू ला कालेज, कोखा, मध्य प्रदेश।

55. निजामाबाद लॉ कालेज, निजामाबाद आंध्र प्रदेश (2000 के पश्चात् कोई अनुमोदन नहीं)।

56. गोकुलानंद मठारी ला कालेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

57. ब्रह्मपुर लॉ कालेज, ब्रह्मपुर, उड़ीसा।

58. अल-अमीन लॉ कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।

59. जवाहर लाल नेहरू लॉ कालेज, सोहागपुर, मध्य प्रदेश।

60. ए.वी. एड्युकेशन सोसाइटीज लॉ कालेज (के.वी. रंगा रेड्डी ला कालेज न्यायालय आदेश के अधीन चल रहा है)।

61. गवर्नमेंट ला कालेज, देवोरी, म.प्र.।

62. जम्मू एड्यूकेशन सोसाइटीज ला कालेज, जम्मू।

63. भारत एड्युकेशन सोसाइटीज ला कालेज बंगलौर, कर्नाटक।

64. इंदिरा प्रियदर्शिनी ला कालेज, भोपाल, म.प्र.।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी केन्द्र

1855. **श्री मोहन रावले:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने हमारे देश में एक पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि यूरोपीय आयोग ने एक पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी सुविधा की संकल्पना का उल्लेख किया है जो भारत के लघु, मध्यम तथा बड़े दर्जे के उद्यमियों तथा स्थानीय योजनाकारों को और आगे सहयोग के संभावित विकल्प के रूप में इस समय उपलब्ध उत्कृष्ट यूरोपीय तकनीकियां उपलब्ध करवा सकेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

1856. **डा. संजय सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप कितनी लघु इकाइयां बंद की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी वित्तीय कठिनाइयों के मद्देनजर इन इकाइयों को प्रदूषण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक मानक के आधार पर 'ज' श्रेणी के अंतर्गत 118 इकाइयों का अभिनिर्धारण किए जाने के बाद उन्हें बन्द करा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 682 इकाइयों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना करने में असफल रहने की स्थिति में बन्द कर दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इनमें से 495 इकाइयों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना कर लिए जाने के बाद चालू रखने की अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) सरकार का किसी भी यूनिट को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सीमा से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि सरकार ने लघु उद्योग यूनिटों को सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में 21 औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर सरकार ने पहले ही 48.00 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण साधनों की खरीद के लिए रियायती उत्पाद शुल्क जैसे अन्य वित्तीय लाभ और नान-कन्फर्मिंग एरिया के कन्फर्मिंग एरिया में यूनिटों के स्थानांतरण के लिए कर में छूट भी उपलब्ध है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन फैलोशिप

1857. **श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:**
श्री नादेन्दला भास्कर राव:
श्री अजय कुमार एस. सरनायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997-98 हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन फैलोशिप के लिए चयनित डाक्टरों की सूची को स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रशिक्षण हेतु उन्हें किन-किन देशों के दौरे पर जाना है;

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन फैलोशिप हेतु डाक्टरों के चयन के क्या मानदण्ड हैं और किन डाक्टरों का एक से अधिक बार चयन किया गया; और

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन फैलोशिप हेतु चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी नहीं। 1998-99 के द्विवार्षिकी के लिए मनोनयन क्लीयर कर दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेज दिए गए हैं।

(ग) प्रशिक्षण के लिए देश का निश्चय कई मानदण्डों पर किया जाता है जैसे विशेषज्ञता का क्षेत्र, उम्मीदवारी को स्वीकार करने में संस्थान की इच्छा, पाठ्यक्रम की अवधि, निधियों की उपलब्धता आदि।

(घ) अध्येतावृत्ति के लिए डाक्टरों के चयन के मानदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य प्रशासन में सरकारी सेवक कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के साथ;

(2) आवेदन करते समय 50 वर्ष से कम आयु का हो और निर्धारित न्यूनतम पात्रता अर्हता पूरी करता हो;

(3) दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत भी साथ-साथ संस्तुति नहीं की गई हो;

(4) पिछले 5 वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति प्राप्त न की हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मानदण्डों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार को वर्तमान अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ङ) चयन सभी राज्यों को भेजे गए परिपत्रों, जिनमें चयन का मानदण्ड, सम्भावित विशेषज्ञता का क्षेत्र और आवेदन की अंतिम तिथि दी गई थी, के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया जाता है। उसके बाद पात्र आवेदनों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाती है और मंत्री स्तर पर अनुमोदन किया जाता है।

उच्च क्षमता के अनन्वेषित तेल क्षेत्र

1858. डा. असीम बाला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च क्षमता के अनन्वेषित तेल क्षेत्रों की संख्या क्या है;

(ख) कितने तेल क्षेत्रों से तेल निकाला जा रहा है तेल क्षेत्र-वार कितना तेल निकाला गया है; और

(ग) वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम न पाए गए उन तेल क्षेत्रों का नाम क्या है, जहां से तेल निकाला जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, कोई नहीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) I. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी)

ओ एन जी सी निम्न ब्यौरे के अनुसार अपने चार क्षेत्रों में 11 उत्पादन परियोजनाओं से उत्पादन कर रहा है:

	क्षेत्र	परियोजना	1997-98 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन (एम एम टी)
1.	मुंबई क्षेत्र व्यवसाय केन्द्र (एमआरबीसी)	(1) बंबई अपतट परियोजना	19.863
2.	पश्चिमी क्षेत्र व्यवसाय केन्द्र (डब्ल्यूआरबीसी)	(1) अहमदाबाद परियोजना (2) मेहसाणा परियोजना (3) अंकलेश्वर परियोजना (4) कैम्बे परियोजना (5) राजस्थान परियोजना	5.950
3.	पूर्वी क्षेत्र व्यवसाय केन्द्र (ईआरबीसी)	(1) असम परियोजना (2) धनसिरी घाटी परियोजना (3) कछार परियोजना	2.047
4.	दक्षिणी क्षेत्र व्यवसाय केन्द्र (एसआरबीसी)	(1) कावेरी परियोजना (2) कृष्णा गोदावरी परियोजना	0.390

नागालैंड में उत्पादन प्रचालन मई, 1994 में निलंबित कर दिए गए।

II. आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल)

1997-98 में ओ आई एल द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार है:

(एमएमटी)

1.	असम	3.064
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.030

III. निजी/संयुक्त उद्यम क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	क्षेत्र का नाम	औसत उत्पादन (टन प्रति दिन)
	1	2
1.	राव्वा	6600
2.	पन्ना	3250

	1	2
3.	मुक्ता	205
4.	पी वाई-3	1000
5.	खरसांग	100
6.	ढोलका	53
7.	बकरोल	25
8.	असजोल	11
9.	भंडूत	0.5
10.	इंदरोरा	0.3
11.	कैम्बे	0.2

(ग) ओ एन जी सी की विभिन्न तेल खोजों में से 10 वर्तमान प्रौद्योगिकी और मूल्यों के साथ आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई। तथापि, इन खोजों का यह पता लगाने के लिए समीक्षा की जा रही है कि क्या इन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त भौतिक निवेश/प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। खोजें निम्नलिखित हैं:

बेसिन	खोज का नाम
बंबई अपतट बेसिन	सी डी धानू (बी-12) एस डी-1 एस डी-4 बी-15 बी-18
ऊपरी असम	बिहुबार
कैम्बे	मही हाई
कृष्णा-गोदावरी (अपतटीय) बेसिन	जी-2
कावेरी (अपतटीय)	पी एच-9

राजस्थान में बागेवाला क्षेत्र के अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से ओ आई एल तेल नहीं निकाल रहा है, सिवाय असम में कुछ बहुत छोटी संरचनाओं के, क्योंकि वे वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हैं। निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालनों के अंतर्गत एक बहुत छोटे क्षेत्र अर्थात साबरमती की वाणिज्यिक व्यवहार्यता संदेहास्पद बताई गई है और इसे अभी निर्धारित किया जाना है।

विदेशों में भारतीय अस्पताल/चिकित्सा केन्द्र

1859. श्री मादेन्दला भास्कर राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में भारतीय पूंजी निवेश से कितने भारतीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इनमें सरकार द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) क्या विदेशों में ऐसे और अस्पताल/केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश की विद्युत परियोजनाए

1860. श्री हरि केवल प्रसाद: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी राशियों का आवंटन किया है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष

1995-96, 1996-97 व 1997-98 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आवंटन निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	698.77	619.32	917.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.00	84.50	96.50
3.	असम	202.95	165.70	162.00
4.	बिहार	413.26	108.86	103.30
5.	गोवा	17.60	19.80	19.88
6.	गुजरात	503.23	503.23	620.78
7.	हरियाणा	261.00	161.25	287.40
8.	हिमाचल प्रदेश	138.79	147.25	164.92
9.	जम्मू व कश्मीर	306.57	374.86	393.84
10.	कर्नाटक	680.00	581.00	608.09
11.	केरल	450.00	549.05	627.00
12.	मध्य प्रदेश	800.63	702.69	638.32

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	1082.74	1251.79	1457.49
14.	मणिपुर	44.50	42.18	43.00
15.	मेघालय	35.65	35.65	91.66
16.	मिजोरम	29.60	43.70	35.60
17.	नागालैंड	21.41	21.40	21.20
18.	उड़ीसा	261.57	401.95	604.60
19.	पंजाब	699.32	682.63	784.00
20.	राजस्थान	811.32	730.00	702.24
21.	सिक्किम	25.88	30.88	30.88
22.	तमिलनाडु	766.09	700.00	870.39
23.	त्रिपुरा	48.00	33.16	28.66
24.	उत्तर प्रदेश	1879.81	1243.98	1803.22
25.	पश्चिमी बंगाल	614.25	1215.25	1253.95
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	15.28	15.37	15.37
27.	चंडीगढ़	9.85	9.85	14.50

1	2	3	4	5
28.	दादर एवं नगर हवेली	4.86	5.36	5.53
29.	दमन एवं दीव	3.42	3.97	4.37
30.	दिल्ली	437.75	416.37	298.00
31.	लक्ष्यद्वीप	1.95	1.98	2.16
32.	पांडिचेरी	41.01	43.40	45.20

कावेरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोज

1861. **श्री के. येरननायडू:**
श्री चंदू लाल अजमीरा:
डा. एस. वेणुगोपालाचारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कई महीनों के संछिद्रण के बाद कावेरी बेसिन के समुद्र तट में एक शुष्क कुआं खोदा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सर्वेक्षण के बाद संभावित तेल क्षेत्र की खोज सफल नहीं हुई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरंभिक जानकारी ठीक करने और खोज कार्य में कुप्रबंधन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हाल ही में, ओ एन जी सी ने कावेरी बेसिन में 771 मीटर के गहन जल पर एक अन्वेषी कूप (सी डी डब्ल्यू-1-1ए) का वेधन किया है।

(ख) और (ग) अन्य विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के साथ-साथ भूकंपीय सर्वेक्षण केवल संभाव्य इनट्रैपमेंट की ओर निर्दिष्ट करता है। हाइड्रोकार्बनों या अन्य की मौजूदगी केवल कूप (कूपों) के वेधन के बाद ही प्रमाणित होती है।

(घ) उक्त (ख) एवं (ग) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता। तथापि, क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेधन के दौरान एकत्र की गई जानकारी मूल्यवान भू-वैज्ञानिक आदान होगी।

तपेदिक हेतु कार्य योजना

1862. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री सतनाम सिंह कैंथ:
श्री अजीत जोगी:
श्री जयसिंहजी चौहान:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री सुधीर गिरी:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषरूप से बिहार जैसे राज्यों में तपेदिक रोग तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस रोग के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या तपेदिक के कीटाणु पहले उपलब्ध आम और सस्ती औषधियों के प्रतिरोधी हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए तपेदिक रोग रोधी औषधियां विकसित करने के लिए कोई नई अनुसंधान और विकास की पहल की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में तपेदिक की बीमारी की समस्या से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों में देश और बिहार राज्य में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित किये गये क्षयरोगियों की संख्या कमोबेश समान रही है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित किए गए नये क्षय रोगियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार टी.बी. बेसिली आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसन जैसी आम औषधों के प्रतिरोधी हो गया है। औषधों के प्रति प्रतिरोधक-शक्ति मुख्यतया रोगी द्वारा औषधियों के अधिनियमित सेवन के कारण पैदा होती है। अतः औषधों के प्रति प्रतिरोध-शक्ति उत्पन्न होने को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रोगी पूर्ण उपचार होने तक निर्धारित औषधें नियमित रूप से लें। औषध के प्रति प्रतिरोधक-शक्ति के उद्भव को रोकने के लिए देश में डोट्स कार्यनीति अपनाई गई है जहां रोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में औषध निगलते हैं।

(च) देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से तैयार किया गया एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यनीति के अंतर्गत रोगी को स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी निगरानी में निर्धारित क्षयरोधी औषधें लेना अपेक्षित होता है। रोगी के उपचार के पूरे कोर्स के लिए औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधें रोगीवार डिब्बों के हिसाब से खरीदी/प्राप्त की जाती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 (दिसम्बर, 99 तक) के दौरान पता लगाए गए नए रोगियों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	74246	59361	79.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	1047	2444	233.38
3.	असम	25850	14609	56.51
4.	बिहार	97568	15042	15.42
5.	दिल्ली	12080	35799	296.36

1	2	3	4	5
6.	गोवा	1406	1380	98.19
7.	गुजरात	47454	53336	112.39
8.	हरियाणा	19481	31542	161.92
9.	हिमाचल प्रदेश	5976	3465	57.98
10.	जम्मू व कश्मीर	8870	12111	136.55
11.	कर्नाटक	51392	35523	69.12
12.	केरल	32075	9390	29.28
13.	मध्य प्रदेश	77898	19598	25.16
14.	महाराष्ट्र	90164	140316	155.62
15.	मणिपुर	2214	2351	106.17
16.	मेघालय	2141	2589	120.95
17.	मिजोरम	836	1365	163.38
18.	नागालैंड	1476	762	51.63
19.	उड़ीसा	25630	16823	47.22
20.	पंजाब	23292	31041	133.27

1	2	3	4	5
21.	राजस्थान	52337	37406	71.47
22.	सिक्किम	491	1059	215.90
23.	तमिलनाडु	61455	88353	143.77
24.	त्रिपुरा	3326	1164	35.00
25.	उत्तर प्रदेश	164882	183110	111.06
26.	पश्चिम बंगाल	77853	56691	72.82
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	339	362	106.64
28.	चंडीगढ़	780	1608	206.15
29.	दादरा व नगर हवेली	167	399	239.64
30.	दमण व दीव	122	0	0.00
31.	लक्षद्वीप	63	0	0.00
32.	पाण्डिचेरी	975	3191	327.23
	योग	973877	862185	88.53

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

1996-97, 1997-98 के दौरान पता लगाए गए राज्य/संघ क्षेत्र-वार रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1996-97			1997-98		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	78620	85680	83.5	98498	74137	75.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1500	2880	1920	1374	3801	276.64
3.	असम	23500	20108	85.6	33952	18825	54.88
4.	बिहार	153000	112710	-	127805	11133	8.71
5.	गोवा	2000	2974	148.7	1844	2810	152.39
6.	गुजरात	133900	118158	88.7	62369	104835	167.77
7.	हरियाणा	29000	35267	121.8	25530	37888	147.54
8.	हिमाचल प्रदेश	9000	12084	134.3	7893	53477	67.74
9.	जम्मू व कश्मीर	5240	11014	178.5	11734	26993	230.04
10.	कर्नाटक	63370	71778	105.0	67582	78883	116.72
11.	केरल	33800	36829	109.0	42314	19711	46.58
12.	मध्य प्रदेश	87220	90858	104.2	101487	77045	75.92

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	140000	190630	138.2	118639	202299	170.52
14.	मणिपुर	2700	6645	248.1	2908	3469	119.29
15.	मेघालय	2560	4718	180.4	2809	3060	108.94
16.	मिजोरम	1000	1223	1223	1098	1332	121.31
17.	नागालैंड	1250	1350	108.0	1934	1828	84.07
18.	मिजोरम	35860	40850	110.8	47014	24912	52.99
19.	पंजाब	41900	48260	115.2	30652	42121	137.42
20.	राजस्थान	45000	69344	154.1	68475	46071	67.28
21.	सिक्किम	1000	2800	280.0	645	1861	288.53
22.	तमिलनाडु	99000	104823	105.9	81128	114165	140.72
23.	त्रिपुरा	2830	2528	87.8	4368	2801	59.57
24.	उत्तर प्रदेश	247000	279789	113.3	215478	289431	134.32
25.	पश्चिम बंगाल	69000	74352	107.8	102287	66018	64.54
26.	पाण्डिचेरी	3200	3401	108.3	448	711	159.42

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	635	127.0	1023	1819	177.81
28.	चण्डीगढ़	1000	1711	171.	220	508	230.00
29.	दादरा व नगर हवेली	250	300	–	161	–	–
30.	दिल्ली	42000	42951	102.3	13500	43313	320.84
31.	लक्षद्वीप	100	160	160.0	82	145	176.83
32.	दमण व दीव	150	244	1627	1281	3417	266.74
	योग	1363500	1454952	108.7	1270528	1309685	102.60

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट-कनेक्शनों की शुल्क-दर में कटौती

1863. श्री भगवान शंकर रावत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट कनेक्शनों को देने के लिए वसूल की जाने वाली शुल्क-दर में कटौती करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट के उपभोक्ताओं के बीच इस सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में वीएसएनएल के मौजूदा इन्टरनेट उपभोक्ताओं को क्रमवार नवीकरण के लिए 20 प्रतिशत की तथा दूसरे और इसके बाद नवीकरण के लिए 30 प्रतिशत की प्रतिबद्धता छूट देने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वीएसएनएल ने सेवाओं में सुधार हेतु अनेक उपाय किये हैं:

- प्रमुख मैट्रो-शहरों में सिंगल नम्बर डायल-अप शुरू किया गया है। डिजिटल मॉडेम चिप पर आधारित स्टेट-आफ-द-आर्ट रिमोट एक्सेस सर्वर शुरू करके इंटरनेट सम्पर्कता को आसान बनाया गया है।
- वीएसएनएल रचनात्मक आधार पर अपने अन्तर्राष्ट्रीय बैण्डविड्थ में वृद्धि कर रहा है।
- वीएसएनएल ने वीएसएनएल. कॉम शीर्षक के लघु प्रयोक्ता नाम से अपनी ई-मेल सम्पर्क संबोधन सुविधा शुरू की है।

- वीएसएनएल ने अपने इन्टरनेट ग्राहकों के लिए मुक्त वेब पेज हॉस्टिंग-सेवाएं शुरू की हैं।

- वीएसएनएल ने अपनी स्टार्ट-अप-किट भी शुरू की है, जिससे प्रयोक्ता अनेक निशुल्क सॉफ्टवेयर प्राप्त करता है।

- वीएसएनएल ने अपना पोर्टल साइट शुरू किया है, जो इसके प्रयोक्ताओं के लिए इन्टरनेट के गेटवे का काम करता है।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

1864. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार में 40 करोड़ रुपये की लागत की 39 ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत ऋण को जारी करने का है और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित 39 स्कीमों में 1089 नये गांवों के विद्युतीकरण, बिहार में 5872 पंपसेटों के ऊर्जीकरण तथा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गैर-कृषि सेवाएं को प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) इन 39 स्कीमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सुविधाओं का पुनः आरंभ बकाया मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगा जिसमें सहमत रूप से स्वीकार्य पुनः अदायगी कार्यक्रम, ऋण दस्तावेजों का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप क्रियान्वयन करना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में बिजली शुल्क दर

1865. **डा. उल्हास वासुदेव पाटील:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा बिजली शुल्क दर निर्धारण हेतु सरकार द्वारा विकसित फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्डों ने उच्च प्रशुल्क दर के कारण पूर्वी क्षेत्र से बिजली लेना बंद करने की धमकी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्च दर के क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र की बिजली शुल्क दरों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) एनटीपीसी और एनएचपीसी विद्युत केन्द्रों के टैरिफ से निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड के.पी. राव समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

(ख) और (ग) पूर्वी क्षेत्र से पड़ोसी क्षेत्रों में विद्युत के निर्यात के लिए टैरिफ की पिछले छः माह के दौरान पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों की भारित औसत दर के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था जो अगले छः माह के लिए वैध था। तदनुसार, जनवरी, 1998 से जून, 1998 की अवधि के लिए टैरिफ को 215 पैसे/कि. वा.घं. तथा जुलाई, 1999 से जून, 1999 के लिए इसे 195 पैसे/कि.वा.घं. निर्धारित किया गया। जनवरी, 1999 से जून, 1999 हेतु लागू टैरिफ 230 पैसे/कि.वा. घं. बैठता है। टैरिफ में वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी केन्द्रों में कम विद्युत उत्पादन के कारण हुई। टैरिफ में वृद्धि के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने पूर्वी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति को बंद किए जाने के लिए कहा, परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी केन्द्रों से पड़ोसी राज्यों को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा की वास्तविक भारित लागत को माह-दर-माह आधार पर, जो जनवरी, 1999 से प्रभावी होगा, प्रभारित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, जनवरी, 1999 हेतु टैरिफ पहले के 230 पैसे/कि.वा.घं. के बजाए 191 पैसे/कि.वा.घं. निकाली गई। इसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु

और मध्य प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति जारी रही। तथापि, एमपीईबी ने दिनांक 12.2.99 से पूर्वी क्षेत्र से विद्युत का आहरण रोक दिया है तथा एमपीईबी को पहले आपूर्ति की जा रही विद्युत को अब अस्थायी तौर पर आंध्र प्रदेश को अंतरित से पूर्वी क्षेत्र से विद्युत का आहरण रोक दिया है तथा एमपीईबी को पहले आपूर्ति की जा रही विद्युत को अब अस्थायी तौर पर आंध्र प्रदेश को अंतरित कर दिया गया है।

(घ) पूर्वी क्षेत्र से कमी वाले पड़ोसी राज्यों में विद्युत के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों द्वारा आपूर्ति की जा रही ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत में कमी होने की आशा है। पूर्वी क्षेत्र से संवर्धित विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित अंतःक्षेत्रीय पारेषण संयोजक क्रियान्वयनाधीन हैं:–

- कोरबा बुधिपुर 220 के.वी. 3 सर्किट।
- पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के मध्य गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक 500 मे.वा. क्षमता।
- साहुपुरी-करमनासा 132 के.वी. 2 सर्किट।
- पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के मध्य सासाराम एवीडीसी बैक-टू-बैक केन्द्र 500 मे.वा. क्षमता।

विदेशी सहायता से सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

1866. श्री पी.एस. गढ़वी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी सहायता से कुछ सामाजिक वानिकी परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता राशि प्राप्त हुई है; और

(घ) उक्त राशि से शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) इस समय विभिन्न राज्यों में विदेशी सहायता प्राप्त 18 एकीकृत वानिकी परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजनाओं से संधित विवरण संलग्न है जिसमें परियोजना लागत, परियोजना अवधि एवं परियोजना के लिए विदेशी सहायता की वचनबद्धता की धनराशि के बारे में जानकारी शामिल है।

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत वन-वर्धन कार्यों एवं वनीकरण के माध्यम से वन विकास, जैव-विविधता संरक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार कार्य, वानिकी अनुसंधान सहित मानव संसाधन विकास मुख्य घटक हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना कार्यकलापों में जनता की भागीदारी एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन समिति	निधि देने वाली एजेंसी	परियोजना लागत करोड़ रु.	दाता मुद्रा में सहायता	शुरू होने का वर्ष	पूरा होने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना (2328-आई. एन.)	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	431.49	108 यूएस डालर	1992-93	1999-2000
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना 2573-आई एन	आंध्र प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	353.92	77.4 यूएस डालर	1994-95	1999-2000
3.	अरावली, हरियाणा में समान भूमि का विकास	हरियाणा सरकार	ईईसी	48.15	23.20 ईसीयू	1990-99	1999-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	इंदिरा गांधी नहर सहित वनीकरण और चारागाह विकास (आई डी पी-73)	राजस्थान सरकार	ओईसीएफ जापान	107.4	7869 एन	1990-91	1999-2000
5.	राजस्थान को अरावली पहाड़ियों में वनीकरण (आई डी पी-80)	राजस्थान सरकार	ओईसीएफ जापान	176.69	8095 एन	1992-93	1998-99
6.	पश्चिमी घाट वानिकी परियोजना	कर्नाटक सरकार	डीएफआईडी (यूके)	84.2	3.19 पाउंड	1992-93	1998-99
7.	डुंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि का विकास	राजस्थान सरकार	एसआईडीए, स्वीडेन	28.29	80 एसकि	1992-93	1998-99
8.	चेंजर के लिए वानिकी और पारि-विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	जीटीजेड, जर्मनी	18.7	5 डी एम	1994-95	1998-99
9.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, कुल्लु मंडी	हिमाचल प्रदेश सरकार	डीएफआईडी, यूके	13.92	3 पाउंड	1994-95	1999-2000
10.	मध्य प्रदेश वानिकी परि. 2700-आईएन	मध्य प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	245.95	48.4 यूएस डालर	1995-96	1999-2000
11.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परि. आईडीपी-112	गुजरात सरकार	ओईसीएफ जापान	608.4	15760 एन	1995-96	2000-2001
12.	राजस्थान वानिकी परियोजना आईडीपी-104	राजस्थान सरकार	ओईसीएफ जापान	139.86	3219 एन	1995-96	1999-2000
13.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	तमिलनाडु सरकार	ओईसीएफ जापान	499.2	13324 एन	1996-97	2001-2002
14.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	कर्नाटक सरकार	ओईसीएफ जापान	565.54	15968 एन	1996-97	2001-2002
15.	भागीदारी के आधार पर वनों के प्रबंध के लिए क्षमता निर्माण परियोजना	उड़ीसा सरकार	एसआईडीए स्वीडन	8.5	13.5 एसकि	1997-98	1998-99
16.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	उत्तर प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	272	52 यूएस डालर	1997-98	2000-01
17.	पंजाब वनीकरण परियोजना	पंजाब सरकार	ओईसीएफ, जापान	442	6193 एन	1997-98	2004-05
18.	केरल वानिकी परियोजना	केरल सरकार	विश्व बैंक	183	39 यूएस डालर	1998-99	2001-2002

नोट:

ओ.ई.सी.एफ	ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड
एस.आई.डी.ए.	स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
डी.एफ.आई.डी.	डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट
ईईसी	यूरोपियन इकोनामिक कम्यूनिटी
जीटी जेड	जर्मन फंडिंग एजेंसी

इंटरनेट पर लम्बित परियोजनाएं

1867. **श्री आर.एस. गवई:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट संबंधी पर्यावरण स्वीकृति हेतु सभी परियोजनाओं को लम्बित कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट पर इन परियोजनाओं को देने से पूर्व राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना तथा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई तथा मंत्रालय के पास लंबित परियोजनाओं की स्थिति वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एन आई सी/एनवफर) पर प्रदर्शित की गई है। विलम्ब के कारण तथा विशेषज्ञ समिति की बैठकों की अस्थायी समय-सारणी में दर्शाई गई है। पिछले तीन महीनों के दौरान जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पूर्ण-विषय (फुल-टैक्स्ट) भी वैबसाईट पर दर्शाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पन बिजली परियोजनाओं में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इक्विटी भागीदारी

1868. **श्री के.एस. राव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने देश में जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी के मसले पर कई विदेशी विद्युत कंपनियों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ इस संबंध में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी विद्युत कंपनी ने घरेलू परियोजनाओं में इक्विटी हेतु रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंधित मुद्दों पर बहु-राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कंपनियों की पहल पर उनके साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि इन फर्मों की इक्विटी भागीदारी के साथ विशिष्ट जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।

(ग) और (घ) निम्नलिखित विदेशी फर्मों ने इक्विटी भागीदारी में अपनी रुचि दिखाई और जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम प्रबंध पर एनएचपीसी को सौंपा गया है:

(1) मै. क्वेरनर एनर्जी लिमिटेड, यू.के.।

(2) मै. स्टेटक्राफ्ट, नार्वे।

(3) मै. स्कैनस्का एबी, स्वीडन।

(4) मै. एबीबी एवं मै. हाइड्रो सुल्जर, स्विटजरलैंड, और

(5) मै. पीएसईजी, यू.एस.ए.

विचार-विमर्श अन्वेषणात्मक प्रकृति का था और कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

1869. **श्री भर्तृहरि मेहताब:**
श्री सुनील खां:
श्री अमरराय प्रधान:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुछ मौजूदा दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) बाकुड़ा जिले में सलतारा, बाजर, अमर खानन और पत्रासया दूरभाष केन्द्रों में विस्तार कार्य से संबंधित प्रगति अभी तक कितनी हुई है; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1998-99 के दौरान इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को हटाकर उनके स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की जिला-वार आधुनिकीकरण योजना

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंज का नाम	स्थिति
उड़ीसा			
1.	कटक	कटक	पूरा हो चुका है
2.	सम्बलपुर	सम्बलपुर	पूरा हो चुका है
पश्चिम बंगाल			
1.	24 परगना	दमदम	पूरा हो चुका है
2.	हुगली	उत्तरपाड़ा	पूरा हो चुका है
3.	कलकत्ता	तिरेट्टा बाजार-I	पूरा हो चुका है
		तिरेट्टा बाजार-II	पूरा हो चुका है
		सेन्ट्रल	पूरा हो चुका है
4.	हावड़ा	शिबपुर-II	पूरा हो चुका है

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1998-99 के दौरान विस्तार हेतु प्रस्तावित एक्सचेंजों का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	31.1.99 तक विस्तारित एक्सचेंजों की संख्या	31.3.99 तक विस्तारित किए जाने वाले अतिरिक्त एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	बालासोर	16	शून्य
2.	भद्रक	9	1

1	2	3	4
3.	मयूरभंज	6	1
4.	धेनकनाल	6	शून्य
5.	क्योंझर	4	2
6.	अंगुल	7	शून्य
7.	कालाहांडी	6	1
8.	नवापाड़ा	2	शून्य
9.	कोरापुट	4	शून्य
10.	रायगाडा	1	1
11.	नौरंगपुर	1	शून्य
12.	मलकागिरी	शून्य	शून्य
13.	खुर्दा	15	3
14.	पुरी	9	1
15.	नयागढ़	2	शून्य
16.	बोलन्गीर	10	1
17.	सोनपुर	2	शून्य

1	2	3	4
18.	सुंदरगढ़	18	2
19.	देवगढ़	शून्य	1
20.	बारगढ़	11	शून्य
21.	संबलपुर	9	शून्य
22.	झारसुगुड़ा	3	शून्य
23.	बौध	1	शून्य
24.	फुलबनी	3	1
25.	गंजम	20	4
26.	गजपति	1	1
27.	कटक	15	2
28.	जाजपुर	7	2
29.	जगतसिंहपुर	6	2
30.	केन्द्रपाड़ा	8	1
पश्चिम बंगाल			
1.	बांकुरा	3	19
2.	बीरभूम	4	16

1	2	3	4
3.	बर्दवान	36	35
4.	कूचबिहार	1	9
5.	दार्जिलिंग	10	9
6.	दीनाजपुर (उत्तर)	6	5
7.	दीनाजपुर (दक्षिण)	5	3
8.	हुगली	36	27
9.	हावड़ा	29	9
10.	जलपाईगुड़ी	4	12
11.	मालदा	6	4
12.	मिदनापुर	14	62
13.	मुर्शीदाबाद	8	12
14.	नदिया	10	11
15.	पुरुलिया	1	9
16.	24 परगना (उत्तर)	49	39
17.	24 परगना (दक्षिण)	26	18
18.	कलकत्ता	76	7

विवरण II

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंज	1998-99 के दौरान योजना	हुई प्रगति
1.	बांकुरा	सलतार	शून्य	लागू नहीं
		बरजारा	शून्य	लागू नहीं
		अमर खनन	152 लाइनों का नया एक्सचेंज	उपस्कर उपलब्ध है तथा 31.3.99 तक चालू हो जाने की आशा है।
		पट्यास्या	64 लाइनों तक विस्तार	चालू हो गया है।

नई टेलीफोन लाइनें एवं कनेक्शन

1870. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दी जाने वाली नई टेलीफोन लाइनों एवं टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता का कोई आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किये जाने वाले अनुमानित निवेश और वित्तीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग एमटीएनएल और निजी प्रचालकों द्वारा कुल 237 लाख टेलिफोन लाइनें (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान किये जाने का अनुमान लगाया गया है। दूरसंचार विभाग और एमटीएनएल द्वारा 185 लाख लाइनें जबकि निजी प्रचालकों द्वारा 52 लाख लाइनें प्रदान करने का अनुमान है। 237 लाख टेलीफोन लाइनों (सीधी एक्सचेंज लाइनें) को प्रदान करने में अनुमानित निवेश 106650 करोड़ रु. होगा जिसमें से 83250 करोड़ रुपये का निवेश दूरसंचार विभाग और 23400 करोड़ रुपये का निवेश निजी प्रचालकों द्वारा किया जायेगा।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखाने

1871. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:
श्री सोहनवीर सिंह:
श्री शांति लाल चपलोत:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न तेलशोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान नए तेलशोधक कारखाने स्थापित करने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आई ओ सी की कोयाली रिफाइनरी और बरौनी रिफाइनरी, एच पी सी एल की विजाग रिफाइनरी और एम आर पी एल रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने पर कार्रवाई जारी है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) के अंतर्गत नौवीं योजनावधि के दौरान राज्यवार

स्थापित किये जाने के लिए योजित नई रिफाइनरी परियोजनाओं का ब्यौरा अनुमानित निवेश और क्रूड संसाधन क्षमता के साथ नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	रिफाइनरी का नाम	राज्य	क्षमता (एमएमटीपीए)	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	पानीपत रिफाइनरी	हरियाणा	6.0	3868.00
2.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी	असम	3.0	2497.40 (संशोधित लागत)
संयुक्त उद्यम				
1.	मध्य भारत रिफाइनरी	मध्य प्रदेश	6.00	5277.00

सरकार ने उपर्युक्त के अलावा उड़ीसा में अभयचन्द्रपुर में 9 एम एम टी पी ए क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी की स्थापना के लिए आई ओ सी के संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का जुलाई, 1998 में और पंजाब में भटिंडा में 9 एम एम टी पी ए क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी की स्थापना के लिए एच पी सी एल के प्रस्ताव का नवम्बर, 1998 में अनुमोदन कर दिया है। इन दो रिफाइनरियों को दसवीं योजना में चालू किये जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

रंजीत सागर बांध के कारण विस्थापित लोगों को रोजगार

1872. **श्री चमन लाल गुप्तः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जम्मू कश्मीर में रंजीत सागर बांध के कारण विस्थापित लोगों को रोजगार देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) रंजीत सागर बांध परियोजना का क्रियान्वयन पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें प्रदान किए गए लाभों के संबंध में जानकारी पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डाकघर भवन का निर्माण

1873. **श्री मोतीलाल वोराः** क्या **संचार मंत्री** 8 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1825 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजनंदगांव में मुख्य डाकघर के जीर्ण-क्षीण भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के राजनन्दगांव में स्थित प्रधान डाकघर के जीर्ण भवन के पुनर्निर्माण के लिए निविदाएं कार्यपालक इंजीनियर, डाक सिविल डिवीजन, भोपाल द्वारा 19.2.99 को खोली गई हैं तथा इनकी जांच की जा रही है। पुराने भवन को गिराने का कार्य अप्रैल, 1999 के प्रथम सप्ताह तक शुरू होगा। भवन का निर्माण-कार्य नवम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंटरनेट सर्विस

1874. श्री सुनील खां: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) 26-1-2000 तक बांकुरा में एक इंटरनेट नोड प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस समय स्थानीय कॉल दर पर, समीपस्थ इंटरनेट नोड पर अभिगम्यता 172226/172227 डायल करने पर प्रदान की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कृष्णा-गोदावरी में प्लेटफार्म बनाना

1875. श्री एम. राजैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम का विचार कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन को विकसित करने के लिए दो प्लेट-फार्म स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, हां। यह परियोजना में दो उपांतिक संरचनाओं से मुक्त गैस का दोहन करने के लिए कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में दो प्लेटफार्मों की स्थापना के विषय में विचार किया गया है जिनकी अनुमानित लागत 45.93 करोड़ रुपए है तथा इन्हें मई, 2000 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

चंडीगढ़ में रसोई गैस कनेक्शन

1876. श्री सत्यपाल जैन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र में गत कई वर्षों से अनेक लोग रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कितने वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) इस संघ राज्य क्षेत्र में पिछली बार किस तारीख को कनेक्शन जारी किये गये थे; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के 0.78 लाख सहित, 133.5 लाख है।

(ख) से (घ) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ समेत संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए हाल ही में अनुमोदन दिया है। तेल कंपनियों से कहा गया है कि इन क्षेत्रों की संपूर्ण प्रतीक्षा सूची को निपटाएं तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ समेत विद्यमान प्रतीक्षा सूची को 31.3.99 तक निपटाएं एवं इसके पश्चात् समूचे देश में मांग करने पर एल पी जी का कनेक्शन जारी करें।

[हिन्दी]

सड़क क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1877. श्री रामनारायण मीणा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विकास तथा उन्नयन हेतु आकर्षक शर्तों पर विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने की पहल/निर्णय के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। सरकार ने सड़क क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया के आधार पर 100% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की है बशर्ते ऐसी किसी परियोजना में कुल विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रु. से अधिक न हो।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग खंड जिनके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सिद्धान्ततः सहमति हुई है, निम्नलिखित है:

(1) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 को टाडा और इच्छापुरम के बीच चार लेन का बनाना।

(2) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 को हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच चार लेन का बनाना।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में शेयरों का विनिवेश

1878. डा. सुगुण कुमारी चलामेला:
श्री अमर पाल सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों में विनिवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के शेयर के लिए निर्धारित विनिवेश मूल्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के शेयर का मूल्य विनिवेश किए जाने वाले दूसरे शेयरों के मूल्य से भी नीचे गिर गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम और आयल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की इक्विटी में भी निवेश करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति के आधार पर गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के शेयर का मूल्य निर्धारण "बुक बिल्डिंग प्रोसेस" के जरिए किया गया था। तदनुसार, मांग तथा विभिन्न निवेशकों से प्राप्त बोलियों के आधार पर प्रति शेयर का मूल्य 60 रुपए निर्धारित किया गया था।

(ग) और (घ) निर्गम के पश्चात् गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के शेयर का मूल्य लगभग 58 रुपए से 63 रुपये के बीच रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। 10 प्रतिशत सरकारी धार्यता इक्विटी की खरीद के जरिए।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण हेतु फ्रांस द्वारा वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी प्रदान करना

1879. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने भारत में सड़क निर्माण हेतु वित्त और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने तथा चुंगी वसूली सड़कों के रख-रखाव, निर्माण तथा उनकी व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सुविधा प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी नहीं। फ्रांस सरकार ने इस स्तर पर धनराशि प्रदान करने की कोई पेशकश नहीं की है। तथापि, दि. 1.2.1999 को भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच इस आशय के एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है:

(1) सड़क तकनीकी और अवसंरचना रियायतों के प्रदत्त प्रबंधन के क्षेत्र में जानकारी का आदान-प्रदान।

(2) औद्योगिक सहयोग का संवर्धन और विकास तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

[हिन्दी]

शिक्षित युवा बेरोजगारों के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण

1880. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षित युवा बेरोजगारों के माध्यम से मिट्टी के तेल के वितरण हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने युवाओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) हाल ही में "प्रधानमंत्री की तेल कंपनियों की स्व-रोजगार योजना" शुरू की गई है। तेल उद्योग ने प्रत्येक विकास खंड में एक खुदरा डीलरशिप के साथ इस योजना के तहत 5000 से अधिक एस के ओ खुदरा डीलरशिपें खोलने की योजना तैयार की है। योजना की मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

(1) प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में एक डीलरशिप होगी। एस के ओ को सामान्य दरों पर बेचा जाएगा और इस पर कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी और राशन कार्ड के बिना इसकी खुली बिक्री की जा सकेगी।

(2) सामान्य तथा "अ.जा./अ.ज.जा." श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी तथा रक्षा कर्मी, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार, पी एम पी तथा श्रेष्ठ खिलाड़ियों की आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(3) विभिन्न श्रेणियों के लिए भी आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

(4) सभी डीलरशिपें केवल भागीदारी आधार पर ही दी जाएंगी। भागीदारों की संख्या 3 हो सकती है, जिसमें सभी भागीदार उस श्रेणी विशेष के ही होने चाहिए।

(5) योजना के तहत मिट्टी के तेल का खुदरा बिक्री मूल्य, अनुचित ऊपरी लागतों को जोड़े बिना, तर्कसंगत सामान्य मार्जिन को जोड़ते हुए लागत मूल्य पर आधारित होगा।

(6) डीलर कमीशन 0.50 पैसे प्रति लीटर पर निर्धारित की जा सकती है ताकि डीलर अपने खर्चे पूरे करते हुए एक उचित आय अर्जित कर सकें।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1881. **श्री माधवराव पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दिल्ली और महाराष्ट्र में कितनी आयुर्वेदिक इकाइयां एवं औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या पूर्वी दिल्ली में केवल एक ही आयुर्वेदिक इकाई है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की केवल एक आयुर्वेदिक इकाई पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा इस इकाई को पूर्ण-विकसित औषधालय न बनाने के क्या कारण है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की इकाइयों/औषधालयों (आयुर्वेदिक) में पर्याप्त स्टाफ है और उसमें काम करने वाला स्टाफ पूरी तरह प्रशिक्षित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इन इकाइयों/औषधालयों में मांग के अनुसार दवाईयों की आपूर्ति की जाती है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इन इकाइयों/औषधालयों में प्रत्येक सप्ताह आयुर्वेदिक विशेषज्ञ उसी प्रकार जाते हैं जिस प्रकार से एलोपैथी विशेषज्ञ जाते हैं;

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ठ) सरकार ने देश में विशेषत: दिल्ली और महाराष्ट्र में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) महाराष्ट्र में 5 आयुर्वेदिक एकक और दिल्ली में 5 आयुर्वेदिक औषधालय और 8 आयुर्वेदिक एकक हैं।

(ख) और (ग) जी हां। लक्ष्मीनगर, पूर्वी दिल्ली में के.स.स्वा.यो. का एक आयुर्वेदिक एकक कार्य कर रहा है और निम्नलिखित क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान कर रहा है:

1. लक्ष्मी नगर
2. शाहदरा
3. जी.के.जी.
4. मयूर विहार
5. विवेक विहार
6. नोयडा
7. दिलशाद गार्डन
8. गाजियाबाद।

(घ) इस समय वित्तीय संसाधनों और जनशक्ति की तंगी के कारण किसी आयुर्वेदिक एकक को पूर्ण औषधालय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) के.स.स्वा. योजना के आयुर्वेदिक एककों/औषधालयों में निर्धारित स्वीकृत संख्या के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	औषधालय हेतु	2 डाक्टर, 2 फार्मेसिस्ट और 4 समूह "घ" कर्मचारी
2.	एकक हेतु	2 डाक्टर, एक फार्मेसिस्ट और एक समूह "घ" कर्मचारी

(ज) जी हां। आयुर्वेदिक भंडार डिपो के.स.स्वा.यो. के सभी आयुर्वेदिक औषधालयों और एककों को उनकी मांग के अनुसार औषधियों की आपूर्ति कर रहा है।

(झ) उपर्युक्त (ज) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) और (ट) चूंकि के.स.स्वा.यो., दिल्ली में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ का कोई स्वीकृत पद नहीं है, इसलिए आयुर्वेदिक औषधालय/एकक में उनकी विजिट का प्रश्न नहीं उठता।

(ठ) दिल्ली और महाराष्ट्र में के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत नया आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, तिरुवनन्तपुरम, गुवाहाटी, कानपुर और जबलपुर में एक-एक नया आयुर्वेदिक एकक खोलने का एक प्रस्ताव नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है जिसे अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

1882. श्री रवि सीताराम नायक: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से दिन-प्रतिदिन होने वाली सुनवाई द्वारा लंबित चुनाव याचिकाओं की दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर तत्काल विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का प्रस्ताव इस मामले में कौन-कौन से कदम उठाने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने, संविधान के अनुच्छेद 323ख के निबंधनों के अनुसार, निर्वाचनों से संबंधित विवादों, परिवादों या अपराधों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरणों की स्थापना के लिए सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, यह कहा है कि उच्च न्यायालयों में निर्वाचन अर्जियों का विचारण करने का प्राधिकार प्रदान करने वाले विधि के वर्तमान उपबंध ठीक हैं और किसी परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है, तथा इसके बजाय, ऐसे मामलों के विचारण के लिए उच्च न्यायालयों में अपर (तदर्थ) न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने, निर्वाचन अर्जियों के लंबित होने का मुद्दा, व्यापक अध्ययन के लिए, विधि आयोग को निर्देशित किया है।

मांग पर टेलीफोन कनेक्शन

1883. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री विठ्ठल तुपे:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मांग करने पर सभी श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए सामान्य अवधि कितनी है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त हो रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार 1999-2000 के दौरान सभी श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए निर्धारित सामान्य अवधि को कम करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) 9वीं योजना अवधि (मार्च, 2002) के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह अनुमान है कि इसके लिए 1999 से 2002 की अवधि के दौरान 237 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना अपेक्षित होगा। इसमें से दूरसंचार विभाग का लक्ष्य 185 लाख टेलीफोन प्रदान करने का है और शेष निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

(ग) से (ङ) देश में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की अवधि, प्रतीक्षा सूची के आधार पर, एक एक्सचेंज क्षेत्र से दूसरे एक्सचेंज क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है। देश में कई एक्सचेंज क्षेत्र ऐसे हैं जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होती है। तथापि, कनेक्शन प्रदान करने संबंधी आदेश (ओवी) जारी हो जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए सामान्य अवधि 15 दिनों की है और सामान्यत: इसी निर्धारित अवधि के अन्दर टेलीफोन संस्थापित कर दिया जाता है।

(च) और (छ) टेलीफोन प्रदान किये जाने की अवधि कम होने की संभावना है क्योंकि 1999-2000 के दौरान 45.5 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का संवर्धित लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 31.3.99 की संभावित प्रतीक्षा सूची लगभग केवल 20-25 लाख होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता

1884. श्री मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रणाली को मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के गुणावगुण/दावों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर सीमा शुल्क में कमी

1885. डा. रवि मल्लू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल के आयात बिल को कम करने की दृष्टि से कच्चे तेल पर सीमा शुल्क घटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने 27/28 फरवरी, 1999 की मध्यरात्रि से कच्चे तेल के आयात पर सीमा शुल्क 22 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

समुद्री पारिस्थितिकी पार्क

1886. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में और अधिक समुद्री पारिस्थितिकी पार्क और अभ्यारण्य स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पहले से विद्यमान ऐसे अभ्यारण्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) समुद्री आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

(ग) देश में निम्नलिखित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य पहले से ही विद्यमान हैं और समय-समय पर उन्हें धनराशि आवंटित की जाती है।

1. महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान – अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
2. समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कच्छ की खाड़ी – जामनगर, गुजरात
3. समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी – तमिलनाडु
4. गहीरमावा समुद्री अभयारण्य – उड़ीसा
5. मालबान समुद्री अभयारण्य – महाराष्ट्र

काकिनाडा गहरे समुद्री पत्तन का विकास करना

1887. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने काकिनाडा गहरे समुद्री पत्तन के विकास के लिए सिंगापुर स्थित आई.एस.पी.एल. के साथ समझौता करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप समझौते का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस पत्तन को कब तक विकसित कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) (1) इस करार में काकीनाडा गहन जलन पत्तन में वर्तमान तीन बर्थों के ओ एम एस टी (प्रचालन, अनुरक्षण, साझेदारी और हस्तांतरण) तथा बी ओ एम एस टी (निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण, साझेदारी और हस्तांतरण) आधार पर चौथी बर्थ के निर्माण की परिकल्पना है।

(2) रियायत अवधि 20 वर्ष है तथा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर 5-5 वर्ष के लिए इसे दो बार बढ़ाने का प्रावधान है।

(3) आय की 20% से 22% तक हिस्सेदारी अथवा 1998-99 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 7.00 करोड़ रु. से 25.00 करोड़ रु. तक न्यूनतम गारंटी राशि जो भी अधिक हो।

(4) भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव है जबकि चल परिसम्पत्तियां अंकटाड के मानदंडों के अनुसार मूल्यह्रास के साथ पूर्णत: बेची जाएंगी। रियायत अवधि के अंत में सभी अचल परिसंपत्तियां निशुल्क तथा चल परिसम्पत्तियां अंकटाड के मानदंडों के अनुसार परिगणित लागत पर आंध्र प्रदेश सरकार के पास चली जाएंगी।

(ग) और (घ) रियायत अवधि के दौरान ग्राही दो चरणों में 3956.00 मिलियन रु. का निवेश करता है।

दूरसंचार विभाग का कार्य-निष्पादन

1888. **श्री एस.एस. ओवेसी:**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स, ग्राम जन-दूरभाष (वी.पी.टीज.) और ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के संबंध में अपने लक्ष्यों से लगातार पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग ने, "वेंडर रेटिंग सिस्टम" का उपाय करके अपनी कमियों को रोकने की कोशिश की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक और अन्य देशों से प्राप्त माडलों का "वेंडर रेटिंग सिस्टम" के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग गत छः वर्षों से अधिक समय से सीधी एक्सचेंज-लाइनों के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है टीए एक्स-लाइनों के मामले में भी दूरसंचार विभाग ने गत 5 वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त किए हैं, सिवाय वर्ष 1995-96 के, जबकि उपस्कर उपलब्ध नहीं थे। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में दूरसंचार विभाग उपस्करों के विभिन्न कल-पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे रहा।

(ग) और (घ) वेंडर रेटिंग सिस्टम, वितरण निष्पादन को सम्यक् बल देता है तथा इससे कमी को पूरा करने में मदद मिलती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए जापानी कंपनी एवं एनरॉन के बीच संयुक्त उद्यम संबंधी समझौता

1889. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापनी कंपनी, मितसूई शिपिंग लाइन का विचार ऐनरान की एक सहयोगी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम संबंधी समझौते के अंतर्गत भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस लाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐनरान की सहयोगी कंपनी का नाम क्या है जिसके साथ संयुक्त उद्यम के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) इस समझौते की शर्तें क्या हैं तथा भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस लाए जाने पर कुल कितना व्यय होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मैसर्स डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) ने डाभोल परियोजना के लिए एल एन जी का परिवहन करने हेतु विदेशी ध्वज वाला एल एन जी जहाज भाड़े पर लेने के लिए जहाजरानी महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त कर ली है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए मैसर्स मित्सुई ओ एस के लाइन जापान, एटलांटिक कमर्शियल फाइनेन्स इंक. (एनरान सहयोगी) और भारतीय जहाजरानी निगम (एस सी आई) के बीच एक संयुक्त उद्यम के गठन का प्रस्ताव किया है। वित्तीय व्यवस्थाओं और अन्य शर्तों पर वार्ता की जा रही है।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों का कार्यकरण

1890. **श्री तथागत सत्पथी:**
डा. विजय सोनकर शास्त्री:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास की स्थायी संसदीय समिति ने हाल ही में राज्य सभा में प्रस्तुत की गई अपनी 78वीं रिपोर्ट में सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों के समस्त कार्यकरण के लिए सरकार को अभ्यारोपित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सी.जी.एच.एस. के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास पर स्थायी संसदीय समिति ने के.स.स्वा. योजना की अपनी 78वीं रिपोर्ट में के.स. स्वा. यो. औषधालयों के समग्र कार्यकरण के लिए सरकार को अभ्यारोपित किया है। वैसे, केन्द्र सरकार समय-समय पर इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करती है।

मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा

1891. **श्री विजय गोयल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुमेह की चिकित्सा हेतु कोई आयुर्वेदिक औषधि प्रभावी सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह औषधि बाजार में बिक्री हेतु कब तक उपलब्ध हो जायेगी; और

(ग) इसका अनुमानित बाजार मूल्य क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा प्राचीन काल से मधुमेह के उपचार में विजयसर औषध (पेट्रोकार्पस मारसुपियम) हर्टवुड का उपयोग किया जा रहा है।

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.), जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, एक औषध जिसका कोड नाम आयुष-82 है और जिसमें मेवाश्रंगी, कार्वेल्लक, अमरा और जम्बु मिले हुए हैं, का अनेक केन्द्रों में परीक्षण कर रही है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विजयसर (पेट्रोकार्पस मारसुपियम) पर अनुसंधान शुरू किया है।

इन औषधों की बिक्री और कीमत किये जा रहे अनुसंधान के अंतिम परिणामों पर निर्भर करेगी।

आयल इंडिया और बोंगाईगांव रिफाइनरी का विलय

1892. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयल इंडिया और बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स के विलय की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिश सौंप दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है तथा विलय का अंतिम निर्णय कब तक होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने सभी विकल्पों, जिसमें विनिवेश आयोग द्वारा सिफारिश किए गए विकल्प शामिल हैं, की जांच करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति का अनुमोदन किया था। सलाहकार की रिपोर्ट पर बी आर पी एल बोर्ड की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है। सलाहकार की रिपोर्ट में वित्तीय विश्लेषण, उत्पादों के विपणन, भविष्य के व्यावसायिक परिदृश्य और बी आर पी एल हेतु कार्यनीतिक गठबंधन अवसरों जैसे पहलुओं को विस्तार से सम्मलित किया गया है।

सरकार ने नियंत्रणमुक्ति और उदारीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए आई बी पी, एम आर एल, बी आर पी एल और एन आर एल की प्रतिस्पर्धात्मकता, शक्तियों, दुर्बलताओं, भविष्य के अवसरों और भविष्य की इष्टतम संरचना का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि पेट्रोलियम क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और उभर रहे परिदृश्य में चुनौतियों का सामना किया जा सके और विकास के लिए सफलता प्राप्त की जा सके। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 30.12.1998 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा था। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

रिक्त पद

1893. **श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में भर्ती करने के लिए कर्नाटक में डाक सेवा आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में डाक/छंटाई सहायकों के कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक डाक सर्किल में डाक/छंटाई सहायकों के रिक्त पदों की संख्या 266 है।

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती-प्रक्रिया चल रही है।

एस.टी.डी. सुविधा वाले दूरभाष केन्द्र

1894. **श्री अभयसिंह एस. भोंसले:**
श्री दत्ता मेघे:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री विठ्ठल तुपे:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक में एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष केन्द्रों वाले तालुका मुख्यालयों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) इस सुविधा से वंचित तालुकों की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ग) शेष तालुकों में कब तक उक्त सुविधा प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों वाले तालुका-मुख्यालयों की संख्या निम्नवत् है:

महाराष्ट्र	कर्नाटक
309	175

(ख) कर्नाटक के सभी तालुकों में एस टी डी सुविधा है। महाराष्ट्र में 13 तालुकों में एसटीडी सुविधा नहीं है।

(ग) महाराष्ट्र के शेष 13 तालुका मुख्यालयों को 1999-2000 के दौरान एसटीडी सुविधा मुहैया करवाए जाने की योजना है।

कुष्ठरोग के मामले

1895. **श्री लक्ष्मण सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:
श्री वैको:
श्री ए. गणेश मूर्ति:
श्री तारिक अनवर:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री रंजीब बिस्वाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण शुरू करके राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान को तीव्र कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में अन्य देशों की तुलना में कुष्ठरोग कहां-कहां फैला हुआ है;

(घ) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुष्ठरोग के कितने मामले हैं;

(ङ) विभिन्न राज्यों में कार्यरत राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुष्ठरोग गृहों की संख्या क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार ने कुष्ठरोगियों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी सहायता प्रदान की है;

(छ) इस रोग को रोकने में राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम कहां तक सफल रहा है; और

(ज) इस रोग से निपटने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का भावी रूप क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, हां। संशोधित कुष्ठ समापन अभियान 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है जैसाकि विवरण-I में दिए गए विवरण में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, लक्षद्वीप और दिल्ली के प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(ग) अन्य देशों की तुलना में भारत में कुष्ठ की व्याप्तता विवरण-II में दी गई है।

(घ) कुष्ठ रोगियों की 31 मार्च, 1998 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण-III में दी गई है।

(ङ) चूंकि कुष्ठ का उपचार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव पर पूरी तरह घर पर किया जा रहा है इसलिए कुष्ठ गृह और कुष्ठ रोगियों को अलग रखने के काम को कार्यक्रम में प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसलिए अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुष्ठ गृहों के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में कुष्ठ के उपचार और चिकित्सीय पुनर्वास के लिए प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय सहायता विवरण-IV में दी गई है।

(छ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए देश में रोग को काफी सीमा तक रोकने में सफल रहा है—

- भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व भर में कुष्ठ से उपचारित कुल 10.3 मिलियन रोगियों में से भारत में केवल बहु-औषध चिकित्सा से ही उपचारित रोगियों की संख्या 9.05 मिलियन थी।

- रोग की व्याप्तता दर 1981 में 57/10,000 से कम होकर दिसम्बर, 1998 में 6.12 हो गई है।

- कुष्ठ रोगियों के मुफ्त उपचार के लिए देश के सभी जिलों को बहुऔषध चिकित्सा योजना के अंतर्गत लाया गया है।

- संशोधित कुष्ठ समापन अभियान के द्वारा 4.5 लाख और रोगियों का पता लगाया गया था जिसके अंतर्गत गहन जन-जागरूकता पैदा की गई थी और सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों को बड़ी संख्या में सभी जिलों में कुष्ठ में विषय परिचायक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

- अशक्तता और अल्सर परिचर्या सेवाओं जिनमें आर.सी.एस. भी शामिल है, को सुदृढ़ किया गया है।

- रोग का आरम्भ में ही पता लगाने और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करके रोगियों की बड़ी संख्या में विरूपताओं की रोक-थाम हो गई है। नए रोगियों में विरूपता दर 1981 में 15 प्रतिशत से कम होकर 1998 में 3.7 प्रतिशत रह गई है।

(ज) भविष्य में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं:

- ब्लिस्टर कलेंडर पैक में बहुऔषध चिकित्सा बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है और रोगियों द्वारा इस उपचार को अपनाए जाने की स्थिति बहुत अच्छी रही है। औषधियों की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान किये जायेंगे।

- सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के संकायों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

- कुष्ठ के बारे में जनजागरूकता कार्यकलाप जारी रखने का प्रस्ताव है।

- अशक्तता और अल्सर परिचर्या सेवाओं पर बल देते रहने का प्रस्ताव है।

- कुष्ठ सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या में चरणवार ढंग से एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

- एकीकरण के बाद प्रत्येक जिले में कुष्ठ कर्मचारियों का एक लघु केन्द्रक बनाए रखने का प्रस्ताव है।

विवरण I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान (एम.एल.ई.सी.) कार्यान्वित किया गया है, के नाम

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोवा
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. जम्मू व कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. मेघालय
14. मिजोरम

15. नागालैंड
16. उड़ीसा
17. पंजाब
18. सिक्किम
19. तमिलनाडु
20. त्रिपुरा
21. उत्तर प्रदेश
22. पश्चिम बंगाल
23. चंडीगढ़
24. दादरा व नगर हवेली
25. दमण एवं दीव
26. पाण्डिचेरी

विवरण II

स्थानिकमारी वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में कुष्ठरोग की व्याप्तता दर

क्र.सं.	देश का नाम	1998 के शुरू तक पंजीकृत रोगी	प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्याप्तता दर
1	2	3	4
1.	भारत	5,21,523	5.3
2.	ब्राजील	1,05,744	6.2
3.	इंडोनेशिया	29,225	1.4
4.	बंग्लादेश	13,248	1.0
5.	नाइजीरिया	12,878	1.1
6.	म्यांमार	13,581	2.7
7.	मोजाम्बिक	11,072	6.2
8.	कोन्गो	4,863	1.0
9.	नेपाल	12,540	5.3

1	2	3	4
10.	ईथियोपिया	8,104	1.4
11.	मेड़ागास्कर	11,005	6.8
12.	सूडान	4,065	1.3
13.	फिलिपीन्स	8,749	1.2
14.	गिनी	4,805	6.6
15.	नाइजर	2,738	2.7
16.	कम्बोडिया	1,921	1.7

विवरण III

मार्च, 1998 में रिकार्ड में रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 98 के अंत में रिकार्ड पर रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43581
2.	अरुणाचल प्रदेश	501
3.	असम	6531
4.	बिहार	102272
5.	गोवा	417
6.	गुजरात	13348
7.	हरियाणा	541
8.	हिमाचल प्रदेश	1260
9.	जम्मू व कश्मीर	1519
10.	कर्नाटक	13780
11.	केरल	4576
12.	मध्य प्रदेश	32994
13.	महाराष्ट्र	44690

1	2	3
14.	मणिपुर	519
15.	मेघालय	779
16.	मिजोरम	114
17.	नागालैंड	117
18.	उड़ीसा	85270
19.	पंजाब	1441
20.	राजस्थान	10604
21.	सिक्किम	98
22.	तमिलनाडु	36151
23.	त्रिपुरा	402
24.	उत्तर प्रदेश	69277
25.	पश्चिम बंगाल	37452
26.	अंडमान व निकोबार	121
27.	चंडीगढ़	414
28.	दादरा व नगर हवेली	181
29.	दमण एवं दीव	141
30.	दिल्ली	12173
31.	लक्षद्वीप	26
32.	पाण्डिचेरी	233
	योग	521923

विवरण IV (i)

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1995-96			1996-97			1997-98		
		नकद	सामग्रीगत	योग	नकद	सामग्रीगत	योग	नकद	सामग्रीगत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	195.50	227.75	423.25	200.00	236.29	436.29	207.83	101.00	308.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.50	22.53	41.03	16.00	1.74	17.74	20.00	0.42	20.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	20.00	42.45	62.45	20.00	16.56	36.56	21.00	42.00	63.00
4.	बिहार	111.50	314.84	426.34	112.00	262.90	374.90	119.93	353.95	473.88
5.	गोवा	0.44	18.71	19.15	0.45	3.94	4.39	1.45	0.48	1.93
6.	गुजरात	16.00	124.18	140.18	16.00	45.11	61.11	19.00	242.16	261.16
7.	हरियाणा	7.00	51.07	58.07	6.80	1.85	8.65	8.00	0.08	8.08
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	46.60	53.60	6.80	–	6.80	8.00	6.76	14.76
9.	जम्मू व कश्मीर	4.45	53.84	58.29	4.45	2.21	6.66	84.83	12.89	97.72
10.	कर्नाटक	103.00	147.98	250.98	100.00	20.70	120.70	96.00	33.15	129.15
11.	केरल	76.00	89.35	165.35	76.00	35.55	111.55	77.50	10.00	87.50
12.	मध्य प्रदेश	129.75	242.95	372.70	135.00	157.54	292.54	138.00	318.33	456.33
13.	महाराष्ट्र	16.00	147.74	163.74	14.00	255.31	269.31	39.99	74.43	114.42
14.	मणिपुर	5.50	28.52	34.02	3.50	2.47	5.97	5.22	3.05	8.27
15.	मेघालय	7.93	22.61	30.54	8.00	2.65	10.65	9.00	2.59	11.59
16.	मिजोरम	18.00	1.60	19.60	16.00	0.24	16.24	19.00	0.34	19.34
17.	नागालैंड	7.00	16.44	23.44	7.00	3.49	10.49	8.00	1.20	9.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	उड़ीसा	158.75	196.99	355.74	150.00	26.40	176.40	168.00	250.94	418.94
19.	पंजाब	21.00	32.14	53.14	21.00	3.49	10.49	30.00	3.96	33.96
20.	राजस्थान	29.00	66.78	95.78	29.00	50.98	79.98	30.00	22.00	52.00
21.	सिक्किम	20.00	2.30	22.30	20.00	0.24	20.24	21.00	1.00	22.00
22.	तमिलनाडु	114.00	268.88	382.88	114.00	404.98	518.98	117.00	136.56	253.56
23.	त्रिपुरा	19.00	14.52	33.52	19.00	3.99	22.99	20.00	1.50	21.50
24.	उत्तर प्रदेश	182.62	293.56	476.18	187.00	293.43	480.43	143.25	250.86	394.11
25.	पश्चिम बंगाल	95.00	185.44	280.44	95.00	196.15	291.15	98.00	242.85	340.85
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.00	0.37	7.37	6.50	0.33	6.83	6.50	1.00	7.50
27.	चंडीगढ़	0.50	27.33	27.83	0.50	0.63	1.13	0.50	1.00	1.50
28.	दादरा व नगर हवेली	1.00	2.89	3.89	0.50	0.96	1.46	0.50	2.00	2.50
29.	दमण व दीव	3.00	1.60	4.60	4.50	1.79	6.29	4.50	1.00	5.50
30.	दिल्ली	0.50	38.76	36.26	0.50	5.00	5.50	0.50	1.00	1.50
31.	लक्षद्वीप	2.00	1.02	3.02	2.00	0.14	2.14	2.00	1.00	3.00
32.	पाण्डिचेरी	2.50	9.42	11.2	2.50	1.00	3.50	3.50	10.50	14.00
	योग	1399.44	2741.16	4140.60	1394.00	2038.06	3432.06	1528.00	2130.00	3658.00

विवरण IV (ii)

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला कुष्ठ सोसाइटियों को आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	पिछले 3 वर्षों के दौरान जिला कुष्ठ सोसाइटियों को आवंटन		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	178.04	129.94	331.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	144.46	27.00
3.	असम	66.00	117.04	271.65
4.	बिहार	20.00	58.62	335.28
5.	गोवा			7.35
6.	गुजरात	51.00	19.24	177.27
7.	हरियाणा	42.00	14.56	14.57
8.	हिमाचल प्रदेश	42.00	33.49	10.00
9.	जम्मू व कश्मीर	42.00	10.50	5.00
10.	कर्नाटक	68.00	64.32	283.01
11.	केरल	26.00	96.20	121.74

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	168.00	233.94	511.77
13.	महाराष्ट्र	112.50	191.26	351.16
14.	मणिपुर	46.00	99.82	30.00
15.	मेघालय	41.00	17.50	10.00
16.	मिजोरम	17.00	30.62	42.00
17.	नागालैंड	18.00	39.24	120.49
18.	उड़ीसा	282.00	236.36	276.65
19.	पंजाब	101.00	17.68	7.00
20.	राजस्थान	114.00	35.00	5.00
21.	सिक्किम	26.00	14.00	27.40
22.	तमिलनाडु	131.00	130.74	0.00
23.	त्रिपुरा	9.00	13.62	
24.	उत्तर प्रदेश	213.5	478.68	636.70
25.	पश्चिम बंगाल	48.00	243.70	299.81

1	2	3	4	5
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00	10.00	0.00
27.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	3.00	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	3.00	–	5.96
29.	दमण एवं दीव	8.00	3.50	0.00
30.	दिल्ली	5.00	–	–
31.	पाण्डिचेरी	9.00	16.16	12.95
32.	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	9.00	–	–
	योग	1958.89	2500.19	3921

पेट्रोल में मिलावट

1896. श्री अमन कुमार नागरा:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 14 नवंबर, 1998 के "पंजाब केसरी" में प्रकाशित कुछ कंपनियों द्वारा पेट्रोल में मिलावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मिलावट में शामिल कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) जैसाकि सूचित किया गया है अब तक प्रक्रिया का ऐसा कोई उल्लंघन विशेष साबित नहीं हुआ है। तथापि, सरकार दुरुपयोग के कथित मामलों पर निगरानी रखती है, ताकि उपर्युक्त कार्रवाई की जा सके। मिलावट और कदाचारों पर काबू पाने के लिए तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित निरीक्षण/औचक जांच की जाती है। उद्योग मिलावट सहित कदाचारों पर काबू पाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी आयोजित करता है।

पवन ऊर्जा की परियोजनाएं

1897. श्री अजीत जोगी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए और शहरों का चयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) (क) और (ख) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 13 राज्यों में अब तक 160 स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। स्थलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है ताकि पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए और अधिक स्थलों की पहचान करने के लिए और अधिक राज्यों एवं नए क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

विवरण I

राज्यवार पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहचान किए गए स्थल

राज्य	स्थलों की संख्या
तमिलनाडु	39
गुजरात	28
उड़ीसा	6
महाराष्ट्र	16
आंध्र प्रदेश	25
राजस्थान	8
लक्षद्वीप	5
कर्नाटक	14
केरल	10
मध्य प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	2
अंडमान एवं निकोबार	1
उत्तर प्रदेश	1
कुल	160

एल पी जी बाटलिंग-संयंत्र

1898. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के बाटलिंग-संयंत्र स्थित हैं, उनके नाम क्या हैं तथा इन संयंत्रों की संयंत्रवार दैनिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या ये संयंत्र बाटलिंग की मांग पूरी कर पाने में सक्षम हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में और अधिक बाटलिंग-संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) विद्यमान भरण संयंत्रों की विद्यमान क्षमता, संबद्ध बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बढ़ती हुई मांग तथा नौवीं योजना के अधीन नियोजित नये नामांकन को पूरा करने के लिए आठवीं/नौवीं योजना के तहत सरकार ने जरूरत को पूरा करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्थानों पर नए एल पी जी भरण संयंत्रों को अनुमोदित किया है।

दिनांक 1.1.99 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की कुल स्थापित भरण क्षमता 3867 हजार मी. टन प्रतिवर्ष थी। भविष्य की पैकड एल पी जी की मांग को पूरा करने के लिए, तेल उद्योग द्वारा देश में एल पी जी भरण क्षमता को 1.1.99 के 3867 हजार मी. टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर नौवीं योजना के अंत (2001-02) तक 7558 हजार मी. टन प्रतिवर्ष करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

[हिन्दी]

निजी विद्युत परियोजनाएं

1899. श्री पंकज चौधरी:
श्री अमरपाल सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले नौ महीनों के दौरान निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए कितना ऋण और गारंटी प्रदान की गई; और

(ख) उक्त परियोजनाओं से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जहां तक ऋण का संबंध है, यह निजी परियोजना विकासकर्त्ता की जम्मेवारी है कि वह निधियों को सुनिश्चित करे तथा सरकार स्वयं परियोजनाओं को किसी ऋण का संवितरण नहीं करती है। सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी के संबंध में भारत सरकार ने अगस्त, 1998 के माह के दौरान आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. सिंगल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी जारी की है।

(ख) इन परियोजनाओं से कुल अधिष्ठापित क्षमता लगभग 2372 मे.वा. होगी।

[अनुवाद]

तेल कुओं से तेल निकालना

1900. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश तेल कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन तेल कुओं के नाम क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) देश के पश्चिमी अपतट, कृष्णा गोदावरी तट, कावेरी तट, कैम्बे में, मेहसाना, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, खरसांग तथा असम क्षेत्रों में करीब 379 अप्रवाही रुग्ण कूप हैं। इन कूपों के रुग्ण होने के कई कारण हैं जैसे अधिक जल कटाव, बालू उत्पादन, उच्च गैस तेल अनुपात (जी ओ आर), डाऊन होल समस्याएं, उद्दीपन की आवश्यकता, ट्यूबिंग का अवरुद्ध होना, यांत्रिक खराबी आदि। इन कूपों की आवधिक मरम्मत की जाती है।

हैदराबाद दूरसंचार सीमा का विस्तार

1901. श्री चंदूलाल अजमीरा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद दूरसंचार सीमा का विस्तार हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विस्तार से कौन-कौन से क्षेत्र लाभांवित होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार, किसी एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में अल्प दूरी प्रसारण क्षेत्र (एसडीसीए) के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र आते हैं। हैदराबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार हैदराबाद एसडीसीए से बाहर तक है।

[हिन्दी]

खराब टेलीफोन और एस.टी.डी. सुविधाएं

1902. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विशेषत: बरमों जिले में अधिकतर टेलीफोन और एस.टी.डी. सेवाएं खराब पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां बाधारहित टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) उक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. डक्टों में केबल बिछाना।

2. पुराने तथा खराब उपस्करों को बदलकर आउटडोर प्लांट का उन्मयन करना।

3. दोष मरम्मत तथा व्यावसायिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

4. इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों का चरणबद्ध रूप से इलैक्ट्रानिक प्रकार के एक्सचेंजों से बदलना।

5. लॉंग स्पैन्स ड्राप वायर्स को भूमिगत केबलों से बदलना।

6. एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी (मैसर्स आईएमआरबी) द्वारा टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।

7. डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी शुरू करना।

8. 2002 तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली में पाइपलाइनों के माध्यम से गैस की आपूर्ति

1903. डा. सरोजा वी. : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर दिल्ली में पाइपलाइनों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की लागत क्या है तथा इसे पूरा किए जाने हेतु किस तिथि का लक्ष्य निर्धारित है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों का देश में क्रास-कन्ट्री पाइपलाइनों के जरिए ग्राहकों को एल पी जी आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम नामतया "इन्द्रप्रस्थ गैस कंपनी लिमिटेड' द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली से संबंधित उपर्युक्त परियोजना की माह नवंबर, 1997 की स्थिति में कुल लागत 537 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए समांशता संरचना गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की 25.5 प्रतिशत, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की 22.5 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली की 5 प्रतिशत होगी। शेष समांशता वित्तीय संस्थाओं एवं सामान्य जनता से होगी। इस परियोजना को वर्ष 2003 के अंत तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग

1904. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में मुम्बई, पुणे और अन्य शहरों को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेस राजमार्ग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या इस राजमार्ग पर पड़ने वाले सभी शहरों और ग्रामों को इस एक्सप्रेस राजमार्ग से जोड़ा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस मार्ग परियोजना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि इसका विकास महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिना किसी केन्द्रीय सहायता के किया जा रहा है। तथापि, इस कार्य को निष्पादित कर रहे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम एस आर डी सी) लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना पर फरवरी, 1999 के अंत तक 398.50 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) एम एस आर डी सी ने सूचित किया है कि एक्सप्रेस मार्ग को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एम एस आर डी सी से प्राप्त सूचना के अनुसार एक्सप्रैस मार्ग एक पथकर-आधारित और प्रवेश-नियंत्रित सुविधा है और स्थानीय तथा धीमी गति के यातायात को इसका उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस राजमार्ग के साथ पड़ने वाले कस्बों और गांवों को कतिपय स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने वाले इंटरचेंजों के जरिए एक्सप्रैस मार्ग पर पहुंचने की सुविधा प्राप्त होगी।

टेलीफोन एक्सचेंज

1905. श्री दत्ता मेघे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा और नागपुर जिलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) इस अवधि में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए और कितने काम कर रहे हैं;

(ग) इस अवधि में इन जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों से कितने कनेक्शन आबंटित किए गए;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग ने नए टेलीफोन एक्सचेंजों से नए कनेक्शन देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को उपरोक्त जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों से उनकी क्षमता से अधिक कनेक्शन दिए जाने की अनियमितता का पता चला है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा और नागपुर जिलों के लिए मंजूर किए गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	वर्धा	नागपुर
1995-96	1	5
1996-97	3	8
1997-98	4	6

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के अनुसार वही। उक्त सभी एक्सचेंज काम करने लगे हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंजों से इन जिलों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	वर्धा	नागपुर
1995-96	83	343
1996-97	137	2525
1997-98	102	3306

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) विभागीय नीति के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पंजीकरण की तारीख से उनकी बारी के अनुसार टेलीफोन दिए जाने होते हैं सिवाय उन मामलों के जहां आवेदक ''तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं'' वाले क्षेत्रों में आते हैं, बाकी जगह इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर, टेलीफोन कनेक्शन बाद में दे दिये जाते हैं। इसमें कोई अनियमितता की बात नहीं है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों में नए डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज

1906. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में नए डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में क्षेत्र-वार कितनी राशियों का आवंटन किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):

डाक विभाग:

(क) डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य पूरा होने तथा संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में डाकघर खोलने के लिए मानदण्डों में ढील दी जाती है। ये मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग:

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

डाक विभाग:

(ख) डाकघर खोलने के लिए धनराशि का आबंटन शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। वर्ष 1998-99 के लिए आबंटन निम्नानुसार है:

	शीर्ष	धनराशि का आबंटन (रु. करोड़ में)
निम्न शहरों में डाकघर खोलना		
1.	शहरी क्षेत्र	0.59
2.	ग्रामीण क्षेत्र	1.63
3.	जनजातीय क्षेत्र	1.09

दूरसंचार विभाग:

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड:

1. **अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड:**

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उस गांव की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

दूरी सीमा उपर्युक्तानुसार ही होगी, सिवाए इसके कि पहाड़ी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में, जहां ऐसी छूट प्रदान करने का औचित्य बनता हो, न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जिसका प्रस्ताव पेश करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 331/3% होना चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

विभागीय उपडाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्ड:

ग्रामीण क्षेत्र में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार 5 घंटा प्रतिदिन होना चाहिए। अनुमेय वार्षिक घाटा सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 रु. और जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे पांच प्रतिशत का लाभ दर्शाना चाहिए जिससे यह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर परस्पर 5 कि.मी. से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

सर्किलों के अध्यक्षों को दस प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

कूड़े-करकट से बिजली उत्पादन

1907. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने चेन्नई के निकट कूड़े-करकट से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में चेन्नई नगर निगम के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होगा और इससे कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, मैसर्स इनर्जी डेवलपमेंट्स लिमिटेड, आस्ट्रेलिया द्वारा नियंत्रित एक कंपनी, मैसर्स ई डी एल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को तमिलनाडु सरकार द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से बिजली का उत्पादन करने के लिए चेन्नई में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु (अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली के माध्यम से) अनुमोदित किया गया है। चेन्नई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के साथ इस संबंध में अभी किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) मैसर्स ई डी एल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने परियोजना लागत 142.30 करोड़ रु. और विद्युत उत्पादन क्षमता 14.85 मेगावाट होने का संकेत दिया है।

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

1908. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्री ए.सी. जोस:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निगमित क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन मुख्य मदों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और इस विधेयक को संसद में कब पुर:स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या संसद के चालू सत्र के दौरान इन संसाधनों को प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार महानिदेशक; जांच और कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ जांच की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): (क) से (ग) जी, हाँ। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की जाँच करने और हमारी शर्तों के अनुरूप एक आधुनिक प्रतियोगी कानून का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव है। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने और सरकार द्वारा उनकी जांच कर लिए जाने के बाद एकाधिकार तथा अवरोधक

व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) आमतौर पर "बहुराष्ट्रीय कम्पनी" की कोई स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। अतः सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तथाकथित वर्गीकरण के आधार पर कंपनियों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस वितरकों द्वारा ट्रांसफर वाउचर जारी करना

1909. **श्री बैजनाथ रावत:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र से इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रसोई गैस वितरकों द्वारा कुल कितने ट्रांसफर वाउचर जारी किए गए हैं;

(ख) क्या यह जानने के लिए कि उक्त ट्रांसफर वाउचर जाली कनेक्शन के आधार पर जारी किए गए हैं या नहीं, किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच कराये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच कब तक करा लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गाजियाबाद जिले में 7 बाजार हैं जिनमें 19 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पिछले दो वर्षों में गाजियाबाद जिले के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जारी ट्रांसफर वाउचरों की संख्या निम्नानुसार है:

जारी ट्रांसफर वाउचर

1996-97	1997-98
5355	3569

(ख) से (घ) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवधिक निरीक्षण के दौरान यदि नकली दस्तावेज पर अनधिकृत कनेक्शन जारी किए जाने का कोई मामला पाया जाता है, तो एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार और/अथवा प्रचलित विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

टेलीफोन डायरेक्टरी

1910. **श्री ए. सिदराजू:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के मैसूर और चामराज नगर जिलों में कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) क्या मैसूर और चामराज नगर जिलों के लिए अलग टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन डायरेक्टरियों को कन्नड़ में भी प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) कर्नाटक में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

मैसूर जिला	72630
चामराजनगर	7656

(ख) जी नहीं, दोनों जिलों के लिए एक ही टेलीफोन डाइरेक्टरी प्रकाशित की जाती है।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीफोन डाइरेक्टरियां तभी छापी जाती हैं जब मांग, कार्य कर रही। सीधी एक्सचेंज लाइनों के 15 प्रतिशत से अधिक हो। ऐसी डाइरेक्टरियों की मांग के अभाव में इन क्षेत्रों में फिलहाल कन्नड़ टेलीफोन डाइरेक्टरी नहीं छापी जा रही है।

फास्टट्रेक विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

1911. **श्री गुरुदास कामत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फास्टट्रेक विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित समय सारणी से पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) भारत सरकार ने अपनी प्रति-गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 1994 में 8 परियोजनाओं को अभिज्ञात किया था। इनमें से आंध्र प्रदेश में मै. जी.वी.के. इंडस्ट्रीज की जेगरुपाडु संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन (सीसीजीटी) (216 मे.वा.) और महाराष्ट्र में मै. एनरॉन पावर कंपनी को डाभोल सीसीजीटी (चरण-1) (740 मे.वा.) को पहले ही प्रति-गारंटी प्रदान की जा चुकी है। मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी सीसीजीटी (208 मे.वा.) के लिए प्रति-गारंटी हेतु अपना अनुरोध वापस ले लिया है। उड़ीसा में मै. एईएस ईब वैली पावर कार्पोरेशन की ईब घाटी ताप विद्युत परियोजना (यूनिट-3 व 4) के मामले में परियोजना को भारत सरकार की प्रति-गारंटी प्रदान कर दी गई है। बाद में राज्य सरकार ने मै. एईएस ईब वैली पावर कार्पोरेशन के साथ परियोजना मानदंडों पर पुनः बातचीत की है और उन्हें ईब घाटी ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 65 व 6 (अब) यूनिट "ए" और "बी" के रूप में पुनः नाम दिया गया है, का आबंटन किया गया था। संशोधित परियोजना मानदंडों के कारण इस परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति आवश्यक है। इस मामले पर अब प्रति-गारंटी जारी किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लिमिटेड (एचएनपीसीएल) की विशाखापट्टम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सीपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मैं एसटी-सीएमएस की 250 मे.वा. वाली सिंगल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना के मामले में सरकार ने संशोधित पद्धति के माध्यम से दिनांक 16.5.98 को प्रति-गारंटी विस्तार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। मै. मंगलौर पावर कंपनी की 1000 मे.वा. वाली मंगलौर विद्युत परियोजना के लिए प्रति-गारंटी जारी नहीं की गई है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जनहित रिट याचिका सं. 10696/97 पर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाने के बाद ही इस परियोजना के लिए प्रति-गारंटी जारी करने के लिए आगे कदम उठाये जायेंगे।

उपरिलिखित 8 परियोजनाओं में से जेगरुपाडु सीसीजीटी और भद्रावती सीसीजीटी को पूर्णतः चालू कर दिया गया है। डाभोल सीसीजीटी (740 मे.वा.) के प्रथम चरण को 11.12.1998 को चालू कर दिया गया है लेकिन इसके द्वारा अभी वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया जाना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार नैवेली ताप विद्युत परियोजना पर भी हाल ही में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। शेष परियोजनाओं को वित्तीय समापन प्राप्त करने और निर्माण कार्यकलाप आरंभ करने से पहले अभी भारतीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी बैंकों आदि से वित्त पोषण सुनिश्चित करना है। भारत सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करती रही है और उन्हें तीव्रता से चालू करने के लिए जब भी आवश्यक हुआ, तब हस्तक्षेप किया है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालयों की स्थापना

1912. **डा. शकील अहमद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न अस्पतालों में यूनानी, आयुर्वेदिक और होमियोपैथी औषधालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में किन-किन अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय स्थापित किए गए हैं;

(घ) पद्धतिवार ये अपना उत्तरदायित्व किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं;

(ङ) गत वर्ष के दौरान पद्धतिवार इन्हें कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(च) भविष्य में इन औषधालयों के विस्तार की क्या योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) अनुसंधान परिषदों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आयुर्वेद, होमियोपैथी और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यूनानी की अनुसंधान परियोजनाओं के रूप में विशेषज्ञ क्लीनिक स्थापित किए हैं।

यह विभाग केन्द्र सरकार के प्रमुख अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी पद्धति के विशेषज्ञ क्लीनिक खोलने के लिए एक योजना बना रहा है।

(घ) सभी तीन विशेषज्ञ क्लीनिक बहुत अधिक सफल हो रहे हैं।

(ङ) सभी तीनों विशेषज्ञ क्लीनिकों को तीन अनुसंधान परिषदें नामतः केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद चला रही हैं। वर्ष 998-99 के बजट अनुमान में इस नई योजना के लिए 65.00 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था।

(च) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होमियोपैथी के औषधालयों के विस्तार की भावी योजना पर विचार किया जा रहा है।

अवैध पी सी ओ बूथ

1913. **श्री माणिकराव होडल्या गावीतः क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में और महाराष्ट्र में विशेषकर मुम्बई में टेलीफोन विभाग के साथ सांठगांठ से अवैध पी.सी.ओ. बूथ चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) ऐसे कुछेक मामले विभाग की जानकारी में आए हैं।

(ख) जनवरी, 97 से विभाग की जानकारी में ऐसे 14 मामले आए हैं जिनमें 25 कर्मचारी संलिप्त हैं। इनमें से 8 मामले सी.बी.आई. को सौंप दिए गए हैं और शेष मामलों में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

(ग) तीन।

(घ) लाइनों के डाइवर्सन तथा राजस्व की हानि के मामलों में कार्रवाई करने के लिए दूरसंचार सर्किलों/मैट्रोजिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में समर्पित सतर्कता यूनिटें काम कर रही हैं। ये यूनिटें, उक्त मामलों में निगरानी रखती हैं तथा जांच कार्य करती हैं। जांच परिणामों के आधार पर, यथा अपेक्षा छापा मारने तथा दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सी.बी.आई. की सहायता ली जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं

1914. **श्री रंजीब बिस्वालः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में मानसिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) देश में 43 मानसिक अस्पताल हैं जिनकी पलंग संख्या लगभग 19008 है और 108 मेडिकल कालेज तथा कुछ जनरल अस्पताल हैं जिनमें मनचिकित्सा विभाग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 20.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 16 राज्यों में जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को स्टाफ, औषधें/लेखन सामग्री, आकस्मिक खर्च, उपकरण, वाहन, प्रशिक्षण प्रदान करके और सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों से सुदृढ़ किया गया है। हर वर्ष 4-5 राज्यों को चरण-वार ढंग से कवर किया जा रहा है। केन्द्र और अनेक राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

बरगी बांध परियोजना

1915. **श्री दादा बाबूराव परांजपेः क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बरगी बांध से 45 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली पनबिजली परियोजना को शुरू करने के लिए कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) 45-45 मे.वा. की दो यूनिटों वाली बारगी जल विद्युत परियोजना को 1988 के दौरान चालू किया गया था और ये पहले से ही विद्युत उत्पादन कर रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों में संरचनात्मक सुधार

1916. श्री संदीपान थोरात: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों के लिए संरचनात्मक सुधार हेतु आवश्यक निवेश को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और 1999-2000 के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्यवार अंतिम रूप दी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन की निवेश संबंधी आवश्यकता को अंतिम रूप संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिया जाता है। तथापि, विद्युत वित्त निगम विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक इत्यादि जैसी वित्तपोषी संस्थाओं के साथ संबद्ध होकर इस संबंध में वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रावधान करता है। विद्युत वित्त निगम, 31 मार्च 1999 तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाली राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के लिए 1998-99 के दौरान किए गए संवितरणों पर अपनी सामान्य ऋण दरों से 5% कम पर द्रुत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है। निगम ने राज्यों में सुधार एवं पुनर्गठन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, हिमाचाल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के साथ वार्ता आरम्भ कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर नामक सात राज्यों ने विद्युत वित्त निगम की सहायता से अपने अपने विद्युत क्षेत्र के सुधार और पुनर्गठन के प्रति लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वर्ष 1999-2000 के लिए विद्युत वित्त निगम की कार्य योजना निम्नांकित है:

(1) असम, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब राज्यों के लिए अध्ययन संबंधी कार्य पूरे करना।

(2) इन राज्यों में सुधार का कार्यान्वयन आरम्भ करना।

(3) राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पूर्णत: कार्यशील बनाने के लिए पूर्वोल्लिखित 12 राज्यों को सहायता प्रदान करना।

(4) उन राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करना जिन्होंने अभी तक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है और विद्युत क्षेत्र सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हासिल करना।

सुविधाजनक स्थानों पर के.स्वा. सेवा योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों की स्थापना

1917. श्री ई. अहमद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालयों से कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हैं;

(ख) दिल्ली में कार्यरत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या ऐसे औषधालयों की अपर्याप्त संख्या और उनके दूरस्थ एवं अलग-अलग जगहों पर स्थित होने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में यूनानी, होम्योपैथिक औषधालयों के संबंध में क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए संसद सदस्यों सहित अन्य लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 1704037 लाभार्थी हैं।

(ख) दिल्ली में 5 आयुर्वेदिक औषधालय और 8 आयुर्वेदिक यूनिटें, 3 होमियोपैथिक औषधालय और 10 होमियोपैथिक यूनिटें और एक यूनानी औषधालय और 3 यूनानी यूनिटें हैं।

(ग) ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तथा लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत अनुरोधों को मान लिया जाता है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

नई स्वास्थ्य नीति

1918. **डा. सुशील इन्दौरा:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पन्न नई प्राथमिकताओं को देखते हुए और विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार करने का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

एल पी जी एक्सट्रैक्शन प्लांट

1919. **श्री रामपाल सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एल पी जी एक्सट्रेक्शन प्लांट ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापित दैनिक प्रसंस्करण क्षमता कितनी है; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना से उपभोक्ताओं की रसोई गैस से संबंधित आवश्यकताएं किस हद तक पूरी होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) रिफाइनरियों के अलावा देश में 9 प्राकृतिक गैस आधारित एल पी जी निष्कर्षण संयंत्र हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1874 हजार मीटिक टन प्रति वर्ष है। इन संयंत्रों से उत्पादित एल पी जी, सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा कुल एल पी जी बिक्रियों का 38.74 प्रतिशत बनती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आपातकालीन सेवाएं

1920. **श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालय प्राथमिक चिकित्सा से लेकर रात के समय आपातकालीन सेवाएं मुहैय्या कराने के लिए पूर्णरूप से उपकरणों से सुसज्जित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे आक्सीजन सिलेंडर जीवन रक्षक औषधियां आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन औषधालयों में आपातकालीन सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी हां। बहु-पारियों में काम करने वाले सभी औषधालय रात में रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सज्जित हैं।

(ख) ऐसे औषधालयों में आक्सीजन सिलिन्डर तथा अन्य जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध हैं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा संबंधी उपस्करों के आयात में घपला

1921. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंद्रमौली समिति ने करोड़ों रुपए के कीमती चिकित्सा संबंधी उपस्करों को सीमा-शुल्क से मुक्त करके उनके आयात के लिए छूट प्रमाण-पत्र जारी करने में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो कितने रुपए के सीमा-शुल्क की चोरी की गई है और इस घोटाले में लिप्त व्यक्तियों और अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) समिति द्वारा इस मामले में लिप्त उच्च अधिकारियों के बारे में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ की गई अनुवर्ती कार्रवाई, की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और इस संबंध में नीति में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई): (क) से (घ) चिकित्सीय उपकरणों के आयात के लिए प्राईवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी करने में अनियमितताओं के आरोप के संबंध में उच्च न्यायालय, दिल्ली में विचारार्थ जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कुछेक अस्पतालों/संस्थाओं के मामलों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के श्री के. चन्द्रमौली, पूर्व संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को नियुक्त किया गया था। जांच के पश्चात् श्री चन्द्रमौली ने अपनी रिपोर्ट सीधे उच्च न्यायालय, दिल्ली को प्रस्तुत कर दी, जिसके आधार पर जहां कहीं आवश्यकता थी, विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई में हुई प्रगति की सूचना उच्च न्यायालय, दिल्ली को दी जा रही है। अन्य अस्पतालों के मामले जिनमें दिनांक 1.3.1988 की अधिसूचना सं. 64/88 के तहत सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, की छानबीन/जांच पड़ताल भी उच्च न्यायालय और इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समितियों द्वारा की जा रही है। जहां कहीं आवश्यक था, सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा उसे वापिस लेने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना दिया गया है। अब उक्त सरकारी अधिसूचना को 1.3.1994 से निरस्त कर दिया गया है।

यमुना के दोनों ओर वृक्षारोपण

1922. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना की लगभग 35 किलोमीटर की लम्बाई के हिस्से में नदी के दोनों तटों पर एक किलोमीटर तक की भूमि पर वृक्षारोपण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यमुना की सफाई भी इस योजना का अंग है; और

(घ) यदि हां, तो यमुना कार्य योजना के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है और अब तक चरण-वार इस कार्य पर कितना खर्च हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 10.5 करोड़ रुपये की लागत पर दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर एक किलोमीटर तक वृक्षारोपण की स्कीम तैयार की है। यद्यपि यह स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है।

(ग) यमुना कार्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यों का उद्देश्य यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाना है।

(घ) सरकार की यमुना कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए 20.61 करोड़ रुपये के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है। इनमें 10 मि.ली. प्रतिदिन क्षमता वाले दो सीवेज उपचार संयंत्र, एक विद्युत शवदाहगृह, सामूहिक शौचालय परिसर, एक स्नान घाट और यमुना नदी के किनारे वृक्षारोपण के कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त निश्चित प्रस्तावों के आधार पर.16.30 करोड़ रुपये की लागत पर केवल दो सीवेज उपचार संयंत्रों और एक विद्युत शवदाहगृह का अनुमोदन किया गया है। वृक्षारोपण घटकों सहित अन्य स्कीमों को छोड़ दिया गया है। दो उपचार संयंत्रों में से एक पहले ही पूरा हो चुका है। दूसरे सीवेज उपचार संयंत्रों के जून, 1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्कीमों पर अब तक 10.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अपनी योजना के अंतर्गत 469.67 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर संबद्ध कार्यों के साथ 13 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इनमें से पांच सीवेज उपचार संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं और अन्य सात का दिसम्बर, 1999 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा शेष एक का जून, 2000 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यों पर अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 329 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

अन्य देशों के साथ समझौता

1923. श्री रामशकल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ दूरसंचार का विकास करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे तत्काल लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) अन्य देशों के साथ कुल 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। विवरण संलग्न है।

(ग) इनसे तत्काल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

(1) अनुसंधान एवं विकास

(2) दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण एवम् निर्यात

(3) दूरसंचार क्षेत्र में पूंजी निवेश

(4) इन देशों में परामर्शी तथा टर्न-की परियोजनाएं

(5) नयी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण।

विवरण

करारों/समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	वैधता की अवधि
1.	आस्ट्रेलिया	फरवरी, 89	5 वर्ष
2.	कनाडा	जनवरी, 96	5 वर्ष
3.	कुवैत	फरवरी, 92	5 वर्ष
4.	उजबेकिस्तान	जनवरी, 94	5 वर्ष
5.	इजराइल	नवम्बर, 94	अनिश्चित अवधि
6.	ईरान	अप्रैल, 95	अनिश्चित अवधि
7.	मैक्सिको	फरवरी, 96	5 वर्ष
8.	तन्जानिया	दिसम्बर, 96	3 वर्ष इसकी अवधि 1 वर्ष बढ़ायी जा सकती है
9.	बेलारूस	सितम्बर 97	5 वर्ष इसकी अवधि 5 वर्ष बढ़ाई जाएगी
10.	जर्मनी	सितम्बर, 97	अनिश्चित अवधि
11.	फ्रांस	जनवरी, 98	अनिश्चित अवधि
12.	कनाडा (सीआईडीए परियोजनाओं के लिए)	मार्च, 98	दिसम्बर, 2002
13.	दक्षिण अफ्रीका	दिसम्बर, 98	5 वर्ष
14.	रूस	दिसम्बर, 98	5 वर्ष

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बीदुरई): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 2/32/98-सी.एल.वी. जिसमें यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम, की धारा 217 की उपधारा (2क) के प्रावधान सरकारी कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली पर लागू नहीं होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2479/99]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत 29 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1124(अ) में प्रकाशित विश्वेश्वैरया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड एण्ड स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (विलय) आदेश, 1998 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2480/99]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत 12 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 1999 की एक प्रति हिन्दी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2481/99]

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडीसिन, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ यूनानी मेडीसिन, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2482/99]

(3) (एक) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2483/99]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति संस्थान, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति संस्थान, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2484/99]

(7) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2485/99]

(9) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामगर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2486/99]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय मैं श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत केरोसिन (उपयोग पर निबंधन और अधिकतम कीमत का नियतन) (संशोधन) आदेश, 1998 जो 23 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2487/99]

(2) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2488/99]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, इत्यादि

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 334(अ), जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) में प्रकाशित तटीय विनियमन जोन में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) का.आ. 873(अ), जो 30 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) में प्रकाशित तटीय विनियमन जोन में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) का.आ. 1122(अ), जो 29 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके

द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) में प्रकाशित तटीय विनियमन जोन में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) का.आ. 104(अ), जो 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1001 (अ) में प्रकाशित केरल तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) का.आ. 825(अ), जो 17 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पंचमढ़ी क्षेत्र को इको-सैंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2489/99]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत 26 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 991 (अ) से 1004 (अ) जिनके द्वारा सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण और तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया था, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2490/99]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत जारी 2-टी तेल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1998 जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 778(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2491/99]

(4) पर्यावरण-संरक्षण अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 2 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 7 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2492/99]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, आदि

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत 4 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12(अ) में प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास राशि जमा कराने की रीति) नियम, 1998 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2493/99]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2494/99]

(ख) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(3) उपर्यक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2495/99]

(4) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोची पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2496/99]

(6) महापत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 525(अ) जो 26 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओं पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 603(अ) जो 7 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 657(अ) जो 5 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (एच.बी.ए.) परिवार लाभ विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 665(अ) जो 10 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोद्य विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 666(अ) जो 10 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओं पत्तन कर्मचारी (बच्चों की शिक्षा के भत्ते) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 667(अ) जो 10 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 688(अ) जो 19 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 711(अ) जो 30 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 717(अ) जो 3 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 755(अ) जो 18 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 777(अ) जो 30 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 32(अ) जो 14 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा.का.नि. 38(अ) जो 15 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा.का.नि. 42(अ) जो 21 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता

तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(पंद्रह) सा.का.नि. 43(अ) जो 21 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(सोलह) सा.का.नि. 84(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(सत्रह) सा.का.नि. 86(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(अठारह) सा.का.नि. 87(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(उन्नीस) सा.का.नि. 88(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(बीस) सा.का.नि. 89(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(इक्कीस) सा.का.नि. 90(अ) जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(बाईस) सा.का.नि. 110(अ) जो 15 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तम पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(तेईस) सा.का.नि. 122(अ) जो 18 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1999 के संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2497/99]

(7) भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की धारा 6 के अंतर्गत जारी दिनांक 15 जन, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) के शुद्धि पत्र को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 411(अ) जो 24 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2498/99]

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को राजस्थान के जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अशोक गहलोत का लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी दिनांक 25 फरवरी, 1999 को लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय ने उनका त्याग पत्र 4 मार्च, 1999 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.03 बजे

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बिहार में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय आपकी अनुमति से मुझे एक संक्षिप्त घोषणा करनी है।

आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की अनुशंसा राष्ट्रपति जी को की जाये। राष्ट्रपति आज बाहर गये हुये हैं और आज रात में दिल्ली लौट आयेंगे। राष्ट्रपति शासन समाप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं उनके वापस आने के बाद पूरी कर ली जायेंगी। ...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खंड-2 दिनांक 8.3.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा करना सदस्यों को बिल्कुल शोभा नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): मैं केवल आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ बल्कि अध्यक्षपीठ से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने कहा था कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना ने अध्यक्षपीठ को सूचित किया था कि वे अपने त्यागपत्र के आधार के बारे में सदन में अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि कोई सदस्य ऐसी इच्छा व्यक्त करता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस मामले का क्या हुआ। इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना ने सिद्धांतों के आधार पर त्यागपत्र दिया था न कि किसी निजी लाभ हेतु। वे सरकार द्वारा उठाये गये कदम का सैद्धान्तिक रूप से विरोध कर रहे थे। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने इस सभा में वक्तव्य देने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को कोई नोटिस दिया था। ऐसा इसलिए चूँकि यदि वे कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेनी चाहिए और उन्हें वक्तव्य लिख कर देना होगा। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कोई वक्तव्य माननीय अध्यक्ष महोदय को भेजा गया था और यदि हाँ, तो मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार चुपचाप वापस कर दिया गया। जब यह सभा के पास है तो सभा को यह जानने का अधिकार है कि उस वक्तव्य का क्या हुआ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, हमको खबर मिली है कि खुराना साहब स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन होम-मिनिस्टर से लेकर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने, भाजपा लीडरशिप ने उनको धमकी दी है, उनकी जुबान बंद की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप खुराना जी को बुलाएं और सारी स्थिति को समझकर इस पर ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष जी, नियम में प्रावधान है, उनका बयान दिलावाया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप उन्हें अपने चैम्बर में बुलाएं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि सदन को जानकारी होनी चाहिए कि वह क्या कहना चाहते थे और अब उनकी तरफ से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एजेंडा में दिया था ...*(व्यवधान)* आप उन्हें अपने चैम्बर में बुलाइए। उन्होंने बयान देने के लिए आपको नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह कोई गुप्त मामला नहीं है। मैं श्री मुलायम सिंह यादव से सहमत नहीं हूँ, कि उन्हें आपके कक्ष में बुलाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उन्हें बयान देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वह कैबिनेट मंत्री थे। यदि वे चाहते हैं उन्हें बयान देने की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, आप पहले ही मामला उठा चुके हैं

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): आप उनके डर को निकाल दें, हम उनके साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है, श्री मदन लाल खुराना, अब सभा में मौजूद हैं। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और वे संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री थे। वे मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे। यदि वे बयान देना चाहें तो कोई भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): वह शुक्रवार की कार्यसूची में संलग्न हो गया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, क्या यह सही है कि श्री मदन लाल खुराना जो बयान सभा में देना चाहते थे उसकी एक प्रति उन्होंने भेजी है? ...*(व्यवधान)*

यह शुक्रवार की कार्यसूची में सम्मिलित था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने कोई बयान नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन पर बयान देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है न कि वक्तव्य कि वह सभा में क्या कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इसे शुक्रवार के लिए सूची में शामिल किया गया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे सभा की सहमति से वापिस लिया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): नहीं, नहीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना सभा में हैं और वह सब कुछ सुन रहे हैं। यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो वह नोटिस दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं किसी माननीय सदस्य को वक्तव्य देने का आग्रह अथवा विवश नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं श्री लालू प्रसाद यादव से वक्तव्य देने का आग्रह कर सकता हूँ?

...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त: चूंकि वह सभा में उपस्थित हैं इसलिए वह या तो जो आपने अभी अध्यक्ष पद से कहा है उसकी पुष्टि कर सकते हैं अथवा इन्कार कर सकते हैं अर्थात् उन्होंने नोटिस दिया है और वह इसे वापिस लेना चाहते हैं। वह कह सकते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: नोटिस के साथ साथ वक्तव्य भी शामिल होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: इसे कार्यवाही में शामिल कर लिया गया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुराना सभा में उपस्थित हैं। यदि वह कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उनसे वक्तव्य देने का आग्रह नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के मामले में फर्जी वोट डालने की बात का क्या हुआ? कृपया सदन को इस बारे में बताया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, आज मार्च की आठ तारीख है। मैं नहीं जानती कि हमारे कितने साथी यह जानते हैं कि आज अंतर-राष्ट्रीय महिला दिवस है। यदि वे यह जानते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने के लिए कह रहा हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपकी अनुमति से वह मेरे बाद बोलने के लिए सहमत हो गई हैं।

श्री राजेश पायलट: आप इसे स्पष्ट करें। चूंकि इसे शुक्रवार की कार्यवाही में शामिल किया गया। यह सभा की सम्पत्ति बन चुकी है। उन्हें या तो कारण बताकर इसे वापिस ले लेना चाहिए अथवा उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसको सत्यापित करूँगा और इसके बारे में आपको कल बताऊँगा।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 199(2) पढ़ना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस जानना चाहता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपना विनिर्णय कल दूँगा।

श्री पी. शिवशंकर: महोदय नियम 199 (2) में कहा गया है:

> "जिस दिन वक्तव्य दिया जाए उस से कम से कम एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सभा नेता को भेजी जाएगी।"

इसलिए इसे उस दिन की कार्यवाही में ही शामिल किया गया है जब वक्तव्य की एक प्रति अध्यक्ष को दी जायेगी। इसका अर्थ है कि वक्तव्य की एक प्रति आपको दी गई थी अथवा यह शुक्रवार की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकती थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया कर सकता हूँ?

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): श्री खुराना सदन में बैठे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वह अपना वक्तव्य वापिस ले रहे हैं अथवा नहीं। चूंकि इसे कार्यवाही सूची में शामिल कर लिया गया है; उन्हें इसे वापिस ले लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी सूचना के अनुसार यद्यपि उन्होंने नोटिस दे दिया है, वक्तव्य इसके साथ संलग्न नहीं किया गया। मैं कल फिर सभा में आऊँगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे पुनः क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) उपाध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों की बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अब श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने के लिए कह दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, वह मुझे समय देने के लिए सहमत हो गई हैं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) महोदय, जबकि माननीय सदस्य ने नियम के एक भाग का उल्लेख तो किया है लेकिन उन्होंने दूसरा अन्य भाग छिपा लिया है *...(व्यवधान)* आपने नियम का उद्धरण देने का उन्हें अवसर दिया था। मैं उसी नियम का उल्लेख कर रहा हूँ। आप मुझे इसका उद्दरण देने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने आसन पर बैठिए। मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): उपाध्यक्ष जी, उधर से रूल कोट किया गया तो आपने सुना। अब श्री स्वाईं लोक सभा का नियम कोट कर रहे हैं, इनकी भी सुनिए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं भी वही नियम 199 को उद्धृत करूँगा। माननीय सदस्य ने नियम 199 (2) को उद्धृत किया है और मैं नियम 199(3) को उद्धृत करना चाहता हूँ जिनमें कहा गया है:

> "ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु उसके दिए जाने के बाद कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दें सके।"

इसलिए माननीय सदस्य ने नियम 199 के भाग 3 को उद्धृत नहीं किया जिसमें कहा गया है कि मंत्री चाहें तो वक्तव्य दें अथवा न दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप वक्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, क्या मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पीठासीन अधिकारी ने तीन बार श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैंने उनसे अनुमति ले ली है।

श्री अजित कुमार पांजा: किस नियम के अंतर्गत आप बोलना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, अगर उन्हें परेशानी हो रही है मैं उनके बाद बोलूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि ऐसे अवसर पर कुछ हो हल्ला हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के हो हल्ले में आप "शून्य काल" की आशा कर सकते हैं।

अपराह्न 12.20 बजे

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस और महिला आरक्षण विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, आज 8 मई यानि, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है। अतः मेरा विश्वास है कि सर्वप्रथम हमारी यह संसद सद्प्रयासों में लगी विश्व भर की महिलाओं के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करेगी।

दूसरे, आज बहुत से सेमिनार, रैलियाँ और ऐसी ही घटनाएं भारत भर में हो रही हैं जिनमें महिलाएं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने, विभिन्न रूपों में उभर रहे सम्प्रदायवाद पर रोक लगाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने आदि जैसी अपनी हाल ही की मांगों के अलावा

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

और कई मांगें कर रही हैं। इन रैलियों और सेमिनारों में महिलाओं के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने संबंधी 84वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग उठ रही है।

महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों का ध्यान देश भर में महिलाओं द्वारा उठाई जा रही इस मांग संबंधी विधेयक पर इसी सत्र में चर्चा करने की ओर आकृष्ट कर रही हूँ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालंधर): महोदय, माननीय महिला सदस्य ने सदन का ध्यान हमारे राष्ट्रीय जीवन में 8 मार्च के महत्व की ओर ठीक ही आकृष्ट किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह माँग केवल भारत की महिलाओं की ही नहीं है, अपितु यह भारत के सभी प्रजातांत्रिकों की मांग है कि महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में उचित स्थान, अर्थात् 33 प्रतिशत आरक्षण, मिले। मेरे काबिल मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दे पर मैं भी अपनी सहमति व्यक्त करना चाहता हूँ और मै आशा करता हूँ कि जहाँ तक महिला अधिकारिता का सवाल है, इस सभा में ध्वनिमत से यह बात उठेगी कि इस मामले पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। महिलाएं हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इसलिए, हम सब इस मुद्दे पर इनके साथ हैं। महिलाओं को हमारे राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवन में भूमिका अदा करने योग्य बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती कृष्णा बोस बोलेंगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हो गया हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम भी इस पर बोलेंगे। यह हमारा मामला है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मैं चान्स दूंगा पर ऐसे नहीं बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आप मुझे नहीं बोलने देते तो मुझे निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, एक नेता हैं। अगर आप ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम जी, मैं आपको कह रहा हूं कि श्रीमती कृष्णा बोस ने नोटिस दिया है और उनका नाम लिस्ट में है इसलिए वह पहले बोलेंगी।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारी लड़ाई है इस पर। *...(व्यवधान)* ये प्रधान मंत्री रह चुके हैं इसलिए इन्हें बुलाया, हमें नहीं बुलायेंगे? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीनियर लीडर हैं। क्या मैंने आपको कभी चान्स नहीं दिया?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह जी, यह आप क्या कर रहे हैं। क्या मैंने कहा कि आपको बोलने का चान्स नहीं देंगे। *...(व्यवधान)* आप कम्पैल नहीं कर सकते हैं। आपको बिहेव करना आना चाहिए, आप एक सीनियर लीडर हैं। क्या मैंने आपको चान्स नहीं दिया, मैं आपको भी चान्स दूंगा। आप इस तरह से मत करिये

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): यह राबड़ी देवी की गरदन काटने वाले लोग हैं। यह महिलाओं को क्या प्रधानता देंगे। बैकवर्ड क्लासेज और माइनोरिटीज सोसाइटीज को जब तक प्रधानता नहीं मिलेगी, इस पर हमारी सहमति नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा बोस बोलें।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपने पुरुष सहयोगी से अनुरोध कर सकती हूँ कि वे मेरी बात सुनें? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः इन्होंने नोटिस दिया है।

श्रीमती कृष्णा बोसः उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं अपने पुरुष सहयोगियों से इतने सहयोग की इच्छा करती हूँ कि वे मेरी बात सुन लें। श्री गुजराल ने कहा कि संसद और सभी प्रजातांत्रिक देश हमारा समर्थन कर रहे हैं, परन्तु, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि मुझे तो यह संसद मर्दों का एक क्लब सा लग रही है और मुझे लग रहा है कि इस मर्दों के क्लब में मैं एक अवांछित अतिथि हूँ। यहाँ खड़े हुए मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं यहाँ अपनी बात भी नहीं कह सकती। महोदय, क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं तो ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर): महोदय, इन्हें ये शब्द वापिस लेने होंगे। ये शब्द सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किये जा सकते ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोसः ठीक है मैं वापिस लेती हूं। क्या अब मैं जो मुझे कहना वह कहूँ? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मुझे जानने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया मेरी बात सुनिए। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सदन को आब्जेक्शन है ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप इनकी क्या सुनेंगे, यह गला काटने वाले लोग हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंहः महोदय, यह संसद का अनादर और अपमान है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोसः अगर किसी की भावना को चोट पहुँची है तो मुझे इसका दुःख है। लेकिन, जिस प्रकार यहाँ का वातावरण था, उससे मुझे ऐसा ही लगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः हम बहुत सुन चुके हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपकी बात भी सुनी जाएगी, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप बीच में क्यों खड़े होते हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री लालू प्रसादः सर, जब आप खड़े होते हैं तो हम लोग डर जाते हैं ...*(व्यवधान)* यह दंगाई खड़े हैं ...*(व्यवधान)* यह एंटी दलित हैं, एंटी माइनोरिटीज हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः ऑर्डर प्लीज।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोसः मैं कुछ कैसे कहूँ? जब कोई सुन ही नहीं रहा तो कैसे कुछ कहूँ ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः सर, आप खड़े होते हैं तो हम लोग डर जाते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप क्या करते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रावले, उनकी बात सुनने दें।

श्रीमती कृष्णा बोसः मैं सभा का ध्यान एक-दो महत्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि आज महिला दिवस है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती कृष्णा बोस]

मुझे मालूम है कि राष्ट्रीय महिला नीति कुछ समय से कैबिनेट के विचाराधीन है, सरकार इस पर विचार कर रही है। आज मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार का इसके प्रति क्या नजरिया है। यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात, तीन वर्ष पहले मैंने यहीं खड़े होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा से पूछा था कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक कब लाया जाएगा और कब पारित होगा।

प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि उस सत्र विशेष के दौरान। 1996 के आरंभ में ही इसे पारित किया जाएगा। तीन वर्ष गुजर चुके हैं। काफी समय बीत चुका है। कई प्रधान मंत्री आए और चले गए। लोगों ने नई लोक सभा का चुनाव कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कब यह संशोधन पेश किया जाएगा और कब नीति निर्धारण की प्रक्रिया में हमें उचित स्थान मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम अत्याधिक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वयं को रोक नहीं पायी जबकि यह काफी कटु है। मगर जिस प्रकार से लोग व्यवहार कर रहे हैं उस कारण मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं अपने को उपेक्षित महसूस कर रही हूं। *...(व्यवधान)* इन दोनों मुद्दों पर मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। महिला राष्ट्रीय नीति एवं संशोधन जिसे पारित किया जाना था, की क्या स्थिति है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप की बात अभी सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जिस तरीके से हाउस में, खासतौर से लालू जी और मुलायम सिंह जी ने व्यवहार किया है, वह बिलकुल सराहनीय नहीं है। आप कहते हैं कि श्रीमती राबड़ी देवी जी भी महिला हैं, हम इस बात को मानते हैं और अगर कोई महिला अच्छा शासन करती है, तो सारा देश उसकी सराहना करता है और उसे स्वीकार करता है, लेकिन जिस महिला के राज में अच्छा शासन नहीं हुआ, उसकी हम सराहना नहीं कर सकते और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं की तरफ से देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अभिनन्दन करती हूं क्योंकि महिलाओं के लिए अटल जी ने अपने नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे निर्णय किए हैं और करने जा रहे हैं जिनके कारण सम्मानजनक रूप से इस देश में महिलाएं जी सकती हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहती हूं कि आज के दिन महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए महिला विकास बैंक की स्थापना, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन की योजना और महिलाओं के लिए पार्ट-टाइम जॉब के लिए

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मुझे आज, आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी पुरुष सदस्य भी भाग लेने को उत्सुक है। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्माननीय सभा तथा समस्त देश का ध्यान एक गंभीर और अत्याधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करने की अनुमति दी जाए।

इम्फाल, मणिपुर में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय खेलों में केरल के दल के साथ बहुत ही क्रूर, अमानवीय और खेल भावना के विरुद्ध व्यवहार किया गया। इसमें हेरा-फेरी करके केरल के दल को प्रतिष्ठित राजा बालेन्द्र सिंह ट्राफी दी गई और प्राकृतिक न्याय से भी वंचित रखा गया *...(व्यवधान)*

श्री था. चौबा सिंह (आंतरिक मणिपुर): यह गलत है *...(व्यवधान)* यह गलत रिपोर्ट है *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: केरल सरकार तथा केरल के लोगों की तरफ मुझे यह बोलने का पूरा अधिकार है। मैंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* इस विषय पर बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। माननीय उपाध्यक्ष के विनिर्णय के अलावा कोई मुझे बोलने से नहीं रोक सकता है। महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं?

उपाध्यक्ष महोदय: जी, हां।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम: केरल के दल को प्रतिष्ठित राजा बालेन्द्र सिंह ट्राफी दी गई और प्राकृतिक न्याय से भी वंचित रखा गया। सभी खेलों का उद्देश्य एकता, शांति, सहयोग और सद्भावना है। मगर इम्फाल में, अंतिम चरण के दौरान, जब सारे विश्व को पता था कि केरल प्रतिष्ठित ट्राफी जीत लेगा। तब केरल की पुरुष हैंड बाल टीम को खेलने से रोका गया। उन्हें अयोग्य करार देने के सभी प्रयास किए गए। मगर तकनीकी समिति ने उन्हें योग्य करार दिया। मगर अंतिम क्षण में बंदूक की नोक पर उन्हें मैदान से हटा दिया गया *...(व्यवधान)*

श्री था. चौबा सिंह: यह गलत रिपोर्ट है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: यह सच है। यह सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अगर आप को ज्ञात नहीं है तो इसका मतलब आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। यह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। यह सच है। आरंभ से ही हमने खेल के मैदान में सभी मानदण्डों का पालन किया है।

ओलंपिक, खेल भावना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध अंतिम क्षण में नियमों को भी बदल दिया गया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

...(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: उन्हें हिस्सा लेने से रोक दिया गया *...(व्यवधान)* हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया गया *...(व्यवधान)* यह सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को रोकिए नहीं।

...(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: पदक तालिका के आधार पर अंकों की गणना की जाती थी। हमारे खिलाड़ियों को हैंड बाल खेलने की अनुमति नहीं दी गई। अगर उन्हें बंदूक की नोक पर नहीं रोका गया होता तो निश्चित ही वे पुरस्कार जीत जाते। केरल के लोगों, सभी खेल प्रेमियों तथा अपनी तरफ से मैं इस बात का जोरदार विरोध करता हूं तथा इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कभी गुस्सा न करें। कभी टैंशन मत रखिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर में थोड़ी टैंशन तो होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिला दिवस का सवाल है तो मैं सारे हिन्दुस्तान और सारी दुनिया की महिलाओं को इसकी शुभकामनायें देता हूं। वे तरक्की करें, आगे बढ़ें और उनको उनका हक मिले। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है तो मेरी राय यह है कि आज हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जब महिला दिवस मनाया जा रहा है तो हमारी भी उनको शुभकामनायें हैं। इसको विवाद में नहीं डालना चाहिए। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है तो शुरू से लेकर आज तक हम प्रधान मंत्री जी से दो बार मिले और उनको चिट्ठी भी लिखी। हमारी स्पष्ट राय है कि इस विधेयक का जो वर्तमान स्वरूप है, उसको उसी तरह से पास करने से हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं विशेषकर मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ गैरबराबरी होगी। उनका और अधिक शोषण व अपमानजनक जीवन होगा इसलिए हमारी शुरू से यही राय है कि वर्तमान विधेयक तब तक नहीं आना चाहिए जब तक अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े विशेषकर मुसलमानों की जनसंख्या के अनुसार उनकी महिलाओं को आरक्षण मिले।

दूसरा हमारा यह कहना है कि जहां से लोकतंत्र आया है, हम महिलाओं के आगे बढ़ने के विशेष अवसर की नीति को इस सदन में कहना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी ने आज से नहीं बल्कि 1954 से ही अमेरिका और इंग्लैंड की महिला आरक्षण की नीति का अनुसरण किया है। अमेरिका और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में अभी तक नौ फीसदी से ज्यादा निरक्षर महिलायें नहीं आ सकी हैं। हमारे यहां जो निरक्षर महिलायें हैं, दलित हैं, गरीब हैं, दबी-कुचली हैं, वे इस सदन में वर्तमान विधेयक के चलते नहीं आ सकती हैं। मैं महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। इसे कम किया जाये। इसे ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी किया जाये।

श्री गुजराल साहब अभी खड़े हुए थे। जब वे प्रधान मंत्री थे तब भी हमने इसका डटकर विरोध किया था। *...(व्यवधान)* आप जानते हैं क्योंकि आप उस समय यहां थे। हमारी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा थे तब भी हमने इस हाउस के अंदर अपने साथियों को खड़ा करके जो नहीं करना चाहिए था, उस वक्त भी कराने की कोशिश करवाई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक को तब तक नहीं आना चाहिए जब तक मुसलमान, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों चाहे ईसाई ही क्यों न हो, उनका आरक्षण न हो। अभी तक जो अध्ययन किया गया

[श्री मुलायम सिंह यादव]

है कि बाद में संशोधन किया जायेगा, वह संशोधन नहीं हो सकता है। वह धोखा है, चतुराई है। पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। हम संशोधन दे भी देंगे तो वह संशोधन अमल होगा, इसमें शक है। आप बताइये क्योंकि आप खुद भुक्तभोगी हैं। आज आधे हिन्दुस्तान में से कोई भी मुसलमान लोक सभा का सदस्य नहीं है।

आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि आधे हिन्दुस्तान में से एक भी मुसलमान लोक सभा में नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमारी राय है कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* वर्तमान नौकरशाही के चलते दूसरे दल की सरकार बनने पर, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सीट आरक्षित कर दी जाएगी। हमारी राय है कि इसका अधिकार पार्टी को मिलना चाहिए, चुनाव आयोग को अधिकार नहीं देना चाहिए। पार्टी को अधिकार देना चाहिए कि कितना आरक्षण है और महिलाओं को कहां आरक्षण देना है। यदि कोई पार्टी उसका पालन न करे तो उस पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए, इसमें ऐसा प्रावधान कीजिए। इलैक्शन कमीशन को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यह हमारी राय है। जब तक इस विधेयक में संशोधन नहीं होता तब तक हम इसका हर तरह से विरोध करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय मैं बोलना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम है। ...*(व्यवधान)* यदि इस प्रकार बहस होगी ...*(व्यवधान)* मैं दस दिन से शून्य काल में नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह से शून्य काल में मेरा नाम नहीं आया है। ...*(व्यवधान)* आप व्यवस्था दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनको बुलाया है, आपको भी बुलाऊंगा, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री गोपाल को बोलने के लिए बुलाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा सभा में कही गई बातों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं। इस पर सारे देश के समर्थन की आवश्यकता है। जाहिर है कि सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसे अपने विचार जोरदार तरह से तथा गंभीरता से व्यक्त करना चाहिए तथा कार्रवाई की जानी चाहिए।

आरक्षण विधेयक के संबंध में, हमें पता है विभिन्न दलों के भिन्न मत हैं। मेरा यह विचार है कि इसे जिस रूप में तैयार किया गया है उसी रूप में पारित किया जाए। सभी दलों को उनके विचार प्रस्तुत करने दिए जाएं। सभा को उपयुक्त समय पर निर्णय लेना होगा। निर्णय लेने का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। मैं सदन को इस बात के लिए बाध्य नहीं करना चाहता कि इसे इसी रूप में क्यों पारित किया जाना चाहिए।

आज इस देश में महिलाओं की स्थिति एवं संसदीय प्रजातंत्र के प्रश्न का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में क्या हुआ? इस सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? संबंधित उद्घोषणा जोर-शोर से यहां प्रस्तुत किया गया था और पारित किया गया था। इसमें किसे नजरअंदाज किया गया था? यह सभा देश की जनता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। गोया कि संविधान के अंतर्गत राज्य सभा का कोई महत्व ही नहीं है। अत: आज यह जानते हुए कि सदन में उनका बहुमत नहीं है-राज्य सभा में वे इसे पारित नहीं करा सकते हैं-वे हर जगह विभिन्न व्यक्तियों को भेज रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी कांग्रेस दल के नेता को जाकर आमंत्रित करना पड़ा था ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने का अधिकार है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सरकार एक डरपोक की तरह मुकर गई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह ईशू चर्चा में है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: क्या यह महिलाओं से जुड़ा विषय है? हमने तो उनके तर्कसंगत ढंग से बोलने पर कभी आपत्ति नहीं की। ...*(व्यवधान)* उन्हें अपने विषय से दूर हटकर नहीं जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* वे अपने विषय से कैसे विमुख हो सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ जी, कृपया आप विषय पर ही बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए इस देश में संसदीय लोकतंत्र के लिए यह एक काला दिन था। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह सरकार पतन की ओर है। हम इस सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये की भर्त्सना करते हैं। ...*(व्यवधान)* यदि इसमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: आपने उचित सहयोग नहीं दिए" ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे: आज महिला दिवस पर महिलाओं के साथ मजाक हो रहा है। इस विषय पर इस तरह से ये लोग बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वारकला राधाकृष्णन, आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ मिनट पहले श्री मदन लाल खुराना के वक्तव्य पर चर्चा हुई थी और मैंने चर्चा में भाग लेते हुए अपने सहकर्मी के विचार का समर्थन किया था कि इस विषय को शुक्रवार की कार्यवाही सूची में शामिल कर लिया गया है। इसलिए मैंने इसके कारण का भी समर्थन किया था। लेकिन, जब मैंने शुक्रवार की कार्यवाही सूची की जाँच की तो पता चला कि वह उस दिन की कार्यवाही सूची में सूचीबद्ध नहीं था। अतः मैं अपनी टिप्पणी को वापस लिये जाने का आपसे अनुरोध करता हूं क्योंकि यह सचिवालय पर एक आक्षेप होगा। इसलिए उस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से अवश्य वापस लिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले उस विषय का मुझे निबटारा तो कर लेने दे। मैंने सभा में इसका उल्लेख किया है कि कल मैं फिर आपके विषय पर आऊँगा। अब स्थिति यह है। उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए, यह अलग इश्यू है। माननीय सोमनाथ चटर्जी जैसे वरिष्ठ नेता ने जो बात रखी है, यह गम्भीर मामला है। संविधान की हत्या होते-होते बची और संसद् का पूरा का पूरा समय चला गया।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप कहां बात कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अपसी मुद्दा यह है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव जी, यह तरीका नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लोक सभा के समय की बर्बादी और इसके धन की बर्बादी के लिए कौन उत्तरदायी है जबकि सरकार इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि इसे पास करो का कोई फायदा नहीं क्योंकि यह प्रस्ताव पास नहीं हो पायेगा। उन्हें इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वे उस प्रस्ताव को ही यहाँ सबसे पहले क्यों लाये। यह सिर्फ समय की बर्बादी है और सदन के धन की फिजूलखर्ची। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का क्रियाकलाप बेहद गैर जिम्मेदाराना और अविवेकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह लोक सभा की अवमानना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन से बोलने की अपेक्षा करता हूँ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया: आप बैठिये, महिलाएं बोल रही हैं।

श्रीमती भावना कर्दम दवे: कुछ तो महिलाओं का सम्मान करो, आज के दिन तो सम्मान करो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्रीमती सुमित्रा महाजन से बोलने के लिए कहा है। श्रीमती सुमित्रा महाजन के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यहां हो क्या रहा है? कृपया इस सदस्य को अपने स्थान पर बैठने को कहें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। सोमनाथ दादा जैसे जिन लोगों से हम रूल सीखते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गीता दीदी की बात का और समर्थन करने के लिए खड़े हैं, लेकिन बीच में जिस तरीके से बात हुई, उससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि हम इन्हीं लोगों से सीखते हैं ...*(व्यवधान)* उन्होंने एक प्रकार से मंत्री की बात पर आज जो चर्चा छेड़ी, वह नहीं छेड़नी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है।

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं है कि आज महिला दिवस है, इसलिए महिलाओं के सम्मान की कुछ बात कहें। वास्तव में अच्छी तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी जिस प्रकार से खलल डाला जा रहा है, वह एक दुखदायक बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान है। जिस दिन उन्होंने प्रधान मंत्री पद की शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने सम्पूर्ण देश की महिलाएं शिक्षित बनें, समझदार बनें, इस बात को दृष्टि में रखते हुए महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा फ्री देने का, उच्च शिक्षा तक फ्री दिए जाने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के बारे में भी सोचने की बात जो कही थी, मैं चाहूंगी कि सरकार इस बारे में जल्द ही कुछ योजना लाए। इसी प्रकार महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से जो भाव हमारे प्रधान मंत्री जी के मन में हैं, इस सदन में भी कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है। जब-जब भी दो जातियों में या कहीं भी झगड़े होते हैं तो वास्तव में भुगतना स्त्री को ही पड़ता है, अत्याचार होता है तो उस जाति की महिलाओं पर ही होता है, मातृत्व पर आघात होता है, इस बात को दृष्टि में रखना चाहिए। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो यह बात बार-बार कही है कि बलात्कारियों को फांसी तक की सजा दी जानी चाहिए, मैं उनका इस बात के लिए अभिनन्दन करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि महिलाओं के हित में जो कानून हैं, उनके बारे में सोचा जाए और आवश्यक संशोधन किए जाएं तथा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण वाला जो बिल है उसके बारे में भी सोचा जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभी लोग एक साथ न बोलें। उन्हें बोलने दिया जाये। आप लोग उनकी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि 33 प्रतिशत आरक्षण देकर हम इतना

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही चाहते हैं कि निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी ज्यादा से ज्यादा सहभाग हो। हो सकता है इस पर किसी के विचार अलग हों, लेकिन बिल पर चर्चा के समय वे उसमें संशोधन दे सकते हैं। अगर मित्रता के नाते, सर्वानुमति से यह बात हो जाती है तो महिलाओं का सम्मान रखने के लिए जो हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, उसको मनाने में ज्यादा खुशी होगी।

मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि महिलाओं को कृपया जाति में न बांटे। स्त्री की एक ही जाति होती है और वह मातृत्व की जाति होती है। वैसे भी स्त्री देश में पिछड़ी हुई है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए निर्णय की प्रक्रिया में अधिकार दिलाने की दृष्टि से अगर कोई महिला बात करती है तो वह पूरे महिला समाज की बात करेगी। इस सदन में भी अगर वह बोलने के लिए खड़ी होगी तो मुस्लिम, दलित या अगड़े-पिछड़े की बात न करके पूरे स्त्री समाज की बात करेगी। इसलिए जब वह प्रतिनिधित्व करेगी तो पूरे महिला समाज का करेगी। मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि इस दृष्टि से इस पर सोचें और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण वाले बिल पर भी सर्वानुमति होनी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.): उपाध्यक्ष जी, आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के लिए जितना भी किया जाए, वह कम है। मैं बधाई दूंगा सरकार जो कि इन्होंने बहुत अच्छी इच्छा व्यक्त की है महिलाओं को शिक्षा देने के लिए और उनके उत्थान के लिए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि यह कितनी क्रियान्वित होगी, यह तो अगले एक साल में देखा जाएगा। उसके लिए जो श्रीमती महाजन ने बधाई दी है प्रधान मंत्री जी को, मैं भी देता हूं। लेकिन दो बातें मैं और कहना चाहता हूं। अभी मुलायम सिंह जी ने जो बातें कहीं, उनका अपना महत्व है। उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो अपने में अनोखा है, लागू करना चाहते हैं। मैं अपने मित्र गुजराल जी से पूछ रहा था कि जिस दिन आप यह बिल यहां लाए थे, उस दिन आपने क्या सोचकर ऐसा किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में मुझे भी ज्ञान है, मैं दुनिया के देशों में ज्यादा नहीं गया हूं, लेकिन भारत निराला देश होगा। जहां इस तरह का बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और क्यों लाया जा रहा है, इसका कारण हमारे मित्र गुजराल साहब को भी नहीं मालूम है। उन्हें सिर्फ यह मालूम है कि उस समय कोई कोर कमेटी थी, उसने कहा कि यह बिल ले आओ और उसी दिन उसको सर्वसम्मति से पास कर दो। उमा भारती जी आज यहां हैं या नहीं, उन्होंने भी उस दिन यही सवाल उठाया था जो आज मुलायम सिंह जी उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं लोगों के मन में शंका है। जो गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पमत के लोग हैं, उनकी महिलाएं ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। चुनाव आज जिस तरह से हो रहे हैं, उनका भी हमें रूप मालूम है, इसलिए हम समझते हैं कि उनका इतना प्रतिनिधित्व इस सदन में कम हो जाएगा, इसलिए यह भेद मत पैदा करें। यह सही है कि पिछड़े और अगड़ों में इस सदन में अंतर नहीं करना चाहिए। मैं सुमित्रा महाजन जी से यह कहूंगा कि पुरुषों और औरतों मे अंतर करना भी उतना ही बुरा है जितना इस तरह की बातें करना बुरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया, बिना सोचे-समझे, बिना जाने-बूझे और केवल भावनाओं, जजबातों में बहकर लाया गया। इसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। अगर कोई माननीय सदस्य यह बता दे कि दुनिया के किसी देश में क्या एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: हम अपने देश में तो आरक्षण की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे: क्या हम दूसरे देशों का अनुकरण ही करते रहेंगे या फिर अपनी प्रतिभा को सम्पन्न करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने नोटिस दिया है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोतीलाल वोरा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कैसे मैं आप लोगों पर एक साथ नियंत्रण रख सकता हूं? क्या यह संभव है? मुझे बताइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सत्र हो गया। एक कागज देता हूं। ...*(व्यवधान)* आज तक मौका नहीं मिला, नए सदस्यों के साथ आम तौर पर यही हो रहा

[श्री दादा बाबूराव परांजपे]

है। इस सदन में कुछ लोग ही बोलते रहते हैं, इसके बारे में भी विचार होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर बैठने की कृपा करेंगे? मैंने श्री मोतीलाल वोरा को बोलने का समय दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप अध्यक्षपीठ पर संदेह करेंगे तो ऐसा तो होगा ही।

कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे: बाकी लोग बोल भी नहीं पाते हैं। ...*(व्यवधान)* इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। जितने लोगों की यहां पर बोलने की ठेकेदारी हो गई है, वे ही बोलते हैं। बाकी लोग शाम तक नहीं बोल पाते हैं, यह मेरा कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर बैठने की कृपा करेंगे? मैंने श्री मोती लाल वोरा को बोलने का समय दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा): सेशन चलाने वाले दोनों मंत्री जी यहाँ बैठे है और वहां सारे भारत के लोगों को महिला दिवस पर बधाई दी जा रही है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी बहिनों को मुबारकबाद देता हूं। दुनिया में सारी महिलाएं संगठित होकर रहें, आज इस अवसर पर मैं कहूंगा कि महिलाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो महिलाएं अत्याचार से पीड़ित हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार होते हैं, उसके लिए हमें देश के अंदर इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

माननीय मंत्री जी और आडवाणी जी ने हाल ही में इस बात को कहा है कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कि जब तक वह कानून के रूप में नहीं आएगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और सब लोग कहते ही रहेंगे। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री एच.पी. सिंह : महोदय, मैं अध्यक्ष जी को बहुत पहले चिट्ठी दे चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह: महोदय, हमारा यह कहना है कि जैसे अन्य भाषाओं का ट्रांसलेशन हो रहा है उसी तरह से भोजपुरी का ट्रांसलेशन हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एच.पी. सिंह, यह कोई तरीका नहीं है। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री को अपने सदस्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): महोदय, यह अपनी भाषा के लिए लड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह भोजपुरी बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: भोजपुरी बोलने से क्या होगा?

श्री एच.पी. सिंह: महोदय, हिन्दुस्तान में तमाम जगह भोजपुरी में बात की जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एच.पी. सिंह, मैं आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): महोदय, इन्हें अपनी भाषा के प्रति इतनी पीड़ा है। ...*(व्यवधान)* यहां भोजपुरी नहीं बोली जाती हैं इसलिए यह कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद: भोजपुरी हिन्दी की जननी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल का विषय अंडमान निकोबार नाम परिवर्तन का है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने दिनांक 30.12.1943 को पोर्ट ब्लेअर में एक सभा में यह घोषणा की थी कि अंडमान तथा निकोबार के नाम परिवर्तित कर "शहीद" तथा "स्वराज्य" रखे जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, मैंने सोचा कि आप इस संबंध में बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री दादा बाबूराव परांजपे: शून्य काल जारी है। मैंने नोटिस दे दिया है। आपने मुझे इजाजत दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे दिमाग में था कि आप महिला बिल की बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री दादा बाबूराव परांजपे: महोदय, मैंने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि आपने अपने वक्तव्य का आधा भाग पूरा कर लिया है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे: महोदय, इस घटना के सात वर्ष पूर्व श्री रायजादा हंसराज (कांग्रेस विधायक) ने अपने अंडमान के दौरे पर अक्तूबर, 1936 में यह वक्तव्य दिया था कि अंडेमान का नाम "शहीद" रखा जाए।

महोदय, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वर्तमान केन्द्रीय शासन इस पक्ष में नहीं है। इसके लिए यह कारण दिया जा रहा है कि वहां के नागरिक अंडेमान तथा निकोबार नामों से जुड़े रहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, आपको भाषण नहीं देना है। आप विषय का उल्लेख करें। आप जो जानना चाहते हैं वह सरकार से पूछिए। आप वक्तव्य दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे: सत्य तो यह है कि इन द्वीपों के मूल निवासी मात्र 3 अंकों में हैं। वह भी निरक्षर हैं। अन्य निवासी जो तीन-चार पीढ़ियों से वहां बसे हुए हैं, उनका विचार ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यह बड़े खेद की बात है। भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के अत्याचार सहे तथा फांसी के फंदे पर यहां अपने प्राण त्यागे। ...*(व्यवधान)* भारत के सौ करोड़ नागरिकों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.आर. कुमारमंगलम बस करो।

श्री दादा बाबूराव परांजपे: महोदय, केवल एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय: कोई मिनट नहीं। कार्यवाही वृत्तांत में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल है, नियम 377 के अंतर्गत कोई मामला नहीं लिया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री कुमारमंगलम।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर): महोदय, सरकार को इस ओर की भी बात सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हमारी भी सुननी चाहिए। हमें कुछ समय दिया जाये ...*(व्यवधान)* हमें आधे मिनट का समय दिया जाये। महोदय, हमारी बात भी सुनी जाये, ...*(व्यवधान)*

इंडिपेडेंट मैम्बर के लिए भी टाइम होता है। ...*(व्यवधान)*

महोदय महिलाओं को आजादी दिये जाने के मुद्दे पर पूरी सभा एकमत है। महिलायें हमारी राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जबकि हम माननीय महिला सदस्यों की मांग का तहेदिल से समर्थन करते हैं और साथ ही मैं सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर भी दिला दूँ कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गुरु तेगबहादुर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पिटाई की गई है। वे सड़कों पर उतर आये हैं। वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। न तो पुलिस, न ही दिल्ली प्रशासन और न ही यह सरकार। उनकी रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कालेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र और छात्रायें अनशन पर हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। यह राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सबसे जघन्य अपराध है। उनकी बात अवश्य सुनी जानी चाहिए और सरकार को उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम संसार की आधी मानव संख्या के प्रति अपना आदर व्यक्त करने के लिए यह दिन मना रहे हैं। हमारे देश में और संसार में भी महिलाओं का आदर किया जाता है, महिलाओं के प्रति प्रेम की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर हमारे देश में और संसार में भी जब महिलाओं को अधिकार देने की बात की जाती है तो सब के सब पीछे हट जाते हैं। यहां तक कि कुछ महिलाओं का भी उनको समर्थन नहीं मिलता है। कुछ पुरुष आगे जरूर आते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण दे देते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है कि आदर मिले, प्रेम मिले लेकिन उनको अधिकार न मिलें इस बात को भी हमें इस दिन ध्यान में रखना पड़ेगा। यह शताब्दी अधिकार देने वाली शताब्दी है। जो सर्वसाधारण लोग हैं, समाज के अंदर कमजोर लोग हैं, उनको अधिकार देने वाली यह शताब्दी है। यह शताब्दी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को अधिकार देने वाली शताब्दी है। इसलिए हमारे भाई लोग कुछ ऐसे कारण बताकर पीछे न हटें जिसकी वजह से लोग यह न कहें कि दिल में बात एक है और दूसरी तरह से यहां पर रखने की यह कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े आदर से यहां पर कहना चाहता हूं कि बहुत ही सोच-समझकर कहने वाले, दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं, उनकी बातों को काटना बड़ा मुश्किल है। उनकी बात काटते समय या उनके खिलाफ कहते समय मन में दुख होता है। इसलिए पहले ही हम क्षमा-याचना करना चाहते हैं। मगर यहां पर कहा गया कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, इसलिए यहां पर क्यों होना चाहिए? क्या हम दूसरों के पीछे ही चलते रहेंगे? क्या हम दूसरों को कोई रास्ता नहीं बताएंगे? अगर संसार में कहीं नहीं हुआ है तो क्या हमारे देश में वह बात नहीं होनी चाहिए? हमारे देश की कोई बात हो और दूसरे लोगों ने अगर उसे अपनाया तो उसमें कौन सी बुरी बात है? दक्षिण एशिया ने बताया कि सबसे पहले हिन्दुस्तान में महिला प्राइम मिनिस्टर हुई और वह श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश में भी हुई। यहां महिला पार्टी अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर हुई हैं। यहां महिला प्रधान मंत्री और अध्यक्ष दूसरी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा संख्या में हुई हैं। क्या हमें यह चीज नहीं अपनानी चाहिए?

हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं। महिला मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री ने अपने-अपने तरीके से यहां काम किया। एक सवाल यह पूछा और उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा होने पर पिछड़ी जाति की महिलाओं को हिस्सा मिलने वाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पिछड़ी सो-काल्ड बैकवर्ड क्लासेज की महिलाओं की बात की जा रही है तो सो-कॉल्ड मैन के बारे में भी कहा जाए। कितने फारवर्ड क्लास के लोग और जैंटलमैन यहां चुन कर आते हैं? फारवर्ड क्लास की महिला हो या जैंटलमैन हो, वे टिकट मांग सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन फारवर्ड क्लास के वोट देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। वोट देने वालों में बैकवर्ड क्लास के लोगों की ज्यादा संख्या है। वोट देने

वालों में बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या ज्यादा होने से बैकवर्ड क्लास के लोग ही चुन कर आ जाएंगे और फारवर्ड क्लास के चुन कर नहीं आएंगे। हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसका बंटवारा हो जाए। ...*(व्यवधान)* इसका हिसाब होना चाहिए। हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज वी. पाटील जो कुछ कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी. पाटील: पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यह है कि जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वे अपनी बहनों, बेटियों, मां और अर्द्धांगिनी को सामाजिक न्याय नहीं देते हैं। ऐसे में वे किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वे अपने घर वालों को सामाजिक न्याय नहीं देते हैं और बाहर के लोगों को सामाजिक न्याय देने की बात करते हैं। ऐसी चीजों पर कौन भरोसा करने वाला है? अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए लेकिन समाज और देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने महिलाओं को बांट कर इस प्रकार से टिकट दिए तो जैंटलमैन को किस आधार पर नहीं कहने वाले हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद किस आधार पर नहीं देने वाले हैं। क्या आपका संविधान सैकुलर रहने वाला है? आप कह दें कि हमें यह नहीं करना है। यहां आप कह दीजिए कि आपको यही डर है कि महिलाओं की अधिक संख्या में सीटें देने के बाद हमारी सीटें चली जाएंगी। अगर ऐसा डर है तो वह डर खत्म करने की दवा लोगों और सोचने वालों के पास है। वे उसे देंगे और इसे करेंगे। आप इस डर को छुपाने के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि से ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज के आधे हिस्से के लोगों को अगर न्याय देने के लिए आगे नहीं आए तो दूसरों को न्याय देने की बात पर लोग बहुत कम भरोसा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी यह मामला उठाने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा: अब तक इस सभा में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने की वजह से इसी पर चर्चा की जा रही है और इसी संदर्भ में एक या दो वक्ताओं को छोड़कर जिन्होंने यह कहा है कि विश्व में ऐसा आरक्षण प्रदान करने वाला कोई अन्य देश नहीं है, मैं सभी वक्ताओं की भावनाओं का समर्थन करता हूँ। मैं मेरे पूर्ववर्ती उस वक्ता की बात का समर्थन करता हूँ जिन्होंने कहा है कि भारत को रास्ता दिखाना चाहिए। क्या हमारा अपना देश भारत 'माता' नहीं कहा जाता? क्या संसार में ऐसा कोई देश है जहाँ के लोग अपने देश को 'माता' कहते हैं? क्या यहाँ हम वंदे मातरम नहीं गाते? हम ही वे लोग हैं जिन्होंने वन्दना की है और हम ही अपनी माता की उपासना करते हैं। वंदे मातरम-

[हिन्दी]

माता जी की वंदना करो।

[अनुवाद]

महोदय, अत: यह आवश्यक है कि इसी सत्र में लंबित पड़े बिल को पारित कर दिया जाये। इसका लंबित पड़ा रहना न केवल महिलाओं, हमारी माताओं का ही अपमान है वरन भारत में हम सभी का अपमान है।

महोदय, इन परिस्थितियों में, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसे सभा में लाया जाना चाहिए और इसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस पर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। मैं तहे दिल से श्री शिवराज पाटील के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूँ। भारत इसी मानदंड में विश्वास रखता है।

इस अवसर पर मैं बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध किये गये द्वेषपूर्ण भेदभाव के विषय में भी बोलना चाहूंगा। बंगाल में सैकड़ों-हजारों शिक्षित महिलाएं हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजित कुमार पांजा]

होगा कि एक महिला को कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया ...(*व्यवधान*)*

डा. असीम बाला (नवद्वीप): क्या यह मंच इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए है? ...(*व्यवधान*)

श्री अजित कुमार पांजा: जब बंगाल में सैकड़ों शिक्षित महिलाएं हैं, तो ऐसा विद्वेषपूर्ण भेदभाव क्यों? ...(*व्यवधान*)* यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। बंगाल में शिक्षित महिलाएं बहुत हैं ...(*व्यवधान*) बंगाल में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले इस द्वेषपूर्ण भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यह गैर-कानूनी हरकत बंद होनी चाहिए ...(*व्यवधान*)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह है क्या?

श्री बसुदेव आचार्य: वह कैसे इस प्रकार की....* टिप्पणियाँ कैसे कर सकते हैं? ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: यह इतना संवेदनशील विषय है कि इसने पहले ही एक घंटा बीस मिनट से ज्यादा ले लिये हैं। माननीय मंत्री को इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी।

...(*व्यवधान*)

श्री अजित कुमार पांजा: बंगाल में महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण भेदभाव किया जा रहा है। यह बकवास नहीं है ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, मेरे कार्य में बाधा मत डालिये।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सदस्य से इस तरह का व्यवहार न करने के लिए कहें। मैंने श्री फातमी को बोलने का अवसर दे दिया है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैंने श्री फातमी का नाम पुकारा है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं नोटिस दे चुका हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम पुकारूँगा। श्री बसुदेव आचार्य, मैंने श्री फातमी का नाम पुकारा है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं भी नोटिस दे चुका हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी को एक साथ बोलने के लिए नाम नहीं पुकार सकता।

श्री वारकला राधाकृष्णन: आप बोलने के लिए मेरा नाम नहीं पुकार रहे हैं ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? मैं उन्हें बोलने का अवसर दे चुका हूँ और फिर मैं आपका नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। हमें बोलने दीजिए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, आप सब को बोलने दे रहे हैं, क्या हम लोगों को नहीं बोलने देंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया है।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम): महोदय, आप हमें कोई अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? ए.आई.ए.डी.एम.के. भी इस सदन की एक पार्टी है।

उपाध्यक्ष महोदय: तुम्हें अवसर मिलेगा। लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए और न ही अचानक चिल्लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जल्दी समाप्त करना है क्योंकि अब मंत्री जी को बोलने के लिए कहूँगा।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। आज इंटरनैशनल वुमैन डे पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये जायेंगे, उसमें हम और हमारी पार्टी पूरा पूरा समर्थन देने का काम करेगी। आज इंटरनैशनल

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

वुमैन डे की अलग बात है और हिन्दुस्तान की महिलाओं का चैप्टर अलग है। जब इस सदन के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात होती है, उस समय बहुत सारी सामाजिक चीजों को पीछे छोड़ दिया जाता है। हमारा और हमारी पार्टी के लोगों का सीधा मानना है कि जब भी इस पर विचार हो तो इसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज का प्रावधान हो। उस वक्त निश्चित रूप से जो हिन्दुस्तान के अंदर 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग बसते हैं, पहले उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। इसलिए कि आज अगर आप नक्शा उठाइए लोक सभा का और आजादी के बाद से आज तक के आंकड़े उठाकर देखें तो जो मुसलमानों को 12 परसेंट आबादी है, उस हिसाब से आप देखिये कि कम से कम 65 सांसद चुनकर इस लोक सभा में आने चाहिए लेकिन आज इस सदन के अंदर सिर्फ 27-28 मेम्बर हैं। न जाने कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी विधायक नहीं है। आप अगर रिजर्वेशन विमेन्स का करते हैं तो हमारी मांग है कि उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण किया जो, 50 परसेंट रिजर्वेशन किया जाए। हम पाटिल जी से ऐग्री करते हैं कि उनको 50 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए जितनी उनकी आबादी है, लेकिन उसके अंदर जो 43 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो 25 प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो अल्पसंख्यक और खास तौर से 12 प्रतिशत मुसलमान हैं, उस 50 प्रतिशत में उनकी महिलाओं को उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तभी इस मुल्क के अंदर समान न्याय मुमकिन होगा और समाज के हर तबके के लोग अंदर पहुंच पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): हमें बोलने का मौका नहीं मिला है। हम शिव सेना की तरफ से राय रखना चाहते हैं। हमें भी बोलने दीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: जैसा कि आपने उचित कहा है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हमें भी शिव सेना की तरफ से बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यह भारतीय लोकाचार और संस्कृति रही है कि हम अपनी माताओं और बहनों को केवल सम्माननीय ही न मानें बल्कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैं आपको रेक्वेस्ट कर रहा हूं हमें बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रावले, कृपया मंत्री जी की बात सुनें। यदि कोई प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनी ही नहीं गई है। मैं उसे दोहरा देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, अब मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज ही की बात नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी हमारी परंपराओं मे भी हम महिलाओं का सम्मान करते आए हैं। चाहे वे माँएँ हों, बहिनें हों, पत्नियाँ हों, उन्हें हम हर तरह से सिर्फ समान मानकर ही सम्मान नहीं देते, बल्कि समानता से भी कहीं ऊपर का दर्जा देते हैं। भारतीय

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

परंपराओं में महिलाओं की मजबूत स्थिति हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का अंग है। हमारा मानना है कि उन्हें न केवल सामान्य समाज में ही खुले तौर पर उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक जगह उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए और उनको अधिकार दिया जाना चाहिए।

हमारी सरकार ने यह विधेयक पेश किया है। सभा का दृष्टिकोण सुनने के पश्चात् ही मुझे कुछ कहना चाहिए। मेरा मानना है और हमारी सरकार का भी मानना है कि संसद और विधायिकाओं में स्थानों के लिए महिलाओं को आरक्षण देना, एक सकारात्मक कदम के रूप में एक ऐसा मूलभूत मुद्दा है, जिस पर सहमति होनी ही चाहिए। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी की बात का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक सदन में लंबित हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के वास्ते पूर्णतया गंभीर है कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। लेकिन, एक संवैधानिक संशोधन होने और अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला होने के नाते, हमें इस पर सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। इस पर अनावश्यक बहस नहीं होनी चाहिए। हमें सहमति बनानी चाहिए। हम महिलाओं के विषय में बात कर रहे हैं, जिन्हें हमारे समाज में देवियों का दर्जा दिया गया है। आप इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आप इस संबंध में आपसी मतभेद सामने नहीं लाइए और इस पर अनावश्यक बहस मत कीजिए।

बिहार के मुद्दे के विषय में, मुझे लगता है, कि यह थोड़ा अशोभनीय होगा, मतभेद तो है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, कृपया ...*(व्यवधान)* मैं पहले भी दो बार बैठ चुका हूं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: आपकी अनुमति से ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैंने बात समाप्त नहीं की है ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दें ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा ...*(व्यवधान)* मेरी बात खत्म नहीं हुई है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैंने बात समाप्त नहीं की है। यदि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा, तो मैं सभा से बाहर चला जाऊँगा, बहुत हो गया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक वह अपनी बात पूरी नहीं कर लेते, आप कैसे बोल सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: मैं तब से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैंने बात पूरी नहीं की है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: जब सुना ही नहीं जाएगा, तो वे उत्तर कैसे देंगे? ...*(व्यवधान)* मैं तब से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मुझे समझ में नहीं आ रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न है कि, आपको तब बोलना चाहिए जब वह अपनी बात खत्म कर लें ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं बात खत्म नहीं कर रहा हूँ और उनकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: क्या सभा की कार्यवाही इस प्रकार से चलेगी। ...*(व्यवधान)* इसके विरोध में मैं सभा से बाहर चला जाऊँगा। कार्यवाही संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: बिना हमारे विचार सुने, वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैं वाक-आउट कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, कृपया।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. पी.जे. कुरियन: यह परिपाटी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: महोदय, हम मुख्य विपक्षी दल हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: नहीं, महोदय वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)* महोदय, आपने इस ओर से प्रत्येक दल के सदस्यों को अनुमति दी है। मैं इन्हें करीब आधे घंटे से सुन रहा हूं। लेकिन आपने हमारी ओर से किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह सही तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, कृपया एक मिनट रुकिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैं केवल न्याय चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैं न्याय चाहता हूं, आपने कहा ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हर समय, ऐसा ही होता रहता है। यह कोई तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित है। बिहार के मसले पर, श्री मुलायम सिंह यादव, यदि मैं सही कह रहा हूं तो श्री सोमनाथ चटर्जी और बाकी लोग भी बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: हम भी यह मुद्दा उठाना चाहते थे ...*(व्यवधान)* मैंने भी अपना हाथ उठाया था। जब आपने अन्य दलों के सदस्यों को इस संबंध में बोलने की अनुमति दी, तो हमें भी देनी चाहिए थी क्योंकि हम प्रमुख विपक्षी दल से हैं ...*(व्यवधान)* अब आप इन्हें उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: यह विपक्षी दल का बर्ताव है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैं सभा से बाहर चला जाऊँगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री के पद से भी हट जाऊँगा ...*(व्यवधान)* इससे बुरी और क्या बात हो सकती है ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: महोदय, जब उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, तो ये क्यों बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं नहीं बोलता, मैं सभा से बाहर चला जाता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: यदि आप संसदीय लोकतंत्र का आदर करते हैं तो अपनी बात खत्म करिए ...*(व्यवधान)* इसका अर्थ यह है कि आप संसदीय संस्था का आदर नहीं करते और न ही लोकतंत्र का। आप प्रमुख विपक्षी दल की बात सुनना ही नहीं चाहते ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय, प्रमुख विपक्षी दल की बात नहीं सुनेंगे ...*(व्यवधान)* ये हमारे मुख्य सचेतक हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सर, हम लोग यहां किसलिए बैठे हैं, कोई कहता है मेरी सुनिए, कोई कहता है, उसकी सुनिए। हमारी भी सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार (हावड़ा): महोदय, हमें भी बोलने का मौका नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? ...*(व्यवधान)* क्या मैं प्रो. कुरियन की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ? ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, आपने प्रमुख विपक्षी दल को छोड़कर सभी दलों को अपने विचार रखने का मौका दिया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनिए। जी हां, तो मंत्री महोदय

...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं नहीं बोलूंगा, यदि वह मुझे बोलने देना नहीं चाहते। यदि हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा है कि मैं नहीं ही ...*(व्यवधान)* मेरी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न की जाए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री द्वारा बिहार के संबंध में वक्तव्य देने के बाद

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: आपने प्रत्येक दूसरी पार्टी को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने केवल महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: वह बिना हमारी बात सुने। बिहार के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बिहार के मामलों के संबंध में

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, राजो सिंह जी को अपनी जगह पर जाने के लिए कहिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इस सदन के नियम की जानकारी है कि गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। यदि किसी माननीय सदस्य ने माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण मांगा है, तो यह नहीं दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि किसी माननीय सदस्य ने बिहार का उल्लेख किया है, तो यह ऐसा संदर्भ नहीं है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

प्रो. पी.जे. कुरियन: आपने नियम का हवाला देते हुए कहा कि माननीय मंत्री के वक्तव्य पर, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। यह नियम मंत्रियों पर भी लागू होता है। माननीय मंत्री और अन्यों के लिए अलग-अलग नियम नहीं है। आपने तीन माननीय सदस्यों को बिहार का मामला उठाने की अनुमति दी है। मैं भी बिहार पर बोल रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: सब कुछ सामान्य रखने हेतु, बिहार के संबंध में मैंने किसी को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी है। इस मामले में मेरा साफ मानना है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बिहार के मामले में किसी स्पष्टीकरण की अनुमति मैं नहीं दे सकता। इस सदन के नियमानुसार बिहार मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। अतः यदि कोई अपने भाषण में या अपने संदर्भ में बिहार मुद्दे को लाता है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। सदन उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता।

श्री राम नाईक: अतः मेरी सलाह है कि बिहार पर जो भी टिप्पणी की गयी है, उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। बिहार के बारे में अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो टिप्पणी की गयी है, यदि उन्हें निकाल दिया जाये तो अच्छा है। लेकिन यदि उन्हें नहीं निकाला जाता है, तो सरकार को उसका जवाब देने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक या महिलाओं के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए बिहार के बारे में टिप्पणी की। अतः सबसे अच्छा है कि ''काला दिन' इत्यादि मुद्दों पर जो भी टिप्पणी की गयी है, वे हटा दी जायें और मामला समाप्त हो।

श्री बसुदेव आचार्य: यह कैसे हो सकता है?

श्री राम नाईक: इसीलिए माननीय मंत्री को इस पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि ऐसा होगा तो पुनः अन्य सम्माननीय सदस्य बिहार का उल्लेख करने को कहेंगे। अतः मेरा कहना है कि सदन में बिहार पर किसी वक्तव्य के बारे में यह सदन स्पष्टीकरण मांगने की अधिकारिता नहीं रखता है।

श्री राम नाईक: मेरा निवेदन है कि वे टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की गयी है। यदि टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत में चली जायें तो एक ही रास्ता रह जाता है कि उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया जाये और मामला समाप्त हो। हम अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा क्यों करें? मुद्दा महिला विधेयक का है। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो भी उससे हटकर बोला जाये, उसे हटा देना चाहिए। मामला समाप्त हो जायेगा। यह इतना आसान है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है, और आपसे तथा इस सदन से कहनी है, ये कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं, अभी सारी दुनिया का नेतृत्व करने का संदेश पूरे सदन को दे रहे थे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुझे मत सिखाइए मैं जानता हूं, वे बोल रहे थे, *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: भोजपुरी में बोलिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जो भाषा हमें आती है वह बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वे दुनिया का नेतृत्व करने का संदेश पूरे सदन को दे रहे थे। जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, वे संसद को चलाने की प्रक्रिया को जानने वाले और संसद को चलाने के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं। मुझे नहीं मालूम कि.....*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह बुरी बात है। यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा हूं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप इसे रिकार्ड में नहीं लाना चाहते हैं, तो न लाएं, लेकिन मेरा बोलने का अधिकार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। रिकार्ड में रखना या न रखना यह आपका दायित्व है, लेकिन मेरा अधिकार है कहना। *...(व्यवधान)* मेरा कहने का अधिकार है और उसे निकालना या रखना, यह आपका अधिकार है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री लालू प्रसाद: आपने जो बोलना है, उसे बोलिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे तब ये खड़े होकर *...(व्यवधान)* मैं पीठ को कभी चुनौती नहीं देता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि जब वे जिम्मेदारी से बोल रहे थे *...(व्यवधान)* मैं कह रहा था कि जिसकी मर्जी आती है, वह बिना किसी रूल के, बिना किसी व्यवस्था के खड़े हो जाते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो कह रहे हैं, वह किस रूल के अंतर्गत कह रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं सभा को कभी भी संबोधित नहीं करूंगा *...(व्यवधान)* मैं इस सभा में अपना मुंह नहीं खोलूंगा। *...(व्यवधान)* मुझे जरा भी सम्मान नहीं दिया जाता *...(व्यवधान)* मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का सम्मान होना चाहिए।

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.: यही मैं जानना चाहता हूँ *...(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत वह बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं इस सभा में अपना मुंह नहीं खोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं बताता हूँ। आप मुझे पूछिए *...(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि आपकी पीठ से यह निर्देश आना चाहिए कि जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हों तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)* बिना व्यवस्था के चलते उनको बोलने की छूट है, तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर संसदीय कार्य मंत्री को नहीं सुना जायेगा तो हम भी जानते हैं कि बहुत से लोगों को

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

इस सदन में नहीं सुना जा सकता है और यह हो जायेगा। ...*(व्यवधान)* मैं ठीक बात कह रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: क्या वह मुझे अनुमति देंगे? उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। क्या इस सभा में वह मुझे बोलने की अनुमति देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, महोदय, मैं इस सभा में तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कांग्रेस के चीफ व्हिप प्रो. पी.जी. कुरियन मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते। यदि वह अनुमति नहीं देते, मैं नहीं बोलूंगा ...*(व्यवधान)* मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मुझे व्यक्तिगत ठेस पहुंची है। मैं रिकार्ड में यह बात कह रहा हूं। मुझे इसकी आशा नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): यह बार-बार हुआ है। प्रधानमंत्री तक यील्ड करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतया जब संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं तो उन्हें पूरी तन्मयता के साथ सुना जाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर न केवल सरकार के लिए अपितु विपक्ष के लिए भी सदन को चलाने की जिम्मेदारी है। यदि मेरे मित्र प्रो. कुरियन कोई बात कहना चाहते थे तो उन्हें वह बात पहले कहनी चाहिए थी। अथवा, उन्हें अपनी बात संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना भाषण समाप्त करने के बाद कहनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इस सदन मे हमेशा हर एक मुद्दे पर क्यों झगड़ते हैं। हर किसी को अपनी राय कायम करने का अधिकार है। सदन में यह प्रथा रही है-जहां तक मुझे ज्ञात है यह संसदीय परम्परा है-कि संसदीय कार्य मंत्री जब बोल रहे हैं तो सामान्यतया व्यवधान नहीं पहुंचाया जाता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप शांत रहिए।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन: ससम्मान, मैं कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी की राय व्यक्त करने के लिए मैं अपना हाथ बिहार का मुद्दा उठाये जाने के समय से ही उठाता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ने अपने विवेकानुसार मुझे नहीं बुलाया। मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि मंत्री महोदय बिहार मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा-और मेरा मानना है कि मैं ठीक हूं-कि मेरी पार्टी के विचारों को भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पूर्व मेरी पार्टी के विचार जानने चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की राय जाने बिना कोई संसदीय कार्य मंत्री कैसे संसद और लोक सभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है? अतः यह मेरा हक है कि मुझे वह बोलने का अवसर मिलता लेकिन मुझे वह नहीं दिया गया।

श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री थे। मैं इस सदन में बीस वर्षों से हूं। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और आप सहित प्रधानमंत्रियों को देखा है इन सभी ने सामान्य सदस्यों की बातें मानी थीं। वह कांग्रेस के समर्थन से प्रधान मंत्री थे और उन्होंने भी साधारण सदस्यों की बातें अनेक मौकों पर मानी थीं।

मैंने प्रधानमंत्रियों तक को देखा है कि उन्होंने माननीय सदस्यों की बातों को माना है। जब उठाया गया मामला तर्कसंगत हो तो मंत्री का यह कर्त्तव्य और शिष्टाचार होता है कि वह उसकी बात को माने। यदि वह नहीं मानना चाहते, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल की राय जाने बिना यदि वह बिहार पर कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो यह किस प्रकार का लोकतंत्र है? यही कारण है कि आप इस स्थिति में पहुंच गये हैं? इसीलिए, जो यहां स्वीकार किया जाता है उसे आप वापस क्यों ले लेते हैं। आप को पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलायी जाती है। आप हमारे विचारों को भी नहीं सुनना चाहते हैं।

यदि वह हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं इस सदन में विगत 20 वर्षों से हूं और मैं इस सदन की पूर्व प्रथाओं को जानता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के मुख्य सचेतक से अपने विचार रखने का अनुरोध करता हूं।

मैं बिहार पर कोई वक्तव्य देने नहीं जा रहा था। मैं उसे स्पष्ट करूंगा। वास्तव में मैं कुछ और कहने जा रहा था। खैर, मेरा अनुरोध केवल इतना भर है। मैंने यह बात पिछली बार भी कही थी। हम सभी मित्र हैं, प्रो. पी.जे. कुरियन तथा मैंने विपक्ष में तथा सत्ता पक्ष में भी साथ साथ काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने भी आपके साथ काम किया है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं, आपके माध्यम से उनसे केवल अनुरोध करूंगा कि यदि उन्हें लगता है कि उन्हें हर समय हस्तक्षेप करना चाहिए तो बेहतर होगा कि हम दोनों इस बारे में कुछ तय

कर लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं देखूंगा कि वह जरा सा भी उठे हैं, मैं हमेशा बैठ जाया करूंगा। वास्तव में आगे से मैं उनसे पूछकर उठा करूंगा। यह एक भिन्न प्रश्न है।

बात यह है कि जब मैं बोल रहा होता हूं, उस समय यदि कोई मेरी बात काटता है तो उससे मुझे परेशानी होती है।

श्री अजीत जोगी: क्या वह "कोई" हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यदि आप चाहते हैं कि मैं उन्हें "नेता" कहूं तो ठीक है, मैं कहूंगा।

मुद्दा यह है कि हमारे बीच थोड़ा बहुत तालमेल अवश्य होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मुझे उस तालमेल का पता चलना चाहिए। यदि नहीं चलता है, तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं चुप रहूं। मेरे लिए यही परामर्शयोग्य होगा और इसका मैं बुरा नहीं मानता हूं। यदि मुख्य सचेतक की यही इच्छा है तो मैं उनका बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं उनके लिए बैठ रहा हूं, वह जो कुछ ठीक समझते हैं, कह सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है मैंने कभी नहीं सोचा कि बिहार का मुद्दा उठाया जाने वाला है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सिर्फ इधर और उधर सुनते रहिए, इधर मत सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं।

यहां तक कि जब अन्य माननीय सदस्यों ने बिहार का मुद्दा उठाया तब भी मैंने केवल अपना हाथ खड़ा किया था; लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। एक अनुशासित सदस्य की तरह मैं चुप रहा। मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन जब मैंने वित्त मंत्री महोदय को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पार्टी का दृष्टिकोण उनकी जानकारी में ले आऊं। यही मैंने किया। यदि वह मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब चूंकि उन्होंने मेरी बात मान ली है और आपने मुझे अनुमति दे दी है, महोदय, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

बिहार मुद्दे के संबंध में, मैं भी पहले ही यहां व्यक्त किए जा चुके विचारों से स्वयं को जोड़ता हूं। यह पहली बार नहीं है जब सत्तारूढ़ दल ने इस सदन के अधिकार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया हो। जब इस विधेयक द्वारा प्रसार भारती विधेयक पारित किया गया तो सत्तारूढ़ दल ने इसे राज्य सभा में ले जाना मुनासिब नहीं समझा और उसने अध्यादेश का सहारा लिया जबकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इसे दूसरे सदन में भी ले जाया जाएगा। वह पहली बार था जब उन्होंने संसद के अधिकार को क्षति पहुंचाई और इस सदन का उपहास उड़ाया।

अब, बिहार के मुद्दे पर, न केवल इस सदन का अपितु राज्य सभा का भी उपहास बनाया गया। हमने सांविधिक संकल्प का समर्थन किया और राज्य सभा में विपक्ष के नाते इसका विरोध भी किया। लोक सभा का निर्णय क्या था? लोक सभा का निर्णय यह था कि इसने बिहार में राष्ट्रपति शासन की अभिपुष्टि की। कोई सरकार राज्य सभा में बिना गए और राज्य सभा की राय जाने बिना इसे वापस कैसे ले सकती है? यह लोक सभा के अधिकार को क्षति पहुंचाने तथा हमारा उपहास करने का एक उदाहरण है।

इसी प्रकार, इस संकल्प को राज्य सभा में भी ले जाना इस सरकार का सांविधानिक दायित्व है। राज्य सभा में सरकार का बहुमत नहीं है। इस प्रकार, सरकार लोक सभा और राज्य सभा का प्रयोग अपनी सुविधानुसार करती है। इससे संसद का उपहास होता है। यह बहुत ही अलोकतांत्रिक है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी सरकार की इस गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की भर्त्सना करती है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे लिए यह बताना बहुत आवश्यक है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस सदन को एक साथ मिलकर भारत तथा विश्व की समस्त महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए तथा उनके अधिकारों और उनकी उपलब्धियों के प्रति अपना समर्थन तथा अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बात इस सदन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसे इस विधेयक पर अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर करना चाहिए।

बिहार का मुद्दा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया था जिसका उद्देश्य मुख्यतया एक ऐसे मुद्दे पर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करना था जिस पर विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच थोड़े बहुत मतभेद थे। मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति माननीय

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

सदस्य और पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटील द्वारा बेहतर ढंग से कर दी गई है। मैं नहीं समझता कि मुझे अब उस मुद्दे पर कुछ कहने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह कहना अनुचित है कि सरकार द्वारा इस सदन के अनुमोदन के बाद संविधान में उपलब्ध किसी अधिकार का प्रयोग करने से उसका इस सदन के प्रति सम्मान घट गया है।

वास्तव में, विपक्ष की मांग पहले ही दिन प्रस्ताव लाने की थी। सरकार पर पहले ही दिन पहले ही मुद्दे पर प्रस्ताव लाने का दबाव था। हमने विपक्ष की मांग पर कार्रवाई की और इसे पहले मुद्दों के रूप में लाए; हालांकि सरकार के पास अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत अंतिम क्षण तक इंतजार करने के लिए पूरा अधिकार क्षेत्र था। और सरकार मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंतजार कर सकती थी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे अपने ऊपर लिया और सरकार ने कार्रवाई की और कहा कि इस मद्दे को हम पहले मुद्दे के तौर पर लेंगे। हमने इस पर पूरी तरह से वाद विवाद किया था। और इस पर मतदान भी कराया था। तत्पश्चात् सरकार ने इसे भांप कर इस मुद्दे की जांच की थी। सरकार को राज्य सभा में इसकी स्थिति के बारे में मालूम था। फिर यह निर्णय लिया गया कि अंतिम प्रयास के रूप में प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसके पश्चात् सरकार ने अंतिम निर्णय लिया। लेकिन हमारे लिए समझने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सभा की गरिमा किसी भी रूप में कम नहीं हुई हैं। इस सभा को पूरा सम्मान दिया गया रिकार्ड की बात के रूप में, मैं कहूँगा कि यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सभा को जो सम्मान दिया गया वह तुच्छ राजनीति के नाम पर इसकी गरिमा को कम किए जाने का प्रयास है। हमें इस मामले से ऊपर उठना चाहिए। संवैधानिक तौर पर इस सभा में हमने जो किया है वह ठीक है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): आपने इसे राज्य सभा में क्यों नहीं उठाया. ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया इसे स्पष्ट करें कि ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है। हम जानते हैं कि राज्य सभा में हम इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाएंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप इसे लोक सभा में क्यों लाए? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: क्योंकि आपने इसकी मांग की ...*(व्यवधान)* यहाँ ऐसी प्रक्रिया है और कानून के तहत में राज्य सभा के बारे में यहां नहीं बोल सकता। यही प्रक्रिया है। मैंने यही सीखा है और यही पढ़ाया है। यदि आप मुझसे अधिक पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि इस सभा का कभी अनादर नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.50 बजे, पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर पचास मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.54 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर चौवन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियम 377 के अंतर्गत मामले लेने से पहले मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

अपराह्न 2.55 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के पास भारतीय वायुसेना के वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, 7 मार्च, 1999 को भारतीय वायुसेना का एक ए.एन.-32 वायुयान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त

हो गया। यह वायुयान अपनी नियमित उड़ान पर था और उसने आगरा से उड़ान भरी थी और ग्वालियर में रुककर यह दिल्ली आ रहा था। ग्वालियर से इसने 0730 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली की 10 नम्बर हवाईपट्टी पर उतरते हुए अंतिम क्षणों तक उड़ान बिल्कुल सामान्य थी। यह वायुयान हवाईपट्टी से लगभग 2 नॉटिकल मील की दूरी पर था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

हवाईपट्टी पर कथित रूप से केवल 1100 मीटर तक दिखाई दे रहा था। इतनी दूरी से पायलट सरलता से देख सकता था। तत्काल उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पायलट 10 नंबर हवाईपट्टी पर उतरने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहा था। यह वायुयान हवाईपट्टी से दूर ऐसे समय पर भूमि से टकरा गया जहां पर सामान्यतः इस वायुयान को जमीन से 600 फुट ऊपर होना चाहिए था। इस वायुयान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुयान विशेषज्ञों वाली, भारतीय वायुसेना की एक जांच अदालत का गठन किया गया है। दुर्घटना स्थल से वायुयान के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायस रिकॉर्डर सही सलामत प्राप्त हो गए हैं। इनसे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की संभावना है।

अंतिम सूचना के अनुसार, दुर्घटना स्थल से 22 शव बरामद हुए हैं। इस दुर्घटनाग्रस्त वायुयान में 14 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों के रूप में 18 सैन्य कार्मिक सवार थे। मरने वालों में 3 सिविलियन भी थे जो उस समय दुर्घटनास्थल पर थे तथा एक मृतक की अभी भली-भांति पहचान नहीं हो पाई है। मृतक सैन्य कार्मिकों के निकट संबंधियों को सूचित कर दिया गया है।

दो इंजनों वाला ए.एन.-32 वायुयान भारतीय वायुसेना का एक मध्यम दर्जे का माल वाहक वायुयान है। यह पिछले 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना की सेवा में है तथा इसका सुरक्षा संबंधी रिकार्ड अच्छा रहा है। यह एक विश्वसनीय तथा तकनीकी रूप से मजबूत वायुयान है जिसने भारतीय वायुसेना के लिए काफी उड़ानें भरी हैं।

चालक दल इस यात्रा के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित एवं योग्य थे।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, हंगरी का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आया हुआ है मुझसे 4.00 बजे मिलना चाहता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि अब मद संख्या 9 और 10 पर चर्चा करें और तत्पश्चात् नियम 377 के अंतर्गत मामले निपटाएं। क्योंकि वे हमारे अतिथि हैं और मुझे उनसे मिलना है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 जरूर ले लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है। सभा अब मद संख्या 9 और 10 पर साथ-साथ चर्चा करेगी।

अपराह्न 2.58 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चिन्ता मोहन-उपस्थित नहीं हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज-उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी.सी. थामस-उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं:

इस समय, संसद सदस्य वर्ष में 32 बार अकेले वायुयान से यात्रा करने के पात्र हैं। इस यात्रा के दौरान वे अपनी पत्नी अथवा अपने पति अथवा किसी साथी को साथ लेकर जा सकते हैं। संसद सदस्यों के वेतन, और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों की इस मांग का समर्थन किया है कि पति अथवा पत्नी अथवा किसी साथी को साथ लेकर जाने की शर्त को समाप्त किया जाए ताकि ऐसी यात्राओं के दौरान वे कितने भी संबंधियों अथवा साथियों को साथ लेकर जा सकें। हमने विधेयक में यह प्रावधान किया है कि संसद सदस्य वर्ष में 32 बार अकेले वायुयान से यात्रा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

करने की सीमा के भीतर कितने ही संबंधियों अथवा साथियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। अतः कुल मिलाकर यात्रा के संबंध में सिलिंग सीमा वही रहेगी।

वर्तमान उपबन्धों के अनुसार, संसद सदस्य उस स्थिति में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही रेल से यात्रा करने के पात्र हैं यदि उनके साथ वातानुकूलित 2-टियर में कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है और उस साथी के बदले में इस यात्रा के लिए वातानुकूलित 2 टियर की राशि समायोजित की जाएगी। जबकि संसद सदस्य का पति अथवा पत्नी संसद सदस्य के सामान्य निवास स्थान से दिल्ली और वापसी यात्रा सभी रेलगाड़ियां से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे अथवा इग्जेक्यूटिव क्लास से करने के पात्र हैं और इन यात्राओं पर कोई रोक नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

संसद सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन उपबंधों को शिथिल करने का प्रस्ताव है ताकि संसद सदस्य और उनकी पत्नी अथवा उनका पति भारत के किसी भाग से चलकर किसी भी भाग में बिना किसी प्रतिबंध के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर सके।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पैंशन (संशोधन) अधिनियम, 1998 के अनुसार, 20.8.1998 से भूतपूर्व संसद सदस्यों की न्यूनतम पैंशन को बढ़ाकर 25000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है इस संशोधन में उन भूतपूर्व संसद सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने लोक सभा के दो कार्यकाल पूरे किए थे और जो अनंतिम संसद के सदस्य थे। अब उक्त तारीख अर्थात 20.8.1998 से इन दोनों श्रेणियों के संसद सदस्यों को न्यूनतम पैंशन के रूप में 2500 रु. प्रतिमाह देने का प्रस्ताव है।

पंजाब राज्य के आठवीं लोक सभा के सदस्यों, जहाँ आम चुनावों के साथ चुनाव नहीं कराए जा सकें थे और वहाँ चुनाव कराने में लगभग नौ माह का विलम्ब हुआ था, ने यह मांग की थी कि पेंशन संबंधी प्रयोजन के लिए इस अवधि की भी गणना की जाए। प्रस्ताव है कि जहाँ आतंकवादी गतिविधियों, बागियों अथवा सरकारी तंत्र में कोई परेशानी आने के कारण आम चुनावों के साथ किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र अथवा किसी भाग में चुनाव नहीं कराए जा सके, उक्त अवधि की पेंशन को स्वीकृत करने के लिए गणना की जाए। यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

भूतपूर्व संसद सदस्य रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर भारतीय रेल में वातानुकूलित 2-टियर श्रेणी में एक साथी के साथ मुफ्त रेल यात्रा सुविधा का लाभ उठा रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सुविधा को अवैध ठहराते हुए इसे बन्द कर दिया था। भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा लोगों को सेवा प्रदान करने में उठाई जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को 18.1.1999 से प्रख्यापित करके उस सुविधा को पुनः बहाल किया गया है। उक्त अध्यादेश में उल्लिखित प्रावधानों को इस विधेयक में विधान द्वारा परिवर्तित किया गया है।

इस विधेयक में संसद सदस्य वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों और संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांगों को पूरा करने के संबंध में लिए गए निर्णयों को शामिल किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि सभा इस विधेयक के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लेगी और अधिक चर्चा किए बिना ही इसे पारित कर देगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ उक्त विधेयक सौंपता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: कृपया उस नियम का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: आमतौर पर अध्यादेशों को आपात स्थिति में ही प्रख्यापित किया जाता है। यहाँ मसला यह है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया है।

सभापति महोदय: कृपया नियम उद्धृत करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि अध्यादेशों को आपात स्थिति में केवल उस समय जारी किया जाता है जब सभा का सत्र नहीं चल रहा होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के प्रयोजन के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित करने का सहारा ले रही है। यह हास्यप्रद है और इससे लोगों में गलत धारणा उत्पन्न होगी। यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करूँ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उनकी बात सुने। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: वे भत्तों को बढ़ाने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर रहे हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, हमने वेतन और भत्तों को बढ़ाने के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं किया है। यह केवल भूतपूर्व संसद सदस्यों के बारे में किया गया है जिनके मामले में अदालत ने तत्काल प्रभाव से उन्हें बढ़ाने के लिए निर्णय दिया है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह केवल भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए है। हम यहाँ संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए क्यों अध्यादेश लाएं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: वह अध्यादेश केवल भूतपूर्व संसद सदस्यों के संबंध में था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह बहुत ही बेढंगा और हास्यापद लगता है। वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए भी वे इस तरह कर रहे हैं। मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है।

सभापति महोदय: श्री राजो सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन), विधेयक, 1999 पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें आपने प्रोविजन किया है कि जो दो बार सदस्य रह चुका हो उस भूतपूर्व सदस्य को पेंशन मिलेगी। 11वीं लोक सभा हो या 10वीं लोक सभा हो, जो चुनकर एक बार आता है, संसद भंग हो जाए किसी कारण से तो उसका दोष नहीं होता है, फिर क्यों वह सुविधा से वंचित हो जाता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बिहार राज्य के बारे में बताना चाहता हूं। बिहार राज्य में भूतपूर्व विधायकों को पेंशन देने में एक प्रॉविजन किया गया है कि जो भी माननीय सदस्य हाउस में आए और शपथ ले ले, तो उसका कार्यकाल पांच वर्ष तक माना जाता है और उसी आधार पर उनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा कि आर्डिनेंस किया गया है। आर्डिनेंस करके वेतन-भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। आर्डिनेंस एक्स-एम.पीज. के लिए किया गया है, जिनको रेलवे ने पास दिया था, उसको इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने रद्द किया था क्योंकि उसने एक्ट का रूप नहीं लिया था। जो सारे हिन्दुस्तान के एक्स एम.पीज. थे, उनकी असुविधा को देखते हुए सरकार ने आर्डिनेंस करके उसको किया है। इसके द्वारा उनको सुविधा दी है, यह सराहनीय काम था। हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। हम सारे कानून बनाते हैं। हम सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक संस्थाओं के बारे में कहते हैं कि उसको वेतन नहीं मिला, उसका प्रमोशन या ट्रांसफर ठीक से नहीं हुआ, उस कंपनी को यह सुविधा नहीं हुई आदि आदि। लेकिन जब हमारे अपने मैम्बरों की सुविधा की बात होती है तो हमारे में से ही कई लोग उसका विरोध करने लगते हैं। जब कानून बनाने का हमारे को हक है और सरकार किसी प्रस्ताव को लाती है और हम उसको मोहर लगाकर कानून बना देते हैं तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आज इसको पास किया जाए लेकिन आगे के सत्र में इस बात का ख्याल करें कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप मंत्रिमंडल में या समिति में इस बात को ले जाएं कि जो मैम्बर एक बार चुनकर आ जाए, उसकी अवधि को पांच वर्ष माना जाए। किसी कारण से संसद भंग हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं होता है। आप इसको मानते हुए उसको जो पेंशन मिलनी चाहिए वह देने की कृपा कीजिए। पहली बार जब मैं यहां आया था तो रेल बजट पर कहा था कि फर्स्ट-क्लास का ए.सी. पास किया है लेकिन उनकी पत्नी आएगी तो कहां जाएगी। रेल मंत्री ने तब कहा था कि यह हमारा काम नहीं है दूसरे का काम है। अब आप लाए, इसके लिए धन्यवाद है। हवाई जहाज के टिकट के बारे में 32 बार जाने के लिए कहा है, इसको आपको क्लीयर करना चाहिए। यह न हो कि हम या हमारी पत्नी या दोस्त जब आये तो 16 दूने 32 आप कर दें, वह क्लीयर करना चाहिए। इसमें दोनों के लिए 32 बार का प्रॉविजन रहना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करते हुए इसका समर्थन करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, संसद सदस्यों की सुविधा और वेतन के संबंध में भारत की संसद निर्णय लेने के लिए संविधान के तहत अधिकृत है। इसके द्वारा जो भी निर्णय हुए वह किसी भी हाई-कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं

[श्री मोहन सिंह]

किये गये। पहली स्थिति तब आई जब भूतपूर्व संसद सदस्यों को मिली हुई सुविधा के एक प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने स्ट्राइक-डाउन किया। ऐसी परिस्थिति में उसको रैस्टोर करने के लिए आर्डिनेंस में जाने में कोई गलती हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इस बारे में राधाकृष्णन जी की राय से मैं सहमत नहीं हूं। जब पिछली संसद अंतिम दिन उठ रही थी और उसी दिन वह निर्णय आया था तो सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसकी मांग की थी कि इसके निराकरण के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और उसी के अनुसार सरकार ने यह काम किया है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए कि हम एक बार शपथ ले लें और हमको पांच साल की अवधि के लिए माना जाए। ऐसी स्थिति आये ही क्यों। यह परिस्थिति क्यों पैदा नहीं की जाती कि एक बार संसद और विधान सभा चुनी जाए तो पांच साल रहनी चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए। संयोग से मैं अपने एक निजी मित्र को जानता हूं। वह 1977, 1989 और 1996 में चुने गए। वह तीन बार संसद के सदस्य चुने गए लेकिन वह किसी तरह की सुविधा पाने के हकदार नहीं थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बनापूर्ण स्थिति है। आपने इसमें कुछ प्रावधान करके ठीक किया।

आज सभी जगह चाहे वे निजी बैंक हो या राष्ट्रीयकृत बैंक हो, सभी जगह सूद की दर घटा दी गई है। माननीय सदस्यों को कार खरीदने के लिए एक लाख रुपए की सुविधा मिलती है लेकिन इसकी सूद दर 15 परसेंट रखी है। किसी भी निजी फाइनान्सर के पास आप चले जाएं, वह और सूमो की टाटा फाइनैन्स कम्पनी चार परसैंट सूद दर पर कार देती है। मारूति के बारे में निर्देश है कि वह जीरो परसैंट सूद दर पर कार दी जाए। मैं जब संसद सदस्य की हैसियत से सूद मांगने गया तो उन्होंने कहा यह संसद सदस्यों को सुविधा प्राप्त नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको संसद एक लाख रुपए कर्ज देती है। मैं जब एक लाख रुपए मांगने आपके कार्यालय गया तो उन्होंने कहा कि इस पर 15 परसैंट सूद दर है। मैंने कहा कि 15 परसैंट सूद दर तो पूरे वेतन में ही चली जाएगी तो फाका करना पड़ेगा या रंगराजन कुमारमंगलम जी से कुछ उधार मांगना पड़ेगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए।

मैं एक विशेष विनती आदरणीय सदन और माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूं कि आज जो सुविधा मिली है, मेरी निजी राय यह है कि वह सुविधा पर्याप्त है। इसलिए आगे आने वाले पांच वर्षों तक हम लोगों को अपने वेतन और सुविधा वृद्धि की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर समाज के उन सभी वर्गों पर पड़ता है, वे डंडा लेकर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सुविधा, वेतन और भोजन बढ़ाया जाए।

इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पद्धति थी कि जिस दिन संसद उठती थी उस दिन नियम में परिवर्तन करके संसद सदस्यों को सुविधाएं देने संबंधी एक विधेयक आ जाता था और ध्वनि मत से पास हो जाता था। इसका बाहर यह इम्प्रेशन जाता था कि संसद सदस्यों ने अपने वेतन, सुविधा संबंधी बढ़ोत्तरी की मांग को बिना बहस नियमों को शिथिल करके पास कर दिया। इसकी टीका होती थी। आज उस पद्धति से अलग हट कर बाकायदा विधेयक प्रस्तुत किया गया और बहस का मुद्दा बनाया गया जो कि एक अच्छी बात है। इसी पद्धति को भविष्य में भी अख्तियार करना चाहिए। इतना आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नरसापुर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इसके माध्यम से और अधिक सुविधाएं देने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, माननीय संसद सदस्यों को डाक सुविधाएं देने के बारे में मैं मंत्री जी से और सहायता देने का अनुरोध करता हूं। हम अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को कई पत्र लिखते हैं और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोग हैं। अब हम पूर्व सांसदों की तुलना में अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के और निकट जा सकते हैं क्योंकि अब हम और अधिक पत्र लिखते हैं और आजकल लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। मैं समझता हूं कि सांसदों को और अधिक डाक सुविधाएं देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि ऐसा होता है तो हम अपने देश के लोगों के और नजदीक हो जाएंगे। मैं मंत्री जी का बड़ा आभारी होऊंगा यदि वे इससे सहमत हो जाएं और अभी या बाद में इस पर विचार कर लें। अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के लोगों के और निकट होने के लिए यह सभी सांसदों हेतु उपयोगी होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस बिल पर माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मुझ से रहा नहीं गया। इसलिए मैंने उसमें शामिल होने की उत्सुकता जाहिर की। जब हम पिछले जमाने से देखते हैं कि एम.पीज के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी होती रही है और चूंकि एम.पीज का वेतन भत्ता बढ़ाना या घटाना संसद के हाथ में हैं, इसलिए सब लोग सिद्धान्ततः कह देते हैं कि अब ज्यादा हो गया है लेकिन यह सब व्यवहारिक होना चाहिए। अभी श्री मोहन सिंह कह रहे थे कि ज्यादा हो गया है, अब फुलस्टाप होना चाहिए और अगले पांच वर्ष तक नहीं बढ़ना चाहिए। आज महंगाई कितनी बढ़ रही है? यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो मालूम होता है कि हम सब किस हालत में रहते हैं। पहले गाड़ी के लिए 50 हजार रुपया मिल रहा था जो बढ़कर एक लाख हो गया है लेकिन उस पर सूद 15 परसेंट हो गया। अब आप बताइये एक लाख में गाड़ी कहां आती है? पार्लियामेंट से एक लाख रुपया मिल गया लेकिन बाकी कहां से आयेगा? इसलिए इसकी राशि बढ़नी चाहिए और यह व्यावहारिक होना चाहिए। या तो हम 15 साल पुरानी गाड़ी लें जिसे दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है या आप लोन की मात्रा बढ़ायें जिससे अधिक कीमत वाली गाड़ी ली जा सके। आजकल इंडिका, सेंत्रोज का प्रचार हो रहा है। उसके लिए सूद की दर कम की जाये और लोन बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि 15 परसेंट सूद का कानून किसने बनाया है? ऐसे तो केवल सूद में हमारा सारा वेतन चला जायेगा।

सभापति जी, हम देखते हैं कि हम अपना वेतन, भत्ता बढ़ाने के नाम पर बहस पर जोर देते हैं लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए यह जरूरी है कि स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब द्वारा एक अलग से इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाये जो हमारे भत्ते या वेतन को देखें। महंगाई के रहते जब वेतन भत्ता बढ़ता है तो लोगों को मालूम होता है कि हमने अपनी सहूलियतें बढ़ा ली है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहस करते और कह देते हैं कि ज्यादा मिल रहा है, उसे घटाया जाये। इसमें एक बात यह भी जरूर है कि उन लोगों के मन में कुछ है, बाहर कुछ है। हमारे यहां लोग आते हैं, क्या उन लोगों को चाय न पिलाई जाये। यदि नहीं पिलाई तो शिकायत करते हैं कि हमें चाय के लिये नहीं पूछा। अब महंगाई में यह खर्चा नहीं होता है? उन लोगों को टिकट के लिए पाकेट से पैसा भी देना पड़ता है। कार्यकर्त्ता लोग आते हैं और हमारे घर में रहते हैं, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। बिहार में राष्ट्रपति राज लागू होने पर जिनको गाड़ी या फोन मिले हुए थे, वे हटा दिये गये। उनको घर खाली करने के लिए नोटिस तक दिये जा रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं कि पता नहीं लोक सभा कब भंग हो जाये। अभी राजपूत जी कह रहे थे कि लोक सभा के लिए पांच साल के लिए कानून होना चाहिए क्योंकि बार बार चुनाव होना ठीक नहीं। वह तो होना ही चाहिये। इसमें एक बात की सफाई कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग तो सम्पन्न हैं, उन लोगों को गाड़ी, भत्ता या वेतन मिले या न मिले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो लोग साधारण परिवार से आते हैं, जिन्होंने कोई रूपया पैसा जमा नहीं किया, हम लोग विचार करें कि उन्हें देखें या न देखें? इसलिए कानून बनाते वक्त जो बड़े लोग हैं जिनके वेतन, भत्ता, गाड़ी और घर मिला हुआ है, उनको अगर वेतन भत्ता न भी मिले, उससे ज्यादा उनको निजी संपत्ति हासिल है या हासिल करने का क्षमता है लेकिन जिनको वह हासिल करने का क्षमता नहीं है और जो लोग हासिल नहीं कर पाते, साधारण परिवार से आए हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः पेन्शन के बारे में भी लोग कहते हैं कि पेन्शन क्यों दी जाए। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति संसद सदस्य या मंत्री या विधायक रहता है तब तो ठीक है लेकिन जब वह सदस्य नहीं रहते तो कहां से वह किसी को चाय पिलाएंगे, कहीं जाने के लिए गाड़ी में कैसे जाएंगे, जनता का काम कैसे करेंगे? वे लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरी आमदनी नहीं है। जब उनकी हालत खराब देखी गई तो उनके लिए पेन्शन का प्रावधान किया गया। अब यह व्यवस्था हो गई कि साढ़े चार वर्ष पूरे होंगे तो पेन्शन मिलेगी। अभी राजो बाबू कह रहे थे कि राजस्थान विधान सभा ने कानून बना दिया, बिहार विधान सभा ने कानून बना दिया कि पांच वर्ष से पहले विधान सभा भंग नहीं होगी, वही कानून यहां भी बनना चाहिए। वह कानून जब तक नहीं बनता है, तब तक यह हो कि जो सदस्य एक बार जीतकर आया और उसने शपथ ले ली, भले ही लोक सभा भंग हो जाए, उसकी अवधि पूरी मानी जाए और उनको पेंशन की सुविधा दी जाए। क्योंकि जो एक बार जीतकर आए और लोक सभा भंग हो तो इसमें उसका कोई कुसूर नहीं है।

हम लोग इस बिल पर बोलने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि सब लोग इसके समर्थन में हैं। अभी रेलवे में फर्स्ट ए.सी. के लिए यह नियम बनाया गया है कि स्पाउज के साथ उसमें यात्रा कर सकते हैं लेकिन साधु लोगों की कहां से स्पाउज आएगी? इसलिए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग संसदीय काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, और एक साधारण दर्शन है कि पूरी व्यवस्था और इंतजाम रहने से आदमी इफेक्टिवली काम कर पाएगा नहीं तो जनता की सेवा में कमी आएगी। इसलिए इन

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभी बातों पर सरकार को गौर करना चाहिए। कुमारमंगलम साहब बड़े जेनुइन आदमी हैं। अब बीजेपी में चले गए हैं। लोग कहते हैं कि ये अच्छे आदमी थे और यहीं थे पहले। इसलिए सम्माननीय संसद सदस्यों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनको पूरी सहूलियतें और सुविधाएं दी जाएं ताकि वह बढ़िया काम कर सकें। बिल पास करते वक्त उन लोगों का ध्यान रखें जो साधारण सदस्य हैं और गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं। कुछ लोग धनी हैं, उनके लिए कानून बने या न बने, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिले, कानून बनाकर सुविधा मिले। व्यावहारिक रूप से यह होना चाहिए।

सभापति महोदय, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकार पर 18 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा जिससे 40 लाख परिवारों को फायदा होगा। एक आदमी का वेतन 45,000 रुपये तक पहुंच गया। उनके पास ऐसा कौन सा बड़ा भारी काम है, उनको कौन सा आसमान उलटना पड़ता है जो हम लोग नहीं उलटते? लेकिन उनके 45,000 रुपये के वेतन के आगे हमारा वेतन 4,000 रुपये है। अखबारों में छपता है कि बड़ी सहूलियत हो गई, सदस्यों को ज्यादा सुविधा मिल रही है। इन सब पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज अधिकारी लोगों का वर्चस्व है, ब्यूरोक्रेट्स लोग अपने फायदे के लिए तो मंत्री को समझा-बुझाकर दस्तखत करवा लेते हैं और जब हम लोगों की सहूलियत की बात आती है तो कोर्ट ने कह दिया कि जो पूर्व एम.पी. हैं, उनको ट्रेन से आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी। कभी एकाध साल में एक दो बार उनको दिल्ली आना पड़ता है या अपने प्रदेश की राजधानी जाना पड़ता है, वह भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इसको रद्द कर दो। तब ऑर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी। इसलिए यह सब देखते हुए की जलन से भी लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों के प्रति अखबारों में लोग छाप देते हैं कि इनको यह सहूलियत हो गई।

हम लोगों के जीवन-स्तर की छानबीन और जांच करके देखें। यहां से मैटाडोर से जाने के पांच रुपये लगते हैं, उस पर भी हम लोग अगर पैदल जाते हैं तो पांच रुपये बच जाते हैं, यह मानसिकता है, यह गरीब की हालत है। इसमें जब कोई सहूलियत देने की बात होती है तो उसमें तरह-तरह की टिप्पणियां आती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह व्यावहारिक होना चाहिए और असल में जो आर्थिक हालत है और जो महंगाई बढ़ी है और हम लोगों को जो रहन-सहन पर और जीवनयापन पर खर्चा करना पड़ता है, उसके हिसाब से सारी सहूलियतों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति जी, सांसदों और पूर्व सांसदों को मिल रही सुविधाओं के संबंध में दो-तीन छोटी चीजें और जोड़ना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर सदन में चर्चा हो रही है। महोदय, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको अपनी सुविधाओं के बारे में निर्णय करने का अधिकार संविधान ने दूसरों को दिया हुआ है। लेकिन शायद संसद ही एक ऐसी संस्था है, जहां हमें अपने बारे में निर्णय करना पड़ता है। जजों को कितनी सैलरी मिले, इसका निर्णय जज नहीं करते हैं, कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिले, इसका निर्णय कर्मचारी नहीं करते। लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत वर्तमान और पूर्व सांसदों को क्या-क्या सुविधाएं होंगी, इसका निर्णय करने का अधिकार हम लोगों को है। इसलिए जब ऐसा विषय आता है तो कई बार हम लोगों को भी बड़ा ऐमबैरेसिंग लगता है कि हम अपने बारे में ही निर्णय कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई आप्शन नहीं है। इसलिए सांसदों को यह निर्णय भी करना पड़ता है। मैं इस संबंध में दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कोई एक सुविधा सांसदों को मिल रही है। कभी-कभी दो-तीन महीने या साल भर के बाद कोई छोटा सा आइटम आता है और लगातार प्रैस में और दूसरी जगहों पर प्रचार होता है कि जैसे पता नहीं हम अपने लिए कितना पैसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब कुल मिलाकर बिल सामने आता है तो खोदा पहाड़, निकली चुहिया वाली बात होती है। लगातार प्रैस में छपता रहता है कि सैलरी बढ़ गई, बढ़ती कितनी है-1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये अलाउंस हो गया। टेलीफोन कॉल्स 50 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई। कोई भी सांसद अपने घर में बैठकर बिजनेस के लिए फोन नहीं करता। बल्कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं, अपने क्षेत्र के लोग आते हैं, वहां कोई समस्या हो जाती है, उसके लिए फोन करते हैं। आज आपको एस.टी.डी. काल्स करनी पड़ती हैं। मैं चंडीगढ़ से सांसद हूं, जो कि नजदीक है, इसलिए रेट कम लगता है, लेकिन जो लोग दूर से आये हुए हैं। रोजाना उनको अपनी कांस्टीटुएंसी में लोगों को फोन करने पड़ते हैं, उनकी दिक्कतों और परेशानियों को देखना पड़ता है और यह एक लाख टेलीफोन कॉल्स की लिमिट ऐसे गुजर जाती है कि महसूस ही नहीं होता कि कब आपने सारी लिमिट एग्जास्ट कर ली।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं सैलरी से बारे में कहना चाहता हूं। आज कोई सांसद या विधायक से मिलने के लिए आता है, वैसे हमारे पास सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं। यदि आप हर आदमी को चाय-काफी के लिए पूछें तो आपको दो-ढाई रुपये से कम में चाय का कप नहीं पड़ता है। यदि सौ-दो सौ लोगों को आपको रोजाना चाय पिलानी पड़े तो कुल मिलाकर जितना आपका

टी.ए. और डी.ए. महीने में मिलता है, वह इसी में खर्च हो जाता है। यदि आप चाय नहीं पूछें तो आया हुआ आदमी मजाक करता है यह तो कमाल हो गया, हम लोगों ने आपको जिताकर यहां भेजा है और आप हमें चाय भी पूछने के लिए तैयार नहीं हैं, आप घर आये हुए आदमी को खाना खिलाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगली बार इलैक्शन में जब आप वोट मांगने के लिए आयेंगे तो हम आपको देखेंगे, आप कैसे आते हो। आपने हमें चाय तक नहीं पूछी।

सभापति महोदय, अगर हम चाहते हैं कि सांसद ईमानदारी से काम करें तो उनको पूरी सुविधाएं देनी होगीं। इनके बिना किसी भी सांसद के लिए पूरी निष्ठा से काम करना मुश्किल हो जायेगा। श्री रघुवंश प्रसाद जी तो बड़े जमींदार हैं, इनके लिए तो आय का दूसरा साधन फिर भी होगा। लेकिन जिन लोगों की कोई फैक्टरी नहीं है, न कोई एग्रीकल्चर जमीन हैं, उनकी और कोई सोर्स ऑफ इंकम नहीं है, उनके लिए कठिन हो जाता है। मैं मोहन सिंह जी इस बात से सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने हमें जमींदार कहा।

श्री सत्य पाल जैन: मैंने आपको लैंडलोर्ड कहा है। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं इसमें दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि सभी दलों के पांच-सात लोगों को लेकर एक बार फिर से इन सारी सुविधाओं पर निगाह डाल लेनी चाहिए। बार-बार छः, आठ महीने के बाद एक छोटी सी चीज लेकर फिर से कंट्रोवर्सी को रिवाइज करने की बजाय एकमुश्त सबको विचार करने के बाद आगामी पांच साल में क्या-क्या इनक्रीज होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो-तीन चीजें और हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उनमें सबसे आवश्यक चीज डाक की है। आज किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों, अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र लिखने पड़ते हैं। जहां तक मंत्रियों का ताल्लुक है, उनके लिए तो दिल्ली में यह सुविधा है कि वे अपनी चिट्ठी अपने ऑफिस में दे दे, ऑफिस उनको बांट देता है। लेकिन अगर दूसरे सांसदों को हमें पत्र लिखना हो तो हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस उसे स्वीकार नहीं करता, आपको उस पर टिकट लगाना पड़ता है। आपको डी.सी. को पत्र लिखना है, एस.डी.एम. को पत्र लिखना है, आज कम से कम तीन रुपये का टिकट एक पत्र पर लगता है। इसलिए इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कोई ऐसी स्कीम निकाले कि सांसदों की जो डाक जाती है, चाहे वह कांस्टीटुएंसी में जाए या किसी अधिकारी के पास जाए, वह डाक फ्री होनी चाहिए।

ताकि उस पर आने वाला सांसद का खर्च बच सके क्योंकि यह सीधे-सीधे जनता की सेवा है। इसमें सांसद का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। वह तो लोगों के कामों के लिए लिखते हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से कार के ऊपर रैड लाइट के प्रयोग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए। पंजाब और हरियाणा में विधायकों को अपनी कारों पर रैड लाइट लगाकर चलने का अधिकार है, लेकिन सांसद को नहीं है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि यह कितनी विचित्र स्थिति है कि विधायक तो लाल बत्ती की कार में चले और सांसद जो विधायक से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा रखता है क्योंकि वह विधायक की तुलना में बहुत अधिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह अपनी कार में रैड लाइट लगाकर न चले, तो जनता भी इस पर सोचती है कि ऐसा क्यों है। इस बारे में एक स्पष्ट नीति सरकार को बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बार हरियाणा में किंग फिशर होटल में ठहरा, तो मुझे एक दिन के 500 रुपए देने पड़े। मुझे बताया गया कि यदि हरियाणा का विधायक ठहरता है, तो उसे सिर्फ 40 रुपये देने पड़ते हैं। इस प्रकार से मेरा तो क्षेत्र बहुत छोटा है कभी मुझे हरियाणा और कभी मुझे पंजाब में जाना पड़ता है तथा रहने के लिए इतना अधिक सरकारी होटल का किराया देना पड़ता है। जिस राज्य का जो सांसद है, यदि उसे अपने राज्य में एक बार जगह न मिले, तो चल सकता है, क्योंकि उसका अपना घर वहां होता है, लेकिन बाहर का सांसद यदि किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो उसे वहां सुविधा चाहिए। मान लीजिए कर्नाटक राज्य के सांसद को बंगलौर में जगह न मिले, तो एक बार उसका काम चल जाएगा क्योंकि वहां उसका अपना घर है और जिसका जहां अपना घर होता है, उसे कोई सरकारी होटल में जाने का जरूरत नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में वहां के विधायकों को जो सुविधाएं हैं, जो सांसदों को सुविधाएं हैं, वे सभी सांसदों को सभी राज्यों में बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा न हो कि यदि मैं पंजाब में जाऊं तो मुझे पूरा पेमेंट करना पड़े, यदि मैं हरियाणा में जाऊं तो मुझे पूरा पेमेंट करना पड़े। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर बैठकर विचार करना चाहिए और सभी सांसदों को एक सी सुविधाएं देनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक मुख्य बात मैं और कहना चाहता हूं और वह है रोड माइलेज के बारे में। यहां से थोड़ी-थोड़ी दूर पर रहने वाले जो सांसद हैं, मान लिया हरियाणा, पंजाब या हिमाचल के सांसद जो संसद में आते हैं उन्हें रोड माइलेज मिलना चाहिए। वर्तमान नियम के अनुसार रेल हैड के निकटतम स्टेशन से रेल का

[श्री सत्यपाल जैन]

किराया मिलता है जो नाइंसाफी है। एक सांसद एक बार में मान लो हजार रुपए का पेट्रोल कार में भरवाकर यहां पहुंचता है और उसे रेल का किराया मिलता है, जो बहुत कम है। यह तो उसके साथ सरासर नाइंसाफी है। नजदीक से आने वाले सांसदों को रोड माइलेज दिये जाने का प्रावधान करना चाहिए। इस पर विचार करके इनके बारे में भी एक बार निर्णय कर लीजिए। नहीं तो कभी रेल का आ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या बढ़ा दिया है या डाक का आ जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं कितना बढ़ा दिया है। इस प्रकार से बार-बार कंट्रोवर्सी आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों के बारे में एक मुश्त निर्णय लिया जाए ताकि सांसद अधिक काम कर सके, ज्यादा क्षमता से काम कर सके, ज्यादा ध्यानपूर्वक काम कर सके। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सांसदों के वेतन, पेंशन और रेल यात्रा के इस संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं चन्द बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा क्योंकि मैं तो पहली बार सांसद बना हूं। सर्वप्रथम तो मैं इस विधेयक पर बोलने वाले सभी अपने पुराने सांसदों द्वारा कही गई बातों एवं उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मुझे विशेष अनुभव नहीं है क्योंकि मैं पहली बार सांसद चुन गया हूं, लेकिन मेरे अन्य साथी जो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच बार सांसद चुने गए हैं उनको बहुत अनुभव है और उन्होंने बहुत सही बातें यहां कही हैं।

सभापति महोदय, आज अभी राजो बाबू ने 32 हवाई यात्राओं के बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तो पूरी की पूरी 32 हवाई यात्राएं बाकी हैं क्योंकि हमारा इलाहाबाद शहर हवाई सेवा से जुड़ा नहीं है। जो हवाई सेवा पहले थी, वह बन्द कर दी गई है। वैसे भी हवाई जहाज के अभी एक-दो दिनों में हुए हादसों को दृष्टिगत रखते हुए हवाई जहाज में यात्रा करना जोखिम भरा है। आज प्रात: वायु सेना के 22 अधिकारी वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए। इसलिए बहुत से सांसद हवाई यात्राएं नहीं करना चाहते हैं। जो सांसद हवाई यात्राएं नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपने वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में सपत्नीक यात्रा करने या पति के रूप में स्पाउस को ले जाने की व्यवस्था की है। यह बात सही है कि हमें 16 बार आना जाना पड़ेगा, तो क्या 16 यात्राएं हैं या 32 यात्राएं रखी गई हैं?

श्री मोहन सिंह (देवरिया): वह तो हमेशा के लिए हो गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार: तब तो ठीक है।

सभापति महोदय, आज शून्यकाल में श्री गंगाचरण राजपूत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया था कि एक सांसद जब चुना जाता है, तो वह पांच साल के लिए चुना जाता है। इसलिए उसके द्वारा सांसद के रूप में एक बार शपथ लेने पर पेंशन के रूप में ढाई हजार रुपए मिलने चाहिए, भले ही सांसद अपना कार्यकाल संसद भंग हो जाने या अन्य कारणों से पूरा न कर सके। यदि लोक सभा भंग होती है, तो उसमें सांसद क्या कर सकता है। जनता ने तो उसे पांच साल के लिए चुनकर भेजा था। इसलिए उसे कम से कम पेंशन ढाई हजार रुपए मिलनी चाहिए।

कभी-कभी हम लखनऊ से रेल यात्रा में चलते हैं तो हमको एक ही बर्थ मिलती है, दूसरी बर्थ नहीं मिलती है। कभी-कभी ए.सी. टू टियर में रिजर्वेशन कराते हैं तो वे ए.सी. थ्री टियर में डाल देते हैं। इस अफरा-तफरी में मेरा ब्रीफकेस, कीमती सामान, पासबुक आदि राजधानी एक्सप्रेस में चोरी चले गये। इसलिए रेल विभाग को भी सख्त निर्देश दिये जाने चाहिए कि अगर संसद सदस्यों ने आरक्षण के लिए एप्लाई किया है, तो वे जितने के हकदार हैं, कम्पेनियन स्पाउज सहित उनको तीन अच्छे बर्थ मिलने चाहिए। कभी-कभी साइड की बर्थ दी जाती है, तो यह उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप मकानों की व्यवस्था देख लीजिए। मैं नार्थ एवेन्यू के 25 नम्बर फ्लैट में रहता हूं, वहां बड़ी दुर्व्यवस्था है। अभी वहां बाथरूम में कुछ टाईल्स वगैरह लगी हैं। जो गैस्ट एकमोडेशन है, उसमें तो वे टाईल्स लगाकर चले गये हैं लेकिन जिसमें हम जाते हैं, वह बुरी तरह से चू रहा है तथा वहां बड़ी सीलन भी है। मकानों की व्यवस्था बड़ी खराब है इसलिए उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप हमारी पेंशन बढ़ायें लेकिन हमको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सही तरीके से मिलें। हम आपसे यह मांग करते हैं कि उसकी मुकम्मिल व्यवस्था होनी चाहिए।

अभी कई माननीय सदस्यों ने गाड़ी की व्यवस्था के बारे में कहा है। यह बात सही है कि आज कोई भी गाड़ी तीन लाख रुपये से कम नहीं है। अगर हम गाड़ी फाइनेंस भी कराना चाहते हैं तो हमसे दो लाख रुपये मांगे जाते हैं। वह दो लाख रुपये हम कहां से दें। उसके ऊपर 15 परसेंट ब्याज दिल्ली में है। अगर हम मारुति की एस्टीम गाड़ी खरीदें तो उस पर एक परसेंट भी ब्याज नहीं है, शून्य ब्याज है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्मानित सदस्यों को दो लाख रुपये मिलता है जबकि यहां संसद सदस्यों को 50 हजार रुपये मिलता था, जो अब एक लाख रुपये कर दिया

गया है जिस पर 15 परसेंट ब्याज भी देना पड़ता है। मेरी मांग है कि सरकार इस पर गौर करके इसे कम से कम तीन लाख रुपये करे और उस पर चार या पांच परसेंट ब्याज ले। ...*(व्यवधान)*

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मंत्री जी यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमारे जनपद में जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, वे संसद सदस्यों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, वे उनकी बड़ी उपेक्षा करते हैं। जब भी हम अपने विकास कार्यों पर दौरा करने के लिए गाड़ी मांगते हैं तो बहुत खटारा गाड़ी दी जाती है। आप समझ लीजिए कि उस पर चपरासी भी नहीं जा सकता। कभी-कभी पता लगता है कि गाड़ी गैराज में पड़ी है।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त करिये।

श्री शैलेन्द्र कुमारः हम आपसे मांग करते हैं कि संसद सदस्य को अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए जो गाड़ी मिलती है, वह कम से कम अच्छी मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि सत्र के दौरान जनपद की कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सत्र के दौरान कोई चुनाव आये तो उस चुनाव को भी नहीं रखना चाहिए।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त करिए।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अभी एरिया के उपाध्यक्ष का चुनाव है। ...*(व्यवधान)* हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं।

सभापति महोदयः विषय से संबंधित बात कहिये।

श्री शैलेन्द्र कुमारः मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूं। संसद सदस्यों की सुविधाओं और उनके अधिकारों की बात है इसलिए मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह सेलरी एलाउंसिस की बात है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः इन्हीं बातों के साथ मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि अभी यहां तन्ख्वाह के बारे में बात कही गयी है। उस पर टीका-टिप्पणी होती है और जनता में भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि जैसे क्लास वन अधिकारियों की तन्ख्वाहें हैं, उसी के बराबर हमारी सेलरी कर दी जाये और जब उनकी तन्ख्वाहें बढ़े, तभी हमारी बढ़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समय-समय पर इस बात को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): आदरणीय सभापति जी, पेंशन के संबंध में जो संशोधन आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सभी दलों के वरिष्ठ संसद सदस्य यहां मौजूद हैं। लोक सभा के सदस्यों के संबंध में मुझे बात करनी है। यदि आप आंकड़े देखें तो 1996 में जितने लोग लोक सभा का चुनाव जीत कर आये थे, उनमें से 290 एम.पी. डेढ़ साल बाद यानी 1998 में जब लोक सभा का जब दोबारा चुनाव हुआ तो वे हार गये। यानी डेढ़ साल के अंदर 300 एम.पी. चुनाव हार जाते हैं। इस देश में बहुत से एम.पीज. ऐसे हैं जिन्हें शायद जिंदगी में डेढ़ साल एम.पी. बनने का मौका मिला है। किसी व्यक्ति को एम.पी. बनने के लिए सारी जिंदगी के त्याग, तकलीफ, कुर्बानी और न जाने कितनी ठोकरें खाने के बाद किसी दल से टिकट मिलता है। उसके बाद यदि वह भाग्य से चुनाव जीत जाता है और उसे केवल डेढ़ साल ही एम.पी. बनने का मौका मिले तो इससे ज्यादा तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती।

आदरणीय शिवशंकर जी संसद में मौजूद हैं। वे भारत के कानून मंत्री रहे हैं। श्री कुमारमंगलम, संसदीय कार्य मंत्री हैं, श्री मोहन सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, हर दल के बड़े-बड़े नेता यहां मौजूद हैं। मैंने पहले दिन ही भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि लोक सभा का कार्यकाल पांच साल का होना चाहिए, लोक सभा किसी भी कीमत पर पांच साल से पहले डिजाल्व नहीं होनी चाहिए। जिसे प्रधानमंत्री बनना हो, बने, जैसी भी बनना हो, बने। राज्य सभा इतना शक्तिशाली सदन है कि लोक सभा का पास किया हुआ बिल भी उसके बिना पास नहीं हो सकता। यदि वहां कोई एम.पी. बन जाता है, वह भले ही गांव का प्रधान नहीं हो सकता लेकिन छः साल तक रहता है। उससे पहले उसे कोई नहीं हटा सकता। मैं जानता हूं, यहां एक से एक तपस्वी लोग हैं जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। यदि डेढ़ साल में लोक सभा भंग हो गई तो उनके क्षेत्र में उनका जो अनादर होता है, वह हम जानते हैं। ...*(व्यवधान)* देश में क्या प्रचार होता है। आज भारत सरकार के सैक्रेटरी की तनख्वाह 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक है। प्रोटोकोल में एम.पी. कैबिनेट सैक्रेटरी से बड़ा होता है लेकिन ईमानदारी से बताएं कि जब एम.पी. किसी काम से सैक्रेटरी के पास जाता है तो कितना सम्मान पाता है। आज भारत की न्यायपालिका, जिले का जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे

[श्री कल्पनाथ राय]

काम कर रहे हैं, इसे हर एम.पी. जानता है। आज पूरे देश में ज्यूडीशियल ऐक्टीविज्म का हौवा खड़ा हुआ है। नौकरशाही की हालत देखिए, जो एक बार आई.ए.एस. अधिकारी बन गया, वह सारी जिन्दगी आई.ए.एस. अधिकारी रहता है। सबसे ज्यादा समाजसेवा करने वाला एम.पी. होता है लेकिन उसकी हालत काफी दयनीय है। मैं आज भी कहता हूं कि यदि हिन्दुस्तान में सबसे ईमानदार और सच्चा वर्ग कोई है तो वह राजनेताओं, एम.एल.एज. का है, इसके बाद ही और किसी व्यक्ति का नम्बर आ सकता है। मैं श्री शिव शंकर, जो कानून मंत्री रहे हैं, से अपील करूंगा कि जो लोकपाल बिल बनने वाला है, वह नौकरशाही और हिन्दुस्तान के जजों पर भी लागू हो, वे भी इसके अंडर लाए जाएं वर्ना वह कानून नहीं बन सकता। ...*(व्यवधान)* वहां क्या-क्या होता है, यह तो ईश्वर जानता है। मैं कहना चाहता हूं कि अंतुले कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और संसद सदस्यों को पूरा सम्मान दिया जाए।

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री कुमारमंगलम जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसके समर्थन के साथ-साथ थोड़ा सा सुझाव भी देना चाहूंगा। यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन एक अहम् मुद्दा रह गया है, और वह है सिर छिपाने के लिए जगह। राज्य विधान सभाओं में अक्सर देखा गया है कि मामूली ब्याज पर आवास के लिए लोन दिया जाता है। यहां बहुत से सांसद ऐसे होंगे जिन्हें अभी सरकारी मकान नहीं मिला है। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं खुद अभी तक किराए के मकान में रह रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आवास खरीदने के लिए कम से कम छः लाख रुपए चार प्रतिशत की ब्याज दर पर हम लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, जो बिल यहां आया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोनों पक्ष के सांसदों ने सांसदों के कष्ट के विषय में चर्चा की। मैं सिर्फ दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सांसदों की व्यावहारिक कठिनाई और सांसद या किसी अन्य स्तर के जनप्रतिनिधियों को समाज के लोग जिस निगाह से देखते हैं, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने अभी कहा कि चाहे जो भी हो आज देश का सबसे ईमानदार वर्ग राजनीति में रहने वाला वर्ग ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है।

मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली शहर में मुआयना करा लीजिए, 15 लाख रुपए की लागत के जितने भी मकान हैं, अगर समीक्षा की जाए तो पता चल जाएगा कि उनको बनाने वाले कितने उद्योगपति हैं, कितने नौकरी करने वाले हैं और कितने राजनीति में पद प्राप्त करने वाले सांसद, विधायक या अन्य पदाधिकारी हैं। मुश्किल से एक या दो प्रतिशत लोगों के ही ऐसे मकान होंगे, जो राजनीति में काम करने वाले हैं। इसी तरह जो गांव में सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी चोरी यहीं तक सीमित रहती है कि कपड़ा लेकर कुर्ते की सिलाई किसी से करवा लें, लेकिन एक ब्लाक का अधिकारी जो प्रतिदिन सबके सामने पैसा लेता है, न्यायालय में जज के सामने बैठा पेशकार जो पैसा लेता है, उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता। लेकिन राजनीति में रहने वाला जो समाज सेवा में अपना सारा समय गंवाता है, उस पर तरह-तरह की टीका-टिप्पणी की जाती है। हो सकता है कि इसमें एक-दो प्रतिशत लोग समाज को कलंकित करते हों।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि पांच वर्ष का सदन निश्चित होना चाहिए। यह सिर्फ सांसदों के हित के लिए ही नहीं है, इसमें समाज के कमजोर से लेकर हर वर्ग के लोगों का भी हित शामिल है। जब-जब चुनाव होते हैं तो समाज पर महंगाई का बोझ पड़ता है। उससे जनता पीड़ित होती है, तबाह होती है। देश के विकास में जो गति आनी चाहिए, वह चुनाव के दिनों में ठप्प हो जाती हैं। इसलिए सदन की अवधि पांच वर्ष तक निश्चित रहे, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम यह भी बताना चाहते हैं कि जो सदस्यों को सुविधाएं दी गई हैं, हमारी नजर में इनमें खर्चा चलाना मुश्किल हैं। बहुत पुराने सदस्यों से अनुभव लेना पड़ेगा कि खर्चा किस ढंग से चलता है। हमारे जैसे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि दिल्ली में पानी भी खरीदना पड़ता है। जिस दिन में आवास में गया था, मैंने 1500 रुपया मीटर का जमा किया था। यह स्थिति जब हम विधायक थे तो नहीं थी लेकिन सासंद बनने के बाद हुई है। जहां पानी भी सांसदों को खरीदकर पीना पड़ता है, जहां पर्दे और बैठने के लिए कुर्सी का किराया सांसद के वेतन से काट लिया जाता है, इसके बाद भी यह चर्चा है कि सासंदों को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। हम सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि सांसदों की स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। आप हवाई जहाज का टिकट देते हैं और ट्रेन में ए.सी. की सुविधा सांसदों को मुहैया करायी जाती है लेकिन बिना पेट के कहीं गुजारा होता है? हवाई जहाज और ट्रेन में भोजन की सुविधा होना अनिवार्य है।

सांसदों के यहां उनके निर्वाचन क्षेत्र से लोग, मित्र और उनके शुभचिंतक आते हैं। सांसदों को उनके रहने और ठंड के दिनों में

उनके ओढ़ने की व्यवस्था भी करनी होती है। जितना पैसा सांसदों को मिलता है, उससे क्या काम चल पाएगा? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देहात के इलाकों से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में मरीज भर्ती हो जाते हैं और सांसद के दरवाजे पर आकर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें दवा खरीदनी है। क्या आप सांसदों की स्थिति समझ पाते हैं कि सांसद किस तरह से अपने वोटर और अपने समर्थकों का मुकाबला कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है।

जहां तक पेंशन का सवाल है, बहुत से राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश में यदि एक बार विधायक हो जाए तो पांच हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं जबकि सांसद को 2500 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। सांसद और विधायक के बीच में यह कैसी विषमता आप ला रहे हैं? जबकि छः विधान सभाओं पर एक सांसद चुना जाता है और सांसद को 2500 रुपया पेंशन के रूप में देते हैं? इस विषमता को दूर करने का काम कीजिए और खास तौर से कुमारमंगलम जी यहां बैठे हुए हैं, वह बड़े अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। वह कभी-कभी गड़बड़ बातें भी कहते हैं तो इतना मुस्कराकर कहते हैं कि वे भी अच्छी लगने लगती हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सांसदों की व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सांसदों की सुविधाओं पर गौर करें और सभी दलों के नेताओं को बिठाकर सांसदों की स्थिति जाने, कमेटी बनाकर उनकी स्थिति को समझे और उन्हें उचित सुविधाएं मुहैया कराए।

अंत में, राजनेताओं के चरित्र हनन का जो मीडिया के माध्यम से या पदाधिकारियों के माध्यम से या जिस भी माध्यम से प्रयास किया जाता है, इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए कि जब तक कोई आरोप प्रमाणित न हो जाए, किसी भी जनप्रतिनिधि पर कीचड़ उछालने वाले के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी बातें यहां रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए दो बातें जोड़ना चाहता हूं जो चर्चा में छूट गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्स एम.पी. के लिए, मेम्बर्स की सुविधाओं के लिए जो बिल लाया गया है, इस सदन ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया है। विशेष गंभीर बात यह है कि जो एम.पी. ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से चुनकर आता है तो उसे पानी भी खरीदकर पीना पड़ता है। उसके यहां जो बिजली लगी हुई है, वह बिजली सांसद के ग्रामीण क्षेत्र के घर में नहीं लगी हुई है, वह बिजली भी यहां के आवास में लगी होती है। वह बिल, क्योंकि अगर सांसद मोनीटरिंग करे तो कब तक करेगा? सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी 1992 के गलत बिल लगाकर पचास-पचास हजार रु., एक लाख रु., दो लाख रुपये या पांच लाख रुपये तक के गलत बिल भेज देते हैं। यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं वह हम लोगों की भावनाओं को गंभीरता से सुनें। जब भी कोई एम.पी. शासन या प्रशासन के खिलाफ बोलता है तो उसकी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं खुद एक भुक्तभोगी हूं। ...*(व्यवधान)* जब फांसी दी जाती है तो जज पूछता है कि तुम्हें किस आधार पर फांसी दी जा रही है परन्तु पार्लियामेंट के मेम्बर को जो बिल 1992 में दिया गया उसका कोई नोटिस नहीं, कोई प्रपत्र नहीं। ...*(व्यवधान)* हमें छः लाख रुपए का बिल भेज दिया गया। हम इतना रुपया कहां से देंगे, अपनी खेती बेचें, कहां से व्यवस्था करें? ...*(व्यवधान)* हमें कहा जाता है कि कोर्ट के आदेश हैं। अभी हमारे सत्यपाल जैन जी ने भी कहा था कि जनता की सेवा के लिए टेलीफोन मिलाये जाते हैं। पार्लियामंट के मेम्बर को गुमराह करने के लिए गलत बिल दिये जा रहे हैं। इस हाउस में 40 प्रतिशत ऐसे मेम्बर हैं जिनको गलत बिल दे दिए गए। ...*(व्यवधान)* यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में बात करवाई है। जब राजेश पायलट जी मंत्री थे तो उन्होंने उन माफिया लोगों को पकड़ा था। मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के 10-10, 15-15 लाख रुपए के गलत बिल आए हैं। उसके बाद प्रैस, मीडिया वाले कोर्ट का हवाला देते हैं। ...*(व्यवधान)* एम.पीज और मिनिस्टर्स की हार के बात क्या हालत होती है, उसे आप भी जानते हैं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के जो अधिकारी हैं, जब एम.पीज. निकल कर जाते हैं तो उनके कपड़े भी उतरवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि चाहे हमारी सैलेरी कम कर दी जाए लेकिन जो हमें बिजली तथा पानी के गलत बिल दिये जाते हैं इनको निश्चित रूप से फ्री किया जाए, इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): सभापति महोदय, सांसदों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उनको संक्षेप में बोलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना है कि जब सांसद चुन कर आते हैं तो उनको दो महीने में मकान मिलना चाहिए। मुझे एक साल हो गया है लेकिन अभी तक मकान नहीं मिला। ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुन कर आने के बाद पार्लियामेंट के मेम्बर को दो महीने के अंदर मकान मिल जाना चाहिए और जो एम.पी. हार गया है उसे दो महीने में मकान खाली कर देना चाहिए। मगर वे एक-एक साल तक खाली नहीं करते हैं। इस बारे में कोई नियम होना

[श्री रामदास आठवले]

चाहिए। ...*(व्यवधान)* पेंशन कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और एम.पीज अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। पार्लियामेंट जल्दी डिजौल्व नहीं होनी चाहिए। एम.पी. के एक बार पार्लियामेंट में आने के बाद उसे पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वह एक दिन भी मेम्बर रहे। इसमें भी मंत्री जी को सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* टेलीफोन के लिए एक-एक (दो लाख) लाख करना चाहिए, यह हमारी मांग है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारी संक्षेप में ये कुछ मांगें हैं इन पर आप विचार करें। हमने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर सरकार विचार करे। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ठीक से इनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, हमें पहले 50,000 रुपए कार के लिए लोन मिलता था, उसके बाद एक लाख कर दिया गया। जब 50,000 रुपए मिलते थे तब मैंने लोन लिया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री खारबेल स्वाई: हम सब जानते हैं कि हमको एक लाख रुपया मिलता है। लेकिन मेरे चार बार अनुरोध करने पर भी कहते हैं कि एक लाख रुपया नहीं दिया जाएगा। पचास हजार रुपया आपने एक बार लिया था, अब पचास हजार और नहीं दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मैंने इसे माननीय अध्यक्ष और महासचिव के ध्यान में पहले ही ला दिया है। वास्तव में यह 1,00,000 रुपए नहीं बल्कि केवल 50,000 रुपए हैं। मुझे यह प्राप्त नहीं हो रहा है अतः मैं इसे आपके ध्यान में इसे ला रहा हूँ।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय सदस्यगण द्वारा संक्षिप्त, स्पष्ट और त्वरित भाग लिए जाने हेतु उनका आभार प्रकट करता हूँ। सिद्धांततः सभी सदस्यों की सलाह पर हमने इस विधेयक को अंतिम दिन के बजाए सामान्य रूप से लाने का निर्णय लिया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण): मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। विधेयक में 'पेंशन' शब्द का प्रयोग किया गया है जो मेरी समझ से शर्मनाक है। 'पेंशन' शब्द के बजाए 'मानदेय' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जब मैं कर्नाटक विधान सभा का सदस्य था मुझे 2,700 रुपए बतौर पेंशन मिल रहे थे। मैंने वहाँ की पेंशन शब्द को बदले जाने हेतु संघर्ष किया। यहाँ हमें 2500 रुपए मिल रहे हैं जो राज्यों द्वारा दी जा रही धनराशि से भी कम है। अतः इसमें संशोधन करना होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि करती है। हमारे मामले में भी नियम बनाए जाने के समय यही अनुपात अपनाया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि धारा 8 ए-ए, जिसे जोड़ा जा रहा है, में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। समय सीमा बताना बेहतर होगा यदि उसकी शब्दावली वही रहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि 'पेंशन' शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय 'मानदेय' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही मानदेय की राशि बढ़ाई जा सकती है। अतः जहां तक वेतन और भत्तों का संबंध है जैसा कि माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील ने सुझाव दिया है कि संसद सदस्यों और न्यायपालिका के सदस्यों के बीच कोई समानता होनी चाहिए। क्या इसे स्वीकृत किया जा सकता है इस पर आपको विचार करना है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति जी, अंतुले कमेटी ने संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। उस कमेटी की सारी सिफारिशों को अगर हम मान लें तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: सभापति महोदय, यहां के नेताओं के साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की कृपा से कुछ समय से संसद सदस्य होने के नाते मैं इन मामलों पर सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं।

हम एक छोटा और संक्षिप्त विधेयक लाए हैं। यह भूतपूर्व संसद सदस्यों को सुविधाएं और कुछ यात्रा संबंधी सुविधाओं, आतंकवादी इत्यादि कारणों से चुनावों में विलंब होने के कारण अयोग्य घोषित किए कुछ लोगों को योग्य घोषित किये जाने से संबंधित है। इसमें सारी बातें सम्मिलित नहीं है जैसाकि कुछ

सदस्यों ने कहा है। कुछ सदस्यों ने गलत बिलों की बात कही है। यदि आप विस्तार से इस बारे में मुझे बताएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं निश्चित रूप से इसे उठाऊँगा। मुझे मालूम नहीं है कि टेलीफोन और बिजली के बिल गलत आ रहे हैं। यदि यह बात मेरे ध्यान में लायी जाती है तो मैं इसे संबंधित अधिकारियों के साथ उठाऊँगा। कार के लिए ऋण का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात की जांच करनी होगी। क्या यह वास्तव में 50,000 रुपए है या 1,00,000 रुपए है। चूंकि माननीय सदस्य यह बात मेरे ध्यान में लाए हैं तो मैं निश्चित रूप से इस बात की जांच करूंगा कि यह कैसे हुआ। यदि कोई गलती है तो हम उस पर गौर करेंगे। हमारा इरादा 1,00,000 रुपए उपलब्ध कराने का है। 15 प्रतिशत ब्याज के संबंध में, जब आप मारुति के लिए ऋण के संबंध में शून्य ब्याज की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्याज कीमत में ही शामिल है। यह एक वास्तविक ऋण है और मूल्य समायोजन वाली बात नहीं है। इस स्थिति में जब हम 15 प्रतिशत ऋण की बात करते हैं तो हम सबसे कम ब्याज दर की बात करते हैं जिसमें राजसहायता भी सम्मिलित है।

तथापि, मैं समझता हूं कि इन सभी मामलों पर जो संयुक्त समिति हमने बनाई है उसके द्वारा गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। इस विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं इस समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सका। मैं समिति की बैठक में भाग लूंगा और नेताओं ने यहां पर जो विचार व्यक्त किए हैं उन पर समिति में चर्चा होगी। यह एक संक्षिप्त विधयेक है और जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कारण उत्पन्न परिस्थिति को ठीक करने के लिए लाया गया है। यह सारी बातों से संबंधित नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाए। मैं संयुक्त समिति में नेताओं से इस पर चर्चा करूंगा और उस विशेष अवधि में कुछ और अधिक विस्तृत परिणाम सामने आएंगे।

श्री के. बापीराजू (नरसापुर): महोदय, मंत्री जी ने पोस्टकार्ड और डाक टिकटों के संबंध में कुछ नहीं कहा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलमः महोदय, मैं माननीय सदस्यों की समस्या समझता हूं। यह मुद्दा संयुक्त समिति में उठाया जाएगा।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन अध्यादेश, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी:

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलमः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलमः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करता हूं कि मद संख्या 11 और 12-नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 को मद संख्या 13 और 14 पेटेंट (संशोधन) विधेयक के बाद विचार के लिए लिया जाए?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः जो सदन में तैयार होकर आए हैं, उनको इस पर भाषण देना है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलमः आप मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए।

श्री मोहन सिंह: क्या सुने? जो असली एक्ट है और जिस का विरोध है, आप उसे बाद में लाना चाहते हैं जिससे यहां सदस्यों की संख्या न रहे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हमारी काफी संख्या है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, वास्तव में आदेश पत्र में संशोधन किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, विधेयक माननीय शहरी विकास मंत्री जी को प्रस्तुत करना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: वह अभी यहीं पर थे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: वह प्रतीक्षा कर रहे थे। इंग्लैंड के उप प्रधान मंत्री को चार बजे उनसे मिलना है। उन्होंने समय दिया हुआ है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: इसे कल लिया जाए। हमारा इसे लेकर विरोध है। वह एक जबर्दस्त एक्ट है और पूरे सवाल को प्रभावित करने वाला है। आप आज अरबन लैंड सीलिंग एक्ट खत्म कर रहे हैं। कल रूरल लैंड सीलिंग एक्ट खत्म करेंगे। बिहार में कत्ल हो रहे हैं। आप उसका रास्ता निकालना चाहते हैं। हमें बोलने का अवसर दीजिए। इसलिए इसे कल रखा जाए। रात को जब कोई न रहे उस समय इसे न रखा जाए। आप पहले नियम 377 लीजिए। उसके बाद पेंटेट लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा पहले नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी, पेटेंट संशोधन विधेयक उसके बाद लिया जाएगा, और उसके बाद नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक लिया जाएगा।

श्री अनिल बसु: जी, नहीं, महोदय।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मतदान कल हो सकता है।

श्री अनिल बसु: महोदय, पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर कई आपत्तियां हैं। इस तरह के विधेयक को सत्ता पक्ष की सनक के रूप में नहीं लिया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं। इसे जबर्दस्ती पास कराने की क्या जरूरत है? आप गोवा बजट पहले ले लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत है, तो हम इसे ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हम को इस पर आपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल): महोदय, पेटेन्ट विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यह मेरा सुझाव नहीं है। यह सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इस पर नेताओं के बीच गहराई से चर्चा की गयी थी। मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि मैं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक को इसे सुपुर्द करूँ। चूंकि इसकी रिपोर्ट इसके द्वारा अंगीकार की गई है। यह निर्णय लिया गया था कि आज हम लोग अध्यादेश के विषय को समाप्त कर लेंगे और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर कार्यवाही शुरू करेंगे और फिर हम लोग रेल बजट लेंगे और वास्तव में दो घंटे अतिरिक्त बैठने से इसकी व्यवस्था हो जायेगी। हम लोग 19 तारीख को बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते।

हम लोग 13 तारीख को भी नहीं बैठना चाहते लेकिन हमने कहा है कि रेल बजट पारित करने के लिए हम लोग 13 तारीख को बैठेंगे। हम लोगों ने बहुत गृह कार्य किया है। हममें से सभी मिल-बैठकर समय को व्यवस्थित करेंगे। मैं माननीय सदस्यों के विचारों को भी समझता हूँ। लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो वे नहीं

चाहते। लेकिन उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि हमें सभा की कार्यवाही को ही लेकर चलना है। हम लोग पहले ही कई स्थगन प्रस्तावों को देख चुके हैं। यदि हम सभा की कोई कार्यवाही का संचालन नहीं करते हैं तो यह पूरी सभा के लिए लज्जा की बात होगी। ...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि हमें इसे इसी रूप में लेना चाहिए और आगे की कार्यवाही का संचालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: पहले गोवा वाला आइटम ले लें।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: नहीं, महोदय, हम सहमत नहीं है ...*(व्यवधान)* जब बहुत सारी कार्यवाही किया जाना बाकी है, तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति देना जरूरी है जो इस सभा का सदस्य नहीं है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यह क्या है? ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति जी, पहले गोआ का बजट ले लें। उसे पास करवा दें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अरबन सीलिंग एक्ट जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: जल्दबाजी में नहीं होगा। आप इसे चलने दें।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, हम लोग सहमत नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अब, हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं।

अपराह्न 4.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य राजमार्गों, विशेषकर कानपुर-सागर बरास्ता हमीरपुर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की हालत जर्जर है। यहां पर बहुत ही कम राजमार्गों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है जिनमें कानपुर-सागर वाया हमीरपुर मुख्य हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त राजमार्गों को शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये तथा इन राजमार्गों के निर्माण हेतु आवश्यक धन आवंटित किया जाये।

(दो) गुजरात में जेतपुर-सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया (जूनागढ़): सभापति महोदय, गुजरात के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक एवं अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालू धार्मिक यात्रीगण तथा पर्यटक आते हैं, इस दृष्टि से आवागमन तथा पर्यटन संबंधी सुविधायें समय-समय पर पुनरीक्षित करना आवश्यक है। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक मंदिर को देखते हुये इससे संबंधित जो सड़क पथ हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में लिये जाने का न केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है, अपितु उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी स्वीकार की है।

अत: मैं आपके माध्यम से जल भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि जेतपुर-सोमनाथ राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवश्यक धनराशि दी जाने की कृपा करें, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष से इससे संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रारम्भ हो सके।

अपराह्न 4.14 बजे

[प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुई]

(तीन) बिहार में स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति जी, मैं सदन का ध्यान स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पैदा करना एवं सिंचाई उपलब्ध करवाना था तथा इस परियोजना में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है परन्तु कार्य को धन के अभाव में बीच में छोड़ दिया गया है जिसके कारण कई गांव पानी में डूब जाते हैं। अभी तक विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की सुविधा भी नहीं मिल पाई है जबकि उनकी जमीन अधिगृहीत हो गई है जो उनकी जीविका का साधन थी एवं जो गांव डूबते हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस सिंचाई योजना के कारण लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाये जिनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अविलम्ब विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी दी जाये एवं नौकरी और पुनर्वास के नाम पर की गई लूट की जांच सांसदों की कमेटी बनाकर कराई जाये।

(चार) महाराष्ट्र के पुणे जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा शीघ्र कार्य आरंभ किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल (खेड़): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार की नीति के अनुसार देश के सभी गांवों को सन् 2000 तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो जानी चाहिए। किन्तु अभी भी देश के लगभग 70 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां टेलीफोन सुविधा के दूर-दूर तक दर्शन नहीं हैं जबकि निर्धारित अवधि की समाप्ति में सिर्फ एक वर्ष बाकी रह गया है। महोदय, पूना जिले में लगभग 60 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां टेलीफोन सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। कई गांवों के लिए एक्सटेंशन तो मंजूर हो चुके हैं किन्तु उन्हें शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार वे ऐक्सटेंशन सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं। जो मौजूदा एक्सटेंशन हैं वे अपने क्षेत्र की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूना जिले के लिए मंजूर किये गये सभी एक्सचेंजों को आवश्यक सामग्री एवं धन उपलब्ध करवाया जाए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में शांतिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के उप-मार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. असीम बाला (नवद्वीप): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ जो लंबे समय से लंबित है।

शान्तिपुर, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का बहुत ही सघन नगरपालिका परिषद वाला कस्बा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 जो शान्तिपुर से उत्तरी बंगाल होता हुआ असम जाता है। शांतिपुर बुद्धिजीवियों का पुराना कस्बा है और बहुत से लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जन्म भूमि है। करीब 2 लाख आबादी इस शहर में रहती है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 इस कस्बे के बीचों बीच होकर गुजरता है। यह बहुत संकरा और सघन है। मेरे और क्षेत्र के लोगों के संयुक्त प्रयास के बाद एक उपमार्ग बनाया गया है। पुल के अभाव के परिणामस्वरूप बहुत भीड़-भाड़ और यातायात जाम रहता है जिसके लिए लोग आन्दोलन कर रहे हैं। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई विशेष प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मामले की गंभीरता से जांच करें ताकि रेल प्रशासन उप मार्ग पर शीघ्रातिशीघ्र रेल पुल निर्माण करने की कार्रवाई शुरू कर सके।

(छह) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर सिविल लाइन्स की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को पुन: खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं धार्मिक जिला 'इलाहाबाद' के इलाहाबाद जंक्शन का सौंदर्यीकरण शनै: शनै: समाप्त होता जा रहा है। वर्तमान में इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन के दो साइड हैं—एक सिटी साइड और दूसरा सिविल लाइन साइड। सिविल लाइन साइड की ओर इस जनपद का सम्भ्रान्त वर्ग रहता है। इसी साइड से जनपद की आम जनता का भी आवागमन रहता है। सिविल लाइन साइड के सामने

जहां कि एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे हम गांधी स्मारक के नाम से भी जानते हैं, इस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश रखा गया था। साथ ही आजादी के समय लड़ाई का नेतृत्व करने वाले कई महानुभावों ने अपने विचार रखे थे। अब इस स्थल पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं का आवागमन उनके विचार-उद्बोधन इसी गांधी चबूतरे से ही होता रहा है। परंतु सिविल लाइन स्टेशन के मुख्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है जो कि इलाहाबाद के इस ऐतिहासिक स्थल के सौन्दर्यीकरण को नष्ट करता है। वास्तविकता यह है कि इस साइड पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक (डी.आर.एम.) उत्तर रेलवे का बंगला पड़ता है। इस एक बंगले के सौन्दर्यीकरण के लिए इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन के सौन्दर्यीकरण को नष्ट किया जाना कहां तक न्यायसंगत है, यह विचारणीय है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मार्ग की ऐतिहासिक गरिमा को एवं इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को देखते हुए इस मार्ग को तत्काल खोला जाए।

(सात) चेन्नई सेन्ट्रल और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बन्द करने के निर्णय की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम): सभापति महोदया, चेन्नई सेन्ट्रल से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रैस रेलगाड़ी सं. 6721 और 6722 21.10.1993 को शुरू की गई थी और इसमें दो वातानुकूलित 2-टियर सवारी डिब्बे, ग्यारह-3 टियर शयनयान, चार सामान्य डिब्बे और दो पार्सल डिब्बे थे। इसके बाद एक और वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा गया। ये दो रेलगाड़ियाँ अरकोणम, काटपाडि, सेलम, इरोड, करूर, दिण्डीगुल, मदुरै, कामराज जिला, तिरुनेलवेली जिला और कन्याकुमारी से होकर चलती हैं। ये रेलगाड़ियां ऊपर बताये गये स्थानों के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हैं।

अब रेल अधिकारियों ने इन दोनों रेलगाड़ियों की सेवाएं 19 अप्रैल, 1999 से बंद करने की घोषणा की है। यदि ये बंद कर दी गईं, तो इससे अरकोणम, वेल्लोर, काटपाडी, आम्बूर, सेलम और ईरोड के लोगों को बहुत असुविधा होगी। अधिकारियों ने चेन्नई से अरकोणम जाने वाली कुछ विद्युत रेलगाड़ियों को भी बंद कर दिया है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चेन्नई सेन्ट्रल से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रैस रेलगाड़ी सं. 6721 और 6722 की सेवाएं न रोकी जाएं और रेल अधिकारियों को चेन्नई इग्मोर से तिरुचिरापल्ली बड़ी लाइन से होते हुए कन्याकुमारी तक और नई रेलगाड़ियाँ चलाने का निर्देश दें।

[हिन्दी]

(आठ) 1998 में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कराने के लिए हरियाणा राज्य सरकार को और अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, सामान्यतः जल जीवन होता है किन्तु जल का उग्र रूप जीवन के स्थान पर विनाश का कारण भी बन जाता है। गत वर्ष देश इसका भुक्तभोगी हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जल के उग्र रूप के कारण तबाह हो गये। अनेकों राज्यों में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर स्थिति का अध्ययन किया और तत्काल राहत राशि दी। परंतु हरियाणा में हुई तबाही की भरपायी आज तक नहीं की गयी है। केन्द ने एक दल हालात का अध्ययन करने भेजा। दल ने पाया राज्य में 11 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। 2971 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया। सरकार से अनुरोध किया गया कि तत्काल 757.20 करोड़ रुपये की न्यूनतम केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाए, ताकि अभावग्रस्त लोगों को राहत मिले। सरकार ने कृषि उत्पादों के नुकसान का तो आकलन कराया किन्तु कृषि के सहायक अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की हानि का आकलन अभी तक भी नहीं किया गया। कृषि उत्पाद पर प्रभाव से, खेतिहर मजदूर, मंडियों में मेहनतकश मजदूर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया आदि सभी इस प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित होते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की हुई हानि का भी आकलन कराया जाए तथा उन्हें भी राहत दी जाए और सरकार तत्काल इसके लिए हरियाणा राज्य को राहत राशि दे। धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब अगर हाउस इसकी अनुमति दे ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): नियम 377 के मामले में हमारी पार्टी का एक मैम्बर एब्सैन्ट है। उनका मामला मंजूर था। आपकी इजाजत हो तो हमें उनकी तरफ से बोलने की आज्ञा मिल जाए। वह कागज मेरी जेब में रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय: जेब में रखे होने से क्या होता है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदय, नियम 377 के तहत मेरा नाम भी लिस्ट में है, आपने मेरा नाम नहीं पुकारा।

(नौ) उत्तर प्रदेश में आंवला में एक गैस आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदया, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय सदन के माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं:

मेरे संसदीय क्षेत्र आंवला जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन विद्युत आपूर्ति हेतु बिछाई गई है, किन्तु इसका लाभ क्षेत्र के नागरिकों को नहीं मिला है। क्षेत्रीय नागरिकों की प्रबल मांग है कि एच.बी.जे. गैस आधारित एक संयंत्र आंवला संसदीय क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए जिससे यहां पर उत्पन्न विद्युत संकट का निराकरण हो सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंवला संसदीय क्षेत्र में एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना यथाशीघ्र कराने का नष्ट करें जिससे क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत संकट दूर हो सके।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदया, हमारा एक विषय नियम 377 में मंजूर हुआ था, लेकिन आपने हमारा नाम नहीं बोला है। हमारी पार्टी के दो सदस्यों का नाम बोला गया है। वे अनुपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कि मुझे अपना विषय पढ़ने दिया जाए।

सभापति महोदय: नहीं। मेरे पास कागज तो आना चाहिए। हम आपको कल समय देंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह जी आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

अब चूंकि माननीय मंत्री राम जेठमलानी जी नहीं आ पाए हैं इसलिए यदि सदन की अनुमति हो, तो पेटेंट बिल पर बहस प्रारंभ करा दी जाए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसुः नहीं, वे सभा की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह सभा सर्वोच्च निकाय है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आर्डर पेपर के आयटम नंबर 12 के स्थान पर आयटम नंबर 14 लेने की अनुमति सदन से ले रही हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसुः आदेश पत्र शुरू से ही है। वे ऐसा क्यों करें?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: चूंकि माननीय मंत्री जी नहीं आए हैं इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं और सदन से अनुमति लेना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसुः उस तरह यह सभा कैसे चल सकती है? माननीय मंत्री जी सभा की उपेक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय: वह मंत्री का फर्ज निभा रहे हैं।

[हिन्दी]

आप हल्ला मत कीजिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदया, हल्ला नहीं कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसुः हमारी आपत्ति यह है कि जब आदेश पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदित कर दिया है तो यह संसदीय कार्य मंत्री जी की पूर्ण सहमति से हुआ है। अतः मंत्री जी बाहर के किसी कार्य से सभा से बाहर नहीं जा सकते।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसमें अपांटमेंट आफ आउट साइड की बात नहीं है। अनिल दा आप इतने सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसुः नहीं, यह सभा की मर्यादा और गरिमा का सरासर उल्लंघन है। यह सभी की अवमानना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप मेरी बात सुनेंगे। किसी अन्य देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने आए हैं। वे उनसे मिलने की अपनी मिनिस्टीरियल ड्यूटी निभा रहे हैं। इसमें हाउस

के कंटैम्प्ट की बात नहीं है। चूंकि पेटेंट बिल के ऊपर बहस करना एजेंडा पेपर में लिस्टेड है इसीलिए मैं सदन से अनुमति ले रही हूं। यदि एजेंडा पेपर में नहीं होता, तो मैं क्यों अनुमति मांगती।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम): यदि संबंधित मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं तो किसी अन्य मंत्री को करने दें।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): यह संयुक्त जिम्मेदारी का प्रश्न है। कोई अन्य मंत्री इसे सभा के समक्ष रख सकता है।

श्री के.एस. राव: किसी अन्य मंत्री को रखने दें। आप अब इसका क्रम क्यों बदलना चाहते हैं? यदि क्रम बदल जाता है, तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। अब किसी अन्य मंत्री द्वारा इसे सभा में रखवाने में क्या हर्ज है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हमेशा ऐसा होता है; मैं क्या कोई नया काम कर रही हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदया, यहां चार कैबिनेट मंत्री बैठे हैं।

सभापति महोदय: ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मंत्री जी आ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: नहीं, पेटेंट विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए; इस पर इस सभा में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श होना चाहिए। यहाँ तक कि मदों के रद्दोबदल में भी हमारे दल के माननीय सदस्यों से सलाह नहीं ली गई है। हम इससे कैसे सहमत हो सकते हैं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नहीं, नहीं। इसके लिए पूरा समय है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि अचानक कुछ होता है या अचानक मिनिस्टर को कहीं जाना पड़ता है तो ऐसा हमेशा होता है। इसमें नया कुछ नहीं है। इसीलिए तो सदन की अनुमति ली जाती है। मोतीलाल वोहरा जी आप लोगों ने तो इतने समय तक सरकार चलाई है। आपको तो हमें इस काम में मदद करनी चाहिए।,

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैडम देखिए जो भी होना चाहिए वह आर्डर पेपर के अनुसार होना चाहिए।

सभापति महोदय: वासुदेव आचार्य जी, ऐसा नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): नहीं, मैडम, आर्डर पेपर के अनुसार होना चाहिए। हमारे दल के सदस्य इसमें भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप इसे ले रही हैं, यह कैसे होगा। ...*(व्यवधान)*

आप पहले नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) वाला विधेयक ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। इसके लिए आपको क्या तैयार होना है। पहले इसे शुरू होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमें इस बिल पर नहीं बोलना है। अगर बोलना होता तो कुछ नहीं था लेकिन हमारे दूसरे स्पीकर्स नहीं आये हैं। वे दूसरी जगह हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप पहले मंत्री जी को वक्तव्य तो देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसे नहीं। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह गलत परम्परा होगी। ...*(व्यवधान)* आप गोवा वाला आईटम पहले ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: आप आईटम नम्बर 15 पहले ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इससे संबंधित मंत्री भी यहां पर नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): इस प्रकार का बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सडेन्ली की क्या बात है? आईटम 12 से 14 ही तो हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): सभापति जी, राज्य मंत्री जी यहां पर हैं। अगर आप चाहें तो चर्चा शुरू करा सकती हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदया, मैं एक बात रखना चाहूँगा। यदि आखिरी समय में कार्य की मदें बदली जायेंगी तो हमारे लिए इस पर बोलना काफी मुश्किल होगा। यदि आप अचानक पेटेंट विधेयक ले लेंगे तो हमारे वक्ता उस पर नहीं बोल पायेंगे क्योंकि हमने उन्हें सूचित नहीं किया है। अत: यदि हम आपका अनुरोध मान भी लें तो भी यह हमारे लिए संभव नहीं है। हम माननीय राज्य मंत्री जी से संतुष्ट हैं।

अपराह्न 4.32 बजे

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 11 और 12 को एक साथ लेंगे।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश 1999 (1999 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

हमारे संविधान में असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। यह हमारे संविधान के साथ धोखा है। विधानों का अत्यधिक महत्व है। यह सरकार कैसे एक अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकती है विशेषकर उस समय जब अध्यादेश का अभिप्राय निरसन करने का है जो एक आदर्श शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम समझा जाता है? मैं भू-सम्पदा वाले लोगों की सहायता करने के लिए सरकार की चिन्ता को समझता हूँ। अध्यादेश का अभिप्राय भूसम्पदा वाले प्रभावशाली व्यक्तियों की ही सहायता करना है। आवास समस्या शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कारण नहीं है। यदि आप शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को निरस्त करते हैं और शहरों और नगरों में भूमि पर कब्जा लेने के लिए भूसम्पदा के व्यापार में लगे लोगों को अनुमति देते हैं तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि ये लोग अन्य लोगों का शोषण करेंगे और उन्हें लूटेंगे। भूसम्पदा के व्यापार में लगे लोगों ने पहले ही बड़े शहरों में लगभग सम्पूर्ण आवास क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। जब शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम था, तो आम लोगों तथा मध्यवर्गीय लोगों के लिए इस बात की गारंटी थी कि उन्हें भूमि मिल जाएगी। यदि आप इस अधिनियम को निरस्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को शहरों में भूमि नहीं मिल सकेगी। यदि अधिकतम सीमा निरस्त की जाती है तो शहरों में उपलब्ध समस्त भूमि पर भूसम्पदा के व्यापारी लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा।

हमारी आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार को कुछ और सोचना चाहिए न कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम को निरस्त करने के बारे में सोचना है। शहरों और निगमों में उपलब्ध समस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और एक आवास परियोजना बनानी चाहिए। मुझे निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन शहरी भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम का निरसन करके शहरों में उपलब्ध भूमि को रोक कर रखने की उन्हें अनुमति देना एक ऐसा मानदंड है जिस पर सहमति नहीं हो सकती। यह तथ्य कि सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा इस उपाय को लागू किया है। मैं कहूंगा कि यह लोगों के प्रति अपराध है। क्या यह विधान है जिसे अध्यादेश द्वारा लागू किया जाना है।

सरकार को असाधारण परिस्थिति में निश्चित रूप से अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार है। अध्यादेश द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम का निरसन, नरमी से देखा जाए तो हमारे संविधान के साथ धोखा है। जब संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश लाने के उपबंध को शामिल किया तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसे विधान अध्यादेश द्वारा भी लाए

जाएंगे। कार्यपालिका अध्यादेश जारी करके शहरी भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम को निरस्त करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। कार्यपालिका अपने विधानों का व्यापक परीक्षण करने और जांच करने के संसद और संसद सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना कर रही है।

अब सरकार कार्य सम्पन्न के बाद संसद के समक्ष आई है। इस अध्यादेश को पहले ही निरस्त किया जा चुका है और सरकार कार्यक्रम को लागू कर रही है। अब सत्तापक्ष क्या करेगा? मुझे वास्तव में उनसे सहानुभूति है। यह विधान लाना अर्थहीन है, चूंकि सरकार ने इसे पहले ही लागू कर दिया है और इस पर लोगों की कार्यवाही भी आरंभ हो गई है तो क्या हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? यदि हम इसमें परिवर्तन कर सकें तो हमारे मित्र सत्तापक्ष के प्रति अपने कर्तव्य के कारण हमें ऐसा करने नहीं देंगे। सरकार सदन को ऐसी परेशानी करने वाली स्थिति में कैसे डाल सकती है? क्या यह एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है? संसदीय लोकतंत्र में किसी को संसद की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक अधिनियम था, जिसकी सहायता से मध्यवर्गीय लोगों को शहरों में भूमि लेने का अवसर मिला लेकिन अब सरकार उन्हें इस अवसर से वंचित कर रही है। इसे कैसे न्यायोचित कहा जा सकता है? ऐसा विधान लाकर सरकार इस माननीय सदन को परेशान करने वाली स्थिति में डाल रही है। महोदया, कार्यपालिका द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य का माननीय सदन द्वारा प्रतिरोध किया जाना चाहिए। सरकार ऐसा विधान हमारे ऊपर नहीं लाद सकती। यही नहीं अनेक महत्वपूर्ण विधान जिनमें संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं, अध्यादेशों के द्वारा हमारे ऊपर लादे गए हैं। आजकल हमारे पास बहुत अध्यादेश हैं। इस सत्र में हमें कितने अध्यादेश स्वीकार करने हैं? ये अध्यादेश एक अथवा दो अथवा तीन नहीं हैं बल्कि बहुत से हैं। सदन की बैठक बुलाए जाने से पूर्व हमारे समक्ष सभी विधान अध्यादेशों के माध्यम से लागू किये जाते हैं। अब वे इन्हें हमसे पारित कराने के लिए कह रहे हैं। महोदया, आवास समस्या जो भी आजकल हमारे नगरों में चल रही है, उसे उचित मूल्य पर भूमि लेने के सामान्य लोगों के अधिकार से वंचित कर हल नहीं की जा सकती। यह अधिकार अब चुराया जा रहा है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को निरस्त करने का यही अर्थ है।

सरकार इससे भी आगे जा रही है। वे कृषि सुधारों की बात कर रहे हैं। उस पर भी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम सीमा अधिनियमों को समाप्त करने की सोच रही है। वे भूमियों का विलयन करना चाहते हैं और बड़ी कम्पनियों को देना चाहते हैं। इस शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को जारी रखते हुए वे इसका विस्तार समूचे भारत में कर रहे हैं, और इस प्रकार वे सामान्य लोगों को छोटा सा भूखण्ड प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। आवास की जैसी भी आकर्षक परियोजनाएं हों, लेकिन इस प्रकार का अधिनियम जन-विरोधी है। इसे अध्यादेश द्वारा लागू करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। संसद के अनुमोदन के बिना और इसकी समीक्षा का हमें अवसर दिए बिना और इस माननीय सदन में हमें अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिए बिना इस प्रकार का अधिनियम लाना, हमारे ऊपर ऐसे अधिनियम लादना अच्छी बात नहीं है।

मैं माननीय सदन से अपील करता हूं कि इन्हें बताया जाए और उनसे पूछा जाए कि कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार के कदम संसदीय व्यवहारों और संसद के अधिकारों के विरुद्ध हैं। इसके लिए उन्हें यह बताया जाए। यदि कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश लाती रहती है, हमारे ऊपर ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम लादती है तो यह संसदीय व्यवहारों के विरुद्ध होगा। इससे हमारे अधिकार पर अंकुश लगेगा। इसलिए कार्यपालिका को इस बात का अहसास दिलाने के लिए इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दिया जाए कि हम ऐसे सभी अधिनियमों का अनुमोदन करने के लिए यहां नहीं आए हैं जो संविधान की भावना के विरुद्ध जाते हैं। यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्था है फिर भी वे संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दिया जाए।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि नगरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदया, सर्वप्रथम, मैं आपसे और सभी संसद सदस्यों से ऐसे समय में अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा मांगता हूं जब यह मुद्दा चर्चा के लिए लिया गया। मेरे पास यह कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि काफी दिन पहले मेरे कार्यालय में आज 4.00 बजे के लिए ब्रिटेन के माननीय उप-प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात निर्धारित की गई थी और उस मुलाकात को रद्द करना असम्भव था क्योंकि माननीय उप-प्रधान मंत्री के साथ एक बड़ा शिष्टमंडल था।

वे कुछ आवासीय परियोजनाओं, कुछ जल निकासी और प्रदूषण निवारण परियोजनाओं और अन्य प्रकार की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में, जिनमें हमारी गहरी रुचि है और जिनमें हमारे पास पूंजी की कमी है और जिसके लिए हमें विदेशी सहायता की

[श्री राम जेठमलानी]

आवश्यकता है, हमारी सहायता करने के लिए हमारे निमंत्रण पर आए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैंने किसी प्रकार सदन का समय नष्ट नहीं किया है क्योंकि ये दोनों विषय एक साथ लिये जाते हैं।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों का मुख्य रूप से रोष इस बात पर रहा है कि यह कदम एक अध्यादेश के रूप में क्यों उठाया गया और उनके अनुसार इसके लिए संसदीय समीक्षा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। महोदया, गत पचास वर्षों से मैं स्वयं संविधान का छात्र रहा हूँ और मैंने हमेशा गर्व से घोषणा की है कि मैं स्वयं को स्वर्गीय डाक्टर अम्बेडकर का योग्य शिष्य मानता हूँ। मैंने न केवल संविधान के पाठ को ही समझने की कोशिश की है बल्कि उसे भी जिसे माननीय सदस्य संविधान की भावना समझते हैं। यह संविधान की वह भावना है जिसको मैंने वर्षों आत्मसात् किया है और यदि माननीय सदस्य मेरे पूर्व के भाषणों को, चाहे वे इस सदन में दिए गए हों या दूसरे सदन में, को देखने का करें तो उन्हें पता चल सकता है कि सरकार द्वारा जारी अध्यादेश करने के अधिकार के दुरुपयोग के बारे में मैंने भी उसी प्रकार बोला है जिस प्रकार माननीय सदस्य ने अभी-अभी बोला है। उनके कथन का समर्थन करते हुए मैं इस बात पर पूर्णत: सहमत हूँ कि अध्यादेश का सहारा केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए। मैं पुन: दोहराता हूँ कि इस मामले में संविधान की भावना के उल्लंघन के आरोप को नहीं मानता क्योंकि अध्यादेश जारी करना नितान्त आवश्यक था और यदि अध्यादेश जारी नहीं किया जाता तो जनहित को गहरा आघात पहुँचता।

अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ और जब मैं इस अध्यादेश के महत्व की व्याख्या करूंगा तो मुझे यह बताना होगा कि मेरी दृष्टि में यह अध्यादेश क्यों जरूरी था और इसे उसी तारीख को जारी करना क्यों जरूरी था। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन पर एक साथ ही चर्चा करनी होगी। अत: आपकी और सदन की अनुमति से उस विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत करता हूँ और मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक जिसे पारित करने के लिए माननीय सदन से सिफारिश कर रहा हूं ताकि मैं इसके दोनों पक्षों, इसकी अस्वीकृति और इसकी विशेषताओं के संबंध में बोल सकूं।

महोदया, विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरा यह मानना है कि विधेयक को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है ताकि मैं दोनों मदों पर एक साथ चर्चा कर सकूँ।

सबसे पहले, माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि हम जिस कानून को निरस्त के लिए कह रहे हैं, संवैधानिक भाषा में इस नियम का सार यह है कि यह केन्द्रीय संसद के वैधानिक अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह भूमि, भूमि के प्रयोग, भूमि के कब्जे, भूमि प्रयोग के उद्देश्य के बारे में है और संविधान के अनुसार भूमि पूर्णत: और विशेषत: राज्य का विषय है। यह न तो केन्द्रीय सूची में है और न समवर्ती सूची में।

संसद ने यह विधान इसलिए पारित नहीं किया था कि यह इसके अधिकार क्षेत्र में था बल्कि इसे संविधान के उस विशेष अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था जिसके तहत केन्द्र, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसा विधान पारित कर सकता है जिस पर ये राज्य एक जैसा विधान लाना चाहते हों।

महोदया, संविधान और इसकी भावना की समझ, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मुझे यही बताती है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य केन्द्र से विधान बनाने की माँग करते हैं और केन्द्र विधान बनाने की ओर अग्रसर होता है तो यह केन्द्र की नैतिक, राजनैतिक और मेरे अनुसार तो, संवैधानिक बाध्यता हो जाती है कि वह ऐसे विधान को समाप्त करे जिसे दो या दो से अधिक राज्य समाप्त कराना चाहते हैं। वस्तुत: हमारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं। जो भी विकल्प होगा वह उनकी इच्छा को ही व्यक्त करेगा जिनके अधिकार क्षेत्र में इस विषय संबंधी कानून है। जब दो या दो से अधिक राज्य स्वायत्तता की माँग करते हैं, तो हमें ऐसा करना ही होगा और इस सदन द्वारा इस कानून को हटाने से इस कानून को जारी रखने की इच्छा जाहिर करने वाले राज्यों से कानून नहीं हटेगा। संसद द्वारा इस कानून को आज हटाए जाने या अध्यादेश जारी करके इस कानून को हटाने से बहुत कम क्षेत्र पर ही असर पड़ेगा। यह कानून संघ राज्य क्षेत्रों और केवल उन राज्यों में प्रभावी होगा जो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 'अंगीकरण संकल्प' पारित करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: श्री राम जेठमलानी, क्या आप एक पल का समय देंगे। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: आप जब भी कहेंगे मैं चुप हो जाऊँगा। मैं बैठ रहा हूँ। अन्यथा, आप नहीं बोल पाएंगे *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: लोकतंत्र की बात करते हुए मैं एक छोटा-सा प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी: श्री राधाकृष्णन, मैं चुप हूं। क्या आप मुझे स्थान ग्रहण करने देंगे? *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदया, माननीय मंत्री, संविधान की भावना की व्याख्या कर रहे थे। मैं उनके विचार से पूर्णत: सहमत हूं। सवाल यह है कि भारत के केवल दो छोटे राज्यों, हरियाणा और पंजाब ने ही इसे पारित किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बंगाल और बिहार जैसे किन्हीं राज्यों ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इसे केवल उन दो छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने पारित किया है जिनके लिए अध्यादेश जारी किया गया था। यदि कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो यह कम से कम दो प्रमुख राज्यों में लागू होना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं है। जब मंत्री महोदय संघवाद और संविधान की भावना की बात करते हैं तो अच्छा होता कि भारत के दो या तीन प्रमुख राज्यों ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए कहा होता, तो अच्छा होता। इस मामले में उन्होंने इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया है। दो राज्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर और वह भी ऐसे विषय में जिसमें राज्यों का ही विशेषाधिकार हो, ऐसा विधान मंत्री महोदय बना रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: क्या अब मुझे अपनी बात कहने की अनुमति है? *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: जी नहीं। यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार क्षेत्र है। मैं आपके ज्ञान को स्वीकारता हूं *...(व्यवधान)* परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह संविधान की भाषा और भावना के विरुद्ध है *...(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट): श्री राम जेठमलानी, अब आप अपनी बात कहिए *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: आप बहुत अच्छे हैं कि मुझे बोलने की अनुमति दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

महोदया, संविधान की नजर में और मेरी नजर में न कोई प्रमुख राज्य हैं, और न कोई छोटे राज्य *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह प्रश्न जनसंख्या से जुड़ा प्रश्न है *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: जनसंख्या का कोई प्रश्न नहीं है। जिस अनुच्छेद में केन्द्र को ऐसा विधान पारित करने का अधिकार दिया गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केन्द्र दो बड़े राज्यों के अनुरोध पर ही ऐसा करे। कोई भी दो राज्य यदि अनुरोध करें तो केन्द्रीय संसद इस विषय पर विधान पारित करने का अधिकार पा लेती है। यदि दो छोटे राज्यों ने मूल रूप में इसकी मांग की है तो दो छोटे राज्यों को ही इसके अनुरोध का अधिकार है *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): श्री जेठमलानी, नैतिक आधार पर यह सही नहीं है, परन्तु तर्क के आधार पर आप सही हैं। यह संविधान की अवमानना है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया उन्हें टोकिए मत। आपको समय दिया जाएगा।

श्री राम जेठमलानी: यदि मैं तर्क के आधार पर सही हूं, तो मैं सभी आधारों पर सही हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस प्रकार व्यवधान मत डालिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राम जेठमलानी: इस मामले का दूसरा पहलू, जिस पर माननीय सदस्य ध्यान देना भूल जाते हैं, यह है कि इसका प्रभाव उन अधिकांश लोगों पर नहीं पड़ता जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उन राज्यों को अभी संकल्प प्रस्ताव स्वीकार कर पारित करने हैं। हम केवल उनकी उस मौलिक स्वायत्तता और अधिकार को ही बहाल कर रहे हैं जो उनके अनुरोध से उनसे छिनी है।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): दिल्ली के बारे में क्या राय है?

श्री राम जेठमलानी: यह दिल्ली में लागू होगा। दिल्ली में इसका कोई विरोध नहीं है। दिल्ली में तो मैं स्वयं विधान बना सकता हूं क्योंकि दिल्ली की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे इस कानून का अधिकार क्षेत्र बड़ा सीमित है क्योंकि हम प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में इस कानून को हटाने या लगाने की स्वायत्तता बहाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिहार की मुख्य मंत्री ने मुझे एक कड़ा पत्र लिखा और मैंने उन्हें यह समझाते हुए पत्र का जवाब दिया कि 'महोदया, यदि आपको इस कानून से प्यार है तो यह आपके

[श्री राम जेठमलानी]

राज्य में बरकरार रहेगा। मैं आपके राज्य से इसे हटाने वाला कौन होता हूं?"

मगर किसी दिन जब कुछ राज्य इसे अपना लेंगे और जब वे आवास क्षेत्र में विकास को देखेंगे और जब वे देखेंगे कि इस कानून के निरस्त किये जाने से किस तरह से गरीब व्यक्तियों को फायदा हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि, आज जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसे जन विरोधी करार देने को तैयार हैं, यही लोग आकर मुझे धन्यवाद देंगे कि पिछले पचास वर्षों में पहली बार इस देश में गरीब लोगों के हक में कार्य किया गया है।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): मंत्री महोदय, कृपया सभा को यह बताएं कि इसे केरल में कहां तक क्रियान्वित किया गया है। आप कृपया सभा को यह बताएं, क्योंकि हमारे सहयोगी इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि केरल में इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है *...(व्यवधान)* ठीक है, पश्चिम बंगाल के संबंध में भी बताएं *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: महोदया, पिछले वर्ष के आरंभ में मेरे दल के एक सदस्य ने एक संकल्प पेश किया था। संकल्प में कहा गया था कि इस सभा के विचार से सरकार को एक आवास नीति बनानी चाहिए। मैं अभी खड़े होकर माननीय सदस्य को यह कह कर संकल्प वापस लेने के लिए कहने तथा अनुरोध करने वाला था कि सरकार आवास नीति पर विचार कर रही है तथा इसे भविष्य में संसद के विचारार्थ और गहन समीक्षा हेतु पेश किया जाएगा। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सदस्य को संकल्प पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि मैं चाहता था कि इस सभा के सभी पक्षों को इस विधान के संबंध में तथा आवास से संबंधित समस्या, दुर्भाग्यवश जिसका हमारा देश सामना कर रहा है, के बारे में विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।

सभा के समक्ष यह चर्चा कम से कम चार बार हुई और मुझे बहुत ही खुशी है कि तीन सदस्यों ने जिन्होंने निरनुमोदन संकल्प पर अब हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन्होंने उस अवसर पर भी चर्चा में भाग लिया था। अब मैं विशेषकर अपने परम मित्र श्री वारकला राधाकृष्णन का जिक्र करना चाहता हूं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। उनका भी कहना है कि वह भी मेरा आदर करते हैं मगर वह यदा-कदा ही इसे व्यक्त करते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे खेद है कि मैं सदा ही आपका आदर करता रहा हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): उन्हें इसके लिए खेद है।

श्री राम जेठमलानी: महोदया, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि उस अवसर पर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था? इसका क्या प्रयोजन है? क्या यह गरीबों को बर्बाद करने के लिए है? गरीब लोगों में कोई भूमि वितरित नहीं की गई थी। झुग्गी-झोपड़ी के लोगों को कोई आवास नहीं मिला और उन्हें कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। समस्त भूमि अमीर लोगों में वितरित की गई।

श्री मोहन सिंह: इसका क्या मतलब है?

श्री राम जेठमलानी: श्री मोहन सिंह, मैं बूढ़ा हूं मगर बेवकूफ नहीं।

इसका मतलब यह है कि 1976 से नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के होते हुए भी गरीब लोगों को कोई भूमि वितरित नहीं की गई। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कोई आवास नहीं मिला। उन्हें कोई भूमि का आवंटन नहीं किया गया। समस्त भूमि अमीर लोगों को आवंटित की गई। इस कानून को निरस्त करके मैं स्थिति में सुधार करना चाहता हूं जो इस कानून के कारण थी।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री मोहन सिंह: आप यह कैसे करेंगे?

श्री राम जेठमलानी: अब हम "कैसे' के प्रश्न पर विचार करेंगे। मगर उसके पहले हम अपने मन में एक बात स्पष्ट कर लें और वह यह है कि इस अधिनियम के होते हुए भी गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला। अब हम देखेंगे कि उन्हें फायदा क्यों नहीं हुआ और हम यहां और इसी वक्त यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में कैसे फायदा पहुंचाएंगे। मगर एक बात स्पष्ट है कि 26 वर्षों से इस अधिनियम के होते हुए भी गरीब गरीब रहे और केवल अमीर को फायदा हुआ। मैं चाहता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य विशेषकर मेरे आदरणीय मित्र श्री राधाकृष्णन उनके द्वारा कही गई बात का अर्थ समझें। उन्होंने सभा में जो बात कही, उसका अर्थ यह है कि अधिनियम का प्रयोजन (क) था; और प्रयोजन (क) पूरा नहीं हुआ तथा इसका बिल्कुल विपरीत प्रयोजन पूरा किया गया। मैं इसे सभा के सदस्यों पर छोड़ देता हूँ। एक अच्छे कार्य के लिए बनाए गए इस अधिनियम का उद्देश्य क्यों नहीं प्राप्त किया गया और इसका प्रयोजन गरीब-विरोधी कैसे हो गया? इसका उत्तर केवल यही है कि अधिनियम अपने मूल रूप में कितना ही अच्छा क्यों न हो इसका इस्तेमाल गलत हुआ, गलत फायदा उठाया गया और इसका उपयोग गरीबों के अहित के लिए

किया गया और केवल कुछ चुने हुए अमीर लोगों को संतुष्ट करने तथा उनके लाभ के लिए किया गया, जो रिश्वत दे सकते थे? इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त कर सकते थे। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं तथा यह सरकार इस खराब स्थिति को समाप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। हम पहले भ्रष्टाचार के सभी अवसरों को समाप्त करेंगे। जब तक यह अधिनियम रहता है भ्रष्टाचार के अनेक अवसर उपलब्ध रहेंगे।

महोदया, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता। कुछ सदस्यों के विचार मेरे से शायद भिन्न हों। हम सब इंसान हैं। कभी मेरे से गलती हो जाती है, कभी दूसरे गलती करते हैं। किसी के भी प्रति मेरी दुर्भावना नहीं है। मगर अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कहने के लिए तैयार हूं—मैं पिछले 50 वर्षों से बार का सदस्य हूँ—कि दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम और उत्पाद-शुल्क अधिनियम सहित किसी भी अधिनियम का इतना भ्रष्ट उपयोग नहीं किया गया जितना इस अधिनियम का किया गया। केवल कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए, जिनका काम जायदाद हथियाना था, अन्य किसी भी अधिनियम का इतने भ्रष्ट तरीके से उपयोग नहीं किया गया। इस अधिनियम के कारण हजारों करोड़ रुपये की रिश्वत ली-दी गई और हम इसे समाप्त करना चाहते हैं।

महोदया, मेरे मित्र, श्री मोहन सिंह भी इस अवसर पर बोले और मैंने उनके समस्त भषण को पढ़ा है। माननीय सदस्य की सभी बातें समझदारी पूर्ण थी। मुझे पूरा यकीन है कि उस अवसर पर उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह उससे नहीं मुकरेंगे। उन्होंने उस स्थिति का जिक्र किया जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों के अपने अनुभव के बारे में बताया और रेल पटरियों पर, तथा सड़क किनारे निर्वस्त्र बैठी महिलाओं का जिक्र किया जो अपनी शर्म छुपाने में, पानी प्राप्त करने में तथा अपने को साफ करने में असमर्थ थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? झुग्गी-झोपड़ियां क्यों फैलीं? हमारे देश वासियों को झुग्गी-झोपड़ियों में ऐसी जिन्दगी जीने पर क्यों मजबूर किया गया है, जिसके खिलाफ जानवर भी विरोध करेगा। उन्हें वहां इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि बाजार नियमों के साथ हस्तक्षेप किया गया। भ्रष्ट अमीर लोगों द्वारा, नौकरशाह और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाई गई जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्रदान करने की स्थिति में थे। और गरीब, गरीब ही रहे।

महोदया, मैं माननीय सदस्य से इस महत्वपूर्ण अधिनियम का प्रयोजन जानने का अनुरोध करता हूं, जिसकी वह इतनी तारीफ कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जनता से कहा गया कि दिल्ली में 345 हेक्टेयर भूमि खाली है, और व जमीन सरकार के हाथों में जाएगी और सरकार दिल्ली में फुटपाथ या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले सभी गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान कर देगी और सभी को आवास उपलब्ध हो जाएगा। यह घोषणा की गई थी। क्या इस सभा में किसी को पता है कि 345 हेक्टेयर भूमि में से सरकार द्वारा वास्तव में कितनी भूमि अर्जित की गई? एक तरफ यह 345 हेक्टेयर था और दूसरी तरफ 1.9 हेक्टेयर। यह हास्यास्पद नहीं है? क्या यह अधिनियम की कमियों को उजागर नहीं करता है? क्या इससे यह उजागर नहीं होता कि सिवाय पैसा बनाने के इस अधिनियम को लागू करने के लिए कोई गंभीर नहीं था। यह स्थिति निश्चय ही समाप्त होनी चाहिए। कीमत का क्या हुआ? इस अधिनियम के परिणामस्वरूप क्या हुआ? यह सब जानने के लिए आपको हार्वर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। यह जानने के लिए आपको बड़ा अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है कि आखिरकार भ्रष्टाचार की मात्रा को वस्तुओं के मूल्य में जोड़ना ही पड़ता है। भ्रष्ट लोगों द्वारा अर्जित किए गए हजारों करोड़ रुपये आखिरकार भूमि की कीमत में परिलक्षित हो गए। भूमि की कीमतें आसमान छूने लगीं। अमीर लोगों के लिए फ्लैट्स एवं अपार्टमेन्ट्स का निर्माण किया गया। भूमि की कीमत इतनी अधिक थी कि अमीर लोग भी भूमि नहीं खरीद सकते थे क्योंकि तब तक अमीर लोग कुछ गरीब हो गए थे। और उनकी वहन करने एवं व्यय करने की क्षमता समाप्त हो गई थी।

पुणे में निर्मित किए गए 40,000 खूबसूरत अपार्टमेन्ट्स खाली पड़े हैं क्योंकि जिस मूल्य पर ये बने थे उतने में अमीर लोग भी इन्हें नहीं खरीद सकते थे। यह इस अधिनियम का परिणाम है।

आखिरकार मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं। लेकिन थोड़े बहुत अर्थशास्त्रियों से परिचित जरूर हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं उन अर्थशास्त्रियों से ज्यादा अर्थशास्त्र जनता हूँ। किन्तु, एक बात जरूर है कि सभी अर्थशास्त्रियों की आर्थिक निष्कर्षों पर एक राय थी। जैसाकि प्राय: कहा गया है कि अगर आप विश्व के अर्थशास्त्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक खड़ा करेंगे तो भी वे कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। इसलिए मैं अपनी व्यावहारिक चेतना से सोचने पर मजबूर हूँ न कि अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत से। मेरी चेतना के मुताबिक इस जमीन को मुकदमे से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और इस जमीन को उन भ्रष्ट वकीलों के हाथों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए जो लोगों के स्वामित्व के दावों के एवज में लाखों का माल बना चुके हैं और इस जमीन को मुकदमे के शिकंजे में जकड़ दिया है।

[श्री राम जेठमलानी]

मैंने आंध्र प्रदेश के सांसदों से बात की है। मुझे बताया गया है कि सरकार उस जमीन को अपने स्वामित्व में ले सकेगी, फिर भी उस पर चल रहे मुकदमे के सिलसिले में वकीलों पर उस जमीन की कीमत की दुगुनी राशि सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है। यह मुकदमा आज भी चल रहा है। यह भारत के प्रत्येक हिस्से में लंबित है। यह प्रत्येक हाईकोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम): नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियमन के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये बचाने के बदले हम अब तक तकरीबन 250 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

श्री राम जेठमलानी: वे मेरे अभियोजन साक्ष्य की सूची में पहले नम्बर पर हैं। स्थिति यह है। वास्तविकता यह है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचारी मालामाल हो गये हैं। टुटपुंजिये वकीलों ने धन बनाया है। गरीब जहाँ के तहां हैं और यह सर्वसम्मत अधिमत है कि अस्वीकृति-प्रस्ताव के हस्ताक्षर समिति में जो लोग हैं वे भी वही हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं सार्वजनिक तौर पर यह कहते नहीं थकता कि मैं एक सफल वकील था। मैंने वकालत से धन कमाया है; किन्तु मैंने गरीबों से कभी धन नहीं ऐंठा बल्कि धनी लोगों से ऐंठा है। मेरे वकालती पेशा का नब्बे फीसदी हिस्सा निःशुल्क रहा है जैसाकि इस सभा के कुछ सदस्य इस बात के गवाह हैं।

श्री नादेन्दला भास्कर राव: नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियमन मामले सहित।

श्री राम जेठमलानी: कोई नगर भूमि नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा। उससे मंत्री का बचाव करना होगा।

मेरे एक मित्र ने कहा था, "आप बड़े राज्यों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं?" तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में एक पार्टी है जो हमारे गठबंधन का एक बड़ा भागीदार है। लेकिन तमिलनाडु का अपना नियम-कानून है। वे केन्द्रीय विधान मंडल से संचालित नहीं होते और निरसन से तमिलनाडु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र विरोध में खूब बोलते हैं। हमने पश्चिम बंगाल की बात की थी। उन लोगों ने हमें क्या कहा? उन लोगों ने हमसे कहा; "आप चाहें तो निरसन कर सकते हैं। किन्तु, हम अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।"

श्री बसुदेव आचार्य: हाँ।

श्री राम जेठमलानी: तो फिर कौन कहता है कि आप अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। निश्चित रूप से, आप अपना कानून बनाइये। आप का अपना आर्थिक सिद्धांत है। कार्य करने की आपकी वही पौराणिक शैली है। लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहूँगा कि कुछ ऐसी असाधारण धारणाएं हैं जो मेरे कार्यभार संभालने के बाद और नई नीति की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में घटित होती रही है।

हमने निजी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों और सरकार के बीच साझेदारी की बात की थी। मैं पश्चिम बंगाल सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करूँगा कि कलकत्ता शहर से लगभग बीस मिनट के अभियान के दौरान साझा उद्यम में उन्होंने कई मकान बनवाये क्योंकि जमीन की कीमत सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है। मैं वहाँ गया और उन मकानों को देखा। उस स्थान को देखकर मैं गौरवान्वित हूं। उन मकानों की निर्माण लागत सिर्फ 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच है। एक शयन कक्ष वाला असाधारण अपार्टमेन्ट जिसमें एक रहने का कमरा, एक स्नान घर और वह सब कुछ है जो एक आदर्श आवास के लिए वांछनीय है, आज लगभग 1,30,000 रुपये में बेचा जा रहा है। मैंने उसे देखा था। साथ ही, मैं इसे पूरे सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि बड़े पैमाने पर एक बार यह निर्माण शुरू हो जाता है तो जैसाकि मुझे उम्मीद है, इससे न केवल अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होगी बल्कि प्रति अपार्टमेन्ट का निर्माण खर्च भी घटकर 30,000 रुपये रह जाएगा। अतः आप भूमि की लागत छोड़ देते हैं तो 30000 रुपये में गरीबों के लिए आपके पास बना-बनाया अपार्टमेन्ट होगा। एक वैसे निर्धन व्यक्ति लिए जो गन्दी बस्ती में जहाँ कीमत अधिक है, एक झोपड़ी बनाने के लिए एक लाख रुपया तक खर्च करने को तैयार है। इस प्रकार, इस विधान का क्या परिणाम होगा, जब भूमि और भूमि स्टाक को निःशुल्क का दिया जाये? मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि साधारण अर्थव्यवस्था वह है जिसमें जब भूमि खुले बाजार में मिलती है, और भूमि स्टॉक उपलब्ध होता है तो मूल्यों में गिरावट आती है। कीमतें आकाश छूती हैं क्योंकि भूमि का अधिग्रहण भ्रष्ट सरकारों और अफसरशाहों के चंगुल में जकड़ा होता है। जैसे ही इसे उनके चंगुल से मुक्त किया जायेगा भूमि स्टॉक में सुधार आयेगा और आवास वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे। इसका कारण है कि निर्माण-खर्च कोई ज्यादा नहीं है। ज्यादा तो केवल भूमि संघटक है।

मैडम, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ और इस सभा में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि जब से मैंने इस अधिनियम के वापस लिये जाने की बात प्रारंभ की है तभी से जमीन की कीमतें गिरने लगी हैं। आज अगर आप महाराष्ट्र में, ठाणे, बोडिविले या अन्य स्थानों जैसे सैटेलाइट शहरों में चले जायेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जमीन की कीमत अपने आप 40 फीसदी तक कम हो गयी है।

अब मैं अन्य भागों की चर्चा करना चाहता हूँ। मैडम, मैंने कहा है कि तमिलनाडु का अपना बिल है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो उन्होंने कहा है कि जब तक आजादी है, तब तक केन्द्र में आप वही करें जो आप चाहते हैं। मैंने बिहार के मामले में भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे उस अधिनियम को चाहते हैं और वे इसके पक्ष में हैं तो वे इसके अनुरूप चलेंगे। और वे तब तक इसके अनुरूप चलेंगे जब तक वे चाहेंगे। कुछ राज्यों ने इसमें कतिपय संशोधन की मांग की है। हम उसमें कतिपय संशोधन करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि हमें सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। कुछ राज्य उसमें संशोधन नहीं चाहते। वे सीधे तौर पर इसे वापस लिये जाने की माँग करते हैं। यदि दो या दो से अधिक राज्य इस अधिनियम को वापस लिये जाने की इच्छा जाहिर करते हैं तो हम संवैधानिक रूप से उनकी इच्छा के आगे झुकने को बाध्य हैं। सांविधानिक विचारधारा के अनुकूल यह मेरी समझ है।

मैडम, ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कोई नया निर्णय लिया है। पिछली सरकारें इस अधिनियम से उपजी बुराइयों से पूरी तरह क्षुब्ध थी। लेकिन, मुझे खेद है कि इस अधिनियम को वापस लिये जाने का उसने नैतिक साहस नहीं दिखाया। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा कि श्री गुजराल जी ने, जब वे प्रधान मंत्री थे, तो अपने अल्प समय के कार्यकाल में इस पर विचार किया था और उनके मंत्रिमंडल ने नवम्बर 1997 में एक अध्यादेश के जरिये इसे वापस लिये जाने के निर्णय को हरी झंडी भी दे दी थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते उन्होंने सोचा कि उन्हें इस पर विचार करना पड़ेगा लेकिन वे विचार नहीं कर पाये। अगर मान लिया जाए कि मुझे कल ही अपने पद से हटना पड़े तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? किन्तु संक्षेप में बात यह है कि कल मुझे हटना भी पड़े तो भी मैं इसे हटाकर रहूँगा। इस विधान की नीति और सार संकलन का पिछली तीन सरकारों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है और उनमें से कोई भी इस अधिनियम को बनाये रखने में सक्षम नहीं रहे। उनमें से सभी ने यही निर्णय लिया कि इसे वापस ले लिया जाये। किन्तु, कुछ कारणों से जो उनके नियंत्रण से बाहर थे और शायद इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके अपने सहयोगियों की ओर से इसका कड़ा विरोध होगा, वे इसे नहीं कर सके। और फिर हमने राजनीति पर ही गौर फरमाया।

अतः, मैडम असम में हम पिछली सरकार के निर्णय को ही लागू करने जा रहे हैं।

मैंने उस अधिनियम की असाधारण असफलता की बात की। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं पर मेरे पास सभी राज्य के आँकड़े उपलब्ध हैं। प्रत्येक राज्य में हजारों हेक्टेयर भूमि की घोषणा की गई है, लेकिन किसी पर कुछ हुआ नहीं। और हमने क्या किया; वह यह कि जब इस सभा के समक्ष हमने मूल प्रस्ताव को पेश किया तो उसमें उन सभी संपत्तियों का जिक्र, यहाँ तक कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई उन संपत्तियों का भी जिक्र किया लेकिन उन भूखण्डों पर जब निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उस भूमि को उनके मूल प्रोप्राइटर को अवश्य लौटा दिया जायेगा, निश्चित तौर पर, और उसकी क्षतिपूर्ति आदि भी की जायेगी।

स्थायी समिति ने जिसके समक्ष इस विषय को पेश किया गया था, अंततोगत्वा दिसम्बर 1998 के अंत में ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। वह रिपोर्ट ठीक क्रिसमस की छुट्टी के पहले आयी लेकिन उसे हम तक आते-आते 1999 आ गया। उस रिपोर्ट में केवल परिवर्तन का सुझाव दिया गया और वह परिवर्तन था, "उस सारी जमीन को नहीं लौटाया जाये जिस पर निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किन्तु उस सारी जमीन को लौटा दिया जाये जो मुकदमे के जाल में फंसी हैं, और जो अतिक्रमण की परिसीमा में है जिसे सरकार अभी तक अधिगृहीत नहीं कर पायी है।"

अतः जो भूमि सरकार के कब्जे में नहीं है उसे इसके बाद अभिगृहीत नहीं किया जायेगा। यही संशोधन हमने किया है इसीलिए हमने पहला विधेयक वापस ले लिया और मेरे विभाग से संबंधित स्थायी समिति की सर्वसम्मत इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया।

मैडम, सभी पार्टियों के 45 सदस्यों ने इस विषय पर कई महीने विचार किया है। मैं समझता हूँ कि इसे जून अथवा जुलाई में कभी भेजा गया था और उन्होंने दिसम्बर में ही अपनी रिपोर्ट दी है, वह भी लम्बे और दीर्घकालीन विचार-विमर्श के बाद। अंततः उन्होंने केवल यही सुझाव दिया, 'कि इसे निरस्त कर दो लेकिन सरकार ने जिस भूमि पर कब्जा कर लिया है उसे अभिगृहीत मत करो।'

[श्री राम जेठमलानी]

इस दृष्टिकोण पर मेरे मतभेद हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा करता रहा हूं कि मैं एक इंसान हूँ और बुद्धिमत्ता पर मेरा एकाधिकार नहीं है, मैं यह कहने वाला कौन होता हूँ कि 45 सदस्यों की स्थायी समिति शायद ठीक नहीं रहेगी, मेरी बात गलत हो सकती है। इसलिए मैंने अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक और अत्यन्त सम्मानपूर्वक उनकी सलाह को मान लिया है और मैं इसके निरस्त किये जाने की मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह मांग नहीं कर रहा हूँ कि उस सारी जमीन को हम अपने कब्जे में रखे नहीं रह सकते जिस पर निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। यदि सारी जमीन मिलती तो मैं इस बात को वरीयता देता।

मैडम, गरीब लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों में से किसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गरीब आदमी कम-से-कम एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर अपनी झुग्गी तो बना सकता है। कभी-कभार वह झुग्गी-झोपड़ी के आका को पैसा देता है और किसी तरह स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाला वर्ग, गरीब विधवा जो झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्ती में जा सकते और कीमत नहीं चुका पाते, जो वस्तुतः आज बिना किसी आश्रय के और बिना किसी छत के रह गये हैं। सुबह-सुबह रेलवे लाइन पर केवल गंदी बस्तियों में रहने वाली स्त्रियां ही नहीं मिलतीं। इन लाइनों पर मध्यम आय वर्ग की गरीब स्त्रियाँ, निम्न आय वर्ग वाली स्त्रियां भी होती हैं जो व्यावहारिक रूप से गंदी बस्तियों जैसे मकानों में रहने को मजबूर हो जाती हैं और इन्हीं लोगों के फायदे के लिए अब हम इस कानून को निरस्त करने वाले हैं। क्यों और कैसे?

मेरे नियंत्रणाधीन, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था हुडको की नवीनतम नीति यह है। आज मैं सम्माननीय सभा को यह बता सकता हूँ कि लगभग 5 बजे मैं एक नयी योजना आरंभ कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस उद्घाटन समारोह में कैसे जाया जाये। आज हमने यह निर्णय किया है कि अब हुडको सहकारी समितियों और कम्पनियों को ही ऋण नहीं देगा बल्कि हम गरीब से गरीब आदमी, यहाँ तक कि एक क्लर्क को भी ऋण तब तक देंगे जब तक कि उसे वेतन मिलता है ताकि वह अपनी किस्त अदा कर सके। यदि आप चाहें तो हम ब्याज की सस्ती दरों पर ऋण देने के लिए तैयार हैं जिसकी अदायगी 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के समय के भीतर की जायेगी। प्रत्येक गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति को मकान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, उसे मकान मिल जायेगा क्योंकि निर्माण कार्य आरंभ हो जायेगा तो ये मकान गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध होंगे।

मैडम, मैं कह चुका हूँ कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, अतः हमें या तो अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए या फिर विशेषज्ञ कहलाने वाले लोगों पर। मैडम, मैं एक ऐसे भद्र पुरुष को जानता हूं जो दुर्भाग्यवश मेरी पार्टी के सदस्य तो नहीं हैं लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य जरूर हैं। वह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री जयराम रमेश हैं और मुझे विश्वास है कि वह अपने आपमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं; और वह एक अर्थशास्त्री हैं जिनकी अपने अर्थशास्त्र विषय पर अच्छी पकड़ है।

मैडम, उन्होंने 'इंडिया टूडे' में एक पूरा लेख लिखा है। इसमें कहा गया है:

> "किसी नीति का मूल्यांकन उसके आशय से मत करें अपितु उसका मूल्यांकन उसके परिणामों से करें। नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 से ज्यादा कुछ भी इसे अधिक सजीवता से स्पष्ट नहीं कर सकता।"

श्री रमेश के अनुसार, यह कानून अच्छे इरादों वाला लेकिन बाद में कुछ भी परिणाम न निकालने वाले घोषित कानून का सबसे स्पष्ट उदाहरण है; खोदा पहाड़ निकला चूहा।

वह कहते हैं:

> "जैसाकि प्रायः कहा जाता है इस अधिनियम के उद्देश्य प्रशंसनीय थे। इसका उद्देश्य नगरभूमि की चकबन्दी को रोकना और महानगरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आवास को प्रोत्साहन देना इस अधिनियम का उद्देश्य था किंतु वास्तविक व्यवहार में, इस अधिनियम से भूमि की आपूर्ति कम हुई है, भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है और इस अधिनियम से आवास और निर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद और कानपुर जैसे स्थानों पर रुग्ण कंपनियों को समय पर बंद करने में इस तरह से बाधा पहुंची है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सकेगी और नयी आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न होंगी। स्पष्ट रूप से यह अधिनियम एक गंदा कानून है और सबसे बुरा अर्थशास्त्र है।"

इस भद्रपुरुष की विश्वसनीयता को मानने वाले इस सभा के प्रत्येक सदस्य से मैं आग्रह करूँगा कि मेरे अनुसार वह एक महान अर्थसास्त्री हैं, सरकार में बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के संबंध में यह कहा था; और इस कानून के निरसन का सर्वसम्मति से

और सार्वभौमिक रूप से स्वागत करने वाले सभी आर्थिक समाचार-पत्रों में अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखे गये लेखों का मेरे पास यहाँ बाहुल्य है।

1991 में, मैं जनता पार्टी का सदस्य था और मुझे वह समय याद है जब मैं राज्य सभा में था और कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह उठे थे और उन्होंने एक भाषण दिया था। मैडम, जब मैंने उनका भाषण सुना तो मैं अपनी आँखों पर भरोसा न कर सका, मैं अपने कानों पर विश्वास न कर सका और मैंने कहा था: "हे भगवान! मैं उस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उस कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री से यह क्या सुन रहा हूँ, जो पार्टी अवादी प्रस्ताव और समाजवादी अर्थशास्त्र जैसे विषय से जुड़ी है और जुड़ी रही है ऐसा हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं।

मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों की परवाह नहीं की और उठ खड़ा हुआ और राज्य सभा में बोला और श्री मनमोहन सिंह को बधाई दी। मैंने कहा: "संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जहाँ से मुझे सबसे कम आशा थी उसी दिशा से अब ताजा आर्थिक हवा का झोंका मेरी ओर आ रहा है।"

अंततः, आइये हम आरंभ किये गये, उत्पन्न किये गये और अति महान लोगों द्वारा व्यवहार में लाये गये विचारों के पुराने तरीकों को भूल जायें लेकिन ऐसे महान लोग भी गलत हो सकते हैं। मैं इस सम्माननीय सभा को बता दूँ कि आज साम्यवाद का अंतिम किला चीन है। उसने गत वर्ष जुलाई में निर्माण उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लिया था और चीन के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी "कि अब एक भी मकान के लिए चीन की सरकार की ओर न देखें; सभी मकान निजी क्षेत्र में प्रदान किये जायेंगे।"

हम सभी सीखने के लिए जीते हैं; हमें अपना व्यवहार अवश्य बदलना चाहिए। 1991 में, इस बड़ी पार्टी ने अपना रवैया बदला था। हम भी लाइन में खड़े हो गये हैं और जो भी आज हम कर रहे हैं वह आरंभ की गयी किन्तु पूरी शक्ति और विश्वास के साथ पूरे न किये गये 'मनमोहन के अर्थशास्त्र' का स्वाभाविक परिणाम है। इसी कारण, कोई ब्रेक उनके राजनीतिक निर्णय पर लग रहा था।

राजनीतिक निर्णय को निष्पादित नहीं किया जा सका। जैसाकि मैंने आपको बताया था तीन सरकारों ने उसके बाद इस अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया था लेकिन उनमें यह कार्य करने का राजनीतिक और नैतिक साहस कभी नहीं रहा।

श्री बसुदेव आचार्य: अब आप इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं।

श्री राम जेठमलानी: मैडम, अब यह मुझे अन्य विषय पर बोलने के लिए प्रेरित करता है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। आज सुबह इस्पात मंत्री को अन्य सभा से यह कहते हुए सुना कि इस्पात उद्योग बुरी हालत में है, सीमेन्ट उद्योग बुरी हालत में है। मैं अन्य लोगों के सामने अपनी कमजोरी तो प्रदर्शित नहीं करूंगा लेकिन मैं एक वाक्य में यह बताऊँगा कि हमारी आर्थिक स्थिति गर्व करने लायक नहीं है। इस अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना है। यह दोहरी बीमारी से पीड़ित है जिसे 'स्टैगफ्लेशन' कहते हैं। 'स्टैगफ्लेशन ने हमारी अर्थव्यवस्था को घेर लिया है और इस घातक बीमारी के पंजों से अर्थव्यवस्था को निकालकर इसे पुनरुज्जीवित करना है। हम कैसे यह कार्य करेंगे? हमें कौन शिक्षा देता है? ऐसी स्थिति में सही समाधान क्या है? महान् अर्थशास्त्री, सर मेनार्ड केन्ज द्वारा प्रस्तुत एक ही समाधान है। इसे 'केन्जीयन' अर्थशास्त्र कहा जाता है। 1929 और 1930 में जब अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो स्टॉक एक्सचेंज के दलाल दसवीं, ग्यारहवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर रहे थे, तो आपने गोल्डमैन टायर्स का शेयर सर्टिफिकेट सहित एक शेयर खरीदा था, उन्होंने आपको आत्महत्या करने के लिए पिस्तौल अथवा रिवाल्वर दी थी और जब आप एक होटल में गये तो स्वागत-कक्ष पर क्लर्क ने आपसे यह पूछा कि आप वहाँ रहने के लिए कमरा चाहते हैं अथवा आत्महत्या करने के लिए कमरा चाहते हैं, तो उसने समाधान बताया था।

देवियों और सज्जनों, इस तरह की अर्थव्यवस्था जो ऐसे वास्तविक और खतरनाक संकट में फंस गई थी, इसे केनीज अर्थशास्त्र से सुधारा जा सका था। मेनार्ड केनीज ने क्या कहा था? उसने यही कहा था, "कृपया अब आवास-निर्माण की तरफ आइए, आवास बनाइए, अवसंरचना सुधारिए और आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी" और अर्थव्यवस्था सुधरी थी। केनीज-अर्थशास्त्र आज भी उतना ही बेहतर है। अर्थशास्त्र पर कोई भी किताब ले लीजिए। केनीज-अर्थशास्त्र के सिद्धांत आज भी मान्य हैं और मैं समझता हूँ कि वे मान्य ही रहेंगे चाहे किसी के द्वारा कुछ भी कहा जाए, जोकि 1844 की उन स्मृतियों में जीता हो।

मैंने सीमेंट उद्योग से कहा। मैंने इस्पात उद्योग से कहा। वस्तुतः एक युवक ने यह अन्दाज लगाया कि ऐसे 289 उद्योग हैं जो केवल आवास उद्योग से ही जुड़े हैं। आवास उद्योग को पुनर्जीवित कीजिए और 289 अन्य सहायक उद्योगों को सुधार लीजिए।

[श्री राम जेठमलानी]

महोदया, आपके माध्यम से, मैं इस सभा से अपील करना चाहता हूं कि कृपया मुझे इस नए आर्थिक-सिद्धांत को परीक्षित करने की अनुमति दी जाए। यह नया नहीं है। इसका अनुप्रयोग नया हो सकता है। पर कृपया मुझे इसके द्वारा प्रयास करने की अनुमति दें। यदि मैं असफल रहूँ, तो तय मानिए कि मैं आवास मंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रहूंगा। पर कृपा करके यह याद रखें कि आपके सारे पूर्व-उपाय असफल सिद्ध हुए हैं। मैं एक प्रयास और अवसर चाहता हूँ। इस अनिष्टकर कानून को खारिज कीजिए और भूमि को मुक्त बनाइए जिससे मैं उसका उपयोग देश के गरीब लोगों के लिए आवास-निर्माण के लिए कर सकूं। धनी लोगों ने इसका उपयोग हमेशा अपनी तरह से ही किया है। वे हमेशा अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुए हैं। उन्हें किसी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनके महल और अट्टालिकाएं बन चुके हैं और वे उसी में व्यस्त हैं। कोई भी अमीर आदमी फुटपाथ या झुग्गी-झोपड़ी में नहीं रह रहा। मैं इस देश के गरीब लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था के प्रति कृत संकल्प हूं लेकिन कृपया मुझसे मेरे औजार मत छीनिए। यदि आप इस अनिष्टकर कानून को जारी रखते हैं जिसे सही तौर पर 'नासूर' कहा जाने लगा है, यदि आप इस नासूर को रिसते रहने देना चाहते हैं। तो इसी नासूर में उलझे रहिए। पर मैं आपको बता दूँ कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, बिल्कुल गर्त में चली जाएगी, यदि आप मुझे इस उद्योग को, आवास-निर्माण में धन लगाने और आवास-उद्योग के लिए पूंजी आकर्षित करके पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं देते।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि स्थायी समिति, जिसमें इस विधेयक के आलोचकों को काफी कुछ कहने का मौका मिला, उन्होंने इसे छह महीनों तक परखा। अंततः उन्होंने एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया और एक सिफारिश की। हमने उस सिफारिश को मंजूर किया है। अब वह प्रश्न आता है जिस पर मैंने बात शुरू की थी। प्रश्न ये हैं कि अध्यादेश क्यों? मेरा सदन की अनदेखी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि अध्यादेश को अंततः इस सभा के सामने ही आना है। यह कोई अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अध्यादेश या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा भी नहीं है, जहां कम से कम अस्थायी तौर पर किसी सरकार को हटाते तो हैं।

इस अध्यादेश को दिसम्बर में हमारे इस संकल्प के कारण पारित किया गया था कि हम इस वर्ष के अन्त तक दो मिलियन आवासगृहों का निर्माण कर लेंगे और यह वर्ष समाप्ति की ओर है। मैंने देश भर के भवन-निर्माताओं, उद्यमियों, विकासकों की बैठकों पर बैठकें बुलाई और हर बार मुझे इस कानून को खारिज करने की और इन शंकाओं को निर्मूल करने की सलाह मिली कि यह कानून अब नहीं रहेगा। तब हम निर्माण-उद्योग को शुरू करेंगे। मैंने उनकी यह सलाह मान ली।

मैंने फिक्की, एसोसिएटेड चैम्बर्स को बुलाया और परिसंघों को भी बुलाया। कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मैंने भारत के सारे भवन-निर्माताओं को या इनमें से कुछ को या फिर उनको जिनका भवन निर्माण उद्योग से कुछ भी लेना-देना है, न बुलाया हो। सर्वसम्मत सलाह जो मुझे मिली, वह यह थी कि इस कानून को खारिज करें और देखें कि निर्माण कैसे शुरू होता है। मैंने इसे एक अध्यादेश के द्वारा खारिज किया क्योंकि अन्यथा फिर 19 मार्च आ जाता और मैं भवन निर्माण उद्योग को यह आश्वासन देने में समर्थ नहीं होता कि अर्थव्यवस्था की तेज शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैंने वहां मौजूद सारे लोगों से कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था खुद से शुरुआत नहीं पाती। यह उधार की सोच है। यह उनसे ली गई है जो अर्थव्यवस्था पर काम करते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए आखिर खुद को ही तैयार करना होता है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि सभी भवन निर्माता और उद्यमी स्वयं को इस वास्ते तैयार कर लेंगे। जैसे ही वे इस खारिजी के बारे में आश्वस्त होंगे।

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): यह पांचवां अध्यादेश है जिस पर सदन में बहस की जा रही है। इस सदन में छह अध्यादेश हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय को, राज्य सभा के एक माननीय सदस्य और बार के सदस्य होने के नाते, यह याद है कि उन्होंने अध्यादेश रखे जाने पर इसे सदन के साथ धोखेबाजी कहकर आपत्ति जाहिर की थी? ये वही तर्क हैं जो उस पक्ष से दिए जाते हैं, जब हम या कोई अन्य व्यक्ति वहां बैठे हों। या क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि वे जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी यही किया था?

श्री राम जेठमलानी: मैं नहीं जानता कि जब मैंने बोलना शुरू किया था तब माननीय सदस्य उपस्थित थे या नहीं। मैं नहीं समझता कि ये यहां उपस्थित थे। मैंने कहा था कि मैं स्पष्ट करूंगा कि इसकी जरूरत क्यों है। मैंने अपने पूरे भाषण के दौरान यह स्पष्ट किया भी कि यह क्यों जरूरी था। मैंने समझाया कि अध्यादेश क्यों आवश्यक था क्योंकि इसके बिना उ[illegible]्योग को शुरुआत नहीं मिल सकती है।

श्री ए.सी. जोस: यह वही तर्क है जिसे माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया था।

सभापति महोदय: आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री राम जेठमलानी: मुझे खेद है। लेकिन पहले कभी मैंने ऐसा ही तर्क दिया था पर माननीय सदस्य ने उसे स्वीकार नहीं किया।

मैं पूरी गंभीरता से इस सभा से अपील करता हूं कि मेरी प्रार्थना है कि वह इस निरनुमोदन-संकल्प को अस्वीकार करे, उस गलत कानून को विधान-पुस्तिका से हटाने की अनुमति दे जो पिछली एक सदी के चतुर्थांश से चला आ रहा है और आवास उद्योग को उसका कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दें, फिर हम दखेंगे कि जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं, वे आवेंगे और मुझसे कहेंगे कि जो ताना मारते थे, वे ही अब खैरख्वाह बन गए हैं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

''कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

सभापति महोदय: श्री के.एस. राव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नारायण मीणा (कोटा): मंत्री जी को बाद में बोलना चाहिए था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राघवन पहले ही प्रस्ताव पेश कर चुके हैं अब आप क्या कहना चाहते हैं? वे पहले ही बोल चुके थे।

[हिन्दी]

सबका नाम पुकारने की जरूरत नहीं है। उस आर्डर में जिनका नाम पहले है उनको बुलाया गया है, इसलिए अब आप नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

श्री राम नारायण मीणा: मैं वहां मौजूद था। अपने मेरा नाम नहीं पुकारा।

सभापति महोदय: वह उस क्रम सूची में था।

श्री राम नारायण मीणा: जो सदस्य नहीं बोले हैं, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: यह तब होगा जबकि सभी वक्ता अपनी बात कह चुकें।

श्री राम जेठमलानी: मझे एक बात पूछनी है। मैं समझता हूं कि हम आज 6 बजे तक बहस समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: शायद आठ बजे तक है। श्री राम नाईक जी, क्या डिसीजन है।

श्री राम नारायण मीणा: देश में अधिकतर गरीब हैं। मुझे यहां पर पब्लिक ने भेजा है। मैं करोड़ों लोगों की बात कहने आया हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): शिव शंकर जी, माननीय सदस्य को जरा समझाएं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): गरीब की बात बोलने दें।

सभापति महोदय: इसमें कोई गरीब-अमीर की बात नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शिव शंकर, आप मेरी सहायता करिए।

...(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी: महोदया, मैं 15-20 मिनट के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक सम्मेलन का उद्घाटन करना है।

सभापति महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि अभी जो बिल चल रहा है वह और इसके बाद पेटेंट बिल, दोनों आज ही पास करने हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ी तो देर तक बैठेंगे।

सभापति महोदय: अब इस पर डिसकशन शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: यह निर्णय सभा को लेना है। सभा की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ायी जा सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नारायण मीणा (कोटा): पूंजीपतियों के लिए बिल आता है, हम गरीबों की बात नहीं बोल सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जो बोल रहे हैं कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री राम नारायण मीणा: ...*(व्यवधान)* (कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।)

सभापति महोदय: शिवशंकर जी, आप अपने सदस्य को समझाएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप रूल्स नहीं जानते हैं, एक बार रूल्स की किताब पढ़ें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मीणा, आप अध्यक्षपीठ की निष्ठा पर शक कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम): सभापति महोदया, माननीय मंत्री ने यह बताने के लिए कि वर्तमान कानून असफल हैं; कैसे इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया: कैसे इससे मूल्य बढ़े; और वैसे अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण में सरकारें नाकामयाब रहीं, बहुत प्रयास किया और अपने अधिकार क्षेत्र की सभी भाषाओं का प्रयोग किया।

अपराह्न 5.38 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुये]

मैंने माननीय मंत्री के प्रत्येक वाक्य को सुना। विधेयक में उन्होंने लिखित तौर पर जो वर्णित किया है और अभी भाषण में जो कुछ कहा, उसमें अन्तर्विरोध था। उददेश्य और कारणों संबंधी कथन में उन्होंने जो बताना उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "आपातकाल के दौरान प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 लाया गया था"

अब, अपने जवाब के दौरान उन्होंने इसे गरीब विरोधी कहा। उन्होंने स्थायी समिति के कई सुझावों को उद्धृत करते हुए कहा कि समिति अधिनियम को समापत करने की पूरी पक्षधर है। इस मामले में समिति ने जो कहा है, उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ:

> "उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के पैरा चार के अनुसार विधेयक का एक उद्देश्य अनुचित कमी की स्थिति में रह रहे लोगों रहने योग्य भूमि उपलब्ध कराना है जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत है।"

जबकि विधेयक में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि सरकार कैसे इस उद्देश्य को पूरा करने का विचार रखती है, विशेषकर उस समय जब अधिनियम को समाप्त करने के बीच इसका अतिरिक्त भूमि पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।'

जो भी उन्होंने कहा उसमें और रिपोर्ट में अन्तर्विरोध है। मैं कुछ और उदाहरणों को उद्धृत करूंगा। कुछ अन्य जगहों पर रिपोर्ट कहती है:

"समिति का मानना है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त करने से, जहाँ तक जमीन के मूल्य का संबंध है, बाजार की शक्तियां बिना बंधन के अपना काम करेंगी, इस पर कोई विवाद नहीं है "आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को बाजार की शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता।

यह भी उनके द्वारा किये प्रस्ताव के विरुद्ध है। दूसरे पैरा नं. 2.13 में यह पूछने पर कि क्या भूमि हदबंदी अधिनियम के

अंतर्गत घोषित अतिरिक्त भूमि का आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को शरण देने के प्रावधान से कोई सीधा संबंध है, सचिव ने कहा 'यह सच है कि कोई भी सीधा संबंध नहीं है। 'इसी तरह एक और पैरा में, जब समिति ने इंगित किया कि भूमि हदबंदी अधिनियम के निरस्त होने के बाद भूमि समाज के कमजोर तबकों हेतु मकान निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, सचिव ने कहा 'भूमि के मुक्त होने के बाद उसका विकास करने वाले को सरकार के पास स्वीकृति हेतु आना होगा'' तब कमजोर तबकों के प्रयोग हेतु एक भूमि का विशेष हिस्सा उपलब्ध कराने हेतु अलग नियम बनाने होंगे। इसी तरह प्रत्येक पैरा में समिति की रिपोर्ट संकेत करती है कि अधिनियम को निरस्त करने से गरीबों और देश को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की सहायता का उद्देश्य हल नहीं होता है। सिवाय इस एक राय के कि वर्तमान अधिनियम लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। मेरा भी यही मत है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रबुद्ध मंत्री महोदय ने अधिनियम को इसलिए निरस्त करने या पूरी तरह से खारिज करने के बारे में सोचा क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ भ्रष्टाचार पाया, खामियां पायीं, कमियां पायीं। उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया कि वे भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने हेतु इस अधिनियम की कमियों के कारण वह इसे निरस्त करना चाहते हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं, जो अभी यहाँ हैं कि क्या यही मानदण्ड डी.डी.ए. हेतु भी अपनाये जायेंगे जहां सब जानते हैं कि खूब भ्रष्टाचार है? क्या वे डी.डी.ए. को समाप्त कर देंगे? क्या यही मंत्री विधि मंत्री को अगर देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो न्यायपालिका के उचित रूप से चलाने हेतु संशोधन, परिवर्तन और सुधार की बजाय न्यायालयों को समाप्त करने का सुझाव देंगे? इसी तरह 1958 से या और भी पहले से यह सर्वज्ञात है कि पी.डब्ल्यू.डी. में जहाँ परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार है क्या सरकार पूरे देश से सम्पूर्ण पी.डब्ल्यू.डी. को समाप्त करने के बारे में सोचेगी? क्या सिर्फ यही हल है कि कुछ कमियों के कारण अधिनियम निरस्त कर दिया जाये? ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोसः यदि मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों, तो क्या मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए?

श्री के.एस. रावः यही बात मेरे मित्र कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अधिनियम की कमियों का समर्थन कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं इसमें कोई संशोधन नहीं चाहता, लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है कि मंत्री और सरकार को, इसमें कहाँ कमी है, कैसे सुधारा जाये और इस अधिनियम के प्रशंसनीय उददेश्यों को पूरा करने के लिए, विचार करना चाहिए। उन्होंने विधेयक के उद्देश्यों में प्रशंसनीय उद्देश्यों के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि चूंकि भ्रष्टाचार है, अधिनियम असफल रहा है, अतः मैं इसे निरस्त कर रहा हूं। लेकिन अब इससे उन्हें क्या मिलने वाला है? वह सच नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि अधिनियम को निरस्त करने की चर्चा के बाद देश में भूसम्पदा के मूल्य गिरे हैं। यह सच नहीं है। किसी भी शहर में यह पता किया जा सकता है चाहे यह मुम्बई हो, बंगलौर हो या दिल्ली हो। हां दिल्ली में कुछ मूल्य गिरे हैं लेकिन इस कारण नहीं। कई लोगों ने पिछले वर्षों में फ्लैट दाम बढ़ने का अनुमान लगाकर खरीदे थे। अब इन फ्लैटों का कोई खरीददार नहीं है, अतः दाम गिरे।

हैदराबाद में भूमि के मूल्य नहीं गिरे हैं। हैदराबाद में पिछले 10, 15 या 20 वर्षों में अनुमान लगाकर मूल्य निर्धारण नहीं किया गया था। मुंबई, बंगलौर, चेन्नई या दिल्ली की तरह हैदराबाद में दाम ऊंचे नहीं चढ़े थे। इसी कारण दिल्ली, बंगलौर और मुंबई में दाम गिरे, हैदराबाद में नहीं। अतः उनका यह कथन कि अभी इस घोषणा से कि अधिनियम निरस्त होने वाला है, से भूसम्पदा के दाम गिरे, असत्य है यह सच से बहुत दूर है। वे इस ख्याल में न रहें कि वह देश की सेवा कर रहे हैं या अधिनियम निरस्त करके वह मूल्य कम कर रहे हैं।

महोदय, मैं उनके द्वारा की गई अनेक परस्पर विरोधी टिप्पणियों का उद्धरण दूंगा। उन्होंने कहा है कि ''इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है कि इसमें से कोई भी उस पर गर्व नहीं कर सकता।'' उनके अपने वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करते समय कहा है कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था पर गर्व है। हमें किसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? सरकार एक ही है। एक मंत्री कहता है, उन्हें गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, मजबूत है और उसे लेकर कोई चिन्ता करने और कोई शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है लेकिन दूसरा मंत्री कहता है उसमें गर्व वाली कोई बात ही नहीं है। मैं इस विधेयक के उद्देश्यों को एक बार फिर पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है किः

> ''प्रस्तावित निरसन, कुछ अन्य प्रोत्साहनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण से स्थिर आवास निर्माण उद्योग के पुनरुद्धार की प्रत्याशा है।''

विधेयक में यह भी कहा गया है कि निरसन से सस्ते आवासीय मकान भी उपलब्ध हो सकेंगे। यह आवास निर्माण उद्योग का पुनरुद्धार कैसे कर सकेगा? इस समय देश में कुल भूमि, जिसे फालतू खाली भूमि कहा जाता है, 2.2 लाख हेक्टेयर है। उसमें से मौजूदा कानून के अंतर्गत 60,000 हेक्टेयर भूमि पहले ही इससे मुक्त है। शेष बची जमीन 1.5 लाख हेक्टेयर है। इस अधिनियम

[श्री के.एस. राव]

के निरसन से, क्या धनी व्यक्ति, जो इसे खरीदेगा, इसे मुफ्त में बेचेगा अथवा क्या केवल 30 प्रतिशत कीमत पर बेचेगा? लगभग यह सारी की सारी जमीन शहर के बीचोंबीच अथवा शहर के इर्दगिर्द स्थित है। यह शहर के बाहर रिहायशी स्थानों से दूर नहीं है। यदि कल को यह अधिनियम निरसित होता है और जमीन उपलब्ध हो जाती है तो इस खाली जमीन को खरीदने की क्षमता केवल धनी व्यक्तियों के पास ही होगी। वे लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान नहीं बनाएंगे। आप इस स्थिति का जायजा व्यापार के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं अर्थात् गरीबों के लिए मकान बाकर बेचने से जो लाभ व्यापारी को होता है वह बहुत मामूली होता है क्योंकि गरीब के पास क्रय क्षमता न के बराबर होती है।

जब वह कहते हैं कि मुम्बई में फ्लैटों की कीमत मध्यवर्गीय अथवा उच्चवर्गीय व्यक्तियों की भी पहुंच से बाहर हो गई है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा अटकलबाजियों के कारण है। ऐसा क्रय क्षमता के कारण है और क्रय क्षमता केवल अमीरों के पास है, न कि गरीबों के पास। इस प्रकार, इस अधिनियम के निरसन से यह सारी की सारी अधिशेष जमीन केवल अमीरों के हाथ में चली जाएगी। अमीर आदमी इस व्यक्तिगत लाभ और अधिकाधिक धनोपार्जन को मद्देनजर रखते हुए पांच सितारा होटल का निर्माण करेगा। वह ऐसी आवासीय इकाइयों का निर्माण करेगा जिससे उसे अच्छा से अच्छा लाभार्जन हो सके। वह फ्लैटों का निर्माण करेगा जिससे उसे करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। वह कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण नहीं करेगा। फिर, हमेशा की भांति, गरीब आदमी को उसकी तकदीर पर छोड़ दिया जाएगा, जिसकी उन्होंने आलोचना की है। शुरू से ही, उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया है अथवा अन्यथा वह शहर के रिहायशी स्थानों से बाहर जाकर समाज से दूर रहता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी एक-दो शब्द इस बारे में भी बता सकते हैं कि इससे किस प्रकार गरीबों का हित होगा अथवा इससे किस तरह विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति होगी? मंत्री जी का वाक्पटुता से पूर्ण भाषण केवल इस अधिनियम के निरसन को लेकर है और उन्होंने विश्वासपूर्वक एक भी शब्द इस बारे में नहीं कहा है कि इसका प्रयोग गरीबों के लिए कैसे किया जा सकता है? आप एक भी सदस्य को आश्वस्त कीजिए कि निरसन से कीमतों में कमी आएगी अथवा इससे समाज के गरीब वर्ग को लाभ पहुंचेगा। क्या वह यह संशोधन नहीं ला सकते कि इसमें एक दूसरा खण्ड जोड़ा जायेगा जिसके अनुसार जब इस अधिशेष भूमि का धारक संबंधित कार्यालय में आएगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाली किसी भी प्रक्रिया को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार स्पष्ट रूप से कह सकती है कि 70 प्रतिशत भूमि का प्रयोग कमजोर वर्गों के लाभार्थ किया जाएगा और 30 प्रतिशत का प्रयोग वे जैसे चाहें, कर सकते हैं। इससे गरीब लोगों को भी शहर के बीच रहने का मौका मिलेगा। उसे शहर के बाहर नहीं भेजा जाएगा।

इससे वह भी संतुष्ट होगा और आपको समाज का विभाजन तथा कमजोर वर्गों को शहर के बाहर दूर इस तरह से नहीं भेजना पड़ेगा। मैं उन कुछ कारणों का उल्लेख करूंगा कि यह क्यों असफल हो गया। 1976 के मौजूदा अधिनियम के संबंध में खंड 11 (एक) कहता है कि "अधिशेष" खाली जमीन के प्रति वर्गमीटर के लिए 5 रु. अथवा 10 रु. का भुगतान किया जाएगा। जब जमीन का भाव 1,00,000 रु. प्रति वर्ग मीटर चल रहा हो तो क्या कोई भू-स्वामी अपनी जमीन 5 रु. प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देना चाहेगा। क्या इसका कोई औचित्य है? उसे ठीक करने की बजाय, आप अधिनियम का निरसन करना चाहते हैं। आप 1,00,000 रु. अथवा 50,000 रु. अथवा 10,000 रु. अथवा 5,000 रु. की बजाय 5 रु. देना चाहते हैं। अब, उसे यदि 1,00,000 रु. की दर से न सही तो कम से कम 70,000 रु. की दर पर बेचने की अनुमति दी जा रही है। आपको इस अधिनियम को निरस्त करने से क्या हासिल हो रहा है? आपको इस अधिनियम को संशोधित करना चाहिए।

उक्त अधिनियम की धारा 11(9) मामलों के निपटान से संबंधित है। भ्रष्टाचार क्यों है? धारा 6(1) के अंतर्गत जब अतिरिक्त खाली भूमि का धारक संबंधित अधिकारी को आवेदन करता है, तो अधिकारी के पास उस मामले का निपटान एक माह अथवा छः माह अथवा एक वर्ष के भीतर करने के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं होते हैं। केवल यही कहा जाता है कि इसका निपटान यथाशीघ्र किया जाए जिसका आशय 25 वर्ष भी होता है। दूसरे शब्दों में संबंधित मामले का निपटान 25 वर्ष के भीतर भी नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार का जन्म होता है।

उक्त अधिनियम में यह भी कहा गया है कि विवरणी न भरने पर दण्ड लगाया जाएगा। यदि मेरे पास फालतू खाली भूमि है तो मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करूं और विभाग को सूचित करूं कि मेरे पास कितनी पालतू खाली भूमि है। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो भूमि की जितनी लागत होगी उससे दुगुनी राशि मुझे दण्ड के रूप में देनी पड़ेगी। लेकिन भूमि की लागत कितनी है? किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तब मैं यह सूचना किस लिए दूं कि मेरे पास अतिरिक्त खाली भूमि है। यदि सरकार को इसका पता भी चल जाता है कि मेरे पास

अतिरिक्त खाली भूमि है, तो भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि उस भूमि की लागत की दुगुनी लागत कितनी होगी। आप स्वयं ही उस व्यक्ति को, जिसके पास अतिरिक्त खाली भूमि है, यह न बताने का अवसर प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार से आप उसे तथ्यों को छुपाने का मौका दे रहे हैं। अब आप अधिनियम को निरस्त करना चाहते हैं। आप उन्हें किस तरह सुधार रहे हैं अथवा उनकी सहायता कर रहे हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि आप इस अधिनियम को किस आधार पर निरस्त कर रहे हैं।

मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा। इस अधिनियम का उद्देश्य सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को रोकना, भूमि का समान वितरण करना, आम आदमी की सहायता करना और अतिरिक्त खाली भूमि का अधिग्रहण करना है। आप इन कार्यों में से एक कार्य और करने के लिए तैयार नहीं है। तब आप किस तरह कह सकते हैं कि पूर्व अधिनियम गरीबी विरोधी है और यह अधिनियम गरीबों के हित में है? आप भ्रष्टाचार पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप इस अधिनियम को निरस्त कर रहे हैं। कृपया इस पर विचार करें।

जैसे ही आपकी सरकार ने सत्ता संभाली, आप अनिवार्य वस्तु अधिनियम लेकर आए। उस दिन हम सभी ने यह सोचा था कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम एक कठोर कानून है फिर भी व्यापारिक समुदाय मिलावट का आश्रय ले रहा है। जब कृषक समुदाय के 350 लोगों ने आत्महत्या की तो सभा ने उस मुद्दे पर चर्चा की। यदि आप इस अधिनियम में संशोधन करते हैं और सजा को घटाते हैं, जमानत का प्रावधान करते हैं, कैद की अवधि को घटाते हैं और जुर्माना राशि को कम करते हैं—तब आप व्यापारिक समुदाय से किस तरह आशा कर सकते हैं कि वे अपने चरित्र और पूर्ण निष्ठा को बनाए रखेंगे? जब हमने इसका विरोध किया हो आप सहमत नहीं हुए और यह मामला समिति को सौंप दिया गया। अब आपने उस विधेयक को वापस ले लिया है और आप कहते हैं कि आप एक और अधिक कठोर विधेयक लाएंगे। यदि आप एक और अधिक कठोर विधेयक ला रहे हैं तब आप इस विधेयक में संशोधन क्यों लाए? यही स्थिति इस अधिनियम के मामले में भी है। कृपया इस पर विचार करें। आपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अनिवार्य वस्तु अधिनियम, जिसे आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रस्तुत किया गया था, वापस ले लिया है और अब आप संसद में यह कह रहे हैं कि आप इस अधिनियम में कड़े प्रावधानों को लाएंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शहरी भूमि (परिसीमन और विनियमन) अधिनियम की स्थिति भी ऐसी ही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं पूर्व अधिनियम का समर्थन कर रहा हूं। हम इस बात को मानते हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं। इसने अपने कर्त्तव्यों का वहन नहीं किया है। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए न कि हम इस अधिनियम को निरस्त करें। जोशीले भाषण देकर अथवा कानून अथवा भाषा पर नियंत्रण करके हम गरीबों की सहायता नहीं कर सकते हैं।

मंत्री महोदय ने चीन सहित कई बातों का उल्लेख किया है और वहाँ आवास संबंधी कार्यकलाप निजी तौर पर चलाए जाते हैं। निजीकरण एक अलग बात है और इस देश में शहरी भूमि (परिसीमन) अधिनियम को निरस्त करना एक अलग बात है। हम इस अधिनियम में जो कुछ भी कर सकते हैं, हम करें लेकिन इस तरह करें जो हमारे देश और उसकी परिस्थितियों के अनुरूप हों। चीन में परिस्थितियां क्या हैं और भारत में परिस्थितियां क्या हैं? वे किस प्रकार शासन करते हैं और हम किस प्रकार शासन करते हैं? हम यह नहीं कह सकते कि चूंकि चीन ने निजीकरण को स्वीकार कर लिया है इस शहरी भूमि (परिसीमन) अधिनियम को निरस्त कर रहे हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? मंत्री ने बहुत ही गर्वीले अंदाज में कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता जय रमेश द्वारा इस अधिनियम को खराब कानून और घटिया अर्थव्यवस्था कहा गया। मैं यह भी कहता हूं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसने अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि जय रमेश ने इस अधिनियम को निरस्त करने का समर्थ किया है? क्या उन्होंने यह कहा कि इस अधिनियम को निरस्त किये जाने के बाद यह गरीबों के हितों की रक्षा करने वाला होगा? इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह अधिनियम तत्कालीन परिस्थितियों में गरीब विरोधी था। इस मुद्दे पर मंत्री को विचार करने दिया जाये। हमें इन उद्देश्यों से अब इन खामियों को दूर करना चाहिए। साथ ही उन उद्देश्यों को भी पूरा किया जाना चाहिए जो अधिनियम में व्याप्त खामियों के कारण पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है कि यह कांग्रेस सरकार या दूसरी सरकार द्वारा बनाया गया था। इसलिए मैं इस अधिनियम का समर्थन और विधेयक का विरोध करता हूं। सच्चाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के निरस्त होने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सवाल यह उठता है कि यह मजबूती कैसे होगी? क्या इस अधिनियम के निरस्त हो जाने से लाखों मकान बन पाएंगे? गौरतलब है कि यह जमीन अमीरों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्री महोदय ने पुणे में स्वयं कहा कि चालीस हजार मकान जो मध्यम, उच्चतर मध्यम और अमीर श्रेणी के लोगों के लिए बनकर तैयार हैं को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। भूमि निर्मुक्त करने से सिर्फ अमीर वर्ग ही लाभान्वित हो पाएंगे जो

[श्री के.एस. राव]

भूखंड लेकर दूसरे जगह मकान बना लेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि निचले तबके के लोग घर बनाने में सक्षम नहीं होंगे। उन औद्योगिक गतिविधियों का क्या होगा जो तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ अगर वे सत्तर फीसदी जमीन गरीबों के लिए आबंटित कर दें तो सरकार किसी निजी संस्था से उन जमीनों पर लाखों घरों के निर्माण का कार्य कर सकती है। उन्हें कहने दीजिए। इस प्रकार तभी यह संवृद्धि सार्थक होगी। अमीरों को जमीन आबंटित करने से औद्योगिक गतिविधि नहीं बढ़ेगी। मुंबई में अमीरों के लिए बहुत सारी जगहों पर बने मकानों को बेचा नहीं जा रहा है। मुंबई में वे सभी लोग जानते हैं कि विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए मकान ताला और चाभी तक सीमित हैं। वे उन मकानों को इस भय से किराया पर नहीं लगा रहे हैं कि उन्हें उनकी वापसी का भरोसा नहीं है केवल इस अधिनियम के निरस्त होने से किसी प्रकार की विकास-पूर्व गतिविधि में वृद्धि की संभावना नहीं है। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इस अधिनियम के निरस्त हो जाने से गरीब तबका किस प्रकार लाभान्वित होगा?

इस प्रतिवेदन के प्रत्येक पैरा में स्थायी समिति ने कहा है कि यह विधेयक के समर्थन में नहीं था। उन्होंने इसका कभी समर्थन नहीं किया। मंत्रीजी ने कहा कि वे सभी लोग इसके निरस्त होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके प्रत्येक पहलू पर आशंका जतायी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक इस मसले का कोई विश्लेषण नहीं किया है कि क्या इस अधिनियम को निरस्त किये जाने पर इसके उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

मंत्री जी ने कहा कि पूर्व सरकार को यह विधेयक लाने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस अधिनियम को सिर्फ निरस्त किया जाना ही बहादुरी नहीं है बल्कि राष्ट्र और गरीब इससे कितना प्रभावित होगा यह भी एक मसला है। अगर इस दिशा में मंत्री महोदय कुछ कार्य करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे चाहे वे किसी भी दल या संस्था के हों। यह कहना ठीक नहीं है कि दूसरे लोगों को इस अधिनियम को निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं है।

मैं माननीय मंत्री को एक बार फिर सुझाव देना चाहूँगा कि इस अधिनियम को निरस्त करने के बदले इसमें कुछ सुधार कर प्रस्तुत किया जाए। वे उन सभी बिंदुओं को हटा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि भू-स्वामियों के पास जो अतिरिक्त खाली जमीन है उनका ब्यौरा प्रस्तुत करे और बचे हिस्से को अपने पास रख लें। अगर इस बारे में अधिक दंड की व्यवस्था हो तो वे स्वयं आगे आएंगे। अन्यथा बिना किसी भुगतान के वे जमीन उनसे ले लेंगे।

सायं 6.00 बजे

इस प्रकार के कड़े उपायों से कुछ सहायता मिल सकती है पर इससे नहीं। उपलब्ध भूखंडों पर मकानों के निर्माण के लिए उदारीकरण की आवश्यकता है। इन जटिलताओं को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण को जमीन नहीं आवंटित किया जाना चाहिए। आपने दिल्ली में भी सारी जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करने के लिए छोड़ दिया। एक सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण किस प्रकार दिल्ली निवासियों के लिए मददगार है। हकीकत यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दस लाख में जमीन खरीदकर दो करोड़ में बेचती है। इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से भ्रष्टाचार किस हद तक होगी। सवाल यह उठता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण किस प्रकार देश के निवासी को मदद करेगा। लेकिन यदि आप इसे उदार बना देते हैं और लोगों को सीधे भूस्वामियों से भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं तो भूस्वामी को अधिक पैसे मिलेंगे और साथ ही भूमि कम दाम में उपलब्ध होगी। लेकिन आप प्रतिबंध लगाते हैं और बीच में किसी संगठन को शामिल करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यदि आप ऐसी चीजों को समाप्त कर दें, तो हमें प्रसन्नता होगी। अतः वहां उदारीकरण की जरूरत है न कि अधिनियम को समाप्त करने की।

महोदय, जब एक माननीय सदस्य ने यह बताया था कि दो छोटे राज्यों ने अधिनियम को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा था के बारे में माननीय मंत्री ने दूसरी बात कही। इससे प्रोत्साहित होकर वह अधिनियम को समाप्त कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में छोटे व बड़े राज्य जैसा जिक्र नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा था। लेकिन चूंकि दो छोटे राज्यों ने अधिनियम समाप्त करने के लिए कहा तो क्या आप बिना अन्य राज्यों से पूछे वही बात उन पर भी लागू करेंगे।

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, अब 6 बजे हैं। अगर सभा सहमत हो तो हम समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय: हां, क्या सभा समय बढ़ाने के लिए तैयार है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय, इसे सात बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय: ठीक है, सभा का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री के.एस. राव, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव: जी हाँ, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से अधिनियम को समाप्त नहीं करने का अनुरोध करता हूं और चाहता हूं कि अधिनियम को लाभप्रद बनाने हेतु आवश्यक संशोधन लाये जाये, तथा सुनिश्चित किया जाए कि यह अधिनियम अपने उद्देश्य प्राप्त कर सके जैसे कि उन्होंने खुद ही इसके सराहनीय उद्देश्यों के बारे में बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): आदरणीय सभापति जी, अभी मेरे मित्र श्री राव ने कमेटी की रिकमेंडेशन्स को एक्सटैंसिली कोट किया है लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सारी चीजों को अधूरा क्यों समझा। अगर वे इस बात को समझते तो शायद रिकमेंडेशन्स को स्वीकार करने की जो टिप्पणियां की हैं, आशंका प्रकट की गई हैं, उनमें भ्रान्ति नहीं होती।

सभापति महोदय, पैराग्राफ 2.18 में अधिनियम की सफलता और विफलता के बारे में दिया गया है। कमेटी नोट करती है:

> "कि सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम गत 22 वर्षों तक लागू रहने के दौरान 19 हजार 82.2 हैक्टेयर भूमि को वास्तविक रूप से कब्जा किया था। इसमें से 10 हजार 909.85 हैक्टेयर भूमि को अधिनियम के लिए उपयोग में लाया गया है। शेष 8172.37 हेक्टेयर भूमि किसी न किसी कारण उपयोग में नहीं लायी जा सकी। विधेयक के उपबंधों के अनुसार वह भूमि जिसके लिए उपयोग में लाई गई हो, वह उसी व्यक्ति को लौटा दी जानी होगी जिसे उससे ली गई थी।
>
> समिति महसूस करती है कि जिस भूमि को अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाना शेष है तथा वास्तव में भूमि सरकार के कब्जे में है, उस व्यक्ति को नहीं लौटाया जाना चाहिए जिसे उससे लिया गया हो।"

सभापति महोदय, मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन इस अधिनियम में जिस भ्रष्टाचार के नये मानदंड और कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं, छोटे लैवल के दफ्तरों में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ाया, वह अपने आप में अद्भुत था। पहले एकमुश्त रिश्वत मांगी जाती थी लेकिन नगर भूमि सीमा अधिनियम ने गजों में रिश्वत कर दी कि कितनी वर्गमील भूमि तुम्हारी छूट रही है, उतने उस गज के हिसाब से पैसे रिश्वत में दे दो। रिश्वत का बोलबाला जितना इस मामले में हुआ है, उतनी निर्लज्जता के साथ कहीं नहीं हुआ है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना पैसा सरकार ने इसकी ऐक्वीजीशन पर खर्च किया या जितनी जमीन अधिग्रहीत की, उसके मूल्य से कितना गुना ज्यादा रुपया उन अधिकारियों और स्टाफ की जेबों में चला गया जिन्होंने रिश्वत के रूप में इसकी परमीशन दी है या इसका अधिग्रहण किया है।

मान्यवर, शहरी भूमि सीमा कानून के लागू होने के कारण शहरी भूमि के मूल्य बढ़ गए। किसान लुट गया। जो किसान छोटी खेती करता था शहर के आस-पास के क्षेत्रों में, उसकी जेब पर डाका डाला गया और सामान्य व्यक्ति के लिए जमीन के मूल्य बढ़ गए। इसलिए भवन बनाना उसके लिए असंभव हो गया। भूमि के मूल्य आसमान को चूमने लगे। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक ओर तो जिस गरीब की बात मेरे मित्र ने कही, वह गरीब तो लुटा ही, दूसरे किसान जो गरीब था, वह भी लुट गया। लूट का ऐसा साम्राज्य चला जिसमें किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा केवल उन लोगों को हुआ जो पूंजीपति थे, इजारेदार थे और जो भ्रष्ट नौकरशाही से मिले हुए थे। इतना ही नहीं, सारे शहर की जो सिविक एमिनिटीज थीं, उनकी व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो गई। उसका कारण यह रहा कि बाबू को पैसे दिये, अधिकारी को पैसे दिये और उसने चुपके से कह दिया कि मकान बना लो। झोपड़ियां खड़ी हो गईं, मकान खड़े हो गए, अवैध बस्तियां बन गईं। उनके ऊपर जो नागरिक सुविधाओं का वजन आना चाहिए था, उसके प्रतिकूल कालोनियां बस गईं तो वह ढांचा उस वजन को झेलने की स्थिति में नहीं था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन-जिन शहरों में भूमि सीमा कानून लागू हुए, वहां का सारा इनफ्रास्ट्रक्चर और सिविक ऐमेनिटीज ध्वस्त हो गए। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, वहां की सीवर लाइन चोक मिलेगी और पेयजल की उपलब्धता का अभाव मिलेगा। वहां की सड़कें टूटी-फूटी मिलेंगी। कारण यह है कि व्यवस्थाएं, इतने बड़े पॉपुलेशन क्लस्टर्स और अनियोजित तरीके से बनी कालोनियों के लिए नहीं

[श्री भगवान शंकर रावत]

बनाई गई थी। इसके साथ ही जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहीत की गई, जैसा मैंने कहा कि उसका कोई जवाब नहीं है कि गर्जो में लोगों से रिश्वत ली गई। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े अधिग्रहीत किये गए। उन अधिग्रहीत टुकड़ों से न तो कलोनियां बन सकती थीं, न गरीबों का भला हो सकता था। उसी का दुष्परिणाम है कि विपुल मात्रा में जमीन पर कब्जा सरकार नहीं ले सकी और लिया भी गया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वह जमीन बेकार और बंजर पड़ी हुई है। उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कागजों में छूट प्रदान करने के लिए फाइलों पर खाली मैदानों में झोपड़ियां दिखा दी गई, मौके पर नहीं, और फिर छूट दे दे गई। भ्रष्टाचार जिस सीमा तक किया जा सकता था, उसके नये-नये आयाम देखने को मिले। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुआवजा जो इस अधिनियम में दिया जाता है, उसके विपरीत अगर भूमि अर्जन कानून में किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाए तो उसका आप मुआवजा अवश्य देंगे और यहां पर मुआवजा बहुत नौमिनल यानी कम देंगे और वह मुआवजा भी नकद रूप मे न देकर पांच साल के बाण्डों में देंगे। जो गरीब किसानों के मसीहा बन रहे हैं, गरीब किसानों के घरों में जाकर देखें जिनकी सारी समृद्धि इस अधिनियम ने बरबाद कर दी, जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है क्योंकि सारी जमीन और खेत भूमि अधिग्रहण कानून ने रोक दिये और रोके ही नहीं बल्कि उनके भाग्य को सील कर दिया है। यह किसान विरोधी कानून था। इसको समाप्त करने से किसान को भी राहत मिलेगी।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उनकी जमीन वापस हो जाएगी क्या?

श्री भगवान शंकर रावत: हां, होगी। मैं वही बताने जा रहा हूं।

अभी उन्होंने गरीबों की राहत की बात कही कि अमीरों को फायदा हो जाएगा और गरीबों को राहत नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ जो सर्कुलर जारी किया है, अगर वह सर्कुलर देखें तो वह ठीक वही है जो इस कमेटी की रेकमंडेशन में कहा गया है।

लेकिन मेरे मित्र शायद यह भूल रहे हैं, वे कहते हैं कि मुम्बई में रेट नहीं गिरे हैं, मुम्बई में रेट तब गिरेंगे, जब यह कानून वहां लागू होगा। यह कानून केवल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लागू होगा। उसके आगे जब मुम्बई की सरकार इसे अडॉप्ट कर लेगी तो वहां के रेट गिर जायेंगे। लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में अगर वैस्ट बंगाल की सरकार या और कुछ प्रदेशों की सरकारें इस कानून से गरीबों का शोषण करना चाहती हैं, उनका खून चूसना चाहती हैं, बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देना चाहती हैं तो उस स्थिति में इस सरकार के मंत्री जी कुछ नहीं कर पायेंगे और न ही दाम गिरेंगे। दाम तब गिरेंगे, जब यह कानून लागू होगा। लोगों ने जो लैंड वेकेन्ट रखी हुई हैं, मान लीजिए इस एक्ट के बन जाने के बाद जिन लोगों में वेकेन्ट लैंड है, वहां लोगों ने यह एक धंधा बना रखा है कि जमीन लेकर पटक दो, पड़ी रहने दो, दाम बढ़ रहे हैं। यदि वेकेन्ट लैंड पर टैक्स लगाया जायेगा तो उसकी उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोकल बॉडीज को पैसा भी मिलेगा। शहरों में जो हालत खराब हो गई हैं, उस हालत को ठीक करने के लिए अवसर मिलेंगे और फिर संसाधन भी मिलेंगे।

सभापति महोदय, कुछ मित्रों ने कहा है कि ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. के मकानों का क्या होगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 22 साल में कितने ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. के मकान इस एक्ट के तहत जमीन एक्वायर करके लोगों को बनाकर दिये गये। वास्तविकता यह है कि अगर कॉलोनाइजर की कालोनी का नक्शा पास किया जाना है तो उसके अंदर यह कंडीशन दी जा सकती है कि इतने परसेंट लैंड में इतने टेनामेन्ट्स गरीबों के लिए बनाने पड़ेंगे, यदि वह बनाने के लिए तैयार होगा तो उसका नक्शा पास होगा, ले आउट एक्सेप्ट होगा या उसका बिल्डिंग प्लान एक्सैप्ट होगा। एफ.ए.आर. बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उनको कुछ सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उनकी सरकार के मंत्री श्री लालजी टंडन ने आते ही यह व्यवस्था कर दी कि हम एफ.ए.आर. बढ़ाते हैं और यह कह दिया कि जो कालोनाइजर छोटे-छोटे गरीबों के लिए मकान बनाना चाहता है, हम उसे एफ.ए.आर. बढ़ाकर दे देंगे। जो एग्जिस्टिंग हाउसेज थे, उनमें भी एफ.ए.आर. बढ़ा दिया गया और एफ.ए.आर. बढ़ाकर बिल्डर्स को प्रोत्साहन देकर यह शर्तें लगा दी कि अगर गरीबों के लिए इतने परसेंट मकान बनाओगे तो हम एफ.ए.आर. में उसको कम्पेनसेट कर देंगे, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन यह तब संभव होगा जब बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू होंगी।

सभापति महोदय, भू उपयोग के परिवर्तन का मामला है। इस समय नोटों से भू परिवर्तन होता है। नोटों की तराजू से तुलता है। उसको नोटों से तौलने की जगह मास्टर प्लान में जब लैंड यूज का चेंज आप करने जा रहे हैं, भू उपयोग का परिवर्तन करने जा रहे हैं तो उसमें तय करिये कि मास्टर प्लान के अंदर छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए या अन्य सोशल एक्टिविटीज या हरित पट्टिका

के लिए जो जमीन है, यदि उस पर कोई मकान बनाना चाहता है तो यह मकान केवल ई.डब्ल्यू.एस., आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग और अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बनाने आवश्यक होंगे, कंपलसरी होंगे। यह व्यवस्था करके आप लैंड यूज की जगह छोड़ सकते हैं। आप भूमि बैंक बनाइये, आपके पास जो दस हजार हैक्टेअर भूमि है, जिसका आप अभी तक उपयोग नहीं कर सके हैं, सरकार लैंड एक्वायर करे, जहां सस्ती जगह मिल सकती है और भूमि बैंक बनाकर, सस्ती भूमि अधिगृहीत करे और इस अधिनियम में जो जगह उपलब्ध हुई है, उसे लेकर भूमि बैंक बनाकर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराये जा सकते हैं।

सभापति महोदय, जो कालोनीज बनती हैं, एक यह तरीका हो सकता है कि उनमें वाणिज्यिक गतिविधियों की व्यवस्था की अनुमति देकर आप कह सकते हैं कि कालोनी के अंदर एक छोटा शापिंग आरकेड, बाजार बनाना होगा और उससे जो पैसा आयेगा, उस पैसे के माध्यम से गरीबों के लिए मकान बनाये जायेंगे, ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. के मकान बनाये जायेंगे और यह तब होगा जब इच्छाशक्ति होगी। हर बड़े शहर में विकास प्राधिकरण बने हुए हैं, उन विकास प्राधिकरणों के माध्यम से, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के माध्यम से आप उन क्षेत्रों में भू अर्जन करिये, लेकिन किसान के गले पर राजदंड की छुरी चलाकर नहीं, उसके पेट में कानून का चाकू मारकर नहीं, कानून के सहारे दिन-दहाड़े डकैती डालकर मत करिये। कानून के माध्यम से लैंड एक्यूजीशन एक्ट के प्रावधानों के माध्यम से उसकी जमीन एक्वायर करिये और उसके बाद गरीबों के लिए मकान बनाइये।

उससे कोई रोकता नहीं है, लेकिन हम लोग जो यह कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही डकैती डालकर माल छीन लें और समाजवाद के नाम पर छीन लें, गरीबों का गला काट दें, इस कानून के माध्यम से जो किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। हम इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे डकैती डालने वाले कानून को कोई समाज इजाजत नहीं दे सकता। दुनिया का कोई लोकतंत्र प्रेमी देश इजाजत नहीं दे सकता।

सभापति महोदय, देश में इस वर्ष के अंत तक 20 लाख इकाइयों की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थान और सरकार, अगर ये तीनों मिलकर निवेश करेंगे तो यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। मंत्री जी ने बताया भी था कि इससे 279 इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। मेरा कहना है कि इसमें बड़ा भारी इजाफा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सारी इकनौमी में जान आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र और मेमोरेंडम ऑफ गवर्नेंस जो बनाया है उसके अंदर भी यह फैसला लिया और घोषणा की थी कि हम गरीब लोगों को मकान बनाकर देंगे और इस देश की आवास समस्या को हम हल कर देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं जेठमलानी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके सहयोगियों को कि उन्होंने जो कहा, उसे करके दिखाने की ओर बड़ी दृढ़ता और गंभीरता के साथ अग्रसर हुए हैं।

सभापति महोदय, ढांचागत सुविधा इस उद्योग को उपलब्ध करानी चाहिए। मेरा कहना है कि देश की शहरी आबादी 1991 की जनगणना के हिसाब से 21.7 करोड़ थी। इस समय शहरों में इनफ्लक्स बढ़ रहा है। लोग देहात से रोजगार की खातिर शहर को पलायन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह पलयान रुकेगा नहीं और सन् 2010 तक 43 करोड़ लोग शहरों की आबादी में आ जाएंगे। जब यह इतनी बड़ी समस्या है, तो फिर 10 हजार भूमि का अधिग्रहण करके वह भी बिना उपयोग के डाले रखना और सारे शहरों के विकास को रोक देना, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून के अंदर कुछ सावधानियां स्थायी समिति ने भी रिकमेंडेशन के रूप में दी हैं। कुछ मैंने भी अध्ययन किया है। इसलिए मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वे सावधानी बरतें। इसकी धारा 20 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम से छूट दिया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने अपने विवेक का पालन करते हुए जिन व्यक्तियों की भूमि प्रतिबन्धों और आदेशों के अंतर्गत छोड़ दी थी, वे प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। इसके कारण लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी व्यक्ति की जमीन राज्य सरकार ने नहीं छोड़ी और कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी तिकड़म के आधार पर, भ्रष्ट नौकरशाही से मिलकर, कानून का लाभ उठाकर, परिस्थितिजन्य लाभ लेकर जिसकी जमीन पर सरकार कब्जा नहीं कर सकी, उनको तो आपने जमीन वापस कर दी, लेकिन अगर राज्य सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस धारा के अंदर कुछ लोगों की जमीन सशर्त छोड़ी है, तो शर्तों की फांसी उनके गले पर न लगाई जाए, जिससे वे जमीन का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें।

महोदय, फार्म हाऊस के नाम एक बड़ा भारी स्कैंडल हुआ है जिसमें अगर कोई कहता है कि मैं फार्म हाऊस बना रहा हूं, तो जमीन छोड़ दी गई और उसके बावजूद फार्म हाउस के नाम पर वह जमीन रहेगी, शहरों के अंदर बड़े-बड़े फार्म हाउसों के नाम पर जमीन रहेगी, तो उसका दुरुपयोग होगा। एक तरफ लोग जमीन के लिए तरसेंगे और दूसरी तरफ फार्म हाउस के नाम पर जमीनें बनी रहेंगी, वह ठीक नहीं होगा।

[श्री भगवान शंकर रावत]

महोदय, धारा 10(3) के अंतर्गत शासन में निहित हो गई इस भूमि के, इस विधेयक बनकर लागू होने पर जो रैस्टोरेशन की प्रक्रिया है, पुन: वापसी की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है; मात्र इतना कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा दिया हुआ मुआवजा राशि की वापसी के बाद भूमि पुन: वापस कर दी जाएगी, रैस्टोर कर दी जाएगी। रैस्टोरेशन, बहाली की प्रक्रिया बाई फिक्शन आफ ला, यानी आटोमैटिकली होनी चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख रहे, जिससे वह वकीलों का पैरेडाइज न बन जाए, अधिकारियों का पैरेडाइज न बन जाए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत: जी हां, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

जहां मुआवजा नहीं लिया गया है, उन किसानों की भूमि की वापसी की प्रक्रिया भी ऑटोमैटिकली होनी चाहिए। धारा 4 में न्यायालय अधिकरण, प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामले स्वत: उपशामित, समाप्त हो जायेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार को धारा 34 में जो रिवीजन के अधिकार हैं वे उपशमित, यानी समाप्त नहीं होंगे, उनको उपशमित होने का प्रावधान होना चाहिए।

धारा 4 के अंतर्गत कब्जे संबंधी विवादों में पिछले आदेशों से पीड़ित व्यक्तियों ने उपयुक्तता के अनुसार अपनी आपत्तियां, अपील, रिवीजन या रिट के माध्यम से कर रखी थी, वे स्वत: समाप्त हो जाएंगी मगर जिन आदेशों से पीड़ित होकर उसने अपील, रिवीजन या रिट की थी, वह आदेश तो लागू रहेगा। इसमें यह क्लैरीफिकेशन नहीं है कि वह भी समाप्त हो जाएगा। इससे पीड़ित किसान को हानि होगी। यह कार्यवाही समाप्त नहीं होनी चाहिए, यह न माना जाए कि जिन व्यक्तियों ने कब्जे की वैधता को चुनौती दी, उन सब लोगों की आपत्तियां स्वीकृत मानी जाएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत: मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

धारा 10(3) में भूमि शासन में जाने के पश्चात् ...*(व्यवधान)* धारा 10(5) में शासन कब्जा लेता है मगर शासन कागजों में तो कब्जा ले लेता है लेकिन मौके पर शासन का कब्जा नहीं है, तब उस भूमि को भूस्वामी को वापिस किया जाना चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस जमीन पर सरकार का कब्जा है, वह तो रहेगी लेकिन बाकी वापिस हो जाएगी। जो कागजी कब्जे हैं, वे वास्तव में मौके पर नहीं हुए हैं। जो लेखपाल के खसरे से, कागजों से, इंदराज से तसदीक की जा सकती है, वैसे किसानों के साथ भी अन्याय न हो, यह मेरा सुझाव है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत: मैं एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

मैंने कमेटी की रिकमेंडेशन देखी है। उनके प्वाइंट्स में यह कहा गया था कि वे धारा 20 के बारे में छूट पर अपनी राय दें, लेकिन संयोग से शायद कमेटी के ध्यान में वह चीज नहीं आई है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कहना चाहूंगा कि धारा 20 की छूट के बारे में संसदीय स्थायी समिति ने कोई अभिमत प्रकट नहीं किया है, यद्यपि उनके समक्ष यह विचार बिन्दु था। धारा 20 के बारे में जो बात कही गई है, उसे सरकार स्वीकार करे क्योंकि इसमें यह चर्चा नहीं हुई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि जो कमियां हैं, उनको वे ठीक करने की कोशिश करें। स्टैंडिंग कमेटी की ऐनोमलीज में जो बातें बताई गई हैं या मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करके, जहां अधिनियम में संशोधन लाने की आवश्यकता हो, उसमें संशोधन लाएं या जहां रूल्स और रैगुलेशन्स बनाकर उन कमियों को दूर किया जा सकता है, वे बाई वे ऑफ नोटीफिकेशन इसे पूरा करें, यही मेरा आग्रह है। यह क्रान्तिकारी परिवर्तन है जो इस देश को नई दिशा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं।

सायं 6:22 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सायं 6.23 बजे

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक–*जारी*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, मैं अपने मित्र श्री के.एस. राव से पूरी तरह सहमत हूं, जो इस अधिनियम के निरसन से संबंधित प्रश्न पर बहुत विस्तार से बोल रहे थे। माननीय सदस्य जो एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, ने भी भूमि को निःशुल्क करने के बारे में विस्तारपूर्वक कहा। लेकिन उन्होंने इस सदन में यह नहीं कहा कि वे किसके लिए भूमि निःशुल्क करना चाहते हैं। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि क्या झुग्गियों और नगरों में रहने वाले गरीब लोगों को भी यह भूमि उपलब्ध कराई जाएगी; या क्या मध्यवर्गीय या निम्नमध्यवर्गीय लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह मालूम पड़ता है कि नगरों और बड़े शहरों में रियल इस्टेट ओनर्स; सट्टेबाजों और विदेशी निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मंत्री ने पुणे में कुछ ही दिन पहले अपने भाषण में कहा है कि आवास निर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति है। यह उन्हें भूमि खरीदने, प्लॉट और घर खरीदने का अधिकार दे देगा। लेकिन क्या यह समाज के गरीब लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करेगा?

हम लोग ऐसी सुविधाओं में विश्वास करना चाहते हैं। इस सरकार का आधारभूत दर्शन सब कुछ निःशुल्क कर देने में है। वे निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से लगातार सरकार की भूमिका को हटाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को कम करना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य कम्पनियों में निवेश नहीं हो रहा है और कम्पनियों को निजी क्षेत्रों को सौंप रही है। वे सारी सम्पदा, देश की सारी सम्पत्ति धनी लोगों के लिए निःशुल्क कर देना चाहती हैं जबकि गरीब और मध्यवर्ग के लोग कष्ट झेलने को मजबूर किये जा रहे हैं।

मंत्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अध्यादेश को लागू करने की बात कही है। अध्यादेश को 11 जनवरी, 1999 को लागू किया गया था। इसके पूर्व इसे जुलाई, 1998 में स्थायी समिति को भेजा गया था। दो राज्य सरकारें पंजाब और हरियाणा के अलावा, जिन्होंने अपने राज्य विधान सभाओं में संकल्प को अपनाया है, ने केन्द्र सरकार से इस अधिनियम के निरसन का आग्रह किया है। कोई अन्य राज्य सरकार नहीं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी अपने संबंधित राज्य विधानसभाओं में इस तरह का संकल्प पारित नहीं किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस अध्यादेश को लागू करने की जरूरत क्या थी। मैं कहना चाहूंगा कि रियल इस्टेट ओनर्स, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी निवेशकों के लिए भूमि निःशुल्क करने की जरूरत थी ताकि वे उस भूमि पर विशाल आवास का निर्माण करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, समाज का गरीब तबका जो वर्तमान में नगरों में रह रही है, को नगरों से बाहर धकेल दिया जायेगा।

वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे देश के गरीब तबके की क्रयशक्ति कैसे बढ़ायी जाये। गरीबों की क्रयशक्ति लगातार घट रही है। यदि गरीबों की क्रयशक्ति में अधिक से अधिक कमी होती जाएगी तो उद्योग में मन्दी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मन्दी आ जाएगी और हम अधिक से अधिक विदेशी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर हो जाएंगे। अपनी गतिविधियों को ठीक तरह से जारी रखने के लिए हम विदेशी बैंकों के पास जा रहे हैं। इसलिए, विदेशी कम्पनियां हमें इस अधिनियम के निरसन करने को कह रही हैं और इसी कारण शायद हम इसका निरसन करने जा रहे हैं। अन्यथा, इसकी कोई जरूरत नहीं है।

पिछले सात वर्षों से इस अधिनियम में संशोधन सरकार के पास विचाराधीन था लेकिन कोई विस्तृत संशोधन नहीं हुआ। सरकार विस्तृत संशोधन पर नहीं पहुँच सकी। इस अधिनियम की कमियों को दूर करने, भूल सुधार करने या कमजोरियों को दूर करने की बजाए, सरकार इस विधेयक को समाप्त करने का पूर्ण विधान इस सदन में लायी है। सरकार के इस अधिनियम से गरीबों या मध्यवर्ग के लोगों का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।

माननीय मंत्री ने उद्धृत किया है कि पूरी अर्थव्यवस्था अचानक काफी विकास करेगी कि निर्माता आएंगे और बड़े-बड़े भवन और फ्लैटों का निर्माण करेंगे। लेकिन कौन उन फ्लैटों या भवनों को खरीदेगा? क्या गरीब तबके को इन फ्लैटों को खरीदने की क्षमता है? इसलिए, सार यही है कि शहरी क्षेत्रों में जितनी भी भूमि उपलब्ध है वो रियल इस्टेट ओनर्स, डैवेलपर्स या विदेशी निवेशकों को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

ये लोग केवल अमीरों के लिए बहु-मंजिली इमारतें बनाएंगे और गंदी बस्तियों में रहने वालों अथवा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया जायेगा। उन्हें इस अधिनियम को रद्द करने से कोई फायदा नहीं होगा।

[श्री अनिल बसु]

इसी प्रकार, एक अभियान चल रहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि (हदबंदी) अधिनियम को समाप्त कर देगी।

महोदय, हमारा क्या अनुभव रहा है? आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रो. प्रोशान्तो माहालानोबिस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। प्रो. माहालानोबिस एक विख्यात अर्थशास्त्री और विश्व विख्यात सांख्यिकीविद थे। पंडित नहेरू ने उनसे यह मूल्यांकन करने को कहा कि सरकार के अधिकार में कितनी ग्रामीण जमीन आ जाएगी। पूर्ण मूल्यांकन के बाद, उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत में 6 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगी। यदि 1950 और 1960 के दशकों में यह 6 लाख हेक्टेयर जमीन ग्रामीण आबादी में वितरित कर दी गई होती तो आधी आबादी को इससे तत्काल लाभ होता। यदि आवश्यक आधारभूत ढांचा और वित्तीय मदद इन सभी गरीब लोगों को उपलब्ध करा दी जाये तो इस आधी आबादी की क्रय शक्ति में वृद्धि हो सकेगी।

श्री सोमपाल: यह कैसे हो सकता है? क्या आप वास्तव में अपनी इस सांख्यिकी पर कि 6 लाख हेक्टेयर भूमि से आधी आबादी को फायदा हो सकता था, दृढ़ हैं?

श्री अनिल बसु: हाँ, उस समय कितनी आबादी थी?

श्री सोमपाल: 1947 में 36 करोड़ थी और उनमें से 80 प्रतिशत गाँवों में रहते थे तो 6 लाख हेक्टेयर भूमि से आधी आबादी किस प्रकार लाभान्वित हो सकती थी?

श्री अनिल बसु: माफ कीजिए, 6 करोड़ हेक्टेयर है। सही जानकारी देने हेतु मैं आपका आभारी हूँ। मैं सही करता हूँ। अत: यदि 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन उपलबध कराई जाती और ग्रामीण आबादी में वितरित की जाती और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती। इससे यह हमारी सारी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक पुनर्निर्माण को सीधे प्रभावित होता। आज जो परेशानियाँ हम झेल रहे हैं, हमें उन्हें झेलना नहीं पड़ता यदि हमने इस समय भूमि सुधार किया होता।

लेकिन उस समय क्या कमियां थी? इन कमियों की ओर हमारी एक जानीमानी हस्ती ने इशारा भी किया था कि इसका कारण भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी था। जब कभी किसी अधिनियम को लागू करने में राजनैतिक इच्छाशक्ति होती है तो उसे पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की तरह लागू किया जा सकता है। वहाँ जमीन ग्रामीण गरीब लोगों के बीच बाँट दी गई थी जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।

इसी प्रकार, शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम में भी जो कुछ कमजोरियाँ, खामियाँ आदि हैं तो वे दूर की जा सकती हैं। लेकिन इन कमजोरियों और खामियों को दूर करने की बजाये आप इस अधिनियम को समाप्त करने हेतु सभा के समक्ष उपस्थित हैं। मुझे आशंका है कि इस विधेयक को निरस्त करने से केवल सट्टेबाजों, वास्तविक भू स्वामियों (इस्टेट आनर्स), प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों को ही फायदा होगा। इसका सबसे बुरा असर आबादी के सबसे गरीब तबके पर पड़ेगा। वे अभी भी शहरों में आ रहे हैं। उनसे इस प्रकार के मौके छीन लिये जायेंगे। अब इस देश में जो भी सुविधायें गरीबों को मिली हैं वे सब सरकारी निवेश से मिली हैं। केवल सरकारी निवेश से ही निम्न आय वर्ग के फ्लैट निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे। बिना सरकारी हस्तक्षेप या निवेश के कोई भी गरीबों की मदद नहीं कर सकता। हमने अपने अनुभव से देखा है कि डवलैपर्स और सट्टेबाज कभी भी गरीबों की मदद नहीं करते। गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग कभी भी इस प्रकार के लोगों के दान से लाभान्वित नहीं हुए। केवल सरकारी हस्तक्षेप और निवेश ने ही गरीब तबके को कुछ मौके दिये थे। अन्यथा, निर्माण के क्षेत्र में निजी बिल्डर ही आते। मंत्री जी यह बताते हुए बड़े आनन्दित हो रहे हैं कि वे जमीन मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं और कि जमीन की कीमतें घटेंगी। और तब बहुत से लोग जमीन खरीदेंगे। वे शहर दर शहर गये और बिल्डरों और डवलैपर्स से मिले जो कि बड़ी संख्या में आगे आयेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था में तत्काल उछाल आयेगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था की सही स्थिति नहीं अपितु एक स्वप्न है। दिन प्रतिदिन लोगों की क्रय क्षमता कम होती जा रही है। मुद्रास्फीति है और क्रय शक्ति घटती जा रही है। इस मामले में ऐसा होगा कि निजी बिल्डर, सट्टेबाज और अन्य विदेशी निवेशक आयेंगे, जमीन खरीदेंगे और गरीबों को शहरों की सीमाओं से बाहर फेंक देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि वे इस विधेयक को वापस लेने पर विचार करें और इस सभा में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करें जिससे कि संशोधन पर विचार-विमर्श हो और इस सभा में वर्तमान शहरी भूमि हदबंदी और विनियमन) निरसन विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श करके उसमें सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में अपनी कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने भगवान शंकर रावत जी का भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने

इस विधेयक की मंशा के खिलाफ भाषण किया लेकिन पार्टी अनुशासन को ध्यान में रखते हुए एक वाक्य में इस विधेयक का समर्थन किया। मुझे खुशी है कि आज मनमोहन सिंह जी और रमेश जी दोनों ही इस बात से बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी राम जेठमलानी जी के रूप में एक सफल प्रवक्ता, उनकी नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद है।

मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत जोर-शोर से शहरी गृह निर्माण की जो समस्या है, उसे इस कानून में मढ़ने का एक नया तरीका निकाला। यह कानून इसलिए लाया गया है ताकि इसकी आड़ में देश में एक वातावरण बनाया जाए कि जो ग्रामीण जमीन हदबंदी कानून है, उसको भी खत्म करने का एक आंदोलन खड़ा हो और यह इस देश के बड़े लोगों की एक गहरी साजिश का हिस्सा है। यदि जमीन हदबंदी गांव में नहीं हुई होती, यदि हरिजनों के लिए अतिरिक्त भूमि सीलिंग से निकालकर नहीं दी होती तो क्या आज इंदिरा आवास योजना, जो गरीबों के लिए भारत सरकार लागू कर रही है, उसे आप लागू कर सकते थे? माननीय शहरी विकास मंत्री जी के भाषण से ऐसा लगा कि सारे शहरों में झुग्गी-झुपड़ियां इस कानून के लागू होने के बाद नये सिरे से स्थापित होंगी क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर झुग्गी-झोपड़ियां बन गई हैं, स्लम्स पैदा हो गए हैं और इन्हें इस कानून के जरिए खत्म करना है। मैं जानना चाहता हूं कि 1976 में जब यह कानून आया, क्या 1976 तक शहरों में स्लम्स नहीं थे? क्या उन स्लम्स की समस्या को खत्म करने के लिए ही यह कानून इस संसद ने पास किया था। कुछ फैशन हो गया कि यदि किसी जमाने में पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई कानून पास कर दिया, गरीबों को ध्यान में रखकर, उनको ही लक्ष्य बनाकर कोई कानून बना दिया तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को इस बात की खुशी होती है कि उन बातों को गाली देने वाले ही इनकी पार्टी में प्रवक्ता होंगे, यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी शहरी विकास मंत्री जी जब जोर-शोर से भाषण कर रहे थे तो उन्होंने एक अंदर की बात कही। उन्होंने यह बात कह दी कि जिसकी जमीन सीलिंग एक्ट में ली हुई है, यदि उनकी जमीन पर कोई हाउसिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो उनको हम जमीन वापस कर देंगे। मेरी राय में यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से यह विधेयक आया है और इस कानून को रिपील करने की बात की जा रही है।

मेरा कहना है कि यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। जब निजी बिल्डर्स के हाथों में चीजें आ जाएंगी तो हाउसिंग एक्टीविटी बड़े जोर से शुरू हो जाएगी। मुझे इस बात पर सख्त एतराज है कि शहरी विकास मंत्री जी ने रिहायशी जमीन और रिहायशी इलाके को ही एकमात्र उद्देश्य मान लिया। क्या हमें स्कूल, अस्पताल नहीं चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं चाहिए। यदि निजी क्षेत्र के लोग अपनी जमीन वापस लेने के बाद रिहायशी इलाके बनाना शुरू करेंगे तो क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि वे इन सुविधाओं का भी इंतजाम करेंगे। मैं निजी तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि जब यह कानून बना तो इसे बनाने के लिए हिन्दुस्तान के 11 राज्यों ने अनुरोध किया और जब आप इस कानून को खत्म करने जा रहे हैं तो यह आधार बता रहे हैं कि दो राज्यों ने हमें लिख कर भेजा और वे दो राज्य कौन से हैं, जिन राज्यों में सबसे कम रिहायशी और जमीन की समस्या है। आज भी जिन राज्यों में जमीन की हदबंदी है वे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले ज्यादा हैं। शहरी कानून का दुरुपयोग धारा 20 और 21 के चलते बड़े लोगों ने किया। आप उसमें परिवर्तन की बात सोचते तो मैं ऐसा मानता कि आप कुछ करना चाहते हैं। आप पूरी छूट बड़े लोगों को देकर इसे कैसे शुरू कर देंगे, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। क्या फिर से उस जमीन को बड़े लोगों को देकर विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू करेंगे कि हम आपके दरवाजे आए हैं, आपके पास इतनी जमीन है इसलिए आप सरकार को दान दें। आप ह्रदय परिवर्तन करके हमें दे दीजिए। यदि बड़े लोगों में इस तरह का ह्रदय परिवर्तन होता तो शायद इस कानून की जरूरत इस देश में न पड़ती लेकिन केवल इस देश का गरीब सरकार के एजेंडे पर नहीं है।

महोदय, मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया। वहां गांधी जी का एक अमर वाक्य लिखा हुआ था। आजादी के बाद जवाहर लाल जी गांधी जी से मिलने गए और उनसे पूछा कि हमें कैसे राज चलाना चाहिए, आप तरकीब बताइए। तब गांधी जी कहते हैं कि जो पत्रावलि तुम्हारे पास हस्ताक्षर करने आए उसको प्रभु का ध्यान करके थोड़ा सोचो और सोचने के बाद देखो कि इस कानून को लागू करने से समाज के अंतिम आदमी का कितना लाभ हो रहा है। यदि उस आदमी का कोई लाभ नहीं हो रहा तो उस पत्रावली पर हस्ताक्षर न करना। यह अमर वाक्य प्रधानमंत्री जी जहां बैठते हैं उनकी कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है। यदि आप यह ध्यान में रखते हैं कि समाज के गरीब आदमी को परेशानी हो रही है, उसको रियायत देनी है तो जल्दी से इस कानून को पास करें तब मैं समझता हूं कि यह इस देश की परम्परा के अनुकूल होगा। मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जहां हमारा लखनऊ विकास प्राधिकरण गरीब किसानों की जमीन एक्वायर करता है, यह कानून इसलिए लाया गया था कि जो शहरों में भूमि पड़ी हुई थी उसका इसतेमाल भी हम हाउसिंग एक्टीविटी

[श्री मोहन सिंह]

में कर सकें। इस कानून को यहां लाने के पीछे यही मकसद था लेकिन अफसरशाही के चलते आपने उसे पूरा नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जो जमीन कृषि लायक थी, शहरों के विस्तार के लिए गरीब किसानों से औने-पौने दामों में लेकर, उसे अधिग्रहण करके, वहां हाउसिंग स्कीम्स लागू की गई।

महोदय, मैं एल.डी.ए. का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जितने प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन्होंने गरीब किसानों की जमीन एक्वायर करके अपनी एक्टीविटी चलाने की बजाए, ओने-पौने दामों पर प्राइवेड बिल्डर्स को जमीन देने का काम किया और उन्होंने 1/10 जमीन का पैसा एल.डी.ए. में जमा किया। उन्होंने एक विशाल प्रासाद बनाया, उसे जनता और उपभोक्ताओं को बेचा तथा वे पैसा लेकर वहां से चम्पत हो गए। आज की तारीख में एल.डी.ए. का प्राइवेट बिल्डर्स के ऊपर 350 करोड़ रुपया बकाया है। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के जो हाउसिंग सैक्टर में इनवेस्ट करने वाले लोग हैं उन्हें यहां बुलाएंगे।

आज से दो वर्ष पहले एक स्कीम सिंगापुर की कंपनी ने निकाली कि आप यहीं हिन्दुस्तान में बैठे-बैठे सिंगापुर का अनुभव कर सकते हो। आप चलकर गाजियाबाद में रहिये। यह स्कीम उसने चालू की। अखबारों में विज्ञापन दिये कि जो लोग हिन्दुस्तान में रह कर सिंगापुर का अनुभव करना चाहता हैं वह हमसे जमीन लें। उसने कम दामों पर जी.डी.ए. से जमीन खरीदी। उसने यहीं के लोगों का पैसा लिया, एक पैसा भी वह कंपनी सिंगापुर से नहीं लाई। फिर वह लोगों का पैसा लेकर यहां से चली गयी। सरकार कह रही है कि इस कानून के बाद इस क्षेत्र में एक्टीविटी चालू हो जाएगी। मिनिस्टर साहब का वक्तव्य था कि जमीनों के आज दाम गिर गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दाम व्हाइट मनी में गिरे हैं ब्लैक मनी में नहीं गिरे हैं। मान लीजिए कि एक 12 लाख का फ्लैट जी.डी.ए. में है और वही फ्लैट 20 लाख में अंसल के पास है। अब जी.डी.ए. का फ्लैट 12 लाख में वह खरीदता है तो 12 लाख रुपया व्हाइट मनी में देना पड़ता है, लेकिन उतने ही स्क्वेयर फीट का फ्लैट वह अंसल से 20 लाख में खरीदता है तो 5 लाख व्हाइट में और 15 लाख ब्लैक मनी में देना होता है। इस तरह से 15 लाख रुपये के ब्लैक मनी का एक नया धंधा शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह दाम ब्लैक मनी में गिरे हैं व्हाइट मनी में नहीं गिरे हैं। अगर इस तरह से गरीबों के हक के खिलाफ कोई कानून आता है तो हमारा यही बुनियादी फर्ज बनता है कि हम उसका पुरजोर विरोध करें। मेरा कहना यह है कि यह कानून बड़े लोगों के हित में, उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाया गया है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इनकी बुद्धि नये सिरे से खुले और प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधान मंत्री जी की कुर्सी के पीछे जो गांधी जी का वाक्य लिखा है, उसको याद करके गरीबों के हित में कुछ काम करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी पुराने सिलिंग एक्ट को खत्म करने की जब वकालत कर रहे थे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम बड़े आदमियों से वकालत करने की ज्यादा फीस लेते हैं, इसलिए बड़े आदमियों के पक्ष में बहस करने की इन्हें आदत है।

श्री राम जेठमलानी: आप यह बात हृदय पर हाथ रखकर तो कहिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यह तो विद्वान आदमी है। बड़े आदमियों से पता नहीं कितनी फीस लेकर काम करते हैं। हम तो गरीबों की बिना फीस के वकालत करने वाले आदमी हैं। सारी दुनिया में और हमारे देश में जो जमीन हैं उसमें उपज होती है और उसके लिए सारे नियम-कायदे बने हुये हैं। उन्हीं जमीनों पर लोग जानवर बांधकर रखते हैं, जरूरत होती है तो उसी जमीन से वे उनको खिलाते हैं। उसी से बंध सारे कानून हैं और उसी वजह से सारे जानवर, पशु-पक्षी अपनी जरूरत का खाना खा रहे हैं और खाकर जी रहे हैं। लेकिन सब नियम-कायदे, सब कानून अगर खत्म कर दिये जाएं, जानवर की गर्दन में जो पगाह लगता है, सब खत्म कर दिये जाएं तो न आदमी, न जानवर, न पशु-पक्षी उस जमीन से खा पाएंगे। यह कानून इस स्थिति पर लागू हुआ कि न किसी को बहुत अधिक हो, न किसी को बहुत कम हो। मतलब यह कि किसी के पास बहुत ज्यादा सम्पत्ति या जमीन नहीं रहे, कोई निर्धन है तो वह निर्धन न रहे। उस सिद्धांत पर यह कानून लागू हुआ। चाहे देहात में अर्बन सीलिंग एक्ट लागू हो, उस फिलॉसफी के तहत यह कानून लागू हुआ।

बहस करते समय कह रहे थे कि उसमें ज्यादा करप्शन है इसलिए उसे खत्म करना चाहते हैं। कौन से कड़े कानून में करप्शन नहीं है? जितना कड़ा कानून बनेगा, स्वार्थी तत्वों पर उतना हमला होगा और वह घूस देकर कानून से बचना चाहेंगे चाहे वह कानून आई.पी.सी. हो, सी.आर.पी.सी. हो या कस्टम का हो या स्मगिलंग का हो या 'फेरा' का हो। जितना कड़ा कानून बनाया जाएगा, उसमें उतनी घूस की गुंजाइश बढ़ जाती है। करप्शन को

रोकने का इंतजाम होना चाहिए। उसमें करप्शन है इसलिए कानून हटा दिया जाए, यह कहना उचित नहीं होगा। अगर कानून हटा दिया जाएगा तो गरीबों का क्या हाल होगा? यह कहते हैं कि इसमें करप्शन है इसलिए इसे खत्म कर रहे हैं। यह कहते हैं कि गरीबों को घर नहीं मिला इसलिए इसे ला रहे हैं। कहा गया कि यह कानून बना कर अमीर लोगों को रोका गया कि इतनी सीलिंग रहेगी, इससे फालतू जमीन हम ले लेंगे। अगर इसे फ्री कर दिया जाएगा तो गरीब का घर भी खरीद कर ले लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य: जंगल राज रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आप जंगल राज में कानून खत्म करना चाहते हैं। हम कानून का राज चाहते हैं। कानून खत्म करने वाला पक्षधर कह रहा है कि हम जंगल राज चाहते हैं। हम कानून का राज चाहते हैं। आप कानून खत्म करना चाहते हैं। शहर में बड़े आदमी गरीबों की जमीन छीन कर फार्म हाउस बनाते हैं।

इन्होंने कहा कि अरबन लैंड सीलिंग खत्म कर देंगे तो गरीब को घर मिल जाएगा। हमें यह फार्मूला अच्छा नहीं लगा। इससे गरीब का घर नहीं बनेगा। जो तीन तर्क सुने वह हमें अच्छे नहीं लगे। यह कहा गया कि हम प्रो-पुअर हो गए। यह कब से हो गए? प्रो-पुअर कानून को आप खत्म करने जा रहे है। ऐसे तर्क देना ठीक नहीं होगा। माननीय मंत्री के तीनों तर्क हमें कनविंस नहीं कर रहे हैं। रावत जी भाषण करते समय कर रहे थे कि कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कानून ही खत्म होने जा रहा है इसलिए उसमें क्या संशोधन होगा? उन्होंने प्रधान मंत्री और मंत्री को इस बात के लिए बधाई दी। स्टेट मिनिस्टर को उन्होंने बधाई नहीं दी। खुशामद का कोई अंत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): रघुवंश जी यूनाइटेड फ्रंट सरकार में मंत्री थे। यह उनकी कैबिनेट का डिसिजन था कि अरबन लैंड सीलिंग एक्ट को रिपील किया जाए। ऐसा उन्होंने रिकमैंड भी किया था। शायद वह इस बात को भूल गए। आज उन्हें यह बात याद आ रही है। जब आप कैबिनेट में थे, उस समय आपको इस बारे में मालूम था या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन मुझे इस एक्ट के बारे में पूरा पता है। मैंने आफिसर्स के साथ बैठ कर इस बारे में विचार-विमर्श किया।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम तो आपके पक्ष में बोल रहे थे।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अभी भी आप इस एक्ट को गौर से देखिए। यह गरीब लोगों के लिए एक्ट है। के.एस. राव जी ने न इसका विरोध किया और न ही समर्थन किया। वह न्यूट्रल बन कर बैठे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वह तो क्लॉजवाइज सब बातें बता रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम): मैं कहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: आपको यह साफ-साफ कहना चाहिए कि आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा विरोध।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: राव साहब कह रहे थे कि हर कानून में लैकूना रहता है। कानून बनाते समय इस पर बहस हुई होगी। बड़े लोगों के पक्षधर बुद्धिजीवी होते हैं। उन्होंने लैकूना में संशोधन करने की बात कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि कानून ही खत्म कर दिया जाए। यह कानून बड़े लोगों के पक्ष में बनाया गया है। उन्हें खुली छूट दी गई है जितनी जमीन रख सकें, रखें।

हम इससे सहमत नहीं हैं चाहे आप कहें कि कैबिनेट में फैसला हुआ था। आपकी कैबिनेट में फैसला हो गया और यहां बहुमत से आपने पास करवा लिया जबकि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तब आप कहेंगे कि जब सदन में आया था तो कैसे पास हो गया जब हम इसके खिलाफ थे। अभी तो आपका बहुमत है लेकिन हम बहस में भाग लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कैबिनेट की बात आप जानते हैं कि इसके फैसले बाहर नहीं बताये जाते। मंत्री लोग गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आप तो पुराने प्रो-पूअर कानून को खत्म कर एंटी-पूअर विधेयक ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि शहर की सारी जमीन ले लें और गरीब आदमी को यहां से भगा दें। हम चाहते हैं कि गरीब का घर बने जैसे इन्दिरा आवास योजना में बनाया जाता है, वैसे ही शहरी सरप्लस जमीन को लेकर गरीबों के लिए घर बनाइये। इसमें आपका खर्चा हो जाता है। जब जमीन ली जाती है तो कहा जाता है कि इकोनामी हो रही है। कोई आदमी जमीन लेना चाहेगा तो खर्चा करके सरकार उस जमीन को लेना चाहती है। न्यायालय में डाकू, क्रिमिनल्स पर जब कानून लगाते हैं तो उस पर कितना खर्चा होता है। इससे कोई उत्पादन नहीं होता है बल्कि

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

न्याय लागू करने के लिए खर्चा होता है। उसी प्रकार गरीब आदमी को प्रोटैक्शन और बड़े आदमी की जमीन छीनने के लिए कानून लागू करना पड़ता है, चूंकि उसमें खर्चा हो सकता है, इसलिए इकोनोमी है, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा आग्रह है कि हम पुराने कानून में संशोधन के पक्षधर हैं क्योंकि उसमें करप्शन की गुंजाइश नहीं है और यदि उस कानून को खत्म कर दिया जायेगा तो हम उसके खिलाफ हैं।

श्री जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में बड़ी चालाकी से गरीबों के खिलाफ साजिश की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): सभापति महोदय, वास्तव में, हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया है जिसमें यह पारित किया गया है कि हम आठ बजे तक बैठेंगे। हमारा यह भी लक्ष्य है कि हम शेष दोनों अध्यादेशों को पूरा करेंगे। एक नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश और दूसरा पेटेंट्स (संशोधन) अध्यादेश *...(व्यवधान)* मैं यही कह रहा हूं *...(व्यवधान)* मुझे कहने दें।

मैं नहीं समझता कि पेटेंट्स (संशोधन) अध्यादेश को समाप्त करना हमारे लिए सम्भव होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए और कम से कम नगर भूमि निरसन अध्यादेश को समाप्त कर देना चाहिए। क्या मैं सभा की बैठक को एक घंटे और बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य: जी नहीं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: अन्यथा आपको प्रत्येक शनिवार को बैठना होगा *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): नहीं, नहीं।

सभापति महोदय: सभा की बैठक इस विधेयक के समाप्त होने तक बढ़ाई जाती है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): आप और लोगों को चांस दे रहे हैं हमें भी बोलने दें।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के मोहन सिंह जी बोले हैं।

[अनुवाद]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे अंतिम वक्ता हैं उनको अपनी बात समाप्त करने के पश्चात् मंत्री जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

सायं 7.00 बजे

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। एक दल से केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, इस विधेयक को पारित किये जाने तक सभा की कार्यवाही बढ़ाए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.) ने इस पर बोलने वाले अपने सदस्यों के नाम वापिस ले लिए हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, सभा की अनुमति लें कि इस विधेयक को निपटाया जाए और सभा इसे निपटाए जाने तक बैठेगी। उसके बाद आगे देखेंगे।

सभापति महोदय: क्या सभा की अनुमति है कि सभा का समय इस विधेयक को निपटाए जाने तक बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: अतः इस विधेयक को निपटाए जाने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

अब श्री कवाडे जी बोलेंगे। तत्पश्चात् मंत्री महोदय और उनके बाद श्री राघवन जी बोलेंगे।

अब श्री कवाडे जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* सबको इस बार बोलने दिया जाए।

सभापति महोदय: सबको मौका नहीं मिल सकता। 12 स्पीकर हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): माननीय सभापति जी, मैं वैसे भी बहुत ही संक्षेप में बोलने वाला था। आपने समय बढ़ा दिया है तो एक दो मिनट ज्यादा ले लूंगा।

सभापति जी, मंत्री महोदय जो अर्बन लैण्ड रिपील बिल लाए हैं, मैंने शुरू में कह दिया कि इसका विरोध करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। 1976 का जो नगर भूमि अधिनियम था, वह एक नीति के तहत इस देश की गरीब जनता को केन्द्र बिन्दु बनाकर बनाया गया था, लेकिन आज इसको निरस्त करने के लिए इसको रिपील करने की बात की जा रही है। केवल गरीबों का नाम लेकर, क्रांतिकारी कदम बताकर यह सरकार, हमारे मंत्री महोदय इस देश के चंद मुट्ठीभर पूंजीपतियों के, इस देश के चंद मुट्ठीभर बिल्डरों के, इस देश के रियल ऐस्टेट का धंधा करने वालों की झोली भरने के लिए इस कानून को निरस्त करने के लिए साजिश कर रहे हैं। यहां जंगल राज की बात की जाती है। कानून बनाया है इसलिए ताकि इस देश में जंगल राज न रहे, गरीबों को राहत मिले, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिले, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिले। इस कानून में कुछ कमियां हैं, कानून में कुछ खामियां हैं तो हम कानून में तब्दीली कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पूरे कानून को ही हटाकर उसकी जगह केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का इस प्रकार से राज लाने की कोशिश करते हैं तो हम इस बात को कभी बर्दाश्य नहीं करेंगे। सभापति महोदय, यह जो आर्डिनेन्स लाया गया है, मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो अर्बन लैण्ड सीलिंग रिपील बिल आया है, इसके लिए आर्डिनेन्स निकालने की ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई थी जिसकी वजह से आर्डिनेन्स निकाला गया, यह हमारी समझ में अभी तक नहीं आया है। कौन सा आसमान टूट रहा था, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा संकट हमारे देश में आ रहा था, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। गरीबों की बात करके पूंजीपतियों की भलाई का काम किया जाता है। गरीबों के नाम पर पूंजीपतियों की झोली भरने का काम किया जाता है। यह ऑर्डिनेन्स इसलिए लाया गया है कि मंत्री महोदय और इनकी सरकार को भरोसा नहीं था कि हमारी सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन टिकेगी। इसलिए जितने भी दिन टिकेगी, तब तक कम से कम हमारे चंद मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों और बिल्डर लोगों का और रियल ऐस्टेट वालों का भला हो जाए। उनके लिए और ब्लैक मार्केटियर करने वाले लोगों के लिए यह रिपील बिल भी लाया गया है।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने बहुत बड़ी बात कही, मेरे ख्याल से उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। हमारे मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे देश के बुजुर्ग और पुराने नेताओं ने जो कुछ गलितयां की हैं। जैसा उन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग नेताओं ने देश की भलाई के लिए कानून बनाये थे. लेकिन अगर कानून को अमल में लाने वाले ईमानदार नहीं होंगे तो हमारे नेता लोग क्या करेंगे, हमारा कानून क्या करेगा। इसलिए सभापति महोदय मैं इस बिल का विरोध करते हुए मंत्री महोदय और सरकार से अपील करूंगा कि गरीबों के अधिकारों को छीनने की कोशिश मत करिये और अर्बन लैंड रिपील बिल को लाकर हमारे पुराने कानून को नष्ट करने की कोशिश मत करिये। यदि आप इसमें कोई तब्दीली, परिवर्तन या अमेंडमेंट चाहते हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन गरीबों को ध्यान में रखकर आप गरीबों की भलाई की बात करिये। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर): (उ.प्र.): चेयरमैन सर, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे बड़े भाई मोहन सिंह जी और श्री रघुवंश प्रसाद जी ने आरोप लगाया कि यह बिल एंटी पूअर है, मैं उनकी बात से कुछ सहमत भी हूं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने हमारे मंत्री जी पर आरोप लगाया कि माननीय राम जेठमलानी जी बड़े लोगों के वकील रहे हैं, इसलिए आज भी बड़े लोगों की वकालत कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय राम जेठमलानी जी को बड़े लोगों की जेबों से पैसा खींचना आता है। पहले वह अपने लिए उनकी जेबों से पैसा निकालते थे, अब वह सरकार के लिए बड़े लोगों की जेबों से पैसा निकालने के लिए कानून बना रहे हैं। सभी को पता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और यह आज से नहीं पिछले 50 सालों से खराब है। हम एंटी पूअर नहीं हैं, हम भी प्रो-पूअर हैं। लेकिन गरीबों का उद्धार कैसे हो, इस पर सभी दलों के लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। 50 सालों से हम आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, जिन पर आज तक कांग्रेस पार्टी चलती आ रही हैं, उन आर्थिक नीतियों के कारण ही देश की यह दुर्दशा हुई है। हमारे चेयरमैन इस समय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा का उद्धरण देना चाहता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय देश में सामंती व्यवस्था थी और सामंती व्यवस्था के बाद कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था आनी चाहिए और पूंजीवादी व्यवस्था के बाद ही समाजवादी

[श्री गंगा चरण राजपूत]

व्यवस्था स्थापित हो सकती है। बगैर पूंजीवाद के आये समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। पचास सालों से हम असफल प्रयास कर रहे हैं कि देश में समाजवाद आ जाए। जब देश में पूंजीवाद नहीं आयेगा, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आना चाहिए और पूंजीवाद के बाद ही समाजवाद आयेगा, यह हमारे भाई मोहनसिंह जी जानते हैं। इसलिए हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है और हमारी सरकार ही नहीं, संयुक्त मोर्चा की सरकार ने भी प्रयास किया और इसके पहले कांग्रेस की नरसिंहराव सरकार ने भी प्रयास किया कि देश में पूंजीवादी व्यवस्था आये और उसी के अनुसार हमारी आर्थिक नीतियां बन रही हैं। उसी दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए इस संबंध में सभी दलों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो शहरी सीलिंग एक्ट खत्म करने के लिए हमारी सरकार विधेयक लाई है, इनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो पब्लिक सैक्टर की जमीन है, उसे हम बेच सकेंगे। तमाम फैक्टरियों की जमीनें बेचकर हम फैक्टरियों का माडर्नाइजेशन कर सकेंगे। इस एक्ट के कारण जो भ्रष्टाचार था, जमीन खरीदने के लिए एन.ओ.सी. लेने के लिए बड़े-बड़े शहरों में पचास-पचास हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ती थी, वह भ्रष्टाचार दूर होगा। विदेशी पूंजी का निवेश होगा और वह पैसा गरीबों के उत्थान में लगेगा, उनके भवन निर्माण में लगेगा।

इसलिए यह विधेयक लाया गया है। हमारी मंशा सिर्फ अकेले पूंजीपतियों को संपन्न बनाने की नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।

मोहन सिंह जी ने रूरल सीलिंग एक्ट के बारे में भी जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद सरकार का दूसरा स्टैप वह भी हो सकता है। आपने गांवों के लोगों को एक-एक बीघा जमीन दी, उससे क्या फायदा हुआ। न किसान उन्नत किस्म के यंत्र खरीद सका, न बीज खरीद सका और न खाद। वह जमीन उन्होंने बड़े-बड़े किसानों के पास गिरवी रख दी, उससे क्या फायदा हुआ, क्या गरीबी समाप्त हो गई? मेरा सरकार से अनुरोध है, यहां पर रूरल डिवेलपमेंट मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार गांवों की भूमि की सीलिंग को भी समाप्त करने के लिए कानून लाए। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं अपना विचार बता रहा हूं, मैं सरकार का विचार नहीं बता रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि गांवों की भी सीलिंग समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि सीलिंग से गरीबों का भला नहीं हुआ है। खेत, क्यारियों में बंट गए हैं, टुकड़ों में बंट गए हैं। जो फायदा किसानों और गरीबों को रूरल सीलिंग से होना चाहिए वह नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, हम जमींदारी प्रथा के समर्थक नहीं हैं। हम आपकी ही विचारधारा के समर्थक हैं, हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन देश में समाजवाद तभी आएगा जब पहले पूंजीवाद आएगा। यदि आप देश में पूंजीवाद नहीं आने देना चाहते हैं तो समाजवाद कहां से आएगा? इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग): सभापति जी, मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। मंत्री महोदय अर्बन सीलिंग एक्ट को रिपील करने के लिए विधेयक लाए हैं। उनकी मंशा और इस सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न है। हम सब जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और वर्गविहीन समाज बनाने, समता मूलक समाज बनाने का सपना देखते हैं, वे सब चिन्ताग्रस्त हैं कि यह सरकार क्या करना चाह रही है और मेरे मन में ऊहापोह था, तभी राजपूत जी ने कहा कि शहरी भूमि सुधार कानून को समाप्त करने के बाद ग्रामीण हदबन्दी कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव यह सरकार लाएगी, उससे मेरे मन की चिन्ता की पुष्टि हो गई और न सिर्फ मेरे मन की चिन्ता बल्कि इस विधेयक के विरोध में बोलने वाले ऐसे सभी लोगों की जो चिन्ता थी वह सही साबित हुई कि यह सरकार भूमि सुधार कानून, ग्रामीण हदबन्दी कानून और जमींदारी उन्मूलन कानून को खत्म करना चाहती है। मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय ने जो शुरुआत की है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका लक्ष्य वही है।

सभापति महोदय, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम भारतवासी हैं और ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसके पास इतनी बड़ी शस्य श्यामला भूमि है और यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन हमारे लम्बे इतिहास की यह विडम्बना है कि हमने इस भूमि को न्यायसंगत रूप से वितरित नहीं किया; इसका सदुपयोग नहीं किया।

इसी कारण हमारे देश में विषमता आई थी। इसी कारण यहां ऊंच-नीच और भेदभाव फैला था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की जो बार-बार आलोचना करते हैं, मैं उनसे सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि पहले अपने हृदय में झांककर देखिये और सोचिये तब कहिये कि यह कांग्रेस थी, जो स्वतंत्रता के बाद भूमि के सदुपयोग और न्यायसंगत वितरण के लिए दो महत्वपूर्ण कानून लाई थी—जमींदारी उन्मूलन कानून जिसने यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांति का बिगुल बजाया था और उसके बाद यहां पर शहरी हदबंदी कानून-लैंड सीलिंग एक्ट जिसने एक दूसरी तरह की क्रांति का उद्घोष किया था। यह महज क्रांति नहीं है, यह महज कानून नहीं है। यह एक सामाजिक क्रांति, एक शांतिपूर्ण क्रांति लाने वाला कदम रहा

है। आपने कहा कि आप क्रांतिकारी कानून लाये हैं। हम लोगों का सोचना है कि इस देश में जो क्रांति सिर उठा रही थी, अभी पनप रही थी, आपने उसके ऊपर वज्रपात कर दिया। आपने क्रांति की जो नई हवा चल रही थी, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। आपने जो रोशनी की किरण फैल रही थी, उसको अंधकार में डुबाने की साजिश की है। आप बहुत बड़े कानूनविद हैं और मैं आपका सम्मान करती हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप गरीबों की वकालत किया करें। आप जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, जो इस्पात के व्यापारी हैं, जो सीमेंट के व्यापारी हैं, उनकी वकालत करना छोड़ दीजिए। गरीबों की वकालत करना शुरू कर दीजिए।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि आपने इस बिल के जो उद्देश्य हैं, आब्जेक्टिव्स हैं, उनमें यह लिखा है कि 1976 का लैंड सीलिंग एक्ट बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य से लाया गया था। आपने भी इस बात को स्वीकारा। क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया, जमीन की कीमतें आसमान को छूने लगीं क्योंकि इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हुआ इसलिए अब आप इस कानून को समाप्त कर देना चाहते हैं। मगर यह जो कानून है अथवा जितने भी क्रांतिकारी कानून हैं, जितने भी गरीबों के हक में कानून हैं, जितने भी स्टेट्स को मिटाने वाले कानून हैं, सरमायेदार के विरोध में जो कानून हैं, उन सब पर यह बात लागू होगी क्योंकि आज भी हमारी जो व्यवस्था है, सरमायदार आज भी उसके अंदर हैं, उनके कंट्रोल में हैं यह व्यवस्था उसके कब्जे में है। आज भी वह इस स्थिति में हैं कि गरीबों को आउटमेनूवर कर दें, गरीबों को भ्रमित कर दें, गरीबों के लिए जो कानून लाये जाते हैं, उसकी दिशा को बदल दें। उनके लिए जो कानून हैं, उनको हास्यास्पद घोषित कर दें और इस हद तक उसकी आलोचना करें ताकि एक जनमत तैयार हो जाये कि इस कानून को मिटा देना चाहिए। आज भी उनमें यह शक्ति है इसलिए आज तक कांग्रेस जितनी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की कोशिश रही कि बावजूद इन सब कमियों के हमारी सरकार उस कानून के हक में खड़ी रहे। एक चट्टान की तरह गरीबों के हक में खड़ी रहे मगर आपने गरीबों को बीच राह में छोड़ दिया, मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया, यह मैं आप पर आरोप लगाती हूं।

आप प्रो-पूअर नहीं हैं, आप ऐंटी-पुअर हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस कानून को वापिस ले जाइए। जो लोग स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, यदि आप सचमुच में उनका दर्द समझते हैं, तो दिल्ली में ढाई सौ, तीन सौ से ज्यादा गरीबों की बस्तियां हैं, जो बिल्डर्स हैं, इस्पात और सीमेंट के व्यापारी हैं, उनसे कहिए कि उन सब जगहों पर बड़ी-बड़ी बहुमंजिली इमारतें बनाकर स्लम्स निवासियों को वहां रखें, तब मैं जानूंगी कि आप इस कानून को सही ढंग से समझे हैं। कृपया इसे रिपील करने की बात न करें। मैं इस बिल का पूरा विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं विधेयक का विरोध करने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि इसे पूर्णत: निरस्त कर दिया गया है। यदि इस विधेयक में कोई मूल संशोधन होता तो हम निश्चित रूप से विधेयक का समर्थन करते।

माननीय मंत्री एक विद्वान व्यक्ति हैं। वह बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने अपनी बात अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। मगर मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि वह दिवास्वप्न की स्थिति में क्यों हैं? मैं उनका आदर करता हूं फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि वह ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वह हमें बता रहे थे कि इस अधिनियम से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। उन्होंने हमें यह बताने का भी साहस किया कि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कारण औद्योगिक अशांति है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि इस अधिनियम के कारण भूमि की कीमत बढ़ चुकी है। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि इस अधिनियम के कारण फ्लैट बनाने की लागत पांच लाख रुपए से लेकर छह लाख रुपए तक हो गई है। यदि एक बार इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा उनका मानना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन के समक्ष इतनी अच्छी तस्वीर रखी। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन उन्हें अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। बुनियादी मुद्दा क्या है? बुनियादी मुद्दा नगर में वास्तविक सम्पदा का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण है। जब तक वह इस अधिकार पर अंकुश नहीं लगाते वह सफल नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें ऐसा विधान लाना चाहिए जिसमें समस्त अतिरिक्त भूमि और नगर भूमि, जो बड़े जमींदारों और बड़े उद्योगपतियों के कब्जे में है, को वापिस ले लिया जाए। यदि एक बार यह अधिनियम निरस्त हो जाता है तो उनको अधिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और वे अपनी भूमि में कुछ भी कर सकेंगे। वास्तविक सम्पदा उनके हाथों में एकत्र हो रही है जिसे वे बेच सकते हैं और उसका मूल्य बता सकते हैं और गरीब आदमी उनकी दया पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए मेरे विद्वान मित्र श्री राम जेठमलानी को उस व्यक्ति की शक्ति पर रोक लगानी चाहिए जिसके पास बड़े शहरों में ये सभी वास्तविक सम्पदाएं हैं। क्या आप वह विधान ला सकते हैं? यदि यह अधिनियम निरस्त हो जाता है तो इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा? ये लोग काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते और वह उनके

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। गरीब लोगों के लिए उनकी सभी उम्मीदें और आशाएं समाप्त हो जाएगी।

अत: मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह नगर वास्तविक सम्पदा के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए विधान लाएं। इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अपार्टमेंट और फ्लैट प्रणाली के लिए इतनी अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है। गगनचुम्बी इमारतें बनाई जाती हैं जिनके लिए थोड़ी भूमि पर्याप्त होगी क्योंकि वे ऊंची होती हैं। फ्लैट प्रणाली अथवा अपार्टमेंट प्रणाली के लिए भूमि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: जी हां, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए महोदय, मैं प्रारंभ से ही आपको बताना चाहता हूं।

जहां तक अध्यादेश का संबंध है, मैं एक बात बताऊंगा। अध्यादेश एक प्रतिबद्ध विधान होता है। सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार-विमर्श नहीं होगा। दूसरी ओर के लोग अर्थात सत्ता पक्ष के लोग परेशान हैं। वे अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कुछ कदम उठाए गए हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि यह सदैव एक प्रतिबद्ध विधान है। जिसके लिए राम जेठमलानी जी आपको एक पक्षकार नहीं होना चाहिए। आप और मैं मामलों पर तर्क-वितर्क करते हैं। मैं और आप संविधान की भावना जो उसमें निहित है, की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अध्यादेश से ऐसा विधान बनेगा जो संसदीय जनतंत्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इसका पक्षकार नहीं होना चाहिए।

महोदय, वे गलत परंपरा बना रहे हैं क्योंकि दो छोटे राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर वे यह विधान लाए हैं। यदि भविष्य में भारत में कोई दो छोटे राज्य प्रस्ताव करते हैं जिसमें भारत में सती उन्मूलन अधिनियम के निरसन करने हेतु केन्द्र सरकर से कहा जाता है और मंत्रीजी का उत्तराधिकारी ऐसा विधेयक लाता है तो क्या वह इसे रोक सकेंगे? भारत छोटे-बड़े 25 राज्यों से मिलकर बना है। सरकार ने दो रज्यों को ही महत्व दिया है। यह बात ठीक हो सकती है कि ऐसे प्रस्ताव के संबंध में संविधान में कम से कम दो राज्यों की संख्या बताई गई है। लेकिन केन्द्र सरकार को न्यूनतम के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वे सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारत के समस्त 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मुम्बई, कलकत्ता, बैंगलूर और चेन्नई जैसे महानगरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये सब शहर भी तो हैं। नगर भूमि (अधिकतम भूमि और विनियमन) अधिनियम इन शहरों में भी बहुत महत्व रखता है और इसलिए, इनको भी संकल्प प्रस्ताव पारित करना चाहिए। लेकिन, इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। जो इन्होंने किया है वह निश्चित ही संविधान की भावना के विपरीत है। माननीय मंत्री संविधान विशेषज्ञ हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे ऐसे विषय पर जोर न दें जो राज्यों का विशेषाधिकार है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों का इसमें नाम है और हम लोगों ने बोलने के लिए लिखकर भी दिया है। इसके बाद भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा तो सदस्यों के बोलने की व्यवस्था क्या हुई?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो सवाल उठाया है, यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव: मेरी रिक्वैस्ट यह है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह रिक्वैस्ट होगी, मगर व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सवाल उठता है। व्यवस्था में यही आता है कि मैं सदस्य हूं और मुझे बोलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अगर हम विधेयक पर प्रस्ताव रखते हैं तो भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो मैंने आपकी पार्टी के श्री शैलेन्द्र कुमार को बुलाया है।

श्री मित्रसेन यादव: मान्यवर, वह तो आपका अधिकार है। उसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे टाइम मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इनको बाद में टाइम दे दीजिएगा।

श्री रामनारायण मीणा: हमारी पार्टी के केवल दो ही मैम्बर बोल पाये हैं, दूसरी पार्टियों के ज्यादा लोग बोले हैं। हमारी संख्या के अनुपात में मेरा नाम भी आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छा, मीणा जी, आप भी बोलियेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय आवास मंत्री जी ने यहां नगर भूमि सीमा अधिनियम संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे कि अभी पूर्व सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, इस बिल को जो आप लाये हैं, यह गरीब, मध्यम परिवार के लोगों के लिए संकट वाला बिल है और इसमें केवल उच्च वर्ग के लोगों का ही फायदा होने वाला है। यह जनहित विरोधी भी है, जनहित में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आप नगर हो या देहात हो, ज्यादातर इलाकों में स्लम बस्तियों में आप चले जाइये तो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीब लोग ही वहां पर वास कर रहे हैं।

आपकी सोच है कि वहां से स्लम बस्तियां हटें, जगह साफ-सुथरी हो। लेकिन उन लोगों को विस्थापित करके आप कहां ले जाएंगे कहां उन्हें स्थान देंगे, यह बहुत बड़ी समस्या है। हम गांवों में जाते हैं तो हमने गरीबों, खासकर अनुसूचित जाति की बस्तियों में देखा है कि एक ही कुटिया में सास-ससुर, बहू-बेटा और अन्य लोग सोते हैं। यह इस देश में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है।

सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में दो हजार फैक्ट्रीज बन्द होने जा रही हैं। इसी तरह से आगरा में कई उद्योग बंद हो गए हैं। आपके बिल लाने से वे फैक्ट्रीज वाले अपनी जमीन को बढ़े हुए दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाएंगे, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। 1976 वाले इस बिल में संशोधन की जरूरत है, लेकिन आप पूरे बिल को ही हटा रहे हैं। अगर इस बिल में कहीं अनियमितताएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए संशोधन लाया जा सकता है। इस बिल से भू-माफिया को फायदा होगा। आप छोटे-छोटे काश्तकारों को जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें नामिनल पैसा देकर उस जमीन को बड़े लोगों को दे देते हैं और वे लोग उस जमीन पर फ्लैट्स बनाकर अच्छा पैसा वसूल करके चले जाते हैं। इससे गरीबों का, किसानों का और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण होता है इसलिए यह बिल इन लोगों पर कहर ढाने वाला बिल है।

आज शहरों में देखें तो वह विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और सरकार के भी आवास कार्यालय हैं। ये मकान बनाते हैं तो तमाम गरीबों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उजाड़कर बनाते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, उससे तमाम गरीब मजदूर बेसहारा हो जाएंगे, उनको रोजी-रोटी नहीं मिलेगी और आवास की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर इस बिल में कोई अनियमितता है तो उसके लिए संशोधन होना चाहिए, न कि पूरे बिल को समाप्त कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आवास मंत्री जी द्वारा रखे गए इस बिल पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं कि हमारे साथी श्री मित्रसेन यादव को भी दो मिनट का समय इस बिल पर बोलने के लिए दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: वे भी बोलेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने विचारों को रखा, मैं उन्हें बड़े गौर से सुन रहा था। जब भारत का संविधान बना तो विभिन्न समुदायों के बारे में सोचा गया। इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रकट होती है। मैं गुस्ताखी तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। सरकारी पक्ष के द्वारा जो विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं, इस प्रकार के संशोधन लाए जा रहे हैं, मैं सरकार चलाने के लिए शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन लाखों लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है इसलिए उन लोगों की बात करने का मुझे अधिकार है। क्या इस बिल से पारदर्शिता झलकती है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से राजस्थान के बोर्डर तक के गांवों की हम बात करें तो करोड़ों गरीबों के साथ हम क्या न्याय करने जा रहे हैं या अन्याय करने जा रहे हैं, इस पर हमें बैठकर सोचना पड़ेगा। यह नहीं कि दिल्ली की सड़कों में विदेशी गाड़ियां चलें और बिल्डर्स से, अरबपतियों से, सीमेंट और स्टील निर्माताओं से हम बात करें। इससे गरीबों का हित नहीं होगा। गरीब के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्या गरीब को सस्ती दर पर मकान देंगे? अगर कानून में खामी है तो हमें देखना होगा कि गरीबों के पक्ष में कैसे काम हो सकता है। क्या देश को आजादी इसीलिए मिली थी, क्या इसीलिए देश आजाद कराया था कि हमारे गरीब के बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए बैठने के लिए टाट-पट्टी भी न मिले।

[श्री रामनारायण मीणा]

क्या हमने हिन्दुस्तान को इसलिए आजाद कराया था कि हम गरीब को रोजी-रोटी भी नहीं दे सकें? आज करोड़ों की संख्या में देश में बेरोजगार हैं। आज भीड़ की भीड़ गांव में बेरोजगारों की मिलती है। मेरी भावना से आप भी वाकिफ हैं और आपकी भावना से मैं भी वाकिफ हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूंजीवादी व्यवस्था से चलोगे तो हिन्दुस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही करेंगे। क्या आप भूल गए जो लोहिया जी ने इसी सदन में कहा था कि एक और दस से ज्यादा रेशियो नहीं होना चाहिए। एक आदमी को दो वक्त का खाना मिलने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं कहूंगा कि उसे महीनों खाना नहीं मिलता। इसका इलाज क्या है? 1976 में एक कानून बना था। यह किसने बनाया था? मैं यह नहीं कहता कि मंत्री महोदय की क्या भावना है और आपकी क्या भावना है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक पार्टी को तथा उसके साथी संगठन दलों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समता पार्टी को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। रेल मंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम जनता की आवाज लगाते हैं, गरीब के पक्ष की आवाज लगाकर यदि हम वोट लेकर इस सदन में आते हैं तो हमें उसी भावना से काम करना पड़ेगा। कथनी और करनी में अंतर आएगा तो हिन्दुस्तान ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। गरीब के पक्ष में कोई बात नहीं कर पाएंगे। आज आप गांव में जाएं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था हो रही हैं, इस प्रकार के आने के बाद जो सहकारी समितियों के हालात हो रहे हैं, कोपरेटिव की जो हमारी थीम थी, क्या आप नेहरू जी को भूल सकते हैं? यह वही नेहरू जी थे जिन्होंने हिन्दुस्तान की नींव डाली थी और बड़े-बड़े बांध बनाए और गरीबों के पक्ष में सोचा तथा कोपरेटिव मूवमेंट व्यवस्था का संचालन किया। समाजवादी व्यवस्था के बारे में उन्होंने बात की। आज हम अमरीका के पदचिह्नों पर चलने की बात कर रहे हैं। यदि गरीब के सर हम छत नहीं दे सकते और गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज सकते और उसे दो टाइम खाना नहीं दे सकते तो हमें इस संसद में बैठकर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में पुनर्विचार करें। कानून में यदि कोई खामी है तो उसे दूर करने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)* बड़े-बड़े बिल्डर्स कभी मकान नहीं दे सकते, इससे और दुर्दशा ही होगी। जिस भावना से यह देश चल रहा है, गरीब के पक्ष में जो धारणा बनी हुई है और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसको आप ध्यान में रखते हुए इस कानून में जो खामी है, उसे दूर करने की कृपा करें और इसे पास करने की कृपा करें।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): महोदय, एक महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश की जनकल्याणकारी सरकार की कुछ नीतियां होती हैं। इस देश के लोगों की जो बेसिक नीव है, जो बुनियादी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना और उसे रियायत और शर्तों के साथ पूर्ण करना हमारा काम है। जनकल्याणकारी सरकार की जो कल्पना की गई थी तो महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि असली भारत कौन सा है? उन्होंने कहा था जैसे मैं हूं, यही असली भारत है। उनके कहने का मतलब यह था कि हमारे नंगे शरीर और हमारी लंगोटी को देखकर सारे हिन्दुस्तान की आप कल्पना कर सकते हैं। हिन्दुस्तान की बेसिक नीड की सबसे बड़ी जरूरत क्या है: "रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान" है। उस दिन राजपूत जी यही नारा लगा रहे थे और आज कह रहे हैं कि जब तक पूंजीवाद नहीं आएगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। राजपूत जी किसी दिन इस नारे के विरोध में थे। अगर जेठमलानी जी इस कानून को ले आए हैं तो हमें इस पर परेशानी नहीं है क्योंकि आपकी सरकार, आपकी मंत्री और आपकी पार्टी का वर्ग चरित्र ही इस तरीके का है जो इस देश के पूंजीपतियों को और विदेशी पूंजीपतियों को इस देश में लाकर देश का शोषण करा रहा है। बुनियादी तौर पर इस विधेयक से यह साफ जाहिर हो गया कि आप इस देश के अंदर क्या चाहते हैं? आपने यहां तक कह दिया कि शहरी भूमि को भी, शहरी सीलिंग को भी समाप्त कर देना चाहिए, जमींदारी भी लानी चाहिए। यही कहकर आप चले जाइए। अगर कल अखबार में यह बात छप जाये कि भारतीय जनता पार्टी सीलिंग एक्ट को खत्म करना चाहती है और जमींदारी लाना चाहती है।

आपको गांव में कोई घुसने नहीं देगा। ...*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि गरीबों को मकान देने के लिए आपने तमाम तरह के नियम बना रखे हैं। गांवों में गरीबों को आवास आबंटित होते हैं। उनके लिए आपने स्वत: रोजगार योजनाएं चलाई हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने बराबर प्रयास किया कि किस तरह से देश की गरीबी और अमीरी की खाई को पाटा जाए और गरीबों को उठाया जाए। ...*(व्यवधान)* आप जो विधेयक लाए हैं इस पर हमारे साथियों ने बहुत से सुझाव दिए, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)* मेरिट डिमेरिट होता है, अब यह वकील के ऊपर है कि वह मेरिट के पक्ष में बोलेंगे या डिमेरिट के पक्ष में बोलेंगे। अगर आप डिमेरिट को मेरिट में बदलना चाहते हैं तो यह सीलिंग एक्ट लागू रहना चाहिए। देश के तमाम महानगरों में कितने कारखाने बंद हो गए हैं, सार्वजनिक भूमि पड़ी हुई है। अगर इसे खत्म कर दिया जाएगा तो करोड़ों लोग इससे फायदा

उठाएंगे और करोड़ों गरीब लोग इस देश में आवास से वंचित हो जाएंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो कुछ भी इस चर्चा के दौरान कहा गया, मुझे उसका पूर्वानुमान था और मैंने सभा के अंदर अपने प्रारम्भिक भाषण में ही लगभग हर दृष्टिकोण पर नजर डाली थी। महोदय, लेकिन तीन-चार ऐसी बातें हैं जिनका मैं स्पष्ट तौर पर उत्तर देना चाहूंगा।

मुझे 'प्रथम पुरुष एकवचन' में बात करने से नफरत है और मैं कभी अपना हवाला नहीं देता। परन्तु, दो माननीय सदस्यों ने मेरी ओर व्यक्तिगत इशारा किया कि ''यह गरीबी के बारे में क्या जानें? यह तो अमीरों के लिए काम करते रहे हैं। महोदय, जहाँ तक इस आरोप की बात है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। माननीय सदस्यों को शायद ज्ञात नहीं कि मैंने 24 वर्ष की युवा अवस्था में बंबई के शरणार्थी कैम्प से जीवन की शुरुआत की है, जहाँ एक दस रुपये का नोट ही मेरी कुल सम्पत्ति थी। मैंने गरीबी को भोगा है। मैंने झोपड़ पट्टी का जीवन जिया है। मैंने इतनी कठिन जिन्दगी जी है जिसके बारे में कोई भी माननीय सदस्य सोच सके। जीवन में आज मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं देश के गरीब लोगों द्वारा ज्ञापित कृतज्ञता और दिये गये सहयोग का ऋण उतार सकूँ। हाँ, अमीरों से मैंने पैसा कमाया है। लेकिन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गरीब आदमी फीस अदा न कर पाने के कारण मेरे दफ्तर से खाली हाथ गया हो। देश में हर कोई जानता है कि मेरी 95 प्रतिशत वकालत निशुल्क होती है।

महोदय, कुछ लोग स्वयं को गरीबों का झंडाबरदार समझते हैं। वे गरीबों के जीवन के बारे में अपनी छाती पीटते हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, गरीबों से इनका प्रेम उनके गरीब रहने तक ही सीमित है, वे उन्हें अमीर देखकर खुश नहीं। वे चाहते हैं कि गरीब सदा गरीब ही रहें ताकि वे अपनी छाती पीटते रह सकें। महोदय, यदि मैं इस विधेयक को लाने पर सहमत हो गया हूँ और मैंने इस विधेयक का सुझाव दिया है इसके पीछे यही इच्छा है कि गरीब लोग झोपड़-पट्टियों से निकलकर सम्माननीय, बजटीय कीमतों पर लिये गये घरों में रहें।

किसी ने मुझ पर भ्रष्ट अमीरों का समर्थक होने का आरोप लगाया है। आज भ्रष्ट अमीरों के पास ही भूमि है, वे रिश्वत देते हैं और रिश्वत देकर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से छूट प्राप्त कर लेते हैं। आज भूमि उन्हीं के पास होने से भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है।

यदि आज कोई इस अधिनियम से खुश नहीं है, तो ये वही भ्रष्ट लोग हैं जिन्हें इस कानून से छूट प्राप्त है और जिन्होंने उस भूमि पर कब्जा किया हुआ है, जिसे पर वह कब्जा करना चाहते हैं।

महोदय, 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', अखबार जो न तो मेरे दल या इस दल से सहानुभूति रखता है, ने अपने सम्पादकीय में लिखा है: ''हेरा-फेरी करने वाले जायदाद के सट्टेबाजों के अलावा कुछ लोग ही नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को समाप्त किये जाने का विरोध करेंगे।''

महोदय, मैं इस बारे में अधिक नहीं बोलना चाहता। मैं नहीं समझता हूं कि आप जान-बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप गलत आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। नई बाजार शक्तियों एवं इनके काम करने के ढंग, तथा इनकी क्षमता व प्रभाव को आप समझना नहीं चाहते। आज अनजाने में, मैं जानबूझकर 'अनजाने में' कह रहा हूं, क्योंकि मैं आप पर जानबूझकर यह करने का आरोप नहीं लगाना चाहता, आप अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। आप अनजाने में देश के सर्वाधिक भ्रष्ट तत्वों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने रिश्वत देकर भूमि कानूनों में छूट प्राप्त की है। मेरी सरकार गरीबों के हित का समर्थन करती है। मैं गरीबों के हितों का समर्थक हूं और यह कार्य करने का यही मेरा औचित्य है।

महोदय, मेरे मित्र श्री राधाकृष्णन, ने यूं ही कुछ कह दिया है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मगर वह समझते हैं कि मैं ख्याली दुनिया में रह रहा हूँ, अर्थात वह नम्रता से कहना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: मेरा यह मतलब नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका यह आशय नहीं था।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, यदि मैं ख्याली दुनिया में रहता, तो मेरे विचार से मैं खुश रहता। मुझे खेद है कि मैं बेईमानों के बीच रह रहा हूँ और मैं बेईमानी समाप्त करना चाहता हूँ। बेईमानों ने देश की समस्त अचल संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। मैं इन सबको इससे बेदखल करना चाहता हूं। दूसरे बेईमान कौन हैं? ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और नौकरशाह हैं जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर

[श्री राम जेठमलानी]

रखा है। मैं उन्हें समाप्त करना चाहता हूं मैं भूमि को वापस खुले बाजार में लाना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है। मैंने उनसे कानून बनाने का अनुरोध किया है और कहा है कि ऐसी समस्त भूमि पर कर लगाया जाए, जिसका उपयोग गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है।

श्री के.एस. राव: क्या आप राज्य सरकारों को आदेश देते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं केवल उन्हें सलाह देता हूं। अगर वह सलाह नहीं मानते तो वे खुद ही भुगतेंगे। मगर लोगों को सलाह देना मेरा अधिकार है। मैंने उन्हें कहा कि "ऐसी समस्त भूमि पर कर लगाया जाए जिसे लोग सट्टे के लिए एवं भविष्य में लाभ के लिए रखते हैं और जिसका वे देश में आवास की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहते।"

महोदय, मुझे खुशी है कि इस विधेयक का विरोध करने वाले एक भी सदस्य ने ईमानदारी से पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कहा कि इस अधिनियम द्वारा गरीब को लाभ प्राप्त हुआ है। सभी यह कह रहे हैं तथा आपने भी कहा कि "हम इस अधिनियम में संशोधन चाहते हैं।" श्री राधाकृष्णन ने भी यही कहा है कि "यदि इसमें संशोधन किया जाता है तो मैं इसका समर्थन करूंगा।" स्थायी समिति के विमत रखने वाले दो सदस्यों ने भी कहा है कि: "हम इस विधेयक में संशोधन चाहते हैं।" मगर, महोदय इसका विरोध करने वाले सभी सदस्यों ने अपनी बुद्धिमता दिखाते हुए इसे निरस्त करने के बजाये इसमें संशोधन की बात कही, लेकिन मैं इसका विरोध करने वालों में से किसी ने भी इस अधिनियम में जो जो संशोधन किये जाने चाहिए उनके बारे में नहीं बताया और यह नहीं कहा कि "इस अधिनियम को निरस्त करने का यह विकल्प है, यहां तक कि आज ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: क्या आपका कहने का मतलब यह है कि स्थायी समिति के सभी सदस्य बुद्धिजीवी नहीं हैं और उन्हें इस अधिनियम की स्पष्ट जानकारी नहीं है?

श्री राम जेठमलानी: आप एक बार फिर गलतफहमी में हैं। मैंने कहा था कि जिस किसी सदस्य ने विधेयक में संशोधन करने की बात की है वह कभी युक्तिसंगत संशोधन का प्रारूप पेश नहीं कर पा रहा है और मैंने कह दिया कि "निरसन के स्थान पर इस संशोधन को प्रतिस्थानी समझा जाये।" लेकिन निरसन के सवाल पर हमने सतर्कतापूर्वक अपना दिमाग लगाया विधेयक के निरसन के सवाल से एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है क्योंकि, जैसाकि मैंने कहा था कि इस विषय पर सीधा विधेयक लाने की शक्तियां हमारे पास नहीं हैं। उन सभी राज्यों को जहाँ यह अधिनियम लागू है, इन संशोधनों के लिए सहमत हो जाना चाहिए और उन्हें इन संशोधनों को हमारे पास भेजना चाहिए तभी कहीं जाकर अकेले सभी की सहमति से उन संशोधनों को पास करा सकते हैं, हमारे पास राज्य के लिए संशोधन के रास्ते विधान बनाने की संवैधानिक क्षमता नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश अलग तरह का संशोधन चाहता है और दूसरा राज्य दूसरे तरह का संशोधन चाहता है तो इस संसद के पास इस तरह के विधायी संशोधन किये जाने की कोई शक्ति नहीं है। जो एक राज्य अथवा दूसरे राज्य जैसे छोटे संघ शासित प्रदेशों में ही लागू हों।

इसलिए महोदय, संशोधन की बात हो गई। हमने इस पर विचार किया है और यह पाया है कि ऐसे कोई संशोधन नहीं होंगे जो इस अधिनियम द्वारा जनित भ्रष्टाचार से निपट सकें।

आखिरकार, संशोधन के जरिए आप स्वरूप नहीं बना सकते। दुर्भाग्यवश यह संभव नहीं है।

अन्त में, मैं इस विषय पर बहस करना चाहता हूं जिसे माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि इससे सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों की विवशता पैदा होती है जैसाकि मैंने कहा कि मैं अपने देश की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों के दिमाग में जो एक महत्वपूर्ण गणित आया है कि सेवा शुल्क के जरिये 195,000 करोड़ रुपये अदा किये जाने हैं और यह दिमाग को चौंकाने और घबराने वाला ऋण है जिसमें देश फंसा है और आपकी कुल राजस्व प्राप्ति 102,000 करोड़ रुपये बैठती है। अर्थात् 93,000 करोड़ रुपये की कमी है। मकान बनाने के लिए सरकार के खजाने में पैसा कहाँ है? नौवीं योजना रिकार्ड के अनुसार वर्ष-वार बढ़ते वित्तीय घाटा को छोड़कर केवल वर्तमान वित्तीय घाटा से निबटने के लिए हमें 150,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। किन्तु, वह धन भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं और बिना वजटीय समर्थन के हमें मकान बनाना है। पर यह तो तभी संभव हो सकता है जब कोई नई नीति बने।

नयी नीति यह है कि निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से शामिल किया जाये। निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है और माननीय सदस्यों ने भी यहाँ हाँ कह दी है। हमें निजी क्षेत्रों से कोई आपत्ति नहीं है।" लेकिन, यह कहना कि आपको निजी क्षेत्रों से कोई आपत्ति नहीं है, का क्या आशय है? यदि निजी क्षेत्र

अपनी अर्थव्यवस्था को अर्थक्षम करेगा तो आपको उनकी कुछ सलाहें अवश्य माननी होगी। आज निजी क्षेत्र की सर्वसम्मत राय यह है कि उसे निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर शामिल किये जाने से पूर्व इस अधिनियम को निरसित किया जाये।

मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि पुराने प्रयोग अब असफल हो चुके हैं। मैं उस प्रयोग की अवधारणा को दोष नहीं देना चाहता। मैं भ्रष्टाचार या अक्षमता को दोष नहीं देना चाहता। फिर भी वास्तविकता यही है कि पुरानी प्रक्रिया अब अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल हो चुकी है। अब हमें नया प्रयोग करने की अनुमति दी जाये। अगर यह नया प्रयोग भी असफल हो गया तो संभव है कि हम इसे वापस लेकर पुरानी प्रक्रिया को ही अपनायें। लेकिन, इस तरह की सोच और क्रियान्वयन के नये प्रगतिशील मार्ग में कृपा कर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये।

अत: इस सभा से मैं आह्वान करता हूँ कि इस बिल को भारी बहुत से पास कराया जाये ताकि हमें मत विभाजन पर अनावश्यक समय न बरबाद करना पड़े।

श्री के.एस. राव: क्या माननीय मंत्री का यही विचार है कि जहां कहीं भी अधिनियम असफल हो जाये तो उसका एकमात्र हल यही है कि उसे निरसित कर दिया जाये? जहाँ कभी भी असफलता हो तो क्या उसे सिर्फ निरसित कर दिया जाये और कुछ नहीं किया जाये।

श्री राम जेठमलानी: क्या मैं उस अस्वीकृत प्रस्ताव को वापस लेने का आपसे निवेदन कर सकता हूँ?

श्री के. बापीराजू (नरसापुर): मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ क्योंकि वे उस अधिनियम को निरसित किये जाने के लिए पूरी तरह से दृढ़प्रतिज्ञ हैं और उन्होंने खुले दिल से सभी को बोलने की इजाजत नहीं दी है। वे इन सारे 15 वर्षों से इसी में विश्वास करते थे। वे इसे निरसित करना चाहते थे और उन्होंने यह कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हम बिना सोचे-विचारे मतदान करते आ रहे हैं। कोई भी बिना सोचे-विचारे वोट नहीं देता। हम ऐसा नहीं करते। हम किसी प्रस्ताव का विरोध करें या उसका समर्थन करें हम अपनी समझ से वोट देते हैं। माननीय मंत्री जी एक विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। वह भावुक हो गये थे। माननीय मंत्री को भावुक नहीं होना चाहिए। वह अनुभवी व्यक्ति हैं और उनका दृष्टिकोण विशाल है। उन्हें सदन को विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूँ कि मैं भावुक नहीं होऊँगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन: उपाध्यक्ष महोदय, श्री जेठमलानी का प्रशंसनीय भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें भ्रष्टाचार समाप्त करने का बहुत आसान तरीका बताया है। यदि इस विधेयक को निरस्त कर दिया जाए, भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा। उन्होंने हमारे सामने हमारी फलती-फूलती अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत कर दिया है। यदि यह कानून निरस्त कर दिया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था फलेगी-फूलेगी। मैं सोच रहा था कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार गलत हाथों में चला गया है। डा. अमर्त्य सेन के स्थान पर, यह पुरस्कार श्री जेठमलानी जी को उनकी नये आर्थिक सिद्धान्तों के लिए दिया जाना चाहिये था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे फलेगी-फूलेगी, वह अपने इस प्रयोग पर विस्तार से बोल रहे थे। मैं समझता हूँ, हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा जी का शहरी कार्य और रोजगार मंत्री जी के साथ सीधा संबंध होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: फिर भी, अब मैं आपसे आपके वैधानिक प्रस्ताव को वापस ले लेने का निवेदन करता हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन: वकील के रूप में अपने व्यवसाय के प्रति आपने न्याय किया है लेकिन आपने सदन के प्रति अन्याय किया है। संसद के इतिहास में आपका नाम नहीं होगा क्योंकि आपने एक अध्यादेश लाने की पहल की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। कोई अन्य व्यक्ति भी यह कार्य कर सकता था लेकिन जेठमलानी के स्तर के वकील को यह अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। यदि आप आवास पर अपने नये विचारों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसा आप अध्यादेश के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ। इसी सत्र में छ: अध्यादेश आ चुके हैं। ये सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण कानून हैं। जैसा कि श्री जेठमलानी जी ने इसके संबंध में बताया कि यदि यह बहुत अच्छा कानून है, और यह इतनी अच्छी परीक्षणात्मक परियोजना है तो वे इसे सदन के समक्ष क्यों नहीं लाये और यहाँ हमें विधेयक पर चर्चा का अवसर क्यों नहीं दिया? उन्होंने यह कार्य अध्यादेश के माध्यम से क्यों किया?

वाणिज्यिक वर्ग के लिए यह अध्यादेश अच्छा रहा है। इस अध्यादेश से सीमेन्ट उद्योग और वाणिज्यिक वर्गों को लाभ हुआ है और इसी के प्रति मेरा विरोध है। अध्यादेश जारी करने का

[श्री वी.वी. राघवन]

आपका कार्य जरा भी उचित नहीं है। आपने हम पर एक कानून लाद दिया है। यही मेरी शिकायत है ...*(व्यवधान)*

पूरा सत्ता पक्ष उपस्थित है क्योंकि उन्हें इस कदम का समर्थन करना है। निर्विवाद तथ्य के रूप में आप इस कानून को लाये हैं। अब सदन द्वारा इसे स्वीकार किया जाना है। लेकिन हम अपनी ओर से इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए, हम इसका विरोध करते हैं। हम सभा से संसद के अधिकारों को यथावत बनाये रखने का निवेदन करते हैं। इस अध्यादेश को इस सभा द्वारा अस्वीकार किया जाना है। मैं माननीय सदस्यों से केवल कानून निर्माण के हमारे अधिकार को यथावत बनाये रखने का निवेदन करता हूँ और हमें इसी बात का समर्थन करना चाहिए कि ''अध्यादेश राज' अस्तित्व में न रहे। इसी कारण, मैं आपसे इस अध्यादेश को अस्वीकृत करने के अपने प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुमोदन करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): मैं समझता हूँ कि व्यर्थ ही शोर हो रहा है। जैसाकि मेरे मित्र ने बताया, माननीय मंत्री जी बहुत भावुक थे और उन्होंने अपने तर्क जोश के साथ प्रस्तुत किये। लेकिन तथ्य यह है कि जहां तक विषय का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार के पास कानून निर्माण का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह अधिनियम निरस्त कर दिया जाए, यदि राज्य स्वयं प्रस्ताव पारित न करे तो कुछ घटित नहीं होगा। अतः वह यही कह रहे थे कि यदि राज्य स्वयं प्रस्ताव पारित नहीं करते तो लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। जहाँ तक आज की बात है, केवल दो राज्य आगे आए हैं।

अतः हम यह अनुभव करते हैं कि हम इन तर्कों से आश्वस्त नहीं हैं। कानून को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रस्ताव को वापस लेकर राज्य स्वयं ऐसा कर सकते थे। पहले वे जो भी प्रस्ताव पारित करते उसे निरस्त किया जा सकता था और उस राज्य में यह कानून मान्य नहीं होता।

रात्रि 8.02 बजे

इस समय श्री पी. शिवशंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल गरीबों के हित में नहीं है इसलिए हम समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल के विरोध में सभा से वाक आउट करते हैं।

रात्रि $8.02^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह बिल पूंजीपति के विपक्ष में लाया गया है तथा यह गरीबों का गला काटेगा। हम इस बिल के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सदन से वाक आउट करते हैं।

रात्रि 8.03 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: इस निरसन के विरोध में, हम भी बहिर्गमन करेंगे।

रात्रि $8.03^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी.वी. राघवन, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं?

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): महोदय, जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> ''कि यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> ''कि नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 को निरस्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है–

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब लोक सभा मंगलवार, 9 मार्च, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.04 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार, 9 मार्च, 1999/18 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।